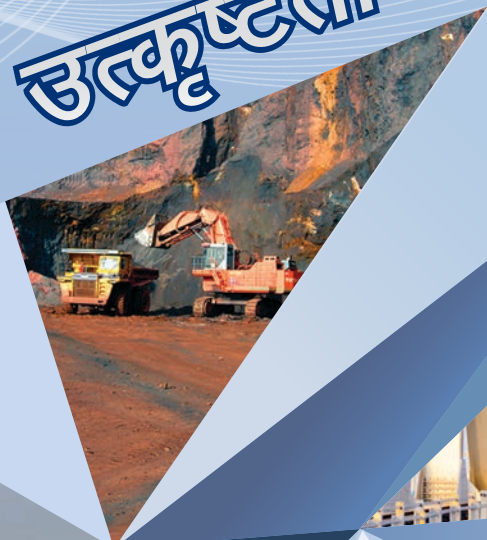




सेल SAIL

उत्कृष्टता की ओर



वार्षिक
रिपोर्ट

2020-21

Shri Narendra Modi Hon'ble Prime Minister of India Appreciates SAIL's Efforts in the fight against COVID



Narendra Modi ✓
@narendramodi

This is a good step.

Organisations could play a vital role in popularising Aarogya Setu and ensuring more people download it.

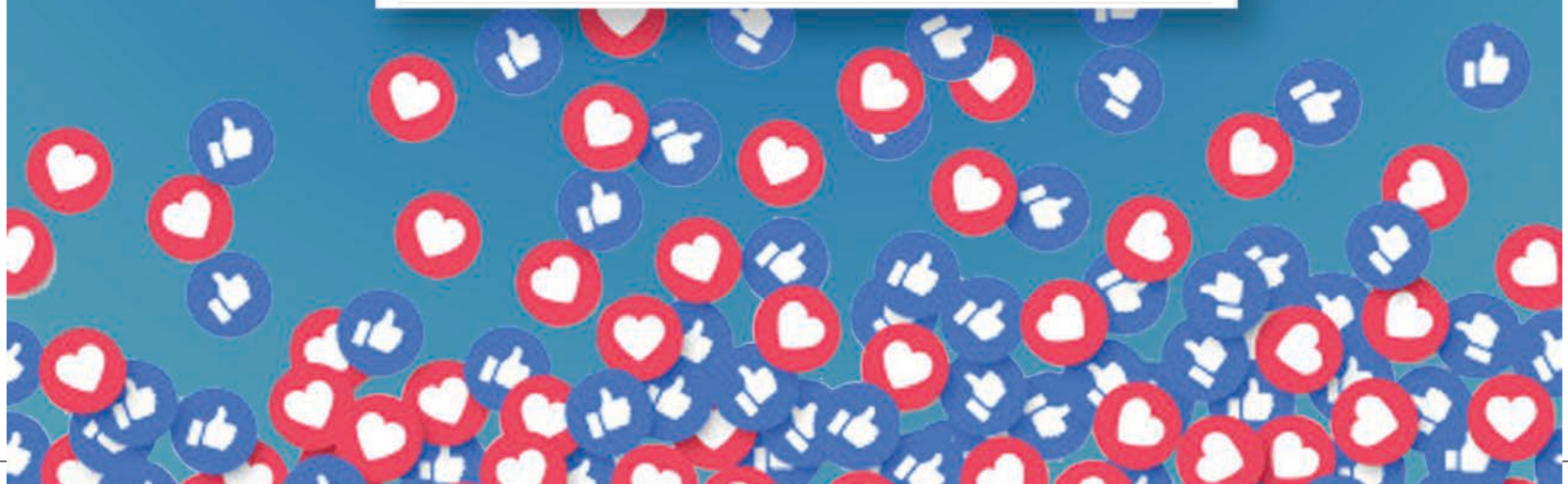
SAIL ✓ @SAILsteel · Apr 15

To protect our Nation from the deadly COVID19 pandemic, all of us at @SAILsteel endorse and support the GOI initiative of the #AarogyaSetuApp. Download it on @GooglePlay or the @AppleStore. #IndiaFightsCorona #SAILagainstCorona #AarogyaSetu #SAILagainstCorona



12:56 PM · Apr 16, 2020 · [Twitter Web App](#)

3K Retweets 20.3K Likes





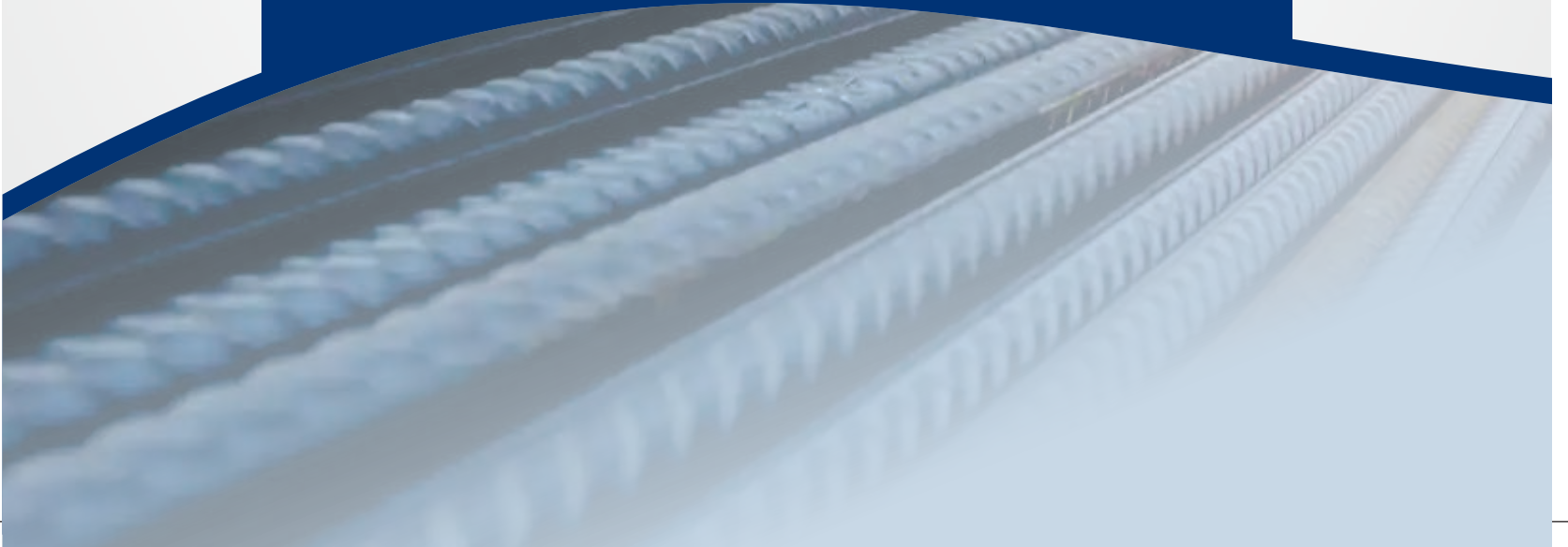
सेल स्टील के बल पर बना आत्मनिर्भर भारत

- कृषि • ऊर्जा • आवास • स्काई स्क्रैपर्स • स्टेडियम • सड़कें • पुल • राजमार्ग • रेलवे • मेट्रो • हवाई अड्डे • बंदरगाह
- जहाज • अंतरिक्ष अन्वेषण • अस्पताल • निर्माण • पाइपलाइन • उत्पादन • रक्षा

एक सम्मानित विश्व स्तरीय निगम और
गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता और
ग्राहक संतुष्टि में भारतीय इस्पात व्यवसाय में
अग्रणी बनना।



विज्ञान



हम विश्वास और पारस्परिक लाभ के आधार पर ग्राहकों के साथ
स्थायी संबंध बनाते हैं।

हम अपने व्यापार के संचालन में उच्चतम नैतिक मानकों को कायम
रखते हैं।

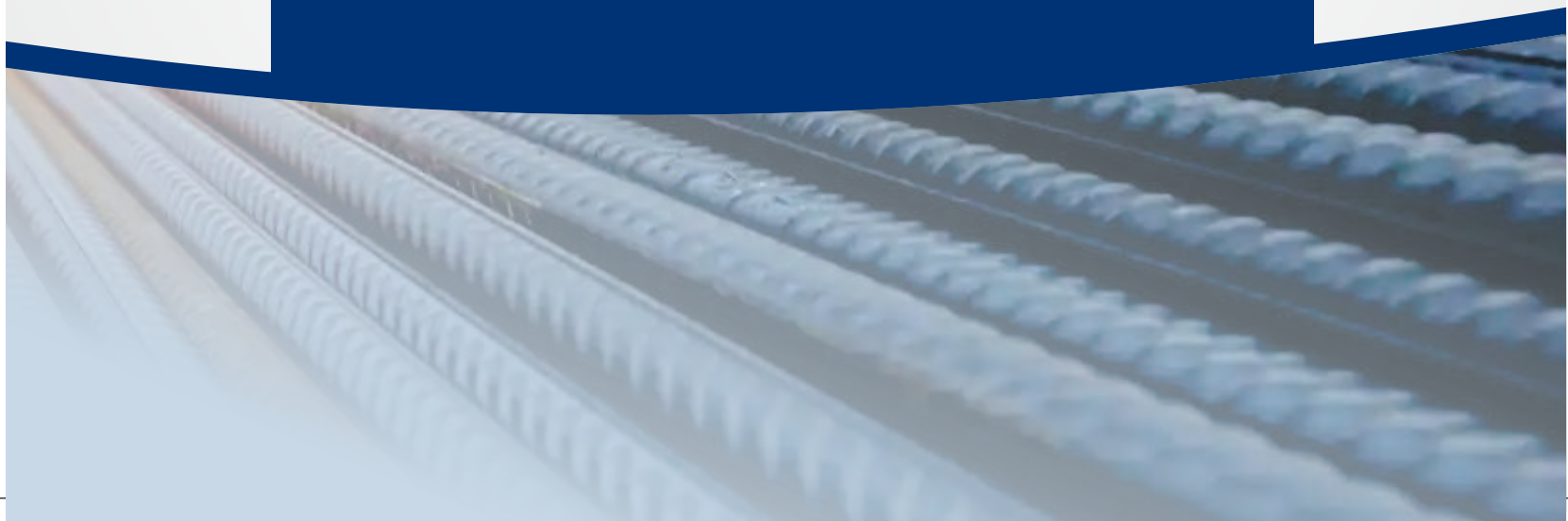
हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण और पालन करते हैं जो
फ्लेक्सिबिलिटी, सीखने का समर्थन करती है और परिवर्तन के लिए
सक्रिय है।

हम कर्मचारियों के लिए उन्नति और पुरस्कार के अवसरों के साथ
एक चुनौतीपूर्ण कैरियर की योजना बनाते हैं।

हम लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव लाने के अवसर और
जिम्मेदारी को महत्व देते हैं।



सी आर ई डी ओ



सूची

शेयरधारकों
को पत्र

06 - 07.....

विशिष्टताएं

.....08 - 15

निदेशक
मंडल

16 - 17.....

लेखापरीक्षक और बैंकर्स

.....18 - 18

दस वर्षों का सार,
मूल्य संवर्धित विवरण और
शेयरधारिता पैटर्न

19 - 23.....

बोर्ड की रिपोर्ट

24 - 43.....

प्रबंधन
और विश्लेषण
रिपोर्ट

.....44 - 52

स्टैंडअलोन फाइनेंशियल
स्टेटमेंट

53 - 104.....

स्वतंत्र
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

.....105 - 118



स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण
पर नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की टिप्पणियां
.....119 - 120

सचिवीय लेखा
परीक्षा रिपोर्ट
121 -123.....

कॉर्पोरेट
गवर्नेंस रिपोर्ट
.....124 - 132

कॉर्पोरेट गवर्नेंस
सर्टिफिकेट
133 -133.....

व्यावसायिक
उत्तरदायित्व
रिपोर्ट
.....134 - 140

समेकित
वित्तीय
विवरण
141 -197.....

समेकित वित्तीय
विवरण पर
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों
की रिपोर्ट

.....198 - 207

समेकित वित्तीय विवरण
पर नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक
की टिप्पणियां
208 -210.....

सहायक कंपनियों के
वित्तीय विवरण
की मुख्य विशेषताओं
वाला विवरण
(फॉर्म एओसी-1)

..... 211 - 212

वार्षिक रिटर्न
का निष्कर्षण

213 -226.....

धारा 186 के तहत
ऋण, गारंटी या
निवेश का विवरण

..... 227 - 227

ऊर्जा संरक्षण,
प्रौद्योगिकी अवशोषण
और विदेशी मुद्रा आय और
आउटगो के विवरण

228 -232.....

कॉर्पोरेट सामाजिक
उत्तरदायित्व पर
रिपोर्ट

.....233 - 236

प्रमुख
अधिकारी

237 -237.....

एजीएम की नोटिस
.....238 - 246



शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बीता साल मानव जाति के सामने अब तक की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक रहा। स्वास्थ्य और जीवन के लिए प्रत्यक्ष जोखिम के साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं को नीचे लाकर आजीविका को खतरे में डालने के रूप में, कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में सभी को प्रभावित किया है। हालांकि लहरों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से चरम पर पहुंचने वाली संख्या में भारी कमी आई है, लेकिन महामारी से निजात पाने का सुकून अभी तक नहीं मिला है।

इससे पहले कि मैं कंपनी के प्रदर्शन पर बात करूं, मैं आपको इस क्रूर महामारी का मुकाबला करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न सक्रिय उपायों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आपकी कंपनी ने अपने प्लांट, यूनिट, खानों और टानशिप में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया। आपकी कंपनी ने इस्पात संयंत्रों और इकाइयों के परिधीय क्षेत्रों में कोविड-19 वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जरूरी लॉकडाउन नियमों और अन्य सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को लागू किया। सेल प्लांट और यूनिट के प्रमुख स्थानों पर फुल-बॉडी ऑटोमैटिक सैनिटाइज़र, टच-फ्री हैंड सैनिटाइज़र, वाटर डिस्पेंसर, कीटाणुनाशक का छिड़काव और डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर का उपयोग कर रही हैं।

कोविड देखभाल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पर, पांच इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थानों पर सेल अस्पतालों ने शुरू में कोविड की देखभाल के लिए 10% बेड (330 बेड) निर्धारित किए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1000 बेड से अधिक कर दिया गया। आपकी कंपनी ने संबंधित संयंत्र से गैसीय ऑक्सीजन सुविधा के साथ ही कुल 1100 बिस्तरों के एकिकृत प्लांट स्थानों पर अतिरिक्त कोविड देखभाल सुविधाएं भी स्थापित की। सेल अस्पतालों ने संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू-एनएटी जैसी कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं भी विकसित की हैं, जहां परिधीय आबादी का नियमित परीक्षण किया जा रहा है।

कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में राष्ट्र के साथ साझेदारी करते हुए, सेल ने वित्त वर्ष 2011 के दौरान पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ का योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। अब तक हमने एक लाख टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है।

वित्त वर्ष 21 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो, ऊपर बताए गए कारणों से वर्ष की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। घरेलू बाजारों में इस्पात उत्पादों की मांग व्यावहारिक रूप से समाप्त होने के कारण, आपकी कंपनी ने अपने नकदी प्रवाह और तरलता की स्थिति को बनाए रखने के लिए निर्यात के रूप में उपलब्ध अवसर को जवाब देकर लिया। उत्पादन को मांग के अनुरूप विनियमित किया गया था। उप-इष्टतम स्तरों पर सुविधाओं के संचालन के कारण दक्षता संकेतक या तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में भी एक बड़ी गिरावट देखी गई है।

हालांकि, जैसे ही लॉकडाउन में ढील के साथ बाजार खुले, मांग बढ़ने लगी। आपकी कंपनी को स्थिति के बारे में पता था और उसका लाभ उठाते हुए, महीने दर महीने बिक्री की मात्रा के मामले में रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे कंपनी को 14.937 मिलियन टन (एमटी) के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री प्रदर्शन में मदद मिली, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि है। प्राप्तियों में एक साथ वृद्धि के साथ, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान 68,452 करोड़ रुपये का अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक की वृद्धि है।

आपकी कंपनी ने लॉकडाउन के बाद की अवधि में बेहतर परिचालन प्रदर्शन के साथ-साथ उदार बाजार स्थितियों के आधार पर अपना अब तक का उच्चतम वार्षिक ईबीआईटीडीए या सकल मार्जिन 13,740 करोड़ प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में चुनौतियों पर काबू पाने के लिए तकनीकी-आर्थिक मानदंड जैसे कोक दर, सीडीआई दर और बीएफ उत्पादकता क्रमशः 448 किग्रा/थीम 78 किलोग्राम/थीम और 1.81 टन/घन मीटर/दिन के अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए गए। दक्षता सुधार के क्षेत्र में कंपनी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों को रेखांकित करना। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले दस वर्षों के दौरान 6,879 करोड़ रुपये हैं, जो पिछले वर्ष के प्रदर्शन से दोगुने से अधिक हैं। कर पश्चात लाभ (पीएटी)

बी दशक के दौरान सबसे अधिक 3,850 करोड़ था, हालांकि यह धारा 115BAA के तहत नई कर व्यवस्था को अपनाने से 1,289 करोड़ के एक बार के हिट से प्रभावित था। लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

हालांकि, बिना किसी संदेह के वित्तीय प्रदर्शन का विशिष्टताएं लीवरेज स्थिति में कमी थी। आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक अपने कर्ज को 51,481 करोड़ से घटाकर 31 मार्च 2021, तक 35,350 करोड़ कर दिया है 16,000 करोड़ से अधिक की भारी कमी। फलस्वरूप, कंपनी के लिए डेट-इक्विटी पिछले वर्ष के अंत में 1.36 के मुकाबले बढ़कर 0.87 हो गई।

उत्पादन के मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ, फिर भी सेल कलेक्टिव के लगातार प्रयासों ने तिमाही दर तिमाही वृद्धि सुनिश्चित की।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कंपनी ने हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील के मामले में क्रमशः 4.978 एमटी, 4.557 एमटी और 4.419 एमटी उत्पादन के मामले में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ तिमाही आंकड़े हासिल किए, इस प्रकार हासिल किए गए स्तरों से पिछले वर्ष के घाटे को पाटने में मदद मिली।

हॉट मेटल, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील का वार्षिक उत्पादन क्रमशः 16.582 मिलियन टन (वित्त वर्ष 20 में 17.438 मिलियन टन), 15.215 मिलियन टन (वित्त वर्ष 20 में 16.155 मिलियन टन) और 14.602 मिलियन टन (वित्त वर्ष 20 में 15.083 मिलियन टन) था। कंपनी ने कंकास्ट रूट के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना जारी रखा और वित्त वर्ष 20 के दौरान हासिल की गई 14.607 मिलियन टन की तुलना में 14.733 मिलियन टन तक पहुंच गई। कंपनी ने एक अक्षम THF मार्ग के माध्यम से उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया है। नई सुविधाओं से बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन बढ़कर 5.199 मिलियन टन हो गया, जो CPLY (4.799 मिलियन टन) से 8% अधिक है।

उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन पर विशेष जोर देने के साथ, प्रक्रिया में सुधार के लिए सभी संयंत्रों में बढ़ी संख्या में नई पहल की गई। उत्पाद विकास के संबंध में निरंतर गतिविधियों ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 17 नए इस्पात उत्पादों का विकास किया है जो जहाज निर्माण, ऑटो, रेलवे, बुनियादी ढांचे और निर्माण आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में देश को मजबूत करेगा। इनमें से कुछ उत्पादों को नई चालू की गई उत्पादन सुविधाओं से विकसित किया गया है, उनमें से सबसे प्रमुख आर-260 रेल, एपीआई एक्स70 प्लेट्स, हार्ड कार्बन/ईएन8 में वायर रॉड कॉइल्स और ईडब्ल्यूएनआर, डब्ल्यूडीजी4 व्हील्स आदि हैं। प्लांटवार विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए हैं।

कच्चे माल के मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने अपने कैप्टिव स्रोतों से लोहे की पूरी आवश्यकता को पूरा किया। सेल की कैप्टिव खानों ने लगभग 30.06 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया। हालांकि, कोयले और फ्लक्स जैसी इनपुट आवश्यकताओं के लिए, कैप्टिव स्रोतों से क्रमशः 0.55 एमटी और 1.77 एमटी का उत्पादन पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, और तदनुसार, कंपनी को स्वदेशी के साथ-साथ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ा। कच्चे माल के तहत एक ओर ध्यान देने योग्य क्षेत्र लौह अयस्क की बिक्री थी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संबंधित राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, आपकी कंपनी 3.2 मिलियन टन खनिज बेचने में सक्षम थी। हालांकि, झारखंड राज्य में अभी भी अनुमति का इंतजार है पर्यावरण के मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपनी पर्यावरणीय दृष्टि तैयार की है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करती है बल्कि इससे आगे जाने के प्रयास पर जोर देती है।

जबकि सेल संयंत्र और खदान पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, वे जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए खराब पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और पुनर्वास के लिए सभी उचित उपाय भी कर रहे हैं। इनमें खनन किए गए क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली, ताजा वृक्षारोपण, CO₂ का जैव-अनुक्रमण, कचरे का उपयोग बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि शामिल हैं। सेल संयंत्रों और खानों में हर साल संरचित वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.72 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे सेल द्वारा संचयी वृक्षारोपण 21.21 मिलियन हो गया।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 20 में 0.68 किग्रा/टीसीएस के मुकाबले विशिष्ट पीएम उत्सर्जन भार 0.63 किग्रा/टीसीएस के साथ सभी स्थायी मानकों में सुधार दिखा, ठोस अपशिष्ट का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 88.32% की तुलना में 90% तक सुधरा और वित्तीय वर्ष 21 के दौरान विशिष्ट पानी की खपत घटकर 3.37 एम³/टीसीएस हो गई, जो कि वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 3.50 एम³/टीसीएस था। विशिष्ट बहिःस्राव निर्वहन और विशिष्ट बहिःस्राव भार घटकर 1.62

एम्/टीएसएस और 0.080 किग्रा/टीसीएस हो गया, जबकि वित्त वर्ष 21 के दौरान क्रमशः 1.83 एम्/टीएसएस और 0.082 किग्रा/टीसीएस था।

सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और पर्यावरण पदचिह्न में सुधार की महत्वाकांक्षा के साथ, सेल ने एक औद्योगिक भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए आईसीएआर-आईएआरआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस्पात मंत्रालय ने "स्थायी कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों के विकास" की परियोजना की सुविधा प्रदान की है।

सेल स्कोप और ड्यूरा गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट जीएमबीएच (जीआईजेड) के सहयोग से "आंतरिक कार्बन मूल्य तंत्र" स्थापित कर रहा है। यह तंत्र सेल को बदले हुए नियामक वातावरण में बेहतर पेंतरेबाजी करने, जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए निवेश/परियोजनाओं पर रिटर्न का मूल्यांकन करने और परिचालन दक्षता और बाजार लाभप्रदता से समझौता किए बिना अनुमानित निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए तैयार रहने में मदद करेगा।

विपणन के फ्रंट पर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 14.937 एमटी से अधिक की अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति के साथ-साथ वर्ष के शुरुआती महीनों के दौरान निर्यात मांग को जारी रखते हुए, आपकी कंपनी ने 1.94 एमटी का अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 65% अधिक है। सेवित कुछ नए बाजार थे: केन्या और मिस्र को डब्ल्यूआरसी और चीन को एचआरसी। इसके अलावा, कंपनी ने पीएम प्लेट्स की आपूर्ति के लिए नदी मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात का पता लगाया।

पिछले साल लॉन्च किया गया ब्रांड "सेल सिक्युर" सुदृढीकरण बार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2.5 लाख टन की ताकत से बढ़ रहा है, जो खुदरा चैनल में समान ब्रांड अनुभव को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसपी से "सेल सिक्युर" टीएमटी शुरू किया गया है, जिससे इसके अखिल भारतीय पदचिह्न में वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों के दौरान, शीर्ष-पंक्ति मूल्य में योगदान के अलावा, ब्रांड "सेल सिक्युर" से न केवल खुदरा क्षेत्र की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद है, बल्कि कंपनी की ब्रांड उपस्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा। खुदरा ग्राहकों को सेल सिक्युर की बिक्री के लिए व्यापक वितरण और प्रचार योजना तैयार की गई है। तदनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में 20 सिक्युर कार्यशालाएं और 108 एएसओ बैठकें आयोजित की गईं। आपकी कंपनी प्रमुख प्रभावशाली लोगों के साथ वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके स्ट्रक्चरल के "एनईएक्स" ब्रांड पर केंद्रित ब्रांड-निर्माण पहल की दिशा में काम कर रही है।

आपकी कंपनी पूरे भारत में 2-टियर और 1-टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है, जो बी2सी स्पेस में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। इस पहल के पूरा होने के रूप में, ऑनलाइन ई-पोर्टल "सेल सुरक्षा" को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया है, जिससे 2-टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क के माध्यम से छोटी से छोटी मांग को भी पूरा किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा मिशन पूर्वोदय की शुरुआत के बाद, सेल ने उन जिलों में स्थित एमएसएमई के विकास के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिसमें इसके एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 132 एमएसएमई इस योजना के तहत शामिल हुए हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से निर्यात समता मूल्य पर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के एमएसएमई सदस्यों को चुनिंदा स्टील उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए एक योजना तैयार की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग के बारे में जागरूकता और स्वीकृति बनाने में मदद करने के लिए, सेल का एक ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम "गाँव की ओर" चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण कार्यशालाओं का आयोजन प्रभावित हुआ। फिर भी, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान देश भर में छोटे उपभोक्ताओं, आदि पर ध्यान देने के साथ 117 कार्यशालाएं अभी भी आयोजित की गईं।

आपकी कंपनी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करके स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, सेल ने बिजली परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं, उर्वरक उद्योग, तेल और गैस क्षेत्र आदि को महत्वपूर्ण मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने कटरा से बनिहाल सुरंग परियोजना सहित राष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाओं को स्टील की आपूर्ति की है; बीआरटीएफ लेह-लद्दाख परियोजना; लेह हवाई अड्डा; ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन; लोअर सुबनसिरी हाइड्रल प्रोजेक्ट असम; पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए जिरीबाम-इंफाल रेलवे परियोजना; अगरतला - अखौरा रेल लिंक परियोजना; त्रिपुरा, पोलावरम बहुउद्देशीय राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के पास और डीआरडीओ की रामबिली नौसेना परियोजना।

आपकी कंपनी की भौतिक और वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार ने क्रेडिट रेटिंग

एजेंसी को प्रेरित किया है जैसे; केयर एए- (नकारात्मक आउटलुक) से केयर एए (स्थिर आउटलुक) के लिए दीर्घकालिक रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए केयर। सेल के केयर ए1+ पर अल्पावधि उधार कार्यक्रम की इस उच्चतम स्तर पर पुष्टि की गई है।

आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जो इसके विजन और विश्वसनीयता में सुदृढ़ हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों सहित कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों के पूरी तरह से अनुरूप है, और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, शेरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पूरे संगठन में। सेल ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती हैं। शेरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में सेल के प्रयासों को कई मंचों द्वारा पुरस्कार और प्रशंसा के रूप में मान्यता दी गई है।

आपकी कंपनी का मानना है कि, विश्वास बनाने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा। इसी के अनुरूप, सेल विभिन्न संचार चैनलों के उपयोग के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से और नियमित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता रहा है। मैं इस अवसर पर आपको सूचित करता हूँ कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जो हमारे दूर-दराज के शेरधारकों को प्रदान करती है। एजीएम में भाग लेने का अवसर, जो अन्यथा पहले के अभ्यास के अनुसार शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कठिन था।

आपकी कंपनी अपने टर्नअराउंड, विकास और निरंतरता के लिए कई रणनीतिक पहल कर रही है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपना विजन 2030 तैयार किया है, जिसके तहत कच्चे इस्पात की क्षमता को ५० एमटी तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। आपकी कंपनी ने विस्तार के अगले चरण के लिए भूमि बैंक अध्वन्य पर काम करना शुरू कर दिया है।

कोविड -19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था और इस्पात उद्योग के भविष्य के अनुमानों में तेज गिरावट देखी गई थी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से सुधार होने के साथ, वर्ष 2020 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान अनुमानों की तुलना में काफी बेहतर रहा। इसने आईएमएफ को भविष्य के वर्षों के लिए अपना अनुमान बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। आईएमएफ ने जुलाई 2021 के दौरान प्रकाशित अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में वर्ष 2021 और 2022 के लिए विश्व विकास दृष्टिकोण को क्रमशः 6.0% और 4.9% पर अनुमानित किया है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने उन्नत समकक्षों की तुलना में 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 6.3% और 5.2% की दर से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। साथ ही, इसी अवधि के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 5.6% और 4.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

अप्रैल '21 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित शॉर्ट रेंज आउटलुक में भी इसी तरह की भावनाएँ प्रतिध्वनित हुई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2021 में वैश्विक स्टील की मांग 1.874 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच जाएगी, 2020 की तुलना में 5.8% की वृद्धि। फिर से, 2022 के लिए 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जो लंबे समय में स्टील उद्योग के लिए अच्छा है। भारत के लिए विकास दर क्रमशः 2021 और 2022 में 19.8% और 5.9% पर बहुत तेज है। उम्मीद है कि सरकार के समर्थन से विशेष रूप से निर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, अनुमानित विकास दर को बनाए रखा जा सकता है।

आपकी कंपनी अपनी मात्रा बढ़ाने, दक्षता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर जोर देकर अवसरों को भुनाने के लिए कमर कस रही है। प्रयासों को उजागर करने के लिए, अप्रैल-जुलाई 21 के दौरान 5.169 मिलियन टन बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन इस अवधि के लिए कंपनी द्वारा अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

अंत में, मैं इस अवसर पर सभी शेरधारकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने मूल्यवान ग्राहकों, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों और हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमेशा कंपनी के साथ खड़े रहे और सेल की प्रगति में योगदान दिया। मैं विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन ने विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कंपनी के लिए इस सराहनीय प्रदर्शन को संभव बनाया। मैं अन्य सभी हितधारकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में आंतरिक और बाह्य योगदान दिया है। मैं उनके निरंतर समर्थन और अडिग विश्वास की आशा करता हूँ जो उन्होंने हम पर रखा है।

S. Mandal

(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

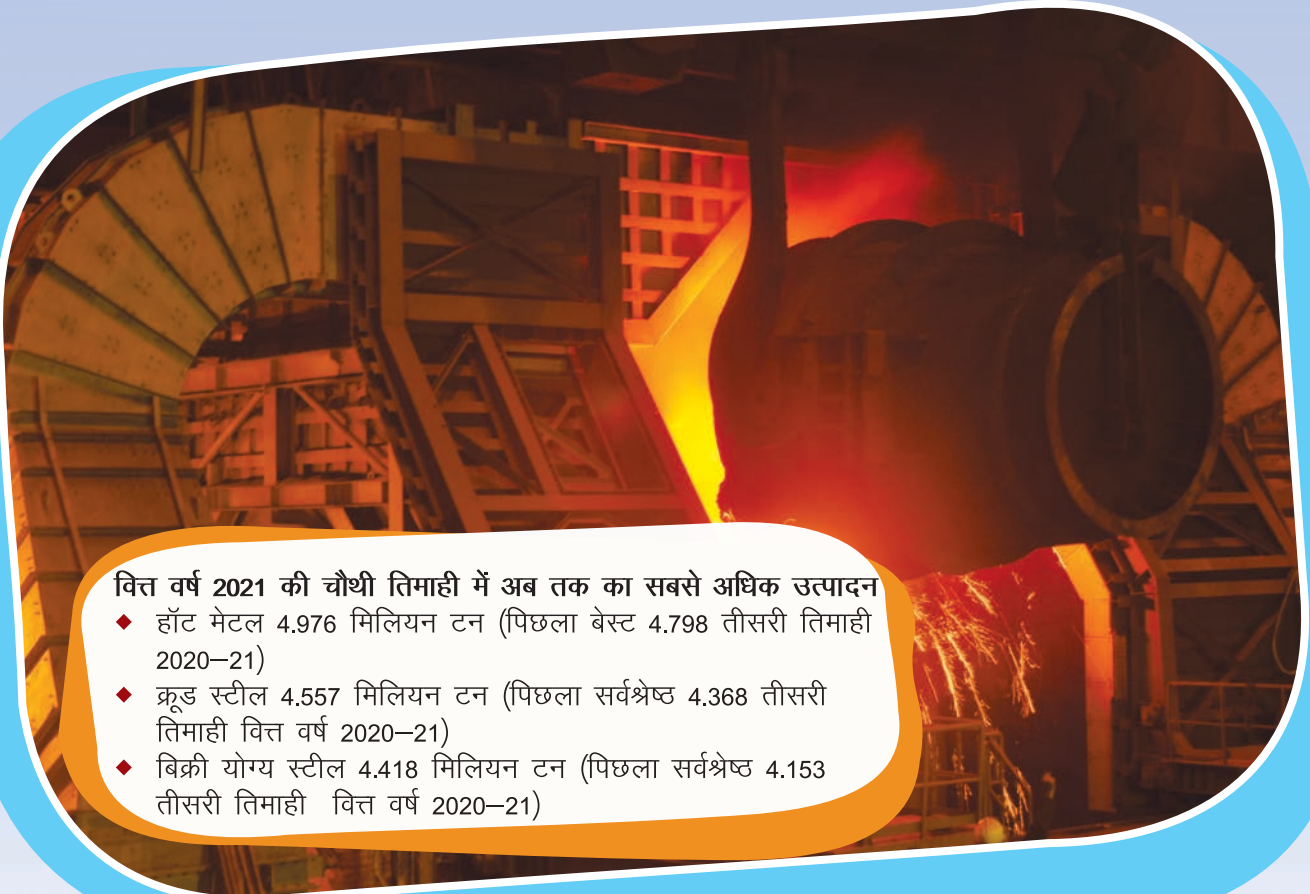
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 1 सितंबर, 2021

झलकियाँ



- ◆ अब तक का सर्वाधिक कारोबार ₹ 68452 करोड़
- ◆ अब तक का सर्वाधिक एबिटा ₹ 13740 करोड़
- ◆ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान उधार में ₹ 16000 करोड़ से अधिक की कमी
- ◆ डेब्ट-इक्विटी में सुधार एक से नीचे | 31.03.2021 को 0.87 पर था |

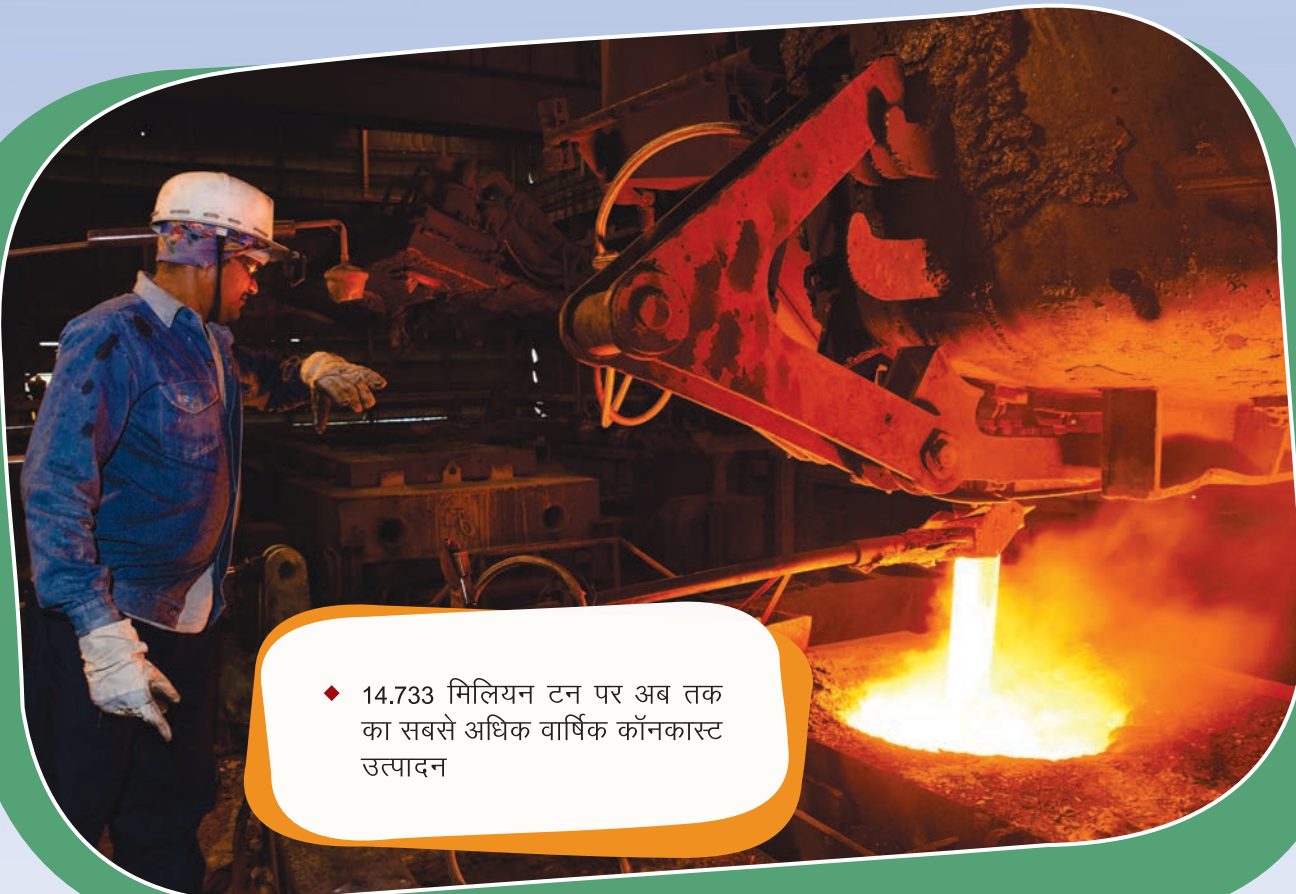


- वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन**
- ◆ हॉट मेटल 4.976 मिलियन टन (पिछला बेस्ट 4.798 तीसरी तिमाही 2020–21)
 - ◆ क्रूड स्टील 4.557 मिलियन टन (पिछला सर्वश्रेष्ठ 4.368 तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2020–21)
 - ◆ बिक्री योग्य स्टील 4.418 मिलियन टन (पिछला सर्वश्रेष्ठ 4.153 तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2020–21)

झलकियाँ



- ◆ 6.28 लाख टन पर यूनिवर्सल रेल मिल से यूटीएस-90 रेल उत्पादन



- ◆ 14.733 मिलियन टन पर अब तक का सबसे अधिक वार्षिक कॉनकास्ट उत्पादन

झलकियाँ



- ◆ भिलाई इस्पात संयंत्र से सेल सेक्यूर टीएमटी बार
- ◆ आर260 रेल
- ◆ एपीआई एक्स 70 प्लेट्स

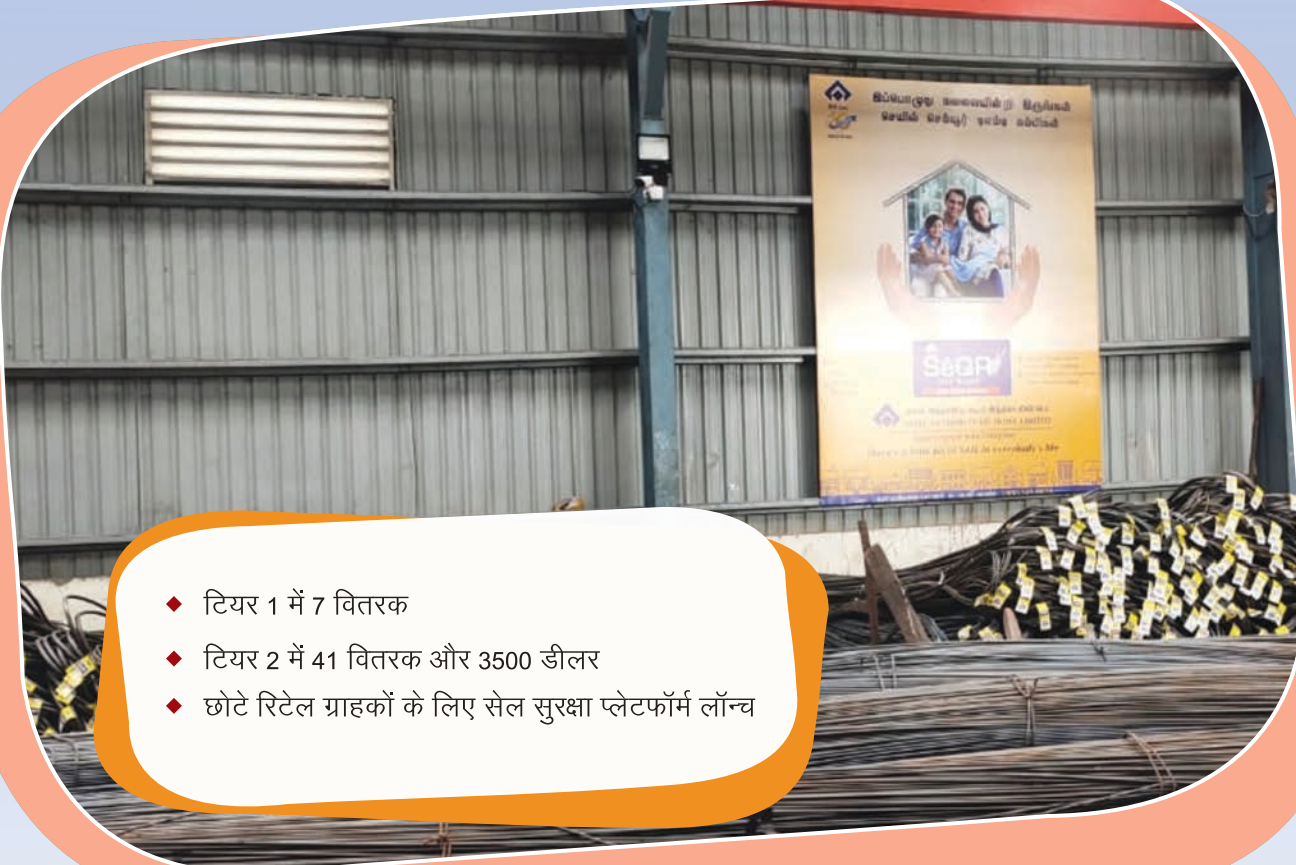


- ◆ हाइ कार्बन/ईएन8 और ईडबल्यूएनआर के वायर रॉड्स
- ◆ डब्ल्यूडीजी4 व्हील्स

झलकियाँ



- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल ग्राहकों के लिए 117 "गांव की ओर" कार्यशाला का आयोजन
- ◆ मिशन पूर्वोदय के तहत सेल प्लांट स्थानों में और उसके आसपास स्थानीय एमएसएमई के विकास के लिए प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ।
- ◆ इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई को निर्यात समता मूल्य पर चुनिंदा इस्पात उत्पादों की आपूर्ति के लिए योजना का शुभारंभ।



- ◆ टियर 1 में 7 वितरक
- ◆ टियर 2 में 41 वितरक और 3500 डीलर
- ◆ छोटे रिटेल ग्राहकों के लिए सेल सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च

झलकियाँ



- ◆ 30.06 मिलियन टन का अब तक का सर्वाधिक लौह अयस्क खनन
- ◆ 3.2 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री



- ◆ वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश भुगतान: पीएटी का 30%
- ◆ मेसर्स केयर रेटिंग द्वारा दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग को एए (स्थिर दृष्टिकोण) में अपग्रेड किया गया

झलकियाँ



- ◆ इसपात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राउरकेला 21 मार्च, 2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित



- ◆ सेल अस्पतालों में 1000 से अधिक बिस्तर कोविड देखभाल/उपचार के लिए रखे गए हैं।
- ◆ अतिरिक्त कोविड-देखभाल सुविधाओं की स्थापना (1100 बिस्तर से अधिक) गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रावधान के साथ विभिन्न सेल प्लांट स्थानों में फैली है।
- ◆ सेल अस्पतालों में आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू-एनएटी जैसी कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं विकसित की गईं।

झलकियाँ



- ◆ सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने एक लाख टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की है।
- ◆ सेल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया।



SAIL SeQR TMT
now also available online at
www.sailsteelonline.com

 **स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड**
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
There's a little bit of SAIL in everybody's life

- ◆ डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत, सेल ने सेल एसईक्यूआर टीएमटी बार ऑनलाइन बेचने के लिए WWW.SAILSTEELONLINE.COM वेबसाइट लॉन्च की।

झलकियाँ



◆ सेल ने 'अटल टनेल' के लिए 9000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की



निदेशक मंडल

(1 सितंबर, 2021 अनुसार)



अध्यक्ष

श्रीमती सोमा मंडल

निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (कार्मिक) के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं

कार्यात्मक निदेशक

निदेशक (तकनीकी, परियोजनाओं और कच्चे माल)

श्री हरिनंद राय

निदेशक (वित्त)

श्री अमित सेन

निदेशक (भिलाई स्टील प्लांट के प्रभारी)

श्री अनिर्बान दासगुप्ता

निदेशक (बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी)

श्री अमरेंद्र प्रकाश

प्रभारी निदेशक का पद (राउरकेला स्टील प्लांट) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं

सरकारी निदेशक

श्रीमती सुकिर्ति लेखी

अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार।

श्री पुनीत कंसल

संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशक

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता

श्री एन. शंकरप्पा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (स्थायी आमंत्रित)

इस्को स्टील प्लांट

श्री ए. वी. कमलाकर

दुर्गापुर स्टील प्लांट और

आलोय स्टील प्लांट

इस्को स्टील प्लांट के सीईओ
को अतिरिक्त प्रभार

कंपनी सचिव

श्री एम. बी. बालकृष्णन



श्रीमती सोमा मंडल



श्रीमती सुर्किर्ति लिखी



श्री पुनीत कंसल



श्री हरिनन्द राय



श्री कृष्ण कुमार गुप्ता



श्री अमित सेन



श्री एन शंकरप्पा



श्री अनिर्बान दास गुप्ता



श्री अमरेन्दु प्रकाश

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स तेज राज और पाल
सनदी लेखाकार

मेसर्स एस जयकिशन
सनदी लेखाकार

मेसर्स वाकर चंडोक एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार

मेसर्स के ए एस जी एंड सीओ।
सनदी लेखाकार

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी
लागत लेखाकार

मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
फोन: 24367481; फ़ैक्स-24367015
इंटरनेट: WWW.SAIL.CO.IN
ईमेल: SECY.SAIL@SAIL.IN
सीआईएन: L27109DL1973GOI006454

बैंकर्स 2020-21

एक्सिस बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ बड़ौदा
(तत्कालीन देना बैंक सहित)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

केनरा बैंक
(तत्कालीन सिंडिकेट बैंक सहित)

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

इंडियन बैंक
(तत्कालीन इलाहाबाद बैंक सहित)

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजाब नेशनल बैंक (तत्कालीन ओरिएंटल
बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक
ऑफ इंडिया सहित)

पंजाब एंड सिंध बैंक

आरबीएल बैंक लिमिटेड

भारतीय स्टेट बैंक

यूनाइटेड ओवरसीज बैंक

यूको बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(तत्कालीन निगम बैंक सहित)

येस बैंक लिमिटेड

दस वर्षों का सार

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
सकल बिक्री	68452	61025	66267	58297	49180	43294	50627	51866	49350	50348
निवल बिक्री	68452	61025	66267	56893	43866	38471	45208	46189	43961	45654
मूल्यहास, ब्याज एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटीए)	13740	11199	10283	5184	672	(2204)	5586	5909	5621	7658
मूल्यहास	4102	3755	3385	3065	2680	2402	1773	1717	1403	1567
ब्याज एवं वित्त प्रभार	2817	3487	3155	2823	2528	2300	1454	968	748	678
विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ / (हानि)	6821	3957	3743	(703)	(4536)	(6906)	2359	2266	3470	5413
असाधारण मदें : लाभ / (हानि)	58	(787)	(405)	(56)	(315)	(101)	-	959	(229)	(262)
कर से पूर्व लाभ / (हानि) (पीबीटी)	6879	3171	3338	(759)	(4851)	(7008)	2359	3225	3241	5151
कर/आयकर घनवापसी के प्रावधान तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (-)	3029	1149	1159	(277)	(2018)	(2986)	266	608	1070	1608
कर पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	3850	2022	2179	(482)	(2833)	(4021)	2093	2616	2170	3543
लाभांश	1157	-	207	-	-	-	826	834	826	826
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131
आरक्षित एवं अधिशेष (डीआरई के अलावा)	39364	35647	34021	31583	31879	35065	39374	38536	36894	35680
निवल सम्पत्ति (इक्विटी पूंजी एवं आरक्षित एवं अधिशेष)	43495	39777	38152	35714	36009	39196	43505	42666	41025	39811
कुल ऋण	37677	54127	45170	45409	41396	35141	29898	25281	21597	16320
निवल अचल परिसम्पत्तियां	67600	69019	61359	58612	50285	45926	36169	26771	16777	17127
पूंजी कार्य प्रगति पर	8878	8752	16014	18395	23275	24927	29196	33651	35891	28205
चालू परिसम्पत्तियां (अल्पकालिक जमा के अलावा)	31976	40918	32249	29638	25545	24304	28482	26891	27616	28431
चालू देयताएं एवं प्रावधान	25908	22066	23632	24068	21486	18992	16338	15212	13012	12225
कार्यशील पूंज (चालू परिसम्पत्तियां घटा चालू देयताएं)	6068	18852	8617	5570	4060	5312	12145	11679	14604	16206
नियोजित पूंजी (नियत अचल परिसम्पत्तियां + कार्यशील पूंजी)	73668	87871	69977	64182	54345	51238	48314	38450	31381	32921
प्रति शेयर बाजार मूल्य (₹ में) (कालावधि के अंत में)	78.80	23.05	53.75	70.20	61.20	43.00	68.35	71.40	62.35	94.05
प्रमुख वित्तीय अनुपात										
नियोजित पूंजी के औसत के लिए इबीआईडीटीए (%)	17.0	14.2	15.3	8.7	1.3	(4.3)	12.9	16.9	17.5	21.0
निवल बिक्री पर पीबीटी (%)	10.0	5.2	5.0	(1.3)	(11.1)	(18.2)	5.2	7.0	7.4	11.3
नियोजित पूंजी पर पीबीटी का औसत (%)	8.5	4.0	5.0	(1.3)	(9.2)	(13.6)	5.4	8.4	10.1	14.2
निवल सम्पत्ति पर औसत लाभ (%)	9.2	5.2	5.9	(1.3)	(7.5)	(9.7)	4.9	6.1	5.4	9.2
₹ 10 के प्रति शेयर का निवल मूल्य	105.3	96.3	92.4	86.5	87.2	94.9	105.3	103.3	99.3	96.4
₹ 10 के प्रति शेयर पर आय	9.3	4.9	5.3	(1.2)	(6.9)	(9.7)	5.1	6.3	5.3	8.6
मूल्य - आय औसत (गुणा)	8.5	4.7	10.2	(60.2)	(8.9)	(4.4)	13.5	11.3	11.9	11.0
₹ 10 के प्रति शेयर पर लाभांश	2.8	-	0.5	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0
प्रभावी लाभांश दर (%)	3.6	-	-	-	-	-	2.9	2.8	3.2	2.1
ऋण- इक्विटी (गुणा)	0.9	1.4	1.2	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4
चालू अनुपात (गुणा)	1.2	1.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.7	1.8	2.1	2.3
नियोजित पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5
कार्यशील पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	11.3	3.2	7.7	10.5	12.1	8.2	4.2	4.4	3.4	3.1
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुणा)	2.9	1.8	1.8	0.6	(0.7)	(1.9)	1.8	2.3	2.6	3.8
लाभांश भुगतान अनुपात (%)	30.0	-	9.5	-	-	-	39.4	31.9	38.1	23.3

उत्पादन

यूनिट: '000T

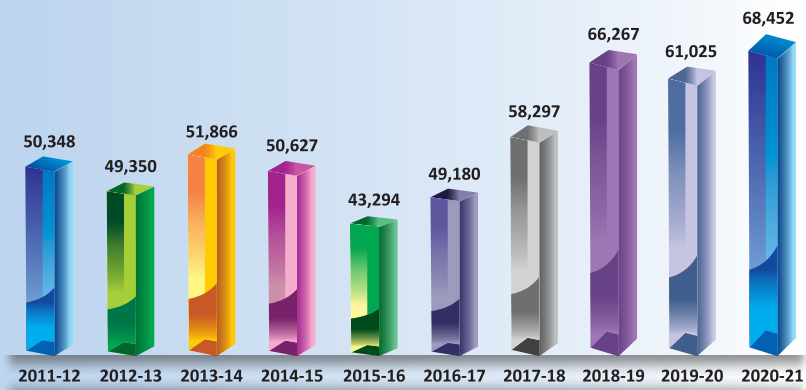
मद	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
तप्त धातु	16582	17438	17513	15982	15726	15721	15413	14447	14266	14116
कच्चा इस्पात	15215	16155	16266	15020	14496	14279	13908	13579	13417	13350
पिग आयरन	584	570	480	270	495	642	634	223	214	106
बिक्री योग्य इस्पात	14602	15147	15069	14074	13867	12381	12842	12880	12385	12400
- अर्ध निर्मित इस्पात	3797	2995	3169	2610	3170	3054	3007	2760	2422	2527
- तैयार इस्पात	10805	12152	11900	11464	10697	9327	9835	10120	9962	9872

दस वर्षों का सार

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड़ में)

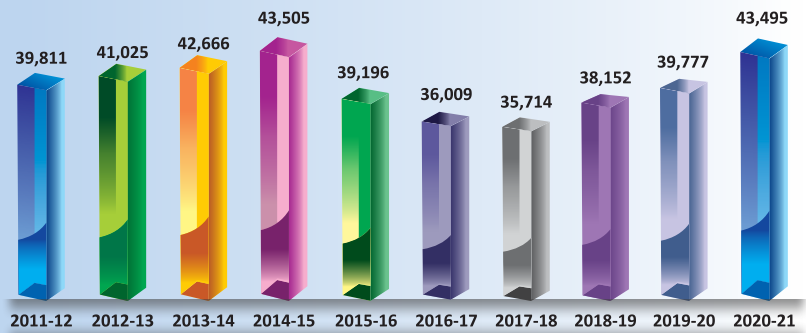
**सकल
बिक्री**



(₹ करोड़ में)

**निवल
सम्पत्ति**

इक्विटी पूँजी
एवं आरक्षित
एवं अधिशेष

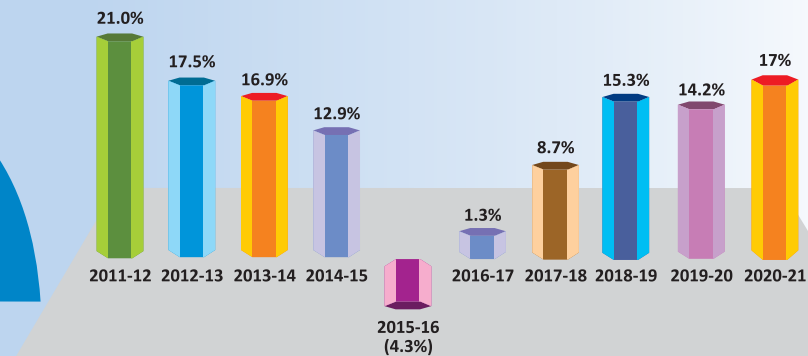


प्रमुख वित्तीय अनुपात

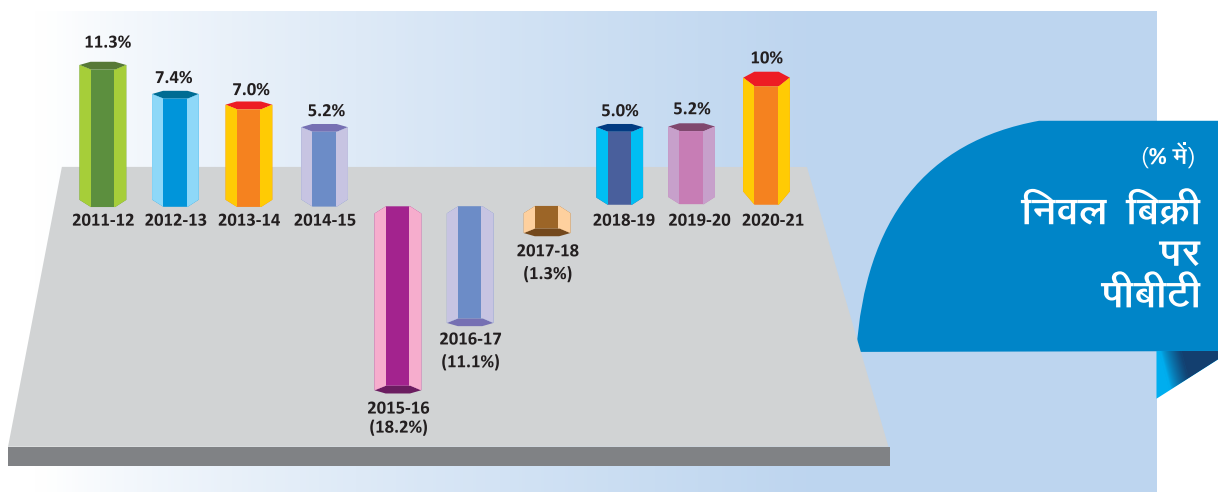
(% में)

ईबीआईडीटीए

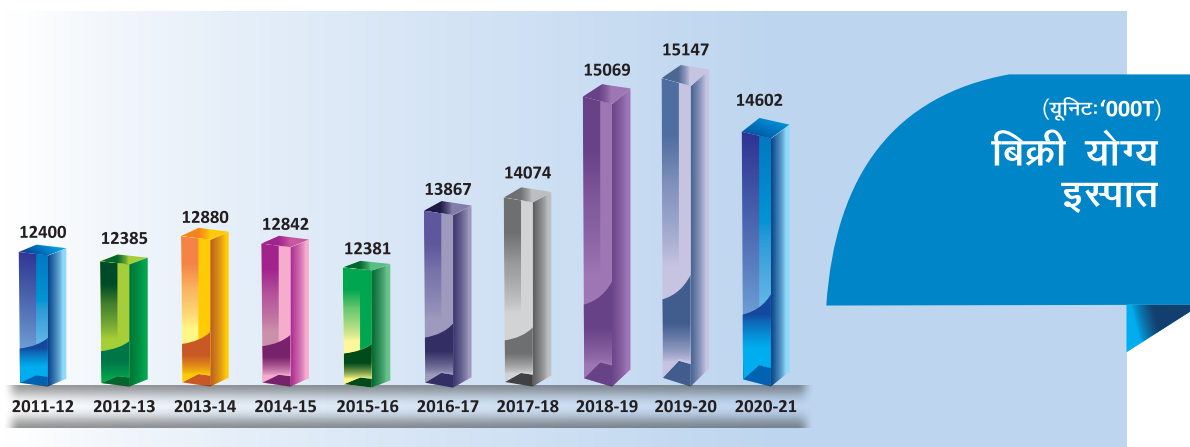
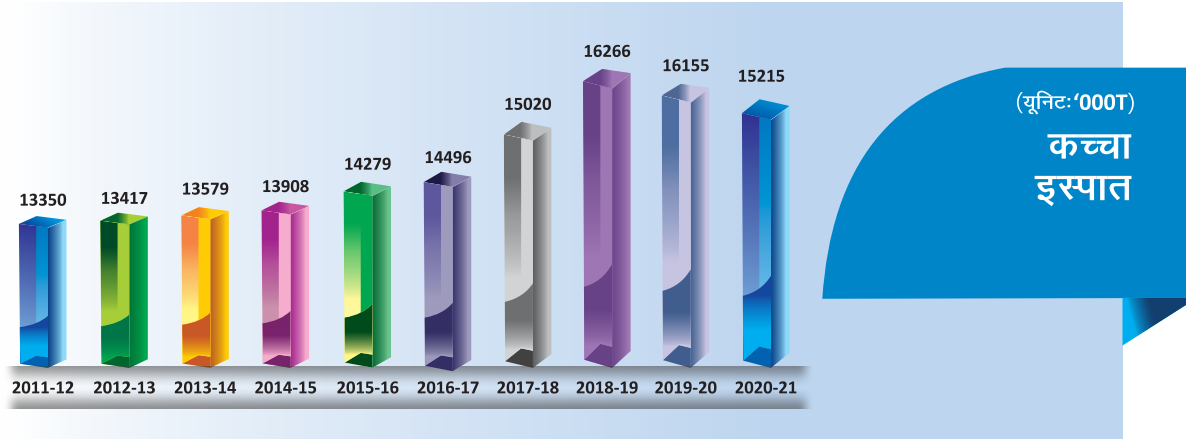
नियोजित पूँजी के
औसत के लिए



प्रमुख वित्तीय अनुपात

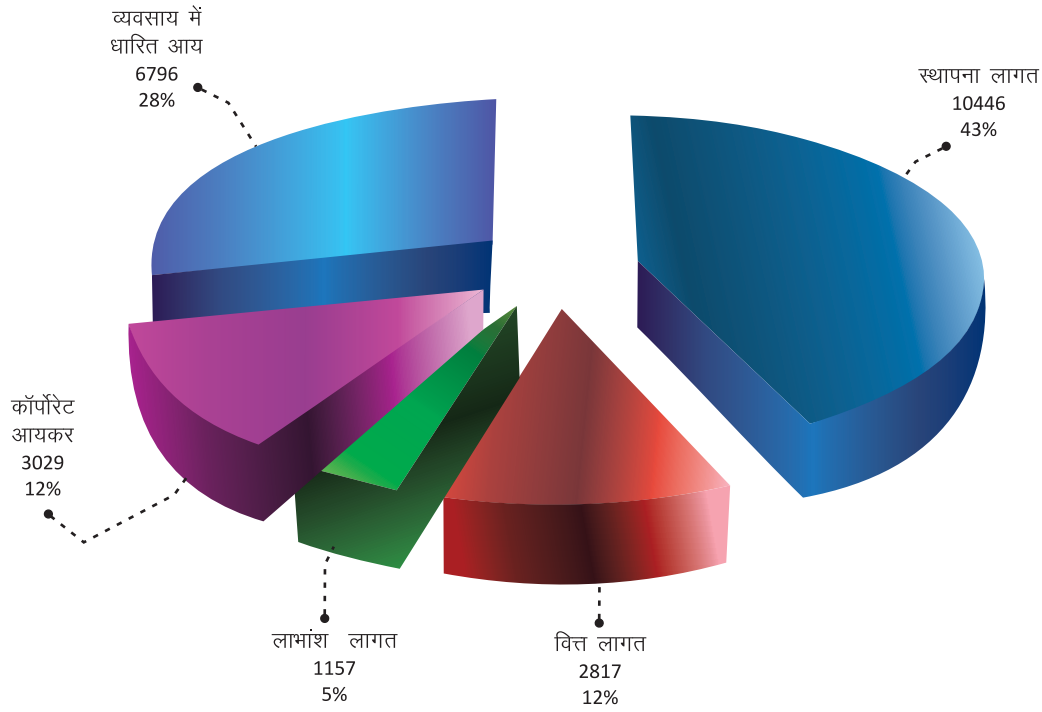


उत्पादन



लागू मूल्य

(₹ करोड़, %)



मूल्य संवर्धित विवरण

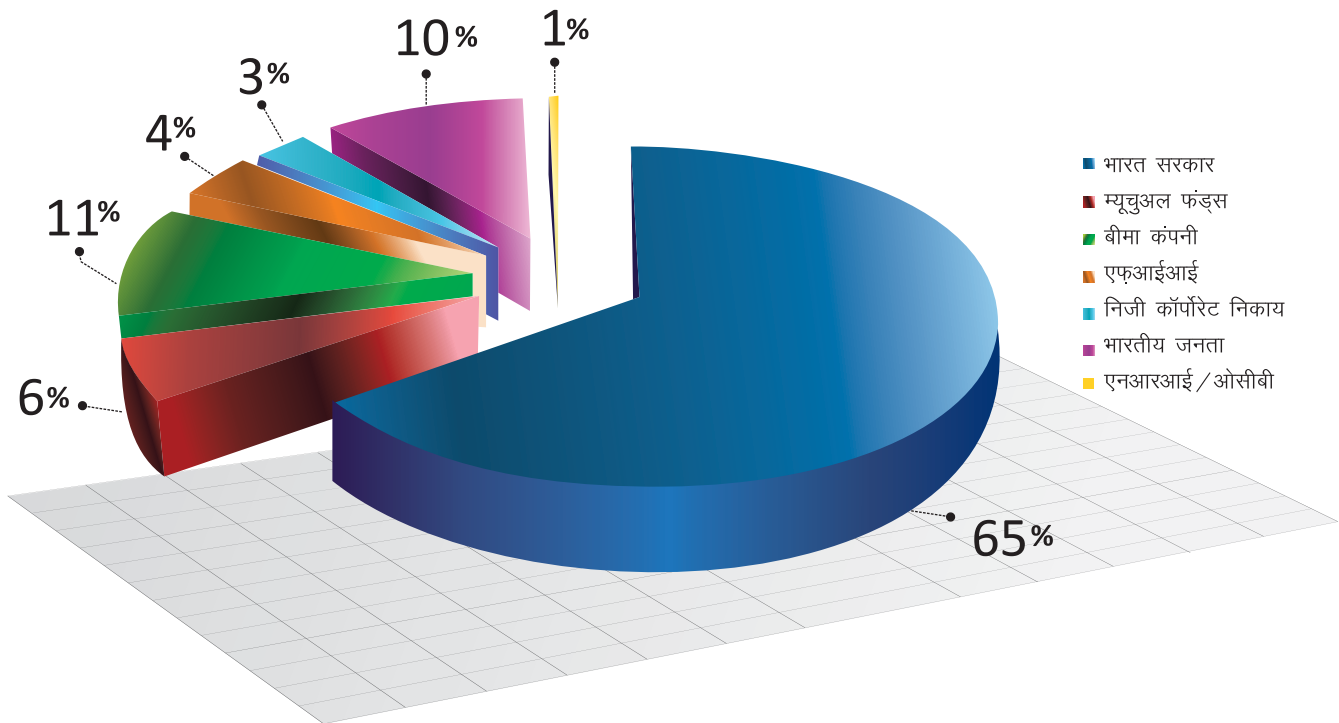
(₹ करोड़)

वर्ष के लिए	2020-21		2019-20	
अपने उत्पादन का मूल्य	64589		67075	
अन्य राजस्व	1509	66098	1490	68565
घटाएं : कच्ची सामग्रियों की लागत	23136		29213	
भंडार एवं पूर्ण	3631		3930	
बिजली एवं इंधन	5709		6191	
उत्पाद शुल्क				
जावक मालभाड़ा	2076		2211	
अन्य प्रचालन लागत	7301	41853	7826	49371
कुल संवर्धित मूल्य		24245		19194
स्थापना लागत		10446		8781
वित्त लागत		2817		3487
लाभांश प्रावधान		1157		206
कॉर्पोरेट आयकर		3029		1149
लाभांश कर				42
व्यवसाय में धारित आय				
मूल्यवृद्धि	4102		3755	
सामान्य रिजर्व	0		0	
बांड शोधन रिजर्व	-291		-619	
लाभ शेष	2984		2394	
व्यवसाय में धारित	2694	6796	1775	5530
कुल उपयुक्त मूल्य		24245		19194

शेयरधारिता पैटर्न

(31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	धारक	धारक शेयर्स की संख्या	% शेयरधारिता का %
प्रमोटर			
भारत सरकार	1	2684714550	65.00
उप-कुल	1	2684714550	65.00
गैर-प्रमोटर होल्डिंग			
संस्थागत निवेशक			
म्यूचुअल फंड और यूटीआई	37	237178615	5.74
बैंक, वित्तीय संस्थान, (केंद्र/राज्य (सरकार के संस्थान/गैर-सरकारी संस्थान)	21	12459314	0.30
बीमा कंपनी	24	437300526	10.59
एफआईआई	115	178283693	4.32
उप कुल	197	865222148	20.95
अन्य			
निजी कॉर्पोरेट निकाय	2699	122263397	2.96
भारतीय जनता	523497	429809401	10.40
एनआरआई/ओसीबी	6603	22395865	0.54
ट्रस्ट और सोसायटी आदि	51	3184061	0.08
कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) – जीडीआर*	2	110,990	0.00
आईईपीएफ प्राधिकरण*	1	2,824,877	0.07
उप कुल	532853	580588591	14.05
कुल योग	533051	4130525289	100.00



बोर्ड का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित स्वतंत्र एवं समेकित वित्तीय विवरण के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल, कंपनी) की 49 वीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष हो रहा है।

अ. वित्तीय समीक्षा

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन वर्ष समाप्त	
		31 मार्च, 2021 लेखापरीक्षित	31 मार्च, 2020 लेखापरीक्षित
1	आय		
	(ए) संचालन से राजस्व	69110.02	61660.55
	(बी) अन्य आय	1011.69	985.22
	कुल आय	70121.71	62645.77
2	खर्च		
	अ) उपभोग की गई सामग्री की लागत	23136.17	29212.87
	ब) तैयार माल कार्य-प्रगति और उप-उत्पादों की सूची में परिवर्तन	4268.58	(5555.82)
	क) कर्मचारी लाभ व्यय	10445.94	8781.32
	ड) वित्त लागत	2817.14	3486.76
	ई) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	4102.00	3755.05
	च) अन्य आय	18531.28	19023.17
	कुल खर्च	63301.11	58703.35
3	असाधारण मर्दे और कर से पहले लाभ जोड़े / (घटाए): असाधारण मर्दे	6820.60 58.43	3942.42 (771.76)
	4 कर देने से पूर्व लाभ घटाए: कर व्यय	6879.03	3170.66
	वर्तमान कर	12.05	224.14
	आस्थगित कर (नोट 8 देखें)	3016.96	924.98
	कुल कर व्यय	3029.01	1149.12
5	अवधि के लिए कुल लाभ	3850.02	2021.54

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 के दौरान ₹68,452 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 12% अधिक है, मुख्य रूप से 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों के बिक्री योग्य स्टील की शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में 10% और उच्च बिक्री मात्रा में 5% की वृद्धि के कारण है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹6,879 करोड़ और ₹3,850 करोड़ है, जो कि ₹3,171 करोड़ के कर पूर्व लाभ और ₹2,022 करोड़ के कर पश्चात लाभ की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। धारा 115बीएए के तहत एक नई कर व्यवस्था में सिंच करने के कारण कर के बाद लाभ पर ₹1,289 करोड़ का लेखा प्रभाव है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 स्थिति के कारण क्यू-1 के दौरान देश में लॉकडाउन के बावजूद, मुख्य रूप से बिक्री योग्य स्टील के एनएसआर में वृद्धि (10%) और आयार्जित कोकिंग कोल की कीमतों (21%) में उल्लेखनीय कमी के कारण कंपनी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्टील की अधिक मांग, पिग आयरन की अधिक बिक्री, द्वितीयक उत्पादों और लौह अयस्क फाइन्स, स्टोर्स और स्पेयर्स के खर्च में कमी, खरीदी गई बिजली के कारण बिक्री योग्य स्टील की बिक्री (5%) में वृद्धि के कारण लाभ में और सुधार हुआ है। दरें, ब्याज शुल्क, आदि और उच्च लाभांश आय, विदेशी मुद्रा लाभ, और सबग्रेड लौह अयस्क फाइन पर कोविड-19 छूट को वापस लेना।

आपकी कंपनी ने हमारे विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्याज, अग्रिम योजना और भविष्य के धन उगाहने के लिए कार्रवाई आदि सहित ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के साथ विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन पर अपना जोर जारी रखा। भारत में स्टील की बढ़ती कीमतों और मांग के कारण नकदी प्रवाह में सुधार के कारण वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की उधारी में उल्लेखनीय कमी आई है। कंपनी के पास 31 मार्च 2021 तक ₹37,677 करोड़ रुपये उधार थे, जबकि 31 मार्च 2020 तक आईएनडीएस के अनुरूप ₹54,127 करोड़ रुपये थे। कंपनी ने बायर्स क्रेडिट और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज किया है। 31 मार्च 2021 तक कंपनी का ऋण-इक्विटी अनुपात 1.36:1 से घटकर 0.87:1 हो गया, जो 31 मार्च, 2020 को मुख्य रूप से वर्ष के दौरान उधार में कमी के कारण था। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर ₹43,495 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2020 तक ₹39,777 करोड़ थी।

जनवरी 2021 के महीने के दौरान 10% का अंतरिम लाभांश यानी प्रति इक्विटी शेयर 1/- रुपये का भुगतान किया गया था। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आगे 18% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है, यानी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी पर 28% है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

मेसर्स केयर रेटिंग्स, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग्स, आरबीआई ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मंजूरी दी, 'केयर एए आउटलुक: स्टेबल' को सौंपा, 'इंडिया रेटिंग्स एए- आउटलुक: नेगेटिव' और 'बीडब्ल्यूआर एए आउटलुक: सेल के दीर्घकालिक उधार कार्यक्रम के लिए क्रमशः नकारात्मक रेटिंग'।

ब. संचालन समीक्षा

सुरक्षा

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इसके संयंत्रों, खानों और इकाइयों के पड़ोस में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) विभिन्न इस्पात संयंत्रों/इकाइयों/खानों/स्टॉकयार्डों में किए गए सुरक्षा प्रचार और अग्नि गतिविधियों की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। एसएसओ उपयुक्त सुरक्षा नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रणालियां, कार्य योजनाएं, दिशानिर्देश आदि तैयार करता है और तैयार करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है और इस प्रकार दुर्घटना मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। भारत के प्रमुख निजी इस्पात उत्पादकों के साथ-साथ आईपीएसएस (इस्पात उद्योग में इंटर प्लांट मानकीकरण) मानकों के सहयोग से एसएसओ द्वारा विकसित इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार सुरक्षा दिशानिर्देश लागू किए गए हैं और काम करने के दौरान व्यापक रूप से संदर्भित हैं।



सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कंपनी ने सेपटी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेपटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नियुक्त किया है, और भिलाई स्टील प्लांट में एक पायलट प्रोजेक्ट प्रगति पर है और अन्य स्टील प्लांट्स/यूनिट्स में इसका पालन किया जा रहा है। एसएसओ द्वारा विभिन्न एचआरडी हस्तक्षेपों, एलईओ कार्यशालाओं, वेबिनार आदि के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्षमता निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें दुकानों के प्रमुखों, लाइन प्रबंधकों, सुरक्षा कर्मियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण सूचनाओं, सुरक्षा सुझावों आदि को साझा करने के लिए वेब पोर्टलों के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में आईटी के व्यापक उपयोग द्वारा प्रौद्योगिकी के लाभों का लाभ उठाया जाता है। संयंत्रों और इकाइयों और अन्य उद्योगों में प्रचलित सुरक्षा के संबंध में अच्छी प्रथाओं को क्षैतिज तैनाती और सुधार लाने के लिए सभी के बीच पकड़ा और प्रसारित किया जाता है। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा संचार और जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर डिजिटल रूप में पत्रिकाएँ लाई जाती हैं। प्रत्येक इस्पात संयंत्रों और खानों में उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक बहु-विषयक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग मौजूद है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। एसएसओ इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) के सचिवालय का प्रबंधन भी कर रहा है, जो एक द्विपक्षीय मंच है जो प्रबंधन और केंद्रीय और संयंत्र स्तर की ट्रेड यूनियनों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस्पात संयंत्र सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करता है और सदस्य संगठनों को दिशा-निर्देश प्रदान करता है। सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर बोर्ड की उप समिति द्वारा उच्चतम स्तर पर की गई गतिविधियों और उपायों की समीक्षा की जाती है।

संचालन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बाजार की चुनौतियों और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के बावजूद, आपकी कंपनी ने 14.602 मिलियन टन (एमटी) का बिक्री योग्य स्टील उत्पादन हासिल किया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हॉट मेटल और क्रूड स्टील का उत्पादन क्रमशः 16.582 मिलियन टन और 15.215 मिलियन टन था। कोविड-19 महामारी के कारण मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में प्रतिबंधित उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई है।



मार्च 2020 में कोविड -19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत सरकार / राज्य सरकारों द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए। कोविड -19 के तेजी से प्रसार के कारण, अनलॉक के उपायों को शुरू करने से पहले चार महीने से अधिक समय तक प्रतिबंध जारी रहे। महामारी और देशव्यापी प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा और परिवहन प्रतिबंधों के साथ बाजार की भावनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादों की मांग में भारी गिरावट आई।

वित्त वर्ष 2020-21 के शुरुआती महीनों के बाद, आपकी कंपनी ने अपनी मात्रा में सुधार, परिचालन क्षमता, इष्टतम स्तरों पर सुविधाओं का संचालन, अपने इन्वेंट्री स्तर को कम करने आदि पर एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया। पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप महामारी की स्थिति के बावजूद, आपकी कंपनी ने बड़ी ब्लास्ट फर्नेस की बेहतर क्षमता उपयोग, बीएफ संचालन के अनुकूलन और सीडीआई के बढ़े हुए उपयोग के कारण कोक दर, सीडीआई दर और बीएफ उत्पादकता के संबंध में वार्षिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। बहु-आयामी रणनीति ने कंपनी को वित्तीय वर्ष की निम्नलिखित तिमाहियों के दौरान प्रदर्शन को शीर्ष पर लाने में मदद की है।





कंपनी के आयरन एंड स्टील रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (आरडीसीआईएस) ने सेल के विभिन्न संयंत्रों को उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार, उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन पर विशेष जोर देने के साथ नवीन तकनीकी इनपुट प्रदान किए। उत्पाद विकास के संबंध में निरंतर गतिविधियों से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 17 नए इस्पात उत्पादों का विकास हुआ है। इनमें से कुछ उत्पादों को नई चालू की गई उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करके विकसित किया गया है जैसे की, भिलाई स्टील प्लांट में बार एंड रॉड मिल और यूनिवर्सल रेल मिल; दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मध्यम संरचनात्मक मिल; राउरकेला स्टील प्लांट में नई प्लेट मिल; बोकारो स्टील प्लांट में कोल्ड रोलिंग मिल-III; वायर रॉड मिल, बार मिल और इस्को स्टील प्लांट में यूनिवर्सल सेक्शन मिल।

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में, ब्लास्ट फर्नेस -8 ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2.45 मिलियन टन गर्म धातु का उत्पादन किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2.36 मिलियन टन से अधिक था। एसएमएस-प्प ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में हासिल किए गए 1.14 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार करते हुए 2.2 मिलियन टन का अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया। संयंत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपनी नई कमीशन वाली यूनिवर्सल रेल मिल से 6.29 लाख टन वार्षिक प्राइम यूटीएस-90 रेल उत्पादन हासिल किया है, जो 2019-20 में 5.38 लाख टन था। नई यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) से उत्पादन में सुधार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 7.36 लाख टन लंबी रेल की रिकॉर्ड लोडिंग को सक्षम किया है, जो कि 2019-20 में 6.33 लाख टन के मुकाबले 16.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। रेल का एक नया ग्रेड (आर 260) विकसित किया गया और भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई। बीआरएम में, सेल सेक्यूरिटी: ग्रेड टीएमटी बार (>10-20 मिमी) का रोलिंग वित्त वर्ष 2020-21 में सफलतापूर्वक विकसित किया गया था। मिल ने इस साल 3.84 लाख टन तैयार उत्पादों का उत्पादन किया है, जो कि वर्ष 2019-20 में हासिल किए गए 1.83 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे को 10.87 लाख टन रेल की आपूर्ति की है, जिसमें से 68% घटक 260 मीटर लंबे रेल वेल्डेड पैनल थे, जो कि सीपीएलवाई की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आपूर्ति की गई अब तक की सबसे अच्छी मात्रा है।

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) ने अपनी नई मध्यम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) से वित्त वर्ष 2020-21 में 2.94 लाख टन का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया, जो कि 2019-20 के दौरान 2.17 लाख टन था। अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में, विद्युत इंजनों के लिए प्लांट ने अब तक का सबसे अच्छा 13,688 डबल्यूएजी 9 व्हील्स (एक आयात प्रतिस्थापन उत्पाद) का प्रेषण दर्ज किया। डबल्यूडीजी 4 लोको व्हील्स (500 नं.) पहली बार दो महीने की अवधि के भीतर विकसित किए गए, दो महीने की अवधि में किसी भी प्रकार के पहिये का सबसे तेज विकास। स्पेशल लो सी (सी-0.04%) , कम एमएन, और कोल्ड रोलड अनुप्रयोगों के लिए ब्लूम और राउंड कॉस्टर में एएल किल्ड स्टील कार्ट, और खोखले ढांचे भी विकसित किए गए।

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में, 2 जुलाई 2020 को सिंगल कन्वर्टर : सी" में 48 वार की उच्चतम संख्या और मार्च 2021 के दौरान टॉरपीडो लैंडल में 2500 हीट पर उच्चतम अभियान जीवन के संबंध में नया राष्ट्रीय बेंचमार्क दर्ज किया गया था। पाइपलाइन परिवहन प्रणाली के लिए 4304 टन एपीआई 5एल 70एम पीएसएल2 ग्रेड स्टील प्लेट की सफलतापूर्वक रोलिंग, फिनिशिंग और आपूर्ति की



गई। डीएमआर-249बी (अधिकतम और न्यूनतम मिश्र धातु) ग्रेड प्लेट्स को प्रमाणन उद्देश्यों के लिए विकसित और प्रेषित किया गया है। नव विकसित डीएमआर-301 ग्रेड प्लेट 10-40 मिमी मोटी के व्यावसायिक उत्पादन के लिए प्रमाणन प्राप्त किया।



बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बीएफ उत्पादकता के लिए 1.74 टी/एम³/दिन और 3.40 एम³/टीसीएस पर विशिष्ट पानी की खपत के लिए अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए गए। 1.11 एमटी का अब तक का सबसे अधिक बीएफ-1 हॉट मेटल उत्पादन दर्ज किया गया, जो वर्ष 2009-10 में हासिल किए गए 1.03 एमटी के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया और वर्ष 2019-20 में हासिल किए गए 4.6 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार करते हुए, सीआरएम-III से 4.7 लाख टन बिक्री के लिए सीआर कॉइल का अब तक का उच्चतम उत्पादन हासिल किया गया।



आईआईएससीओ स्टील प्लांट (आईएसपी) में, उत्पाद टोकरी को चौड़ा करने के लिए नए ग्रेड और अनुभागों के विकास के संबंध में, वित्त वर्ष 2020-21 में 17 नए ग्रेड, 4 नए खंड और 2 नए उत्पाद विकसित और भेजे गए हैं। विकसित किए गए प्रमुख ग्रेड थे इलेक्ट्रोड क्वालिटी ग्रेड, केबल आर्मर क्वालिटी, ईएन8डी और ईएन8डीसीआर मीडियम कार्बन वायर रॉड्स, हाई कार्बन बास्केट (एचसी38बी से एचसी80बी) जिसमें पीसी115 शामिल हैं। नए खंड जो विकसित और भेजे गए थे उनमें डब्ल्यूआरएम में आईएसएमसी 300 चैनल; 14 एमएम डब्ल्यूआरसी, अफ्रीका के लिए 6.5 एमएम डब्ल्यूआरसी, 6 एमएम टीएमटी कॉइल, बार मिल में 40 एमएम टीएमटी बार (बार मिल में उच्चतम खंड) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 150X150 एमएम और 200X280 मिमी में विभिन्न ग्रेड (4एसपी, 5एसपी, एसपीएचसी, एसएस400) में निर्यात गुणवत्ता वाले सेमी भी विकसित किए गए।

विद्युत



आपकी कंपनी ने हमेशा बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ-साथ इष्टतम लागत पर बिजली की उपलब्धता को देखते हुए अपनी कैप्टिव पावर क्षमता को अधिकतम और अनुकूलित करने का प्रयास किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1230 मेगावाट की कुल आवश्यकता का लगभग 64% कैप्टिव पावर संयंत्रों से पूरा किया गया। लागत को अधिकतम करने के उद्देश्य से, सेल सक्रिय रूप से ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से बिजली की खरीद करता रहा है क्योंकि ऐसा अवसर विद्युत अधिनियम, 2003 में पेश किया था। इस विरासत को जारी रखते हुए, इस वर्ष भी, सेल संयंत्रों ने ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से लगभग 460 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद की, जिसमें पावर एक्सचेंज से खरीद और मध्य प्रदेश राज्य में शुगर मिलों से 32 मिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा की खरीद भी शामिल है।

कैप्टिव पावर की हिस्सेदारी बढ़ाने और विस्तार परियोजनाओं के लिए इष्टतम लागत पर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी राउरकेला स्टील प्लांट में और एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) द्वारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी में एक अन्य (2X20) मेगावाट क्षमता ऐसे 250 मेगावाट की एक नई कैप्टिव विद्युत सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी हमेशा उपयोगिताओं से खरीदी गई बिजली के उपयोग के संबंध में बेहतर प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने की दिशा में और उच्च लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, आदि प्राप्त करने के लिए बिजली शुल्क में उपलब्ध छूट और प्रोत्साहन को अधिकतम करने के अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करती है वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, उपयोगिताओं के बिजली बिलों में प्रोत्साहन और छूट के रूप में 185 करोड़ प्राप्त हुए। सेल पिछले कुछ वर्षों में अपने लाभ के लिए विनियामक हस्तक्षेपों का उपयोग करने में भी सक्षम रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले टैरिफ मामलों को ऐसे हस्तक्षेपों के माध्यम से हल किया गया, जिससे लगभग 135 करोड़ का रिफंड प्राप्त करने में मदद मिली।

उपरोक्त के अलावा, बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन के प्रति टन बिजली की खपत को कम करने के लिए विभिन्न इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में बिजली की खपत का अनुकूलन सेल संयंत्रों का एक प्रमुख जोर क्षेत्र है। एक जिम्मेदार कारपोरेट घराने के रूप में, आपकी कंपनी रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) विद्युत संयंत्रों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग पर पर्याप्त जोर देती है।

सेल संयंत्रों और इकाइयों में 3010 किलोवाट पावर क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, देश भर में कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में 6145 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

कच्चा माल

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लौह अयस्क की कुल आवश्यकता कैपिटव स्रोतों से पूरी की गई है। आपकी कंपनी की कैपिटव खानों ने लगभग 30.06 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन किया। तथापि, स्वच्छ कोकिंग कोल के मामले में, लगभग 1.59 मिलियन टन की आवश्यकता स्वदेशी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड और कैपिटव स्रोतों) से पूरी की गई थी और कोकिंग कोल (13.70 मिलियन टन) की शेष आवश्यकता के लिए, कंपनी को देश के भीतर आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता की कमी के कारण आयात पर निर्भर रहना पड़ा। वित्त वर्ष 2020-21 में, कंपनी की कैपिटव कोलियरियों से उत्पादन लगभग 0.55 एमटी था, जिसमें से 0.09 एमटी कच्चा कोकिंग कोल और 0.46 एमटी का शेष नॉन-कोकिंग कोल था। फ्लक्स के मामले में, लगभग 1 मिलियन टन चूना पत्थर और 0.77 मिलियन टन डोलोमाइट का उत्पादन किया गया, जिससे कैपिटव स्रोतों से 1.77 मिलियन टन फ्लक्स का उत्पादन हुआ। थर्मल कोयले के लिए, आपकी कंपनी कैपिटव खानों से उत्पादित छोटी मात्रा को छोड़कर पूरी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड से खरीद पर निर्भर करती है।

लौह अयस्क की कैपिटव खानों से खुले बाजार में बिक्री



देश में निजी व्यापारी खनिकों के खनन पट्टे 31 मार्च, 2020 तक समाप्त होने के कारण, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा सेल को पिछले वर्ष के अपने कुल खनिज उत्पादन का 25 प्रतिशत खुले बाजार में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अनुमति दो साल की अवधि के लिए प्रभावी कार्य दिवस 16 सितंबर 2019 तक वैध है।

इसके अलावा, एक अन्य अलग आदेश दिनांक 16 सितंबर 2019 में, खान मंत्रालय ने सेल को कंपनी की विभिन्न कैपिटव खानों में पड़े 70 एमटी लो-ग्रेड आयरन फाइन्स और अयस्क (स्लाइम सहित) के पुराने स्टॉक का निपटान करने की अनुमति दी है। इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे।

तथापि, संबंधित राज्य सरकारों और सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान करने में विलम्ब को देखते हुए, खान मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2020 के आदेशों के माध्यम से 16 सितंबर 2019 के पहले के आदेशों को संशोधित किया और एक राज्य में पिछले वर्ष में संवर्धित उत्पादन के 25% की बिक्री की अनुमति दी और संबंधित राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को सूचना के तहत विभिन्न कैपिटव खानों में पड़े उप-ग्रेड खनिजों की बिक्री की भी अनुमति दी। तदनुसार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सरकार द्वारा विभिन्न अनुमोदनों के अनुदान के अधीन, वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 7 मिलियन टन लौह अयस्क उपलब्ध कराने की, यानी डंप फाइन्स आदि की बिक्री के लिए दुर्गाइबुरु लीज के लिए जेएसपीसीबी से गुआ, सीटीई और सीटीओ के टोपेलोर लीज की वन भूमि हैंडओवर की योजना बनाई गई थी।

इसके बाद, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त हुआ।

हालांकि, झारखंड राज्य सरकार से उपरोक्त अनुमोदन की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान खुले बाजार में केवल 4.55 मिलियन टन लौह अयस्क उपलब्ध कराया जा सका।

वन मंजूरी का अनुदान (एफसी)

खदानों की क्षमता विस्तार परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, 7 दिसंबर 2020 को गुआ अयस्क खदानों के डुआरगुइबुरु लीज के 361.295 हेक्टेयर के स्टेज- II एफसी को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, झारखंड में सारंडा जंगल में किरिबुरु-मेघाहातुबुरु खदानों में चिरिया खानों के क्षमता विस्तार और दक्षिण-मध्य ब्लॉकों को खोलने के लिए चरण- II एफसी की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, गुआ अयस्क खदानों के टोपेलोर और डुआरगुइबुरु खनन पट्टों के संबंध में वन भूमि भी राज्य सरकार द्वारा जारी की जानी है। क्षमता विस्तार परियोजनाओं के लिए इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मामले को मोईएफसीसीसी, इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार के स्तर पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

पर्यावरण मंजूरी का अनुदान (ईसी)

कैपिटव खानों से डंप लौह अयस्क की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, मौजूदा पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के प्रस्ताव एमओईएफसीसी को प्रस्तुत किए गए थे और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर, निम्नलिखित ईसी प्रदान किए गए:

- 19 मई 2020 को टोपाइलोर लीज (गुआ)।
 - 30 जुलाई 2020 को समामेलित पट्टा (किरिबुरु-मेघाहातुबुरु)।
 - 30 जुलाई 2020 को 5.1 वर्ग माइल्स लीज (बोलानी)।
 - एमएल-130 लीज (बरसुआ-तलडीह-काल्टा) 3 जुलाई 2020 को (शुद्धिपत्र दिनांक 13 जुलाई 2020) और 17 मार्च 2021 को फिर से पुनर्वितरण में संशोधन।
 - 6 नवंबर 2020 को डुआरगुइबुरु लीज (गुआ)।
- इसके अलावा, एमओईएफसीसी ने 7 दिसंबर, 2020 को मिललाई स्टील प्लांट के कलवार-नागुर लीज पर 1 एमटीपीए लौह अयस्क खदान के विकास के लिए ईसी भी प्रदान किया है।

पट्टे की अवधि का विस्तार एवं नये क्षेत्रों का आरक्षण

- 5 जनवरी 2030 तक बरुसा-तलडीह-काल्टा खदानों के एमएल-130 और एमएल-162 खनन पट्टों का समामेलन 2 दिसंबर, 2020 को ओडिशा सरकार द्वारा 5 जनवरी 2030 तक पट्टे की अवधि के विस्तार के साथ 30 मार्च 2021 का दिया गया था।
- झारखंड सरकार द्वारा आदेश दिनांक 13 फरवरी 2021 के द्वारा तुलसीदामार डोलोमाइट लीज की लीज अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई
- ओडिशा सरकार ने 24 फरवरी 2021 की कार्यवाही के माध्यम से गांव ठकुरानी पहाड़ ब्लॉक-ए, क्यॉंझर में 268.221 हेक्टेयर (डीजीपीएस के अनुसार) / 277.683 हेक्टेयर (आरओआर के अनुसार) के संबंध में 3 साल की अवधि के लिए पूर्वक्षण लाइसेंस प्रदान किया है।

कोयला मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगने पर 21 जनवरी 2021 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है, कि कोयला खदानों के खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए एमएमडीआर अधिनियम में कोई निषेध नहीं है, भले ही खनन पट्टे की कुल अवधि और सभी नवीनीकरण 50 वर्ष से अधिक हो। स्पष्टीकरण 30 अप्रैल 2022 से परे तसरा कोयला खनन पट्टे के दूसरे नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके लिए 10 जुलाई 2020 को झारखंड राज्य सरकार को नवीनीकरण आवेदन पहले ही किया जा चुका है।

तथापि, चिरिया और गुआ पट्टों के शेष पट्टों की लीज अवधि के विस्तार में देरी, और रेत के भंडारण के लिए क्षेत्र का आरक्षण चिंता का विषय है।

रौघाट अंजरेल प्रखंड में अंतरिम खनन का शुभारंभ

रावघाट जमा-एफ के लिए खनन पट्टा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2009 को प्रदान किया गया था। हालांकि, खदान का विकास कार्य और खनन परियोजनाओं से जुड़ी रेल लाइनों का निर्माण मुख्य रूप से क्षेत्र में प्रचलित कानून व्यवस्था के मुद्दों के कारण प्रभावित हुआ है।

हालांकि रावघाट में 14 एमटीपीए खदान के विकास के लिए माइन डेवलपर कम ऑपरेटर (एमडीओ) को सितंबर 2017 में नियुक्त किया गया था की राज्य सरकार द्वारा वन भूमि सेल को सौंपे जाने के बाद ही खदान का विकास शुरू हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा रावघाट जमा-एफ में लगभग 39,000 पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया गया था और वह शुरू हो गया है।

एमडीओ को खनन कार्यों के आवश्यक पैमाने पर पहुंचने में 5 साल लगेंगे, इसलिए सेल ने रावघाट के अंजरेल प्रखंड से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 3 लाख टन लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए अंतरिम खनन का प्रावधान किया। 13 जुलाई 2020 को राज्य सरकार द्वारा पेड़ काटने की अनुमति के परिणामस्वरूप, वृक्ष काटने की गतिविधियाँ 18 जुलाई 2020 से शुरू हो सकती हैं। इसके बाद 23 नवंबर 2020 को कलेक्टर, नारायणपुर से अंजरेल प्रखंड के सौंपे गए वन क्षेत्र में अनुमति मिलने पर प्रवेश देने का अनुरोध किया गया और उसके बाद, 27 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार से रावघाट के अंजरेल प्रखंड के सौंपे गए वन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंजरेल ब्लॉक में अंतरिम खनन 5 फरवरी 2021 को शुरू हुआ है।

सीतानाला और परबतपुर कोयला ब्लॉकों की वापसी की स्थिति

सीतानाला कोल ब्लॉक

सीतानाला कोयला ब्लॉक की वापसी के संबंध में कोयला मंत्रालय (एमओसी) को सेल के 12 मार्च 2018 के पत्र के परिणामस्वरूप, एमओसी ने 4 अक्टूबर 2018 के पत्र के माध्यम से सीतानाला कोयला ब्लॉक के संबंध में आवंटन समझौते और आवंटन आदेश के खिलाफ एक समाप्ति नोटिस जारी किया। 25 अक्टूबर 2018 को बैंक को 10.43 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी) लागू करने की सलाह दी। सेल ने 4 अक्टूबर 2018 के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। हालांकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में प्रबल होता है, तो बीजी का आह्वान करके एकत्र की गई राशि की वापसी के लिए परिणामी निर्देश पारित किया जाएगा। मामला विचाराधीन है।

परबतपुर कोल ब्लॉक

परबतपुर कोयला ब्लॉक की वापसी के बारे में कोयला मंत्रालय (एमओसी) को सेल के 8 मार्च 2018 के पत्र के परिणामस्वरूप, एमओसी ने पत्र दिनांक 5 दिसंबर 2019 के माध्यम से परबतपुर कोयला ब्लॉक के संबंध में आवंटन समझौते और आवंटन आदेश के खिलाफ एक समाप्ति नोटिस जारी किया और सलाह दी बैंक 62.57 करोड़ का बीजी मांगेगा।

सेल ने 5 दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है। जवाब में, आदेश दिनांक 19 दिसंबर 2019 के तहत, माननीय दिल्ली न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक बीजी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और परिणामी लॉकडाउन को देखते हुए, उपरोक्त दोनों मामलों पर मामले को निर्धारित तारीखों पर नहीं रखा जा सका और सुनवाई की अगली तारीख की सूचना दी जानी बाकी है।

इस बीच, फरवरी 2020 में एमओसी ने परबतपुर सेंट्रल कोल माइन के प्रबंधन और संचालन के लिए अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को नामित संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद, सेल, डीसी, बोकारो के अनुरोध पर, परबतपुर कोल ब्लॉक के संपत्ति सत्यापन के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, और उसी के पूरा होने के बाद, 10 जुलाई 2020 को परबतपुर कोल ब्लॉक बीसीसीएल को सौंपा गया है।



खरीद और बिक्री

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए, लगभग 14.937 मिलियन टन (एमटी) की अपनी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री योग्य स्टील की बिक्री हासिल की। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, और कंपनी ने एक बड़ी छलांग लगाई, बिक्री योग्य इस्पात निर्यात अब तक का सबसे अधिक 1.924 मिलियन टन रहा, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 64% से अधिक की वृद्धि हुई। इसके अलावा, बढ़े हुए निर्यात के लिए हमारी खोज में, आपकी कंपनी ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए कई नए बाजारों में प्रवेश किया है।

प्रारंभिक कोविड-19 महामारी चरण और परिणामी लॉकडाउन के दौरान, घरेलू बाजार में स्टील कारोबार के रास्ते कम हो गए जिसने घरेलू और निर्यात मोर्चा पर रणनीतिक संतुलन की मांग की। उस समय जब घरेलू मांग कमजोर थी, एक उत्साही अंतरराष्ट्रीय बाजार, इन्वेंटरी के प्रबंधन और उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव को कम करने में मदद की। तीसरी तिमाही तक घरेलू बाजारों का पुनरुत्थान, बढ़ी हुई मांग के कारण, शेष वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अतिरिक्त इन्वेंट्री को समाप्त करने के साथ-साथ खोई हुई जमीन को पकड़ने में मदद की।

चल रहे अनुसंधान और विकास पहल के एक भाग के रूप में, पलेश बट वेल्डिंग तकनीक के साथ एक नया रेल ग्रेड आर-260 विकसित किया गया और भारतीय रेलवे को आपूर्ति की गई। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूडीजी4 लोकोमोटिव व्हील्स को आयात प्रतिस्थापन मद के रूप में भी विकसित किया है, जिससे भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सेल ने आईएसपी के वायर रॉड मिल से एचसी62, एचसी72, एचसी80, एचसीटी1130सीआर (पीसी1115), सीएक्यू, सीएक्यू, ब्राइट बार, ईएन8डी, ईएन8डी सीआर जैसे विशेष गुणवत्ता वाले स्टील्स विकसित करके उत्पाद टोकरी का विस्तार करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम किया है।

रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपकी कंपनी की उपस्थिति डीएमआर स्टील सामग्री की आपूर्ति के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है, जो पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न विशेष ग्रेड के मिश्र धातु इस्पात की आपूर्ति के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं को भी पूरा किया गया।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2.5 लाख टन के साथ ब्रांड "सेल सिक्युर" सुदृढ़ीकरण बार मजबूती से बढ़ रहा है, जो रिटेल चैनल में एक समान ब्रांड अनुभव को मजबूत करने में मदद करता है। आपकी कंपनी पूरे भारत में 2-टियर और 1-टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है, जो बी2सी स्पेस में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। इस पहल के पूरक के रूप में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एक ऑनलाइन ई-पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे 2-टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क के माध्यम से सबसे छोटी मांग को पूरा किया जा सके। आपकी कंपनी प्रमुख प्रभावशाली लोगों के साथ वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके स्ट्रक्चरल के "एनईएक्स" ब्रांड पर केंद्रित ब्रांड-निर्माण पहल की दिशा में काम कर रही है।

भारत सरकार द्वारा मिशन पूर्वोदय के शुभारंभ के बाद, सेल द्वारा उन जिलों में स्थित एमएसएमई के विकास के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी जिसमें इसके एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित हैं और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 132 एमएसएमई शामिल हुए हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के एमएसएमई सदस्यों को निर्यात समता मूल्य पर चुनिंदा इस्पात उत्पादों की आपूर्ति करने की योजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप, देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार करने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे भारत में लगभग 117 "गॉव की ओर" कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

आपकी कंपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, सेल ने बिजली परियोजनाओं, सड़कों, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं, उर्वरक उद्योग, तेल और गैस क्षेत्र आदि को महत्वपूर्ण मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है।

आपकी कंपनी उपभोक्ता के दिमाग में एक नेतृत्व की स्थिति रखती है और बेहतर सेवाओं, उत्पादों और प्रक्रियाओं के साथ हमेशा बदलती उम्मीदों के अंतर को पाटने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

जैसा कि भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति द्वारा आवश्यक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद की जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	2020-21	2019-20
खरीद की कुल राशि	3747.22	4961.03
एमएसई से कुल खरीद	1384.31	1431.27
एमएसई से % खरीद	36.94	28.85

(₹ करोड़)

आधुनिकीकरण और विस्तार योजना

राउरकेला, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो और सेलम स्टील प्लांट में आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) और भिलाई स्टील प्लांट के एमईपी के तहत सभी प्रमुख सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं। विभिन्न सुविधाएं संचालन, स्थिरीकरण और बढ़ाने के अधीन हैं।

सभी संयंत्रों के एमईपी के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को वर्ष 2020-21 तक उत्तरोत्तर अनुमोदित किया गया है। इन आरसीई को ध्यान में रखते हुए, एमईपी के लिए सांकेतिक निवेश 80,170 करोड़ (सकल) (निर्वाह योजनाओं को छोड़कर) होने की संभावना है। एमईपी (निर्वाह योजनाओं को छोड़कर) पर मार्च, 2021 तक कुल ₹68,267 करोड़ (सकल) खर्च किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4,800 करोड़ के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 4,283 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय 8,000 करोड़ है।

कार्यान्वयन के तहत परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) योजनाओं का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट में दिया गया है।

क. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

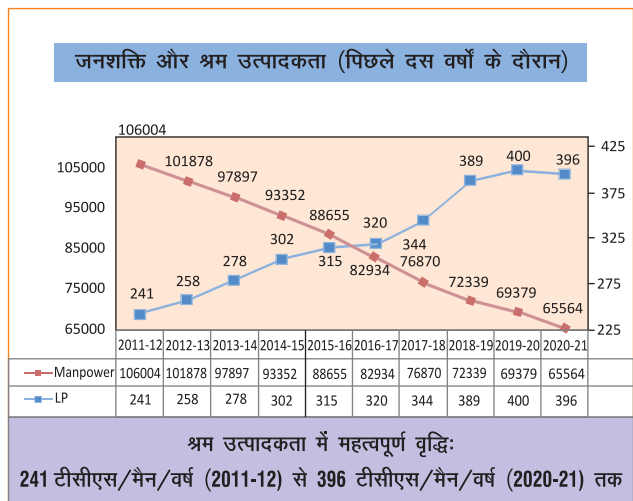
आपकी कंपनी इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के योगदान को मान्यता देती है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से उत्कृष्टता के अपने वर्तमान स्तर को हासिल किया है, जहां कौशल और ज्ञान हर पहल का आधार है — चाहे वह प्रौद्योगिकी हो या नवाचार। कंपनी में जनशक्ति के उपयोग में सुधार के लिए कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं का विकास करना और श्रम उत्पादकता यह मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) के प्रमुख क्षेत्र हैं।

आपकी कंपनी सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करती है और कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता और नवीनता का पोषण करती है। सेल में मानव संसाधन पहल टीम भावना विकसित करने, कर्मचारी सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है। व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए एचआरएम के रणनीतिक संरेखण ने आधुनिकीकरण और विस्तार

परियोजनाओं में 'अत्याधुनिक' प्रौद्योगिकी के लिए सुगम संक्रमण की सुविधा प्रदान की गई है।

युक्तियुक्त जनशक्ति के साथ बढ़ी उत्पादकता

आपकी कंपनी ने 2020-21 में 396 टीसीएस/मैन/वर्ष की श्रम उत्पादकता (एलपी) हासिल की। 1 अप्रैल, 2021 को कंपनी की जनशक्ति वर्ष के दौरान 3,815 नं. जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के साथ 65,564 नं. थी। विवेकपूर्ण नियुक्तियों, दक्षताओं के निर्माण और कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और जुनून की भावना को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप तर्कसंगत जनशक्ति के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। 2011-12 के बाद से बढ़ी हुई उत्पादकता और जनशक्ति युक्तिकरण की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:



कर्मचारी क्षमताओं और दक्षताओं का विकास करना

आपकी कंपनी का मानना है कि लोगों का विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है। प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों ने कर्मचारी के ज्ञान और कौशल के विकास की सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षताओं में वृद्धि होती है, जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सेल प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण, हस्तांतरण और सुधार और प्रमुख संस्थानों के सहयोग से प्रभावी प्रबंधकीय दक्षताओं के विकास पर ध्यान देने के साथ विभिन्न प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

कर्मचारियों को आने वाले कल के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूल पर कुल मिलाकर 36,563 कर्मचारियों को 25,062 कर्मचारियों के लक्ष्य के खिलाफ प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न ऑनलाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से संगठन की सीखने और विकास की निरंतरता को बनाए रखा गया था, महामारी के लिए सभी प्रोटोकॉल और स्थानीय दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए, इन-हाउस ई-लर्निंग पोर्टल में नियमित कार्यक्रमों और ई-लर्निंग मॉड्यूल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सामंजसपूर्ण कर्मचारी संबंध

सेल ने एक अनुकूल और पूर्ण नियोजित-कर्मचारी संबंध वातावरण बनाने और बनाए रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है। ट्रेड यूनियनों/श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने के स्वस्थ अभ्यास ने कंपनी को विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण स्थापित करने में सक्षम बनाया है। कुछ द्विदलीय मंच सत्र के दशक से काम कर रहे हैं और श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, इस प्रकार, एक अनुकूल कार्य वातावरण स्थापित करने में मदद करते हैं।

इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) जैसे द्विपक्षीय मंच, इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई), आदि जैसे द्विपक्षीय मंच प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ प्लांट / यूनिट के प्रतिनिधि संघों के प्रतिनिधित्व के साथ आवधिक आधार पर मिलते हैं और एक सुरक्षित वातावरण और सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से सिफारिशें / कार्य योजनाएं तैयार करते हैं, जो कई स्थानों पर विविध कार्य संस्कृति के साथ चिह्नित सेल संयंत्रों / इकाइयों द्वारा वर्षों से देखे गए सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों से प्रमाणित होता है।

इसके साथ, गुणवत्ता मंडल, सुझाव योजनाएँ, दुकान कल्याण समितियाँ, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, उत्पादकता समिति, आदि भी कामगारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। कामगारों को रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों और उन पर उनके विचारों की जानकारी संरचित / संवादात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से भी दी जाती है।

कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ-साथ कंपनी भर में कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के साथ एक संरचित तरीके से संचार किया जाता है। कर्मचारियों के बड़े समूह के साथ संरचित चर्चा को शामिल करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी / वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जनसंचार अभियान चलाए जाते हैं। ये सहभागी सत्र कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अपने काम को संरेखित करने में मदद करते हैं जिससे न केवल उच्च उत्पादन और उत्पादकता होती है बल्कि कर्मचारियों की अपनेपन की भावना भी बढ़ती है।

शिकायत निवारण तंत्र

अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए अलग-अलग सेल संयंत्रों और इकाइयों में प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए प्लांट / यूनिट स्तर पर संयुक्त शिकायत समितियों का गठन किया जाता है।

सेल प्लांट / यूनिट में शिकायत निवारण तंत्र के तीन चरण हैं और कर्मचारियों को वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने के लिए हर स्तर पर एक अवसर दिया जाता है। इस्पात प्लांट / यूनिट में प्रचलित पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 250 कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुईं, पिछले वर्ष से लंबित 6 शिकायतों के साथ, वर्ष के दौरान 237 कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया गया है, जिसमें 92.58% पूर्ण हुई है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के तहत 852 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रणाली, भारत सरकार सीपीजीआरएएमएस वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) आधार से पीड़ित नागरिकों द्वारा शिकायतों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है, और जो इन शिकायतों के शीघ्र और अनुकूल निवारण के लिए जांच करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस पोर्टल पर सिस्टम जनरेटेड यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से शिकायतों को ट्रैक करने की सुविधा भी दी गयी है। हालाँकि, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें निवारण के लिए नहीं लिया जाता है और इनमें न्यायाधीन मामले या किसी भी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित कोई भी मामला, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद, आरटीआई, कुछ भी जो देश की क्षेत्रीय अखंडता या अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालता है, आदि मामले शामिल हैं।

1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	प्राप्त हुए	निपटान किए गए	निपटान के लिए लिया गया औसत समय	दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत समय
1	आगे लाए गए	32		15	60
2	जन शिकायतें	727	747		
3	कोविड संबंधित शिकायतें	93	93	1.2	3
	कुल	852	840		

सामंजस्यपूर्ण कर्मचारी संबंध

सेल में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी अंतिम वेतन संशोधन दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया था। गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में, वेतन और मजदूरी को राष्ट्रीय इस्पात संयुक्त समिति के द्विदलीय मंच में अंतिम / संशोधित किया जाता है। उद्योग (एनजेसीएस)। पिछले एनजेसीएस समझौते को 1 जुलाई, 2014 को अंतिम रूप दिया गया था और 1 जनवरी, 2012 से प्रभावी हुआ था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, 2013 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। इस प्रकार, लाभ की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता के मामले में समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटीकरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहल



खानों सहित सेल के संयंत्र और इकाइयों देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी है। आपकी कंपनी ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में सहायनीय योगदान दिया है। इन योगदान में से कुछ नीचे दिये हैं:

- गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है और इसलिए, बड़ी संख्या में एससी/एसटी/ओबीसी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- इन वर्षों में, इस्पात संयंत्रों के आस-पास सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इससे स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा हुए हैं।
- अस्थायी और रुक-रुक कर प्रकृति की नौकरियों के लिए, आम तौर पर टेकेदार नौकरी के अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए लगे होते हैं, जिसमें वे स्थानीय क्षेत्रों के कामगारों को तैनात करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय उम्मीदवारों को फिर से रोजगार का अवसर प्रदान करता है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है, इस प्रकार, परिधीय क्षेत्रों में आबादी को विभिन्न प्रकार की सेवाओं से लाभ हुआ है। सेल द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप में सर्वोत्तम चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं हैं और स्थानीय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य ओबीसी आबादी के लिए एक नखलिस्तान की तरह हैं जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि और विकास के लाभों को साझा करते हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई पहलों की हैं जो मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों पर विशेष रूप से गरीब, वंचित बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूते सहित वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन शामिल हैं।

- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वे सेल कर्मचारियों के वार्ड हों या गैर-कर्मचारी के वार्ड हों।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर (गुटगुटपारा) में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों की परिधीय आबादी को मुफ्त मेडिकल कन्सल्टेशन, दवाएं आदि प्रदान करना।
- सेल संयंत्रों ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें मुफ्त शिक्षा, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, भोजन, आवास और चिकित्सा आवासीय छात्रावासों में, सारंडा सुवन छत्रवास, ज्ञानोदय छात्रावास और लगभग विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए एक विशेष ज्ञान ज्योति योजना जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, आदिवासी स्कूल पासआउट्स को आईआईटी/जेईई प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रमुख संस्थानों में कोचिंग के लिए और विभिन्न आईआईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वजीफा, आवास, परिवहन और भोजन सुविधा के साथ प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी, आदि के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- आपकी कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 65564 की कुल जनशक्ति में से 10919 अनुसूचित जाति (16.65%), 10109 अनुसूचित जनजाति (15.41%) और 9894 अन्य पिछड़ा वर्ग (15.02%) से संबंधित हैं।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार संपर्क/नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
- संबंधित संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का ध्यान रखते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक सदस्य पदोन्नति के लिए सभी विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी)/चयन समितियों में जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड/चयन समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।



संपर्क अधिकारियों और सेल संयंत्रों / इकाइयों के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यालयां आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आदि और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखा जा सके।

- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसी के साथ, एक एपेक्स लेवल अम्बेला बॉडी अर्थात् सेल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ भी एक समन्वित तरीके से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेल में मौजूद है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी वैधानिक रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को भेजी जा रही हैं और कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी अपलोड की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम की धारा 5 और 19(1) के तहत अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक, जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किए हैं। धारा 5(5) के तहत, आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, पीआईओ को सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारी/लाइन मैनेजर डीमड पीआईओ कहलाते हैं और उन्हें पीआईओ के समान ही जिम्मेदार बनाया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। सभी संयंत्रों/यूनिट ने 17 मैनुअल सूचीबद्ध किए हैं और अधिनियम के तहत प्राधिकरणों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन पर तिमाही विवरणियां और वार्षिक विवरणियां सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जा रही हैं। 1 मई 2015 से ऑनलाइन अनुरोध का कार्यान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। कॉर्पोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की रिकॉर्ड प्रतिधारण नीति का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा, सीआईसी, डीओपीटी परिपत्रों और उच्च न्यायालय के मामलों के महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संयंत्रों/यूनिट में 'आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व' पर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में सूचना आयुक्त मौजूद रहे हैं। इसके आगे, आरटीआई अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम संयंत्रों, इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में भी आयोजित किए जाते हैं।

सेल को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अधिनियम के तहत कुल 2,706 आवेदन और 482 अपीलें प्राप्त हुईं और उन सभी का अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया। सीआईसी ने 97 मामलों को भी लिया है और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

अधिनियम के लागू होने के बाद से, सेल को 31 मार्च 2021 तक कुल 46,867 आवेदन और 7,105 अपीलें प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्धारित समय के भीतर निपटारा किया गया था। इनमें से 940 मामलों को सीआईसी द्वारा लिया गया और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में कर दिया गया।

नागरिक चार्टर

आपकी कंपनी सुशासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, नागरिकों की पहचान की एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और उन्हें हमारी प्रमुख नीतियों के बारे में हमारा संचार, ताकि सेवा वितरण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके।

सेल के नागरिक चार्टर ने अपने हितधारकों के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, जिससे उन्हें बेहतर उत्पादों और सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाया गया है। सेल के इस सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:

- उत्पादों और सेवाओं में सुधार के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सभी प्रक्रियाओं पर नागरिक केंद्रित ध्यान सुनिश्चित करना।
- प्रभावी नागरिक संचार कड़ी सुनिश्चित करना।
- कॉर्पोरेट वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर की होस्टिंग करके अपने व्यापार संचालन की पारदर्शिता और खुलेपन का प्रदर्शन करना।
- असफल-सुरक्षित प्रक्रियाओं द्वारा नागरिकों की प्रसन्नता की दिशा में कार्य करना और अत्यावश्यकता के मामले में इसकी सेवा पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं का लाभ उठाना, जैसे शिकायत निवारण, शिकायतों को संभालना, आदि।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए इन समितियों का गठन किया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल, 2020 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
2020-21 में प्राप्त शिकायतों की संख्या	7
2020-21 के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	5
31 मार्च, 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत सेल अस्पतालों का पैनेल, जो की भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है

सेल ने 18 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (एनएचसीपी) के रूप में सीधे पीएम-जेएवाई के तहत संयंत्रों / खानों में कंपनी संचालित अस्पतालों के पैनेल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य देश की वंचित आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में भारत सरकार की भागीदारी करना है। योजना लाभार्थियों को पैनेलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस उपचार प्रदान करती है।

4 फरवरी 2021 को, एनएचए के अस्पताल संचालन प्रभाग के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सेल अस्पतालों के पैनेल की स्थिति साझा की गई और यह दोहराया गया कि सेल पीएम-जेएवाई के अस्पताल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचए ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सेल अस्पतालों में से एक में पीएम-जेएवाई के संचालन के लिए प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव रखा है।

इस्पात जनरल हॉस्पिटल, राउरकेला का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नयन

1 अप्रैल 2015 को राउरकेला स्टील प्लांट की अपनी यात्रा के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा की पृष्ठभूमि में, इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एसएसएच) कॉम्प्लेक्स को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 21 मार्च 2021 को सेल के राउरकेला स्टील प्लांट में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद, कोविड -19 मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए, कोविड रोगियों के इलाज के लिए संवर्धित आईसीयू वेंटिलेटर सुविधाएं, श्री धर्मेश प्रधान, तत्कालीन माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री द्वारा 20 मई 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से समर्पित की गई। नया अत्याधुनिक अस्पताल परिधीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेष उपचार प्रदान करेगा।

ड. वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते :

- सेल को निदेशक संस्थान द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 15 दिसंबर, 2020 को सेल के अध्यक्ष द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से प्राप्त किया गया।
- राउरकेला स्टील प्लांट को राउरकेला में व्यापक जल और स्वच्छता परियोजना पर सीएसआर परियोजना के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल श्रेणी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 'ग्रीनटेक फाउंडेशन सीएसआर अवार्ड, 2020' से सम्मानित किया गया। 1 अक्टूबर, 2020 को अध्यक्ष, सेल द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- सेल ने संचार के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए पीआरएसआई (पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया) राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में छह पुरस्कार प्राप्त किए। 21 फरवरी, 2021 को एक आभासी समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। सेल को बेस्ट हाउस जर्नल (इंग्लिश), बेस्ट कम्युनिकेशन कैंपेन (एक्सटर्नल पब्लिक), बेस्ट कम्युनिकेशन कैंपेन ऑफ द ईयर— कोविड-19, स्पेशल/प्रेस्टीज पब्लिकेशन, ई-न्यूजलेटर और कॉरपोरेट वेबसाइट कैटेगरी में अवॉर्ड मिला है।
- सेल को राजभाषा के प्रयोग के प्रचार-प्रसार में व्यापक योगदान के लिए "राजभाषा उन्नयन सम्मान" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 14 दिसंबर, 2020 को सेल के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया।

- आईएसपी ने 1 सितंबर, 2020 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित एआईएमए के 29वें नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) के अंतिम दौर में दूसरा उपविजेता स्थान हासिल किया।
- 4 दिसंबर, 2020 को आयोजित एआईएमए ऑनलाइन "महिला प्रश्नोत्तरी" के ग्रैंड फिनाले में, बोकारो स्टील प्लांट को उपविजेता घोषित किया गया।
- सेल को 18 मार्च, 2021 को वस्तुतः प्रतिष्ठित 11वें सीआईआई राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार-2020-21 संगम से सम्मानित किया गया है।

ई. पर्यावरण प्रबंधन



पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए लागू अधिसूचित पर्यावरण मानकों के दायरे में और विभिन्न कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंधित नियम, संयंत्र परिसर के साथ-साथ टाउनशिप में भी तैयार किए जा रहे हैं, सेल संयंत्र और खदान पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। आपकी कंपनी ने एनवायरनमेंटल पॉलिसी के अनुरूप अपनी पर्यावरणीय दृष्टि भी तैयार की है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करती है बल्कि इससे आगे जाने के प्रयास पर भी जोर देती है। इसके अलावा, आपकी कंपनी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और अपने पर्यावरण दर्शन को सभी हितधारकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंटल पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

उत्सर्जन और निर्वहन में सुधार

सेल संयंत्र और खदानें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और लागू पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के उद्देश्य से नियमित रूप से सुधार/नवीनीकरण/पुनरोद्धार के माध्यम से नियमित रूप से बनाए रख रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपग्रेड भी कर रहे हैं, जो दिन-ब-दिन सख्त होते जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़े सुधार हुए हैं:

- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन भार 18 से अधिक घटकर 0.63 किग्रा / टीसीएस हो गया।
- विशिष्ट पानी की खपत 10% से अधिक घटकर 3.37 एम³ / टीसीएस हो गई।
- विशिष्ट बहिःस्राव निर्वहन 15% से अधिक घटकर 1.62 एम³ / टीएसएस हो गया।
- विशिष्ट अपशिष्ट भार लगभग 7% घटकर 0.080 किग्रा / टीसीएस हो गया।
- बीएफ स्लैग का उपयोग 10% से अधिक बढ़कर 98.99% हो गया।
- विशिष्ट उत्सर्जन को 2% से अधिक घटाकर 2.55 टी / टीसीएस कर दिया गया।
- कुल सॉलिड वेस्ट यूटीलाइजेशन में 8% से 90% से अधिक की वृद्धि हुई।

ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/सुविधाओं को अपनाना



आपकी कंपनी ने अपनी आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के दौरान और उसके बाद, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अपने अभियान में नवीनतम अत्याधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम उपलब्ध और व्यवहार्य प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को पहले ही लागू कर दिया है। कुछ प्रमुख स्वच्छ प्रौद्योगिकियां नीचे दिए हैं:

- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में कोक ड्राई कूलिंग प्लांट, भूमि आधारित पुशिंग एमिशन कंट्रोल सिस्टम, कम्प्यूटरीकृत दहन नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ टॉल कोक ओवन बैटरी।
- आरएसपी और आईएसपी में बेहतर इग्निशन सिस्टम (मल्टी-सिल्ट बर्नर), सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी सुविधा आदि के साथ एकीकृत सिंटर प्लांट।
- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन, वेस्ट हीट रिकवरी सुविधा, पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन, कास्ट हाउस डी-डस्टिंग सिस्टम और टारपीडो लैंडल से लैस उच्च क्षमता की ब्लास्ट फर्नेस।
- बीएसपी, आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी में टारपीडो लैंडल का उपयोग करके हॉट मेटल हैंडलिंग।
- ऑफसाइट स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधा से कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट में क्रमिक रूप से बदलाव करना।
- निरंतर कार्टिंग के साथ ऊर्जा-गहन पिंड मार्ग से बाहर निकलना।
- ऊर्जा की खपत को कम करने के साथ-साथ CO₂ उत्सर्जन में रोलिंग मिल में पुशर टाइप आरएचएफ के स्थान पर वॉकिंग बीम रीहीटिंग फर्नेस (आरएचएफ)।
- प्लांट मशीनरी में वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) ड्राइव की शुरूआत।
- वसूली और ईंधन के रूप में इसके उपयोग के लिए बीएसपी के एसएमएस-III और बीएसएल के एसएमएस-II और II पर एक समर्पित गैस धारक के साथ नए बीओएफ कन्वर्टर्स प्रदान किए गए।
- ब्लास्ट फर्नेस में कोल डस्ट इंजेक्शन का अधिकतमकरण।
- बीएसपी और बीएसएल में हीट रिकवरी सिस्टम के साथ बीएफ स्टोव का उन्नयन।
- बीएसपी, डीएसपी और आईएसपी में बिजली उत्पादन के लिए नए गैस से चलने वाले बॉयलर।
- सभी नए कन्वर्टर्स में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल के लिए डॉग हाउस। पुराने कन्वर्टर्स के मामले में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम की रेट्रोफिटिंग चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
- प्लांट और यूनिट में पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के बजाय ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों की स्थापना।

नई पहल

अ. पॉली क्लोरिनेटेड बाय-फिनाइल (पीसीबी) का पर्यावरण के अनुकूल निपटान - एक पर्यावरण प्रदूषक

भिलाई स्टील प्लांट ने एमओईएफ अंड सीसी और यूएनआईडीओ के साथ साझेदारी में, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी) के लिए एक निपटान

सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसे अपनी साइट पर पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (पीओपी) के रूप में वर्गीकृत किया गया। परियोजना पूर्णता के अग्रिम चरण में है। चालू होने पर, परियोजना न केवल सेल संयंत्रों में बल्कि देश भर के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वर्षों से जमा पीसीबी कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करेगी। यह अनूठी सुविधा राष्ट्र को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगी।

ब. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक लंबी चिमनी की स्थापना

आरएसपी में सिंटर प्लांट के ईएसपी 1 और 2 की प्रक्रिया में सुधार के साथ-साथ 70 मीटर चिमनी के प्रतिस्थापन के साथ एक नई 100 मीटर लंबी चिमनी के साथ लागू पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करने के लिए पूरा किया गया है। यह सुविधा एक सुरक्षित, स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने में भी मदद कर रही है।



सी. 4 आर (कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति) के आवेदन के माध्यम से कचरे के उपयोग को बढ़ाना:

आपकी कंपनी सॉलिड वेस्ट उत्पादन को कम करने के लिए और 100% प्राप्त करने के लिए इसके उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सभी प्रक्रियाओं में हमने "4 आर की नीति" (कम करें, पुनर्प्राप्त करें, रीसायकल और पुनः उपयोग) को अपनाया है। बीओएफ स्लैग के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से, इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से एक आर एंड डी परियोजना प्रस्ताव "स्थायी कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का विकास" पर लिया गया। यह प्रोजेक्ट इस्पात उद्योग और कृषि के सहजीवी विकास को सुनिश्चित करेगी।

ड. पर्यावरण के अनुकूल घरेलू अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा

हरित पहल के रूप में और "सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016" के अनुपालन में, बीएसपी ने एक सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएलआरएम) केंद्र स्थापित किया है। केंद्र में कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से किया जाता है। टाउनशिप में डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से एकत्र किए गए गीले कचरे को विशेष रूप से डिजाइन की गई खाइयों में उर्वरक बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। सूखे कचरे को प्लास्टिक, निर्माण मलबे और अन्य निष्क्रिय सामग्री में अलग किया जाता है।

ई. जीसीपी कीचड़ के उपयोग के लिए ईट निर्माण सुविधा

गैस सफाई संयंत्र (जीसीपी) कीचड़ के 100% उपयोग को प्राप्त करने के उद्देश्य से, चंद्रपुर फेरो आलोय प्लांट में जीसीपी कीचड़ से ईटें बनाने और उसके बाद जलमग्न चाप भट्टियों (एसएएफ) के माध्यम से पुनर्चक्रण के लिए और कीचड़ के मैंगनीज का पुनः उपयोग करने के लिए एक ईट निर्माण सुविधा स्थापित की गई है।

फ. पर्यावरण पर एक इंटरैक्टिव वेब पेज का विकास

सेल के पर्यावरण पदचिह्न में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अनुपालन मुद्दों, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि, वैधानिक नोटिस आदि के लिए अलर्ट के प्रावधान के साथ कंपनी के इंटरनेट पोर्टल में "सेल का पर्यावरण" पर एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल बनाया गया।

आईएसओ-14001 से जुड़ी हुई पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

आईएसओ 14001 से जुड़ी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रक्रियाओं और प्रथाओं का एक समूह है, जो एक संगठन को अपने पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ईएमएस के कार्यान्वयन से सेल के संयंत्रों और खानों को उनका प्रदर्शन हमेशा लागू नियामक आवश्यकताओं के भीतर होयह सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

ईएमएस (आईएसओ-14001) सभी संयंत्रों में लागू किया गया था और कंपनी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए सभी खानों को अपने दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में, बरसुआ आयरन ओर माइन, गुआ ओर्स माइन, किरुबुरु और मेघाहातुबुरु आयरन ओर माइन्स, बोलांनी आयरन ओर माइन, महोहरपुर आयरन ओर माइन, दल्ली आयरन माइन और तेरह गोदाम (अहमदाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, विजाग, चेन्नई, सीएमओ के मुंबई, दिल्ली, दुर्गापुर, दानकुनी, बोकारो, बैंगलोर और कानपुर) को भी आईएसओ 14001 से प्रमाणित किया गया है।

सतत विकास/पारिस्थितिकी-बहाली परियोजनाएं

- जैव-विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को फिर से भरने के लिए अवक्रमित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पुनर्वास आवश्यक है। पूर्णापानी में 200 एकड़ चूना पत्थर खनन क्षेत्र में लगभग 250 एकड़ पुराने बंजर ओवरबर्डन डंप और पानी के शून्य को पूरी तरह कार्यात्मक पारिस्थितिक तंत्र में सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सामानों के साथ-साथ सीक्वेस्टर CO₂ उत्पन्न करता है। पुनर्स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र पूर्णापानी में स्थानीय लोगों के लिए कई आजीविका विकल्प प्रदान करता है।
- जनवरी, 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, रांची के साथ किरिबुरु लौह अयस्क खदानों और मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदानों के लिए अलग से खनन क्षेत्र और कचरे के ढेरों की पर्यावरण बहाली के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



एक नए युग की ओर अक्षय ऊर्जा का अनुप्रयोग

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित स्थानों पर 242 मेगावाट अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया:

- बोकारो में 120 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- सेलम में 50 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- राउरकेला में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- कुल्टी में 25 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।
- भिलाई में 7 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र।

इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में की गई कुछ प्रमुख पहलों में (i) ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम पहल के तहत मंदिरा बांध, आरएसपी में 10 मेगावाट हाइड्रल पावर प्लांट की स्थापना और (ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के तहत विभिन्न संयंत्रों / यूनिट के स्थानों पर विभिन्न भवनों पर 6.195 मेगावाट की छत पर सौर इकाइयाँ आदि शामिल हैं। सेल संयंत्रों और यूनिट के विभिन्न भवनों पर 3 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा इकाइयाँ पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।



वृक्षारोपण

आपकी कंपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन पहलों में वृक्षारोपण की भूमिका को समझती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पौधे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने और कार्बन सिक के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के वृक्षारोपण देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण की बहाली के एक उपकरण के रूप में अवक्रमित भूमि पर वन पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए।

वनरोपण द्वारा विकसित हरियाली सौंदर्य वातावरण को जोड़ती है, जो धूल और शोर अवरोधक बन जाता है और CO₂ का एक प्राकृतिक सिंक / अवशोषक भी बन जाता है। पौधों के विशाल योगदान को ध्यान में रखते हुए, सेल अपने प्रारंभिक चरण से ही अपने संयंत्रों और खानों में धार्मिक रूप से व्यापक वनरोपण कार्यक्रम को अपना रहा है। सेल संयंत्रों और खानों में अब तक 21.21 मिलियन से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वृक्षारोपण पर विशेष बल देते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान 1.72 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।



फ. कंपनी की रणनीतिक पहल

आपकी कंपनी ने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें जैविक विकास, ब्राउन-फील्ड परियोजनाएं, रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व, नई खदानों को विकसित करके कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संबद्ध क्षेत्रों में विविधता लाना आदि शामिल हैं। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, सेल ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे बिजली उत्पादन, रेल वैगन निर्माण, स्लेग सीमेंट उत्पादन, नए विदेशी स्रोतों से कोकिंग कोल की आपूर्ति हासिल करने आदि में संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है। वर्तमान में एक संयुक्त उद्यम में पेलेट निर्माण, बिजली वितरण की आउटसोर्सिंग और सेल टाउनशिप में टाउनशिप रखरखाव सेवाओं आदि जैसे क्षेत्रों में नई पहल की खोज की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सेल के दो संयुक्त उपक्रमों अर्थात्, सेल मोइल फेरो अलॉयज (पी) लिमिटेड और सेल बंगाल अलॉय कार्बिड्स (पी) लिमिटेड, जिनका गठन क्रमशः मॉयल लिमिटेड और बर्न स्टील कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था, जो उड़ान भरने में विफल रहा था, उनको बंद करना पूरा किया गया। सेल बोर्ड ने एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सेल और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम) से इस संयुक्त उद्यम में सेल द्वारा धारित शेयरों को टाटा स्टील लिमिटेड को हस्तांतरित करके सेल के बाहर निकलने को भी मंजूरी दी। टाटा स्टील लिमिटेड के साथ शेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

- **सेल संयंत्रों का विनिवेश:** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों अर्थात् विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील प्लांट (एसपी), दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल आदि के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी।

इसके बाद, सेल बोर्ड ने इन इस्पात संयंत्रों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सचिव (डीआईपीएएम) करते हैं और इसकी सह-अध्यक्षता सचिव (इस्पात) द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, सेल और निदेशक (वित्त), सेल आईएमजी में विशेष आमंत्रित हैं।

सेल ने मेसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को लेनदेन सलाहकार (टीए) के रूप में, मेसर्स लूथरा और लूथरा विधि कार्यालय कानूनी सलाहकार (एलए) के रूप में, एसेट वैल्यूअर (एवी) के रूप में मेसर्स प्रोटोकॉल इश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, और विनिवेश प्रक्रिया में सेल की सहायता के लिए कर-सह-लेखा सलाहकार (टीसीए) के रूप में मेसर्स केपीएमजी को नियुक्त किया है।

एसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) / रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) 4 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। ईओआई बोलियां 10 सितंबर, 2020 को खोली गईं और योग्य बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) और व्यापार हस्तांतरण समझौता (बीटीए) शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को जारी किए गए हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं द्वारा उचित परिश्रम प्रक्रियाधीन है।

व्यापार उत्कृष्टता पहल

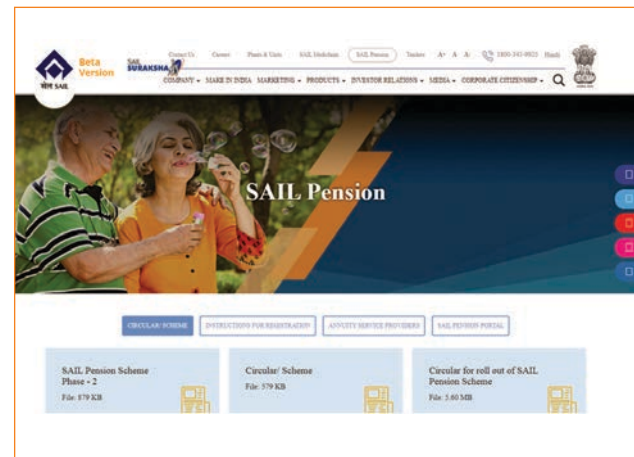
प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन

सेल के अधिकांश संयंत्र/इकाइयां आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएसएस 18000/आईएसओ 45000, एसए 8000, आईएसओ 50000 और आईएसओ 27000 प्रबंधन प्रणालियों से प्रमाणित हैं। इसके अलावा, तीसरे चक्र यानी 2020-2023 के लिए प्रमाणन एजेंसियों का पैनल मार्च, 2020 में छह प्रबंधन प्रणालियों यानी आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएसएस 18000/आईएसओ 45000, एसए 8000, आईएसओ 27000 और आईएसओ 50000 और संबंधित प्रशिक्षण के प्रमाणन के लिए पूरा किया गया था। अभी चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण, मौजूदा प्रमाणपत्रों के आसान संक्रमण और मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रबंधन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर दूरस्थ बाहरी / आंतरिक ऑडिट के साथ-साथ ऑन-साइट ऑडिट आयोजित किए गए।

इन्फॉर्मेशन टेक्नालजी संबंधित पहल

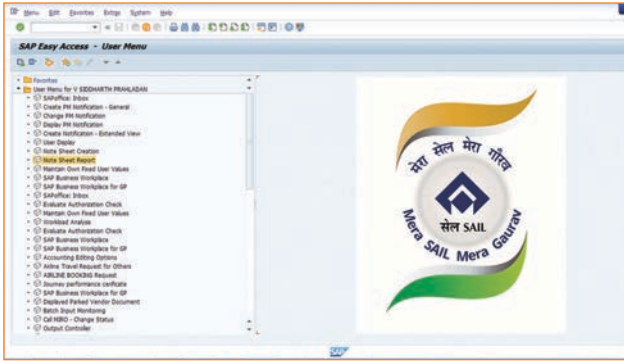
आज के गतिशील कारोबारी माहौल की दुनिया में, जहां प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ रही है, आपकी कंपनी अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बनाए रखने और सुधारने के लिए, बाजार में चुनौतियों का सामना करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नालजी (आईटी) का लाभ उठा रही है। इस उद्देश्य के साथ, आपकी कंपनी ने अपने सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों, विपणन संगठन और कॉर्पोरेट कार्यालय में पहले ही ईआरपी लागू कर दिया है। व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने, दक्षता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ परिचालन लागत को कम करने और अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए संगठन के भीतर विभिन्न आईटी पहलों को जारी रखने के लिए मजबूत आईटी सेटअप का लाभकारी उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पूरी की गई इनमें से कुछ पहलों नीचे दी हैं:

- सेल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पूर्व कर्मचारियों की सुविधा के लिए 'सेल पेंशन पोर्टल' विकसित किया गया है। पोर्टल संयंत्रों/यूनिट में संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के प्रसंस्करण और पेंशन राशि की गणना में सुविधा प्रदान करता है।



- 'केयर'— कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ाया जा सके।
- सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों के लिए केंद्रीकृत पेट्रोल सिस्टम (सीपीआरएस) लागू किया गया है, जिससे 65000 से अधिक कर्मचारियों के बैंक भुगतान केंद्रीय रूप से संचालित हो रहे हैं।
- कार्यकारी प्रदर्शन प्रबंधन के लिए नई ऑनलाइन प्रणाली ग्रेड ई-1 से ई-7 तक के अधिकारियों के लिए विकसित की गई है, जो अधिकारियों के उद्देश्य मूल्यांकन और उनके प्रशिक्षण और विकास की योजना सुनिश्चित करती है।

- आपकी कंपनी ने कड़े समय सीमा को पूरा करते हुए ई-चालान प्रणाली के तहत चालान पंजीकरण संख्या और त्वरित प्रतिक्रिया कोड उत्पन्न करने की वैधानिक आवश्यकता का सफलतापूर्वक अनुपालन किया। इसके आगे, कंपनी के सभी संयंत्रों/यूनिट में ईआरपी प्रणाली को सरकारी ई-वे बिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया था।
- पारदर्शिता के एक हिस्से के रूप में, 'सेल विक्रेता भुगतान क्वेशरी पोर्टल' को डिज़ाइन और तैनात किया गया है जहां विक्रेता अपने लंबित भुगतानों को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा, सेल स्टोर्स और स्पेयर्स की उच्च मूल्य सूची की निगरानी भी कर सकता है।
- कागज रहित कार्यालय की दिशा में एक कदम के रूप में, ऑन-लाइन नोट-शीट अप्रूवल सिस्टम, गोपनीयता सुनिश्चित करने और पहले की टिप्पणियों और अनुलग्नकों में परिवर्तन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके परिणामस्वरूप तेजी से निर्णय लेने, प्रस्तावों की आसान ट्रैकेबिलिटी के साथ-साथ चल रहे कोविड -19 महामारी के दौरान संपर्क रहित काम करने की सुविधा मिली।
- व्यवसाय स्वचालन को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को बकाया अधिसूचना, ब्याज बिल आदि पर स्वचालित मेलिंग और भुगतान वाउचर उत्पन्न करने पर विक्रेताओं को प्रावधान किए गए हैं।
- मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटलीकरण के विकास के साथ प्रौद्योगिकी छलांग और सीमा से बदल रही है। इस संबंध में, कुछ संयंत्रों में ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप आदि प्रक्रिया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मापदंडों की वास्तविक समय निगरानी मोबाइल पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, तेजी से निर्णय लेने के लिए, कंपनी के केंद्रीय विपणन संगठन से संबंधित संयंत्रों में उत्पाद मूल्य निर्धारण के प्रवाह को स्वचालित कर दिया गया है।



- भारत सरकार के जीईएम पोर्टल के माध्यम से अधिकतम खरीद की जा रही है और इसे सीधे भिलाई स्टील प्लांट में एसएपी/एसएपी-ईआरपी के साथ एकीकृत किया गया है और अन्य संयंत्रों/यूनिट में एकीकरण प्रगति पर है।
- चल रहे कोविड -19 महामारी के दौरान की गई पहल, आइसोलेशन वार्डों का गठन; कोविड-19 मामलों की रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में विभिन्न प्रणालियों/ऐप्स की शुरुआत; पीपीई और स्वच्छता उत्पादों की प्रतिपूर्ति के लिए निरंतर अद्यतन; लॉक डाउन अवधि के दौरान ऑनसाइट उपस्थिति रिकॉर्डिंग; 'रिमोट', वर्चुअल प्लेटफॉर्म आदि से वित्तीय और आईएसओ ऑडिट करना आदि में परिणामस्वरूप हुआ।
- चल रही कोविड-19 महामारी ने आपकी कंपनी को ऑनलाइन मोड के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और कर्मचारियों को दूरस्थ पहुंच की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाया है।
- यह महसूस करते हुए कि आईटी आगे का रास्ता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापार और वर्चुअल इंटरैक्शन में सुविधा के लिए सेल के सभी दूरस्थ स्थानों / खानों को अब इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है।

कॉरपोरेट कम्युनिकेशन तंत्र

विश्व ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ एक विघटनकारी परिवर्तन का अनुभव किया। इसने हमारे जीवन को हर तरह से बहुत प्रभावित किया है। व्यवसाय और उद्योग शुरू में कुछ समय के लिए जूझते रहे, इससे पहले कि वे बदलते परिदृश्य में समायोजित और अनुकूलन कर पाते, जहां अधिक कर रहे थे और अधिक काम ऑनलाइन अनिवार्य हो गया।



लंबे समय तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नए मानदंड बनने के साथ, कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक घरानों के कामकाज सहित, जीवन के हर पहलू में निरंतर और प्रभावी संचार की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बदले हुए परिदृश्य ने मांग की कि हितधारकों को कंपनी की गतिविधियों, प्राथमिकताओं, रणनीतियों और अन्य विकासों के बारे में लगातार सूचित और अद्यतन किया जाए।

रणनीतिक उद्देश्य

हाल के चुनौतीपूर्ण दौर में, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की उभरती भूमिका ने और भी अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद हितधारकों के साथ समय पर और निरंतर जुड़ाव आवश्यक हो गया है। दुनिया भर की कंपनियों ने संचारकों की एक पूर्ण और विकसित टीम के महत्व और अत्यधिक आवश्यकता को महसूस किया, जो नियमित और साथ ही संकट के समय में, संगठन के अच्छे शब्द और कार्यों को उचित परिप्रेक्ष्य और लोगो को ध्यान में रखते हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक चौबीसों घंटे चलने वाला अभ्यास है, जो हितधारकों और कंपनी के बीच की खाई को पाटता है, कंपनी की उभरती वास्तविकताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ कंपनी की सर्वश्रेष्ठ छवि को दुनिया के सामने लाने की रणनीति बनाता है। हितधारकों के जुड़ाव और कर्मचारी प्रेरणा को लगातार बढ़ावा देते हुए, कॉर्पोरेट संचार का ध्यान बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को संरेखित करने पर भी था।

आंतरिक संवाद



कोविड-19 अवधि के दौरान नियमित और सक्रिय संचार चैनल और इंटरफेस प्रभावित होने के कारण, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कर्मचारियों को प्रेरित और केंद्रित रखने के अतिरिक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप 24 जनवरी, 2021 (सेल स्थापना दिवस) को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 'सेल गौरव दिवस' का आयोजन किया गया। इस प्रकार, देश के कोने-कोने में फैले कंपनी के प्रत्येक संयंत्र/इकाई से भागीदारी सुनिश्चित करना। साथ ही, इस अवसर को मनाने के लिए कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच गर्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए 'मेरा सेल, मेरा गौरव' शीर्षक वाला एक नया सेल लोगो भी लॉन्च किया गया। लॉकडाउन के दौरान पूरे संगठन में लोगों के मनोबल और भावना को बढ़ाने के लिए शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के एक क्रॉस सेक्शन को शामिल करते हुए एक विशेष फिल्म बनाई गई थी।

बाहरी संवाद

आपकी कंपनी अपने बाहरी हितधारकों के साथ एक पारदर्शी चैनल बनाए रखती है और नियमित और समय पर प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया सूचना जारी करना उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कॉर्पोरेट वेबसाइट, जो कंपनी की जानकारी को उजागर करने और साझा करने का एक प्रभावी माध्यम भी है, को फिर से डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा, एक अच्छी तरह से

समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से, सेल के संयंत्रों और यूनिट के संवाद प्रयासों को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में प्रचार हुआ और कंपनी की छवि प्रबंधन में सुधार हुआ है।

मीडिया-प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सामाजिक

कंपनी के महत्वपूर्ण समाचारों को नियमित और समयबद्ध तरीके से साझा करके समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक सहित टेलीविजन, और वेब-आधारित मीडिया जैसे विभिन्न मीडिया के साथ सक्रिय और नियमित संवाद के माध्यम से उत्कृष्ट मीडिया संबंध बनाए रखा गया था। मीडिया को लगातार सेल द्वारा कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए की गई विभिन्न पहलों के बारे में सूचित किया गया था।

कोविड -19 संचार:

कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से अद्वितीय संचार उपकरणों की एक श्रृंखला निर्माण की गई है और अभी भी कोविड -19 और आपकी कंपनी द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना जारी है।

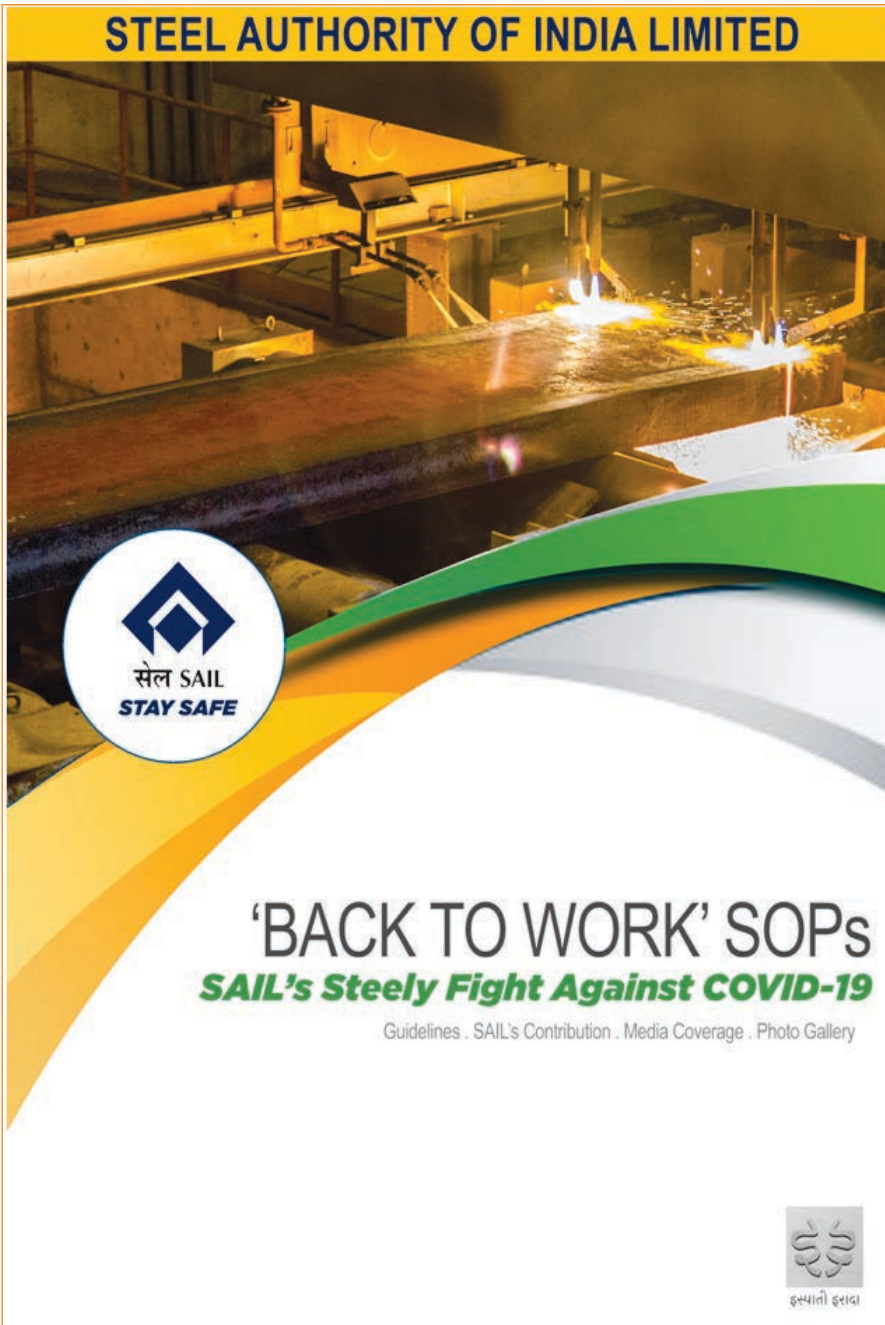
कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 'आरोग्य सेतु' पर एक क्रिएटिव तैयार करने में सेल के प्रयासों की माननीय प्रधान मंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। इसी के साथ, बैंकिंग क्षेत्र, स्वच्छता कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस, स्वयंसेवक, बिजली क्षेत्र के कर्मचारी, इस्पात क्षेत्र, आदि सहित कोरोना योद्धाओं के योगदान को पहचानने के लिए दस लघु फिल्मों की एक श्रद्धांजलि श्रृंखला की आंतरिक रूप से अवधारणा की गई थी। और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। ये नवोन्मेषी फिल्में बहुत लोकप्रिय हुईं और कई कोनों से अत्यधिक सराहना की गईं। लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने इस अवधि के दौरान सबसे अधिक देखे जाने वाले दो कार्यक्रमों, 'टेलीसीरियल 'रामायण' और 'महाभारत' पर 'स्टे होम, स्टे सेफ' के कोविड संदेश का रणनीतिक रूप से विज्ञापन और प्रचार किया। एक एसओपी भी कार्यस्थल पर वापस डिज़ाइन किया गया था और काम पर फिर से शामिल होने के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

ब्रांड आउटरीच

विज्ञापन और ब्रांड रिकॉल बनाने के लिए मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों का रणनीतिक उपयोग करते हुए, महामारी के समय व्यापक रूप से देखे जाने वाले माध्यमों का चयन किया गया था। इस संबंध में, दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान टेलीविजन पर एक प्रमुख सेल और सेल एसईक्यूआर ब्रांडिंग अभियान चलाया गया, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक देखे जाने वाले दो कार्यक्रम थे। इसने सेल ब्रांड को जबरदस्त प्रचार दिया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ब्रांड मैन्युअल के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया और देश भर में सेल के सभी ब्रांडेड उत्पादों के लिए ब्रांडिंग के मानकीकरण में मदद की।

सरकारी पहलों का कार्यान्वयन

विभिन्न सरकारी पहलों के लिए नियमित संचार अभियान जैसे आत्मानिर्भर भारत अभियान, जन आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, योग दिवस, आदि आयोजित करने के अलावा आपकी कंपनी ने मार्च 2021 के महीने में दांडी मार्च के स्मरणोत्सव के लिए विशेष अभियान चलाया। साथ ही, सरकार के कोविड-19 जागरूकता अभियानों को पूरे वर्ष विभिन्न समयों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।



सोशल मीडिया प्रयास

इसके अलावा, कंपनी की जानकारी के व्यापक प्रसार और विभिन्न हितधारकों के बेहतर जुड़ाव के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग किया गया। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सेल की सोशल मीडिया पैठ में औसत वृद्धि में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई।

ग. सेल सतर्कता गतिविधियां

सेल सतर्कता का उद्देश्य संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए लोगों को सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु से, सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय कार्यों पर अधिक जोर देते हुए निवारक, सक्रिय और दंडात्मक कार्रवाई करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई थी:

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, खरीद/संविदा प्रक्रिया, आचरण और अनुशासन नियम, सामान्य अनियमितताएं, प्रणाली और सेल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आदि पर सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए 2854 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए कुल 211 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। अगस्त 2020 और सितंबर 2020 के महीनों में, इस्पात मंत्रालय और सीवीसी द्वारा इस्पात मंत्रालय के तहत सभी सीपीएसई के साथ नए प्रवेशकों और मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रेरण कार्यक्रमों में दो दिवसीय निवारक सतर्कता मॉड्यूल को शामिल करने के संबंध में चर्चा की गई। सीवीसी और इस्पात मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार, सेल ने 24 और 25 सितंबर 2020 को मिश्रित मोड में मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय निवारक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के समापन सत्र की शोभा श्री संजय कोठारी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त; श्री सुरेश एन. पटेल, सतर्कता आयुक्त; श्री पी.के. त्रिपाठी, सचिव, इस्पात, और सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारी इनसे बढ़ाई गई। मार्च 2021 तक ऐसे चौबीस समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें कुल 1012 मध्य स्तर के कार्यपालक और सेल के 142 नए प्रवेशकों को शामिल किया गया है।
- कंपनी के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से संयुक्त जांच सहित आकस्मिक जांच की जाती थी। विभिन्न संयंत्रों/यूनिट में फाइल संवीक्षा और संयुक्त जांच सहित कुल 2330 आवधिक जांच की गई।
- सतर्कता अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रचलित प्रणालियों में सुधार के लिए परिचालन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तदनुसार, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में पंद्रह प्रमुख प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एसआईपी) शुरू की गईं।
- विभिन्न संयंत्रों/यूनिट में गहन जांच के लिए 14 मामले लिए गए। इन गहन परीक्षाओं के दौरान, उच्च मूल्य की खरीद / अनुबंधों की व्यापक जांच की जाती है और सुधार के सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक सिफारिशें भेजी जाती हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सेल में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह की शुरुआत 27 अक्टूबर 2020 को सेल कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में सत्यनिष्ठा की शपथ लेने और गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़ने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम, भ्रष्टाचार विरोधी मार्च/वाकाथॉन, ग्राहक बैठक आदि का आयोजन किया गया। इसके अलावा, सेल में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आउटरीच उपायों के रूप में, सेल के विभिन्न टाउनशिप में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए भाषण/वक्तृत्व प्रतियोगिता, पोस्टर/ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता, इंटरस्कूल वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई:

- 2017 और 2018 में लागू एसआईपी का ऑडिट।
- प्लांट/यूनिट परिसर के अंदर स्क्रेप/सेकेंडरी सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग/परिवहन की जांच।
- खुले/वैश्विक निविदा मामलों में बोलीदाताओं (पात्र और अपात्र दोनों) की पात्रता मानदंड पूर्ति की जांच।
- कार्मिक विभाग से संबंधित मामलों की जांच जैसे कि भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति/स्थानान्तरण, स्थानांतरण पर सुविधाओं का प्रतिधारण, आदि।

सेल विजिलेंस का इन-हाउस प्रकाशन 'प्रेरणा-प्रेरणा' नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकाशन में पाठकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए केस स्टडी और सूचनात्मक लेख शामिल हैं।

1 अप्रैल 2020 तक, कुल 119 शिकायतें लंबित थीं और 31 मार्च 2021 तक समापन शेष 75 था। 2020-21 के दौरान शिकायतों के निपटान का सारांश इस प्रकार से है:

शिकायतों का निपटारा

गुमनाम/छद्मनाम के रूप में बंद (सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप दायर किये गए)	290
बिना किसी सतर्कता कोण/आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण बंद किए गए	270
अन्य विभागों को संदर्भित	142
निवारक/प्रशासनिक अनुशंसाओं के साथ बंद किए गए	104
नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीए) शुरू की गई	
(9 कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी सजा के 8 मामले और 41 कर्मचारियों के खिलाफ मामूली दंड के 24 मामले शामिल हैं)	32
कुल निपटारे	838

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सतर्कता तंत्र को अपनाया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड के निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए यह तंत्र स्थापित किया गया है। यह तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति देता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण को कवर करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तरों को इस रिपोर्ट के अनुबंध-1 पर रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां और इस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

लागत लेखा परीक्षक

लागत खातों की लेखापरीक्षा के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली, मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई और मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के **अनुबंध-III** में दिया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकन के संबंध में, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, यह कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी द्वारा भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। कंपनी ने अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में अवलोकन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसूची-द्वितीय भाग डी (ए) के साथ पठित विनियम 17(10), 25(4) और 19(4) के अनुसार नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यह उल्लेख किया गया है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट अधिसूचित की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ उप धारा (2), (3) और (4) नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की धारा सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। इसके आगे, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अधिसूचना के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची IV में, सरकारी कंपनियों के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित खंडों को छूट दी गई है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संदर्भ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर ऑडिटर्स सर्टिफिकेट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

सेबी विनियमों के संदर्भ में, बोर्ड ने कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गयी है।

व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(f) के अनुसार, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी

इस्को-उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, जो पूर्ववर्ती इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, को बीआईएफआर द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था। आधिकारिक परिसमापक ने अपनी परिसमापन प्रक्रिया जारी रखी है।

आपकी कंपनी की सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड जैसी चार अन्य सहायक कंपनियां हैं। एसआरसीएल सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट का संचालन कर रहा है जिसे सेल ने 16 दिसंबर 2011 को बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड से अधिग्रहित किया था। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, जगदीशपुर में गैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना के लिए निगमित और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिंदरी यूनिट के पुनरुद्धार के लिए निगमित शुरू नहीं हो पाए। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कंपनी रजिस्टर से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य अल्ट्रा मेगा स्टील परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण जैसी विकासवात्मक प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक करना, आर एंड आर गतिविधियां, बिजली और पानी के संबंध सुनिश्चित करना, पर्यावरण मंत्रालय से

आवश्यक वैधानिक अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करना, वन और जलवायु परिवर्तन, आदि था। इस परियोजना को अब सेल द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते और संबंधित विस्तृत जानकारी होल्डिंग और सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को, किसी भी समय इस तरह की जानकारी मांगने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित सहायक कंपनियों में कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरधारकों को सहायक कंपनियों के खातों के विवरण की एक सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की जाएगी।

संकुचित आर्थिक विभाग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तरों को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-VI** में रखा गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां, 2013 और उस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुबंध-VII** में दिए गए हैं। इसके अलावा, निर्धारित प्रपत्र एओसी-1 में सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-VIII** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का उद्घरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IX** में रखा गया है।

बोर्ड की बैठक

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 9 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन शुरू में कंपनी द्वारा 1998 में किया गया था। सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अनुसार समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड को परिचालित किए जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है और उन पर ध्यान दिया जाता है। लेखापरीक्षा समिति से संबंधित संरचना और अन्य विवरण **अनुबंध-IV** में कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित नीतियां और प्रक्रियाएं हैं, जैसे की व्यापार के पारदर्शी, कुशल और नैतिक आचरण के लिए और इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी के लिए पालन किया जाता है। इसके साथ ही, कंपनी के पास एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना है, और मजबूत प्रबंधन प्रक्रियाएं, नियंत्रण, नीतियां और दिशानिर्देश हैं जो संगठन को अपने व्यावसायिक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं।

आपकी कंपनी के मजबूत प्रोटोकॉल जैसे स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट, प्रलेखित नीतियां, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, ऑडिट कमेटी / बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा आदि, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनुपालन में मदद करता है। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जहां बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की प्रभावशीलता और इसकी पर्याप्तता की रिपोर्ट करने के लिए सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के अनुसार किया गया है।

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(3) (सी) के अनुसार, निदेशकों का कहना है कि:

- वार्षिक खातों को तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- निदेशकों ने चालू-चिंता के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को निर्धारित किया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; तथा
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अनुसार, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह कहते हुए आवश्यक घोषणा की गई है कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के साथ बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में अपने नाम के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-X में दिया गया है।

धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन व्यापार के सामान्य क्रम में और एक हाथ की लंबाई के आधार पर थे। वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा किया गया है। इसलिए, धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण और फॉर्म एओसी-2 में इस तरह के अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति को अपनाया गया है। यह पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट https://sail.co.in/sites/default/files/Dividend_Distribution_Policy_2017.pdf पर अपलोड की गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पटित, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-XI में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) एक रणनीतिक व्यापार अनुशासन है जो अपने जोखिमों को संबोधित करके और इन जोखिमों के प्रभाव का प्रबंधन करके संगठन के उद्देश्यों का समर्थन करता है। यह निवेश, कमाई और रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन जोखिमों पर जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए किसी संगठन की गतिविधियों की योजना, समन्वय, निष्पादन और प्रबंधन का अभ्यास है।

आपकी कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को वैधानिक आवश्यकता बनने से बहुत पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और तब से, सेल में जोखिम प्रबंधन आंतरिक और बाहरी व्यापार और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप विकसित और विकसित हुआ है। यह नीति प्रबंधन को पूरे संगठन में व्यावसायिक जोखिमों के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि नियमित आधार पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उनको कम किया जाता है।

वर्तमान में, सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन की संरचना में एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई बहुस्तरीय संगठन संरचना शामिल है, जिसमें प्रत्येक संयंत्र/यूनिट के अपने स्वयं के कथित जोखिम हैं जो जोखिम मालिकों/जोखिम चैंपियंस द्वारा निरंतर निगरानी में हैं जो जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करते हैं और उसे लागू करते हैं और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाते हैं। संयंत्र/यूनिट के प्रमुख की अध्यक्षता में संयंत्र/इकाई की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जोखिमों और इसकी कमी की स्थिति की समीक्षा करती है और सेल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को इसकी रिपोर्ट करती है।

सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) कंपनी में नीति निर्माण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है और साथ ही इसकी निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य का मूल्यांकन करती है। जोखिम चैंपियन/जोखिम अधिकारी द्वारा पहचाने गए जोखिमों पर जोखिम प्रबंधन समिति में विचार-विमर्श किया जाता है और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति तैयार की जाती है। बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति, सेल जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन संचालन समिति, सीआरओ, जोखिम प्रबंधन से संबंधित जोखिम अधिकारी/जोखिम चैंपियन की भूमिका और जिम्मेदारी नीति के तहत परिभाषित की गई है और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। आपकी कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति इसकी वेबसाइट <https://sail.co.in/company/company-policies> पर अपलोड की गई है।

कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पर्यायवाची है। इस्पात निर्माण के व्यवसाय के अलावा, आपकी कंपनी का उद्देश्य उन तरीकों से व्यवसाय करना है जो उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं जिनमें यह संचालित होता है। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर समाज पर उसके व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने से शुरू होता है। अंतर्निहित दर्शन और लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के सिद्धांत के साथ, आपकी कंपनी शुरू से ही सीएसआर पहलों की संरचना और कार्यान्वयन करती रही है। इन कोशिशों ने अंधेरे गाँवों को देखा है, जहां सेल संयंत्र स्थित हैं, वे आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदल जा चुके हैं।

आपकी कंपनी की सीएसआर पहल हमेशा कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 और सीएसआर और स्थिरता, 2014 पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है। सेल देश भर में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्पात टाउनशिप, खानों और दूर-दराज के स्थानों की परिधि में और उसके आसपास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता, परिधीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों को सहायता, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि सीएसआर परियोजनाओं को अंजाम देता है।

निर्धारित प्रारूप में सीएसआर पर रिपोर्ट के साथ कंपनी द्वारा की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-XII में दिया गया है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

कोविड-19 पर सीएसआर पहल

कोविड -19 महामारी ने विश्व स्तर पर एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। भारत में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा परिणामी तालाबंदी ने समाज के कमजोर वर्गों पर अपना प्रभाव डाला है। आपकी कंपनी, एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट संगठन के रूप में, अपनी सुविधाओं/परिसरों, संयंत्रों/इकाइयों के कर्मचारियों और साइट पर काम करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सेल ने अपने संयंत्रों, इकाइयों, खानों और टाउनशिप में महामारी के प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) कोष में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष/कोविड-19 कोष में प्रत्येक के लिए ₹4 करोड़ / 1 करोड़ का योगदान दिया।

सेल ने रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत सरकार के साथ साझेदारी करने के अपने प्रयास में देश के विभिन्न राज्यों को 83000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की है।

सेल संयंत्रों ने संयंत्रों से समर्पित पाइपलाइनों के माध्यम से गैसीय ऑक्सीजन से लैस अलग जंबो कोविड -19 देखभाल सुविधाएं स्थापित की हैं, जैसे की इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर में 10 वेंटिलेटर और 8 आईसीयू बेड के साथ 200 बेड की सुविधा; दुर्गापुर स्टील प्लांट में 200 बिस्तरों वाला कोविड केयर अस्पताल; भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में 114 बिस्तरों की देखभाल सुविधा; राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में 50 वेंटिलेटर से जुड़े बिस्तरों सहित 100 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के साथ इस्पात निदान केंद्र; सेलम स्टील प्लांट के परिसर में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर (ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ) आदि स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, बढ़े हुए कोविड -19 मामलों से निपटने के लिए, सेल अस्पतालों ने चौबीसों घंटे हेल्थकेयर का विस्तार करने के लिए 900 से अधिक योग्य डॉक्टरों और 1500 पैरा-मेडिकल कर्मचारियों द्वारा संचालित, ऑक्सीजन समर्थन और 129 आईसीयू के साथ 1000 समर्पित कोविड -19 बेड निर्धारित किए हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट वाले बेड, 600 बेड की क्वारंटाइन सुविधाएं बनाई और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय में आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू-एनएटी जैसी कोविड -19 परीक्षण सुविधाएं विकसित कीं। इसके अलावा, सभी परिधीय गांवों में निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर का उपयोग करके टच-फ्री हैंड सैनिटाइजर, पानी के डिस्पेंसर, कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की व्यवस्था की गई है।

सेल, जिला अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उसके कर्मचारियों की मदद से, इस्पात संयंत्रों और यूनिट के परिधीय क्षेत्रों में कोविड -19 वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन नियमों, सामाजिक दूरियों के मानदंडों और आरोग्य सेतु ऐप के प्रभावी उपयोग को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।

समाज के कमजोर वर्गों, दैनिक वेतन भोगी/मजदूरों, गरीब किसानों और उनके परिवारों, जो महामारी के दौरान घटते संसाधनों के साथ रह गए हैं, का समर्थन करने के लिए, सेल संयंत्र और इकाइयां जिला अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के लिए सूखे राशन के पैकेट (चावल, दाल, नमक, मसाले, गेहूं का आटा, साबुन, आदि), दूध के पैकेट, दूध पाउडर, खिचड़ी, नियमित दवाएं, सैनिटरी नैपकिन, आदि वितरित कर रहे हैं। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन पका भोजन भी परोसा जा रहा है। सेल संयंत्र/यूनिट भी मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ले जा रही हैं। संयंत्रों के सीएसआर विभाग भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से फेस मास्क, गमछा, एप्रन, दस्ताने आदि की सिलाई की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, और परिधीय क्षेत्रों, जिला अधिकारियों, इस्पात मंत्रालय/पीएमओ को उनके वितरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य देखभाल: सेल के व्यापक और विशिष्ट हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2011-2020 की अवधि के दौरान अपने संयंत्रों और इकाइयों के आसपास रहने वाले 173.6 लाख लोगों को विशेष और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। जरूरतमंदों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए विभिन्न गांवों में संयंत्रों/इकाइयों/खानों की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए निश्चित दिनों पर नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं और 5 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) ने प्लांट/यूनिट/खानों के परिधीय क्षेत्रों में लगभग 46,900 ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है। संयंत्रों के

24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने 34,000 कोविड-19 रोगियों सहित 95,000 से अधिक रोगियों को विशेष रूप से मुफ्त चिकित्सा देखभाल और दवाएं प्रदान कीं।

इसके साथ ही, बढ़ती कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, कंपनी इस अवसर पर पहुंची और 100, 200 और 200 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के साथ नए विकसित अत्याधुनिक जंबो कोविड उपचार केंद्र, मई/जून, 2021 की अवधि के दौरान राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और बर्नपुर में फास्ट-ट्रैक मोड में बनाए गए। ये केंद्र कोविड से संबंधित चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देंगे और इस क्षेत्र के रोगियों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

शिक्षा: शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए, सेल लगभग 77 स्कूलों का समर्थन कर रहा है, स्टील टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, 20 विशेष स्कूल (कल्याण और मुकुल विद्यालय) एकिकृत स्टील प्लांट स्थानों पर लगभग 4939 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को। सीएसआर के तहत मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी सहित जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतल आदि की सुविधा के साथ लाभान्वित कर रहे हैं। सेल ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से, भिलाई और राउरकेला के 600 से अधिक सरकारी स्कूलों में लगभग 59,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है।

महिला सशक्तिकरण और सतत आय का निर्माण:



नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, बेहतर कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, सुअर पालन, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, सूत की बुनाई, सिलाई, सिलाई और कढ़ाई, दस्तानों, मसाले, तौलिये, गनी बैग, सस्ते सैनिटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, धुआं रहित चूल्हा बनाना आदि ऐसे क्षेत्रों में स्थायी आय सृजन की दिशा में लक्षित व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण 383 युवाओं और परिधीय गांवों की 703 महिलाओं को प्रदान किया गया है। आई.टी.सी. बोलानी, बड़गांव, बलियापुर, बोकारो निजी आई.टी.आई. तथा राउरकेला आदि में आई.टी.आई. प्रशिक्षण के लिए 666 युवाओं को प्रायोजित किया गया है।



ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पानी की सुविधा: सेल की स्थापना के बाद से, 450 गांवों में 79.03 लाख से अधिक लोग सड़कों के निर्माण और मरम्मत के द्वारा मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। स्थापना के बाद से 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो गया है।

पर्यावरण संरक्षण: टाउनशिप में पार्कों, जल निकायों, वनस्पति उद्यानों का रखरखाव और 5 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण और रखरखाव किया जा रहा है।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता: दिव्यांग बच्चों/लोगों को उपकरणों के प्रावधान के माध्यम जैसे—तिपहिया वाहन, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग आदि से सहायता प्रदान की जा रही है। सेल, सेल संयंत्रों में “अंधे, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल” और राउरकेला में “होम एंड होप”; बोकारो में “आशालता केंद्र”; दुर्गापुर में “विकलांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम” और “दुर्गापुर विकलांग हैप्पी होम” जैसे विभिन्न कार्यक्रम; और बर्नपुर में “चेसायर होम”। भिलाई में “सियान सदन”, दुर्गापुर में “आचार्यधाम और बादशाह”, “सीनियर। राउरकेला में सिटीजन होम” आदि केंद्रों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

खेल, कला और संस्कृति: सेल नियमित रूप से अंतर-ग्राम खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजनों और टूर्नामेंटों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा, इच्छुक खिलाड़ियों और महिलाओं का बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) में अपनी आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से — विश्व स्तरीय एस्ट्रो-टर्फ ग्राउंड, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरिबुरु, झारखंड (तीरंदाजी) के साथ समर्थन और कोचिंग करता है। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं।

आकांक्षी जिलों का विकास: भौतिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास प्रदान करने के लिए, सेल ने 7 आकांक्षी जिलों, अर्थात्, छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव और झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, रांची और हरियाणा में नूंह में सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं।

सामुदायिक जुड़ाव (सेवा) योजना के लिए स्वयंसेवा और पहल प्रदान करने वाले सेल कर्मचारी: सेल कर्मचारियों द्वारा स्वयंसेवी गतिविधियों और सामुदायिक आउटरीच का समर्थन करने के लिए ‘सेवा’ योजना शुरू की गई है। इसने समान विचारधारा वाले कर्मचारियों मतलब जो समाज को कोविड-19 महामारी के नतीजों से निपटने में मदद करने के अपने प्रयास में एकजुट होने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही आवश्यक मंच प्रदान किया है। सेवा पोर्टल पर 29,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है।

सामान्य प्रकटीकरण

- वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था। तथापि, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं के विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

- श्री अतुल श्रीवास्तव प्रभावी कार्य दिवस 10 जून, 2020 से असमय निधन के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री विवेक गुप्ता प्रभावी कार्य दिवस 31 जुलाई, 2020 से निदेशक नहीं रहे।
- सीए के.एस. चौहान और प्रो. एन.के. तनेजा प्रभावी कार्य दिवस 21 सितंबर, 2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- श्री हरिनन्द राय, निदेशक (तकनीकी) प्रभावी कार्य दिवस 28 सितंबर, 2020 को निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) के रूप में पुनः नामित किया गया।
- श्री अनिबान दासगुप्ता, निदेशक (परियोजनाएं और व्यवसाय योजना) प्रभावी कार्य दिवस 28 सितंबर, 2020 को निदेशक (प्रभारी-भिलाई इस्पात संयंत्र) के रूप में फिर से नामित किया गया है।

- श्री अमरेंद्र प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक (अध्यक्ष सचिवालय) प्रभावी कार्य दिवस 28 सितंबर, 2020 को निदेशक (प्रभारी-बोकारो इस्पात संयंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कपड़ा मंत्रालय, वित्तीय सलाहकार, प्रभावी कार्य दिवस 5 नवंबर, 2020 से इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार वाले निदेशक नहीं रहे।
- श्री शशांक प्रिया, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार रखते हुए, 17 दिसंबर, 2020 से 22 अप्रैल, 2021 तक कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में थे।
- श्री अनिल कुमार चौधरी प्रभावी कार्य दिवस 31 दिसंबर, 2020 से अध्यक्ष नहीं रहे।
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) प्रभावी कार्य दिवस 1 जनवरी, 2021 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- इस्पात मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री सुकृति लिखी प्रभावी कार्य दिवस 23 अप्रैल, 2021 को सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्वीकृति

निदेशक मंडल सेल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए ईमानदार, अथक और समर्पित प्रयासों और योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। निदेशकों ने विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दीपम, नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, रेलवे, राज्य सरकारों से भारत सरकार, नियामक और सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग, बिजली बोर्ड, आदि का सराहना की गहरी भावना के साथ स्वीकार किया, बोर्ड अपने सभी हितधारकों, बैंकों, विक्रेताओं, ग्राहकों, निवेशकों, सलाहकारों और सदस्यों सहित उनके संगठन में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं।

आपकी कंपनी के निदेशक महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए बेहद आभारी हैं और कोविड-19 महामारी के कारण मानव जीवन के नुकसान पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

S. Mandal
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 1 सितंबर, 2021

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी विनियम 2015 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अनिवार्यताएं) के विनियम 34(2)(ई) के संदर्भ में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का प्रबंधन कंपनी के निष्पादन और दृष्टिकोण को शामिल करते हुए अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

क. उद्योग संरचना और विकास

विश्व आर्थिक वातावरण

पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं अभी भी कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संचालित हो रही हैं जिसने 2019 के उत्तरार्ध में विश्व पर आक्रमण किया था और 2020 में अपने चरम पर थी। पूरे विश्व में देशों ने मानव जीवन, रोजगार में अकल्पनीय हानि का सामना किया और व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में पूरे विश्व को भारी धक्का लगा जिस कारण आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी। महामारी ने चिकित्सा साधनों को बुरी तरह से तनाव में डालते हुए विश्व में अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट सृजित किया। अनिश्चितताओं की स्थिति और ठीक होने की असमान गति के बीच, अर्थव्यवस्था की मंदी के पूरे आकलन को सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 पूरी तरह से महामारी की और असाधारण परिस्थितियों के तहत संचालित किए गए व्यापार के प्रभाव में था। हालांकि, बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों और विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों और समर्थक नीतियों को अपनाने के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के चिह्न दिखाई देने लगे हैं, किंतु पूरी तरह से वापिस उसी स्थिति को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है जिसे स्थिर गति प्राप्त करने में समय लगेगा। उभरते हुए बाजारों में सुधारों में स्थिरता आना अभी बाकी है और सुधार के मार्ग में वायरस की तदनुसूची लहर खतरा नहीं हुई है। वैश्विक रूप से बाधा आपूर्ति श्रृंखलाओं से पूरे विश्व में व्यापार और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

अप्रैल, 2021 में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 6 प्रतिशत की दर पर वृद्धि होने के बाद 2022 में संतुलित होकर 4.4 प्रतिशत है। 2020 में -3.3 प्रतिशत का अनुमानित संकुचन था। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सिकुड़ कर 4.7 प्रतिशत होने और उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2020 में लगभग 2.2 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया था।

कोविड-19 ने पूरे विश्व के देशों की वृद्धि दर पर अभूतपूर्व घटना हुआ प्रभाव डाला और 2020 के पूर्वार्ध में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया। वित्तीय वर्ष के दूसरे उत्तरार्ध ने आशा से कहीं अधिक सुदृढ़ सुधरी हुई जी डी पी देखी किंतु निष्पादन अधिकतर देशों में महामारी पूर्व प्रवृत्तियों से महत्वपूर्ण रूप से निम्न बना रहा। महामारी ने बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को अत्यधिक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि वे अभी भी म्यूटेटिंग वायरस, वेक्सीनेशन संबंधी मुद्दों, निम्न वस्तु कीमतों और निर्यातों में गिरावट की समस्या से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संभावित सुधार वर्ष के दौरान वैक्सीन संचालित गतिविधि के सुदृढ़ीकरण और कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अतिरिक्त नीति समर्थन की आशा पर आधारित है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अनुमानों का अवलोकन निम्नानुसार है :

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अनुमान (प्रतिशतांक परिवर्तन)

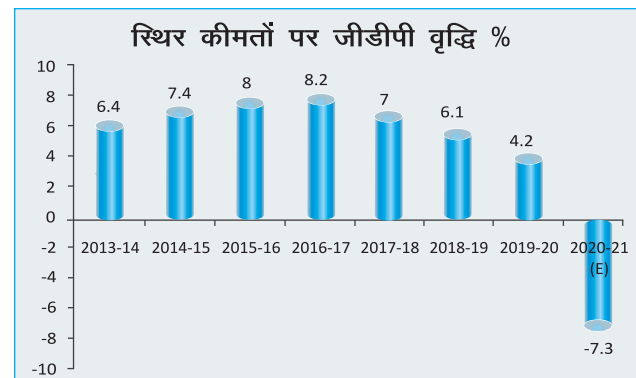
	वर्ष दर वर्ष		
	अनुमान	प्रक्षेपण	
	2020	2021	2022
विश्व आउटपुट	-3.3	6.0	4.4
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	-4.7	5.1	3.6
संयुक्त राज्य	-3.5	6.4	3.5
यूरो क्षेत्र	-6.6	4.4	3.8
जापान	-4.8	3.3	2.5
उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	-2.2	6.7	5.0
चीन	2.3	8.4	5.6
भारत	-8.0	12.5	6.9
ब्राजील	-4.1	3.7	2.6
रूस	-3.1	3.8	3.8

स्रोत : आई एम एफ विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन अप्रैल, 2021

भारतीय आर्थिक पर्यावरण

विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों, बुनियादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और आर्थिक गतिविधियों का पुनः आरंभ करने के जरिए शीघ्रातिशीघ्र अर्थव्यवस्था को

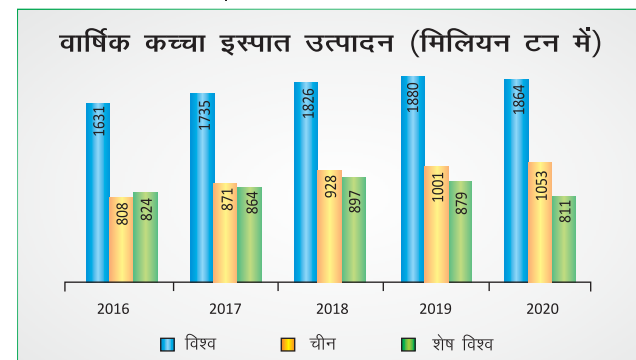
पुनर्जीवित करने के सरकार के मुख्य फोकस के साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया है। चरणबद्ध रूप में, विकास की गति को फिर से प्राप्त करने की संभावनाएं स्पष्ट हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, उनके अद्यतन अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वृद्धि के (-) 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था, हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण संकुचित हो गई है, यह संकुचन दर पहली तिमाही के दौरान 22.4 प्रतिशत घटकर दूसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत हो गई है और तीसरी तिमाही में यह 1 प्रतिशत थी और चौथी तिमाही में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह आशा की जाती है कि हालांकि, दूसरी लहर के कारण शहरी मांग पर प्रभाव पड़ा है, किंतु एक उचित कार्य वातावरण के लिए व्यापारियों द्वारा नए कोविड संगत व्यावसायिक मॉडल्स को अपनाने से आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिल सकता है विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में जहां अधिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। (स्रोत: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51754)



खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में अप्रैल, 2020-मार्च, 2021 की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) में संवर्धन वृद्धि क्रमशः (-) 7.8 प्रतिशत, (-) 9.8 प्रतिशत और (-) 0.5 प्रतिशत थी। इसी अवधि में, जहां उपभोक्ता स्थायी वस्तुओं ने 15.2 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की, उपभोक्ता अस्थायी वस्तुओं ने 2.3 प्रतिशत की कम गिरावट दर्ज की। पूंजीगत वस्तुओं ने 19.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जबकि बुनियादी/निर्माण वस्तुओं ने 9.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

विश्व स्टील

वर्ष 2021 और 2022 के लिए अप्रैल, 2021 में विश्व स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी कम अवधि के भारत रैंज दृष्टिकोण में, यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि स्टील की मांग में 2020 में 0.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद, 2021 में इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 1864 मिलियन टन (मी. ट.) हो जाएगी, भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि संक्रमण की दूसरी या तीसरी लहर दूसरी तिमाही में स्थिर रहेगी और टीकाकरण में स्थिर प्रगति होगी, जो स्टील का प्रयोग करने वाले मुख्य देशों में सामान्य स्थिति को क्रमिक रूप से वापस लाने की अनुमति देगी। कोविड-19 महामारी के विध्वंसकारी प्रभावों के बावजूद, स्टील उद्योग भाग्यशाली था और विभिन्न अन्य उद्योगों के विपरीत वर्ष 2020 सीमित संकुचन के साथ गुजर गया। एशिया 2020 में 1374.9 मी. ट. कच्चे स्टील के उत्पादन के लिए उत्तरदायी था जो 2019 की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चीन का 2019 में 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 1064.8 मी. ट. के आउटपुट के साथ विश्व में कच्चे माल के उत्पादन पर आधिपत्य जारी रहा। विश्व स्टील उत्पादन में चीन का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :



2019 की तुलना में भारत के अपरिष्कृत स्टील उत्पादन में 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 100.3 मी. ट. पर स्थिर है। जापान में 2019 की तुलना में 16.2 प्रतिशत की गिरावट पर 2020 में 83.2 मी. ट. का उत्पादन हुआ। दक्षिण कोरिया का अपरिष्कृत स्टील का उत्पादन 2020 में 67.1 मी. ट. पर स्थिर था जो 2019 की तुलना में 6 प्रतिशत तक कम है। ई यू ने 2019 की तुलना में 2020 अपरिष्कृत स्टील आउटपुट में 139.1 मी. ट. पर 11.6 प्रतिशत की कमी देखी। जर्मनी ने 2020 में 35.7 मी. ट. अपरिष्कृत स्टील का उत्पादन किया जो 2019 की तुलना में 9.8 प्रतिशत कम था। यू. एस. में 2020 में उत्पादन 72.7 मी. ट. पर 17.2 प्रतिशत कम था।

10 शीर्ष स्टील उत्पादक देश

क्रम	देश	2020 (मी.ट.)	2019 (मी.ट.)	% चेंज
1	चीन	1064.8	995.4	7.0
2	भारत	100.3	111.4	-10.0
3	जापान	83.2	99.3	-16.2
4	संयुक्त राज्य	72.7	87.8	-17.2
5	रूस	71.6	71.7	-0.1
6	दक्षिण कोरिया	67.1	71.4	-6.0
7	जर्मनी	35.7	39.6	-9.8
8	तुर्की	35.8	33.7	6.2
9	ब्राजील	31.0	32.6	-4.9
10	ईरान	29.0	25.6	13.3

स्रोत : विश्व स्टील एसोसिएशन

स्टील उद्योग के लिए दृष्टिकोण

स्टील उद्योग में सकारात्मक खपत और मांग प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आने वाला समय बेहतर पक्ष की ओर देखता है। डब्ल्यू एस ए ने अपने पूर्वानुमान में 2022 में 1924.6 मी. ट. पर पहुंचते हुए स्टील मांग में 2.7 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की है। इसके साथ ही, यह भी विश्वास किया जाता है कि भविष्य में महामारी पश्चात विश्व में संरचनागत परिवर्तन भी स्टील की मांग के स्वरूप में परिवर्तन लाएंगे। स्टील उद्योग डिजीटलाइजेशन और ऑटोमेशन, संरचनागत पहलों, भादरी केन्द्रों और ऊर्जा रूपांतरण के पुनर्गठन के जरिए तीव्र विकासों से अवसर प्राप्त करेगा। (स्रोत: <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/worldsteel-short-range-outlook-april-2021.html>); भारत में खपत में वृद्धि का पूर्वानुमान 2021 में 19.8 प्रतिशत (106.1 मी. ट.) और 2022 में 5.9 प्रतिशत (112.3 मी. ट.) पर लगाया गया है।

भारतीय स्टील परिदृश्य

संयुक्त संघर्ष समिति (जे पी सी) के अनुसार, राजकोशीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपरिष्कृत स्टील का उत्पादन 102.4 मिलियन टन (मी. ट.) पर स्थिर था जो 2019-20 की तुलना में 6.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। तैयार स्टील उत्पादन ने भी पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान 94.7 मी. ट. पर 7.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल तैयार स्टील के निर्यात में 29.1 प्रतिशत से भारी वृद्धि होकर यह 10.8 मी. ट. हो गया, वहीं आयातों में 29.8 प्रतिशत की गिरावट आकर यह 4.8 मी. ट. रह गया।

93.4 मी. ट. पर भारत की तैयार स्टील की कुल खपत में 2020-21 में 6.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। 2021 में भारत में तैयार स्टील की मांग लगभग 106.1 मी. ट. रहने का अनुमान है जैसा कि विश्व स्टील एसोसिएशन द्वारा अनुमानित किया गया है।

ख. सेल के लिए अवसर और खतरे

अवसर

- बुनियादी ढांचा, पूंजीगत वस्तुओं और निर्माण जैसे स्टील गहन खंडों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों से एक त्वरित दबाव के साथ, स्टील उद्योग के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।
- पूंजी गहन परियोजनाओं में सरकारी व्यय में अनुमानित वृद्धि।
- कोविड-19 महामारी के बाद वृद्धि में एक तीव्र बदलाव आने की आशा है और स्टील मांग के उत्प्लावक बने रहने की आशा है।
- नई आरंभ की गई मिलें बुनियादी संरचना विकास को वहन करने के लिए जरूरी उत्पादों के प्रति उन्मुख है।
- मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों के लिए उच्च निर्यात क्षमता
- प्रचालन क्षमता और नई एवं आधुनिकीकृत यूनिटों के उपयोग के जरिए उत्पादन गुणवत्ता में सुधार और लागत के घटने की संभावना।

खतरा

- भारत में स्थित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टील कंपनियों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा।
- कोयले की कीमतों और विनिमय दर में अस्थिरता।

ग. जोखिम और चिंताएं

- नई मिलों के प्रारंभिक स्थिरीकरण के कारण, आंतरिक रूप से उत्पादन बढ़ाने में देरी पर चिंता। इसके अलावा, बढ़ते मूल्यहास और नई सुविधाओं में वृद्धि के कारण पूंजी संबंधी उच्च भुक्तियों ने भी व्ययों में वृद्धि की है।

एम एम डी आर संशोधन अधिनियम, 2021 का प्रभाव

खनिज (विकास और विनिमय) संशोधन अधिनियम (अधिनियम) जो 28 मार्च, 2021 को प्रवृत्त हुआ था, में व्यवस्था की गई है कि सरकारी कंपनियों के खनन लीजों की अवधि (नीलामी के जरिए प्रदत्त लीजों के अलावा) को एम एम डी आर अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में निर्धारित अतिरिक्त राशि को भुगतान पर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान के कारण, सेल की लौह अयस्क खानों, विशेषकर, झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़ में बी एस पी की कल्चरनागुर लीज को, कैप्टिव खपत के लिए इसके स्टील संयंत्र को लगभग 13 मिलियन टन लौह अयस्क का प्रेषण करने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 1,577 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ सकता है।

इसके अलावा, अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कैप्टिव खानों (परमाणु खनिज के अलावा) अपनी स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज उत्पादन के 50 प्रतिशत तक की बिक्री कर सकती है। पट्टेदार को खुले बाजार में बेचे गए खनिज के लिए अतिरिक्त प्रभार अदा करने पड़ सकते हैं जैसा कि अधिनियम की छठी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर, इन दोनों प्रावधानों के कारण, सेल को झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी लौह अयस्क (3.60 मी. ट. - ताजा लौह अयस्क और 7.00 मी. ट. - डम्प फाइन्स/टेलिंग) की बिक्री पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 1593 करोड़ (पांचवीं अनुसूची : 323 करोड़, छठी अनुसूची : 1270 करोड़) का अतिरिक्त भार वहन करना है।

इसके अलावा, अधिनियम के अनुसार, कोयला खनन लीजों के विस्तार के लिए, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में निर्धारित राशि के अतिरिक्त बोझ को वहन करना होता है, जो सरकारी कंपनियों को घाटे में डाल रहा है, वहीं पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत निजी पक्षकारों को अतिरिक्त लेवी की अदायगी किए बिना नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा। कंपनी विधिवत रूप से सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ा रही है।

• 'नो माइनिंग' क्षेत्र में होने के कारण चिरिया लौह अयस्क लीजों पर प्रभाव

चिरिया खान लीज (धोबिल लीज में पहले से ही खंडित क्षेत्र के अतिरिक्त) एम ओ ई एफ सी सी द्वारा अनुमोदित सारंदावन में स्थायी खनन के लिए प्रबंधन योजना (एम पी एस एम) में 'नो माइनिंग जौन' बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। सेल के पास लगभग 3.5 बिलियन टन (बी टी) के उपलब्ध लौह अयस्क स्रोत में से लगभग 42 प्रतिशत अर्थात 1.5 बी टी एक ही स्थान पर उपलब्ध है अर्थात झारखंड में सारंदा वन में चिरिया खान, जो न केवल भविष्य में विस्तार के लिए इनपुट कच्चे माल को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सेल की अन्य संचालित खानों पर घटते संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जारी विस्तार का भी ध्यान रखेगा।

इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, एम ओ ई एफ सी सी ने अब पुनर्मूल्यांकन समिति गठित की है जिसमें आई सी एफ आर ई, भारतीय वन सर्वेक्षण, एम ओ ई एफ सी सी, आई आई टी (आई एस एम) धनबाद, आई आई टी खड़गपुर, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार के सदस्य, एम पी एस एम में परिगोषणों/संगोषणों के बारे में सुझाव देने के लिए शामिल किए गए हैं।

इसी बीच, सेल नियमित रूप से 31 मार्च, 2020 के बाद चिरिया लीजों की लीज अवधि में विस्तार के लिए झारखंड सरकार के पास मामले को आगे बढ़ा रही है।

• एम ओ ई एफ सी सी द्वारा चरण-1 वन स्वीकृति देने में विलंब

किरीबुर और मेघाहातुबुर खानों के दक्षिणी और केन्द्रीय ब्लॉकों में नई खनन पिट्स के विकास के लिए चरण-1 वन स्वीकृति अक्टूबर, 2010 में प्रदान की गई थी और अप्रैल, 2016 में एम ओ ई एफ सी सी के अनुमोदन हेतु झारखंड सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

तथापि, अनुमोदन सारंदा वन के लिए स्थायी खनन के लिए प्रबंधन योजना (एम पी एस एम) को अंतिम रूप देने के लिए साथ एफ सी के अनुदान के प्रारंभिक रूप से जुड़े होने और बाद में चिन्हित प्रतिपूरक वन रोपण भूमि की अनुपयुक्तता के कारण प्राप्त नहीं की जा सकी। हालांकि, चल रही महामारी के कारण अथक प्रयासों के बाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इस संबंध में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है।

• कॉमन कॉज मामले के तहत जारी की गई मांग के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रमाण पत्र कार्यवाही

प्रमाण पत्र मामला अधिकारी (खनन), चाईबासा ने कॉमन कॉज बनाम यू ओ आई एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 2 अगस्त, 2017 के निर्णय के कथित अनुपालन में ब्याज सहित व्यथित बकाया राशियों की वसूली के प्रति चिरिया (धोबिल एवं सुकरी - लातूर

लीजों) किरौबुरु, मेघाहातुबुरु (धुरमेबुरु लीज) जैसी सेल लौह अयस्क खानों के विरुद्ध प्रमाण पत्र मामला कार्यवाही आरंभ कर दी है। इन नोटिसों में ब्याज सहित लगभग 2100 करोड़ रु. की कुल मांग की गई है।

झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष इसे सेल द्वारा चुनौती दी गई थी तदनुसार, पूरा मामला अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

- **खनन (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए लीज अवधि के विस्तार के लिए जारी मांग के मामले में झारखंड सरकार द्वारा प्रमाण पत्र कार्यवाही**

प्रमाण पत्र मामला अधिकारी (खनन), चाईबासा ने तीन लौह अयस्क लीजों अर्थात् चिरिया की धोबिल लीज, किरौबुरु — मेघाहातुबुरु की समामेलित लीज और दुरगाईबुरु लीज के विरुद्ध एम एम जी सी नियमों के प्रावधानों के तहत इन लीजों की लीज अवधि के विस्तार के मामले में ब्याज सहित कथित बकाया राशियों की वसूली के लिए प्रमाण पत्र मामला कार्यवाहियां आरंभ कर दी है। ब्याज सहित लगभग 3907 करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

इसे सेल द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मांग नोटिसों के प्रचालन पर रोक लगा दी है और यह रोक अभी तक प्रवृत्त है।

उक्त याचिकाओं के लंबित होने के दौरान एम एम जी सी नियमावली, 2015 के तहत की गई मांग के अधिकार/ दावे के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए झारखंड सरकार की शंका के प्रति खान मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि एम एम जी सी नियमावली, 2015 के तहत किसी सरकारी कंपनी को प्रदत्त कवच लीज के विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि की अदायगी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, प्रमाण पत्र कार्यवाहियों के विरुद्ध आपत्ति याचिकाएं प्रमाण पत्र मामला अधिकारी (खनन), चाईबासा के कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी की चिंताजनक स्थिति के कारण अभी तक सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है।

- **गुआ खान की दुरगाईबुरु लीज के तहत स्थानांतरित वन भूमि को जारी करने में विलंब**

एमओईएफसीसी द्वारा गुआ खान की दुरगाईबुरु लीज के तहत 361.295 हेक्टेयर वन भूमि के स्थानांतरण के लिए चरण-II एफ सी को प्रदान किए जाने पर सेल ने झारखंड वन विभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उक्त वन भूमि को जारी करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि गुआ खान के खनन प्रचालनों का विस्तार और संबंधित गतिविधियां सेल को वन भूमि को सौंपे जाने के बाद ही आरंभ की जा सकती है।

इस समय, प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (एफईएंडसीसी), जीओजे के कार्यालय में संसाधित किया जा रहा है किंतु जारी कोरोना महामारी के कारण इस संबंध में आगे कोई विकास नहीं हुआ है।

- **गुआ खान के रेलवे साइडिंग के सरफेस लीज स्वामित्व मामले के समाधान में विलंब**

सेल की विस्तार परियोजना के भाग के रूप में इसके स्टील संयंत्रों को 10 एम टी पी ए प्रेषित करने के लिए सरफेस लीज के एक पूर्ण एकत्र रेलवे साइडिंग सुविधा स्थापित करने की योजना है। इस समय, गुआ रेलवे साइडिंग परियोजना के लिए रेलवे और सेल के बीच भूमि लाइसेंसिंग समझौते का निष्पादन भूमि स्वामित्व संबंधी मामले के कारण रुका हुआ है।

विवादित भूमि के रूप में सेल की सरफेस लीज—क के 29.423 एकड़ सहित 36.231 एकड़ माप की कुल रेलवे भूमि की लीज के लिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 17 नवंबर, 2020 के पत्र के अनुसार दी गई स्वीकृति के परिणामस्वरूप, एस ई रेलवे के जोर दिए जाने पर, सेल रेलवे द्वारा लागू की गई शर्त और निबंधनों पर सहमत हो गया और 18 जनवरी, 2021 को एस ई रेलवे में वांछित शपथ पत्र दाखिल किया।

इसके अलावा, संशोधित मांग टिप्पणी को जारी किए जाने और रेलवे के साथ भूमि लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को त्वरित करने के लिए, मामले को मुख्य परियोजना निदेशक, एस ई रेलवे के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह सूचित किया गया कि संशोधित मांग टिप्पणी को जारी करने और भूमि लीज करार को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव अनुमोदन की अग्रिम स्थिति में है। 15 मार्च, 2021 को प्रधान मुख्य प्रचालन प्रबंधक, एस ई रेलवे के साथ आयोजित एक अन्य बैठक में, पी सी ओ एम ने कहा है कि रेलवे ने मैसर्स रूंगटा माइन्स लिमि. को गुआ में निजी साइडिंग स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की है क्योंकि भूमि रेलवे से संबंधित है और सेल से सेल के लीज होल्ड क्षेत्र के भीतर साइडिंग के संचालन को जारी रखने के लिए मैसर्स रूंगटा माइन्स लिमि. को अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

सेल ने रेलवे के अनुरोध का पालन न करते हुए गुआ रेलवे साइडिंग के भूमि लीज समझौते के साथ रूंगटा खदानों के संचालन को अलग करने का अनुरोध किया क्योंकि रूंगटा साइडिंग की भूमि सेल साइडिंग के लिए अनिवार्य 36.231 एकड़ की भूमि के बाहर है। हालांकि, रेलवे इस पर सहमत नहीं हुआ और सेल को साइडिंग के संचालन के मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए कहा। तदनुसार, अध्यक्ष, सेल ने

दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के पत्र के अनुसार अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से एस ई रेलवे और सेल के बीच भूमि लीज समझौते के निष्पादन को त्वरित करने के लिए अनुरोध किया और साथ ही रूंगटा साइडिंग के संचालन के संबंध में कोई निर्णय आयुक्त, कोल्हान, झारखंड द्वारा सेल लीज के विवादित क्षेत्र पर उनकी अपील का निपटारा करने के बाद ही रेलवे द्वारा लिया जा सकता है।

गुआ रेलवे साइडिंग मामले से संबंधित लंबित मुद्दों पर जून, 2021 में इस्पात और रेलवे मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया जिसमें मुद्दे के जल्द समाधान की संभावनाओं पर विचार किया गया।

इसी बीच, परियोजना के निष्पादन के लिए मैसर्स आर आई टी ई एस ने जमीन की खुदाई के काम के लिए पैकेज— के लिए संविदा जारी की है।

भिलाई स्टील प्लांट की कल्वर नागुर लौह अयस्क लीज की लीज डीड के निष्पादन में देरी

एम ओ ई एफ सी सी द्वारा बी एस पी की कल्वर नागुर लीज पर आई एम टी पी ए लौह अयस्क खान के विकास के लिए ई सी के अनुदान के साथ, अप्रैल 2016 के बाद से लंबित लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दे का समाधान कर लिया गया है। तथापि, खान के विकास का काम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लीज डीड के निष्पादन के बाद ही आरंभ किया जा सकता है। स्थापना के लिए सहमति और वायु और जल अधिनियम के तहत प्रचालन करने के लिए सहमति के संबंध में आगे के आवेदन, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सी ई सी बी) के समक्ष लीज डीड के निष्पादन के बाद ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एम एम जी सी नियमों के अनुसार, कल्वर नागुर लीज की वैधता 2025 तक है। मामले को नियमित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अनुपालन किया जा रहा है। इसी बीच, उसके बाद लीज के तहत वृक्षों की गणना का कार्य पूरा हो चुका है और “विदोहन योजना” के लिए तैयारी संबंधी कार्य प्रगति पर है।

समर्पित सीतानला और परबतपुर कोकिंग कोल ब्लॉक के बदले में उपयुक्त कोकिंग कोल ब्लॉकों के आवंटन में देरी

इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप के साथ आयातित कोकिंग कोल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, क्रमशः 2015 और 2016 में आवंटन मार्ग के जरिए सेल को दो कोकिंग कोल ब्लॉक अर्थात् सीतानला और परबतपुर आवंटित किए गए थे। तथापि, दोनों कोयला ब्लॉकों के लिए कोयला खनन लीज क्षेत्रों के कम होने के कारण, सेल बोर्ड ने कोयला मंत्रालय (एम ओ सी) को सीतानला और परबतपुर कोयला ब्लॉकों की वापसी की स्वीकृति दे दी है। तदनुसार, नामित प्राधिकरण, एम ओ सी को क्रमशः परबतपुर और सीतानला कोल ब्लॉक की वापसी के बारे में ब्लॉकों के आवंटन के समय सेल द्वारा जमा किए गए बैंक गारंटी सहित अदा की गई धनराशि को रिफंड करने के अनुरोध के साथ सूचित किया गया। सेल ने एम ओ सी से नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसरण की परबतपुर और सीतानला कोल ब्लॉकों के बदले में संभावित कोकिंग कोल ब्लॉकों के आवंटन के लिए अनुरोध किया।

इसी बीच, कोयला मंत्रालय ने दोनों कोयला ब्लॉकों अर्थात् सीतानला और परबतपुर दोनों के आवंटन को रद्द कर दिया और संबंधित बैंकों को बैंक गारंटी (बी जी) का आह्वान करने की सलाह दी। दोनों मामलों में सेल ने संबंधित आदेशों को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

सीतानला कोल ब्लॉक के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। तथापि, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता इन याचिकाओं में अभिभावी हैं, तो बी जी को लागू (इनवोक) करने के द्वारा संग्रहित धनराशि के रिफंड के लिए परिणामी निर्देश पारित किए जाएंगे। मामला विचाराधीन है। तथापि, परबतपुर कोल ब्लॉक के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक बी जी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

कोविड-19 महामारी के फैलने और परिणामस्वरूप लॉक डाउन के कारण, दोनों मामलों में, निर्धारित तारीखों को मामले को प्रस्तुत नहीं किया जा सका और सुनवाई की अगली तारीखों के बारे में अभी सूचित किया जाना है।

कैप्टिव भूमिगत खानों में रेत डालने के लिए दामोदर नदी, जिला धनबाद के डुंगरीघाट, हेत कांडराघाट, चसनाला और तासराघाट पर रेत लीजों के लिए क्षेत्रों के आरक्षण में देरी।

विगत में, कैप्टिव कोयला खाने झारखंड सरकार द्वारा प्रदान की गई अस्थायी अनुमति के आधार पर जारी स्टोइंग गतिविधियों के लिए रेत उठाती थी। तथापि, 2013 में इसके जारी न रहने के कारण, खानों को निजी रेत लीजों पर निर्भर होना पड़ता था। जहां आपूर्ति अनियमित थी। इसलिए, कोयला उत्पादन साथ ही भूमिगत खानों की सुरक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जिला खनन अधिकारी से दामोदर नदी के तट पर डुंगरी घाट, हेत कांडरा घाट, चसनालाघाट और तासरा घाट चसनाला और जितपुर पर स्थित भूमिगत खानों की रेत के लिए रेत खनन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए अनुरोध किया गया जिन्हें पहले सेल कोयला खानों द्वारा प्रयोग किया जाता था। मामला अब कोयला मंत्रालय के पास लंबित है और नियमित रूप से इसका अनुसरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बारादुआर डोलोमाइट लीज और लीज अवधि के ओर अधिक विस्तार के लिए 407.410 हेक्टर के संशोधित क्षेत्र के लिए आशय पत्र जारी किए जाने में देरी

बारादुआर डोलोमाइट खनन लीज के लिए 523.35 हेक्टेयर क्षेत्र में यूनियन संबंधी मुद्दों के कारण उत्पादन रोक दिया गया था। अब, डोलोमाइट की बढ़ती जरूरतों के कारण, सेल ने आई डी क्यू, बारादुआर के खनन लीज के पुनर्जीवित करने के लिए मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 दिसंबर, 1990 से 25 दिसंबर, 2010 की अवधि के लिए खनन लीज के प्रथम नवीकरण को अपनी स्वीकृति संप्रेषित करते हुए सेल को डोलोमाइट खान के विकास के लिए जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त करने की सलाह दी। अर्थात् खनन योजना की स्वीकृति, वन स्वीकृति और संवितरण स्वीकृति आदि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसरण में बी एस पी ने खनन कार्यालय, जांगीर चंपा में 26 दिसंबर, 2020 से 25 दिसंबर, 2040 तक लीज के विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

सांविधिक स्वीकृतियों की स्थिति

2011 में आई बी एम द्वारा 432.69 हेक्टेयर वन भूमि, 86.833 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि और 3.827 हेक्टेयर की निजी राजस्व भूमि को शामिल करते हुए 523.35 हेक्टेयर के लीज क्षेत्र के लिए खनन योजना को अनुमोदित किया गया था। 523.35 हेक्टेयर के लीज क्षेत्र में से, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 100 हेक्टेयर के वन भूमि क्षेत्र, 12.113 हेक्टेयर के राजस्व वन भूमि क्षेत्र और 3.827 हेक्टेयर के निजी राजस्व भूमि क्षेत्र को घटाने के बाद केवल 407.41 हेक्टेयर वन भूमि के लिए प्रस्ताव भेजा।

2017 में एम ओ ई एफ सी सी द्वारा 407.410 हेक्टेयर के विपथन के लिए चरण-1 वानिकी स्वीकृति प्रदान की गई और चरण 1 एफ सी की शर्तों का अनुपालन प्रगति पर है।

एम ओ ई एफ सी सी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 22 दिसंबर, 2017 को बारादुआर डोलोमाइट लीज के लिए पर्यावरण स्वीकृति (ई सी) प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। तथापि, प्रस्ताव 523.35 हेक्टेयर के पहले अनुमोदित खनन लीज क्षेत्र और 407.410 हेक्टेयर के संशोधित क्षेत्र के लिए खनन योजना की प्रस्तुति करने की तुलना में 407.410 हेक्टेयर के संशोधित खनन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अधीन आस्थगित हो गया।

उसके पश्चात, दिनांक 16 मार्च, 2018 के पत्र के अनुसार, 19 जनवरी, 2018 को खनन अधिकारी, जांगीर-चंपा को 407.410 हेक्टेयर के संशोधित क्षेत्र के संदर्भ में खनन योजना प्रस्तुत किए जाने पर, सेल को खनन लीज के लिए 407.410 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आशय पत्र (एल ओ आई) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 2018 में एल ओ आई को जारी करने के लिए सहमति प्रदान की गई।

बारादुआर लीज के लिए एल ओ आई की लंबित रूप से जारी किये जाने के बारे में, खनिज संशोधन विभाग (एम आर डी) छत्तीसगढ़ ने सेल को सूचित किया कि 26 दिसंबर, 1970 से 25 दिसंबर, 1990 तक 20 वर्ष की अवधि के लिए खनिज डोलोमाइट के लिए बारादुआर माइनिंग लीज प्रदान की गई थी और लीज का पहला नवीकरण 26 दिसंबर, 1990 से 25 दिसंबर, तक 20 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया था जिसके लिए सेल द्वारा लीज डीड निष्पादित नहीं की गई थी। इसके अलावा, सेल ने न तो 2 वर्ष की अवधि के भीतर खनन प्रचालन आरंभ किया और न ही खनन लीज की निरंतरता या लीज के पुनरुद्धार के लिए आवेदन किया है। इनके कारण बारादुआर लीज खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम (28) के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनिमय) अधिनियम 1957 के अनुसार "पट्टे की समाप्ति" श्रेणी के अंतर्गत आती है।

लिखित अनुरोधों के साथ सेल द्वारा उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया था।

उल्लंघन से जुड़े खनन प्रस्तावों के लिए पर्यावरण स्वीकृति (ई सी)

सचिव, एम ओ ई एफ सी सी और सचिव, इस्पात द्वारा संयुक्त रूप से, क्षेत्र के लंबित वन स्वीकृतियों और पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने के परिणामस्वरूप संयुक्त सचिव (एन सी एम) एम ओ ई एफ सी सी सेल की खानों अर्थात् बीएसपी छत्तीसगढ़ की पांडरीदल्ली और राजारापहाड़ लौह अयस्क खनन लीज, उपस्क, झारखंड में तुलसीदामार डोलोमाइट खान और गुआ खान की झिलिंगबुरु-1 लीज के लंबित ई सी प्रस्तावों की जांच की गई।

तत्पश्चात गुआ खान की झिलिंगबुरु-1 लीज के ई सी प्रस्ताव पर विचार किया गया और ई आई ए/ ई एम पी तैयार करने के लिए विचारार्थ विषयों की शर्तों (टीओआर) की सिफारिश की गई। तथापि, एम ओ ई एफ सी सी के विचारार्थ विषयों (टी ओ आर) के औपचारिक रूप से जारी किए जाने की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, तुलसीदामार ई सी मामला अभी भी एम ओ ई एफ सी सी के जांचाधीन है।

बी एस पी की पांडरीदल्ली और राजारा पहाड़ लौह अयस्क खनन लीज के ई सी प्रस्ताव के संबंध में, एम ओ ई एफ सी सी ने सूचित किया है कि उक्त

प्रस्ताव 'उल्लंघन' के अंतर्गत आता है क्योंकि ई सी को वर्ष 2003 में लीज के नवीकरण के समय लिया जाना अपेक्षित था और इसलिए, प्रस्ताव पर उल्लंघन प्रस्ताव के रूप में क्षेत्रीय ई ए सी बैठक में विचार किया जाना चाहिए और सेल को टी ओ आर के लिए अभी आवेदन करना है।

यह एक नए घटनाक्रम के रूप में सामने आया है क्योंकि ई सी की अनुपलब्धता से संबंधित उल्लंघन का पहले 2003 में लीज के नवीकरण के समय उल्लेख नहीं किया गया था।

इसके उत्तर में सेल ने एम ओ ई एफ सी सी से उल्लंघन पर जोर दिए बिना बी एस पी की पांडरीदल्ली और राजारा और लीज के लंबित ई सी प्रस्ताव पर पुनः विचार करने और ई सी प्रदान करने का अनुरोध किया है। तथापि, क्योंकि सेल ने 5 अवसरों पर ई सी क्षमता से अधिक उत्पादन किया था, यह ई आई ए अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन है और इसलिए, वर्तमान प्रस्ताव पर उल्लंघन संबंधी मामले के रूप में विचार किया जाएगा और सेल को फिर से आवेदन करने की सलाह दी गई है। उत्तर में, सेल ने एम ओ ई एफ सी सी को अनुरोध किया है कि दिनांक 6 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से बताती है कि यह पिछले उल्लंघन को माफ करने और पिछली विभिन्न खनन परियोजनाओं में हुई कमियों को नियमित करने के लिए लाया गया था। तदनुसार, लाभ प्राप्त करने के लिए सेल के प्रस्ताव पर कृपया बिना किसी भेदभाव के पुनः विचार किया जाना चाहिए।

घ. दृष्टिकोण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के सब तरफ फैलने के कारण, प्राधिकारियों और सरकारों ने लॉकडाउन को कई उपायों में एक के रूप में, कोरोना वायरस के फैलने को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में शारीरिक दूरी के विभिन्न तरीकों को अपनाया है। लॉक डाउन के परिणामस्वरूप सप्लाई चेन टूट गई, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई, स्टील क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है, इस कारण भारत में स्टील खपत में गिरावट आई।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 वैक्सीन के लगातार और तीव्र रोल आउट ने चालू वित्तीय वर्ष और 2022 में रोलिंग आउट करने के लिए तीव्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मंच तैयार किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2022 में महामारी पूर्व के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने की आशा है। तथापि, उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्तीय वर्ष 2022-23 तक महामारी पूर्व के स्तर को प्राप्त करने की आशा है। स्टील उद्योग के संबंध में, डिजीटाइजेशन और ऑटोमेशन, बुनियादी संरचना संबंधी पहलों, राजकोषीय प्रोत्साहनों आदि के जरिए तीव्र विकासों के कारण पूरे वि व में मांग के मजबूत होने की आशा है।

2021 के लिए दृष्टिकोण के सकारात्मक होने की आशा है क्योंकि भारतीय स्टील कंपनियों ने स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाना आरंभ कर दिया है। भारत के तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति निम्न स्टील खपत के कारण वृद्धि की भारी गुंजाइश है, महामारी ने कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों को तीव्र किया है जो 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने पर विभिन्न उद्योगों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना' को आरंभ करने, बुनियादी परियोजनाओं में निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे क्षेत्र आदि को सम्पन्न करने की ओर भारत सरकार का ध्यान केन्द्रित करने के कारण स्टील की मांग में परिवर्तन आएगा। ऐसे उपायों द्वारा स्टील की मांग के महामारी पूर्व स्तर को पार कर जाने की आशा है।

ड. भक्ति और कमजोरियां

भक्ति

- सेल राष्ट्र के प्रमुख स्टील उत्पादकों में से एक बना रहेगा।
- स्थित बहु उत्पादन इकाईयां अन्य घरेलू स्टील उत्पादकों की तुलना में सेल को बढ़ावा देती हैं।
- जारी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य के पूरा होने के पश्चात बड़ी संख्या में नई और आधुनिक इकाईयां।
- भली भांति स्थापित पूरे देश में फैला मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क पूरे देश में सेल उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने में सहायता करता है।
- किसी घरेलू स्टील कंपनी द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक विविधीकृत उत्पादन रेंज।
- भविष्य के ब्राउन फील्ड विस्तार के मौजूदा संयंत्र/इकाई स्थानों पर भूमि बैंक की उपलब्धता।
- इनपुट सुरक्षा - लौह-अयस्क
- इस्पात निर्माण में अनुभवी उच्च अर्हता प्राप्त पेशेवर।

कमजोरियां

- मुख्य इनपुट उदाहरणार्थ कोकिंग कोल के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता से बाजार जोखिम के प्रति कंपनी की अवस्थिति का पता लगता है।
- अधिक आयु वाले कर्मचारियों की उच्च मानव भाक्ति लागत और सापेक्ष रूप से निम्न मानव भाक्ति उत्पादकता का मिश्रण।

च. वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

1. सेल का वित्तीय अवलोकन

सेल ने वित्तीय वर्ष (एफ वाई) 2020-21 के दौरान 68,452.34 करोड़ रुपए का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 61,024.88 करोड़ रुपए के टर्नओवर (सी पी एल वाई) की तुलना में 12.17 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कर पूर्व और कर पश्चात लाभ क्रमशः 3170.66 करोड़ रुपए के सी पी एल वाई कर पूर्व लाभ और 2021.54 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ की तुलना में क्रमशः 6879.03 करोड़ रुपए और 3850.02 करोड़ रुपए था। धारा 115खक के तहत नए कर व्यवस्था में परिवर्तन करने के कारण पी ए टी पर 1289 करोड़ रुपए का लेखांकन प्रभाव पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान मुख्य वित्तीय मानपदों का तुलनात्मक निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2020-21	2019-20
बिक्री टर्न ओवर	68452.34	61024.88
ब्याज पूर्व लाभ, कर मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन (ईबीआईटीडीए)	13739.74	11184.23
घटाएं: ब्याज और वित्त प्रभार	2817.14	3486.76
घटाएं: मूल्य ह्रास	4102.00	3755.05
असाधारण/असामान्य मदों और कर पूर्व लाभ	6820.60	3942.42
घटाएं: असाधारण मदें लाभ (-)/हानि (+)	-58.43	-771.76
कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	6879.03	3170.66
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	3029.01	1149.12
कर पश्चात लाभ (+)/हानि (-)	3850.02	2021.54
अन्य व्यापक आय	280.53	-115.71
कुल व्यापक आय (+)/हानि (-)	4130.55	1905.83
निवल मूल्य	43495	39777
निवल बिक्रियों के प्रति ईबीआईटीडीए (%)	20.07	18.33
निवल मूल्य पर आय (पीएटी) (%)	8.85	5.08
औसत नियोजित के प्रति ईबीआईटीडीए (%)	17.01	14.17
10/- रुपए प्रत्येक प्रति शेयर आय	9.32	4.89
ऋण इक्विटी अनुपात	0.87:1	1.36:1
वर्तमान अनुपात	1.40:10	1.85:10
देनदार का टर्न ओवर अनुपात (दिन)	38	53
सूची टर्नओवर अनुपात (दिन)	6.09	4.02
ब्याज कवरेज अनुपात (समसंख्या)	2.86	1.83

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण पहली तिमाही के दौरान, देश में लॉकडाउन के बावजूद, मुख्य रूप से बिक्री योग्य स्टील (10 प्रतिशत) के एन एस आर में वृद्धि और आयातित कोकिंग कोल की कीमतों (21 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण कंपनी के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। स्टील की उच्च मांग के कारण बिक्री योग्य स्टील की बिक्रियां (5 प्रतिशत), पिंग आयरन, द्वितीयक उत्पादों और परिष्कृत लौह अयस्क, भंडारण और फालतू पुर्जों के व्यय विद्युत क्रय दरों, ब्याज प्रभारों आदि में कमी आदि और उच्च डिबीडेंड आय, विदेशी मुद्रा लाभ और उप ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स पर कोविड-19 छूट को वापिस लेने, के कारण लाभ में और अधिक सुधार हुआ है। तथापि, बिक्री योग्य स्टील उत्पादन (3 प्रतिशत) में कमी, कोयले के अधिक उपयोग, अन्य कच्ची सामग्रियों का अधिक प्रयोग, वेतन संशोधन प्रावधान के कारण मुख्य रूप से वेतन और मजदूरियों में वृद्धि, लौह अयस्क की रायल्टी दर में वृद्धि, सुरक्षा व्ययों, मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों, मूल्यह्रास प्रभारों, प्रतिकूल स्टॉक मूल्यांकन दर, वीआरएस व्ययों आदि के कारण यह आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया है। इसके अलावा, एक बारगी समझौता योजना के जरिए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रविष्टि कर का भुगतान किया गया है।

सीपीएलवाई, की तुलना में, देनदार के टर्नओवर अनुपात में दिनों की संख्या में कमी, मुख्य रूप से भारतीय रेलवे से बकाया राशियों की फैंवटरिंग और टर्नओवर में वृद्धि के कारण थी। वर्तमान अनुपात में कमी मुख्य रूप से देनदारों और मालूसची स्तरों में कमी के कारण है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋणों में कमी का कारण निम्न ऋण इक्विटी अनुपात है। ब्याज कवरेज अनुपात में सुधार मुख्य रूप से ऋणों में कमी के कारण निम्न ब्याज लागत और निम्न लागत वाली बकाया राशियों के साथ उच्च लागत वाले ऋणों के विनिमय के कारण है।

1.2.1 लागत नियंत्रण उपाय

- प्रक्रिया सुधार और अनुसंधान व विकास प्रयासों के जरिए वर्ष के दौरान लागत में कमी और उत्पादकता सुधार पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अलावा, प्रचालन के सभी क्षेत्रों में लागत को नियंत्रित करने के लिए संचालन के सभी स्तरों पर सुदृढ़ जागरूकता सृजित की गई।

- पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं की अधिप्राप्ति की लगातार मानीटरिंग, उपलब्ध स्वदेशी कोयले के अधिकतम प्रयोग, इन-हाउस इंजीनियरिंग भाप्स का अधिकतम प्रयोग, निष्क्रिय परिसंपत्तियों की बिक्री, समुद्री माल भाड़े में कमी, और कीमत कटौती के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत सहित केन्द्रीकृत रूप से क्रय की गई मदों के जरिए इष्टतम अधिप्राप्ति को आगे बढ़ाया गया।

वर्ष के दौरान लागत बचत के कोल ब्लैंड इष्टतमीकरण और बीएफ उत्पादकता, कोक दर, सीडीआई, कॉनकॉस्ट उत्पादन ने योगदान दिया है।

- कंपनी ने 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू की जिसके माध्यम से 426 कर्मचारियों ने कंपनी से अपनी सेवाएं पृथक् कर लीं।

1.2.2 विपणन

- आपकी कंपनी ने देश के प्रमुख स्टील उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बड़ी संख्या में पहलों की।

- इसके अलावा, ऐसे विकल्पों का विस्तार करने की दृष्टि से, जो कंपनी ने ग्राहकों को उपलब्ध कराए हैं और कस्टमाइज्ड या विशिष्ट अनुप्रयोग वाले स्टील की उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित के सहित 2020-21 में बड़ी संख्या में नए उत्पाद विकसित किए गए:

- मिलाई स्टील प्लांट में, ऐसी संरचनाओं में जहां सेवा संबंधी स्थितियों के कारण वातावरणीय जंग के लिए प्रतिरोधक अनिवार्य है, अनुप्रयोग के लिए एएसटीएम 709 ग्रेड 50 के अनुसार, मौसम प्रतिरोधक प्लेटों का विकास किया गया।

- थर्मल पावर प्लांट्स के एयर प्री-हीटर में प्रयोग के लिए राउर केला स्टील प्लांट में एएसटीएम 588 ग्रेड प्लेटों का विकास किया गया।

क्रमशः अर्थ मूविंग उपकरणों और विद्युत संयंत्रों में प्रयोग के लिए राउरकेला स्टील प्लांट में सेल डब्ल्यू आर 400 ओर सेल एचएआरडी प्लेटों का विकास किया गया।

- बोकारो स्टील प्लांट में सौर उद्योग के लिए जंग के प्रति उच्च प्रतिरोध वाली सी आर कॉयल्स विकास के अग्रिम स्तर पर है।

बोकारो स्टील प्लांट ने 5 से 8 मि.मी. की रेंज में, कम मोटाई में उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए, ए एस टी एम 516 ग्रेड 70 (आई एस 2041 आर 260) के अनुसार बी क्यू प्लेट्स का विकास किया है।

- सेल ने उपभोक्ताओं को विशेष गुणवत्ता वाली स्टील की बिक्रियों के प्रति अपने प्रयासों को बढ़ाया है। इस्को स्टील प्लांट की नई वायर रॉड मिल में वायर रॉड ड्राइंग माइल्ड स्टील ग्रेड के अलावा इलेक्ट्रोड्स ग्रेड्स आई एस 2879 इंडब्ल्यूएनआर, वायर ड्राइंग हाईटेंसिल ग्रेड्स अर्थात एचसी 62, एचसी72, एचसी80, एचसीटी 1130 सीआर (पीसी115), इलेक्ट्रिक केबल आर्मर क्वालिटी (सी ए क्यू), ब्राइट बार और आटो इंडस्ट्री एप्लीकेशन ग्रेड ईएन8डी, ईएन8डी सीआर का विकास किया गया है और लगातार आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, कोल्ड हैडिंग क्वालिटी बोरोन ग्रेड्स में भी आपूर्तियां की गई हैं। उद्योग के मानदंडों के अनुसार, जहां भी जरूरी था, आपूर्तियां एल्यूमीनियम किल्ल स्थिति में की गई हैं।

- बिक्री बढ़ाने के सामान्य प्रयासों के अलावा, आपकी कंपनी ने बिक्रियों में सुधार करने और बाजार में अपनी उपस्थिति में सुधार करने के लिए बहुत सी पहलों की हैं, जिनमें अन्य के साथ साथ ये शामिल हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का निर्माण करने और स्टील के प्रयोग की स्वीकार्यता में सहायता करने के लिए, सेल का एक ग्रामीण आउटकीय कार्यक्रम "गांव की ओर" जारी है। इस अभियान के तहत, छोटे उपभोक्ताओं आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूरे देश में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 117 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

- आपकी कंपनी ने 2019-20 में अपना सुदृढ़ीकरण बार ब्रॉण्ड "सेल - एसईक्यूआर" आरंभ किया है। इस ब्रॉण्ड को अधिक सुरक्षित घरों के लिए बेहतर गुणवत्ता स्टील के रूप में प्रमोट किया गया है। इस ब्रॉण्ड को ग्रामीण वातावरण पर विशेष जोर देने के साथ सेल की खुदरा उपस्थिति को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने "सेल - एसईक्यूआर" रिइनफोर्समेंट बार्स के लगभग 2.5 लाख टन की बिक्री की है। इसके अलावा, "सेल-एसईक्यूआर" टीएमटी को वर्ष 2020-21 के दौरान बी एस पी से रोलड आउट किया गया है जिससे इसके अखिल भारतीय पदचिह्नों में वृद्धि हुई है। आगामी वर्षों के दौरान, न केवल शीर्ष लाइन मूल्य में योगदान के अतिरिक्त, ब्रॉण्ड "सेल -एसईक्यूआर" की खुदरा क्षेत्र की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद है, बल्कि कंपनी की ब्रॉण्ड उपस्थिति को बढ़ाने की भी आशा है। खुदरा ग्राहकों को सेल-एसईक्यूआर की बिक्रियों के लिए विस्तृत वितरण और प्रचार योजना तैयार की गई है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2-टियर वितरण नेटवर्क के जरिए लगभग 4 लाख टन टी एम टी की आपूर्ति की गई थी। देश में किसी भी स्थान से

सामग्री को बुक करने में घरेलू वर्ग को समक्ष बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सेल द्वारा ऑन लाइन ई-पोर्टल 'सेल-सुरक्षा आरंभ' किया गया था।

आपकी कंपनी ने सुधरे हुए निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए, संरचनात्मक वस्तुओं के 'नेक्स' ब्राण्ड पर जोर देना जारी रखा है। सामान्य रूप से ग्राहकों के साथ वर्चुअल बैठकों, वेबिनर्स और इन हाउस वर्चुअल वर्कशॉप सत्रों में भाग लेने और संरचनात्मक डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स आदि द्वारा भी डिजाइनिंग में स्टील के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

- सेल अपनी स्थापना के बाद से ही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नीतिगत महत्व की परियोजनाओं की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। इस प्रवृत्ति को वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी रखते हुए, आप की कंपनी ने विद्युत परियोजनाओं, सड़क, रेल, एयरपोर्ट और समुद्री पत्तनों पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजना, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं, खाद उद्योग और गैस एवं तेल क्षेत्र की स्टील की महत्वपूर्ण मात्रा की आपूर्ति की है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय महत्व की बहुत सी परियोजनाओं को स्टील की आपूर्ति की है। प्रमुख परियोजनाओं में ये शामिल हैं :- कटरा से बनिहाल टनल परियोजना, बीआरटीएफ लेह-लद्दाख परियोजना, लेह एयरपोर्ट का उन्नयन, मेट्रो रेल परियोजनाएं, क्षेत्रीय तीव्र, परिवहन व्यवस्था - दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे, पूर्वी समर्पित माल-भाड़ा कारीडोर निगम, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना, लोअर सुबनसिरी जल परियोजना असम, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के लिए 111 किमी. लंबी जिरीबम-इम्फाल रेलवे परियोजना के भाग के रूप में 141 मीटर की स्तंभ ऊंचाई पर वि व के सबसे लंबे पुल स्तंभों में से एक का निर्माण, महात्मा गांधी सेतु परियोजना, बिहार गंगा वाटर लिफ्ट परियोजना, बिहार, अगरतला - आखूरा रेल लिंक परियोजना, त्रिपुरा, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, असम एम्स, गुवाहाटी, असम राजगुरुदरी के पास पोलावरम बहुप्रयोजन राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, आंध्रप्रदेश, केल्स वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तेलंगाना जयंतीपुरम और कुरनूल सीमेंट संयंत्र और डी आर डी ओ की राम बिली नेवी परियोजना।

आपकी कंपनी का उपभोक्ता की मनोवृत्ति में नेतृत्व स्थान है और सुधारी हुई सेवाओं, उत्पादों और प्रक्रियाओं के साथ हमेशा बदलती हुई आशाओं के अंतर को पाटने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

देश में सभी स्टील उत्पादकों के बीच आपकी कंपनी का विपणन नेटवर्क सबसे बड़ा है। 1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 10 सक्रिय ग्राहक संपर्क कार्यालय, 23 विभागीय भांडागार और 21 कार्यात्मक खेप एजेंसी यार्ड शामिल हैं। सेल के खुदरा चैनल के जरिए इन्हें और बढ़ाया गया है ताकि बड़ी मात्रा में खपत किए जाने वाले उत्पाद भारत के दूर के कोनों में भी पहुंच सकें।

सेल का पूरे देश में 3100 से अधिक डीलर्स को सम्मिलित कर एक व्यापक डीलरशिप नेटवर्क है। 1 अप्रैल, 2021 को 2-टियर वितरण नेटवर्क में पहले से शामिल 39 वितरकों के साथ, खुदरा बिक्री के इस चैनल को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। पूरे देश में फैला यह विस्तृत नेटवर्क देश की लंबाई और चौड़ाई में फैले ग्राहकों की विस्तृत रेंज की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करता है।

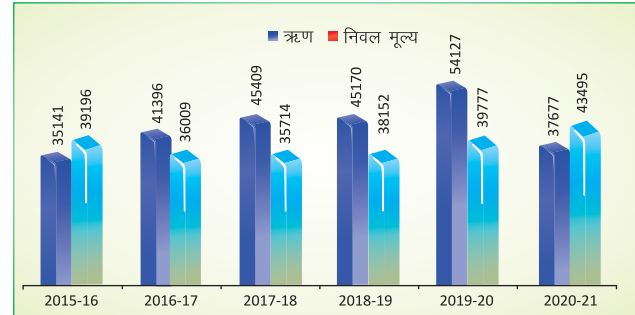
आपकी कंपनी द्वारा अपनायी गई कुछ अन्य पहलों में हमारे एकीकृत स्टील संयंत्रों में और उसके आस-पास बसे स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एम एस एम ई के लिए प्रोत्साहन योजना को आरंभ करना शामिल है जिसके अंतर्गत 132 एम एस एम ई सेल योजना में शामिल हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण, व्यापार और संबंधित गतिविधियों जैसे परिवहन और संभार तंत्र सितंबर 2020 तक बार-बार लगने वाले लॉकडाउन के कारण विघटित रहे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही तक निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गतिविधियों को पुनः आरंभ करने का कार्य बहुत सीमित था जिसने तैयार स्टील की मांग पर प्रभाव डाला। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने और अप्रैल - जुलाई, 2020 तक इसके प्रभाव का सामना करने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के दौरान बिक्रियों में गिरावट आई किंतु घरेलू और निर्यात, दोनों मोर्चों पर बढ़ी हुई मांग ने, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रदर्शन को दर्ज करने में मदद की।

1.3 निधि प्रबंधन

आई एन डी ए एस के अनुसरण में, कंपनी के ऋणों में 31 मार्च, 2020 को 54,127 करोड़ रुपए से कमी होकर यह 31 मार्च, 2021 को 37,677 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात पिछले वर्ष में 1.36:1 की तुलना में 31 मार्च, 2021 को 0.87:1 है। 2817 करोड़ रुपए पर चालू वर्ष के दौरान प्रचालन लेख पर ब्याज और वित्त प्रभार सी पी एल वाई की तुलना में 670 करोड़ रुपए कम है। कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2020 को 39,777 करोड़ रुपए से बढ़कर 31

मार्च, 2021 को 43,495 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग कंपनियों, मैसर्स इंडिया रेटिंग और मैसर्स ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने सेल के दीर्घावधिक ऋण कार्यक्रमों के लिए क्रमशः "केयर ए ए आउटलुक : स्टेबल", "इंडिया रेटिंग्स एए - आउटलुक - नेगेटिव" और "बी डब्ल्यू आर एए आउटलुक: नेगेटिव" रेटिंग प्रदान की है। ऋणों और निवल मूल्य की प्रवृत्ति निम्नानुसार दी गई है :



1.4 सेल ग्रेच्युटी न्यास को अंशदान

कंपनी द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रति किए गए समझौते के अनुसार, सेल ग्रेच्युटी न्यास द्वारा कंपनी को 653 करोड़ की धनराशि वित्तपोषित की गई है। सेल ग्रेच्युटी न्यास कंपनी द्वारा किए गए अंशदान के अनुसार 31 मार्च, 2021 को निधि का आकार 6235.16 करोड़ है।

2. कंपनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

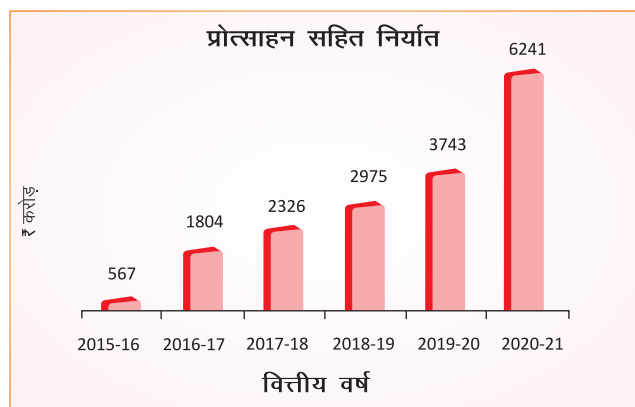
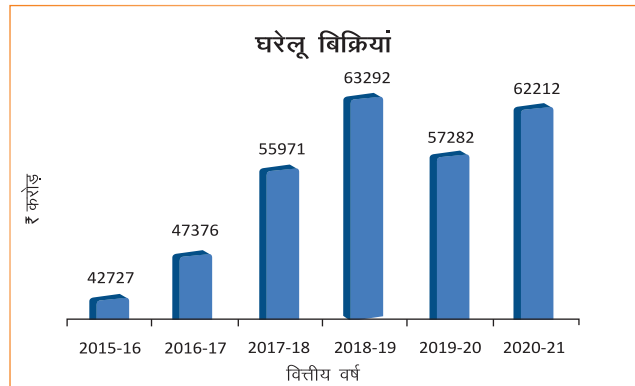
2.1 प्रचालनों से राजस्व

क) उत्पादों की बिक्री

(रुपय करोड़ में)

विवरण	FY 2020-21	FY 2019-20	बदलाव%
बिक्री योग्य स्टील उत्पादों की बिक्रियां	65211.87	59298.35	9.97
अन्य उत्पादों की बिक्रियां	3240.47	1726.53	87.69
कुल बिक्री टर्न ओवर	68452.34	61024.88	12.17

ख) घरेलू बिक्रियों और निर्यातों की प्रवृत्ति



कंपनी ने माइल्ड स्टील कारोबार के लगभग सारे भार को वहन कर लिया जैसे प्लेट्स के रूप में प्लेट उत्पाद, एच आर कॉयल्स/ शार्ट्स, सी आर कॉयल्स/ शार्ट्स, गाल्वेनाइज्ड प्लेन/ नालीदार शार्ट्स और लंबे उत्पाद जिन में रेलें,

संरचनाएं, वायर-रॉड्स और मर्चेट उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक रेजिनटेंस वेल्डिड पाइप्स, स्पाइरल वेल्डिड पाइप्स और सिलीकॉन स्टील शीट्स कंपनी के समृद्ध उत्पाद मिश्र का भाग है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पाद श्रेणी वार बिक्री टर्न ओवर निम्नानुसार है :

उत्पाद श्रेणी	बिक्री मूल्य का %
बिक्री योग्य स्टील	
फ्लैट पाइप्स (पाइप्स एवं इलेक्ट्रिक शीट्स सहित (क))	46
लंबे उत्पाद (ख)	44
एकीकृत स्टील प्लेट-माइल्ड स्टील (ग=क+ख)	90
मिश्र एवं विशेष स्टील प्लेट्स-मिश्र एवं विशेष स्टील (घ)	3
कुल बिक्री किया गया स्टील (ड=ग+घ)	93
द्वितीयक उत्पाद (पिग आयरन, स्क्रेप, कोल रसायन, आदि) (च)	7
कुल (ज=ड+च)	100

ग) सेवाओं की बिक्री - सेवा प्रभार (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
20.57	22.89	-10.13

चालू वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री से राजस्व में लगभग ₹ 2.32 करोड़ की कमी आई है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
637.11	612.78	3.97

अन्य प्रचालन व्ययों में मुख्य रूप से आंकड़े खाली और फुटकर वस्तुओं की बिक्री से बेहतर प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष में ₹ 24.33 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

2.2 अन्य आय (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
1011.69	985.22	2.69

अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में उच्च ब्याज आय, निवेशों से लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ के कारण लगभग ₹ 26.47 करोड़ की वृद्धि हुई।

2.3 व्यय (₹ करोड़)

विवरण	FY 2020-21	FY 2019-20	परिवर्तन %
कच्चे माल की खपत	23136	29213	-20.80
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ	10446	8781	18.96
वित्त लागत	2817	3487	-19.20
मूल्य ह्रास	4102	3755	9.24
अन्य खर्च	18531	19023	-2.59

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कच्चे माल की लागत में ह्रास इनपुट कीमतों, विशेष रूप से आयातित कोयले में कमी के कारण था। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों में वृद्धि मुख्य रूप से मजदूरी संशोधन प्रावधान, छुट्टी के नकद भुगतान, ग्रेजुटी और कर्मचारी कल्याण व्ययों के कारण हुई। ऋणों में कमी आई है इस कारण वित्त लागत निम्न रही है और मूल्यह्रास में वृद्धि मुख्य रूप से नई सुविधाओं के पूंजीकरण के कारण हुई। 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 की स्थिति के कारण गतिविधियों के निम्न स्तर की वजह से मुख्य रूप से स्टोर्स एवं स्पेयर्स, विद्युत एवं ईंधन, परिवर्तन प्रभारों, माल भाड़ा जावक आदि भीषण के तहत अन्य व्यय मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में निम्न थे। इसे मरम्मत और रख-रखाव, रायल्टी और उपकरण भुल्क में वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था।

2.3.1 आयातों का मूल्य (₹ करोड़)

विवरण	FY 2020-21	FY 2019-20	परिवर्तन%
कच्चा माल	15244	21710	-29.78
पूंजीगत वस्तुएं	212	227	-6.61
संघटक और फालतू पुर्जे	903	797	13.30
आयातों का मूल्य	16359	22734	-28.04

हालांकि, उष्मसह मदों की कीमतों में वृद्धि के कारण संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात मूल्य में वृद्धि हुई है, आयातों के मूल्य में कमी मुख्य रूप से निम्न आयातित कोयला दरों के कारण है।

2.4 राजकोष में योगदान

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सेल ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को करों और शुल्कों के भुगतान के द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में ₹ 12,947 करोड़ अंशदान किए।

2.5 गैर-वर्तमान / वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

	FY 2020-21	FY 2019-20	परिवर्तन %
गैर वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	64115	65369	-1.92
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	8878	8752	1.45
(ग) परिसंपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार	2054	2205	-6.85
(घ) निवेश संपत्ति	1.09	1.12	-2.68
(ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	1429	1443	-0.98
(च) माल सूची	4236		
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	1595	1585	0.63
(ii) व्यापार प्राप्य			
(iii) ऋण	756	665	13.79
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	334	447	-25.16
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	0	2079	-100.00
(झ) गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	217	152	42.29
(ञ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	1567	1481	5.77
जोड़-गैर वर्तमान	85184	84179	1.19

(₹ crore)

विवरण	FY 2020-21	FY 2019-20	परिवर्तन %
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) माल सूची	15272	23747	-35.69
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	7124	8812	-19.16
(ii) नकद और नकद समकक्ष	468	153	205.29
(iii) बैलेंस, ऊपर (ii) के अलावा	212	210	1.10
(iv) ऋण	50	50	1.61
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2478	2189	13.21
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	6354	5730	10.89
(घ) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	17	27	-37.46
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां	31976	40918	-21.85
कुल परिसंपत्तियां	117160	125098	-6.35

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में ₹ 1,254 करोड़ रु. की कमी मुख्य रूप से स्टील प्लांटों में संयंत्र और मशीनरी के निपटान और वर्ष के लिए मूल्यह्रास में वृद्धि के कारण हुई।
- अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹ 86 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।
- माल सूची में ₹ 8,475 करोड़ रु. की कमी मुख्य रूप से कच्चे माल की माल सूची, निर्मित/अर्द्ध निर्मित उत्पाद माल सूची, स्टोर्स एवं फालतू पुर्जों की मालसूची और उपग्रेड लौह अयस्क फाइन्स में कमी के कारण थी।
- व्यापार प्राप्य में ₹ 1,688 करोड़ रु. की कमी मुख्यतः भारतीय रेलवे से बकाया धनराशियों की फैक्ट्रिंग के कारण थी।
- अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹ 624 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

2.6 गैर-वर्तमान / वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	FY 2020-21	FY 2019-20	परिवर्तन %
गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	19726	34560	-42.9
(ii) व्यापार देय		7	-100.0
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	1231	1296	-5.0
(ख) दीर्घावधिक प्रावधान	4526	4109	10.2
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	1253		
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	440	398	10.7
गैर-वर्तमान देयताएं	27176	40369	-32.7
वर्तमान देयताएं			
(i) ऋण	15850	16641	-4.8
(ii) व्यापार देय	7014	6320	11.0
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14017	13732	2.1
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	7555	5724	32.0
(ग) प्रावधान	2040	2355	-13.4
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	12	180	-93.3
कुल वर्तमान देयताएं	46489	44952	3.4
कुल (वर्तमान+गैर वर्तमान देयताएं)	73665	85320	-13.7

- निवल बिक्री वसूलियों और बिक्री मात्रा में वृद्धि के साथ उच्च नकदी अंतर्प्रवाह के कारण मुख्य रूप से दीर्घावधिक ऋणों में 43% प्रतिशत तक की कमी आई जिन का प्रयोग ऋणों को समाप्त करने (डिलीवरेज) के लिए किया गया था।
- अल्पावधिक ऋणों में देनदारों से ₹1,688 करोड़ की कमी के कारण ₹791 करोड़ की कमी आई है।

3. संयंत्र वार वित्तीय निष्पदान (कर पूर्व लाभ)

(₹ करोड़)

संयंत्र/इकाई	FY 2020-21	FY 2019-20
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	1095.81	1799.03
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	733.07	-441.79
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	2106.36	-409.20
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	2251.50	48.44
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	66.51	-1091.69
मिश्र इस्पात संयंत्र (एसपी)	-101.20	-98.78
स्लेम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	-127.47	-345.58
विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी)	-51.33	-74.64
सेल रिफ़ेक्ट्री इकाई (एसआरयू)	25.38	48.74
चंदरपुर फेरो ग्लोय प्लांट (सीएफपी)	-47.22	-22.37
कच्चे माल प्रभाग/केन्द्रीय इकाई	927.62	3758.50
सेल: कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	6879.03	3170.66

छ. सामग्री प्रबंधन

इनपुट की लागत में कमी करने और सामग्री प्रबंधन के निष्पादन में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में पहलों की गईं, जिनमें से कुछ संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

- जीईएम पोर्टल की अधिप्राप्ति: जीईएम पोर्टल पर माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सेल द्वारा 2019 में सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के साथ एक वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन को सेल द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। समझौता ज्ञापन के आधार पर, जीईएम द्वारा नियोजित जीओटीटी (जीईएम संगठनात्मक परिवर्तन दल) को जी ई एम पोर्टल पर वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के लिए सेल की मदद कर रहा है। सेल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 28.90 करोड़ रुपये की धनराशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में 114 करोड़ रुपये कीमत के माल की अधिप्राप्ति की।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में एम एस ई से सेल की अधिप्राप्ति 25 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 36.94 प्रतिशत थी। सेल लगातार नए एमएसई विक्रेताओं का विकास और सलाह, प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग के द्वारा स्थानीय एमएसई को समर्थन प्रदान करने और काम काज के उनके चुने हुए क्षेत्रों में ऐसे एमएसई को तकनीकी समर्थन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में सेल संयंत्र और यूनिटों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 153 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसएमई विक्रेताओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए ताकि उन्हें अवसरों, वस्तुओं की जरूरतों और संगठन में विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जा सके।

ज. विदेशी मुद्रा संरक्षण

निर्यातों की तुलना में सेल के आयात अधिक ज्यादा थे और इसलिए विदेशी मुद्रा व्यय के संदर्भ में कंपनी पर विदेशी मुद्रा की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो कंपनी के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार को प्रभावित करता है।

जहां भी संभव हो, हमारा प्रतिस्थापन के जरिए आयातों को न्यूनतम करने और निर्यातों पर जोर देने का प्रयास रहता है। परिणामस्वरूप, कंपनी तैयार उत्पादों के निर्यात में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति पर जोर देती है। प्रमुख कच्चे मालों में से, जिन्हें सेल आयात करता है, एक कोकिंग कोल है। स्वदेशी कोल के साथ साथ ब्लैंडिड कोल मिश्र के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कीमती विदेशी मुद्रा के बहिर्प्रवाह को कम करने के लिए आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, आयातित इनपुट/कच्चे माल के लिए आपूर्तिकर्ताओं के बास्केट/पूल का विस्तार करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की इस घोषणा के साथ कि 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए कोई बैंक निविदा जारी नहीं की जाएगी, घरेलू प्रतिभागियों को अवसर मिलेगा, जिसके द्वारा विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा। इसके अलावा, कंपनी ने उस सीमा तक कच्चे माल और अन्य इनपुट की स्वदेशी अधिप्राप्ति करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिस पर वे व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य कीमतों/लागतों पर कंपनी को उपलब्ध हैं और कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को अनुरूप हैं।

झ. परियोजना प्रबंधन एएमआर योजनाएं

आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं के अलावा परिवर्धन, परिशोधन और प्रतिस्थापन योजनाएं (एएमआर) भी अपनाई गई हैं जिनकी वर्तमान अनिवार्यताओं के प्रबंधन और वृद्धि कारक उपायों में कुशलता और आउटपुट के वर्तमान स्तर में सुधार पर प्राथमिक रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए जरूरत है। एएमआर योजनाओं को वर्तमान प्रचालनों को संपोषित करने, उत्पादन प्रक्रियाओं की बैलेंसिंग/बाधाओं को दूर करने, ऊर्जा और अन्य संसाधन खपत सेवाओं/सुरक्षा और वातावरण में सुधार करने के लिए वर्तमान सुविधाओं में सुधार या संशोधन के लिए अपनाया गया है। प्रतिस्थापन में अधिकतर वर्तमान संयंत्रों और उपकरण/सुविधाओं का बेहतर निष्पादन वाले संयंत्र और उपकरणों के साथ प्रतिस्थापन शामिल है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नानुसार कंपनी के विभिन्न संयंत्रों में लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत वाली बड़ी संख्या में एएमआर योजनाएं क्रियान्वयन के अधीन थीं :

- राउरकेला डिपॉजिट के लिए 21 स्थानों पर स्थायी बैरकों का निर्माण, ब्लास्ट फर्नेस संख्या 4 के लिए स्टोक्स का उन्नयन, ब्लास्ट फर्नेस सं. 7 में कास्ट हाउस डिफ्यूमिंग व्यवस्था की स्थापना, सिंटर प्लांट-11 पर सभी 4 मशीनों के लिए पोलीक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल्स के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंध के लिए स्टेटिक सुविधा की स्थापना और मल्टी साइक्लोन्स के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स की स्थापना तथा भिलाई स्टील प्लांट पर आउटलेट - सी के अपशिष्ट जल का उपचार और साइकलिंग, भिलाई स्टील प्लांट पर कोक ओवन बैटरी-7 और 8 का पुनर्निर्माण और दल्ली माइन्स के सीएसडब्ल्यू प्लांट के वाशिंग सर्किट में परिशोधन।
- 2x20 मेगावाट नए विद्युत संयंत्र के लिए विद्युत निकासी बॉटम स्टिरिंग व्यवस्था के साथ कन्वर्टर शैल्स का प्रतिस्थापन और एसएमएस के सभी तीन कन्वर्टर में सैंकेंडरी एमिशन नियंत्रण की स्थापना, पुराने विद्युत संयंत्र में टर्बो-ब्लोअर सं. 1-4 के लिए एक स्टीम टरबाइन रोवर असेंबली की अधिप्राप्ति व दुर्गापुर स्टील संयंत्र पर बीएफ-4 में चौथे स्टोव की स्थापना।
- एनएसपीसीएल से एमएसडीएम-IV को 220 के.वी. की विद्युत निकासी, कोक हैंडलिंग और गैस हैंडलिंग के संवर्धन सहित सी ओ बी संख्या-2 के पुर्निर्माण तथा राउरकेला स्टील संयंत्र पर जेड एल डी संकल्पना के साथ सी ओ और सी सी डी के औद्योगिक कचरे का उपचार संयंत्र का उन्नयन।

- नया सिंटर संयंत्र, स्टील मेल्टिंग शॉप-I का आधुनिकीकरण, कोक ओवन बैटरी-8 का पुनर्निर्माण, लाइम किलन के इलेक्ट्रो स्टैटिक निस्सादक के का उन्नयन, सिंटर प्लांट में 6 इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिंपीटेटर्स के साथ बैटरी साइक्लोन्स का प्रतिस्थापन और बोकारो स्टील संयंत्र पर बी एस एल और टाउनशिप से दामोदर नदी से कच्चे जल के आहरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का विकास।

इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान उपर्युक्त में से 1200 करोड़ रुपए मूल्य की निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हुई हैं :

- बीएसएल में एसएमएस-1 का आधुनिकीकरण (स्लैब कॉस्टर, लैंडल फर्नेस संबंध सुविधाओं सहित)
- डीएसपी में पुराने विद्युत संयंत्र में टर्बो-ब्लोअर नं. 1-4 के लिए स्टीम टर्बाइन रोटल असंबली की खरीद।

ज. इन-हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई टी), आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणीकृत सेल की इन-हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी यूनिट उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए जरूरी परियोजनाओं के निवेश प्रस्ताव तैयार करने का प्रबंध करती है। सीईटी के पास ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में काम करने की अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढत है और इसने ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में भी क्षमता का विकास किया है। खानों से परिष्करण तथा स्टील कारोबार प्रक्रियाओं की पूरी मूल्य श्रृंखला में कैपेक्स परियोजनाएं डिजाइन और क्रियान्वित की जा रही हैं। क्षमता के प्रमुख क्षेत्रों खनन योजना, विकास और क्षमता विकास, खनिज लाभकारी, लदान और परिवहन, लौह अयस्क पेलेटाइजेशन, मेटैरियल हैंडलिंग, कोक ओवन और बार्ड-प्रोडक्ट प्लांट, स्टोक्स, सिंटरिंग प्लांट, स्लैग ग्रेन्युलेशन प्लांट आदि जैसी संबंध सुविधाओं के साथ ब्लास्ट फर्नोसिस, आर एच, एल एफ जैसी संबंध सुविधाओं के साथ स्टील मेल्टिंग शॉप, शून्य लिक्विड डिस्चार्ज परियोजनाओं, ऑक्सीजन संयंत्र, विद्युत संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण, परियोजनाएं, रिफ्रेक्टरी संयंत्र, ऑटोमेशन परियोजनाएं, इलैक्ट्रिक विद्युत आपूर्ति एवं वितरण परियोजनाएं एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आदि शामिल हैं। सीईटी द्वारा संभाली जा रही वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में बहुत सी ब्राउन फील्ड व ग्रीन फील्ड परियोजनाएं और तासरा, तलदीह, गुआ पर एमडीओ सहित भिलाई खानों स्थित खनिज लाभकारिता बीएसपी, आरएसपी, डीएसपी और बीएसएल में कोक ओवन बैटरीज का पुनर्निर्माण, डीएसपी, आईएसपी और बीएसपी में नए स्टोव की स्थापना, बीएसएल, बीएसएल में आरएच, आरएसपी में नए एसएमएस-III, आरएसपी में चौथे कॉस्टर की स्थापना, डीएसपी एवं बीएसपी में कन्वर्टर शैल परिवर्तन, बीएसपी में नई बार मिल, बीएसपी के यूआरएम में रेलों के लिए रिफिनिशिंग मिल परिसर, आरएसपी के एनपीएम में प्लेट्स के लिए सामान्यीकरण सुविधा, आरएसपी में प्लेट्स के लिए नया परीक्षण गृह, डीएसपी में व्हील्स के लिए एनडीटी सुविधाएं, आरएसपी, आईएसपी और बीएसपी पर ऑक्सीजन संयंत्र, आईएसपी, डीएसपी और आरएसपी की जेड एलडी परियोजनाएं, डीएसपी, आरएसपी पर विद्युत निकास परियोजनाएं, बीएसएल आदि पर एचएसएम का ऑटोमेशन आदि शामिल हैं।

ट. अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का लौह और स्टील के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र आरडीसीआईएस लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का प्रमुख अनुसंधान संगठन है। यह जानते हुए कि नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया नवप्रवर्तनों का विकास और समावेशन संधारणीय वृद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत हैं, सेल रांची स्थित अपने विधिवत सुसज्जित आरएंडडी केन्द्र के जरिए अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों पर जोर देता है। इसकी पन्द्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं के अंतर्गत तीन सौ से अधिक नैदानिक उपकरण स्थित हैं और पर्याप्त प्रमुख सुविधाएं मौजूद हैं। केन्द्र कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों लौह और स्टील के पूरे प्रतिबिंब को शामिल करते हुए अनुसंधान परियोजनाएं चलाता है। वर्ष 2020-21 में, संगठन को पर्याप्त लाभ पहुंचाने वाली 71 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पूरी की गई।

इस्पात मंत्रालय की सहायता से लगातार कास्टर के लिए मॉडल आधारित ब्रेकआउट पूर्वानुमान प्रणाली के स्वदेशी विकास के संबंध में एक परियोजना आगे बढ़ायी जा रही है।

वार्षिक निष्पादन योजना परियोजनाओं के अलावा, तकनीकी मुद्दों की जांच करने और कोल, सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील, रिफ्रेक्टरी और रोलिंग मिल आदि में मुख्य संबंधित क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए आरडीसीआईएस द्वारा 32 अल्पावधिक कार्य भी पूरे किए गए।

आरडीसीआईएस ने अनुप्रयोग के आधार पर बेहतर निष्पादन को ध्यान में रखते हुए बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रमुख उत्पादों के विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य भी किए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 17 उत्पादों का विकास किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों में विशेष गुणवत्ता वाली विभिन्न ग्रेडों की मौसम प्रतिरोधी प्लेट्स, छीजन प्रतिरोधी क्यूएंडटी प्लेट्स, उच्च दृढ़ता वाली पोत निर्माण गुणवत्ता ग्रेड, सौर पॉवर उद्योग आदि में संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए कोल्ड रोल्ल सेल कोर कॉयल्स आदि। विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए अपनी खोज में, आरडीसीआईएस ने प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों और अकादमियों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के सहयोग क्षेत्र में प्रवेश किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, इंडियन ऑयल अनुसंधान और विकास, सी- डीएसी तिरुवनंतपुरम जैसे संस्थानों और पीएसयू के साथ सहयोग कार्यों को आगे बढ़ाया गया है।

2020-21 के दौरान आरडीसीआईएस इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रयास 11 पेटेंट्स और 6 कापी राइट्स (सेल प्लांट्स के सहयोग में) को दायर कर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं। विभिन्न सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 50 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए और 76 पत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

ठ. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के निम्नलिखित व्यापार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और कुशल आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं :

- प्रचालनों की कुशलता
- संसाधनों का उचित उपयोग और सुरक्षा
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और मुस्तैदी
- निर्धारित नीतियों और प्रतिक्रियाओं का अनुपालन
- विभिन्न कानूनों और विनियमों का अनुपालन

सेल में, आंतरिक लेखा परीक्षा एक बहु-अनुशासनिक कार्य है जो कंपनी की विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा मूल्यांकन और आकलन करता है और अर्थपूर्ण और उपयोगी सुधारों का सुझाव देता है। यह बेहतर निगमित अभिशासन के प्रति जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए एक व्यवस्थापूर्ण और अनुशासित विचाराधारा लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में प्रबंधन की सहयता करता है।

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंपनी लगातार उपाय कर रही है। आंतरिक लेखा परीक्षा बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति द्वारा पर्यवेक्षित संपूर्ण नियंत्रण वातावरण के अधीन है, जो आंतरिक लेखा परीक्षा कर्मियों के उपयुक्त कौशल मिश्रण के साथ प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण में पारदर्शिता पर जोर देते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है। संयंत्र इकाइयों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रणाली/प्रक्रिया लेखा परीक्षा और बैंच मार्किंग पर जोर देने वाली प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान के आधार पर लेखा परीक्षा योजना, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा बनाई और अनुमोदित की गई है, ताकि लागत बचत और राजस्व उत्पादन, माल सूची और निष्क्रिय परिसंपत्तियों की समीक्षा, व्यवस्था सुधार नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन आदि को प्राप्त किया जा सके। वर्ष के दौरान, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यपालकों को प्रशिक्षण और विकास, लेखा परीक्षितियों के बीच जागरूकता लाना, आंतरिक लेखा परीक्षा की सक्रिय भूमिका पर अभिसरण करना अन्य फोस के क्षेत्र बने रहे हैं। लेखा परीक्षा समिति कंपनी ने सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ अपनी बैठकों में भी कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टों पर अपने निष्कर्षों पर भी अपने विचार सुनिश्चित किए हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली भली-भांति प्रलेखित नीतियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं से पूर्ण हैं और आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षाएं की जा रही हैं। समझौते/अद्यतन प्रास्थिति सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को अंतर्निहित करने वाली रिपोर्टों को आवधिक रूप से प्रबंधन और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

चेतावनी संबंधी विवरण

कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपणों और अनुमानों का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण संबंधी कुछ विशिष्ट विवरण परिवर्तनशील विवरण हैं और प्रयोज्य कानूनों और विनियमों के अर्थों के भीतर प्रगामी हैं। वास्तविक परिणाम उन अभिव्यक्त या अंतर्निहित, आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

एकल तुलन - पत्र

4: 31 मार्च, 2021 के अनुसार

(₹ करोड़)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमानपरिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	64115.26	65369.42
(ख) पूंजीगतकार्य प्रगति पर	5	8878.48	8751.56
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	4क	2054.13	2205.08
(घ) निवेश संपत्ति	6	1.09	1.12
(ङ) अमूर्तपरिसंपत्तियां	7	1429.28	1443.42
(च) मालसूची	7क	4236.26	-
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	1595.01	1584.98
(ii) व्यापारप्राप्तियां	9	-	-
(iii) ऋण	10	756.23	664.59
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	334.21	446.56
(ज) आस्थगितकर परिसंपत्तियां	12	-	2078.99
(झ) वर्तमानकरपरिसंपत्तियां (निवल)	13	216.78	152.35
(ञ) अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	14	1566.81	1481.29
		85183.54	84179.36
वर्तमानपरिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	15	15272.04	23747.20
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापारप्राप्तियां	16	7124.00	8812.39
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	468.40	153.43
(iii) अन्य बैंक शेष	17 (ii)	212.12	209.82
(iv) ऋण	18	50.47	49.67
(v) अन्य वित्तीयपरिसंपत्तियां	19	2478.11	2188.99
(ग) अन्य वर्तमानपरिसंपत्तियां	20	6353.97	5729.75
		31959.11	40891.25
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां	21	17.01	27.20
		117159.66	125097.81
कुल परिसंपत्तियां			
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयरपूंजी	22	4130.53	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	39364.35	35646.85
		43494.88	39777.38
देयताएं			
गैर-वर्तमानदेयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	24	19725.96	34560.03
(ii) व्यापार देय	25	-	-
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि		-	6.66
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	1231.07	1295.59
(ख) प्रावधान	27	4525.89	4108.80
(ग) आस्थगितकरदेयताएं (निवल)	12	1253.16	-
(घ) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	28	439.97	397.51
		27176.05	40368.59
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	29	15850.24	16640.78
(ii) व्यापार देय	30	-	-
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		103.57	47.99
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देनदारों की कुल बकाया राशि		6910.84	6272.39
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	31	14017.14	13732.40
(ख) अन्य वर्तमानदेयताएं	32	7555.04	5723.85
(ग) प्रावधान	33	2039.84	2354.93
(घ) वर्तमानकरदेयताएं (निवल)	34	12.06	179.50
		46488.73	44951.84
		117159.66	125097.81

कुल इक्विटी और देयताएं

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

संलग्न नोट एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 10 जून, 2021

एकल लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालन से राजस्व	35	69110.02	61660.55
अन्य आय	36	1011.69	985.22
कुल आय		70121.71	62645.77
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	37	23136.17	29212.87
तैयार वस्तुओं, कार्य प्रगति पर और उप-उत्पाद की माल की सूची में परिवर्तन	38	4268.58	(5555.82)
कर्मचारी लाभ व्यय	39	10445.94	8781.32
वित्त लागत	40	2817.14	3486.76
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4102.00	3755.05
अन्य व्यय	41	18531.28	19023.17
कुल व्यय		63301.11	58703.35
असाधारण मद और कर पूर्व लाभ		6820.60	3942.42
घटाएं : असाधारणमद	41क	(58.43)	771.76
करसे पहले लाभ		6879.03	3170.66
कर व्यय			
वर्तमान कर		12.05	224.14
आस्थगित कर		3016.96	924.98
कुल कर लाभ		3029.01	1149.12
वर्ष के लिए लाभ		3850.02	2021.54
अन्य व्यापक आय			
(i) ऐसी वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन ओसीआई के माध्यम से		357.49	(194.21)
उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी साधनों में निवेश से		16.67	16.60
लाभ और हानि			
(ii) आय उन मदों से संबंधित है जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(93.63)	61.90
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		280.53	(115.71)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		4130.55	1905.83
आय प्रति इक्विटी शेयर			
इक्विटी शायरों की संख्या (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य)		4130525289	4130525289
मूल और तनुकृत आय प्रति शेयर (रुपए)	41ख	9.32	4.89
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		
संलग्न नोट एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।			

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली एम नं. 010905
दिनांक: 10 जून, 2021

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

एकल इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क इक्विटी शेयरपूंजी

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 के अनुसार शेष
मतदान के अधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.41	0.01	4130.42
मतदान के अधिकार के बिना इक्विटी शेयर	0.12	(0.01)	0.11
कुल	4130.53	-	4130.53

विवरण	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 के अनुसार शेष
मतदान के अधिकार के साथ इक्विटी शेयर	4130.41	0.01	4130.42
मतदान के अधिकार के बिना इक्विटी शेयर	0.12	(0.01)	0.11
कुल	4130.53	-	4130.53

ख अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

विवरण	रिज़र्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय - रिज़र्व	कुल
	पूंजी रिज़र्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिज़र्व	सामान्य रिज़र्व	बॉन्ड ऋण-मुक्ति रिज़र्व	अर्जित प्रतिधारिता	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	
अप्रैल 2019 को शेष राशि	1.75	235.10	5095.13	1994.14	26638.87	56.05	34021.04
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	2021.54	-	2021.54
वर्ष के लिए (कर का निवल) अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	(128.44)	12.73	(115.71)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1893.10	12.73	1905.83
बॉन्ड ऋण-मुक्ति रिज़र्व से अंतरण	-	-	-	(895.75)	895.75	-	-
बॉन्ड ऋण-मुक्ति रिज़र्व के लिए अंतरण	-	-	-	276.63	(276.63)	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(206.53)	-	(206.53)
इक्विटी लाभांश पर कर	-	-	-	-	(41.54)	-	(41.54)
इंड एस 116 समायोजन	-	-	-	-	(31.95)	-	(31.95)
31 मार्च 2020 को शेष राशि	1.75	235.10	5095.13	1375.02	28871.07	68.78	35646.85
1 अप्रैल 2020 को शेष राशि	1.75	235.10	5095.13	1375.02	28871.07	68.78	35646.85
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	3850.02	-	3850.02
वर्ष के लिए (कर का निवल) अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	267.65	12.88	280.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	4117.67	12.88	4130.55
बॉन्ड ऋण-मुक्ति रिज़र्व से अंतरण	-	-	-	(290.87)	290.87	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(413.05)	-	(413.05)
31 मार्च 2021 को शेष राशि	1.75	235.10	5095.13	1084.15	32866.56	81.66	39364.35

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

3

संलग्न नोट एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

नकदी प्रवाह के विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	6879.03	3170.66
समायोजन किया गया :		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4102.00	3755.05
अचल परिसंपत्तियों (निवल) के निपटान पर हानि/(लाभ)	37.74	49.43
ब्याज आय	(267.97)	(236.95)
लाभांश आय	(160.81)	(86.65)
वित्त लागत	2822.61	3387.02
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर अप्राप्त हानि/(लाभ)	(5.47)	99.74
गैर-वर्तमान निवेशों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(4.47)	(0.59)
खराब ऋण और संदिग्ध अग्रिम/प्राप्त के लिए प्रावधान	92.69	76.12
अन्य प्रावधान	169.26	212.86
गैर दावा शेष और खाते डाले गए अतिरिक्त प्रावधान	(283.10)	(406.97)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से प्रचालन पूर्व लाभ	13381.51	10019.72
परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन:		
व्यापार प्राप्य राशि	1619.90	(4385.41)
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ	(682.87)	(102.42)
देय व्यापार	687.37	(937.77)
अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	4215.71	(526.38)
प्रावधान	102.00	(140.45)
माल-सूची	4094.62	(4490.81)
पूंजी परिवर्तनों के बाद प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	23418.24	(563.52)
प्रदत्त आयकर (निवल)	(22.36)	(87.05)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	23395.88	(650.57)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) और अमूर्त मर्दों की खरीद	(3827.26)	(4672.30)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से आय	142.98	223.23
वर्तमान और गैर-वर्तमान निवेशों की खरीद	9.53	11.74
सावधि जमा में संवलन (निवल)	(2.30)	(24.99)
प्राप्त ब्याज	125.45	139.55
प्राप्त लाभांश	160.81	86.65
निवेश गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह/(उपयोग) (ख)	(3390.79)	(4236.12)
ग. निधिकरण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधार (निवल) से आय	(15544.45)	2897.82
अल्पकालिक उधार (निवल) से आय	(790.54)	6009.56
वित्त लागत भुगतान	(2942.08)	(3653.78)
लाभांश भुगतान	(413.05)	(248.07)
निवेश गतिविधियों में निवल नकद प्रवाह/(उपयोग) (ग)	(19690.12)	5005.53
घ. नकदी और नकदी समकक्ष में निवलवृद्धि (क+ख+ग)	314.97	118.84
वर्ष के शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	153.43	34.59
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	468.40	153.43

वर्ष के दौरान उधारों में महत्वपूर्ण गैर-नकद उतार-चढ़ाव निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

	गैर नकद परिवर्तन				
	31 मार्च, 2020 को	नकद प्रवाह	उचित मूल्य परिवर्तन	वर्तमान/गैर वर्तमान वर्गीकरण	31 मार्च, 2021 को
उधार-गैर-वर्तमान	34560.03	(15476.40)	2493.55	(1851.22)	19725.96
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वता	2602.40	(2602.40)	-	1851.22	1851.22
उधार-वर्तमान	16640.78	(480.26)	(310.28)	-	15850.24
वित्तीय लागत		(3047.86)	105.78		

जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह विवरण में बताया गया है, नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर के तैयार किया गया है।

इनसंलग्न नोट एकल वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएएसजी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
एम नं. 010905

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी के रूप में संदर्भित), सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत में अधिवासित और निगमित है। भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त यह कंपनी देश में सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है। कंपनी की प्रतिभूतियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पीएलसी में सूचीबद्ध हैं। इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और 10 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2. तैयारी का आधार

2.1 अनुपालन का वक्तव्य

कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित और आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखा सिद्धांत के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

2.2 मापन आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित और देयताओं को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें संगत भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति, वहन राशि-रु39या और उचित मूल्य से बिक्री लागत घटाकर;
- परिभाषित लाभ योजना और नियोजित परिसंपत्ति;

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय (रुपए) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। रुपए में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचनाओं को निकटतम दो दशमलव तक निकटतम करोड़ में पूर्णांक बना दिया गया है जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

2.4 अनुमानों का उपयोग और प्रबंधन निर्णय

भारतीय लेखा मानक और कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा और साथ में प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। निर्णयों, अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को संभावित रूप से मान्यता दी जाती है। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं।

2.5 वर्तमान बनाम गैर वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान / गैर-उच्च वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को वर्तमान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में बेचने या उपभोग किए जाने का विचार या प्राप्ति की उम्मीद हो यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- अवधि के बाद बारह माहों के अंदर प्राप्त किए जाने की उम्मीद; या
- नकद या नकद समकक्ष जब तक कि एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माहों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देयता को वर्तमान के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसका सामान्य परिचालन चक्र में निपटान होने की उम्मीद हो
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माहों के अंदर निपटान होने की उम्मीद हो, या

- अवधि के बाद कम से कम बारह माहों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त कोई अधिकार नहीं है

अन्य सभी देयताओं को गैर-उच्चवर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रसंस्करण और नकदी एवं नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय परिचालन चक्र होता है। आस्थगित पर परिसंपत्ति और देयताओं को गैर-उच्चवर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी की लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश या नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत को वि-रु39यवासपूर्वक मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के अधिग्रहण के लिए शुरू में खर्च की गई लागत पर लागू होता है, यदि कोई हो, फ्रीहोल्डभूमि को छोड़कर जो ऐतिहासिक लागत पर वहन की जाती है। वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या/और आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु रखे गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को, बाद के किसी संचित मूल्यहास और हानि को लागत से घटाकर कहा गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की नकद मूल्य तुल्यता की प्रारंभिक लागत में इसका खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर, परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष लागत तथा इसके इच्छित उपयोग के लिए किसी भी अनिवार्य डिकमिशनिंग लागत का वर्तमान मूल्य शामिल हैं।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में अप्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपशीर्षों का आबंटन, परीक्षण करने का व्यय (राजस्व का निवल) सहित उधारी पर व्यय शामिल है।

एक वर्ष से अधिक उपयोगी अवधि और प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के मूल्य वाले पुर्जों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित शीर्षों के तहत पूंजीकृत किया जाता है। जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु में विभिन्न उपयोगी जीवन वाले प्रमुख घटक होते हैं, इन घटकों को अलग-अलग मदों के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत कार्य प्रगति में उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु निर्माण के दौरान परिसंपत्तियां शामिल हैं या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। उस बिंदु पर जब कोई परिसंपत्ति प्रबंधन के इरादे से काम कर रही है, निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है। एक परिसंपत्ति के कमिशनिंग से जुड़ी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है लेकिन प्रचालन की अवधि पूरी होने तक सामान्य स्तर पर संचालन करने में सक्षम होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा उचित हो, तभी जब यह संभावना हो कि भविष्य में लागत से होने वाले आर्थिक कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। बदली हुई वस्तु (सामानों) की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की 50 लाख रुपए या इससे अधिक लागत की किसी भी मरम्मत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त की जाती है, अगर यह संभावित हो कि लागत के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। प्रतिस्थापित मद (मदों) की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

3.2 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां किराए और/या पूंजी मूल्य वृद्धि के लिए अर्जित संपत्तियां हैं – निवेश संपत्तियों को शुरू में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवे-रु39या संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानि हानियों पर बताया गया है। निवेश संपत्ति के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को निवल निपटान आय और संपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.3 मूल्यहास

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा निवेश संपत्ति पर मूल्यहास ऋजु रेखा विधि पर, परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि के 5 प्रतिशत के अधिशेष मूल्य पर विचार करते हुए, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट है, परिसंपत्ति की निम्नलिखित श्रेणी के मामले को छोड़कर, जहां उपयोगी अवधि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित की जाती है, प्रदान किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मानी गई उपयोगी अवधि निम्नानुसार है :

परिसंपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी अवधि (वर्षों में)
फैक्टरी	35 से 40
संयंत्र और मशनरी	10 से 40
जल आपूर्ति और सीवरेज	25 से 40
रेलवे लाइन और साइडिंग्स	35 से 40

इन वर्गों के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि की प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर कंपनी को इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी अवधि से अलग है।

फ्री होल्ड जमीन का मूल्यहास नहीं होता है।

प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यहास/परिशोधन संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्यों की, अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव के कारण एक संभावित आधार पर समीक्षा की जाती है।

जब किसी मूल्यहास योग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत एक परिवर्तन से गुजरती है, संपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी अवधि पर संशोधित गैर परिशोधित मूल्यहास योग्य राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान जमा/विलोपन पर मूल्यहास आनुपातिक आधार पर जमा/विलोपन के माह के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। 5000 रुपए तक की लागत वाली परिसंपत्तियां उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास की जाती हैं, जिसमें उन्हें उपयोग किया जाता है। फ्री होल्ड भूमि का मूल्यहास नहीं होता है।

पूंजीगत पूंजी पर मूल्यहास, पुर्जों के उपयोगी जीवन या मूल संपत्ति के शेष उपयोगी अवधि, जो भी कम हो, पर प्रदान किया जाता है।

3.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और व्यावसायिक रूप से वसूली योग्य भंडार पर उत्पादन की इकाई का उपयोग करके सभी संबंधित लागतों का परिशोधन किया जाता है। यदि खनन अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित शेष किए गए भुगतान की लागत गैर-उच्च नवीनीकरण के निर्णय के वर्ष के राजस्व में प्रभारित की जाएगी।

अधिग्रहण लागत अर्थात् लाइसेंस के अधिग्रहण से जुड़ी लागत, और संबंधित व्यावसायिक शुल्क सहित खोज अधिकार, वैधानिक वानिकी समाशोधनों के लिए भुगतान, जब भी खर्च किया जाए, खनन अधिकार के अलावा माना जाता है।

अन्य अमूर्त परिसंपत्ति लाभ की अपेक्षित अवधि में सीधी रेखा विधि पर परिशोधित होती हैं। सॉफ्टवेयर जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और पांच वर्ष या इसकी लाइसेंस अवधि जो भी कम हो, पर परि-रु39याोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे दृढ़ता से मापा जा सकता है और संबंधित परिसंपत्ति और प्रक्रिया को कंपनी द्वारा पहचाना और नियंत्रित किया जाता है और जब भी खर्च किया जाता है, अनुसंधान और अन्य विकास व्यय, राजस्व व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

3.4.1 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती लागत को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब यह भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभों को ब-सजयाता है, जो कि इससे संबंधित परिसंपत्ति में होता है। अन्य सभ व्यय, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

3.4.2 अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर अमान्य कर दिया जाता है, या जब भवि-नवजयय में उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी रा-रु39या के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को गैर-उच्चमान्यता प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5 अनावृत (स्ट्रिपिंग) लागत

सतह की खान के उत्पादन चरण के दौरान की गई अनावृत लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऐसी लागत भविष्य में अयस्क भंडार तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्नलिखित मानदण्ड पूरे किए जाते हैं:

- यह संभावना है कि अनावृत गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ (किसी अयस्क भंडार तक पहुंच में सुधार) इकाई के लिए प्रवाह होगा,
- इकाई एक अयस्क भंडार के घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतें दृढ़ता से मापी जा सकती हैं।

व्यय, जिसे अयस्क तक पहुंचने के लिए वि-रु39यो-नवजया रूप से पहचाना नहीं जा सकता, परियोजना रिपोर्ट पर आधारित कॉलियरीज़ को छोड़कर, खदानों के लिए 5 वर्षीय खनन योजना के अनुसार अनावृत अनुपात पर राजस्व में लिया जाता है।

3.6 गैर-उच्चवित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

कंपनी पूरे एक संयंत्र की परिसंपत्तियों को केश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में मानकर, यदि कोई हो, तो हानि सूचकांकों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो निवल विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य, दोनों से अधिक है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो क्षति/हानि को मान्यता दी जाती है।

यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को केवल तभी उलट दिया जाता है जब पिछली क्षति हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई परिवर्तन हुआ हो।

3.7 ऋण लागतें

ऋण लागतें प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार लागत हैं जिसमें पर्याप्त अवधि लगती है, इन्हें उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जो उस अवधि के दौरान परिसंपत्ति के इच्छित उपयोग को पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक है। उधार लेने की लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर भी शामिल है जिसे उधार लेने की लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

कंपनी पर्याप्त अवधि के रूप बारह माह या उससे अधिक की अवधि मानती है। दीर्घकालीन उधारों के संबंध में लेनदेन लागतें प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए संबंधित ऋण के कार्यकाल में अमूर्त होती हैं और उधार लागत के अंदर शामिल किया जाता है। सभी अन्य उधार लागतों को, जिस अवधि में यह व्यय की जाती है, लाभ-उच्च हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.8 मालसूचियां

कच्चे माल, स्टोर और पुर्जों और तैयार/अर्ध-तैयार उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्य संबंधित संयंत्र/इकाइयों की वस्तुओं के मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम निर्धारित किया जाता है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर-प्रचलित वस्तुओं के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में प्रसारित किया जाता है। अर्ध-तैयार विशेष उत्पादों का निवल वसूली मूल्य, जो केवल तैयार चरण में वसूली योग्य मूल्य है, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए अनुमानित है।

अमूर्त सह-उत्पाद, अवशेष उत्पाद और अन्य स्क्रैप को निवल वसूली योग्य मूल्य पर अनुमानित किया गया है।

लागत निर्धारण का आधार निम्न है :

कच्चा माल – आवधिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

स्टोरेज और स्पेयर – गतिशील भारित औसत लागत

पारगमन में सामग्री – लागत पर तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और लागत का अन्य उचित हिस्सा, जिसमें उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए निर्माण उपरि शामिल हैं।

3.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी उन्हें संलग्न करने की शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी अवधि पर परिशोधन किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसे अनुदान संबंधित/कवर करने के लिए खर्च किए जाते हैं। जहां कंपनी को गैर-उच्चयमौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उपयुक्त मात्रा में सकल रूप में दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ की खपत के अपेक्षित उपयोगी अवधि और पैटर्न पर आय खाते के लिए जारी किया जाता है।

3.10 विदेशी मुद्रा लेन देन

विदेशी मुद्रा लेन देन कंपनी के कार्यात्मक मुद्रा में लेन देन की तिथि में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करते हुए विनिमय किया जाता है। विदेशी मुद्रा लाभ और हानि से उत्पन्न और विदेशी मुद्रा में संप्रेषित मौद्रिक मदों के पुनः मापन को अवधि-अंत विनिमय दरों पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

अवधि के अंत में गैर-उच्चयमौद्रिक वस्तुओं का पुनः रूपांतरण नहीं किया जाता है और ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। “लेन-देन की तारीख में विनिमय दरों का उपयोग करके रूपांतरण किया जाता है, गैर-मौद्रिक वस्तुओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो उस तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग द्वारा रूपांतरित होते हैं जब उचित मूल्य नियत कर रखा था।

कंपनी ने दीर्घकालिक विदे-रु39यी मुद्रा मदों में होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 (यथा संशोधित 29 दिसम्बर, 2011) को अधिसूचित लेखांकन मानक(संशोधित) से संबंधित कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 के विकल्प को चुना है जो 31 मार्च 2016 को, पहले से मौजूद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मदों के लिए इंड-एस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, मूल्यहास योग्य अचल परिसंपत्तियों के कारण दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं से संबंधित विनिमय दर भिन्नताओं से उत्पन्न समायोजन के लिए पूंजीकृत किया जाता है। 31 मार्च 2016 के बाद लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों हेतु, दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य मौद्रिक वस्तुओं के पुनः रूपांतरण या निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

3.11 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना वह रोजगार पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी एक अलग इकाई में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जब कर्मचारियों ने अंशदान के लिए सेवा प्रदान की है।

भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए अंशदान उस अवधि के लाभ और हानि विवरण से लिया जाता है जब निधियों में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएं उस लाभ की राशि हैं जो किसी कर्मचारी को सेवा की अवधि, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के संदर्भ में सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त होगी। ऐसे लाभों के लिए कानूनी और/या रचनात्मक दायित्व कंपनी के पास रहता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्य की गई देयता, रिपोर्टिंग तिथि में गैर-उच्चयमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ या हानि और पिछले सेवा लागत के समायोजन के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य से नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य घटाकर है। प्रबंधन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से डीबीओ के सालाना मूल्य का अनुमान लगाता है। बीमांकिक लाभ और हानि वर्ष के लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किए जाते हैं।

पुनर्मापन, बीमांकिक लाभ और हानि सहित, परिसंपत्ति की सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन का प्रभाव और नियोजित परिसंपत्तियों पर लाभ (ब्याज को छोड़कर), तुलन पत्र में अन्य व्यापक आय में जिस अवधि में अर्जित होता है, मान्यता प्राप्त चार्ज या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन को प्रतिधारित आय में तुरंत परिलक्षित किया जाता है और लाभ और हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में वेतन, बोनस, अनुग्रहपूर्वक, वार्षिक आवकाश और बीमारी में अवकाश जैसे कर्मचारी लागत शामिल होते हैं जो उस वर्ष में अर्जित होते हैं जिसमें संबंधित सेवाएं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताओं को संबंधित सेवाओं के बदले में अपेक्षित लाभ की बिना रियायती मात्रा पर मापा जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

3.12 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वस्तुओं की बिक्री

बिक्री, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतों का निवल हैं। बिक्री को मान्यता दी जाती है जब यह ग्राहकों को वादा किए गए सामान या सेवाओं (अर्थात् परिसंपत्ति) को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करता है और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, बिक्री का हिसाब अनंतिम आधार पर किया जाता है।

समुद्री निर्यात की बिक्री निम्न पर मान्यता दी जाती है :

1) लदान के बिल का मुद्रा, या

2) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का परिक्रमण, जिन मामलों में, शिपमेंट के बिना भौतिक मूल्य की वसूली के बारे में संबंधित अनुबंधों के साथ पत्रों में दिया जाता है, इनमें से जो पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और उसकी प्राप्ति को अनिश्चित नहीं माना जाता है।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.13 पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के उद्घाटन को पुनः वर्णित किया जाता है।

3.14 परिनिर्धारित नुकसान और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

अंतिम निपटान पर कंपनी द्वारा तरल क्षति के दावों का हिसाब लगाया जाता है जब कंपनी द्वारा इन्हें वसूली योग्य माना जाता है। जैसा भी मामला हो, तरल क्षति के अंतिम निपटान पर ये पूंजी लागत से समायोजित किए जाते हैं और लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

मूल्य वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ता और संविदाकारों के दावों का हिसाब उस हद तक होता है, जब तक कंपनी द्वारा इस तरह के दावे स्वीकार किए जाते हैं।

3.15 पट्टा

एक अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या यह अनुबंध है, या इसमें एक पट्टा है, जिसके आधार पर अनुबंध पर विचार के बदले में किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

कंपनी बारह माह या उससे कम के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, पट्टा प्रारंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देती है, जो पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में खर्च किए जाते हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि, जो आरंभिक तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, के साथ कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने हेतु जिस पर वह स्थित है, की अनुमानित लागत से पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटाने के बाद शेष राशि शामिल होती है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति या पट्टे की अवधि के अंत के उपयोगी अवधि के अंत से पहले की तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करते हुए उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति को बाद में मूल्यहास किया जाता है। कुछ निश्चित पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टा अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल हैं। उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति और पट्टे की देयताओं के अधिकार में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह निश्चित रूप से है कि उनका उपयोग किया जाएगा। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर सही उपयोग की परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी अवधि उसी आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति की समय-समय पर हानि के संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और हानि की क्षति कम हो जाती है, यदि कोई हो, और कुछ पट्टे देयता को पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं, पट्टा में निहित ब्याज दर या यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धि शामिल उधार दर के आधार पर छूट दी जाती है।

पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव से भविष्य के पट्टा भुगतान में कोई बदलाव होता है, तो इसका पुनर्मापन किया जाता है, यदि कंपनी के अव-रु39या-नवजयट मूल्य की गारंटी के तहत देय राशि के अनुमान में बदलाव होता है, या यदि कंपनी अपना मूल्यांकन बदल देती है कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगी या नहीं।

जब पट्टा देयता फिर से मापी जाती है तो उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक समतुल्य समायोजन सही किया जाता है, या लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है।

कंपनी एक ऋणदाता के रूप में

वित्त पट्टा

पट्टे जो प्रभावी रूप से पट्टेदार को पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के

संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करती है, को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत और हिसाब किया जाता है। पट्टा किराए की रसीदें वित्त आय और रिटर्न की निहित दर के आधार पर पूंजी पुनर्भुगतान के बीच संलग्न होती हैं। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन पट्टे

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में -रु39यामिल किया गया है। किराये की आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-उचयरेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि किराए में अनुसूचित वृद्धि कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ मुआवजा देती है।

3.16 बिक्री के लिए धारित गैर-उचयवर्तमान संपत्तियां

कंपनी गैर-उचय वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है, यदि इसकी वहन राशि बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से वसूली जाएगी। इस स्थिति को केवल तब ही माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए रखे गए बंद परिचालन सहित गैर-उचयमौजूदा परिसंपत्तियों को वहन राशि और उचित मूल्य से बिक्री मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए रखे जाने के बाद, परिसंपत्ति मूल्यहास या परिशोधन के अधीन है। बंद किए गए संचालन की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल लाइन मद के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

3.17 खदान बंद होना

खदान बंद करने के प्रावधान में मूलसंरचना को हटाया और -सजयहाना, अव-रु39या-नवजयट पदार्थों का नि-नवजयकासन और खानों के लिए बाधित क्षेत्रों का उपचार शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खदान बंद करने की लागतें लेखांकन अवधि के लिए प्रदान की जाती हैं, जब परिचालन अवधि के दौरान और बंद होने के बाद होने वाली बहाली की अनुमानित भविष्य की लागतों के निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी ने किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) प्रस्तुत किया है और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध वि-रु39यवसीनय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जहां भौतिक धन का मूल्य समय है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को द-रु39याने के लिए समायोजित किया जाता है। जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आव-रु39ययक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष में वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है, तो प्राप्य को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह नि-रु39ययत है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को दृढ़ता से मापा जा सकता है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की पु-नवजयट केवल किसी या गैर-घटना अनिश्चित भविष्य की घटनाओं द्वारा की जाएगी, जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होती है या अतीत की घटनाओं के उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व है किन्तु मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि यह संभव नहीं है दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आव-रु39ययकता होगी या दायित्वों की मात्रा का विश्वसीनय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को अनुचित या दूरस्थ माना जाता है, किसी को मान्यता नहीं दी जाती है या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्ति आमतौर पर अनियोजित और अन्य प्रत्याशियात

घटनाओं से उत्पन्न होती है जो आर्थिक लाभ के प्रवाह की संभावना को जन्म देती है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता प्राप्त नहीं है तथापि इसको केवल वहां प्रकट किया गया है, जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है।

3.19 आयकर

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में आस्थगित कर और वर्तमान कर का योग—रु39यामिल होता है, सिवाय उस सीमा तक जो कर उन वस्तुओं से संबंधित होता है जिन्हें सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती है, जिस स्थिति में संबंधित कर होता है या तो सीधे ओसीआई या तदनुसार इक्विटी में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि—रु39या पर मापा जाता है। कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देयताओं को ऑफसेट करती है जब ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उनका उद्देश्य निवल या एक साथ वसूल किया जाना होता है।

आस्थगित आय करों की गणना तुलन पत्र देयता विधि/दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध किया जाएगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशिया की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्से का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं।

कंपनी आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को तब ऑफसेट करती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उनका एक साथ निपटान या एहसास होता है।

3.20 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष में, हाथ में नकदी और चैक मांग जमा के साथ-साथ अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश 3 माहों के मूल परिपक्वता शामिल हैं, जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं और मूल में परिवर्तन के एक नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं।

3.21 वित्तीय विलेख

मान्यता, प्रारंभिक माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी विलेख के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापी जाती है। लेन-उचयदेन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण या जारी करने हेतु सीधे जिम्मेदार हैं, उन्हें छोड़कर जिन्हें शुरुआत में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त हो जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और कंपनी ने स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है। एक वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) को अमान्य कर दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या छुट्टी दे दी जाती है या रद्द कर दी जाती है या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उसके बाद के मापन उसके बाद के माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अमूर्त लागत

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कम से कम हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

परिशोधित लागत

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

- क) वित्तीय परिसंपत्ति को एक व्यापार मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को धारणा करना है; और
- ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि या पर ब्याज का भुगतान करती हैं।

कंपनी के नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य और अधिकां—रु39या अन्य प्राप्य वित्तीय विलेखों की श्रेणी में आते हैं।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परि—रु39योधन लागत वर्गीकरण के मानदण्डों को पूरा नहीं करती हैं या जो व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी उपकरण हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण साधन हैं जिन्हें व्यापार मॉडल को एकत्र करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या गैर व्यापारिक इक्विटी साधन हैं जो इस श्रेणी में शुरुआत से ही अपरिवर्तनीय हैं।

एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ब्याज और लाभों—रु39या आय, हानि के नुकसान और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, जिन्हें लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उसके बाद में माप ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताओं या एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट को छोड़कर वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जो लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ और हानि के विवरण के साथ उचित मूल्य पर बाद में लाए जाते हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेखों की गणना एफवीटीपीएल पर की जाती है।

एम्बेडेड व्युत्पन्न

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंधों में व्युत्पन्न और गैर व्युत्पन्न दोनों घटक होते हैं। ऐसे मामलों में, व्युत्पन्न घटक को एम्बेडेड व्युत्पन्न कहा जाता है, जिसमें गैर—उचयव्युत्पन्न घटक मेजबान वित्तीय देयता अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एम्बेडेड व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंध से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंध को स्वयं एफवीटीपीएल में, एम्बेडेड व्युत्पन्न को विभाजित किया जाता है और उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताओं पर निवल लाभ (हानि) में मान्यता प्राप्त लाभ और हानि के साथ नहीं मापा जाता है। मेजबान वित्तीय दायित्व का हिसाब उपयुक्त भारतीय लेखा मानक के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि क्षति की माप और मान्यता के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

ईसीएल उन सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है जो

कंपनी को अनुबंध के अनुसार देय हैं और सभी नकदी प्रवाह जो कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्तियों को शुरू में विनिमय की गई राशियों के आधार पर उचित मूल्य पर और बाद में भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किसी भी हानि को घटाकर परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय विलेखों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताओं का ऑफसेट हैं और तुलनपत्र में रिपोर्ट की गई निवल राशियां जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं और निवल आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति की वसूली करने और साथ-साथ दायित्व का निपटान करने का इरादा है। कानूनी रूप में लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार में और प्रतिपक्ष की डिफॉल्ट, दिवाला या दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.22 अनुबंधी, संयुक्त उपक्रम, सहयोगियों और इक्विटी साधन में निवेश

अनुबंधी, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश भारतीय लेखा मानक-27, 'पृथक वित्तीय विवरणों' के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संचित हानि को घटाकर, यदि कोई हो, लागत पर किया जाता है।

इक्विटी साधनों में निवेश, जहां कंपनी ने अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऐसे साधनों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओआईसी से पी एण्ड एल तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। जबकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के अंदर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेश पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.23 खण्ड की रिपोर्टिंग

कंपनी के आठ परिचालन खण्ड हैं : पांच एकीकृत स्टील संयंत्र और तीन एलॉय स्टील संयंत्र, जो अलग-अलग विनिर्माण इकाइयां हैं, रिपोर्टेबल परिचालन खण्ड माने जाते हैं। इन परिचालन खण्ड की पहचान करने में, प्रबंधन आम तौर पर कंपनी के अलग-अलग परिचालन पहचाने जाने योग्य विनिर्माण परिचालन को अपने मुख्य संचालन का प्रतिनिधित्व करता है।

इनमें से प्रत्येक परिचालन खण्ड को अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और अन्य संसाधनों के मामले में प्रत्येक की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं। सभी अंतर-खंड अंतरण समान वस्तुओं या सेवाओं की एकल बिक्री में असंबंधित ग्राहकों से ली गई कीमतों के आधार पर हाथों की लंबाई की कीमतों पर किए जाते हैं।

इसके अलावा कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां जो किसी भी परिचालन खण्ड की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, एक खण्ड को आर्बिट्ररी नहीं की जाती हैं। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन कार्यों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए खण्ड लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए माप तरीकों में पूर्व अवधियों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3.24 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, धारणाएं और अनुमान

3.24.1 पट्टा

कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है - पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टा अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है।

3.24.2 बंद करना और पुनर्भंडारण दायित्व

बंद करना और पुनर्भंडारण लागत खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है और खनन बंद करने के बाद के वर्षों में खान बंद करने और बहाली लागत पर अधिकांश खर्च होता है, हालांकि खर्च होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, कंपनी संभाव्यता और भविष्य की लागतों के बारे में धारणाओं के अलावा, वैज्ञानिक और कानूनी डेटा और मौजूदा तकनीक की वर्तमान व्याख्या के आधार पर उनकी लागत का अनुमान लगाती है।

3.24.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 मालसूचियां

कंपनी मालसूचियों की लागत का अनुमान, सबसे विश्वासार्ह साक्ष्यों को ध्यान में रख कर करती है जैसे कि ऐसी मालसूचियों की सामग्री की लागत और ऊपरी खर्च को उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रबंधन भी मालसूचियों के निवल प्राप्य मूल्यों का अनुमान, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रख कर सकता है। इन माल सूचियों का भविष्य, भावी तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकती हैं।

3.24.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमाकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु और निकासी दर के साथ-साथ भावी विकास से संबंधित छूट दरें, चिकित्सा लागत के रुझान, भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएं उचित हैं। जबकि, इन धारणाओं में किसी भी बदलाव के फलस्वरूप गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

कंपनी वित्तीय विलेखों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करती है। इसमें आकलनों को विकसित करना और विलेख के मूल्य के प्रति बाजार में सहभागियों की तर्कसंगत धारणाएं शामिल हैं। कंपनी की धारणाएं यथा संभव अवलोकन योग्य डेटा पर, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर किसी अन्य लेन देन में प्राप्त किए जाएंगे।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभावना के बारे में आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को, सर्वोत्तम निर्णय के रूप में लागू किया गया है।

3.24.8 खान बंद करने और पुनर्स्थापना दायित्व

पर्यावरणीय देयताओं और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ) :

पर्यावरणीय देयताएं और एआरओ के आकलन के लिए, संभावना और भावी लागतों के बारे में धारणाओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता है।

3.24.9 मूल्यहास / परिशोधन योग्य परिसंपत्ति का उपयोगी अवधि (मूर्त और अमूर्त)

परिसंपत्तियों की प्रत्या-रु39यात उपयोगिता के आधार पर, प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यहास / परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि का आकलन करती है। इन आकलनों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट-फूट से संबंधित होती हैं जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता को बदल सकती हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्द्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ए. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
-फ्रीहोल्ड भूमि	304.54	49.83	0.11	354.26	0.85	-	0.04	0.81	353.45	303.69
-लीजहोल्ड भूमि	2.16	-	-	2.16	0.25	0.02	-	0.27	1.89	1.91
भवन और संबंधित उपकरण	5223.54	47.94	0.79	5270.69	2078.80	115.95	0.69	2194.06	3076.63	3144.74
संयंत्र और मशीनरी	91821.11	2188.55	393.03	93616.63	33556.64	3310.21	256.01	36610.84	57005.79	58264.47
-अन्य — स्वामित्व वाले	3235.65	166.93	35.59	3366.99	2159.56	119.12	31.90	2246.78	1120.21	1076.09
फर्नीचर व फिक्सचर	139.63	3.21	(1.21)	144.05	111.40	5.68	(0.79)	117.87	26.18	28.23
वाहन	1382.68	18.54	5.89	1395.33	937.20	72.06	8.76	1000.50	394.83	445.48
कार्यालय उपकरण	61.24	1.54	1.01	61.77	52.05	1.79	0.79	53.05	8.72	9.19
विविध वस्तुएं	385.62	11.88	1.52	395.98	248.08	14.63	1.01	261.70	134.28	137.54
सड़कें, पुल और पुलिया	451.18	31.47	0.88	481.77	325.28	30.73	0.82	355.19	126.58	125.90
जल आपूर्ति और सीवरेज	702.11	19.88	0.03	721.96	404.45	24.29	0.02	428.72	293.24	297.66
ईंधीपी उपकरण	442.92	12.02	6.23	448.71	384.24	13.18	1.42	396.00	52.71	58.68
रेलवे लाइन और साइडिंग	912.05	121.27	-	1033.32	289.53	25.72	-	315.25	718.07	622.52
उप-जोड़ "ए"	105064.43	2673.06	443.87	107293.62	40548.33	3733.38	300.67	43981.04	63312.58	64516.10
पिछले वर्ष के आंकड़े	95160.77	10704.12	800.46	105064.43	37505.75	3442.81	400.23	40548.33	64516.10	

बी. सामाजिक सुविधाएँ

भूमि										
- फ्रीहोल्ड भूमि	10.89	-	-	10.89	-	-	-	-	10.89	10.89
भूमि और संबंधित उपकरण	819.39	13.99	(0.01)	833.39	397.00	40.38	0.01	437.37	396.02	422.39
संयंत्र और मशीनरी — अन्य	194.75	5.37	0.71	199.41	118.61	7.01	0.36	125.26	74.15	76.14
फर्नीचर व फिक्सचर	26.95	0.57	0.26	27.26	21.78	1.06	0.20	22.64	4.62	5.17
वाहन	10.80	0.32	0.28	10.84	9.39	0.24	0.18	9.45	1.39	1.41
कार्यालय के उपकरण	4.25	0.10	0.03	4.32	3.79	0.10	0.03	3.86	0.46	0.46
विविध मर्चे	239.78	6.72	2.19	244.31	159.38	10.88	1.66	168.60	75.71	80.40
सड़कें, पुल और पुलिया	147.48	2.23	-	149.71	118.39	7.06	-	125.45	24.26	29.09
जल आपूर्ति और सीवरेज	306.59	1.84	0.17	308.26	146.54	7.08	0.15	153.47	154.79	160.05
ईंधीपी उपकरण	10.99	0.87	0.18	11.68	9.21	0.63	0.15	9.69	1.99	1.78
उप-जोड़ "बी"	1771.87	32.01	3.81	1800.07	984.09	74.44	2.74	1055.79	744.28	787.78
पिछले वर्ष के आंकड़े	1689.25	96.91	14.29	1771.87	923.57	72.03	11.51	984.09	787.78	

सी. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त हो गए

सक्रिय उपयोग सेवानिवृत्ति आस्तियां	65.54	29.31	36.45	58.40	-	-	-	-	58.40	65.54
पिछले वर्ष के आंकड़े	56.94	28.09	19.49	65.54	-	-	-	-	65.54	
जोड़ ('ए' + 'बी' + 'सी')	106901.84	2734.38	484.13	109152.09	41532.42	3807.82	303.41	45036.83	64115.26	65369.42
पिछले वर्ष के आंकड़े	96906.96	10829.12	834.24	106901.84	38429.32	3514.84	411.74	41532.42	65369.42	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

5: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

टिप्पणी : पीपीई, अमूर्त परिसंपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यहास का आबंटन

(₹ करोड़)

	3 मार्च, 2021 को	3 मार्च, 2020 को
(क) लाभ और हानि खाते में प्रभारित	4102.00	3755.05
(ख) निर्माण के दौरान व्यय के लिए प्रभारित	2.77	4.02
	4104.77	3759.07

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 48.1 देखें।

(ii) भूमि :

- (क) 66,204.50 एकड़ (31 मार्च, 2020 तक 66,865.29 एकड़) कंपनी के स्वामित्व / अधिकार / पट्टे पर ली गई है, जिसके संबंध में शीर्षक / पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लंबित हैं।
- (ख) 34,484.73 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 34,484.73 एकड़) शामिल है जिसके संबंध में मालिकाना हक विवाद में है—
- (ग) 12,908.72 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 10,664.83 एकड़) विभिन्न संयुक्त उद्यमों / केंद्रीय / राज्य / अर्ध-सरकारी प्राधिकरणों को हस्तांतरित / हस्तांतरित करने के लिए सहमत या निपटान के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसके संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित / पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- (घ) 6,013.78 एकड़ (31 मार्च, 2020 तक 5,775.25 एकड़) विभिन्न एजेंसियों / कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।
- (ङ) अनधिकृत कब्जे के तहत 4,542.94 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 4,542. एकड़) शामिल है।
- (च) 1,770.89 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 1,770.89 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, को कब्जे के रूप में दिखाया गया है।
- (छ) 53.45 करोड़ रुपये वर्ष 2007 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के लिए जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) के तहत पड़ा है।
- (ज) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और संख्या एस.ओ. 2484ई दिनांक 13.10.2012, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) ने 34.471 एकड़ के अधिग्रहण के अपने इरादे को अधिसूचित किया था।
- (झ) झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 34.471 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है। 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009, उक्त भूमि के मूल्यांकन के संबंध में मामला विचाराधीन है।
- (ञ) झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं. 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 विवादाधीन हैं, जिसके लिए आरडीसीआईएस—सेल के पक्ष में कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया था। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों में 13.07 करोड़ रुपये की राशि की 15.62 एकड़ की शेष फ्रीहोल्ड भूमि के मुआवजे पर विचार किया गया है।
- (ट) वर्ष 2013 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सालेम के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के रूप में 0.06 करोड़ रुपये जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) के तहत पड़ा है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियां

- (क) इसमें 7,906 (31 मार्च, 2020 तक 6,658), अनधिकृत कब्जे के तहत आवासीय क्वार्टर / मकान शामिल हैं।

4क: उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिसोधन				निविल ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्द्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
उपयोग परिसंपत्ति का अधिकार	3853.33	117.76	0.01	3971.08	1648.25	268.70	-	1916.95	2054.13	2205.08
कुल	3853.33	117.76	0.01	3971.08	1648.25	268.70	-	1916.95	2054.13	2205.08
पिछले वर्ष के आंकड़े	2662.37	475.66	(715.30)	3853.33	1205.25	210.23	(232.77)	1648.25	2205.08	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

3 मार्च, 2021 को

3 मार्च, 2021 को

5: प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

इस्पात	8798.95		8581.04	
टाउनशिप	97.07		86.98	
अयस्क खान और खदान	247.68		330.81	
	9143.70		8998.83	
घटाएं : प्रावधाने	400.11	8743.59	279.20	8719.63
निर्माण भंडार और स्पेयर्स	139.47		32.44	
घटाएं : गैर-आवागमन वस्तुओं के लिए प्रावधाने	5.19	134.28	3.29	29.15
लंबित निर्माण के दौरान व्यय आबंटन (टिप्पणी 5.1)		0.61		2.78
		8878.48		8751.56

5.1: निर्माण के दौरान व्यय लंबित आबंटन

आंशिक शेष राशि	(क)	2.78		5.29
वर्ष के दौरान किया गया व्यय				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन और मजदूरी	78.01		72.59	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	3.14		2.47	
यात्रा रियायत	1.39		1.94	
कल्याण व्यय	0.11		0.05	
ग्रेव्यूटी / उपहार	1.14	83.79	3.01	80.06
अन्य व्यय	1.19		3.03	
बिजली और ईंधन	31.29		68.20	
अन्य व्यय	6.06		2.98	
ब्याज और वित्त प्रभार	549.16		581.68	
मूल्यहास	2.77	590.47	4.02	659.91
		674.26		739.97
घटाएं : वसूली				
अर्जित ब्याज	0.01		0.01	
किराया प्रभार	0.08		0.16	
हर तरह की चीजें/विधि मद	0.25	0.34	0.24	0.41
वर्ष के दौरान निवल व्यय	(ख)	673.92		739.56
कुल (क)+(ख)		676.70		744.85
घटाएं : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पूंजीगत कार्य-प्रगति के लिए आबंटित राशि		676.09		742.07
अग्रेशित राशि		0.61		2.78

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	जमा/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के लिए	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क. भवन										
भवन	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	1.12
उप कुल 'क'	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	1.12
पिछले वर्ष के आंकड़े	1.94	0.12	-	2.06	0.85	0.09	-	0.94	1.12	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति की खरीद, निर्माण या विकास या उसकी मरम्मत, रखरखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है—

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
किराए से आय	2.27	2.02
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय*	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जो किराए पर आय उत्पन्न नहीं करते*	-	-
मूल्यहास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	2.27	2.02
मूल्यहास	0.03	0.09
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	2.24	1.93

*निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष व्ययों की अलग से पहचान नहीं की जा सकती है और उनके महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियां किराएदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टों के तहत किराए पर दी जाती हैं, जो मासिक रूप से देय किराए के साथ ली जाती हैं। निवेश संपत्ति के गैर-रद्द योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्त करने योग्य मामले निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एक वर्ष के अंदर	0.32	0.35
एक वर्ष बाद में लेकिन 5 वर्ष से बाद में नहीं	2.52	1.85
5 वर्ष से बाद में	1.35	4.20
	4.19	6.40

(iii) उचित मूल्य

31 मार्च, 2021 को निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य 26.71 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 तक 32.15 करोड़ रु.) है।

(iv) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत समान संपत्तियों की मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है जिसमें निम्न शामिल हैं :

- क) अलग — अलग तरह की संपत्तियों की एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में ऐसी संपत्तियों की हाल की कीमतें, उस अंतर को समायोजित करते हुए।
- ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।
- ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

7: अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्द्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	116.52	3.61	0.01	120.12	103.32	3.90	(0.11)	107.33	12.79	13.20
खनन अधिकार	1837.06	10.71	-	1847.77	406.92	24.43	-	431.35	1416.42	1430.14
उप-कुल 'क'	1953.58	14.32	0.01	1967.89	510.24	28.33	(0.11)	538.68	1429.21	1443.34
पिछले वर्ष के आंकड़े	1927.18	26.40	-	1953.58	476.34	33.90	-	510.24	1443.34	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	0.08
उप-कुल 'ख'	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	0.08
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.62	0.07	-	0.69	0.60	0.01	-	0.61	0.08	
उप-कुल ('क'+ 'ख')	1954.27	14.32	0.01	1968.58	510.85	28.34	(0.11)	539.30	1429.28	1443.42
पिछले वर्ष के आंकड़े	1927.80	26.47	-	1954.27	476.94	33.91	-	510.85	1443.42	

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीगत विकास लागत आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति है।

**सभी परिशोधन प्रभार मूल्यहास और परिशोधन व्यय में शामिल हैं।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
7क: मालसूचियां – गैर वर्तमान		
स्टोर और स्पेयर	-	-
कच्चा माल		
स्लाइम	140.45	-
अन्य	-	-
तैयार / अर्ध-तैयार उत्पाद		
आयरन अयस्क जुर्माना (उप-ग्रेड)	3785.39	-
स्लैग डंप (एम्बेडेड स्क्रैप)	310.42	-
	4095.81	-
	4236.26	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

8: निवेश – गैर वर्तमान

(₹ करोड़)

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
लागत पर किया गया निवेश				
सहायक कंपनियों में				
सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	50000	50000	0.05	0.05
सेल-जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	50000	50000	0.05	0.05
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	50000	50000	0.05	0.05
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	37000	37000	0.04	0.04
			0.19	0.19
एसोसिएट्स में (अनुद्धृत)				
अल्मोड़ा मेगानासाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य— 100 रु. प्रति शेयर)	40000	40000	0.40	0.40
			0.40	0.40
संयुक्त उद्यमों में (अनुद्धृत)				
एनटीपीसी- सेल पावर कंपनी लिमिटेड	490250050	490250050	490.25	490.25
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	124025000	124025000	124.03	124.03
मिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	98718048	98718048	52.51	52.51
सेल-बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	3200000	3200000	3.20	3.20
एमजक्शन सर्विसेज लिमिटेड	4000000	4000000	4.00	4.00
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	18141400	18141400	18.14	18.14
सेल मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	100000	100000	0.10	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	693759279	693759279	693.76	693.76
सेल-एससीएल केरल लिमिटेड	13017801	13017801	18.75	18.75
सेल-एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	100000	100000	0.10	0.10
सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	24000000	24000000	24.00	24.00
सेल-केओबीई आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	250000	250000	0.25	0.25
प्राइम गोल्ड –सेल जेवीसी लिमिटेड	4680000	4680000	4.68	4.68
उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य—100 रु. प्रति शेयर)	97900	97900	0.98	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	63000	63000	0.06	0.06
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	35232600	35232600	35.23	35.23
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	24500	24500	0.02	0.02
सेल-बंगाल अलॉय कार्बिड्स प्राइवेट लिमिटेड	10000	10,000	0.01	0.01
वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड	1297780	1297780	1.30	1.30
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2600000	2600000	2.60	2.60
			1473.97	1473.97
कुल (क)			1474.56	1474.56
अन्य व्यापक आय उद्धृत इक्विटी के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश				
एमएसटीसी लिमिटेड	-	640000	-	5.06
			-	5.06
अनुद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	2203150	2203150	51.35	44.10
इंडियन पोटाश लिमिटेड	720000	720000	88.26	78.84
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कं. लिमिटेड	5000000	5000000	5.00	5.00
सीमेंट और संबद्ध उत्पाद (बिहार) लिमिटेड	2	2	-	-
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन (बिहार) लिमिटेड	1	1	-	-
मिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	5	5	-	-
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	3000000	3000000	3.00	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	180000	180000	0.18	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य 100/शेयर)	500	500	0.01	0.01
			147.80	131.13

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

8: निवेश – गैर वर्तमान (जारी)

(₹ करोड़)

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	116500	116500	0.12	0.12
बोकारो स्टील एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	250	250	0.00	0.00
एनएमडीसी मेधाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर)	25	25	0.00	0.00
डीएसपी इम्प्लॉइज़ को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर)	1377	1377	0.01	0.01
बोलानी ओरेस इम्प्लॉइज़ कंज्यूमर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (अंकित मूल्य 25 रु. प्रति शेयर)	200	200	0.00	0.00
इस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य 20 रु. प्रति शेयर)	23000	23000	0.05	0.05
			0.18	0.18
कुल (ख)			147.98	136.37
उप कुल (क+ख)			1622.54	1610.93
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			27.53	25.95
निवल निवेश			1595.01	1584.98
उद्धृत निवेश की कुल राशि (उसका बाजार मूल्य)			-	5.06
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि			1622.54	1605.87
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			27.53	25.95
			1595.01	1584.98

सभी इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

*संस्था परिसमापन के अधीन है, इसलिए शेयरधारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

#इकाई परिसमापन के अधीन है इसलिए कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
9: व्यापार प्राप्ति योग्य*		
व्यापार प्राप्ति योग्य	7.83	7.83
	7.83	7.83
संदिग्ध माने गए प्राप्ति योग्य के लिए प्रावधान	7.83	7.83
	-	-

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

10: ऋण – गैर वर्तमान*

सही माने गए – अप्रतिभूत

प्रतिभूति जमा	119.78	116.14
कर्मचारियों के लिए ऋण	58.98	80.06
अन्य के लिए ऋण	580.67	759.43
ऋण – क्रेडिट क्षति	-	-
	759.43	667.79
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	3.20	3.20
	756.23	664.59

* प्राप्तियों में निदेशकों से देय राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

इन वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के लिए जोखिम का वर्णन टिप्पणी 43 में किया गया है –

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां— गैर वर्तमान		
व्युत्पन्न परिसंपत्ति	190.80	338.21
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	3.52	3.54
दावा वसूली योग्य	35.65	8.36
प्राप्य — अन्य	52.70	45.48
पट्टा समान आरक्षित	0.95	0.37
कर्मचारियों से प्राप्तियां	0.07	0.07
प्राप्य बिल	58.30	58.30
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम (टिप्पणी 51.2 देखें)	10.53	10.53
घटा : संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिमों के लिए प्रावधान	10.53	10.53
12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	0.19	0.19
	342.18	454.52
घटा : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	7.97	7.96
	334.21	446.56

इन वित्तीय विलेखों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य मापन के जोखिम का वर्णन टिप्पणी 43 में किया गया है।

12 : आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (निवल)

आस्थगित कर देयताओं को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव			
पुस्तक और कर मूल्यहास के बीच अंतर	6877.80	11487.79	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	31.62	6909.42	27.83
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों का कर प्रभाव			11515.62
भुगतान पर अनुमत किए जाने वाले अवैतनिक कर और शुल्क	874.75	1321.40	
भविष्य की कर योग्य आय की भरपाई के लिए उपलब्ध हानियां	4378.06	10160.54	
अन्य	403.45	5656.26	846.10
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	-	-	1266.57
आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (निवल)	(1253.16)		2078.99

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

12: आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (निवल) (जारी)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर हानियों से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है :
(₹ करोड़)

	1 अप्रैल, 2020 को	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31 मार्च, 2020 को
आस्थगित कर देयताओं को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव				
पुस्तक और कर मूल्यहास के बीच अंतर	11487.79	(4609.99)	-	6877.80
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	27.83	-	3.79	31.62
	11515.62	(4609.99)	3.79	6909.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली मदों का कर प्रभाव				
भुगतान पर अनुमत किए जाने वाले अवैतनिक कर और शुल्क	1321.40	(446.65)		874.75
भविष्य की कर योग्य आय की भरपाई के लिए उपलब्ध हानियां	10160.54	(5782.48)		4378.06
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1266.57	(1266.57)		-
अन्य	846.10	(352.81)	(89.84)	403.45
	13594.61	(7848.51)	(89.84)	5656.26
आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (निवल)	2078.99	(3238.52)	(93.63)	(1253.16)

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को कंपनी को 17395.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष — 29076.64 करोड़ रुपए) 13834.78 करोड़ रुपए के संचित अनवशोषित मूल्यहास सहित (पिछले वर्ष — 21537.70 करोड़ रुपए), का संचित व्यापार घाटा हो रहा है। 3560.55 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष — 7538.93 करोड़ रुपए) की अनवशोषित व्यावसायिक हानियां हानि की स्थिति से अधिकतम आठ वर्षों की अवधि के लिए ऑफसेट के लिए उपलब्ध हैं।
तदनुसार, संचित व्यावसायिक हानियों (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य सहित) पर 896.12 करोड़ रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भारतीय लेखा मानक 12 के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
--	----------------------	----------------------

13: वर्तमान कर परिसंपत्तिया (एनईटी)

वर्तमान कर परिसंपत्तियां

अग्रिम आय कर (प्रावधान का निवल)	216.78	152.35
	216.78	152.35

14: अन्य परिसंपत्तियां—गैर वर्तमान

संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	527.92	512.38
अन्य को अग्रिम	1.18	1.18
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	726.23	688.41
पूर्वदात व्यय	13.04	19.14
पूंजीगत अग्रिम	391.49	350.75
घटाएं : संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान	5.34	5.34
	1654.52	1566.52
घटाएं : संदिग्ध अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान	87.71	85.23
	1566.81	1481.29

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
15: मालसूचियां*		
स्टोर और स्पेयर्स		
उत्पादन	2884.68	3047.69
ईंधन भंडार	212.28	161.59
अन्य	27.75	22.61
	3124.71	3231.89
जोड़ें : पारगमन में	241.49	177.67
	3366.20	3409.56
घटाएं : गैर-आवागमन/अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	244.88	240.72
कच्ची सामग्रियां	3121.32	3168.84
कच्ची सामग्रियां**	3142.79	3573.90
जोड़ें : पारगमन में	1885.15	1849.98
	5027.94	5423.88
घटाएं : अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	24.68	27.70
तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद	5003.26	5396.18
तैयार वस्तुएं***	4196.11	8912.92
कार्य प्रगति पर	2399.45	2478.08
अन्य - उप-उत्पाद (उप-ग्रेड जुर्माना)	551.90	3791.18
	15272.04	23747.20

* लेखांकन नीति संख्या 3.8 के अनुसार मान्य

** इसमें 103.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 234.92 करोड़ रुपए) के स्लाइम की सूची शामिल है।

*** 128.021 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 683.33 करोड़ रुपए) के स्लैग डंप में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रेप की सूची शामिल है।

16: व्यापार प्राप्ति योग्य - वर्तमान*

सही माने गए - अप्रतिभूत	7124.00	8812.39
प्राप्तियां - क्रेडिट क्षति	236.88	207.57
	7360.88	9019.96
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	236.88	207.57
	7124.00	8812.39

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

17 (i): नकदी और नकद समकक्ष

हाथ पर नकद और टिकट	0.08	0.10
हाथ में चेक	5.48	-
बैंकों के साथ शेष राशि	12.51	152.91
चालू खाता	450.31	0.40
3 माह तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	0.02	0.02
न्यायालय के आदेश के अनुसार सावधि जमा 3 माह तक की मूल परिपक्वता के साथ	462.84	153.33
	468.40	153.43

17 (ii): नकदी और नकद समकक्ष

निर्धारित बैंक तुलन पत्र	207.84	205.16
न्यायालय के आदेश के अनुसार सावधि जमा	172.53	168.02
बैंक लियन के तहत मियादी जमा/ऋण के प्रति गिरवी	0.27	0.27
निर्धारित सावधि जमा	35.04	36.87
अवैतनिक लाभांश खात	4.11	4.66
सावधि जमा में 3 माह से अधिक की परिपक्वता होती है लेकिन 12 माह से कम	0.17	-
	212.12	209.82

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
18: ऋण – वर्तमान *		
सही माने गए – अप्रतिभूत		
प्रतिभूति जमा	14.05	11.17
कर्मचारियों के लिए ऋण	33.11	31.48
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	2.80	5.60
अन्य के लिए ऋण	2.31	2.86
	52.27	51.11
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1.80	1.44
	50.47	49.67
* प्राप्य में निदेशकों से देय राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)		

19: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान

व्युत्पन्न परिसंपत्ति	63.60	83.59
दावा योग्य वसूली	746.61	654.76
प्राप्य – अन्य	472.15	412.55
कर्मचारियों से प्राप्तियां	4.82	17.19
ग्रेज्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि	454.73	313.21
प्राप्य बिल	1014.84	1012.80
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	44.20	21.68
घटाएं : संदिग्ध संबंधित पार्टियों को अग्रिम के लिए प्रावधान	1.39	13.42
	2799.56	2502.36
घटाएं : संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	321.45	313.37
	2478.11	2188.99

20: अन्य परिसंपत्तियां – वर्तमान

हाथ में सोने के सिक्के	0.19	0.23
संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	423.70	409.42
अन्य से अग्रिम	892.84	1033.05
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	3022.35	2965.87
जमा – जीएसटी	1.34	1.25
जीएसटी प्राप्ति योग्य –इनपुट सेवा	2.48	2.98
जीएसटी प्राप्ति योग्य	1732.19	1085.85
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटा गया टीडीएस	0.01	0.01
पूर्वदत्त व्यय	68.34	32.07
प्राप्ति योग्य दावे	142.98	143.97
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्तियां	124.12	118.81
	6410.54	5793.51
घटाएं : संदिग्ध अन्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	56.57	63.76
	6353.97	5729.75

21: बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति	17.01	27.20
	17.01	27.20

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी होने पर, यह अत्यधिक संभावना माना जाता है कि ऐसी परिसंपत्ति अगले 12 माहों के भीतर बेची जाएगी और ऐसी परिसंपत्ति को 'बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति' के रूप में माना जाएगा।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संयंत्र और मशीनरी को पुनर्वर्गीकरण के समय इसकी वहन राशि और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा गया था। संयंत्र और मशीनरी का उचित मूल्य का तुलनीय मूल्य दृष्टिकोण उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया था। यह उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार एक स्तर 3 माप है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रमुख इनपुट बाजार में धातु की कीमत है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

22: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अधिकृत पूंजी		
प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर		
(प्रत्येक ₹10 के 5000000000 इक्विटी शेयर)	<u>5000.00</u>	<u>5000.00</u>
जारी, अभिदत्त पूंजी और पूर्ण प्रदत्त		
(प्रत्येक ₹10 के 4130525289 इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त)	<u>4130.53</u>	<u>4130.53</u>

वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान।

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	4130414299	4130.42	4130408854	4130.41
वर्ष के दौरान शेयरों को वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में परिवर्तित किया गया	-	-	5445	0.01
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि#	<u>4130414299</u>	<u>4130.42</u>	<u>4130414299</u>	<u>4130.42</u>
वोटिंग अधिकार के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	110990	0.11	116435	0.12
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों को वोटिंग अधिकार वाले शेयरों में परिवर्तित किया गया	-	-	(5445)	(0.01)
वर्ष के अंत में शेष राशि	110990	0.11	110990	0.11
वर्ष के अंत में बकाया कुल इक्विटी शेयर	<u>4130525289</u>	<u>4130.53</u>	<u>4130525289</u>	<u>4130.53</u>

- ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो कि @ यूएस \$ 29.55 प्रत्येक यूएस \$ 125 मिलियन की कुल राशि के लिए 1996 में जारी किया गया था।
- # 2824877 शेयर (पिछले वर्ष 2180454 शेयर) शामिल हैं जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है, जिस पर मतदान के अधिकार जमे हुए हैं।
- कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।
- कंपनी की कोई धारित कंपनी नहीं है।
- कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण।

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
भारत सरकार	2684714550	65.00	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	382302962	9.26	396663164	9.60

(vi) कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
रिजर्व और अधिशेष		
पूंजी आरक्षित		
प्रारंभिक शेष राशि	1.75	1.75
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
प्रतिभूति प्रीमियम		
प्रारंभिक जमा	235.10	235.10
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
बॉन्ड मोचन रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	1375.02	1994.14
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	276.63
प्रतिधारित आय से अंतरण	290.87	895.75
सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष राशि	5095.13	5095.13
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष राशि	28871.07	26638.87
जोड़ें : वर्ष के लिए निवल लाभ	3850.02	2021.54
जोड़ें : अन्य व्यापक आय/(हानि)– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप लाभ/(हानि)	267.65	(128.44)
जोड़ें : बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से ट्रांसफर	290.87	895.75
घटाएं : बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर	-	276.63
घटाएं : भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	206.53
घटाएं : भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	413.05	-
घटाएं : इक्विटी लाभांश पर कर	-	41.54
घटाएं : 116 समायोजन के रूप में इंडस्ट्रीज	-	31.95
घटाएं : सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
	32866.56	28871.07
अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत		
प्रारंभिक शेष राशि	68.78	56.05
एफवीओसीआई इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	12.88	12.73
	81.66	68.78
कुल अन्य इक्विटी	39364.35	35646.85

अन्य रिजर्व का स्वरूप और उद्देश्य

पूंजी रिजर्व

पूंजी आरक्षित पूंजी लाभ से बनाया गया है, यह पूंजी प्रकृति के कुछ विशिष्ट लेनदेन से अर्जित लाभ से बनाया गया है। शेयरधारकों को वितरण के लिए पूंजी आरक्षित उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित

सिक्वोरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयरों के मुद्दे पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बांड मोचन रिजर्व

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध लाभों में से बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व बनाना आवश्यक है। रिजर्व को बॉन्ड के मोचन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) आरक्षित

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व के भीतर जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, तो कंपनी इस आरक्षित राशि से प्रतिधारित आय में राशि स्थानांतरित करती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

24: उधार — गैर वर्तमान

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रतिभूत		
विमोचनीय, गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय		
ब्याज की दर	परिपक्वता की तिथि	कॉल/पुट ऑप्शन (वर्ष)
9.35%	9/सितम्बर/2026	12/शून्य
9.00%	14/अक्टूबर/2024	(क)
8.75%	15/सितम्बर/2024	(क, ग)
8.70%	25/अगस्त/2024	(क)
8.30%	3/अगस्त/2023	(क)
8.30%	1/अगस्त/2023	(क)
8.35%	19/नवम्बर/2022	(क)
8.80%	26/अक्टूबर/2022	(क, ख)
9.30%	25/मई/2022	(क, ज)
9.30%	23/अगस्त/2021	(क)
8.55%	11/अगस्त/2021	(क)
कुल बॉन्ड		
बैंकों से सावधि ऋण		
रुपया ऋण	(छ)	
विदेशी मुद्रा ऋण	(छ)	
	5118.00	6304.00
अप्रतिभूत		
विदेशी मुद्रा ऋण		
1 केएफडब्ल्यू जर्मनी	(घ)	
2 नेटविसस बैं	(ङ)	
	308.04	320.30
	8.95	10.88
इस्पात विकास निधि	(च)	
	204.16	204.16
	521.15	535.34
पट्टा देयता की दीर्घकालिक परिपक्वता		
कुल गैर चालू ऋण	1819.39	1860.19
	19725.96	34560.03

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा किसी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

तुलन पत्र की तिथि को उधारों और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है।

सभी बॉन्ड परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बांड सुरक्षित हैं :

- शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के प्लांट और मशीनरी पर भूमि सहित, सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति पर शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित जो इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) से संबंधित है।
- 26 अक्टूबर, 2014 से शुरू होकर 14 करोड़ रुपए की 12 समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है। 26 अक्टूबर, 2021 को देय किश्त अन्य वर्तमान देयताओं में दिखाया गया है।
- 15 सितंबर 2014, 2019 और 2024 को 50 करोड़ रुपए की 3 समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।
- ऋण का सॉफ्ट आधार 3 चरणों में 1 (क), 1 (ख) और 1 (ग) के रूप में 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तैयार किया गया था। 1 (क) पर ब्याज 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है और शेष 8: एकसर्ज के उतार-चढ़ाव (4 प्रतिशत) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4 प्रतिशत) को पूरा करने के लिए है। 1 (ख) के मामले में ब्याज 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है और शेष 8.0 प्रतिशत प्रति वर्ष परिधि विकास की ओर है। 1 (ग) पर ब्याज 3.66 प्रतिशत प्रति वर्ष है और शेष 5.09 प्रतिशत प्रति वर्ष परिधि विकास को पूरा करने के लिए है। मूलधन और ब्याज अर्धवार्षिक चुकाने योग्य है। ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- ऋण 2030 तक चुकाने योग्य है। मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक किया जाता है, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- पुनर्भुगतान की शर्त एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी है।
- ऋण की सीमा तक बीएसएल, बीएसपी और आरएसपी के वर्तमान और भविष्य के आवागमन संयंत्र और मशीनरी पर परि.पसु रैंकिंग प्रभारों द्वारा सुरक्षित। एसबीआईसीबी ऋण 4 समान किश्तों में 4, 5 वें, 6 वें और 7 वें के अंत में पहले ड्रा.डाउन अर्थात् 25 सितंबर 2017 से चुकाने योग्य है।
- 25 मई, 2018 से 5 समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है। 25 मई, 2021 को देय किश्त को वर्तमान देयताओं में दिखाया गया है।

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2020 को शेष राशि	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत प्रकट नकदी प्रवाह (निवल)	31 मार्च, 2021 को शेष राशि
दीर्घावधि उधार पट्टा (देयताओं को छोड़कर)	32699.84	(14793.27)	17906.57
दीर्घकालीन ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	2602.40	(751.18)	1851.22
अल्पावधि उधार	16640.78	(790.54)	15850.24
कुल	51943.02	(16334.99)	35608.03

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
--	----------------------	----------------------

25: व्यापार प्राप्त योग्य — गैर वर्तमान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण (टिप्पणी 48.2 देखें)	-	-
संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	-	6.66
	-	6.66

26: अन्य वित्तीय देयताएं — गैर — वर्तमान

कर्मचारियों से संबंधित देय राशि	527.19	509.20
अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं	573.20	567.79
अन्य देयताएं	130.68	218.60
	1231.07	1295.59

27: प्रावधान — गैर — वर्तमान

उपार्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	2945.06	2677.19
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और निपटान लाभों का प्रावधान	1041.46	963.52
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार का प्रावधान	15.07	14.38
खदान बंद करने का प्रावधान	99.25	87.11
अन्य प्रावधान	425.05	366.60
	4525.89	4108.80

28: अन्य देयताएं — गैर — वर्तमान

आस्थगित आय*	439.97	397.51
	439.97	397.51

*आस्थगित आय में शामिल हैं :

- (क) भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किया गया पुरस्कार और निधि से आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।
- (ख) इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्तरोन्नत करने के प्रयोजन के लिए 294.82 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजटीय प्रावधान के विरुद्ध केन्द्र सरकार का अनुदान 294.82 करोड़ रुपये (2020-21 के दौरान प्राप्त 139.99 करोड़ रुपये और 2019-20 में 144.83 करोड़ रुपये) है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 20 के अनुरूप ऐसे अनुदानों के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

29. उधार — वर्तमान

प्रतिभूत		
मांग पर चुकाने योग्य		
बैंकों से	3504.00	4112.33
अप्रतिभूत		
अन्य ऋण	7250.00	6100.00
वाणिज्यिक पत्र	5096.24	3756.52
विदेशी मुद्रा ऋण	-	2671.93
	15850.24	16640.78

1. 31 मार्च, 2021 को बकाया अल्पावधि उधारों के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण :

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित हैं :

- (i) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
30: व्यापार देय — वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.2 देखें)	103.57	47.99
संबंधित पक्षों को देय राशि	202.71	150.71
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	6708.13	6121.68
	7014.41	6320.38
31: अन्य वित्तीय देयताएं — वर्तमान		
कर्मचारी संबंधी बकाया	228.14	138.54
उधार पर ब्याज अर्जित किया गया, लेकिन देय नहीं	479.93	612.56
अर्जित ब्याज और इस्पात विकास निधि पर देय	152.00	152.00
अन्य देनदारियों — देनदार बैंकिंग व्यवस्था	462.77	166.90
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1851.22	2602.40
पट्टे दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता	249.16	323.84
लवारिस परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज	1.01	1.01
सुरक्षा जमा	1636.02	1536.86
घटा : सुरक्षा जमा के रूप में प्राप्त निवेश	-	-
अप्रदत्त लाभांश	4.11	4.66
पूँजीगत कार्यों के लिए देय	2630.09	3318.68
अन्य देय *	6322.69	4874.95
	14017.14	13732.40
*अन्य देय राशियों में पूर्व कर्मचारियों के संबंध में देय राशि, रॉयल्टी और निष्पादन संबंधी वेतन आदि शामिल हैं।		
32: अन्य देतयाएं — वर्तमान		
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय	1836.80	1220.62
अग्रिम में आय प्राप्त — अन्य	135.33	110.27
आस्थगित आय*	12.93	13.27
जीएसटी देय	2595.34	1432.10
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता	0.76	0.76
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से टीडीएस काटा गया	22.48	19.50
अन्य देय	2951.40	2927.33
	7555.04	5723.85
*आस्थगित आय में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किया गया पुरस्कार शामिल है और निधि से होने वाली आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।		
33: प्रावधान — वर्तमान		
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	262.59	327.84
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	116.15	194.91
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	2.50	4.41
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान	37.12	33.51
विदेशी मुद्रा के उतार — चढ़ाव के लिए प्रावधान	24.57	24.96
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	1183.90	1351.56
खनन वनीकरण/बहाली आदि के लिए प्रावधान	101.60	121.07
अन्य प्रावधान	311.41	296.67
	2039.84	2354.93
34: वर्तमान कर देयता		
प्रारंभिक भोश	179.50	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रावधान	11.55	250.67
घटा : वर्ष के दौरान भुगतान की गई/हस्तांतरित राशि	-	71.17
घटा : वर्ष के दौरान वापस लिखे गए प्रावधान	178.99	-
	12.06	179.50
	12.06	179.50

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
35: संचालक से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	62211.75	57281.62
निर्यात	6109.57	3620.26
निर्यात प्रोत्साहन	131.02	123.00
उप कुल (क)	68452.34	61024.88
सेवा की बिक्री		
सेवा प्रभार	20.57	22.89
उप कुल (ख)	20.57	22.89
अन्य प्रचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं – वसूली	308.26	351.48
खाली/कबाड़ आदि की बिक्री	79.74	52.40
विविध	249.11	208.90
उप कुल (ग)	637.11	612.78
कुल (क+ख+ग)	69110.02	61660.55
राजस्व का पृथक्करण		
माल और सेवाओं की प्रकृति		
कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और यह कंपनी का केवल रिपोर्ट करने योग्य खंड है।		
(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत में	62211.75	57281.62
भारत से बाहर	6240.59	3743.26
कुल	68452.34	61024.88
(2) मुख्य उत्पाद		
लौह एवं इस्पात	65211.87	59298.35
अन्य द्वितीयक एवं प्रति उत्पाद	3240.47	1726.53
कुल	68452.34	61024.88
अनुबंध शेष		
निम्न तालिका ग्राहकों की प्राप्तियों के अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो 'व्यापार प्राप्य' में शामिल हैं।		
व्यापार प्राप्य	7124.00	8812.39
अनुबंध देनदारियां	1836.80	1220.62
36. अन्य आय		
ब्याज आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	0.55	0.98
ग्राहकों	141.45	145.06
कर्मचारी	8.84	11.98
बैंक के जमा	1.78	16.83
अन्य	115.35	62.10
उप कुल (क)	267.97	236.95
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से लाभांश	-	11.55
निवेश से लाभांश	160.81	75.10
निवेश से लाभांश (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश से लाभांश शामिल हैं)		
उप कुल (ख)	160.81	86.65
निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ उप कुल (ग)	4.47	0.59
अन्य गैर-प्रचालन आय		
अनुदान सहायता	1.15	0.97
प्रावधान जिनको अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है	160.42	130.79
वापस लिखित अन्य देनदारियां	122.68	276.18
परिसमापन हरजाना	119.11	131.19
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (शुद्ध)	104.17	-
अन्य	70.91	123.36
	578.44	662.49
घटा : गैर परिचालन आय के लिए खर्च योग्य	-	1.46
उप कुल (घ)	578.44	661.03
कुल (क+ख+ग+घ)	1011.69	985.22

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
37 : उपयुक्त सामग्री की लागत		
लोह अयस्क	5217.77	5191.70
कोयला	17422.64	23058.44
कोक	13.88	21.61
चूना पत्थर	1423.86	1489.58
डोलोमाइट	464.39	584.91
फेरो मैंगनीज	174.80	323.68
फेरो सिलिकॉन	224.07	213.22
सिलिको मैंगनीज	1270.09	1378.04
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार	1.39	-
जिंक	87.78	117.60
एल्यूमीनियम	292.41	297.34
अन्य	1456.70	1556.26
	28049.78	34232.38
कम: अंतर खाता समायोजन	4913.61	5019.51
	23136.17	29212.87
38 : तैयार वस्तुओं, कार्य प्रगति पर और उप-उत्पादों की इनवेंटरी में परिवर्तन		
38 क : तैयार वस्तुओं की सूची में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर		
आरंभिक शेष		
तैयार वस्तु	8912.92	6964.53
कार्य प्रगति पर	2478.08	3395.76
	11391.00	10360.29
घटा: शेष स्टॉक		
तैयार वस्तु	4506.53	8912.92
कार्य प्रगति पर	2399.45	2478.08
	6905.98	11391.00
स्टॉक में वृद्धि (-)/ कमी	4485.02	(1030.71)
कोविड-19 के कारण मूल्य में कमी को असाधारण मदों के रूप में माना गया	-	404.26
(क)	4485.02	(1434.97)
38 ख: सह उत्पादों की सूची में परिवर्तन		
सब ग्रेड लौह अयस्क फाईंस		
आरंभिक स्टॉक		
लोह अयस्क फाईंस (उप-ग्रेड)	3791.18	-
कम: अंतिम स्टॉक		
लोह अयस्क फाईंस (उप ग्रेड)	4337.29	3791.18
स्टॉक में वृद्धि (-)/ कमी	(546.11)	(3791.18)
कोविड-19 के कारण मूल्य में कमी को असाधारण मदों के रूप में माना गया *	-	329.67
असाधारण वस्तुओं के रूप में माना जाने वाला कोविड-19 प्रभाव का उत्क्रमण *	(329.67)	-
(ख)	(216.44)	(4120.85)
स्टॉक में वृद्धि (-)/ कमी	4268.58	(5555.82)
* नोट 41ए देखें		
39: कर्मचारी लाभ व्यय *		
वेतन और मजदूरी	8074.59	6765.87
छुट्टी नकदीकरण	586.53	278.04
भविष्य निधि और अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	1053.85	919.87
यात्रा खर्चा	19.58	198.19
कल्याण व्यय	434.16	383.71
ग्रेच्युटी	277.23	235.64
	10445.94	8781.32
* कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभों पर व्यय को ऊपर शामिल और प्रभाषित नहीं किया गया है :		
निर्माण के दौरान व्यय	83.79	80.06

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
40: वित्त लागत		
ब्याज लागत		
विदेशी मुद्रा ऋण*	209.32	299.21
गैर परिवर्तनीय बांड	474.16	695.25
बैंक उधार—कार्यशील पूंजी	6.24	10.53
इस्पात विकास निधि ऋण	4.08	5.60
अन्य बैंक उधार और वाणिज्यिक पत्र	2095.93	2449.58
अन्य उधार लागत	27.41	26.59
	2817.14	3486.76

*विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव 5.47 करोड़ रुपए का लाभ (31 मार्च, 2020 तक: हानि 99.74 करोड़ रुपए) भी शामिल है।

ब्याज और वित्त शुल्कों पर व्यय, ऊपर शामिल नहीं है और इन्हें निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित किया गया है:

विदेशी मुद्रा ऋण	74.71	85.43
गैर परिवर्तनीय बांड	88.40	118.34
इस्पात विकास निधि ऋण—ब्याज	1.33	2.57
अन्य बैंक उधार	384.72	375.34
	549.16	581.68

41: अन्य व्यय

स्टोर और पूर्जों की खपत			
खपत	4221.90	4854.00	
घाट: विभागीय निर्मित भंडार	590.99	924.20	
घाट: तैयार उत्पाद को स्टोरेज और स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपयोग किया	404.76	494.22	3435.58
मरम्मत और रखरखाव			
इमारतें	217.32	191.50	
संयंत्र और मशीनरी	1058.09	1069.36	
अन्य	354.13	301.71	1562.57
संचालन			
कच्चा माल	481.39	498.62	
स्क़्रैप वसूली	312.51	382.61	881.23
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक			
लेखा परीक्षण शुल्क	2.10	1.94	
कर लेखा परीक्षण शुल्क		0.59	0.54
अन्य सेवाओं में	1.59	1.25	
जेब खर्च से बाहर	0.18	0.64	4.37
प्रावधान			
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	92.69	76.12	
निवेश	1.58	5.22	
स्टोर स्पेयर्स और विविध	167.68	207.64	288.98

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
41: अन्य व्यय (जारी)		
बिजली और ईंधन	5709.46	6191.55
मालभाड़ा जावक	2075.91	2211.07
रॉयल्टी और उपकर	2398.85	1900.98
रूपांतरण शुल्क	143.67	210.59
अंतर-संयंत्र हस्तांतरण/आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क	-	0.04
हरजाना और घाट शुल्क	36.44	38.63
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर	145.78	141.77
बीमा	69.87	52.66
डाक, तार और टेलीफोन	15.71	15.30
मुद्रण और लेखन सामग्री	8.30	10.45
छरें और कर	39.08	34.33
किराया	16.22	16.69
सुरक्षा व्यय	727.17	657.67
यात्रा खर्च	109.54	113.24
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय	-	14.78
प्रशिक्षण व्यय	45.14	49.46
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (संदर्भ नोट - 49.7)	47.18	27.56
विदेशी मुद्रा में उतार - चढ़ाव (शुद्ध)	-	245.04
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री/स्कैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	37.74	49.43
लेखा परीक्षा भुल्क की लागत और खर्चों की पूर्तिपूर्ति	0.08	0.12
बट्टे खाता - विविध	15.81	0.06
संचालन खर्च - तैयार वस्तुएं	172.47	169.80
बिक्री एजेंटों को कमीशन	14.98	10.30
निर्यात बिक्री व्यय	188.50	91.44
विविध	597.38	597.48
	18531.28	19023.17

41क: असाधारण मदें

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	103.70	-
प्रवेश कर और अन्य बकाया {नोट 47.2 क(ii) देखें}	167.54	-
कोविड-19 प्रभाव:		
कच्चा माल	-	37.83
तैयार/अर्ध तैयार माल	-	404.26
लौह अयस्क फाइंस (उप ग्रेड)	-	329.67
लौह अयस्क जुमाना का कोविड-19 प्रभाव उत्क्रमण (उप-ग्रेड)	(329.67)	-
	(58.43)	771.76

41ख: प्रति शेयर अर्जन

वर्ष के लिए लाभ (करोड़)	3850.02	2021.54
इक्विटी शेयरों की संख्या	4130525289	4130525289
प्रति शेयर आय - मूल और मंदित (₹.)	9.32	4.89
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹.)	10.00	10.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

42: वित्तीय साधन

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट को पर्यवेक्षण के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

स्तर 1: वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा के उपयोग पर अधिकतम विश्वास करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है – आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2021 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति	-	254.40	-	254.40
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण	-	-	-	-
उद्धृत	-	-	-	-
गैर उद्धृत	-	-	147.98	147.98
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	254.40	147.98	402.38
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न दायित्व	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2020 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति	-	421.80	-	421.80
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धृत	5.06	-	-	5.06
गैर उद्धृत	-	-	131.31	131.31
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	5.06	421.80	131.31	558.17
वित्तीय देनदारियां				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न दायित्व	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-

iii) वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया गया है

(₹ करोड़)

वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण	स्तर-3	806.70	1028.86	714.26	843.81
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर-2	254.40	254.40	421.80	421.80
इक्विटी उपकरण					
उद्धृत	स्तर-1	-	-	5.06	5.06
गैर उद्धृत	स्तर-3	147.98	147.98	131.31	131.31
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		1209.08	1431.24	1401.98	
वित्तीय देयताएं					
उधार	स्तर-3	39344.48	39495.91	55626.30	55673.85
अन्य भुगतान	स्तर-3	11479.93	11688.11	10602.50	10657.62
व्युत्पन्न देयताएं	स्तर-2	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां		50824.41	51184.02	66228.80	66331.47

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

- (iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक
वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं :
- (क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या प्रतिपक्ष उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- (ख) विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर फॉरवर्ड की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।
- (ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार के वहन मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।
- (घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।
- (ङ) निश्चित ब्याज दर की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों जो परिशोधित लागत (पट्टा दायित्वों सहित) पर हैं, का उचित मूल्य, तुलन पत्र तिथि को समान परिसंपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के समान नकदी प्रवाह को छूट दर का उपयोग करके भुनाकर निर्धारित किया जाता है।
- (v) गैर-उद्धृत निवेश :
गैर-उद्धृत इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य अनुमान स्तर-3 में शामिल हैं और निवेशक कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उपयुक्त अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के संबंध में कोई बदलाव नहीं आया है।
- (vi) निम्न तालिका स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है : (₹ करोड़)

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2021	116.12
लाभ/हानि अन्य व्यापक आय मान्यता प्राप्त है	15.19
31 मार्च, 2020 को	131.31
लाभ/हानि अन्य व्यापक आय मान्यता प्राप्त है	16.67
31 मार्च, 2021 को	147.98

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
इक्विटी साधन *	-	147.98	-	-	136.37	-
व्यापार प्राप्य -	-	7124.00	-	-	8812.39	-
नकद और नकद समकक्ष	-	-	468.40	-	-	153.43
अन्य बैंक शेष	-	-	212.12	-	-	209.82
ऋण	-	-	806.70	-	-	714.26
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां	254.40	-	-	421.80	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	2557.92	-	-	2213.75
कुल	254.40	147.98	11169.14	421.80	136.37	12103.65
वित्तीय देनदारियां						
उधार	-	-	39344.48	-	-	55626.30
व्यापार देय	-	-	7014.41	-	-	6327.04
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-	-	-
अन्य देय	-	-	11479.93	-	-	10602.50
कुल	-	-	57838.82	-	-	72555.84

* संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश भारतीय लेखा मानक 27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुसार लागत पर किया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को श्रेणी नोट 43 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वित किया जाता है, और अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश स्थायी रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रबंधन किया जाता है। कंपनी सक्रिय रूप से पट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही विकल्प लिखती है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक प्रतिपक्षी कंपनी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों के संबंध में इस जोखिम का सामना करती है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना, आदि। कंपनी के क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि तक ही सीमित है।

- नकद और नकद समकक्ष
- व्युत्पन्न वित्तीय साधन
- व्यापार प्राप्य
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने जाने वाले ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहां ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या पर रिपोर्ट उचित लागत पर उपलब्ध हैं, कंपनी द्वारा इसे प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार करना है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन केवल उच्च श्रेणी के बैंकों को स्वीकार करके और देश भर के विभिन्न बैंकों में बैंक जमा और खातों में विविधता लाने के द्वारा किया जाता है।

व्युत्पन्न वित्तीय साधन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उच्च रेटेड बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्षियों के रूप में केवल इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है। कंपनी अपनी होल्डिंग को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट-योग्यता की बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट-योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फिगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व-गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

परिशोधन लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधन लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों के ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की राशियों की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि परिभाषित सीमा के अंदर है।

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है;

व्यापार प्राप्य

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानियों की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है :

(₹ करोड़)

एजिंग (31 मार्च, 2021 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	3173.22	2120.74	1773.52	35.65	265.58	7368.71
अपेक्षित हानि दर	0.11%	0.18%	0.46%	10.18%	85.02%	3.32%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	3.47	3.72	8.10	3.63	225.79	244.71
व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि (हानि का निवल)	3169.75	2117.02	1765.42	32.02	39.79	7124.00

एजिंग (31 मार्च, 2020 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	5538.64	3040.40	143.94	79.54	225.27	9027.79
अपेक्षित हानि दर	0.07%	0.15%	2.88%	3.60%	88.91%	2.39%
अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान	3.65	4.46	4.15	2.86	200.29	215.40
व्यापार प्राप्तियों की वहन राशि (हानि का निवल)	5534.99	3035.94	139.79	76.68	24.98	8812.39

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	
31 मार्च, 2019 को प्रावधान में बदलाव	198.26
31 मार्च, 2020 को प्रावधान में बदलाव	17.14
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	215.40
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	29.31
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	244.71

परिशोधन लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी किसी भी क्रेडिट हानि के लिए व्यक्तिगत वित्तीय साधनों का आकलन करके “ऋण अग्रिमों और व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य” पर अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए राशि प्रदान करती है। चूंकि, इस श्रेणी में विभिन्न प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी सभी के लिए लगातार लागू करने के लिए आकर्षित कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति भुर्राआती मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित हानि आधारित क्षति नहीं है, यद्यपि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप-श्रेणी के तहत हानि के प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यापार की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता की स्थिति और नकद और नकद समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमानों पर नजर रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्दाओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य विनियामक आवश्यकताओं के लिए तुलन पत्र तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी सभी गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है और तालिका में बताई गई राशि संविदात्मक गैर रियायती नकद प्रवाह होती है। 12 महीनों के भीतर देय शेष राशि उनके वहन शेष के बराबर है क्योंकि छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
उधार	20442.47	3668.88	4566.41	12977.14	41654.90
व्यापार देय	6633.44	264.48	59.63	56.87	7014.42
अन्य देय	7615.56	82.86	71.73	200.54	7970.69
कुल	34691.47	4016.22	4697.77	13234.55	56640.01
व्युत्पन्न					
व्युत्पन्न देयता (शुद्ध निपटान)	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2020 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 से कम वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
गैर-व्युत्पन्न					
उधार	20363.64	6270.55	6936.69	27650.84	61221.71
व्यापार देय	6320.38	0.17	0.65	14.50	6335.70
अन्य देय	8871.19	83.59	65.55	1044.15	10064.48
कुल	35555.21	6354.31	7002.89	28709.49	77621.89
व्युत्पन्न					
व्युत्पन्न देयता (शुद्ध निपटान)	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

ग) बाजार जोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेनदेन भारतीय रुपए में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के लिए एक्सपोजर कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में अंकित होते हैं। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर-आईएनआर नकद प्रवाह की निगरानी की जाती है और फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने तक देय) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, यह बड़े पैमाने पर एक दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद होती है और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किए जाते हैं जिन्हें अन्य समान-मुद्रा लेनदेन द्वारा ऑफसेट होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिम :

समीक्षाधीन अवधि के अंत में में कंपनी की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम करोड़ रुपए में व्यक्त की गई है जो इस प्रकार है :

वित्तीय परिसंपत्तियां	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	183.03	-	84.81	-
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां (सकल राशि, उधार को हेज करने के लिए)	-	-	6.79	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्ति) के लिए शुद्ध जोखिम	183.03	-	91.60	-
वित्तीय देनदारियां				
उधार	2856.60	369.79	2625.19	363.54
व्यापार देय	2825.55	351.48	2517.26	470.35
अन्य देय	27.18	75.92	33.13	175.59
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के लिए शुद्ध जोखिम	5709.33	797.19	5175.58	1009.48

संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर 'अन्य सभी चीजों के बराबर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2021 (2020: 5.45 प्रतिशत) को समाप्त वर्ष के लिए आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का + / - 4.69 प्रतिशत परिवर्तन मानता है। आईएनआर/ईयूआर विनिमय दर (2020: 7.57 प्रतिशत) के लिए ए + / - 6.78 प्रतिशत परिवर्तन माना जाता है। इन दोनों प्रतिशतों के पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय साधनों पर आधारित है और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफसेट करने वाले फॉरवर्ड विनिमय अनुबंधों को भी ध्यान में रखता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूएसडी — 4.69 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2021)	259.18	-
आईएनआर/यूएसडी — 4.69 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2021)	(259.18)	-
आईएनआर/यूएसडी — 5.45 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2020)	-	282.07
आईएनआर/यूएसडी — 5.45 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2020)	-	(282.07)
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर/यूरो — 6.78 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2021)	54.05	-
आईएनआर/यूरो — 6.78 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2021)	(54.05)	-
आईएनआर/यूरो — 7.57 प्रतिशत की वृद्धि (31 मार्च 2020)	-	76.42
आईएनआर/यूरो — 7.57 प्रतिशत की कमी (31 मार्च 2020)	-	(76.42)

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति दीर्घकालिक वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आम तौर पर निश्चित दरों पर दी जाती हैं। 31 मार्च, 2021 को, कंपनी परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधारों के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के सभी निवेश सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का प्रभाव महत्वहीन माना जाता है। निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन ± 1 प्रति त (2020 प्रति त ± 1 प्रति त) के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को धारित वित्तीय साधनों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

i) देयताएं

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2021 को, कंपनी परिवर्तनीय ब्याज दरों पर बैंक उधारों के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफसेट एक्सपोजर को छोड़कर)	11022.50	28829.00
निश्चित दर उधार	28321.98	26797.30
कुल उधार	39344.48	55626.30

संवेदनशीलता

लाभ या हानि और ब्याज दरों में इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता नीचे दी गई है।

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ब्याज दर संवेदनशीलता		
ब्याज दर — 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी	110.23	288.29
ब्याज दर — 100 आधार अंकों की कमी	(110.23)	(288.29)

ii) परिसंपत्ति

कंपनी की सावधि जमा परिशोधन लागत पर की जाती है और निश्चित दर जमा होती है। इसलिए वे भारतीय लेखा मानक 107 में परिभाषित ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य में नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

वित्तीय परिसंपत्तियों का समग्र जोखिम नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिवर्तनीय दर जमा/ऋण	-	-
निश्चित दर जमा/ऋण	1018.82	924.08
कुल जमा	1018.82	924.08

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

कंपनी अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम का सामना करती है (नोट 8 देखें)। कंपनी शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वपूर्ण नहीं मानती है, इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम की समस्या नहीं आती।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

44: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना
- शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करना

कंपनी तुलन पत्र में प्रस्तुत इक्विटी की वाहक राशि से कम नकद और नकद समकक्षों के आधार पर पूंजी पर नजर रखती है। प्रबंधन अत्यधिक लाभ उठाने से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तर को ध्यान में रखता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण को कम करने के लिए परिसंपत्ति बेच सकती है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
शुद्ध ऋण	38663.96	55263.05
कुल इक्विटी	43494.88	39777.38
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.89	1.39

लाभांश

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सामान्य शेयर		
(i) चुकता की गई शेयर पूंजी पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश @ 1.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	413.05	-
(ii) समीक्षाधीन अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है	743.50	-

45: गिरवी रखी परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विवरण		
इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य (वचनबद्ध सीमा तक)	3504.00	4112.33
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल परिसंपत्ति) — बीएसएल, बीएसपी और आरएसपी (वचनबद्ध सीमा तक)	12267.42	25860.50
शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे-वाडेज में भूमि और संयंत्र और मशीनरी — आईएसपी जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिस पर वह स्थित है।	5118.00	6304.00

46: प्रभावी कर मिलान

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
कर पूर्व लाभ	6879.03	3170.66
पीएफएस के लिए घरेलू कर की दर	25.168%	34.944%
संभावित कर व्यय (क)	1731.31	1107.96
कर-मुक्त आय/गैर-कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	11.87	(15.11)
भिन्न कर दर मदों के लिए समायोजन	(14.57)	(0.01)
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	-	(12.20)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर	1288.22	66.00
अन्य	12.18	2.48
कुल समायोजन (ख)	1297.70	41.16
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	3029.01	1149.12
कर व्यय में शामिल हैं :		
वर्तमान कर व्यय	12.05	224.14
आस्थगित कर क्रेडिट	3016.96	924.98
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	3029.01	1149.12

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) कंपनी के विरुद्ध लंबित अपीलीय/न्यायिक निर्णय के दावे :		
क) उत्पाद शुल्क	5498.47	5134.58
ख) संयंत्रों से स्टॉकयाडों को अंतरराज्य स्टॉक हस्तांतरण पर बिक्री कर *	755.58	744.71
ग) बिक्री कर संबंधी अन्य मामले	561.33	742.27
घ) आयकर	937.96	903.76
ई) अन्य शुल्क, उपकर और लेवी	9238.04	8063.93
च) सिविल मामले **	4799.57	4614.82
छ) प्रवेश कर	1747.79	2068.44
ज) विविध **	10058.81	7571.38
* कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बिक्री कर अंतिम बिक्री पर भुगतान किया गया है।		
** इसमें 13.74 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 13.65 करोड़ रुपए), के दावे शामिल हैं, जिसके विरुद्ध 13.74 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 9.52 करोड़ रुपए) के जवाबी दावे किए गए हैं।		
(ii) कंपनी के खिलाफ अन्य दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :		
क) बिक्री कर	119.23	106.02
ख) शुल्क, उपकर और लेवी	323.12	310.22
ग) सिविल मामले	6.94	134.28
घ) विविध *	3437.47	4412.69
* इसमें 100.94 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 89.15 करोड़ रुपए के दावे शामिल हैं, जिसके विरुद्ध 103.95 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 94.98 करोड़ रुपए) के जवाबी दावे किए गए हैं।		
(iii) संयुक्त उद्यम कंपनी पर विवादित आयकर/सेवा कर/अन्य मांग जिसके लिए कंपनी संयुक्त उद्यम करार के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हो सकती है।	61.63	42.91
(iv) ग्राहकों से आहरित बिल तथा बैंकों के साथ छूट।	255.35	84.86
(v) संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य वृद्धि के दावे और कर्मचारियों द्वारा दावे।	336.32	361.98

47.2 क) (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने दिनांक 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए प्रवेश कर अधिनियमों के लेवी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है तथा विचार के लिए सिद्धांतों/परीक्षणों को निर्धारित किया है। 31 मार्च, 2021 को ये मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय/न्यायिक उच्च न्यायालयों/नियत प्राधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर लगाने पर अन्य न्यायालयों की नियमित पीठों द्वारा लंबित निर्णय, 31 मार्च, 2021 तक क्रमशः 1092.28 करोड़ रुपए, 241.00 करोड़ रुपए और 40.14 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष क्रमशः 1092.28 करोड़ रुपए, 241.00 करोड़ रुपए और 40.14 करोड़ रुपए 31 मार्च, 2020 तक कुल मिलाकर 1373.42 करोड़) के विवाद के तहत प्रवेश कर की मांग कुल मिलाकर 1373.42 करोड़ रुपए को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

(ii) पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2017 में पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल प्रवेश कर को शामिल किया है। इसके अलावा, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 15 जून, 2018 के आदेश को डीएसपी, आईएसपी, सीएमओ, एसपी और सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्दी की प्रवेश कर पर रिट याचिका पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण को प्रेषित की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने प्रवेश कर विवादों को निपटाने के लिए वाणिज्यिक कर निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाई गई विवाद निपटान, 2020 योजना के तहत 160.80 करोड़ रुपए की राशि जमा की है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी (बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित) द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया, 2009-14 के आदेश के लिए बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित है, कानून का सवाल खुला रखते हुए 18 जनवरी, 2017 को आदेश दिया गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 7/8/2013 की तिथि 2009-14 के टैरिफ से संबंधित याचिका संख्या 275/जीटी/2012 के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) (2014 की अपील संख्या 18) के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा वर्ष 2004-05 से 2008-09 के वित्तीय वर्ष के टैरिफ से संबंधित सिविल अपील, जिसमें अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 3 दिसंबर, 2018 के आदेश जिसका भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी असर पड़ सकता है, को रद्द कर दिया गया। तदनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा जो एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां 587.72 करोड़ रुपए का विवाद उत्पन्न होता है, डीवीसी ने 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर, 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया और साथ ही 2012-13 से 2014-15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की मांग की। कंपनी ने डीवीसी के उक्त आवेदन पर दिनांक 28.12.2020 को भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ऐसे विद्युत शुल्कों, 31 मार्च, 2021 के 587.72 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020, 587.72 करोड़ रुपए) के डीवीसी के विवादित दावों के लंबित निर्धारण को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और उपरोक्त नोट संख्या 47.1(1) (एफ) में शामिल किया गया है। उक्त दावों के खिलाफ डीवीसी को पूरी राशि का भुगतान किया गया है और अग्रिम के रूप में बरकरार रखा गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2017 से पूर्ण चालान मूल्य का भुगतान किया जा रहा है और राजस्व के लिए शुल्क लिया जा रहा है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, झारखंड राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक (31 मार्च, 2020 तक 4028.18

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

करोड़ रुपए) की मांग की है, जो कोयले, लोहा और इस्पात की वस्तुएं के लेनदेन मूल्य पर “बाजार शुल्क” के लिए 4356.65 करोड़ रुपए है। जैसा कि मामला उप-न्यायिक है, राशि को नोट संख्या 47.1(1) (ई) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

- 47.4** केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), कोलकाता ने अपने फैसले में निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और संशोधित अनुलाभ और भत्तों के 325.13 करोड़ रुपए की राशि 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए अधिकारी के भुगतान का उचित निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने कंपनी को 7.12.2016 को मामले की सूचना दी। मामले में स्टे याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और यह माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जैसा कि मामला उप-न्यायिक है, उपरोक्त नोट संख्या 47.1(v) में राशि को आकस्मिक देयता के रूप में बताया गया है।
- 47.5** सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने अधिसूचित मूल्य पर 14 जनवरी, 2017 से एक पक्षीय रूप से अधिसूचित मूल्य पर स्वदेशी धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति का दावा किया गया है, जो वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य से विपथन/विचलन में है। कंपनी ने सेल और सीसीएल के बीच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच आपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कीमतों पर आधारित आपूर्तियों का उल्लेख किया है। सीसीएल के अंतर दावे, एमओयू दरों से अधिक और एकतरफा अधिसूचित दरों पर 148.07 करोड़ रुपए की राशि, नोट संख्या 47.1 (2) (डी) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं।
- 47.6** (i) दिनांक 1 अप्रैल 2015 के अपने पत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने संख्या- 11-599/2014-एफसी के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अंतर्गत गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि वन भूमि (आंशिक या पूरी तरह से) वाले मौजूदा खनन पट्टों, जहां एफसी अधिनियम के तहत वन भूमि के एक भाग के लिए ही अनुमोदन प्राप्त किया है, के मामले में कतिपय बातों, जो इस प्रकार की वन भूमि के एनपीवी के मामले में एफसी अधिनियम की धारा -2 (3) के तहत केंद्र सरकार ने खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण वन भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली शामिल है, यदि ऐसी वन भूमि के एनपीवी की पहले से वसूली नहीं हुई है। इस मामले में, एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (3) सरकारी निगम के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी मत के अनुसार, लागू नहीं होंगे और एनपीवी केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करना अपेक्षित होगा जो एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं और संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए नहीं है। कुल वन भूमि के लिए एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को कंपनी द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में मामले को इस न्यायालय की डिबीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से 2017-18 के दौरान प्राप्त 96.28 करोड़ रुपए की मांग के खिलाफ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका भी दायर की गई है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में 96.28 करोड़ रुपए जमा किए और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की गई है। नोट संख्या 47.1.1(ई) में आकस्मिक देयता के तहत 96.28 करोड़ रुपए की विवादित राशि को बंद कर दिया गया है।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियमित छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 और छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर उपकर लगाया गया। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर इस अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी है। हालांकि, बीएसपी ने 2020-21 तक विरोध में 168.23 करोड़ रुपए जमा कर सरकारी विभाग के पास जमा के रूप में दिखाया है। नोट संख्या 47.1(1) (ई) में आकस्मिक देयता के तहत कुल विवादित राशि 168.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 148.39 करोड़ रुपए) दिखाया गया है।
- 47.7** दिनांक 2 अगस्त, 2017 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अवैध खनन के संबंध में कॉमन कॉज मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, मांग/कारण बताओ नोटिस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बिना और उससे परे उत्पादन किए गए खनिज पदार्थों की कीमत की वसूली करने तथा प्रचालित करने के लिए सहमति से खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत आगे अधिक उत्पादन के प्रति जारी की गई है। झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी ने अभिप्रायित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त कर लिया है।
- (क) चूंकि यह मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और वर्तमान मुकदमे के उलझाव पर विचार करते हुए कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रावधान किया है :
- (i) ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा लौह अयस्क के संबंध में क्रमशः 311.99 करोड़ रुपए और 2347.52 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 278.94 करोड़ रुपए और 2057.97 करोड़ रुपए) की राशि (ब्याज सहित)। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित 378.65 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020 के दौरान 363.58 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की है। ऊपर दिए गए नोट संख्या 47.1(i) (एच) में 2280.86 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को 1973.33 करोड़ रुपए) (ब्याज सहित) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
- (ii) पलक्स के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा 51.01 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) (31 मार्च 2020 को रुपए 29.47 करोड़) की राशि। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित आधार पर 12.20 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020 को 10.56 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की है। ऊपर दिए गए नोट संख्या 47.1 (i) (एच) में 38.81 करोड़ रुपए (31 मार्च 2020 को 18.91 करोड़ रुपए) (ब्याज सहित) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
- (ख) कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा 595.35 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) (31 मार्च 2020 को 515.08 करोड़ रुपए)। खनिज रियायत नियम, 1960 की धारा 55 (5) के तहत संशोधन आवेदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ पढ़ा गया है। रीविजनल अथॉरिटी, कोयला मंत्रालय ने कंपनी को स्टे प्रदान किया है। तदनुसार, लंबित निपटान, नोट संख्या 47.1 (i) (एच) में 595.35 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) (31 मार्च 2020 को 515.08 करोड़ रुपए) की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
- 47.8** (क) मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) और मेसर्स डेनिएल कोरस बीवी (डीसी) (कंसोर्टियम में) ने मामला संख्या 22326 (पीटीए) द्वारा अनुबंध सं-पी/प्रोज/643 (10)/79001/08049126 दिनांक 01.10.2008 से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/राउरकेला स्टील संयंत्र के खिलाफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/राउरकेला स्टील प्लांट के खिलाफ 16 मई, 2018 को 626.02 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ, प्रबंधन ने अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ अपील को निपटान के लिए, प्रबंधन ने 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं (नोट सं. 21 देखें)। ऊपर नोट संख्या 42.1 (ii) (सी) में आकस्मिक देयता के तहत 962.51 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) (31 मार्च, 2020 को 834.53 करोड़ रुपए) का खुलासा किया गया है।
- (ख) मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमश ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष अनुबंध से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ मामला दायर किया है। 20.07.2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ 106.92 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ, प्रबंधन ने दिल्ली में अपील दायर की है जिसे स्वीकार किया गया है। आकस्मिक देयता के तहत अपील के निपटान में लंबित, नोट नंबर 47.1 (2) (डी) में 129.98 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

- 47.9** डीवीसी को 12.07.1966 से 30 वर्षों के लिए 5.545 एकड़ की भूमि, यानी लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर आबंटित की गई थी। एएसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने के लिए, डीवीसी को भूमि दी गई थी। बाद की अवधि के लिए अर्थात् 13/07/1996 से कोई पट्टा समझौता नहीं था। किसी भी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। निपटान के वर्ष में उसी का हिसाब रखा जाएगा।
- 47.10** माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, होरोमोटो स्टैंड में भूमि के नोट संख्या 4 (ii) (ख) के तहत पट्टे के नवीकरण (2599.54 एकड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल) के बारे में कंपनी के दावे को खारिज कर दिया गया, 222.54 एकड़ की सतह क्षेत्र को छोड़कर जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- 47.11** मैसर्स गोयल एमजी गैस्स प्राइवेट लिमिटेड (दावेदार) और सेल/अलॉय स्टील्स प्लांट, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न एक अवार्ड के लिए 116.86 करोड़ रुपए का दावा स्कोप, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.05.2020 द्वारा दिनांक 22.05.2020 को प्राप्त हुआ है। पूर्वोक्त अवार्ड के द्वारा ट्रिब्यूनल ने आर्गन के डीएसपी बीओओ संयंत्र से एएसपी तक परिवहन शुल्क की अंतर राशि से संबंधित दावेदार के बाजार दर के आधार पर किए गए दावे और क्रमशः आक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के मर्चेट मार्केट बिक्री के कारण दावेदार के बिलों से एएसपी द्वारा निकासी/कटौती की धनराशि को कुल दावा राशि में से लागू ब्याज के साथ दावा संख्या -1 व 2 को अनुमति दी है। सेल एएसपी जिला न्यायालय/वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम) की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है, क्योंकि ट्रिब्यूनल द्वारा पुरस्कार पेटेंट अवैधता से संबंधित मुद्दों में दिया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मात्रा के आधार पर, 31 मार्च, 2021 तक 7.06 करोड़ रु की शुद्ध विवादित देयता, ब्याज सहित को देखते हुए, नोट संख्या 47.1 (6) (ख) में आकस्मिक देयता के तहत दर्ज किया गया है।
- 48.1** निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और (अग्रिमों के लिए) प्रदान नहीं की गई हैं : (₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	5066.03	5368.33
अन्य प्रतिबद्धताएं	4259.28	4421.19

- 48.2** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (नोट सं. 30 में व्यापार देय के संबंध में प्रकट किए गए अनुसार) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस प्रकार के पक्षकारों की सीमा तक निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं : (₹ करोड़)

सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए जाने हेतु शेष मूलधन राशि।	103.57	47.99
ii.	वर्ष के दौरान संचित ब्याज की राशि तथा वर्ष के अंत में भुगतान नहीं की गई शेष राशि।	-	-
iii.	आगे ब्याज की बकाया और देय राशि, चाहे वह आगे के वर्षों में भी हो और उस तारीख तक उपरोक्त के अनुसार बकाया ब्याज वास्तव में धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में निषेधों के प्रयोजन के लिए लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया गया है।	-	-
iv.	उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष रहता है।	-	-
v.	धारा 16 की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि सहित भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
vi.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-

- 48.3** कुछ व्यापार प्राप्त, अन्य परिसंपत्तियों तथा अन्य देयों के शेष की पुष्टि/मिलान और बाद के समायोजन, यदि कोई हो, के अधधीन है। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। प्रावधान, जहां आवश्यक समझे गए हैं, किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को इस प्रकार की लंबित पुष्टि/मिलान को कोई खास प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115बीए की शुरुआत के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2020 और उसके बाद समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा के तहत कम कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। नतीजतन, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को चार्ज किया है और संशोधित प्रभावी कर दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्निर्धारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में 1288.22 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रभार है।

- 49.1** भारतीय लेखा मानक 115 – संविदाकारों के साथ ग्राहकों से राजस्व के अनुसार जीएसटी की राशि 10579.84 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष : 9929.08 करोड़ रुपए) परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।

कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, इन एजेंसियों को चालान अनंतिम कीमतों पर किया जाता है, जब तक कि अंतिम कीमत पर सहमति नहीं हो जाती। उपरोक्त अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है : (₹ करोड़)

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 तक संचयी	31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 तक संचयी
1566.75	6902.50	14952.22	2714.98	7634.55	8074.36

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

49.3 वेतन संशोधन के लिए दीर्घकालिक करार 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी 3 अगस्त, 2017 और 24 नवंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में सामर्थ्य और वित्तीय स्थिरता खंड को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में, कंपनी 1 अप्रैल, 2020 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के मानदंडों को पूरा करती है। तदनुसार, अंतिम रूप देने/नए करार के लंबित होने के कारण, वेतन और वेतन संशोधन के लिए एक समावेशी प्रावधान 1145.71 करोड़ रुपए और अनुमानित आधार पर क्रमशः निर्माण के दौरान लाभ और हानि और व्यय के विवरण के लिए 10.11 करोड़ रुपए प्रभावित किए गए हैं।

49.4 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार, कंपनी को अधिशेष लाभ के रूप में कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30 प्रतिशत तक योगदान करने की आवश्यकता है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेजुटी, पेंशन शामिल हो सकते हैं और निवृत्ति उपरांत लाभ तदनुसार कंपनी ने कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए 9 प्रतिशत वेतन का प्रावधान किया है। 1 जनवरी, 2007 वेतन का 3 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015, आगे, गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ वेतन 1 जनवरी, 2012 से 6 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 2 प्रतिशत प्रदान किया गया है।

दिनांक 9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक बोर्ड की बैठक में पेंशन योजना को इस संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से और उसके बाद, पेंशन के लिए योगदान को कर से पहले लाभ के प्रतिशत (पीबीटी) को औसत नेट-मूल्य रूप में मापा जाएगा। यदि पीबीटी का औसत नेटवर्क का प्रतिशत 8 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो पेंशन अंशदान की राशि कार्यकारी अधिकारियों के लिए मूल वेतन अधिक डीए के 9 प्रतिशत और गैर-कार्यकारी के लिए मूल वेतन अधिक डीए का 6 प्रतिशत तक सीमित होगी, अन्यथा राशि पेंशन के लिए योगदान अनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान की स्थिति में भी, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमान डीए के 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। चूंकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ औसत नेट-मूल्य के 8 प्रतिशत से अधिक है, 1 अप्रैल, 2020 क्रमशः कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों (पेंशन) के लिए क्रमशः 9 प्रतिशत और 6 प्रतिशत वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का प्रावधान किया गया है।

कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों के लिए संयोजी प्रावधान/देयता (पेंशन सहित), 2251.72 करोड़ रुपए (वर्ष के दौरान 389.76 करोड़ रुपए) और 52.32 करोड़ रुपए (वर्ष के दौरान 2.40 करोड़ रुपए) की राशि क्रमशः 'कर्मचारी लाभ व्यय' और 'निर्माण के दौरान व्यय' से ली गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 694.19 करोड़ रुपए की राशि पेंशन फंड में स्थानांतरित कर दी गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 201.69 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है तथा कर्मचारियों द्वारा पेंशन के पात्र होने के लिए 1.32 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई।

49.5 वर्ष के दौरान 340.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के दौरान 274.36 करोड़ रुपए) और 23.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः 18.44 करोड़ रुपए) की राशि लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभावित और अचल परिसंपत्तियों/पूंजीगत कार्य-प्रगति (शुद्ध) के लिए आबंटित अनुसंधान और विकास व्यय। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि को संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाया गया है। राशि का ब्योरा इस प्रकार है :

(₹ करोड़)

लेखा शीर्ष	को समाप्त वर्ष	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कच्चा माल	198.05	121.12
कर्मचारियों के लाभ का खर्च	83.76	66.26
खपत किया गया स्टोर और स्पेयर	6.27	12.11
बिजली और ईंधन	17.77	26.10
मरम्मत और रख-रखाव	3.79	4.10
अवमूल्यन और परिशोधन खर्च	6.89	6.84
अन्य खर्च	21.45	35.53
वित्त लागत	2.30	2.30
कुल	340.28	274.36

49.6 कंपनी एक पूरे संयंत्र की संपत्ति को कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) मानती है। कंपनी ने आंतरिक रूप से समीक्षा की है कि क्या कोई संकेतक हैं कि सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर क्षीण हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेतक मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाता है। परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर उपयोग में मूल्य आधारित है। जब भी एक सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के आगे, कंपनी सीजीयू की परिसंपत्तियों की शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है, जिसमें कोई भी ऐसा संकेत मौजूद होता है, जो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार होता है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार कंपनी द्वारा अपने अलग-अलग सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किसी भी तरह की हानि क्षति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

- 49.7** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत, कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए औसत शुद्ध लाभ में से कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के आधार पर, वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर राशि का बजट 39.44 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के दौरान 33.00 करोड़ रुपए) रखा गया है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 47.18 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष के दौरान 27.56 करोड़ रुपए) निम्नलिखित शीर्षों के तहत खर्च की है।

(₹ करोड़)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
शिक्षा	8.30	8.83
स्वास्थ्य देखभाल	28.48	8.10
आजीविका सृजन	2.14	1.33
महिला सशक्तिकरण	0.57	0.51
पेय जल	0.80	0.47
स्वच्छता	0.23	0.28
खेल-कूद	0.72	1.24
कला और संस्कृति	1.65	3.52
ग्रामीण विकास	1.19	1.56
सामाजिक सुरक्षा	0.46	0.33
पर्यावरण शाश्वतता	0.48	1.05
आपदा राहत	2.06	-
परियोजना अभिचिह्निकरण और निगरानी	0.10	0.05
कार्मिक क्षमता का निर्माण	-	0.29
कुल	47.18	27.56

‘अव्ययित सीएसआर खाते’ में किसी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

- 49.8** सामान्य वित्तीय नियम 238 (5) और (6) के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	खर्च किया गया अनुदान (प्रारम्भिक शेष और वर्तमान वर्ष से)
2020-21	-	1.50
2019-20	-	0.43
2018-19	1.47	1.02

- 49.9** केंद्र सरकार से 31 मार्च 2021 तक इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उन्नयन के लिए 294.82 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजटीय प्रावधान के खिलाफ 294.82 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसे “अन्य देयताएं – आस्थगित आय” शीर्षक के तहत तुलन पत्र में एक पंक्ति मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- 49.10** भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखा मानक) 116 के आधार पर पट्टों के विषय में सूचना:

- (i) कंपनी के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदामों और संबंधित सुविधाओं और वाहनों के लिए पट्टे हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टा एक सही उपयोग की परिसंपत्ति और एक पट्टा देयता के रूप में तुलन पत्र पर परिलक्षित होता है। वैरिबल लीज पेमेंट जो इंडेक्स या रेट पर निर्भर नहीं होते हैं लीज देनदारी के शुरुआती माप और उपयोग की परिसंपत्ति के अधिकार से बाहर रखा गया है। कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अनुरूप तरीके से अपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करती है।
- प्रत्येक पट्टा आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पार्टी को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं होता है, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति केवल कंपनी द्वारा उपयोग की जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों के पट्टों के लिए, कंपनी को उन संपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टा अवधि समाप्त होने पर संपत्तियों को मूल स्थिति में वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के अनुबंध के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां

इस अवधि के दौरान उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों (नोट 4क के संदर्भ में) की मान्यता प्राप्त वाहक राशि और संचलन नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टे पर भूमि	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	उपयोग के अधिकार की कुल परिसंपत्तियां
1 अप्रैल, 2020 को	808.79	1,371.13	11.66	13.50	2,205.08
परिवर्धन	59.57	56.17	1.86	0.16	117.76
समायोजन / निपटान	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	66.14	195.93	4.31	2.33	268.70
31 मार्च, 2021 को	802.22	1231.37	9.21	11.33	2054.13

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

पट्टा देनदारियां

पट्टे की देनदारियों की वाहक राशि (ब्याज वाले ऋण और उधार शामिल) और वर्ष (नोट 24 और 29 के संदर्भ में) के दौरान संचलन की मात्रा नीचे दी गई है :

(₹ करोड़)

विवरण	पट्टा देनदारियां
1 अप्रैल 2020 को	2184.04
परिवर्धन	55.26
अर्जित ब्याज	165.37
भुगतान	(336.13)
31 मार्च, 2021 को	2068.54
वर्तमान	249.15
गैर वर्तमान	1819.39

(क) पट्टा देयता के मापन में पट्टा भुगतान को शामिल नहीं किया गया

पट्टा देयता के माप में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
लघु अवधि के पट्टे	2.40	1.85
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे	-	-
परिवर्तनीय पट्टे भुगतान	31.71	37.60
अन्य	-	0.03

ख. 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष (पिछले वर्ष 1278.18 करोड़ रुपये) के लिए पट्टे का कुल नकद बहिर्वाह 1117.03 करोड़ रुपये हैं।

ग. कंपनी के पास अल्पकालिक पट्टों की कुल प्रतिबद्धता 31 मार्च, 2021 को 0.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष भून्य) है।

घ. पट्टा देनदारियों की परिपक्वता

लीज देनदारी संबंधित अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं। संबंधित वर्षों के भावी न्यूनतम पट्टे के भुगतान इस प्रकार थे:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को देय न्यूनतम पट्टा का भुगतान			
	1 वर्ष के अंदर	1-5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
पट्टा भुगतान	359.84	1081.47	2087.62	3528.93
ब्याज व्यय	126.20	420.90	913.28	1460.38
निवल वर्तमान मूल्य	233.64	660.57	1174.34	2068.55

ड. परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों को उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। 31 मार्च, 2021 को संभावित नकद बहिर्वाह शून्य (पिछले वर्ष भून्य) हैं।

च. विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी :

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति	पट्टों की संख्या	शेष अवधि की सीमा	औसत शेष पट्टा अवधि	विस्तार विकल्प के साथ पट्टों की संख्या	समाप्ति विकल्प के साथ पट्टों की संख्या
लीजहोल्ड भूमि	53	0.08 - 90	27.70	43	34
संयंत्र और उपस्कर	9	0.12 - 15.01	5.78	5	1
वाहन	15	0.01 - 9.05	3.72	-	7
भवन	20	0.08 - 49.79	5.39	14	18

छ. 31 मार्च, 2021 को अभी तक शुरू नहीं किए गए पट्टों (कार्यालय परिसर) का भावी नकदी प्रवाह शून्य करोड़ (पिछले वर्ष भून्य) है।

कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

ऑपरेटिंग पट्टा एक पट्टादाता के रूप में

कंपनी ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों, अस्पतालों, मोबाइल टावरों भूमि भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टरों/प्लैट्स रिक्त स्थान, आदि के लिए पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है।

ऐसे पट्टों की अवधि प्रत्येक लीज व्यवस्था की सेवा और शर्तों के आधार पर 11 महीने से 50 वर्ष तक होती है।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्य भविष्य के न्यूनतम पट्टे के भुगतान निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	28.83	23.83
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	70.96	58.37
(ग) 5 वर्ष से अधिक	129.27	105.86
कुल	229.06	188.06

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त कुल परिचालन पट्टा किराए की आय 34.85 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2020 : 11.49 करोड़ रुपये) है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

एक पट्टेदार के रूप में वित्त पट्टा

कंपनी ने फ्रीहोल्ड भूमि ली है जिसे वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत विभिन्न पक्षों को पट्टे पर दिया गया है।

वित्त पट्टे के तहत प्राप्य भविष्य के न्यूनतम पट्टे के भुगतान निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.60	0.62
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.78	0.34
(ग) 5 वर्ष से अधिक	9.57	2.40
कुल अधोषित लीज भुगतान	10.95	3.36
अनर्जित वित्तीय आय	9.86	3.36
लीज में निवल निवेश	1.09	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त कुल वित्त पट्टा किराये की आय 0.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.50 करोड़ रुपए) है।

(II) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण

विद्युत संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ विद्युत क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में एक विद्युत संयंत्र को सहभागी किया है। विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार कंपनी पक्षकारों द्वारा करार को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक विद्युत क्रय करता रहेगा जो कि परिसंपत्ति के विशिष्ट स्वरूप और स्थान स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनार्थक प्रस्ताव होना निर्धारित किया गया है। भारतीय लेखा मानक-116- पट्टों के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं है।

ऑक्सीजन संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे (अथवा प्रचालन पट्टे) के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है। ऑक्सीजन खरीदने के करार की निर्धारित अवधि 15 वर्ष है। भारतीय लेखा मानक-116- पट्टों के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता को देखते हुए पट्टे के समझौते के तहत अपने अधिकारों के आधार पर खनन पट्टों के लिए लीजहोल्ड भूमि को वित्त पट्टे के रूप में शामिल किया है। भारतीय लेखा मानक-116- पट्टों के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं है।

49.11 राजहारा से राउघाट के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक की अवधि के लिए नकदी और वस्तु में योगदान राउघाट खानों से आश्वस्त यातायात शुरू होने पर तथा इसके पूरा होने के पश्चात् सेल के योगदान में विमोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से नगदी में वसूला जाएगा। प्रबंधन का मत है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंड पूरे किए जाएंगे और ब्याज निवेश की तारीख से प्रोद्भूत होता है। वापस की जाने वाली राशि में मूलधन और ब्याज शामिल है। तदनुसार, ब्याज की गणना की गई है और वर्ष के दौरान 47.17 करोड़ रुपए (आज की तारीख तक 140.26 करोड़ रुपए) ब्याज के रूप में माने गए हैं। वर्ष के दौरान भारत के सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार समय अनुपात आधार पर मान्यता का इस प्रकार व्यवहार सही है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि राजस्व के संग्रहण और उपाय के बारे में कोई विशेष अनिश्चितता नहीं है।

49.12 कंपनी अपनी विभिन्न खानों में 42.60 मिलियन टन (पिछले वर्ष 42.98 मिलियन टन) सब-ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स (एसजीएफ) की सूची ले जा रही है। इन फाइनों की कम लौह सामग्री ने उन्हें कंपनी के इस्पात संयंत्रों में उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से सभी कैपिटल खनिकों (कंपनी सहित) को इन उप-श्रेणी के जुर्माने को बाजार में बेचने से रोक दिया। चूंकि, इन आविष्कारों का न तो उपभोग किया जा सकता था और न ही बेचा जा सकता था, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं था और इसलिए, 2018-19 तक इन उप-ग्रेड जुर्माने के लिए कोई मूल्य नहीं दिया गया था।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं. एफ.सं. 16/30/2019-एम.6 दिनांक 16 सितंबर 2019 ने इस्पात संयंत्र में इस तरह के जुर्माने की उपयोगिता के बारे में भारतीय खान ब्यूरो के गठन में संबंधित राज्य सरकारों को कंपनी की कैपिटल खानों में पड़े उप-श्रेणी के खनिकों की बिक्री की अनुमति देने का निर्देश दिया, जो राज्य सरकारों के परामर्श से पता लगाने के अधीन है। इसके बाद, 4 जनवरी 2020 को एक स्पष्टीकरण के द्वारा, खान मंत्रालय ने उपयोगिता के प्रमाणीकरण की शर्त को हटा दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की शक्तियों पर कंपनी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिनांक 19 मई 2020 को राय दी है कि उपरोक्त अधिसूचना एमएमडीआर अधिनियम के तहत धारा 20ए (2)(5) के तहत जारी की गई है। मामला संविधान की अनुसूची 7 की संघ सूची के तहत है और निर्देश जारी करने की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। राय में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकारों को कंपनी को जुर्माना बेचने के अधिकार से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) ने कंपनी द्वारा किए गए एक प्रश्न पर अपने संचार दिनांक 6 जून, 2020 के माध्यम से राय दी है कि संचित उप-ग्रेड जुर्माना को एक उप-उत्पाद माना जा सकता है और यदि यह एक अभौतिक उप-उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 2 - इन्वेंटरी के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जा सकता है। ईएसी की राय ने यह भी स्पष्ट किया कि, बिक्री की अनुमति देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना के कारण ऐसी सूची की अग्रणीत राशि में वृद्धि को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन तथा लेखांकन अनुमान में परिवर्तन होने के कारण त्रुटियां को भारतीय लेखा मानक 8 - लेखा नीतियों की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए।

प्रबंधन ने प्रत्येक खदान में एसजीएफ के मात्रात्मक सत्यापन के लिए कदम उठाए और पिछले वर्ष के दौरान एफई सामग्री के लिए गुणात्मक विश्लेषण (ग्रेडेशन सहित) किया और केंद्र सरकार के उपरोक्त आदेश, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की राय और आईसीएआई के ईएसी की राय के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक 42.98 मिलियन टन के एसजीएफ की सूची को 3791.18 करोड़ रुपए के एनआरवी पर मूल्यांकित किया। रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित भारत सरकार के संगठन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) द्वारा घोषित समान एसजीएफ के औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर एनआरवी निकाला गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक से पर्यावरण मंजूरी और मंजूरी सहित सभी मंजूरी प्राप्त की है। इसके अलावा, ओडिशा राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और यह झारखंड राज्य में उन्नत चरणों में है और प्रबंधन को देखते हुए जल्द ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

नतीजतन, प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे माल को बेचने में सक्षम हो गया है। जबकि, चालू वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसे मालसूची की मात्रा में मामूली उतार-चढ़ाव (0.40 मिलियन टन) रहा है, एसजीएफ के लिए महत्वपूर्ण बाजार मांग है और हाल ही में बिक्री मूल्य प्रवृत्तियां द्वारा ऐसे माल का वहन मूल्य पर और उससे अधिक पर काफी मार्जिन का संकेत है। प्रबंधन की भविष्य में एक लाभकारी संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है जो सालाना एसजीएफ की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर इन इन्वेंट्री के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह की इन्वेंट्री की महत्वपूर्ण मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान वॉल्यूम का विस्तृत मूल्यांकन किया है, जो चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर बेचे जाने की उम्मीद है और तदनुसार, इन इन्वेंट्री के एक हिस्से को गैर-चालू अर्थात् वॉल्यूम जो चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बेचे जाने की उम्मीद है (नोट 7ए और 15 देखें) के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसे मालसूची का वहन मूल्य भी मूल्यांकन के उपरोक्त यथानुपातिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, बाजार की अस्थिरता, इस्पात बाजार की गतिशीलता, देश में स्टील और पेलेट बनाने की क्षमता में भविष्य के परिवर्धन की संभावना को देखते हुए, जो इन सामग्रियों की मांग को बढ़ा सकता है, गैर-वर्तमान सूची के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर वहन मूल्य सर्वोत्तम अनुमान हैं।

एसजीएफ के लिए उपरोक्त लेखांकन उपचार के अनुरूप, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान बरसुआ खानों में टेलिंग की सूची का मात्रात्मक सत्यापन किया है और एफई सामग्री के लिए गुणात्मक विश्लेषण (ग्रेडेशन सहित) किया है और 31 मार्च 2021 को 248.24 करोड़ रुपए का एनआरवी (गैर-वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत 204.47 करोड़ रुपए सहित) के 3.97 मिलियन टन की पुंछ की सूची का मूल्यांकन किया है। रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित आईबीएम द्वारा घोषित समान टेलिंग के एसपी के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर एनआरवी निकाला गया है। इसके अलावा, टेलिंग के लिए हाल ही में बिक्री मूल्य रुझान भी ऐसी सूची के वहन मूल्य पर और उससे अधिक मार्जिन का संकेत है। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2021 तक इन मालसूची के वहन मूल्य में किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। (नोट 3.8 और 3.24.4 भी देखें)

49.13 कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड लगभग 0.57 मिलियन टन निकालने योग्य लोहे और स्टील स्क्रैप का मूल्य 438.63 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 तक की इसी सूची पर 0.66 मिलियन टन की अनुमानित मात्रा का मूल्य 683.33 करोड़ रुपए) पर रखा है।

31 मार्च 2021 को भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली खदानों में 4.71 मिलियन टन लौह अयस्क के अवशेष की अनुमानित मात्रा 244.17 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 तक इसी सूची के अनुसार 5.60 मिलियन टन मूल्य ₹ 234.92 करोड़) आंकी गई है।

कंपनी द्वारा ऐसी सूची के मूल्यांकन पर भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार विचार किया गया था।

हालांकि, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा में, इंड-एस 2 के संदर्भ में सूची के रूप में ऐसी सामग्री की मान्यता पर टिप्पणी की थी। सूची के रूप में ऐसी सामग्री, कंपनी ने इस तरह के मुद्दे पर एक राय प्राप्त करने के लिए दोनों मामलों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) को संदर्भित किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से 8 मार्च, 2021 को प्राप्त अनुकूल राय, कि स्लैग और डी-सिल्ट आयरन ओर फाइन्स में आयरन और स्टील एम्बेडेड स्क्रैप दोनों भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार 'इन्वेंट्री' की परिभाषा को पूरा करते हैं।

49.14 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अर्थात् विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील प्लांट (एसएसपी), पश्चिम बंगाल की तीन इकाइयों के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी।

इसके बाद, भारत सरकार के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के अनुरूप, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एसएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी के कार्यनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। कंपनी ने प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की। कार्यनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) कर रहा है। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा की जाती है और सचिव (इस्पात) द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), एसएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। लेनदेन सलाहकार, मेसर्स एसबीआईसीपी ने सूचित किया है कि, एसएसपी के मामले में, कोई ईओआई संभावित निविदाकारों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ था। एसएसपी और वीआईएसपी के ईओआई 10 सितंबर, 2019 को खोले गए थे। शॉर्ट-लिस्टेड निविदाकारों को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी), गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) जारी किए गए हैं और लघु-सूचीबद्ध निविदाकारों द्वारा उचित परिश्रम जारी है।

49-15 कंपनी ने कंपनी की आम बैठक सुनिश्चित करने में शेरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी (अर्थात् 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के रूप में 1.80) के 18 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है। इससे पहले, कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया (अर्थात् 1.00 प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपए के लिए)।

49.16 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("नोटिस") के नोटिस के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए कंपनी का अंकित मूल्य प्रत्येक 10 रुपए वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो कंपनी की कुल भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की अलग-अलग निर्दिष्ट विंडो के माध्यम से अतिरिक्त रूप से 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों (कंपनी की कुल भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी का 5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है) ("ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प") को बेचने का विकल्प है। प्रमोटर ने अतिरिक्त 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों तक और कंपनी के कुल 41,30,52,528 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ओवरसब्सक्रिप्शन विकल्प का प्रयोग किया है। नतीजतन, कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 309,77,67,449 इक्विटी शेयरों (भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी का 75 प्रतिशत) से घटकर 268,47,14,921 इक्विटी शेयर (भुगतानित इक्विटी शेयर पूंजी का 65 प्रतिशत) हो गई है। इक्विटी शेयरों की बिक्री बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक अलग निर्दिष्ट विंडो पर हुई और "स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से प्रमोटरों द्वारा शेयरों की बिक्री (ओएफएस) पर व्यापक दिशानिर्देश" के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किया गया था।

49.17 कोविड-19 महामारी के प्रकोप और इसे कम करने के उपायों ने महत्वपूर्ण गड़बड़ी और आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के संचालन को कम करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियों का क्रमिक सामान्यीकरण, कंपनी सामान्य क्षमता पर काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में देखे गए सकारात्मक आर्थिक परिवेश को देखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि यह प्रवृत्ति बाद की अवधि में भी जारी रहने की संभावना है और कोविड-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, के भौतिक होने की संभावना नहीं है।

49.18 वस्तु और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आउटपुट टैक्स के खिलाफ ऑफसेट के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की लंबित पहचान और समाधान, उसके शेष को संगत मासिक रिटर्न दाखिल करने तक सकल आधार पर ले जाया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण :

ग्रेच्युटी	: उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक निरंतर सेवा की है, (गैर-कार्यपालक के मामले में 30 वर्षों के बाद सेवा की प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन 30 वर्षों से आगे की सेवा के लिए) को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक् होने पर 15 दिन की दर से देय 01 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए 20 लाख की अधिकतम राशि और अन्य गैर-कार्यपालकों के लिए किसी आर्थिक अधिकतम सीमा के बिना बीमांकन संबंधी मूल्यांकन के लिए माना गया है।
छुट्टी नकदीकरण	: उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने अर्जित और अर्द्ध वेतन छुट्टी संचित की है, अर्जित छुट्टियों और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए संयुक्त रूप से 300 दिन की अधिकतम सीमा के अधधीन अधिवर्षिता पर देय। संचित अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी वित्तीय वर्ष में एक बार 24.11.2020 से 270 दिनों से अधिक और 170 दिनों से अधिक वाले कर्मचारियों के लिए क्रमशः कार्यकारी / सीडीए शासित कर्मचारियों और स्थायी आदेश शासित कर्मचारियों के लिए 30 दिनों तक की अनुमति है।
भविष्य निधि	: कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यासों को मूल वेतन, महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से किया गया अंशदान।
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	: सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल और ध्या स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध।
सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	: अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय।
दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने और अधिवर्षिता पर भी वस्तु के रूप में देय।

50.1.2 परिभाषित लाभ देयताओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक -19 के तहत अपेक्षा के अनुसार अन्य प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान *

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ, दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6044.55 (6018.40)	3005.03 (2698.59)	1055.03 (937.04)	103.40 (133.52)	18.79 (21.29)
ii)	सेवा लागत	323.03 (276.77)	434.58 (566.71)	- (-)	- (-)	0.5 (0.55)
iii)	ब्याज लागत	387.09 (376.21)	191.22 (187.86)	68.76 (57.45)	6.88 (8.58)	1.20 (1.32)
iv)	बीमांकिक लाभ(-) / हानि(+)	-270.18 (9.38)	-37.11 (-473.93)	10.90 (193.64)	4.86 (-31.22)	-0.66 (-1.92)
v)	विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	भुगतान किए गए लाभ	703.95 (636.20)	386.07 (244.21)	87.90 (133.08)	4.32 (7.49)	2.30 (2.44)
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v-vi)	5780.54 (6044.55)	3207.65 (3005.03)	1046.79 (1055.03)	110.82 (103.40)	17.57 (18.79)

(ख) परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का मिलान

कंपनी ने एक पृथक् निधि के जरिए उपदान देयता का निधियन किया है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों, जिनके जरिए निधि द्वारा निवेश किया गया है, द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। उपदान निधि की परिसंपत्तियों और परिभाषित लाभ उपदान देयताओं के उचित मूल्य का मिलान नीचे दिए गए अनुसार है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2019-20
i)	वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6357.63	6277.42
ii)	योजना परिसंपत्तियों पर संभावित आय	98.22	8.86
iii)	कम्पनी का वास्तविक अंशदान	50.84	293.08
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि(-)	432.55	414.47
v)	लाभ भुगतान	703.95	636.20
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6235.29	6357.63
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य [50.1.2)(ए)(vii)]	5780.54	6044.55
viii)	तुलन-पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (vii)-(vi) *	-454.73	-313.21

*कंपनी निवेशों के रिटर्न पर विचार करने के बाद वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रेच्युटी फंड के खर्चों के लिए किसी भी राशि के योगदान की उम्मीद नहीं करती है। परिभाषित लाभ दायित्वों, ग्रेच्युटी के अलावा, गैर-वित्त पोषित हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(ग) वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किए गए व्यय :

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद बसने का लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	सेवा लागत	323.03 (276.77)	434.58 (566.71)	- (-)	- (-)	0.54 (0.55)
ii)	ब्याज लागत	-45.23 (-38.14)	191.22 (187.87)	68.76 (57.45)	6.88 (8.58)	1.18 (1.32)
iii)	बीमांकन लाभ (-)/हानियां	-270.18 (9.38)	-37.11 (-473.93)	10.90 (193.65)	4.86 (-31.22)	-0.02 (-1.92)
iv)	विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
v)	योजना परिसम्पत्तियों से संभावित आय	98.22 (8.82)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	-90.60 (239.21)	588.71 (280.65)	79.66 (251.10)	11.74 (-22.63)	1.70 (-0.06)
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय :					
	क) लाभ एवं हानि लेखों में प्रभावित (नोट 39)	277.23 (235.64)	586.53 (278.04)	68.76 (57.45)	5.50 (-13.73)	1.70 (-0.06)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभावित (नोट 5.1)	0.56 (3.01)	2.18 (2.61)	- (-)	- (-)	- (-)
	ग) ओसीआई में प्रभावित *	-368.39 (0.56)	- (-)	10.90 (193.65)	- (-)	- (-)
	घ) लाभ एवं हानि लेखा के लिए प्रभावित - अन्य व्यय	- (-)	- (-)	- (-)	6.24 (-8.90)	- (-)
viii)	योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक आय	530.54 (423.17)				

* निर्धारित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ / (हानि) को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और प्रतिधारित आय (नोट संख्या 23) के तहत दिखाया गया है।

(घ) कटौती दर में आधे प्रतिशत के प्वाइंट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	उपदान	-206.48	193.73
ii)	अवकाश	-127.29	119.00
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ	-47.57	41.59
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	-1.02	0.49
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	-4.93	4.47

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की कमी	वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	78.56	-71.68
ii)	अवकाश	119.26	-126.40

(च) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में परिकल्पित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट दर का प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि	चिकित्सा मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट की कमी
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	-20.68	9.47

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(छ) उपदान ट्रस्ट में निवेश

विवरण	निवेश का प्रतिशत	
	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बीमा निवेश	95.25	94.95
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1.39	1.36
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1.24	1.61
पीएसयू बांड	2.12	2.07
बैंक में नकदी	0.00	0.01
कुल	100.00	100.00

(ज) बीमांकित अनुमान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	6.80 %	6.60 %
ii)	मृत्यु दर	आईएलएम (2012-14) अंतिम	आईएलएम (2006-08) अंतिम
iii)	अंतिम निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी- आयु के अनुसार 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत	कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी- आयु के अनुसार 0.01 प्रतिशत से 0.10 प्रतिशत
iv)	चिकित्सा लागत की प्रवृत्ति दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल की लागत पर 5 प्रतिशत और मेडी-क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल की लागत पर 5 प्रतिशत और मेडी-क्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजनागत परिसम्पत्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	6.80%	6.60%
vi)	वेतन वृद्धि	कार्यकारी: 6% प्रतिवर्ष गैर कार्यकारी 6% प्रति वर्ष: सभी कर्मचारी-2017 से सेवा शुरू करने के हर 10 वर्ष के पश्चात 6% प्रतिवर्ष	कार्यकारी: 6% प्रतिवर्ष गैर- कार्यकारी: 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी- 2017 से सभी कर्मचारी-2017 से सेवा शुरू करने के हर 10 वर्ष के पश्चात 6% प्रतिवर्ष
बीमांकित मूल्यांकन हेतु भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारकों पर ध्यान रखा गया।			

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़)

अवधि	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष तक	674.40
1 से 2 वर्ष तक	670.99
2 से 3 वर्ष तक	665.46
3 से 4 वर्ष तक	617.76
4 से 5 वर्ष तक	591.43
5 से 10 वर्ष तक	3093.35
10 से अधिक वर्षों के लिए	4125.22
पूर्व सेवा से संबंधित कुल गैर-छूट प्राप्त भुगतान	10438.61
कम: ब्याज के लिए छूट	4658.06
संभावित लाभ देयताएं	5780.55

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

51. सामान्य

51.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग

- व्यवसाय सेगमेंट: विनिर्माण यूनिटें होने के नाते पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और तीन अलॉय इस्पात संयंत्रों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस)- 108 - 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के तहत रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यवसाय खंड माना गया है।
- प्रबंधन की राय में, कैपिटल खान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय एएस) - 108 - प्रचालन अनुभाग के पैरा 27 के अनुसार कंपनी के बिजनेस अनुभाग में सूचित करने योग्य नहीं है। चूंकि कैपिटल खानें विभिन्न संयंत्रों, खानों को कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं इसलिए खानों को लेखाकरण प्रयोजन के लिए लागतकेंद्र के रूप में माना गया है।

51.2 संबंधित पार्टी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय ए एस-24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का स्वरूप	
सहायक कंपनियां सेल रेफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियां एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेल-बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड एमजक्शन सर्विसेज लिमिटेड भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेल एंड मॉडल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सेल-एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड सेल एससीएल केरल लिमिटेड सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेल - बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड रोमेल्ट-सेल (इंडिया) लिमिटेड एनएमडीसी सेल लिमिटेड बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड जीइडीसीओएल सेल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसोसिएट कंपनी अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सेल एसपी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर सलेम स्टील प्रोविडेंट फंड, सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट एम्लाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, भद्रावती सेल प्रोविडेंट फंड, नई दिल्ली हिंदुस्तान स्टील प्रोविडेंट फंड, रांची हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सेंट्रल परचेज ऑर्गनाइजेशन, सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, कलकत्ता प्रोविडेंट फंड भारत रेफ्रेक्ट्रीज प्रोविडेंट फंड, बोकारो इफको प्रोविडेंट फंड, रामगढ़ सीसीएसओ प्रोविडेंट फंड, धनबाद सेल आरएमडी प्रतिष्ठान और प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि, कोलकाता बोलानी ओरेस माइंस प्रोविडेंट फंड, बोलानी सेल इम्लॉइज सुपरन्यूएशन बनेफिट फंड सेल ग्रैज्युटी फंड सेल पेंशन फंड
ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
अन्य कंपनियां आईसीवीएल मॉरीशस रिवरडेल माइनिंग (पीटीवाई) लिमिटेड (आरएमएल) मिनस डी बंगा (मॉरीशस) लिमिटेड आरपीयू आईसीवीएल जाम्बेज मॉरीशस लिमिटेड प्रोमर्क सर्विसेज लिमिटेड बेंगा पावर प्लांट (मॉरीशस) लिमिटेड मिनस डी बेंगा एलडीए बेंगा एनर्जिया एसए आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड यूईसी - सेल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजनाएं एचएसएल बीएसपी प्रोविडेंट फंड, भिलाई डीएसपी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राउरकेला बोकारो स्टील एम्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बोकारो इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इन्स्टीट्यूशन, बर्नपुर इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इन्स्टीट्यूशन, कोलकाता इस्को लिमिटेड वर्क्स प्रोविडेंट फंड, बर्नपुर	श्रीमती सोमा मंडल श्री अनिल कुमार चौधरी (31.12.2020 तक) श्री हरिनंद राय श्री अतुल श्रीवास्तव (10.06.2020 तक) श्री अमित सेन श्री विवेक गुप्ता श्रीमती सुकृति लिखी श्री पुनीत कंसल श्री के के गुप्ता श्री एन शंकरप्पा श्री ए दासगुप्ता श्री अमरेंद्र प्रकाश (28.09.2020 से प्रभावी) श्री डी चट्टराज श्री ए. वी. कमलाकर श्रीमती के रमन श्री जगदीश अरोड़ा श्री संजीव तनेजा श्री एस सुब्बाराज श्री के एल एस राव श्री सुरजीत मिश्रा श्री सुबीर मंडल श्री अजय अरोरा श्री एम वी जोड़े श्री एम बी बालाकृष्णन श्री एम पी सिंह श्री सी एन भट्टाचार्य

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

ग. वर्ष के दौरान कंपनी तथा संबंधित पार्टों के बीच लेन-देन का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	कुल	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश की खरीद	- (7.54)		- (7.54)	8 : निवेश
ii)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	- (-)		- (-)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां
iii)	प्रदान की गई सेवाएं	14.03 (7.94)		14.03 (7.94)	36: अन्य आय
iv)	किराया आय	0.26 (0.12)		0.26 (0.12)	
v)	प्राप्त लाभांश	157.41 (83.73)		157.41 (83.73)	
vi)	माल की बिक्री	17.18 (2.84)		17.18 (2.84)	35 : परिचालन से राजस्व
vii)	अन्य परिचालन राजस्व	15.18 (15.27)		15.18 (15.27)	35 : परिचालन से राजस्व
viii)	वस्तुओं की खरीद	154.79 (247.99)		154.79 (247.99)	25/30 : व्यापार देय
ix)	विद्युत की खरीद	2265.23 (2505.42)		2265.23 (2505.42)	41: अन्य व्यय
x)	प्राप्त सेवाएं	70.52 (57.44)		70.52 (57.44)	41: अन्य व्यय
		0.71 (1.17)		0.71 (1.17)	5 : पूंजीगत डबल्यूआईपी
xi)	ब्याज आय	0.58 (0.82)		0.58 (0.82)	
xii)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक		7.86 (8.57)	7.86 (8.57)	39 : कर्मचारी लाभ व्यय

घ. वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ शेष राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	1474.56 (1474.56)	8 : निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	24.45 (22.90)	
iii)	अन्य ऋण और अग्रिम	63.30 (36.59)	11/18/19: ऋण
iv)	ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	11.92 (16.85)	
v)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	3.52 (3.54)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां
vi)	व्यापार प्राप्य	10.55 (7.17)	9/16 : व्यापार प्राप्य
vii)	व्यापार देय	224.86 (166.44)	25/30 : व्यापार देय
viii)	प्रतिभूति जमा	1.22 (1.22)	26/31 : अन्य वित्तीय देयताएं

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

ड. संबंधित पार्टियों के साथ सामग्री लेन-देन का विवरण

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट सं. और लेखा शीर्ष
निवेश की खरीद			
एस एंड टी माइनिंग	-	5.20	8 : निवेश
जीइडीसीओएल सेल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	-	2.34	
वस्तुओं की बिक्री			
मिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	4.76	1.65	35: संचालन से राजस्व
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	10.84	0.01	
एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	1.58	1.18	
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व			
एनटीपीसी सेल पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	15.18	15.27	35: संचालन से राजस्व
वस्तुओं की खरीद			
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	149.13	233.48	25/30 : व्यापार देय
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	5.66	14.51	
बिजली की खरीद			
बोकारो पावर सप्लाय कं प्रा. लिमिटेड	827.63	927.37	41 : अन्य व्यय
एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	1437.60	1578.05	
लामांश आय			
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	6.60	6.60	36 : अन्य आय
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	-	11.55	
बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	55.81	15.50	
सेल-बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	-	0.08	
एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	95.00	50.00	
प्रदान की गई सेवाएं			
मिलाई जयपी सीमेंट लिमिटेड	0.70	0.55	
एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	0.04	0.19	
सेल-बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	0.05	0.05	
बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.35	0.94	
एनटीपीसी सेल पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	8.76	4.80	
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	1.49	-	
सेल राइट्स बंगाल वैगन लिमिटेड	2.64	-	
नीलामी सेवाएं			
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	70.52	56.12	41 : अन्य व्यय
	0.71	0.82	5 : पूंजीगत डब्ल्यूआईपी

च. वर्ष के दौरान केंद्र सरकार (भारतीय रेलवे सहित) के साथ लेन-देन के लिए बिक्री और व्यापार प्राप्य में 12158.75 करोड़ (11102.43 करोड़) तथा 3806.12 करोड़ (6207.61 करोड़) शामिल हैं, जो बिक्री तथा व्यापार प्राप्य का क्रमशः 17.76 प्रतिशत (18.19 प्रतिशत) और 53.43 प्रतिशत (70.44 प्रतिशत) है।

51.3 भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 37 द्वारा आवश्यक 'आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति, प्रावधान' को प्रकट करना: प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण :

- खनन वनरोपण लागत** - नवीनीकरण (जिसमें नवीनीकरण माना जाने वाला भी शामिल है) / सरकारी प्राधिकारियों से पट्टे पर लिए खनन की मंजूरी पर वन भूमि के खनन उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए खान पर वनरोपण कार्य के संबंध में देय।
- खनन समापन लागत** - खदानों के समापन हेतु अनुमानित देयता, यह खनन कार्य की समाप्ति पर लगाया जाता है।
- पीछे का अतिरिक्त भार हटाने का खर्च** - भविष्य के वर्षों में कार्य के लिए खदान पर पीछे का अतिरिक्त भार हटाने में लगाया जाता है।

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचालन	खान वनीकरण की लागत	खान समापन की लागत	अतिरिक्त भार हटाने का खर्च	कुल
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	28.28	87.11	92.79	208.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10.47	13.17	-	23.64
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-4.40	-1.03	-	-5.43
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	-	-	-25.54	-25.54
31 मार्च, 2021 को शेष राशि	34.35	99.25	67.25	200.85

51.4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 34 (3) की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के संबंध विवरण :

(₹ crore)

सहायक कंपनी का नाम*	सहायक कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम राशि
आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

*वसूली के लिए संदेहास्पद होने के कारण 2.53 करोड़ रुपए (2.53 करोड़ रुपए), के लिए बही-खातों में प्रावधान किया गया है।

- ii) कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋणों के अलावा) जिनमें, पुनः भुगतान के लिए कोई समय कार्यक्रम नहीं है अथवा सात वर्ष से अधिक की भुगतान अवधि है; और
- ii) फर्मों / कंपनियों, जिनमें निदेशक इच्छुक हैं, उन पर ऋणों के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

52: प्रचालन खण्ड सूचना

(₹ करोड़)

व्योरा	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एसपी	एसएसपी	वीआई-एसएल	अन्य	इंटर सेगमेंट की विक्री	कुल
राजस्व											
बाहरी विक्री											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	18987.44	8344.30	13910.18	16019.87	7900.98	381.33	1692.97	105.63	1109.64	-	68452.34
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	18885.03	7327.45	11870.03	13170.18	7547.79	543.15	1555.70	38.90	86.65	-	61024.88
- अंतर खंड विक्री											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	705.83	369.33	1136.70	220.51	389.87	164.42	9.52	57.19	4843.28	(7896.65)	-
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	431.72	348.57	552.24	41.82	181.61	166.84	9.67	56.87	4587.96	(6377.30)	-
- उत्पादों की विक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	19693.27	8713.63	15046.88	16240.38	8290.85	545.75	1702.49	162.82	5952.92	(7896.65)	68452.34
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	19316.75	7676.02	12422.27	13212.00	7729.40	709.99	1565.37	95.77	4674.61	(6377.30)	61024.88
परिणाम											
- संचालन लाभ / (-) ब्याज और असाधारण मदों से पूर्व हानि											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	2301.63	973.19	2598.92	2487.29	513.30	(70.83)	(54.20)	(50.06)	938.50	-	9637.74
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	3398.94	(107.87)	321.20	468.53	(432.97)	(63.71)	(227.93)	(73.85)	4146.84	-	7429.18
- वित्त लागत											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष											2817.14
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष											3486.76
- असाधारण मद											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष											(58.43)
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष											771.76
- कराधान व्यय											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष											3029.01
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष											1149.12
- वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष											3850.02
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष											2021.54
अन्य सूचना											
- खंड की परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	31082.15	6232.20	20559.57	15590.03	16551.10	545.00	2300.83	326.76	23972.02		117159.66
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	32783.83	6892.20	21078.70	16174.56	18106.14	564.29	2485.32	347.12	26665.65		125097.81
- सेगमेंट देयताएं (दीर्घावधि की उधार सहित)											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	8691.03	2823.31	4433.30	3316.36	1548.56	213.34	439.49	46.15	52153.24		73664.78
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	8530.29	2549.61	4230.47	3185.82	1512.93	202.62	312.33	56.15	64740.21		85320.43
- पूंजीगत व्यय											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	711.37	246.30	750.80	952.87	182.89	1.06	10.31	0.42	137.36		2993.38
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	1297.22	422.59	1191.41	932.19	167.73	3.42	6.45	2.65	45.77		4069.43
- मूल्यहास											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	1148.10	265.30	837.74	771.48	755.70	8.74	98.29	7.56	209.09		4102.00
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	968.35	228.46	815.79	642.73	759.66	8.82	98.73	7.38	225.13		3755.05
- मूल्यहास के अलावा गैर नकद खर्च											
31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू वर्ष	53.91	12.52	29.95	9.75	36.74	2.38	2.44	0.53	113.73		261.95
31 मार्च, 2020 को समाप्त पूर्व वर्ष	51.66	9.93	25.80	31.61	24.31	0.64	10.20	0.74	134.09		288.98

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

53. वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो इसलिए जहां भी आवश्यक हो पिछले अवधियों के अंको को पुनः समूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से			
हस्ता/- एम.बी. बालाकृष्णन कंपनी सचिव	हस्ता/- अमित सेन निदेशक वित्त डीआईएन: 08602987	हस्ता/- सोमा मंडल अध्यक्ष डीआईएन: 06845389	
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार			
कृते तेज राज एंड पाल चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 304124E	कृते एस. जयकिशन चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 309005E	कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013	कृते केएसजी एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 002228C
हस्ता/- पी. वेणुगोपाल राव भागीदार एम नं. 010905	हस्ता/- रितेश अग्रवाल भागीदार एम. नं. 062410	हस्ता/- नीरज शर्मा भागीदार एम. नं. 502103	हस्ता/- भरत गोयल भागीदार एम. नं. 060069

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

1. तेज राज एंड पाल चार्टर्ड एकाउंटेंट, A60, आम्रपाली सोसाइटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर-492001	2. एस जयकिशन चार्टर्ड एकाउंटेंट, 12, हो ची मिन्ह सारनी, दूसरी मंजिल, सुइट नं. 2D, 2E, और 2F, कोलकाता-700071	3. वॉकर चांडिओक और कंपनी LLP चार्टर्ड एकाउंटेंट, L-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	4. केएएसजी एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, दूसरी मंजिल, श्रीलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद-826001
--	---	--	--

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सदस्य

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट योग्य राय (लेखा परीक्षक की राय) 1. हमने भारतीय इस्पात प्राधिकरण ('कंपनी') साथ-साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया, जिसमें 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्राप्ति का विवरण, तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश, अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (बाद में 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) अंकित है, और जिसमें अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न भी शामिल हैं। 2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा कि नीचे पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारतीय लेखा मानकों सहित (इन्ड 'एस') अधिनियम की धारा 133 के तहत 31 मार्च 2021 को निर्दिष्ट, उसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ, कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। योग्य राय के लिए आधार 3. जैसा कि साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को नोट 47.2 में संदर्भित किया गया है कि प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब उच्चतम न्यायालय/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय/सौंपे गए प्राधिकारी की नियमित पीठों के समक्ष लंबित अन्य न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णय में, प्रबंधन का विचार है कि 31 मार्च 2021 को 1,373.42 करोड़ की राशि के विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर मांग के लिए कंपनी के साथ के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त सबूतों के अभाव में, हमारी राय है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए। 4. जैसा कि नोट 47.2 (बी) के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, कि चालू संपत्ति में 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए गए बिलों के खिलाफ दामोदर घाटी निगम को विवाद के तहत भुगतान किए गए 587.72 करोड़ का अग्रिम शामिल है। प्रशुल्क को अंतिम रूप देने के लिए मामला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के साथ चल रहा है, जो की लंबित है, प्रबंधन का विचार है कि राशि पूरी तरह से वसूली के योग्य है और इस प्रकार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली के प्रबंधन के तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त सबूत के अभाव में, हमारी राय है कि इस तरह के अग्रिम की संभावित गैर-वसूली के लिए एक भत्ता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बनाया जाना चाहिए।	सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की कमेटी ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, कमेटी ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कर की भेदभाव पूर्ण दरें, दूसरे देश से भारत के भूभाग में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर कर, आदि मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित कमेटियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तदनुसार, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णय, ₹1,373.42 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। कंपनी का विचार है कि मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 2004-09 के प्रशुल्क से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर दीवानी अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 द्वारा खारिज कर दिया है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित खुदरे प्रशुल्क को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ को एसईआरसी द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। डीवीसी ने 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर, 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया, और 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि में राजस्व अंतर / अधिशेष के समायोजन

टिप्पणियाँ		प्रबंधन के जवाब																	
		की भी मांग की। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। उपरोक्त विवादित मांगों को (3) और (4) में कहा गया है, कि जो वैध और वास्तविक आधार पर लड़ी गई हैं, उनको आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि 31 मार्च, 2021 को वर्तमान दायित्व मौजूद हों। अतः वर्ष हेतु लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।																	
5. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त सभी योग्यताओं का प्रभाव निम्नानुसार है: (₹ करोड़)																			
<table><tr><th rowspan="2">विवरण</th><th colspan="2">31 मार्च, 2021 तक</th></tr><tr><th>रिपोर्ट की गई शेष राशि</th><th>परिमाणित सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि</th></tr><tr><td>अतिरिक्त इक्विटी</td><td>39,364.35</td><td>37,896.79</td></tr><tr><td>विलम्बित कर देयता</td><td>1,253.16</td><td>759.58</td></tr><tr><td>अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों</td><td>6,353.97</td><td>5,766.25</td></tr><tr><td>अन्य वर्तमान देनदारियां</td><td>7,555.04</td><td>8,928.46</td></tr></table> उपरोक्त मामलों के संबंध में 31मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ऑडिट रिपोर्ट को भी संशोधित किया गया था।		विवरण	31 मार्च, 2021 तक		रिपोर्ट की गई शेष राशि	परिमाणित सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि	अतिरिक्त इक्विटी	39,364.35	37,896.79	विलम्बित कर देयता	1,253.16	759.58	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	6,353.97	5,766.25	अन्य वर्तमान देनदारियां	7,555.04	8,928.46	
विवरण	31 मार्च, 2021 तक																		
	रिपोर्ट की गई शेष राशि	परिमाणित सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि																	
अतिरिक्त इक्विटी	39,364.35	37,896.79																	
विलम्बित कर देयता	1,253.16	759.58																	
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	6,353.97	5,766.25																	
अन्य वर्तमान देनदारियां	7,555.04	8,928.46																	
6. हमने अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी सभी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों' के ऑडिट के लिए 'ऑडिटर्स' की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट के सबूत प्राप्त किए हैं और जो शाखा के ऑडिटर्स द्वारा प्राप्त की गई है, उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे अन्य मामलों के खंड के अनुच्छेद 20 में संदर्भित हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।																			
मामले का अवधारण																			
7. हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं: (i) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संलग्न नोट 49.2, जो बताता है कि संचालन से होने वाले राजस्व में 31मार्च 2021(31मार्च 2021तक संचयी 14,952.22 करोड़) को समाप्त वर्ष के लिए कुल 6,902.50 करोड़ की सरकारी संस्थानों को बिक्री शामिल है, जिसे ऐसी सरकारी संस्थानों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त है। (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संलग्न नोट 49.12 जो उप-श्रेणी जुर्माना और अवशेष की सूची के मूल्यांकन और वर्गीकरण पर प्रबंधन के आकलन की व्याख्या करता है, जो कई वर्षों में जमा हुए थे, लेकिन खान मंत्रालय, भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार पिछले वर्ष में आर्थिक मूल्य प्राप्त किया और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार कमेटी की राय के आधार पर हिसाब लगाया गया। नोट आगे इस तरह के आविष्कारों की मात्रा के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए प्रबंधन के आकलन की व्याख्या करता है, जो चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बेचे जाने / संसाधित होने की उम्मीद है और जिन्हें तदनुसार चालू वर्ष में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गैर-वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।																			
प्रमुख ऑडिट के मामले																			
8. मुख्य ऑडिट के मामले वे मामले हैं, जो हमारे कुशल निर्णय में, और शाखा ऑडिटर्स की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।																			
9. इसके अलावा, योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के लिए, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट के मामलों के रूप में निर्धारित किया है।																			
<table><tr><th>प्रमुख ऑडिट के मामले</th><th>हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट के मामले को कैसे संबोधित किया</th></tr><tr><td>जारी मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर के विषयों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम का अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं।</td><td>हमारे ऑडिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित स्तर शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:— कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित</td></tr></table>		प्रमुख ऑडिट के मामले	हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट के मामले को कैसे संबोधित किया	जारी मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर के विषयों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम का अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं।	हमारे ऑडिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित स्तर शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:— कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित														
प्रमुख ऑडिट के मामले	हमारे ऑडिट ने प्रमुख ऑडिट के मामले को कैसे संबोधित किया																		
जारी मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर के विषयों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम का अनुमान सरलता से नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं।	हमारे ऑडिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित स्तर शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:— कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित																		

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
जारी मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 3.18 के साथ पढ़े गए नोट 47.1 और 47.2 में प्रस्तुत किए गए हैं। यह आकलन कि क्या एक दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या, और नियामक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर लंबित निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है।	चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों की पहचान और माप की प्रक्रिया, और आकस्मिक देनदारियों की समझ प्राप्त की। — लंबित मुकदमों के परिणाम के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और उनके संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। — मुकदमों के मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की। — निरीक्षण और मूल्यांकन, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और न्यायिक सलाह। कुछ चल रहे भौतिक मुकदमों के लिए निपटने वाले वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त की। — कुछ भौतिक मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और चुनौती दी। तदनुसार, हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की राशि की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने कुशल निर्णय का प्रयोग किया। — लागू किए गए लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
संपत्ति, कारखाना और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास संपत्ति, कारखाना और उपकरण ('पीपीई'), अमूर्त संपत्ति ('आईए') और पूंजीगत कार्य—प्रगति ('सीडब्ल्यूआईपी') पर है, जिसका मूल्य 64,115.26 करोड़ 1,429.28 करोड़ और ₹8,878.48 करोड़, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में बताया गया है। ऐसी गैर-चालू परिसंपत्तियों की पहचान और उसके मापन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के लिए नोट 3 देखें। पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यहास और परिशोधन राशियों के निर्धारण के लिए विशेष प्रबंधन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इनमें इंड एस 16, और उपकरण ('इंड एस 16'), और इंड एस 38, अमूर्त संपत्ति ('इंड एस 38'), संपत्ति, संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए पूंजीकरण या व्यय लागत, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और प्रबंधन की धारणाओं और आंकलनों का उपयोग शामिल है। सीडब्ल्यूआईपी की वहन राशि में लंबी अवधि की परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल है जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में शामिल राशियों के महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इसे चालू वर्ष के ऑडिट में एक प्रमुख ऑडिट का मामला मानते हैं।	हमारे ऑडिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं थे: — कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से जुड़े लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और इंड एस 16 और इंड एस 38 की जरूरतों के अनुसार कंपनी द्वारा ग्रहण की गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन किया। — उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। — नमूने के आधार पर वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों का परीक्षण किया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण करके और मूल्यांकन किया कि क्या पूंजीकृत संपत्तियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और वे सही अवधि में और सही मात्रा में सटीक रूप से पहचानी गई थीं। — पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण सहित निर्दिष्ट गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की जहां आवश्यक हो, प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मूल्यहास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता, और दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चली आ रही सीडब्ल्यूआईपी शेष राशि की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया। — लागू लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
उप-उत्पाद सूची 31 मार्च 2021 को ₹ 5,020.08 करोड़ की राशि के उप-उत्पादों के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश के नोट 3.8 का संदर्भ लें और महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, मूल्यांकन और उससे संबंधित धारणाएं और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 3.24.4 का संदर्भ लें। उप-उत्पादों की सूची में मुख्य रूप से सब-ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग और स्लाइम में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रेप, और लौह अयस्क फाइन युक्त टेलिंग शामिल हैं, जो भंडार में जमा होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार नोट 49.12 और 49.13 में बताया गया है, कुछ उप-उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, पिछले वर्ष में पहली बार मूल्यांकित किया गया था। कंपनी के प्रबंधन ने उप-उत्पाद सूची की मान्यता और माप पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में आईसीएआई ('ईएसी की राय') की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय भी मांगी। इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जारी वर्ष में, ऐसी उप-उत्पाद सूची की बिक्री की वास्तविक मात्रा और भविष्य की होने वाली बिक्री के आधार पर, प्रबंधन ने बैलेन्स शीट की तारीख से 12 महीनों के बाद बेची जाने वाली अपेक्षित वस्तु-सूची को कंपनी के परिचालन चक्र के रूप में गैर-वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया है। इस तरह के उप-उत्पादों की वहन राशि के महत्व और ऊपर बताई गई कठिनाइयों के कारण, हमने चालू वर्ष के ऑडिट में इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट के मामले के रूप में माना है।	हमारी ऑडिट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: - सब-ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रेप और लौह अयस्क फाइन्स ('उप-उत्पाद') युक्त स्लाइम से संबंधित नियंत्रणों सहित प्रक्रियाओं और प्रक्रमों की समझ प्राप्त की। - प्रबंधन द्वारा प्राप्त ईएसी की राय के संयोजन के साथ इंडस्ट्रीज़ 2एएसूची की आवश्यकताओं के अनुसार उप-उत्पाद सूची के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा ग्रहण की गई लेखा नीति का मूल्यांकन किया। - उप-उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन के मूल्यांकन का आकलन करने में, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप-उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (पदक्रम सहित) का पता लगाने में ग्रहण की गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की। - एनआरवी के प्रबंधन के मूल्यांकन को भारतीय खान विभाग द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में सत्यापित किया गया था। हमने उप-उत्पादों की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और फाइन्स की गुणवत्ता (पदक्रम सहित) पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। - वर्तमान और गैर-वर्तमान के बीच उप-उत्पाद सूची के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली अनुमानित भविष्य की बिक्री के प्रबंधन के कामकाज को प्राप्त किया, और इस तरह के उप-उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर प्रबंधन के अनुमानों के मूल्यांकन के अलावा ऐसी सूची की बिक्री के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और आगे की मंजूरी के बारे में हमारी समझ के आधार पर अंतर्निहित मान्यताओं का परीक्षण किया। - लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी 10. कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदाई है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और, ऐसा करने पर, इस बात में विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें शासन के आरोप वाले लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के आरोप वाले लोगों की जिम्मेदारियां 11. साथ ही साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), कंपनी की इक्विटी और नकदी प्राप्ति में बदलाव, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक सहित, के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों। 12. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकट करने, लागू होने पर, चालू संस्था से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। 13. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।	
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ	
14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है, तो उन्हें विषय-वस्तु माना जाता है। 15. ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम कुशल निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम करते हैं: • वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के खतरों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन खतरों के लिए ऑडिट की प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट के साक्ष्य प्राप्त करें, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली विषय-वस्तु के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है; • परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है; • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें; • लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर समझे कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई विषय-वस्तु की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विषय-वस्तु में अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है; • प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है; • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम कंपनी की वित्तीय जानकारी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी शाखाओं की ऑडिट के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य शाखाओं के लिए, जिनका शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है, ऐसे शाखा लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम अपनी ऑडिट राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। 16. हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचान पाते हैं। 17. हम शासन के आरोपित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी सम्बन्धों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं।	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
18. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट के मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी। अन्य मामलों 19. 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए इसी वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल की गई थी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट की गई थी, मैसर्स वी.के. ढींगरा एंड कंपनी, मैसर्स ए.के. सबत एंड कंपनी, मैसर्स तेज राज एंड पाल, और मैसर्स एस जयकिशन जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 10 जुलाई 2020 के माध्यम से संशोधित राय व्यक्त की है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारे द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए भरोसा किया गया है। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल बारह शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों के वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 तक ₹57,626.92 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹24,880.53 करोड़ के कुल राजस्व, ₹3,100.55 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ, ₹3,248.23 करोड़ की कुल व्यापक आय और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹16.38 करोड़ का नकद अंतर्वाह (निवल) को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से लेखा परीक्षा ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारे द्वारा किए गए कार्य और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट 21. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट), 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम 'अनुलग्नक 1' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं। 22. हमारी ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित 'अनुलग्नक 1' में हमारी टिप्पणियों के अलावा, और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने पर, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं। जो इस प्रकार है: ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए और साथ-साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे; बी) योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियाँ उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है; सी) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी की शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से निपटाया गया है; डी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खाते की पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ हैं, जिन पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है; ई) योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड-एस का अनुपालन करते हैं; एफ) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित किया गया है; जी) खातों के रख-रखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं आधार के लिए योग्य राय अनुभाग में बताई गई हैं; एच) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक 2' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा आई) कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 20 में संदर्भित है: i. योग्य राय अनुभाग के लिए आधार के पैराग्राफ 3 और 4 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 47^{प1} और 47^{प2} में वर्णित है;	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
ii. कंपनी, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 43 (b) में वर्णित है, ने 31 मार्च 2021 तक प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या इंड एस के तहत आवश्यक है, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए; तथा iii. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है, केवल 1.00 करोड़ का दावा न की गई परिपक्व जमा राशियों से संबंधित है, जिसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा करना आवश्यक था और जिसे 31 मार्च 2021 तक जमा नहीं किया गया है। 23. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित है कि हमने 'अनुलग्नक 3' में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है। 24. हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। तदनुसार, धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है	परिपक्व जमा राशियों पर व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमा राशियों को वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
तेज राज और पाल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-304124ई एसडी/- (सीए. पी. वेणुगोपाल राव) पार्टनर मोबाइल नंबर-010905 UDIN:21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर वॉकर चंडीयोक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या. 001076N/N500013 एसडी/- (सीए. नीरज शर्मा) पार्टनर मोबाइल नंबर-502103 UDIN:21502103AAAAABC3762 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या.309005ई एसडी/- (सीए. रितेश अग्रवाल) पार्टनर मोबाइल नंबर-062410 UDIN:21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता केएसजी-कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-002228सी एसडी/- (सीए. भरत गोयल) पार्टनर मोबाइल नंबर-060069 UDIN:21060069AAAAABE5636 स्थान: कोलकाता निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से एसडी/- (सोमा मंडल) अध्यक्ष स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 1 सितंबर, 2021

परिशिष्ट 2

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की सूची

- केंद्रीय विपणन संगठन - दक्षिणी क्षेत्र
- केंद्रीय विपणन संगठन - पश्चिमी क्षेत्र
- केंद्रीय विपणन संगठन - पूर्वी क्षेत्र
- केंद्रीय विपणन संगठन - परिवहन और शिपिंग
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची
- राउरकेला इस्पात कारखाना

- इस्को इस्पात कारखाना, बर्नपुर
- सेलम इस्पात कारखाना
- कच्चा माल प्रभाग
- विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात कारखाना
- सेल रेफ्रेक्ट्रीज यूनिट
- चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब																
कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए ऑडिट के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई, और हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि: (i) (a) कंपनी ने कुछ भूमि के संबंध में, जहां अचल संपत्ति रजिस्टर में क्षेत्र और स्थान को अद्यतन करने की आवश्यकता है, उनको छोड़कर, मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। इसके अलावा, इन भूमि के संबंध में संबंधित राज्यों में अधिकारियों के रिकॉर्ड के साथ मिलान करने की आवश्यकता है और जिसमें, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, इसमें शामिल प्रक्रियात्मक मामलों के कारण देरी हुई है। (b) कंपनी के पास अपनी अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके तहत अचल संपत्तियों को तीन साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई। हालांकि, कुछ भूमि और भवन हैं जो अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे के अधीन हैं और इसलिए वे भौतिक सत्यापन के अधीन नहीं थे। (c) सभी अचल संपत्तियों (जो 'संपत्ति, करखाना और उपकरण' और 'उपयोग के अधिकार' के तहत शामिल हैं) के शीर्षक विलेख / पट्टा समझौते निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं: <table><tr><th>संपत्ति का प्रकार</th><th>कुल क्षेत्र</th><th>31 मार्च 2021 को सकल ब्लॉक (₹ करोड़)</th><th>31 मार्च 2021 को निवल ब्लॉक (₹ करोड़)</th></tr><tr><td>फ्रीहोल्ड भूमि</td><td>48,115.72 एकड़</td><td>176.58</td><td>176.58</td></tr><tr><td>लीज होल्ड भूमि</td><td>14,614.79 एकड़</td><td>195.92</td><td>154.75</td></tr><tr><td>भवन</td><td>488 वर्ग मीटर</td><td>0.28</td><td>0.18</td></tr></table>	संपत्ति का प्रकार	कुल क्षेत्र	31 मार्च 2021 को सकल ब्लॉक (₹ करोड़)	31 मार्च 2021 को निवल ब्लॉक (₹ करोड़)	फ्रीहोल्ड भूमि	48,115.72 एकड़	176.58	176.58	लीज होल्ड भूमि	14,614.79 एकड़	195.92	154.75	भवन	488 वर्ग मीटर	0.28	0.18	अचल संपत्ति पंजीकरण में संबंधित कारखानों में स्थान और क्षेत्र की सीमा को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे के तहत भूमि और भवन से कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
संपत्ति का प्रकार	कुल क्षेत्र	31 मार्च 2021 को सकल ब्लॉक (₹ करोड़)	31 मार्च 2021 को निवल ब्लॉक (₹ करोड़)														
फ्रीहोल्ड भूमि	48,115.72 एकड़	176.58	176.58														
लीज होल्ड भूमि	14,614.79 एकड़	195.92	154.75														
भवन	488 वर्ग मीटर	0.28	0.18														
(ii) हमारी राय में, प्रबंधन ने माल-इन-ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास पड़े माल को छोड़कर वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। कुछ मामलों में, दृश्य सर्वेक्षणों/अनुमानों के आधार पर थोक माल-सूची का सत्यापन किया गया भौतिक सत्यापन पर भौतिक सूची और पुस्तक अभिलेखों के बीच कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई। वर्ष के अंत में तीसरे पक्ष के पास पड़े अंशों के लिए प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टि प्राप्त कर ली गई है। (iii) कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या अन्य पार्टियों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। जिसके अनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(a), 3(iii)(b) और 3(iii)(c) के प्रावधान लागू नहीं हैं। (iv) हमारी राय में, कंपनी ने निवेश के संबंध में धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, हमारी राय में, कंपनी ने ऋण, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 के तहत कवर किए गए किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। (v) हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। (vi) हमने कंपनी के उत्पादों / सेवाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, और उनकी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बरकरार रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं। (vii) (a) भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क और अन्य सामग्री सांविधिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, आम तौर पर उपयुक्त अधिकारियों को नियमित रूप से जमा किए गए हैं, हालांकि कुछ मामलों में थोड़ी देरी हुई इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, जैसा कि तालिका में बताया गया है।																	

Comments					Management's Replies
(b) किसी भी विवाद के कारण आयकर, बिक्री—कर, सेवा—कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में बकाया राशि इस प्रकार है:					
विवादित बकाया का विवरण					
अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹करोड़)	प्रतिवाद के तहत भुगतान की गई राशि (₹करोड़)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	29.75	6.54	1989 - 90 1991 - 97 2005 - 16	उच्चतम न्यायालय
		975.12	42.44	1984 - 85 1987 - 2006 2008 - 2018	उच्च न्यायालय
		346.07	97.91	1987 - 89 1993 - 95 1996 - 99 2001 - 03,2004 10, 2013 - 14	कचहरी
		0.12	.	1997 - 98 2006 - 07 2013 - 14	आयुक्त (अपील) अपर
		22.91		1984 - 85, 1995 - 2011 2012 - 2018 2019 - 20	आयुक्त
		7.51	0.53	1993 - 96 2007 - 09 2010 - 5	संयुक्त आयुक्त
		2.40	.	2007 - 2011	उपायुक्त
		7.23	2.96	1998 - 99 एड 2013 - 15	अपर आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	396.93	4.90	2001 - 05 2009 - 2018	उच्चतम न्यायालय
		170.47	.	1993-94,1997-98 2000-01,2002-03 2007-08, 2010-11 2013 - 14	उच्च न्यायालय
		4,462.87	35.89	1987 - 88 से 2017 - 18	कचहरी
		23.30	0.27	1988 - 89, 2001 - 08 और 2014 - 18	आयुक्त (अपील)
		273.79	1.14	1998 - 99 2008 - 18	आयुक्त
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	76.42	.	2009 - 15	उच्चतम न्यायालय
		85.55	0.49	2007 - 17	कचहरी
		3.90	0.07	2011 - 17	आयुक्त (अपील)
		298.59	7.24	1995 - 98 2000 - 01 और 2004 - 17	आयुक्त
सीमा अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2.58	.	2010 - 11	उच्च न्यायालय
		1.71	.	2009 - 10	कचहरी
आयकर अधिनियम, 1961	सीमा शुल्क	2.32	.	2014 - 2017	उच्चतम न्यायालय
		549.56	29.45	1988 - 89 और 1998 - 99	उच्च न्यायालय

टिप्पणियाँ					प्रबंधन के जवाब
अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (₹ करोड़)	प्रतिवाद के तहत भुगतान की गई राशि (₹ करोड़)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहाँ विवाद लंबित है
				2001-05 2011-12	
		53.81	-	2003-2004 2011-2014	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
		404.14	-	2013-14 2014-15 2016-17	आयुक्त (अपील)
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर	19.88	-	2017-18	उच्च न्यायालय
ओडिशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	164.98	76.02	2007-08 से 2016-17	उच्चतम न्यायालय
		276.47	17.90	2008-09 से 2013-14	उच्च न्यायालय
		10.64	2.53	2004-05 से 2009-10 2012-14	बिक्री कर न्यायाधिकरण
		18.97	-	2005-06 से 2009-10	आयुक्त (अपील)
		40.54	4.00	2005-07 2013-15	अपर आयुक्त
बिहार कर अधिनियम, 1993	प्रवेश कर	5.15	-	2001-02	उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976	प्रवेश कर	1117.18	2158.21	2008-09 से 2017-18	उच्च न्यायालय
		474.85	122.42	2010-11 से 2014-15	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण
		14.37	1.54	1990-91 2012-13 and 2015-16	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील)
स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर	1.16	0.19	2008-09 से 2010-11, 2013-14	उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2010	प्रवेश कर	3.18	-	2010-11	डिप्टी एक्साइज तथा टैक्सेशन कमिशनर (अपील)

(viii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या ऋणपत्र-धारकों को किसी भी देय ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में गलती नहीं की है। कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान और सरकार को देय कोई ऋण या उधार नहीं है।

(ix) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से निधि नहीं एकत्र की गयी है। हमारी राय में, सावधि ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, हालांकि निष्क्रिय / अधिशेष धन जो तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक नहीं थे, मांग पर देय लिक्विड निवेश में निवेश किया गया है।

(x) हमारे ऑडिट के द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) अधिनियम की अनुसूची ट के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
(xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और वित्तीय विवरणों में अपेक्षित विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों के तहत आवश्यक है। (xiv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमन्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है। (xv) हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। (xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45.५ के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।	
तेज राज और पाल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या—304124ई एसडी/-द्ध (सीए. पी. वेणुगोपाल राव) पार्टनर मोबाइल नंबर—010905 UDIN:21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर वॉकर चंडीयोक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या. 001076N/N500013 एसडी/- (सीए. नीरज शर्मा) पार्टनर मोबाइल नंबर—502103 UDIN:21502103AAAABC3762 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या.309005ई एसडी/- (सीए. रितेश अग्रवाल) पार्टनर मोबाइल नंबर—062410 UDIN:21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता केएसजी—कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या—002228सी एसडी/- (सीए. भरत गोयल) पार्टनर मोबाइल नंबर—060069 UDIN:21060069AAAABE5636 स्थान: कोलकाता निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से एसडी/- (सोमा मंडल) अध्यक्ष स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 1 सितंबर, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्रधिकरण लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ('अधिनियम')	
राय	
1. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन के रूप में, हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को किया है।	
2. हमारी राय में और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किया गया।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी की जिम्मेदारी	
3. कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल आईसीएआई द्वारा जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिस में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यकताएं शामिल हैं।	
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी	
4. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित षड् द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, और षड् द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट के अनुसार किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।	
5. हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।	
6. हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित हैं, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।	
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ	
7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं 8. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या कि डिग्री की डिग्री नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है। अन्य मामला 9. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, क्योंकि यह उन बारह शाखाओं से संबंधित है जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 तक कुल ₹57,626.92 करोड़ की संपत्ति और ₹24,880.53 करोड़ के कुल राजस्व, ₹3,100.55 करोड़ कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ, ₹3,248.23 करोड़ की कुल व्यापक आय और उसके बाद समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹16.38 करोड़ की नकदी अंतर्वाह (शुद्ध) को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जहां तक यह ऐसी शाखाओं से संबंधित है, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट के साथ अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत कंपनी के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का संदर्भ जहां तक यह ऐसी शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी शाखाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में इस मामले के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।	
तेज राज और पाल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-304124ई एसडी/-द्ध (सीए. पी. वेणुगोपाल राव) पार्टनर मोबाइल नंबर-010905 UDIN:21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर वॉकर चंडीयोक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या. 001076N/N500013 एसडी/- (सीए. नीरज शर्मा) पार्टनर मोबाइल नंबर-502103 UDIN:21502103AAAAABC3762 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या.309005ई एसडी/- (सीए. रितेश अग्रवाल) पार्टनर मोबाइल नंबर-062410 UDIN:21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता केएसएसजी-कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-002228सी एसडी/- (सीए. भरत गोयल) पार्टनर मोबाइल नंबर-060069 UDIN:21060069AAAAABE5636 स्थान: कोलकाता

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 3

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 की उप-धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर, कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	
मामले	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
1. क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों, केंद्रीय विपणन संगठनों और प्रधान कार्यालय में जीएसी गिनती लेनदेन में प्रक्रिया के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। अन्य संयंत्रों/इकाइयों के संबंध में, कंपनी लीगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करती है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और शाखा लेखापरीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, जहां कहीं भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित होते हैं, खातों की अखंडता की कमी और कोई वित्तीय प्रभाव नोटधरिपोर्ट नहीं किया गया है।
2. क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामले नहीं थे।
3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाधुपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा लागू किए गए चेक और शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, हमारी राय है कि केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों को उचित रूप से धनियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है।
तेज राज और पाल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-304124ई एसडी/- (सी. पी. वेणुगोपाल राव) पार्टनर मोबाइल नंबर-010905 UDIN:21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या.309005ई एसडी/- (सी. ए. रितेश अग्रवाल) पार्टनर मोबाइल नंबर-062410 UDIN:21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता
वॉकर चंडीयोक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या. 001076N/N500013 एसडी/- (सी. ए. नीरज शर्मा) पार्टनर मोबाइल नंबर-502103 UDIN:21502103AAAABC3762	केएसजी-कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पंजीकरण संख्या-002228सी एसडी/- (सी. ए. भरत गोयल) पार्टनर मोबाइल नंबर-060069 UDIN:21060069AAAABE5636 स्थान: कोलकाता
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	

सी-जी की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ठ) के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के 31 मार्च 2021 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ('अधिनियम')

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर धारा 143 (10) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित ऑडिट के मानकों के अनुसार अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 10 जून 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक पूरक ऑडिट आयोजित किया है। यह पूरक ऑडिट सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ठ) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।	
ए लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ लाभ और हानि का विवरण वर्ष के लिए लाभ को निम्नलिखित के हिसाब से बढ़ा दिया गया है: (ए) नोट: 41: अन्य व्यय: ₹18531.28 करोड़ (i) प्रकार, गैस धारक निष्क्रिय और बेमानी हो गया है और इसलिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय-प्रावधानों को कम करके तथा लाभ को ₹38.26 करोड़ से अधिक बताया गया है।	गैस धारक को कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसने इसे इस्तेमाल करने से रोक दिया। इस मुद्दे की जांच के लिए राउरकेला इस्पात कारखाना (आरएसपी) द्वारा गठित एक समिति ने सुझाव दिया था कि गैस धारक के संशोधन के लिए वैकल्पिक तकनीकों का पता लगाया जा सकता है ताकि इसे कोक ओवन आवेदन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। हालांकि, चूंकि गैस धारक वर्तमान में उपयोग में नहीं है, सेल लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करता है। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।
(ii) राउरकेला स्टील प्लांट में पाइप कोटिंग प्लांट जनवरी 2009 में ₹56.95 करोड़ की लागत से चालू किया गया था। संयंत्र में 60,000 टन प्रति वर्ष पाइपों की कोटिंग (3-लेयर पॉलीइथिलीन) की क्षमता थी। संयंत्र 2010-11 से 2015-16 के दौरान रेटेड क्षमता के 5 प्रतिशत पर संचालित किया गया था और पाइप उत्पादन की मांग और सुविधा की कमी के कारण 2016-17 से 2020-21 के दौरान 3-स्तरीय पॉलीथीन लेपित पाइप का कोई उत्पादन नहीं हुआ था। इनपुट सामग्री के रूप में वांछित ग्रेड का। इस प्रकार राउरकेला भारतीय इस्पात में पाइप कोटिंग प्लांट व्यर्थ हो गया है और खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय-प्रावधान एवं लाभ को ₹25.20 करोड़ से अधिक बताया गया है।	पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए एपीआई ग्रेड पाइप की कोटिंग के लिए आरएसपी में पाइप कोटिंग प्लांट स्थापित किया गया था। हालांकि, पाइपों के पीएसएल-2 विनिर्देशन की शुरुआत के साथ, जिसे आरएसपी बनाने में असमर्थ था और पाइप कोटिंग करखाना निष्क्रिय हो गया था। आरएसपी एमएस पाइप के कोटिंग के साथ प्रयोग कर रहा है जो उनकी लंबी उम्र को बढ़ाता है, और लेपित पाइपों के लिए कुछ ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। लेपित एमएस पाइप के लिए एक अच्छा बाजार है। पाइप कोटिंग प्लांट चालू है और क्षमता के अनुसार लेपित पाइपों की आपूर्ति करने में सक्षम है। तथापि, चूंकि क्षमता उपयोग वर्तमान में कम है, सेल ऑडिट के तर्क को स्वीकार करता है। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।
(iii) इंड एस 16 के पैराग्राफ 16 में कहा गया है कि परिसंपत्तियों की लागत में इसका खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्त शामिल होगी। बोकारो स्टील प्लांट ने प्रबंधन द्वारा बंद करने में देरी के लिए ब्लास्ट फर्नेस -2 के ठेकेदार बनने की लागत के लिए 17.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया। बोकारो स्टील प्लांट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना के एक ठेकेदार को दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹5.01 करोड़ का भुगतान भी किया। चूंकि, लंबी अवधि की लागत और दंडात्मक ब्याज परिसंपत्ति की लागत से संबंधित नहीं हैं और भारतीय लेखा मानक 16 के पैराग्राफ 16 के मानदंडों को भी पूरा नहीं करते हैं, अतः इसे संपत्ति के साथ पूंजीकरण के बजाय लाभ और हानि के विवरण के लिए वसूला नहीं जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर है और लाभ और अन्य खर्चों को ₹22.14 करोड़ से कम बताया गया है।	सेल ने ऑडिट के विचार को स्वीकार किया। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
(iv) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020, करदाता को विवादित कर का भुगतान करके लंबित विवाद से राहत पाने और ब्याज और दंड के भुगतान से छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि योजना के तहत भुगतान की गई राशि वापसी योग्य नहीं होगी। बोकारो स्टील प्लांट ने योजना के तहत एक मामले के निपटारे के लिए ₹14.01 करोड़ का भुगतान किया और इसे सरकारी अधिकारियों के पास जमा के रूप में हिसाब में लिया। चूंकि, उपरोक्त मामले को योजना के तहत निपटाया गया था और राशि वापस नहीं की जा सकती थी, इसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रभाव न लगाने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम बताया गया और लाभ को ₹14.01 करोड़ से अधिक बताया गया	सेल ने ऑडिट के विचार को स्वीकार किया। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।
b) नोट संख्या 5: पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹8878.48 करोड़ उपरोक्त में बोकारो स्टील प्लांट की स्टील मेल्टिंग शॉप-II परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन प्लांट में एयर टर्बो कंप्रेसर और ऑक्सीजन टर्बो कंप्रेसर और हॉट मेटल डिसल्टराइजेशन से संबंधित वर्ष 2020-21 के दौरान निर्माण के दौरान ब्याज के लिए आवंटित 11.32 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंड एस 23 में कहा गया है कि एक इकाई विस्तारित अवधि के दौरान उधार लागत के पूंजीकरण को निलंबित कर देगी जिसमें वह एक योग्य संपत्ति के सक्रिय विकास को निलंबित कर देती है। ऑडिट ने पाया कि 2020-21 के दौरान उपरोक्त परियोजना में कोई सक्रिय विकास नहीं हुआ था लेकिन 2020-21 के निर्माण के दौरान ब्याज को लाभ और हानि के विवरण के लिए वित्त लागत के रूप में चार्ज करने के बजाय पूंजीगत कार्य में प्रगति पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर है और लाभ और वित्तीय लागत ₹11.32 करोड़ कम बताई गई है।	सेल ने ऑडिट के विचार को स्वीकार किया। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।
c) नोट संख्या 38 अ: तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगति पर कार्य: ₹4485.02 करोड़। उपयुक्त में भौतिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले कच्चे माल की ओर ₹2.59 करोड़ शामिल है। इन्हें सेल रेफ्रेक्ट्री यूनिट द्वारा समापन सूची में शामिल किया जाएगा। उपरोक्त के गैर-लेखा के परिणामस्वरूप वस्तु सूची और लाभ को ₹2.59 करोड़ से अधिक बताया गया।	सेल ने ऑडिट के विचार को स्वीकार किया। चालू वर्ष में आवश्यक प्रावधान किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2021-22।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से एसडी /— (फैसल इमाम) स्थान : रांची दिनांक: 14 अगस्त, 2021	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से एसडी /— (सुश्री सोमा मंडल) अध्यक्ष स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 1 सितंबर, 2021

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद सेल/कंपनी कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

सेल की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है तथा इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके के अधीन है:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सेल द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डेपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जैसा लागू हो: —
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (घ) कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का मुद्रा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

(vi) निम्नलिखित विशिष्ट लागू के तहत अनुपालन/प्रक्रियाधरणाधाराएं कंपनी कानून (उद्योग पर लागू) कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है:

(क) खान अधिनियम, 1952

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948

(घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सचिवीय मानक। आम तौर पर अनुपालन किया जाता है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ।

(ग) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है:

पर्यवेक्षण/ऑब्जर्वेशन संख्या 1 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) का गैर-अनुपालन, कंपनी के पास 01.04.2020 से 10.06.2020 की अवधि के लिए और 22.09.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त के पास 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए थी।

पर्यवेक्षण/ऑब्जर्वेशन संख्या 2 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुपालन संख्या 2 का अनुपालन न करना। कंपनी के पास 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अपेक्षित संख्या होनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुपालन में 1.4.2015 से 01.04.2020 से 10.06.2020 और 22.09.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में कार्यात्मक निदेशकों की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए थी।

पर्यवेक्षण/ऑब्जर्वेशन संख्या 3 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) का गैर-अनुपालन। कंपनी को निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन करना चाहिए था।

पर्यवेक्षण/ऑब्जर्वेशन संख्या 4 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग डी(ए) के साथ पठित विनियम 19 (4) का अनुपालन न करने पर। नामांकन और पारिश्रमिक समिति को नीतियां तैयार करनी चाहिए थीं और मानदंड के रूप में विनियमन के तहत परिभाषित किया जाना चाहिए था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का गठन 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

आम तौर पर, बोर्ड को कार्यक्रम/शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है।

बैठकें, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में किए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से किए गए थे और असहमति, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त में विधिवत शामिल किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के तहत गैर-अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है जिसके खिलाफ कंपनी ने जवाब प्रस्तुत किया है, साथ ही कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का

अनुरोध किया गया है। कंपनी के निवेदन पर विचार करते हुए, बीएसई ने 30 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए जुर्माने की माफी की सूचना दे दी थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी।

अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स के लिए,

कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र नंबर: 626/2019

ह0/-

सीएस सचिन अग्रवाल

पार्टनर

एफसीएस नंबर: 5774

सीपी नंबर: 5910

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31.07.2021

यूडीआइएन: F005774C000716539

इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो “अनुलग्नक ए” के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

सेवा में,
सदस्यगण,

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे सामने प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की लेखा परीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/टिप्पणियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन, घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व/निरूपण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमें यह राय देनी थी कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है या नहीं।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
7. देश में लॉकडाउन/आवागमन पर प्रतिबंध और कोविड 19 के कारण मौजूदा परिस्थितियों ने कंपनी के रिकॉर्ड/दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को प्रभावित किया है।

अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स के लिए,

कंपनी सचिव,

आईसीएसआई यूनिट कोड: P2003DE049100

सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र नंबर: 626/2019

ह0/—

सीएस सचिन अग्रवाल

पार्टनर

एफसीएस नंबर: 5774

सीपी नंबर: 5910

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31.07.2021



कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2020-21

कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, कार्यविधियों एवं व्यवहारों का व्यवस्थापन है जिससे कम्पनी अपने सभी स्टेकधारकों यथा सरकार, निवेशकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों, पर्यावरण एवं समाज के मूल्य संवर्धन के अपने मूल उद्देश्य के साथ प्रशासित, निदेशित अथवा नियंत्रित होती है। उत्तम शासन व्यवहार कम्पनी का अंतरंग भाग होने के कारण कम्पनी के संबंधित अधिकारियों को अपने स्टेकधारकों के प्रति पारदर्शिता, स्पष्टता, नैतिकता एवं व्यावसायिकता की अभिमुखता के साथ निर्णय लेने के उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

(क) कम्पनी का सिद्धांत

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी का सिद्धांत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएं पारदर्शिता के साथ विधियों, विनियमों की अनुरूपता की पुष्टि करके किए जाने का सुनिश्चय करना एवं सम्पूर्ण संगठन में, शेयरधारक मूल्य संवर्धन के मौलिक उद्देश्य के साथ, उत्तरदेयी कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका निभाते हुए नीतिगत आचरण को प्रोत्साहित करना है। कम्पनी देश में कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों की अनुरूपता के प्रति प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल की उत्तरदेयता शेयरधारकों के प्रति होने एवं निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का प्रथम कर्तव्य कम्पनी के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के तथ्य को कम्पनी द्वारा मान्यता दी गई है।

(ख) निदेशक मंडल

निदेशक मंडल हमारे कॉर्पोरेट शासन का महत्वपूर्ण भाग है, इसे कम्पनी के प्रबंधन, निष्पादन निदेशन के उत्तरदायित्व प्राप्त हैं तथा इसके द्वारा स्टेकधारकों के दीर्घकालिक हितों का संरक्षण एवं स्टेकधारकों के मूल्य में संवर्धन का सुनिश्चय किया जाता है। निदेशक मंडल प्रबंधन की रणनीतिक योजनाओं और व्यावसायिक उद्देश्यों की समीक्षा और अनुमोदन करता है एवं कंपनी की रणनीतिक दृष्टिकोण को मॉनीटर करता है। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कम्पनी के संबंध में यथा लागू अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में छः से कम अथवा चौबीस से अधिक निदेशक नहीं होने अपेक्षित हैं। संगम अनुच्छेद के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। निदेशक मंडल का पुनर्गठन किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के पत्र संख्या 3(4)/2007-सेल (पीसी) (पीटी) के माध्यम निदेशक मंडल की जनशक्ति की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई है:-

(1) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और चार निदेशक प्रभारियों सहित नौ कार्यात्मक निदेशक;

(2) दो सरकार द्वारा नामित निदेशक; तथा

(3) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार ग्यारह स्वतंत्र निदेशक।

निदेशक (परियोजना और व्यवसाय योजना) और निदेशक (कच्चा माल एवं लॉजिस्टिक्स) के पद समाप्त कर दिए गए हैं और एकीकृत इस्पात संयंत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के चार पदों को निदेशक प्रभारी के पदनामन के साथ कार्यात्मक निदेशक के रूप में उन्नत किया गया है।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक निदेशक (अर्थात् कार्यकारी निदेशक) और 4 गैर-कार्यकारी निदेशक (2 सरकार से नामित निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे। वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 9 बोर्ड बैठकें दिनांक 30 अप्रैल, 2020, 10 जुलाई, 2020, 31 जुलाई, 2020, 1 सितंबर, 2020, 14 सितंबर, 2020, 16 अक्टूबर, 2020, 6 नवंबर, 2020, 30 दिसंबर, 2020 और 29 जनवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित सभी बैठकों के संबंध किन्हीं भी दो निदेशक मंडल की बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था और अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ऐसी सभी सूचीबद्ध इकाइयों में, कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों में सदस्य अथवा 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष नहीं था, जहां वे निदेशक थे। इस संबंध में, निदेशक मंडल की उप समितियों, लेखापरीक्षा समिति एवं स्टेकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता के बारे में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सेबी(सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1)(ख) के अनुसार निदेशक मंडल की उप समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से विचार किया गया है। इसके अलावा, विचाराधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की किसी उप समिति की किसी अनुशंसा को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार न किए जाने की कोई स्थिति नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच किसी प्रकार के परस्पर संबंध नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों एवं अंतिम वार्षिक आम सभा में उपस्थित निदेशकों के नाम विवरण तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित निदेशक पद का धारिता, किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

निदेशक का नाम	निदेशक पद का वर्ग	वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता		वार्षिक आम सभा की बैठक में अंतिम उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या*		निदेशक मंडल की समिति(यों) में अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या**
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		कुल	सूचीबद्ध कंपनियों में	
1. श्री अनिल कुमार चौधरी (31 दिसंबर, 2020 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष	8	8	हां	-	-	-
2. सुश्री सोमा मंडल (1 जनवरी, 2021 से) निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वाणिज्य) के पद के अतिरिक्त प्रभार के साथ। निदेशक (वाणिज्य 31 दिसंबर, 2020 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष	9	9	हां	-	-	एम-1
3. श्री विजय कुमार सिंह (17 मार्च, 2020 से 5 नवंबर, 2020 तक)	गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार से नामित)	7	6	नहीं	-	-	-
4. श्री शशांक प्रिया (17 दिसंबर, 2020 से)	गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार से नामित)	2	2	लागू नहीं	12	6	सी-2 एम-5
5. श्री पुनीत कंसल	गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार से नामित)	9	8	नहीं	-	-	-

6. सीए. के.एस. चौहान (21 सितंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5	5	लागू नहीं	-	-	-
7. प्रो. एन.के. तनेजा (21 सितंबर, 2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	5	5	लागू नहीं	-	-	-
8. श्री अतुल श्रीवास्तव (10 जून, 2020 तक)	कार्यकारी निदेशक	1	1	लागू नहीं	-	-	-
9. श्री हरिनन्द राय ^	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	2	-	-
10. श्री के.के. गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	-	-	सी-1 एम-1
11. श्री विवेक गुप्ता (31 जुलाई, 2020 तक)	कार्यकारी निदेशक	3	3	लागू नहीं	-	-	-
12. श्री अमित सेन	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	3	-	सी-1 एम-1
13. श्री एन. शंकरप्पा	स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	-	-	सी-1 एम-1
14. श्री अनिर्बान दासगुप्ता ^	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	2	-	एम-1
15. श्री अमरेंद्र प्रकाश (28 सितंबर, 2020 से)	कार्यकारी निदेशक	4	4	हां	-	-	-

*स्थिति 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति के अनुसार है तथा इसमें निजी कम्पनियों में निदेशक पद की धारिता भी शामिल है।

**स्थिति 31 मार्च, 2021 की यथास्थिति के अनुसार है तथा इसके उद्देश्य से केवल लेखापरीक्षा समिति एवं स्टेकधारक संबंध समिति को ही विचार में लिया गया है। एम-सदस्य, सी-अध्यक्ष 28 सितंबर, 2020 से श्री हरिनन्द राय का पुनःपदनामन निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं व्यवसाय योजना) के पद पर किया गया है तथा श्री अनिर्बान दासगुप्ता का निदेशक प्रभारी (भिलाई स्टील प्लांट) के पद पर।

श्री विजय कुमार सिंह और श्री शशांक प्रिया के अलावा उपरोक्त में से कोई भी निदेशक सेल के अलावा 2020-21 के दौरान किसी सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में नहीं थे। सेल के अलावा, श्री विजय कुमार सिंह एनएमडीसी लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के निदेशक मंडल में थे और श्री शशांक प्रिया एनएमडीसी लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड, बीएचईएल, एसटीसी, एमएमटीसी और एचएमटी लिमिटेड के निदेशक मंडलों में सरकारी नामित निदेशक थे।

सेबी (सूचीकरण विनियम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-2 के भाग-क के साथ पठित विनियम 17(7) की अपेक्षाओं के अनुसार सूचना की प्रस्तुति निदेशक मंडल के सम्मुख की जाती है। निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण नोट के साथ कम्पनी के संबंध में लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट सहित कार्यसूची (एजेंडा) अग्रिम तौर पर निदेशक मंडल के सदस्यों को दिया जाता है। निदेशक मंडल की उप समिति की बैठकों की अनुशंसाएं आवश्यक अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। बैठक के पश्चात अनुवर्ती प्रणाली की व्यवस्था के तौर पर लिए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल के गठन के लिए स्वतंत्र निदेशकों, महिला स्वतंत्र निदेशक और गैर-कार्यकारी निदेशकों की न्यूनतम संख्या सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 विनियम के विनियम 17 (1) (क) की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थी।

(ग) लेखा परीक्षा समिति:

(i) संदर्भ शर्तें:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-2 के भाग ग के साथ पठित विनियम 18(3) की अनुरूपता के लिए सेल के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में: वित्तीय विवरणों की समीक्षा करके निगरानी दायित्वों की पूर्ति के लिए निदेशक मंडल की सहायता करने का प्राथमिक कार्य; कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, लेखांकन और प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा स्थापित लेखांकन एवं विधिक अनुपालन; कम्पनी की सम्बद्ध पक्षकार नीति के अनुसार सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहारों की समीक्षा; तथा सामान्यतः कम्पनी की लेखापरीक्षा, लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया शामिल है।

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों से सम्पर्क स्थापित करती है, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभाव्यता, निष्कर्षों पर चर्चा, सुझाव एवं अन्य सम्बद्ध मामले एवं कम्पनी में अनुसरण की जा रही

लेखांकन नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति, निदेशक मंडल के सम्मुख त्रैमासिक और वार्षिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ इनकी समीक्षा करती है।

(ii) संरचना:

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन प्रारंभ में 1998 में किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में श्री के.के. गुप्ता (अध्यक्ष), श्री एन. शंकरप्पा, निदेशक (प्रभारी-बीएसपी) हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति की 13 बार बैठकें आयोजित हुई हैं और इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान	बैठकों में भाग लिया
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) 30 सितंबर, 2020 से)	अध्यक्ष	13	13
सीए. के.एस. चौहान, स्वतंत्र निदेशक (21 सितंबर, 2020 तक)	अध्यक्ष	6	6
श्री हरिनन्द राय, निदेशक (टी, पी एंड आरएम) (29 सितंबर, 2020 तक)	सदस्य	6	6
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी-बीएसपी) (30 सितंबर, 2020 से)	सदस्य	7	7
श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक (30 सितंबर, 2020 से)	सदस्य	7	7

(घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(i) सेल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण सेल के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नामांकन एवं नियम और शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, कंपनी ने एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न मानव संसाधन मुद्दों, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मामलों की देखरेख के कार्य; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिकारियों के लिए निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) का अंतिमरण; इत्यादि जैसे कार्य शामिल हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष); सुश्री सोमा मंडल, अध्यक्ष, सेल; श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (सरकार से नामित निदेशक); और श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य थे। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 4

बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (सदस्य) 29 सितंबर, 2020 तक)	अध्यक्ष	4	4
सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभार सहित अध्यक्ष (1 जनवरी, 2021 से)	सदस्य	शून्य	शून्य
श्री अनिल कुमार चौधरी, निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभार सहित अध्यक्ष (31 दिसम्बर 2020 तक)	सदस्य	4	4
श्री पुनित कंसल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य	4	4
श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक (30 सितंबर, 2020 से)	सदस्य	2	2
श्री एन.के. तनेजा, स्वतंत्र निदेशक (21 सितंबर, 2020 तक)	अध्यक्ष	2	2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) निदेशक बनने एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जाने योग्य व्यक्तियों का निर्धारण करती है तथा निदेशक मंडल को निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति अथवा उन्हें हटाए जाने एवं निदेशक मंडल, इसकी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों द्वारा निष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन की विधि की अनुशंसा करती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया निदेशक, मंडल, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अथवा किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा की जाती है तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति इसके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशकों की संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की सेवाएं जारी रखने अथवा अन्यथा निर्धारण के लिए निष्पादन मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट दिए जाने की अधिसूचना की है, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ, धारा 178 की उप धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों की नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक के लिए लागू न होने की व्यवस्था है। सेल के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नामांकन किए जाने/नियुक्ति किए जाने के आधार पर की जाती है। नियुक्ति के नियम और शर्तों के साथ-साथ सभी निदेशकों का कार्यकाल भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यात्मक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के मूल्यांकन के लिए विधिवत निर्धारित प्रक्रिया स्थापित है। इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों की संहिता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 में संशोधन किए हैं जिनमें सरकारी कंपनियों के गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित उपबंधों के प्रति छूट दी गई है।

- (ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :-

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	योग
श्री सोमा मंडल	50,60,553	6,20,904	56,81,457
श्री अनिल कुमार चौधरी (31 दिसम्बर, 2020 तक)	45,91,360	5,81,749	51,73,109
श्री अतुल श्रीवास्तव (10 जून, 2020 तक)	16,13,503	30,809	16,44,312
श्री हरिनन्द राय	44,53,121	5,49,722	50,02,843
श्री विवेक गुप्ता (31 जुलाई, 2020 तक)	17,76,349	16,500	17,92,849
श्री अमित सेन	40,41,453	5,03,838	45,45,291
श्री अर्निबान दासगुप्ता	50,53,795	2,37,860	52,91,655
श्री अमरेन्दु प्रकाश (28 सितम्बर, 2020 से)	20,98,474	1,53,633	22,52,107
योग	2,86,88,608	26,95,015	3,13,83,623

*वेतन में पेंशन के प्रावधान शामिल हैं।

- (iii) गैर-कार्यकारी निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा) को निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की उप समिति / स्वतंत्र निदेशकों की प्रत्येक बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000 रुपये की सीटिंग फीस चुकता की जाती है।

- (iv) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन का संचलन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी वेतनमानों तथा नियमों के अनुसार होता है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर चुकता किए जाने वाले निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) के अलावा अन्य कोई परिवर्तनशील प्रोत्साहन चुकता नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई बोनस अथवा स्टॉक ऑप्शन का भुगतान नहीं किया गया है।

(5) नियम एवं शर्तें

पूर्णकालिक निदेशकों का नामांकन भारत सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि अथवा अधिवर्षिता की आयु अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए किया जाता है। निदेशक मंडल में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अपर निदेशक के रूप में होती है तथा उसके पश्चात, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम सभा में शेरधारकों द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति, किसी भी पक्ष द्वारा, तीन माह का नोटिस देकर अथवा उसके स्थान पर तीन माह का वेतन चुकता करके, समाप्त की जा सकती है।

(ड.) स्टेकधारक सम्बद्ध समिति

- (i) श्री एन.शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष), श्री के.के.गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक तथा दो पूर्णकालिक निदेशकों यथा निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) तुलन पत्र की प्राप्ति न होने, लाभांश की प्राप्ति न होने, शेयरों का अंतरण / ट्रांसमिशन, इत्यादि सहित सिक्योरिटी धारकों की शिकायतों पर कार्यवाई एवं निवारण की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। वर्ष के दौरान स्टेकधारक संबंध समिति की एक बैठक दिनांक 25 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी तथा इसमें सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

निदेशक का नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभार सहित अध्यक्ष	सदस्य	1	0
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1

- (ii) Name of Compliance Officer: Shri M.B. Balakrishnan, Company Secretary.

- (iii) There was no complaint pending for redressal as on 31st March, 2020. Number of shareholders' complaints received during the year from 1st April, 2020 to 31st March, 2021 was 16. All the 16 complaints were resolved and no complaint was pending for redressal as on 31st March, 2021. The details of the complaints received and resolved are as under:

Complaints Received from	No. of Complaints
SEBI	10
BSE	5
NSE	1
Total	16

(च) जोखिम प्रबंधन कमिटी

कंपनी ने सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया है और कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति एसआरएमसी के अध्यक्ष और अधिकांश सदस्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं। कंपनी ने विभिन्न प्रकार के जोखिमों, जिसका वह सामना करता है, से निपटने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। जोखिम प्रबंधन नीति व्यापक है और गतिशील कारोबारी माहौल में तेजी से जोखिम अद्यतनीकरण की प्रक्रिया करती है। एसआरएमसी सेल में जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करता है, नीति निर्माण से संबंधित मुद्दों के समाधान के साथ-साथ इसकी निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु जोखिम प्रबंधन कार्य का मूल्यांकन करता है। समिति के संदर्भ की शर्तों में मुख्य रूप से एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना शामिल है; जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण, अंगीकरण और कार्यान्वयन; जोखिम दस्तावेजीकरण के लिए मानक निर्धारित करना; इसकी निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए

उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करना; उभरते मुद्दों की निगरानी और जोखिम का निरीक्षण करना। 31 मार्च, 2021 को एसआरएमसी में श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष; और श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक, सुश्री सोमा मंडल, अध्यक्ष के साथ निदेशक (वाणिज्यिक) के अतिरिक्त प्रभार; श्री हरिनंद राय, निदेशक, (तकनीकी परियोजनाएं और कच्चे माल); श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त), श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (बीएसपी प्रभारी); श्री दीपक चटर्जी, सीईओ (आरएसपी) सदस्य के रूप में। 8 जुलाई, 2020 एवं 5 सितंबर, 2020 को जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में दो बैठकें हुईं। सदस्यों की उपस्थिति—

निदेशक का नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्री के. एस. चौहान, स्वतंत्र निदेशक (21 सितंबर 2020 तक)	अध्यक्ष	2	2
श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (11 नवंबर 2020 तक सदस्य)	अध्यक्ष	2	2
सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक)	सदस्य	2	2
श्री हरिनंद राय, निदेशक (तकनीकी) के साथ सीईओ (बीएसएल) के अतिरिक्त प्रभार में)	सदस्य	2	2
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (पी एण्ड बीपी)	सदस्य	2	1
श्री ए. वी. कमलाकर, सीईओ (आई.एस.पी.) (21 अक्टूबर, 2020 तक सदस्य)	सदस्य	2	1
श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर, 2020 से सदस्य)	सदस्य	0	0
श्री दीपक चटर्जी, सीईओ (आरएसपी) (12 नवंबर, 2020 से सदस्य)	सदस्य	0	0

(छ) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी की अपने हितधारकों के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से व्यवसाय करने की प्रतिबद्धता है, जिससे संगठन अपनी गतिविधियों के प्रभाव की जिम्मेवार लेते हुए समाज के हितों की सेवा करते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है और कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को भी मंजूरी दी है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। 31 मार्च 2021 को श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक, समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक; श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त) और सुश्री सोमा मंडल, अध्यक्ष, निदेशक (कार्मिक) के अतिरिक्त प्रभार के साथ। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की एक बैठक 30 अप्रैल, 2020 को आयोजित की गई और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
श्री अतुल श्रीवास्तव, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	1	1
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1

(ज) वर्ष के दौरान, बोर्ड उप समितियों (बीएससी) के गठन की समीक्षा की गई और कुछ बीएससी का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में, अनिवार्य समितियों के अलावा, कंपनी द्वारा निम्नलिखित बीएससी का गठन किया गया है ताकि निदेशक मंडल द्वारा उन पर विचार करने से पहले मुद्दों की विस्तार से जांच की जा सके। 31 मार्च 2021 को इन बीएससी का उद्देश्य और संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	बोर्ड उप समिति	बीएससी का उद्देश्य संक्षेप में	31 मार्च, 2021 को बोर्ड की संरचना
1.	रणनीतिक मुद्दे और संयुक्त उद्यम समिति	कंपनी के रणनीतिक गठबंधन और संयुक्त उद्यमों के गठन से संबंधित मुद्दों की जांच करना और बोर्ड को सिफारिश करना और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना।	- श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) - संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल - श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) - निदेशक (वित्त) - निदेशक (बीएसपी प्रभारी)
2.	परियोजन समिति	नई परियोजनाओं को शुरू करने, वृहद् पूंजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ अनुमोदित योजना आदि के मामलों की निगरानी और बोर्ड को सिफारिश करना।	- श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) - संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल - श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) - निदेशक (वित्त) - निदेशक (बीएसपी प्रभारी) - निदेशक (बीएसएल प्रभारी)
3.	संचालन संबंधी मुद्दे समिति	उत्पादन प्रदर्शन, बिक्री और विपणन प्रदर्शन, खानों और कोलियरी के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा करना, संयंत्रों आदि के लिए कच्चे माल की आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता के लिए खानों और संयंत्रों के बीच समन्वय करना।	- श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) - संयुक्त सचिव, एमओएस एवं निदेशक, सेल - श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) - निदेशक (वित्त) - निदेशक (वाणिज्यिक) - निदेशक (बीएसएल प्रभारी)
4.	स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति	संयंत्रों और खानों के संबंध में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा करना।	- श्री के. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) - श्री एन. शंकरप्पा, स्वतंत्र निदेशक - निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) - निदेशक (कार्मिक) - निदेशक (बीएसपी प्रभारी) - निदेशक (बीएसएल प्रभारी)
5.	शेयर हस्तांतरण समिति	(i) हस्तांतरण, अस्वीकृति, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने पर विचार करना (ii) शेयरों के हस्तांतरण पर विचार करना जिसके लिए 31 मार्च 2019 के पहले अनुरोध प्राप्त हुआ था लेकिन विसंगतियों के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और आपत्तियों के निराकरण के बाद फिर से जमा किया गया था।	- निदेशक (कार्मिक) - निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल) - निदेशक (वित्त)

(अ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित विभिन्न बोर्ड उप समितियों की बैठकों और उसमें निदेशकों की उपस्थिति की विवरणी:

बोर्ड उप-समिति	अंकेक्षण समिति की बैठक		परियोजना समिति की बैठक		रणनीतिक मुद्दे एवं संयुक्त उद्यम समिति की बैठक		मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक		कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक		स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति की बैठक		हितधारक संबंध समिति की बैठक		परिचालन मुद्दे समिति की बैठक		शेयर हस्तांतरण समिति की बैठक	
	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान हुए	भाग लिया
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2020-21 में हुई बैठकें	13		3		2		4		1		4		1		0		10	
निदेशक भाग लिये																		
श्री अनिल कुमार चौधरी* (31 दिसंबर, 2020 तक)	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	1	-	-	-	-	4	-
श्रीमती सोमा मंडल*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	-	-	10	8
श्री पुनीत कंसल	-	-	3	3	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सीए के.एस. चौहान (21 सितंबर, 2020 तक)	6	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रो. एन.के. तनेजा (21 सितंबर, 2020 तक)	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
श्री अतुल श्रीवास्तव (10 जून, 2020 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री हरिनंद राय	6	6	3	3	1	1	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	10	9
श्री के.के. गुप्ता	13	13	3	3	1	1	4	4	1	1	4	4	1	1	-	-	-	-
श्री विवेक गुप्ता (31 जुलाई, 2020 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
श्री अमित सेन	-	-	3	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	10	10
श्री एन. शंकरप्पा	7	7	2	2	1	1	2	2	1	1	4	4	1	1	-	-	-	-
श्री अनिर्बान दासगुप्ता	7	7	3	3	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
श्री अमरेन्दु प्रकाश (28 सितंबर 2020 से)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-

वर्ष में कुछ समय के लिए, श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष, निदेशक (कार्मिक) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

‘सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक) को 1 जनवरी, 2021 से अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे निदेशक (कार्मिक और निदेशक (वाणिज्यिक) के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं।

(अ) उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ट) सामान्य निकाय की बैठकें:

स्थान और समय जहां पिछली तीन एजीएम आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थान
2019-20	22.10.2020	10.30 पू.	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से
2018-19	30.08.2019	10.30 पू.	एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली-110001.
2017-18	20.09.2018	10.30 पू.	एनडीएमसी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली-110001.

(प) पिछले 3 वर्षों में, वार्षिक आम बैठक में पांच विशेष संकल्प पारित किए गए थे और पोस्टल बालेट के माध्यम से कोई नहीं, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	पारित हुए विशेष संकल्पों की संख्या
2019-20	शून्य
2018-19	4
2017-18	1

(पप) आगामी वार्षिक आम बैठक तक पोस्टल बालेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

व) प्रकटीकरण:

(प) आर्थिक संबंध: कंपनी द्वारा प्रमोटर्स, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों, रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन-देन नहीं किया गया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता था। बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में घोषणा और पुष्टि पर ध्यान दिया है। बोर्ड / बोर्ड उप-समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क की प्राप्ति के अलावा गैर कार्यकारी निदेशकों का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था। किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर / परिवर्तनीय लेखपत्र नहीं था।

(प) एक स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल: सेल एक सरकारी कंपनी होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए नामांकन तथा नियम और शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(पप) स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति पत्र: सेल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/ नियुक्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नामित नहीं किया गया था।

(पपप) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों के लिए उनकी नियुक्ति पर एक प्रवेशन सह परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, संगठन संरचना, कंपनी के संयंत्रों और इकाईयों, उत्पाद पोर्टफोलियो, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम आदि का विवरण शामिल होता है। कंपनी संचालन के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/ इकाईयों के निदेशकों का दौरा भी आयोजन करती है। इसके अलावा, निदेशकों को विभिन्न संस्थानों जैसे डीपीई, स्कोप, आईओडी और अन्य संस्थानों द्वारा कॉरपोरेट गवर्नंस आदि से संबंधित मुद्दों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी के वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर उपलब्ध है।

(पअ) कंपनी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है और किसी भी मुद्दे पर अंकेक्षण समिति/ प्रबंधन से संपर्क करने के लिए किसी भी कर्मचारी की पहुंच से इनकार नहीं किया है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर उपलब्ध है। कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों के संचालन के लिए एक सतर्कता तंत्र भी तैयार किया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड के निदेशक इस तंत्र के अन्तर्गत आते हैं। यह तंत्र अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में कर्मचारियों के चिंताओं को प्रतिवेदित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है और असाधारण मामलों में अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति देता है। सतर्कता तंत्र को कंपनी की वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर पोस्ट किया गया है।

(अ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक सहित तीन से छह स्वतंत्र निदेशकों की कमी रही। सेल एक सरकारी कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। सेल के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का मामला इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों की गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं अपनाया है।

(अप) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक पूर्णकालिक महिला निदेशक थीं।

(अपप) सेल में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश इस्पात मंत्रालय द्वारा फाइल संख्या- 7(12)/2008-सेल(पीसी) दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 द्वारा 1 जनवरी, 2007 से दस साल के लिए यानि 31 दिसंबर 2016 तक के लिए जारी किए गए थे। कंपनी ने इसका और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन किया है। सेल में 1 जनवरी, 2017 से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों को अभी लागू किया जाना है।

(अपपप) स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25(8) के तहत

आवश्यक स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि वे सेबी सूचीकरण विनियम 16(1)(बी) सहपठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और पुष्टि की है कि वे ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को खराब या प्रभावित कर सके। बोर्ड ने इसे रिकॉर्ड में ले लिया है।

(पग) आचार संहिता: बोर्ड ने एक आचार संहिता निर्धारित की है जिसमें कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा अनुपालन की जानेवाली आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। उनसे वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त होती है। आचार संहिता कंपनी के वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर उपलब्ध है।

(ग) संबंधित पार्टी लेनदेन नीति: सूचीबद्धता समझौते के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित पार्टी लेनदेन पर एक नीति अपनाई है। नीति कंपनी के वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर उपलब्ध है।

(गप) सामग्री सहायक कंपनियों पर नीति: कंपनी के निदेशक मंडल ने सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति अपनाई है। नीति कंपनी के वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर उपलब्ध है। कंपनी के पास 2020-21 के दौरान कोई सामग्री सहायक कंपनी नहीं थी।

(गपप) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभार्थ वितरण नीति अपनाई है और इसे कंपनी की वेबसाइट [www.secl.co.in](#) पर अपलोड किया गया है।

(गपपप) वित्तीय विवरणों पर कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कंपनी के क्रमशः सीईओ और सीएफओ हैं।

(गपअ) कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित/ नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए, निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता को निर्धारित करने वाला चार्ट या मैट्रिक्स तैयार करना सेल के बोर्ड के दायरे से बाहर है।

(गअ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, अधिमार्ग आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

(गअप) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची ट कंडिका सी खण्ड 10(प) के अनुसार मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, ने प्रमाणित किया है कि सेल के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय या किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(गअपप) एक समेकित आधार पर, सांविधिक अंकेक्षकों और नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई के सभी संस्थाओं को, सांविधिक अंकेक्षक जिनके भाग हैं, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क के रूप में रु. 4.46 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है/ देय है।

(गअपपप) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए इन समितियों का गठन किया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

विषय	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल, 2020 तक लंबित शिकायतों की संख्या	0
वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दर्ज शिकायतों की संख्या	7
वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निपटाए गए शिकायतों की संख्या	5
31 मार्च, 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2



वार्षिक रिपोर्ट - 2020-21

सेल SAIL

- (xx) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xxi) किसी गैर-सरकारी निदेशक के पास किसी कंपनी के शेयर/परिवर्तनीय लिखत नहीं है।
- (xxii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधन के साथ प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

(xxii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी संशोधन के साथ प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार है:

ए. इण्डिया रेटिंग्स	करोड़ में	वर्तमान रेटिंग	स्थिति	पूर्व रेटिंग
विषय	आंकी गई राशि	9 नवंबर 2020		14 नवंबर 2019
लंबी अवधि के बांड	17000'	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण
अल्पावधि (सीपी)	8000	आईएनडीए1+	फिर से पुष्टि की	आईएनडीए1+
फंड आधारित कार्यशील पूंजी आधारित सीमाएं@	8500	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण+ / आईएनडीए1 / आईएनडीए1+	फिर से पुष्टि की	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण
गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाएं	5000	आईएनडीए1+	फिर से पुष्टि की	आईएनडीए1+ आईएनडीएए-
गैर निधि आधारित सीमाएं +	5000	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	नकारात्मक दृष्टिकोण
बैंक ऋण	2000	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण
सार्वजनिक जमा	1000	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	आईएनडीएए- नकारात्मक दृष्टिकोण
रेटिंग के समय बकाया रु. 6,304 करोड़।				
+ कंसोर्टियम लीड बैंक ने आज की तारीख में 10,000 करोड़ रुपये की सीमा स्वीकृत की है।				

बी. केयर रेटिंग्स		करोड़ में वर्तमान रेटिंग		पूर्व रेटिंग
विषय	आंकी गई राशि	9 नवंबर 2020	स्थिति	14 नवंबर 2019
लंबी अवधि के बांड कार्यक्रम	19000’	केयर एए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	केयर एए- दृष्टिकोण स्थिर
लंबी अवधि के सार्वजनिक जमा	1000	केयर एए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	केयर एए- दृष्टिकोण स्थिर
अल्पावधि सीपी/ आईसीडी कार्यक्रम	8000	केयर ए1+	फिर से पुष्टि की	केयर ए1+
		09.10.2020		08.03.2019
दीर्घावधि निधि आधारित बैंक सुविधाएं (अवधि ऋण)	30000	केयर एए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	केयर एए- दृष्टिकोण स्थिर
‘रेटिंग के समय बकाया रु. 6,318 करोड़।				
सी. ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स		करोड़ में	वर्तमान रेटिंग	पूर्व रेटिंग

सी. ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स	करोड़ में	वर्तमान रेटिंग	स्थिति	पूर्व रेटिंग
विषय	आंकी गई राशि	9 नवंबर 2020		14 नवंबर 2019
लंबी अवधि के बांड कार्यक्रम	5000	बीडब्ल्यूआरएए- नकारात्मक दृष्टिकोण	फिर से पुष्टि की	बीडब्ल्यूआरएए- नकारात्मक दृष्टिकोण

(xxiii) वस्तुओं के संबंध में जोखिम: परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2018/0000000141 दिनांक 15 नवंबर 2018 के अनुसार, सेल को वस्तुओं के संबंध में कोई जोखिम नहीं लगता है, क्योंकि इसने प्रमुख सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। सेल ने कोयले की सोर्सिंग में विविधता लाई है और पांच देशों, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक से विभिन्न भौगोलिक स्थानों से दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से कोयले की खरीद कर रहा है। लौह अयस्क के लिए, सेल की अपनी कैप्टिव लौह अयस्क खदानें हैं जो इसकी आवश्यकता पूरा करती हैं। इसी तरह, रिफ़ैक्टरी और फ़ेरो-अलॉयज के लिए, सेल के अपने कैप्टिव प्लांट हैं और सेल दीर्घकालिक अनुबंध के तहत चूना पत्थर की खरीद कर रहा है।

(xxiv) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड दोनों ने (प) 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 2,53,700/- (पप) 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 5,36,900/- (पप) 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 5,42,800/- का जुर्माना लगाया है और बीएसई लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के संबंध में गैर-अनुपालन के लिए 5,42,800/- का जुर्माना भी लगाया है। अभ्यावेदन पर, बीएसई लिमिटेड ने 30 सितंबर, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए जुर्माना माफ कर दिया है।

(ड) संचार के साधन:

तिमाही परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर प्रकाशित किए गए हैं:

समाप्त हो रही तिमाही	30 जून, 2020	30 सितंबर, 2020	31 दिसंबर, 2020	31 मार्च, 2021
प्रकाशन की तिथि	15 सितंबर, 2020	7 नवंबर, 2020	30 जनवरी, 2021	12 जून, 2021
समाचार पत्र का नाम				
इ- इंग्लिश	फाइनांशियल एक्सप्रेस (इ)	बिजनेस स्टैंडर्ड (इ)	मिन्ट (इ)	बिजनेस स्टैंडर्ड (इ)
एच- हिन्दी	जनसत्ता (एच)	दैनिक भास्कर (एच) और बिजनेस स्टैंडर्ड (एच)	अमर उजाला (एच)	बिजनेस स्टैंडर्ड (एच)

तिमाही/ वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करती है। कंपनी तिमाही/ वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेती है। इसके अलावा, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुतियां दी जाती हैं और ये कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध हैं।

(ड) सामान्य शेयरधारकों की जानकारी:

(प) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या- 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 28 सितंबर, 2021 को 1030 बजे पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम से आयोजित होने वाली है। आवश्यक सार्वजनिक नोटिस, प्रकाशन और अन्य व्यवस्थाएं एमसीए परिपत्र- सामान्य परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसार की गई हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021.

(iii) बुक क्लोजर की तिथि 22 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से।

एजीएम। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसकी घोषणा से 30 दिनों की

निर्धारित अवधि के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, जिनके अद्यतन बैंक खाते के विवरण उपलब्ध हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट आदि का पंजीकरण न होने के कारण कंपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या किसी अन्य माध्यम से किसी सदस्य को सीधे बैंक खाते में लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे सदस्यों को निर्धारित समय के भीतर लाभांश वारंट/ बैंकर्स चेक/ डिमांड ड्राफ्ट भेज देगी। 29 जनवरी, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को फरवरी, 2021 में किया गया था।

(iv) कंपनी के शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं और निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,

फिरोज जीजीमॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट

फोर्ट मुंबई- 400001

(स्टॉक कोड संख्या 500113)

द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक,

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),

मुंबई- 400051 (कोड: सेल)

कंपनी द्वारा 1996 में जारी जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 10 पैटरनोस्टर स्क्वायर, लंदन ईसी4एम7एलएस, यूके में सूचीबद्ध है।

प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को 2020-21 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया था।

(v) वित्तीय वर्ष 2020-21 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में प्रत्येक माह के दौरान कंपनी के शेयरों के मासिक उच्च और निम्न दर नीचे दर्शाए गए हैं:

माह और वर्ष	सेंसेक्स		बीएसई में सेल		निफ्टी		एनएसई में सेल	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2020	33887.25	27500.79	32.25	21.50	9889.05	8055.80	32.25	21.50
मई, 2020	32845.48	29968.45	30.80	26.55	9598.85	8806.75	30.80	26.55
जून, 2020	35706.55	32348.10	35.10	28.50	10553.15	9544.35	35.10	28.35
जुलाई, 2020	38617.03	34927.20	38.90	30.00	11341.40	10299.60	38.70	30.00
अगस्त, 2020	40010.17	36911.23	44.70	33.50	11794.25	10882.25	44.75	33.60
सितंबर, 2020	39359.51	36495.98	42.20	32.65	11618.10	10790.20	42.25	32.65
अक्टूबर, 2020	41048.05	38410.20	36.95	32.65	12025.45	11347.05	37.00	32.65
नवंबर, 2020	44825.37	39334.92	49.70	34.00	13145.85	11557.40	49.70	34.00
दिसंबर, 2020	47896.97	44118.10	74.75	47.90	14024.85	12962.80	74.70	47.90
जनवरी, 2021	50184.01	46160.46	80.35	55.30	14753.55	13596.75	80.30	55.30
फरवरी, 2021	52516.76	46433.65	77.50	57.65	15431.75	13661.75	77.50	57.60
मार्च, 2021	51821.84	48236.35	81.50	67.30	15336.30	14264.40	81.50	67.10

(vi) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड

एफ-65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1

नई दिल्ली-110020

फोन नं. 011-41406149

(vii) शेयर ट्रांसफर सिस्टम:

कंपनी के इक्विटी शेयरों का अनिवार्य रूप से अभौतिक रूप में कारोबार किया जाता है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 के प्रभाव से प्रतिभूतियों का केवल अभौतिक रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बोर्ड की शेयर स्थानांतरण समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है, जिसमें संचरण, अस्वीकृति, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने, स्प्लिट शेयर सर्टिफिकेट और शेयर के स्थानान्तरण के अनुरोधों पर विचार किया जाता है, जिन शेयरों के लिए अनुरोध 31 मार्च, 2019 से पहले प्राप्त हुआ था, लेकिन विसंगतियों के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और आपत्तियों को ठीक करने के बाद फिर से जमा किया गया था। वर्ष के दौरान, शेयर स्थानान्तरण समिति की बैठक 22 जून, 2020, 9 जुलाई, 2020, 24 अगस्त, 2020, 28 सितंबर, 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 12 नवंबर, 2020, 17 नवंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 25 जनवरी, 2021 और 19 मार्च, 2021 को हुई।

(viii) 31 मार्च 2021 को शेयरधारिता का वितरण:

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	संख्या	कुल का प्रतिशत	रु.में	कुल का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	468325	84.99	562081590	1.36
501-1000	38608	7.01	318981580	0.77
1001-2000	20100	3.65	312725390	0.76
2001-3000	8089	1.47	211964170	0.51
3001-4000	3533	0.64	127442480	0.31
4001-5000	3107	0.56	148686350	0.36
5001-10000	4639	0.84	351509810	0.85
10001-50000	3599	0.65	763573510	1.85
50001-100000	466	0.08	348638880	0.84
100000 से ऊपर	589	0.11	38159649130	92.38
कुल	551055	100.00	41305252890	100.00

(ix) 31 मार्च 2021 को शेयरधारिता पैटर्न:

कैटेगरी	शेयरधारिता संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
ए. प्रमोटरों की होल्डिंग		
1 प्रमोटर		
— भारतीय प्रमोटर अर्थात् भारत सरकार	2684714550	65.00
— विदेशी प्रमोटर	—	—
2 कॉन्सर्ट में अभिनय करनेवाले व्यक्ति	—	—
उप- योग	2684714550	65.00
बी. गैर प्रवर्तक होल्डिंग		
3 संस्थागत निवेशक		
क म्यूचुअल फंड और यूटीआई	237178615	5.74
ख बैंक और वित्तीय संस्थान	12459314	0.30
ग बीमा कंपनी	437300526	10.59
घ विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	178283693	4.32
उप- योग	865222148	20.95
4 अन्य		
क निजी कॉरपोरेट निकाय	122263397	2.96
ख भारतीय जनता	429809401	10.40
ग ट्रस्ट और सोसायटी, आदि	3184061	0.08
घ एनआरआई/ओसीबी	22395865	0.54
ड जीडीआर	110990	0.00
च आईपीएफ	2824877	0.07
उप- योग	580588591	14.05
कुल योग	4130525289	100.00

(x) 31 मार्च, 2021 को अभौतिकीकरण की स्थिति:

ब्योरा	शेयर की संख्या	पूँजी का प्रतिशत	खातों की संख्या
एनएसडीएल	3898016150	94.37	258508
सीडीएसएल	228982240	5.54	270234
कुल अभौतिकीकृत	4126998390	99.91	528742
भौतिक	3526899	0.09	22313
कुल	4130525289	100.00	551055

भारत सरकार के शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं।

(xi) कंपनी के संयंत्र / इकाइयां / सहायक कंपनियां स्थित हैं:

स्टील संयंत्र

- भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई— 490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर स्टील संयंत्र, दुर्गापुर— 713203, पश्चिम बंगाल
- राऊरकेला स्टील संयंत्र, राऊरकेला— 769011, उड़ीसा
- बोकारो स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील सिटी— 827001, झारखण्ड
- आईआईएससीओ स्टील संयंत्र, बर्नपुर—713325, पश्चिम बंगाल
- एलॉय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर— 713208, पश्चिम बंगाल
- सलेम स्टील संयंत्र, सलेम—636013, तमिलनाडु
- विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील संयंत्र, भद्रावती—577031, कर्नाटक
- चन्द्रपुर फेरो एलॉय संयंत्र, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र

इकाई

- सेन्ट्रल कोल सप्लाय ऑर्गनाइजेशन, धनबाद—828127, झारखण्ड
- सेन्ट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन, इस्पात भवन, 40, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता—700071, पश्चिम बंगाल
- सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रांची—834002, झारखण्ड
- इन्वायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन, सेल हाऊस, तृतीय तल, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता—700071, पश्चिम बंगाल
- सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, जिला— बर्दवान, पश्चिम बंगाल
- मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रांची—834002, झारखण्ड
- रॉमटीरियल डिवीजन, 10, कैमक स्ट्रीट, इन्डस्ट्री आऊस, कोलकाता—700017, पश्चिम बंगाल
- लॉजिस्टिक्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, इस्पात भवन, 40, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता—700071

- कोलियरीज डिवीजन, सेल ऑफिसर्स कॉलोनी, चासनाला, धनबाद, झारखण्ड—828135
- रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर फॉर आयरन एण्ड स्टील, रांची— 834002, झारखण्ड
- सेल कंसल्टेंसी डिवीजन, 16—20 मंजिल, स्कोप मिनार, नॉर्थ टावर, लक्ष्मी नगर जिला सेंटर, दिल्ली— 110092
- सेल सेपटी ऑर्गनाइजेशन, रांची—834002, झारखण्ड
- सेल रिफ्रेटरी यूनिट, बोकारो—827004, झारखण्ड

सहायक कंपनियां

- आईआईएससीओ—उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (परिसमापन के तहत)
- सेल रिफ्रेटरी कंपनी लिमिटेड, सलेम—636013, तमिलनाडु
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़
- सेल जगदीशपुर पावर प्लान्ट लिमिटेड, नई दिल्ली— 110003 (स्ट्राइक ऑफ)
- सेल सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला—828135, झारखण्ड (स्ट्राइक ऑफ)

(xii) प्रश्न / शिकायत, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारकों से पत्राचार का पता:

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,

एफ—65, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज—1, नई दिल्ली—110020

फोन नं.— 91—11—41406149, फैक्स नं. 91—11—41709881

ई—मेल: aadmin@mcsregistrars.com

निदेशक मंडल की ओर से उसके लिये

ह0 /—

(सोमा मंडल)

चेयरमैन

स्थान— नई दिल्ली

तिथि— 1 सितंबर, 2021

1. तेज राज एण्ड पाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ए60, आम्रपाली सोसायटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर-492001	2. एस. जयकिशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 12, हो चि मिन्ह सरणी, द्वितीय तल, सुट नं. 2डी, 2इ एवं 2एफ, कोलकाता- 700071	3. वाकर चंडियोकाण्ड कं. एलएलपी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, रु-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	4. केएसजी एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, द्वितीय तल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीनगर, धनबाद-826001
--	--	--	--

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- यह प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2021 के हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
- हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खण्ड (बी) से (आई) और सेबी की अनुसूची ट के पैराग्राफ सी, डी और ई (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) में निर्धारित है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- कॉरपोरेट प्रशासन की अनुपालन शर्तें प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जांच कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो अंकेक्षण है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
- सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सक्षम आश्वासन पर क्षेत्र प्रदान करें कि क्या कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर गाइडेंस नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानक हैं जो कि इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य के लिए लागू हैं और आईसीएआई द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी) 1 की प्रासंगिक लागू किये जाने योग्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंध की लेखा परीक्षा और समीक्षा करते हैं।

मंतव्य

- संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष में कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि सूचीकरण नियमावली के नियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप नियम 2 के क्लॉज (बी) से (आई) और अनुसूची ट के पैरा में निर्धारित है। हालांकि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे दिए गए अवलोकन के अधीन:
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की पूरी अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों; स्वतंत्र महिला निदेशक और गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की आगे की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

- कंपनी को लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों को प्रमाण पत्र संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिसके हाथ में यह हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या देखभाल के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

तेजराज एण्ड पाल के लिये

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 30412ई

ह0/-

(सीए. पीवेनुगोपाल राव) पार्टनर

म.न. 010905यूडीआईएन: 21010905एएएएएम5241

स्थान: भुवनेश्वर

वाकर चंडिओक एण्ड कं. एलएलपी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 001076एन/एन500013

ह0/-

(सीए नीरज शर्मा) पार्टनर

म.न. 502103यूडीआईएन:21502103एएएबीडी7815

स्थान: नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली,

10 जून 2021

For S. Jaykishan

Chartered Accountants

Firm Registration No. 309005E

Sd/-

(CA. Ritesh Agarwal)

Partner

M.No. 062410

UDIN:21062410AAAAIX9058

Place: Kolkata

For K A S G & CO.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 002228C

Sd/-

(CA. Bharat Goel)

Partner

M.No.060069

UDIN:21060069AAAAAB1808

Place: Kolkata

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

- कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एल27109 डीएल 1973 भारत सरकार 006454
- 2. कंपनी का नाम: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 3. पंजीकृत पतारु इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
- 4. वेबसाइट: www.sail.co.in
- 5. ईमेल आईडी: Investor.relation@sail.in
- 6. वित्तीय वर्ष रिपोर्ट किया गया 2020-21
- 7. क्षेत्र (क्षेत्रों) जिसमें कंपनी लगी हुई है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार): इस्पात और इस्पात उत्पादों का निर्माण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड: 330
- 8. तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची बनाएं जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (जैसा कि बैलेंस शीट में है)
 - (i) हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टील उत्पादों का निर्माण
 - (ii) रेल का निर्माण
 - (iii) रीइन्फोर्समेंट बार, वायर रॉड्स, स्ट्रक्चरल आदि का निर्माण
- 9. उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है:
 - (i) अंतर्राष्ट्रीय स्थान रू नील
 - (ii) सेल भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों का संचालन और स्वामित्व रखता है और सेलम में तीन विशेष इस्पात संयंत्रों- सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (एसएसपी) और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट का मालिक है। (वीआईएसपी) भद्रावती में। एक अन्य इकाई, चंद्रपुर फेरो-अलॉय प्लांट (सीएफपी) फेरो-मिश्र धातु का उत्पादन करती है। इसकी बोकारो में सेल रिफ़ैक्टरी यूनिट (एसआरयू) भी है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में चार रिफ़ैक्टरी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनके अलावा, सेल की अन्य इकाइयां इस प्रकार हैं: कुल्टी, पश्चिम बंगाल में सेल ग्रोथ वर्क्स; कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी) - झारखंड में किरिबुरु, मेघालय, गुआ, मनोहरपुर (चिरिया), ओडिशा में बोलानी, कालता, बरसुआ (तलडीह सहित) में लौह अयस्क की खदानें; छत्तीसगढ़ में राजहरा समूह, दल्ली समूह, रावघाट में बसपा खान (लौह अयस्क); मध्य प्रदेश के कुटेश्वर में आरएमडी फ्लक्स खदानें; झारखंड में भवनाथपुर, तुलसीदामार; छत्तीसगढ़ में नंदिनी, हिर्री, बरदुआर में बसपा फ्लक्स माइंस; कर्नाटक में भदीगुंड, कंचपुडा में वीआईएसपी फ्लक्स माइंस; झारखंड में चासनाला, जितपुर, तसरा, सीतानाला और पश्चिम बंगाल में रामनगर में कोलियरीज डिवीजन (कोयला खान); केंद्रीय विपणन संगठन, मुख्यालय कोलकाता में; केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद; दिल्ली में सेल कंसल्टेंसी डिवीजन; लौह और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेल सुरक्षा संगठन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र और रांची में प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान; पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, विकास प्रभाग और कोलकाता में रसद और बुनियादी ढांचा विभाग; तथा राउरकेला में केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान।
- सेल का एक अखिल भारतीय विपणन नेटवर्क है जो देश के सभी इस्पात उत्पादकों में सबसे बड़ा है। सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 5 सक्रिय ग्राहक संपर्क कार्यालय, 21 विभागीय गोदाम और 16 कार्यात्मक कंसाइनमेंट एजेंसी यार्ड शामिल हैं। सेल के रिटेल चैनल के माध्यम से विपणन प्रयासों को आगे बढ़ाया जाता है जो भारत के दूरदराज के कोनों में बड़े पैमाने पर खपत के उत्पादों तक पहुंचता है। सेल का एक व्यापक डीलरशिप नेटवर्क है जिसमें 3178 डीलर शामिल हैं, जिसमें 1 अप्रैल, 2021 तक वितरकों द्वारा नियुक्त 2702 डीलर शामिल हैं।
- 10. कंपनी द्वारा सेवित बाजार - स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

खंड बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

- 1. चुकता पूंजी रु ₹ 4,130.53 करोड़
- 2. कुल कारोबार रु ₹ 69,110.02 करोड़
- 3. कर पश्चात कुल लाभ रु ₹ 3,850.02 करोड़
- 4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में सीएसआर पर कुल व्यय(ः) 1.22

- 5. उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है:
 - ए) पेयजल सुविधाओं और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना
 - बी) शिक्षा, आय सृजन और कौशल / व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
 - सी) महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की देखभाल
 - डी) पर्यावरणीय स्थिरता
 - ई) कला और संस्कृति को बढ़ावा देना
 - एफ) खेल को बढ़ावा देना
 - छ) ग्रामीण अवसंरचना विकास
- खंड सी: अन्य विवरण
 - 1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?
 - 1. सेल रेफ़ैक्ट्री कंपनी लिमिटेड।
 - बी) सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड। (लाइन डाल कर नाम इत्यादि हटाना या काटना)
 - ६. सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। (लाइन डाल कर नाम इत्यादि हटाना या काटना)
 - क. छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड।
 - ई. इस्को उज्जैन पाइप एंड फ़ाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)
 - 2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं।
 - मूल कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल सहायक कंपनियों पर लागू होती है।
 - 3. क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत बताएं? ३०: से कम, 30-60:, 60: से अधिक, नहीं
- खंड डी: बीआर सूचना
 - 1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण
 - क) बीआर नीति / नीतियों के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण
 - दीन नंबर 06845389
 - नाम: श्रीमती सोमा मंडल
 - पद: अध्यक्ष, निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार धारित
 - बीआर शीर्ष का विवरण
 - 2. मूलधन-वार (एनबीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (वाई/एन में उत्तर दें)
 - कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार की सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों (एनबीजी) पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों ने

Sl. No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	N.A.
2	Name	M.B. Balakrishnan
3	Designation	Company Secretary
4	Telephone number	011-24368105
5	e-mail id	Secy.sail@sail.in

व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया है। ये संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- P1 - व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं का संचालन और संचालन करना चाहिए।
- P2 - व्यवसायों को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।
- P3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।
- P4 - व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
- P5 - व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
- P6 - व्यवसायों को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए।
- P7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।
- P8 - व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए।
- P9 - व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

Sl. No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well Being of Employees	Stakeholder Engagement & CSR	Human Rights	Environment	Public Policy	CSR	Customer Relations
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy / policies for.....	Y	Y The Company has Quality and Environment policies which ensure production of safe and sustainable products.	Y	Y This is included in Company's Code of Conduct , HR policies and various other HR practices	Y	Y	N	Y	N
2	Has the policy been formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	--	Y	Y	--	Y	--	Y	--
3	Does the policy conform to any national / international standards?	Y	--	Y	N	--	Y	--	Y	--
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/ CEO/appropriate Board Directors?	Y	--	Y	Y	--	Y	--	Y	--
5	Does the company have a specified committee of the Board/Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	--	Y	Y	--	Y	--	Y	--
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	--	--	--	@	--	*	--	@	--
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	--	Y	--	Y	--
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	--	Y	--	Y	--
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	--	Y	N	--	N	--	N	--
10	Has the Company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	--	N	N	--	Y	--	Y	--

2a. If answer to Sr No 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	The Company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified Principles	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	The Company does not have financial or manpower resources available for the task	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	It is planned to be done within next sixth month	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	It is planned to be done within next one year	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Any other reason (Please specify)	--	--	--	--	--	--	The Company has leadership position in the steel sector and has a record of pioneering achievements which has benefitted Steel Industry of the country at large by having dialogue with MoS, Gol. Therefore, need for formal policy has not been felt.	--	The Company has systems and procedures to assess customer needs and addressing them. The Customer Satisfaction Index is calculated based on the feedback from customers on a regular basis and system for customer complaint redressal is also in vogue.

* - <http://sail.co.in/pdf/corporateenvironmentalpolicy.pdf>

@ - <http://sail.co.in/pdf/csrpolicy.pdf>

• The Company is not engaged in a business influencing public and regulatory policy.

3. बीआर से संबंधित शासन:

उस आवृत्ति को इंगित करें जिसके साथ निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करते हैं। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, सालाना, 1 साल से ज्यादा।

सालाना।

क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?

हां, कंपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के मुद्रित संस्करण प्रकाशित करती है। रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को वेब अपडेट के रूप में बीच के वर्ष में कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक [जजचरू / ९९.पस.बव.पद है।](#)

खंड ईरू सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1रू व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद का संचालन और संचालन करना चाहिए

1. क्या नैतिकता, रिश्तव्योरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या इसका विस्तार समूह / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य तक है?

इस संबंध में सेल द्वारा कार्यान्वित नीतियां कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोलीदाताओं आदि को भी कवर करती हैं।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, सेल न केवल अपने व्यवसाय को सबसे नैतिक तरीके से संचालित करना चाहता है, बल्कि अपने कर्मचारियों को समान नैतिक मानकों को बनाए रखने और आसपास के समुदायों के बीच प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।

कंपनी ने आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम बनाए हैं जो आचार संहिता को निर्धारित करते हैं जो ज्यादातर कंपनी के अधिकारियों पर लागू होते हैं जबकि गैर-कार्यकारी कामगार स्थायी आचार संहिता / कदाचार के तहत आते हैं जैसा कि स्थायी में उल्लेख किया गया है। सेल के संबंधित संयंत्रों / इकाइयों के लिए आदेश (संघ और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता)। जुलाई 2007 में, कंपनी ने ₹100 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के सभी अनुबंधों / खरीदों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया। इसके बाद, अधिक अनुबंधों / खरीद को कवर करने के लिए, प्रारंभिक मूल्य को घटाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया है और सीएमओ विभागीय गोदामों में अनुबंधों को संभालने से संबंधित सभी निविदाएं, प्रारंभिक मूल्य के बावजूद, सत्यनिष्ठा संधि के तहत कवर की जाती हैं। सेल के साथ काम करने वाले बोलीदाताओं / ठेकेदारों / एजेंसियों के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के दिशा-निर्देश कंपनी में लागू किए गए हैं और इसे सत्यनिष्ठा समझौते का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सत्यनिष्ठा संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, यदि वे पाए जाते हैं भ्रष्टाचार और रिश्तव्योरी सहित अनैतिक प्रथाओं में शामिल।

समाज में बड़े पैमाने पर नैतिक व्यवहार का प्रचार करने के लिए, 2011 में सेल के मिलाई स्टील प्लांट के स्कूलों में एथिक्स क्लबों का गठन किया गया था। नैतिकता क्लबों के माध्यम से ईमानदारी, अखंडता, जिम्मेदारी, करुणा, एकता और देशभक्ति आदि के मूल मूल्यों को शामिल करते हुए मूल्य शिक्षा। पाठ्येतर गतिविधि के रूप में है। राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती में सेल की अन्य टाउनशिप के स्कूल जल्द ही आंदोलन में शामिल हो गए और आज, सेल में एथिक्स क्लब के सदस्यों की संख्या हजारों में है। 11 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों के लिए क्लब की सदस्यता स्वेच्छिक है। क्लब के सदस्यों को यंग चैंपियंस ऑफ एथिक्स के रूप में नामित किया गया है। सेल का मानना है कि कम उम्र में नैतिकता के युवा चैंपियंस में आत्मसात किए गए नैतिक मूल्यों से आने वाले वर्षों में नैतिक रूप से स्थायी विकास होगा।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया था?

सेल विजिलेंस में 2020-21 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग और इस्पात मंत्रालय द्वारा संदर्भित शिकायतों सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 794 शिकायतें प्राप्त हुई। कंपनी में अपनाई गई मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों आदि के अनुसार शिकायतों की जांच की गई और इन शिकायतों में पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ प्रणालीगत सुधारों सहित नियमों के अनुसार कार्रवाई की सलाह दी गई और प्रबंधन द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई। कार्यान्वयन के लिए। इसलिए, यह माना जा सकता है कि प्रचलित प्रक्रिया के

अनुसार लगभग 100: शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया था।

सिद्धांत 2रू व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें

1. अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय सरोकार, जोखिम और / या अवसर शामिल हैं।

(प) सेल मफ्ट थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) रीबार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) निर्माण की बड़ी हुई सुरक्षा के लिए बेहतर लचीलापन के साथ उच्च शक्ति का अनुठा संयोजन प्रदान करते हैं। भूकंप और अन्य भूकंपीय उथल-पुथल की स्थिति में किसी भी विनाशकारी विफलताओं के बिना उपज बिंदु से परे तनावग्रस्त होने पर मफ्टमइंटे अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं।

(पप) मौसम प्रतिरोधी संरचनाएं, प्लेट और हॉट रोल्ड कॉइल सिविल निर्माण जैसे रेल/सड़क पुलों, बांधों और फ्लाई-ओवरों, रेलवे वेगनों/कोचों, भंडारण टैंकों/कंटेनरों और वास्तुशिल्प भवनों की सहायक संरचनाओं को जंग संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करते हैं और निर्माण। इन स्टील्स के उपयोग को शामिल करने वाले डिजाइन के परिणामस्वरूप पेंटिंग / सतह के उपचार के साथ-साथ जीवनकाल के दौरान कम रखरखाव के कारण निर्माण समय और लागत कम हो जाती है।

(पपप) फायर रेसिस्टेंट स्टील (थे) स्ट्रक्चर्स आग लगने की स्थिति में सिविल और कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को उनकी फ्लेक्सुरल और टेन्साइल स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। एफआरएस स्टील स्ट्रक्चर्स का उपयोग पारंपरिक अग्नि सुरक्षा विधियों जैसे अग्नि सुरक्षा कोटिंग, आग प्रतिरोधी पैकिंग / इन्सुलेशन आदि की तुलना में एक सस्ता विकल्प प्रदान करता है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल, आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

प) संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी

Consumption per unit of production in SAIL	Current Year	Previous year
Specific Water conservation (m ³ /TCS)	3.37	3.50
Particulate Matter Emission Load (Kg/TCS)	0.63	0.68
Coke Rate (kg/THM)	449	457

पप) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कमी हासिल की गई है?

जानकारी उपलब्ध नहीं है।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के स्थान पर प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

सेल ने कोयले को छोड़कर प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति अपनी निजी खानों से की है। सेल की कैप्टिव खानों से नियमित आपूर्ति के अलावा, कुछ प्रमुख इनपुट सामग्री जैसे कोकिंग कोल, फ्लक्स (चूना पत्थर, डोलोमाइट), आदि को या तो प्रतिस्पर्धी खरीद या स्थापित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) संयंत्रों और इकाइयों के आईएसओ-14000 प्रमाणीकरण के साथ मौजूद है। कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खानों और बंदरगाहों से संयंत्रों तक सभी कच्चे माल का परिवहन मुख्य रूप से रेल के माध्यम से किया जाता है। प्रतिस्पर्धी खरीद की सुव्यवस्थित प्रणाली और प्रक्रियाएं कंपनी की आवश्यकता की स्थायी सोर्सिंग को सुदृढ़ करती हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से कुछ श्रेणियों की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है। भारत सरकार की श्रेष्ठ इन्डिया नीति के अनुसार स्थानीय खरीद पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख संयंत्रों में स्थानीय स्तर की नीति होती है जो स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सक्षम बनाती है, जिसमें महिला समिति / समाज, स्वयं जैसे समुदाय शामिल हैं।

संयंत्र स्थानों के आसपास के क्षेत्र में सहायता समूह (एसएचजी), आदि। सेल संयंत्रों द्वारा समय-समय पर विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता निर्माण में मदद करते हैं। इसके अलावा, संयंत्र/इकाइयां जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीद रही हैं, जहां एमएसई को सूचीबद्ध किया गया है और भारत सरकार की नीति के अनुसार खरीद वरीयता दी गई है।

- क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हाँ, तो उत्पादों और कचरे के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है? (अलग से 55, 5-10, 10-10)। साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

सेल प्लांट्स और यूनिट्स 4टे (रिड्यूस्, रिकवर, रीसाइकिल और रीयूज) के सिद्धांत के आवेदन के माध्यम से मिल स्केल, स्लैग, ग्रीप डस्ट, वेस्ट रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स आदि जैसे विभिन्न ठोस कचरे के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट उत्पादन की दिशा में लौह धातुमल और इस्पात धातुमल दो प्रमुख योगदानकर्ता हैं। सीमेंट उद्योग के लिए फीड सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए लावा दानेदार संयंत्रों के माध्यम से लौह धातुमल को संसाधित किया जाता है। दूसरी ओर, बीओएफ स्लैग का उपयोग सिंटर बनाने के माध्यम से पुनर्चक्रण करके और ब्लास्ट फर्नेस में लोहे के निर्माण के लिए चूना पत्थर के विकल्प के रूप में सीमित सीमा तक किया जा सकता है। इसके अलावा, बीओएफ स्लैग का उपयोग सड़क निर्माण में और संयंत्र परिसर के अंदर रेल ट्रैक रोड़े के रूप में भी किया जाता है। 2020-21 के दौरान, लगभग 99: बीएफ स्लैग और 61.8: बीओएफ स्लैग का उपयोग किया गया।

इनके अलावा, मिल स्केल और लाइम/डोलो फाइन जैसे ठोस कचरे को पूरी तरह से सिंटर बनाने के माध्यम से पुनर्जीनीकरण किया जाता है और अपशिष्ट अपवर्तक ईंटों को बाहरी एजेंसियों को बेचने या आंतरिक रूप से पुनरुपयोग के माध्यम से पूरी तरह से उपयोग किया जाता है।

2020-21 के दौरान, 90: ठोस कचरे के उपयोग में से, लगभग 24: ठोस कचरे को लोहे और स्टील बनाने में आंतरिक रूप से पुनरुपयोग / पुनरुपयोग किया गया। इसके अलावा, कोक ओवन गैस, बीएफ गैस और बीओएफ गैस जैसे उप-उत्पाद गैसों को विभिन्न प्रक्रियाओं में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

सिद्धांत 3रू व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए

- कृपया सेल में कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।
1 अप्रैल, 2021 को सेल में कर्मचारियों की कुल संख्या 65564 (कार्यकारी 10782; गैर-कार्यकारी 54782)
- कृपया कुल संख्या बताएं। अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या।
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार, सेल संयंत्रों/इकाइयों में लगे ठेका श्रमिकों की संख्या 60876
- कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।
1 अप्रैल, 2021 को, सेल में स्थायी महिला कर्मचारी 3828 (कार्यकारी 898; गैर-कार्यकारी 2930)
- कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।
1 अप्रैल, 2021 को कुल सं. सेल संयंत्रों/इकाइयों में विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 731 (कार्यकारी 133; गैर-कार्यकारी 598)
- क्या आपका कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?
गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के बहुमत वाले ट्रेड यूनियनों को मान्यता संयंत्र/इकाई स्तर पर प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत की जाती है। शीर्ष स्तर पर, इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस), एक द्विदलीय मंच जिसमें पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस और बीएमएस और मुख्य संयंत्रों के मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधि, सभी गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। कार्यकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व उनके संयंत्रों/इकाइयों के संबंधित अधिकारी संघों (ओए) द्वारा किया जाता है जो सेल में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था स्टील एक्जीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसईएफआई) से संबद्ध हैं।
- आपके स्थायी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?
सेल के लगभग सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियनों या अधिकारी संघों के सदस्य हैं।
- कृपया बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या को अंतिम में इंगित करें

Category	No. of complaints filed during the Financial 2020-21	No. of complaints pending at the end of the Financial Year
Child/Forced/Involuntary Labour	Nil	Nil
Sexual Harassment	7	2
Discriminatory Employment	Nil	Nil

- पिछले वर्ष में आपके निम्न उल्लिखित कर्मचारियों के प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली के तहत संगठन में अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन किया जाता है। प्रत्येक कार्यकारी को बेहतर तरीके से कर्तव्यों में मदद करने के लिए प्रबंधन को प्रशिक्षण के बारे में सूचित करने के लिए कहा जाता है।

महिला कर्मचारियों और विकलांग कर्मचारियों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (तकनीकी / प्रबंधकीय / कार्यात्मक) प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान 36,563 नियमित कर्मचारियों को सुरक्षा सहित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। सेल वर्तमान आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने की प्रक्रिया में है, जिसमें संविदा कर्मचारी विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। 100: संविदा कर्मियों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाता है जो संयंत्र परिसर में प्रवेश के लिए गेट पास जारी करने के लिए अनिवार्य है। संविदा कर्मियों के कार्य-स्थल पर कार्य के दौरान उनके कौशल उन्नयन पर भी ध्यान दिया जाता है।

सिद्धांत 4रू व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

- क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है? हाँ
- उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान की है?
हितधारकों को सुविधा प्रदान करने या लाभ प्रदान करने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
- क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं।

कंपनी द्वारा की गई कुछ विशेष पहल इस प्रकार हैं:

प) आदिवासियों की भावी पीढ़ियों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास में, लगभग 600 आदिवासी बच्चों को एक अनुकूल माहौल में रहने, रहने, पौष्टिक और पौष्टिक भोजन, कपड़े, मुफ्त चिकित्सा उपचार, खेल और सांस्कृतिक अवसरों के साथ मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। बोकारो, सारंडा सुवन छत्रवास, किरिबुरु, आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर अयस्क खान में ज्ञानज्योति योजना के तहत ज्ञानोदय चतरावास, भिलाई और बसपा स्कूल राजहरा, बिरहोर (विलुप्त होने के करीब एक जनजाति)।

पप) किरिबुरु खान में स्थापित एकलव्य तीरंदाजी अकादमी, पड़ोसी आदिवासी बेल्ट के 21 युवाओं (9 लड़कियों और 12 लड़कों) को खेल मंच प्रदान कर रही है, जो कठोर शॉर्डन रिकर्व तीरंदाजी कोचिंग से निरु शुल्क गुजर रहे हैं। आरएमडी उन्हें खेल कोचिंग के साथ-साथ मुफ्त स्कूली शिक्षा, छात्रावास, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कैडेटों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपनी ताकत साबित करने के साथ-साथ अकादमी का नाम रोशन किया है।

(पपप) स्वयं को एक घरेलू वातावरण प्रदान करने और सम्मान और सम्मान के जीवन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, 34 वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन सुविधाओं के साथ 20 पूर्ण सुसज्जित कमरों में सियान सदन में ठहराया गया है। भिलाई स्टील प्लांट इन बुजुर्गों के कल्याण और मनोरंजन के लिए दैनिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, भजन संध्या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सव समारोहों की व्यवस्था कर रहा है।

सिद्धांत 5रू व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

- क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक फैली हुई है?

कंपनी के पास एक घोषित मानवाधिकार नीति नहीं है। हालाँकि, अधिकांश पहलुओं को कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता के साथ-साथ विभिन्न मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं में शामिल किया गया है।

- पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल किया गया था?

2020-21 के दौरान हितधारकों से 16 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का समाधान 2020-21 के दौरान किया गया।

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए

1. क्या संबंधित सिद्धांत 6 की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ और अन्य तक फैली हुई है?

सेल में नीति और रणनीति तैयार करना कंपनी के विजन और क्रेडो द्वारा निर्देशित एक अच्छी तरह से संरचित प्रक्रिया है। सेल के दृष्टिकोण, रणनीतियों और नीतियों में स्थिरता के तत्व निहित हैं। नीतियों की टोकरी में गुणवत्ता, पर्यावरण, सुरक्षा आदि शामिल हैं, जिसमें स्थिरता की अवधारणाएं भी शामिल हैं। संयंत्र स्तर पर मानव संसाधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, संचार, रखरखाव, टाउनशिप, ऊर्जा प्रबंधन और सामाजिक जवाबदेही आदि की नीतियां भी सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देती हैं।

कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति स्वच्छ और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से, अपनी सभी गतिविधियों में ध्वनि पर्यावरण प्रथाओं के माध्यम से संयंत्रों और खानों में और उसके आसपास एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण बनाए रखने की पुष्टि करती है; खनन किए गए भू-दृश्यों और परित्यक्त स्थलों को पारिस्थितिक रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए। नीति एक मजबूत ऑडिट तंत्र और एक पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण के प्रदर्शन की नियमित निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित करने और उत्सर्जन, निर्वहन और परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और डेटा को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

आईएसओ 14001 मानकों से जुड़ी एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, जो अनिवार्य रूप से एक स्वैच्छिक पहल है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया है। इस प्रणाली को अपनाने के माध्यम से, सेल हितधारकों की चिंताओं को दूर करता है।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति/पहल है? लक्ष्य। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हां। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, सेल ने प्रौद्योगिकी उन्नयन, कच्चे माल की अच्छी गुणवत्ता की सोर्सिंग, नई प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की रेट्रोफिटिंग, मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों में सुधार आदि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन सभी के माध्यम से स्वच्छ और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष जोर देने के प्रयासों के साथ, सेल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2.3: की कमी हासिल की है। इसके अलावा, यह एक सतत प्रक्रिया है।

सेल का इरादा अपने मौजूदा जैविक संसाधनों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की क्षमता का आकलन करना है। राउरकेला स्टील प्लांट की साइट पर वनीकरण के माध्यम से कार्बन जब्दी पर एक परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 2020 उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ उत्पन्न कार्बन को सिस्टम में वापस लाना है। मार्च, 2020 में पूरी हुई इस परियोजना ने कंपनी को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बेहतर प्रबंधन में मदद की है।

सेल ने सतत विकास नीति भी अपनाई है और पिछले दस वर्षों से ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (जीआरआई) दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.sail.co.in) के कॉर्पोरेट नागरिकता अनुभाग में उपलब्ध है।

जलवायु परिवर्तन/ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कंपनी की रणनीति/पहल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए हाइपरलिंक हैरू [www.sail.co.in](#) / पाल.को. इन/एन/पेज/क्लाइमेट-एक्शन-इंडिया-क्लाइमेट-चेंज-सेल।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान करती है और उसका आकलन करती है? लक्ष्य।

हां। कंपनी ने उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति अपनाई है और संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र भी स्थापित किया है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में उपलब्ध कराएं। साथ ही, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है।

वर्तमान में, कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? लक्ष्य। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हां। सेल ने इस दौरान ऊर्जा कुशल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ-साथ नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों को पहले ही लागू कर दिया है

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम। ऐसी कुछ प्रमुख स्वच्छ प्रौद्योगिकियां

हैं: कोक ड्राई क्लिंग प्लांट (सीडीसीपी) के साथ लम्बे कोक ओवन बैटरी, टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) और पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) सिस्टम के साथ बड़े ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर से हीट रिकवरी सुविधा के साथ सिंटर प्लांट रोलिंग मिलों में कूलर, वॉकिंग बीम सीहीटिंग फर्नेस, बिजली उत्पादन के लिए गैस से चलने वाले बॉयलर आदि।

समय के साथ, सेल संयंत्रों, खानों और इसके आसपास के गांवों/क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है। निम्नलिखित परियोजनाएं हाल के वर्षों में पहले ही लागू की जा चुकी हैं

आरएसपी में ग्राउंड माउंटेड 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट।

संयंत्रों और इकाइयों में विभिन्न भवनों पर 3 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा इकाइयां।

इसके अलावा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं

ओडिशा लिमिटेड (जीईडीसीओएल) के ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम पहल के तहत मंदिरा बांध, आरएसपी में 10 मेगावाट हाइड्रल पावर प्लांट।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के तहत विभिन्न भवनों पर 6.195 मेगावाट की रूफ-टॉप सौर इकाइयां, जिसमें एमएनआरई द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 25: पूंजीगत व्यय का योगदान दिया जाएगा। प्रस्ताव चरण-द्वितीय अनुमोदन के अधीन है।

विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में ग्राउंड माउंटेड 242 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापना।

जैसे कि जल चक्र / पंपिंग / मद / चंहरम / बसपउंजम-बजपवद-पदकप-बसपउंजम-बौदहम-पस बताया गया है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा-दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के अनुप्रयोग की पहल को हाइपरलिंक में संदर्भित किया जा सकता है।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जा रहा है?

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा सेल संयंत्रों और खानों को पंचालन की सहमति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पंचालन की सहमति में निर्धारित शर्तों के अनुसार, वायु उत्सर्जन और अपशिष्ट निर्वहन गुणवत्ता के लिए लागू मानदंडों का अधिकतर अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, उत्पन्न विभिन्न कचरे को मौजूदा दिशा-निर्देशों/नियमों के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संभाला और निपटाया जाता है। इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट भी नियमित आधार पर सीपीसीबी/एसपीसीबी को रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) शर्तों के संबंध में छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट एमओईएफ और सीसी को प्रस्तुत की गई है और हितधारकों के मूल्यांकन के लिए सेल के वेब पोर्टल पर भी अपलोड की गई है।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि के लिए समाधान नहीं किया गया)।

पांच दिशा-निर्देश, बीएसपी, डीएसपी और आरएसपी को एक-एक और सीएफपी द्वारा उनके संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से दो और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से बीएसएल को प्राप्त एक निर्देश और एमओईएफ और सीसी से आईएसपी द्वारा प्राप्त एक कारण बताओ नोटिस 31 मार्च, 2021 को आंशिक रूप से अनुपालन किया गया है। संबंधित अधिकारियों के परामर्श से समयबद्ध कार्य योजनाएं बनाई गई हैं और निर्देशों में निर्धारित शर्तों का अधिकतर अनुपालन किया गया है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चॉबर्स या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है।

कंपनी का सदस्य हैरू

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चॉबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिकवी)
2. सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
3. इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए)
4. वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) और इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम (आईएसएसएफ)
5. पीएचडी चॉबर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसीआई)
6. इंडियन आयरन चॉबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पिब्वे)
7. सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच (डब्ल्यूआईपीएस)
8. अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)

9. इंडो-यूएसएसआर चॉबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आईयूसीसीआई)

10. सार्वजनिक उद्यम संस्थान (आईपीई)

11. ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान (टैरी)

12. उत्पादकता विज्ञान का विश्व परिसंघ (वैबे)

13. भारतीय धातु संस्थान (आईआईएम)

14. परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी)

15. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स (पिच)

16. रेल परिवहन संस्थान (आईआरटी)

17. परियोजना प्रबंधन सहयोगी (पीएमए)

18. इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर रिकल काउंसिल (रैबे)

19. इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी)

2. क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत की है/पैरवी की है? हाँ नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य) नहीं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कंपनी के पास निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण।

हाँ, सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का पर्याय है। स्टील के निर्माण के व्यवसाय के अलावा, कंपनी का उद्देश्य उन तरीकों से व्यवसाय करना है जो उन समुदायों को लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं जिनमें यह संचालित होता है। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर समाज पर उसके व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के साथ शुरू होता है।

लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के मूल सिद्धांत और सिद्धांत के साथ, सेल शुरू से ही सीएसआर पहलों की संरचना और कार्यान्वयन करता रहा है। इन प्रयासों ने तत्कालीन अस्पष्ट गांवों को देखा है, जहाँ सेल संयंत्र स्थित है, आज औद्योगिक केंद्र बन गए हैं।

सेल की सीएसआर पहल शकंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर नियम, 2014 और कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021, सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों जैसी प्रचलित विधियों के अनुरूप की जाती है। सेल सीएसआर परियोजनाओं को और उसके आसपास करता है। मॉडल स्टील विलेज (एमएसवी) के रखरखाव, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, शिक्षा, पानी की सुविधाओं तक पहुंच सहित ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश भर में इस्पात टाउनशिप, खान और दूर-दराज के स्थान, सड़क किनारे वृक्षारोपण, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सतत आय सृजन, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को सहायता, खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएँ इन-हाउस टीम/स्वयं की नींव/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से शुरू की गई हैं?

सीएसआर पर बोर्ड की उप समिति के मार्गदर्शन में, सेल की अनुमोदित वार्षिक योजना में सूचीबद्ध सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके या किसी उपयुक्त बाहरी एजेंसी के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों/विशेष एजेंसियों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों और कंपनी की सीएसआर नीति के प्रावधानों के अनुसार समितियाँ।

चूंकि सीएसआर परियोजनाएँ लंबी अवधि/निरंतर प्रकृति की हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मध्याह्न भोजन, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) आदि के माध्यम से टिकाऊ आजीविका सृजन, कुछ परियोजनाएँ विशेषज्ञता के आधार पर विशेष एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। उनके पास उपलब्ध है जैसे भिलाई और राउरकेला में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन परियोजना, ग्राम विकास के सहयोग से राउरकेला के पश्चिमी गांवों में व्यापक जल और स्वच्छता परियोजना, झारकाण्ड के माध्यम से बोकारो में सतत आजीविका उत्पादन परियोजनाएँ और विभिन्न संयंत्र / इकाई में विभिन्न परियोजनाएँ राम कृष्ण मिशन, आदि के माध्यम से स्थान।

उन मामलों को छोड़कर जहाँ एक विशिष्ट सीएसआर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

एक विशिष्ट एजेंसी द्वारा शुरू की गई परियोजना, मजबूत साख और ट्रैक रिकॉर्ड वाले बाहरी कार्यान्वयन भागीदार की पहचान सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए की जाती है, जैसा कि शकंपनी अधिनियम, 2013 में

परिभाषित किया गया है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?

सेल में, प्रत्येक संयंत्र/इकाई में वरिष्ठ ईडी/जीएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जो संबंधित संयंत्र/यूनिट द्वारा सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने की सिफारिश करती है। यही समिति इन परियोजनाओं की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करती है और साथ ही शुरू की गई सीएसआर पहलों से प्राप्त सामाजिक लाभों का लेखा-जोखा करती है।

कंपनी के सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पहलों का प्रभाव मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा भी पूर्व में बाहरी पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से किया गया है।

इसके अलावा, सेल के पास सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी के तहत शुरू की गई गतिविधियों/पहलों की निगरानी के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र है।

सीएसआर पर बोर्ड की उप-समिति नियमित आधार पर सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों की समीक्षा/निगरानी करती है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि आईएनआर में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण?

कंपनी के अधिनियम, 2013 के सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी का कम से कम 2: आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 से सीएसआर बजट आवंटन और व्यय इस प्रकार हैं इस प्रकार है

विशेष सीएसआर बजट के अलावा, कंपनी सेल संयंत्रों / इकाइयों के पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाले गैर-सेल आबादी को मुफ्त या बहुत मामूली लागत पर सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सालाना 350 करोड़ रुपये खर्च करती है, जैसे कि (रेगिडर)

Year	CSR Allocation	CSR Expenditure
2018-19	30.00	31.18
2019-20	33.00	27.56
2020-21	50.00	47.18

स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल उपलब्धता, खेल कोचिंग, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि।

सेल के संयंत्र/इकाइयों ज्यादातर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ बहुसंख्यक वंचित, कमजोर, हाशिए पर रहने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का निवास है। ऐसी आबादी के उत्थान के लिए, सेल ने पश्चिमी पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 79 आदर्श इस्पात गांवों का विकास किया है और इनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है। इसके अलावा, सेल ने 6 आकांक्षी जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की हैं, अर्थात् छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और रांची; इन आकांक्षी जिलों में भौतिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास प्रदान करना है।

की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है

सेल ने अपने संयंत्रों, इकाइयों, खानों और टाउनशिप में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया है। सेल ने रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से कोविड -19 का मुकाबला करने में भारत सरकार की भागीदारी के प्रयास में देश के विभिन्न राज्यों को 83000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (स्ड) की आपूर्ति की है।

सेल संयंत्रों ने समर्पित पाइपलाइनों के माध्यम से सीधे संयंत्रों से गैसीय ऑक्सीजन से सुसज्जित जंबो कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना की है। इसको स्टील प्लांट, बर्नपुर में 10 वेंटिलेटर और 8 आईसीयू बेड के साथ 200 बिस्तरों वाली कोविड देखभाल सुविधा; दुर्गापुर स्टील प्लांट में 200 बिस्तरों वाली कोविड केयर अस्पताल; भिलाई इस्पात संयंत्र में 114 बिस्तरों वाली कोविड देखभाल सुविधा; राउरकेला स्टील प्लांट में 50 वेंटिलेटर-संलग्न बिस्तरों सहित 100 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के साथ इस्पात निदान केंद्र; सेलम स्टील प्लांट के परिसर में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर (ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ) स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, सेल अस्पतालों ने चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए 900 से अधिक योग्य डॉक्टरों और 1500 पैरा-मेडिकल कर्मचारियों द्वारा संचालित, मामलों में वृद्धि को देखते हुए ऑक्सीजन समर्थन के साथ 1000 समर्पित कोविड -19 बेड और वेंटिलेटर समर्थन के साथ 129 आईसीयू बेड निर्धारित किए हैं। 600 बिस्तरों वाली संगरोध सुविधाएं बनाई और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय में आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू-एनएटी जैसी कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं विकसित कीं। टच-फ्री हैंड-सैनिटाइज़र, वाटर डिस्पेंसर लगाए गए हैं, कीटाणुनाशक का छिड़काव, प्रमुख स्थानों पर डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर का उपयोग करते हुए, सभी पश्चिमी गांवों में निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।

जिला अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और अपने कर्मचारियों की मदद से सेल सक्रिय रूप से लॉकडाउन नियमों, सामाजिक दूरियों के मानदंडों और कोविड-19 वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के प्रभावी उपयोग को लागू कर रहा है। इस्पात संयंत्रों और इकाइयों के परिधीय क्षेत्रों में।

समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए, दैनिक वेतन भोगी/मजदूर, गरीब किसान और उनके परिवार, जो लॉकडाउन के दौरान घटते संसाधनों के साथ रह गए हैं, सेल संयंत्र और इकाइयों, जिला अधिकारियों के माध्यम से सूखा राशन पैकेट वितरित कर रहे हैं (जिसमें शामिल हैं) चावल, दाल, नमक, मसाले, गेहूँ का आटा, साबुन, आदि), दूध के पैकेट, दूध पाउडर, खिचड़ी, नियमित दवाएं, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन आदि। 6000 से अधिक सूखे राशन किट पूरे संयंत्रों में वितरित किए गए हैं। कंपनी और गतिविधि जारी है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिदिन पका भोजन भी परोसा जा रहा है। सेल संयंत्र/इकाइयों भी मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ले जा रही हैं। संयंत्रों के सीएसआर विभाग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से फेस मास्क, गमछा, एप्रन, दरताने आदि की सिलाई और परिधीय क्षेत्रों, जिला अधिकारियों, इस्पात मंत्रालय, पीएमओ को उनके वितरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, सेल ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत (पीएम केयर्स) कोष में 25.00 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया है और मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक के लिए एक करोड़ की दर से 4 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए कोविड-19 कोष।

सामुदायिक जुड़ाव के लिए स्वयंसेवा और पहल प्रदान करने वाले सेल कर्मचारियों खसेवा, को सेल कर्मचारियों द्वारा स्वयंसेवी गतिविधियों और सामुदायिक आउटरीच का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। इसने समान विचारधारा वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी की भावना रखने के लिए एक बहुत ही आवश्यक मंच प्रदान किया है ताकि समाज को कोविड-19 महामारी के नतीजों से निपटने में मदद मिल सके। सर्विस पोर्टल पर 29,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने पंजीकरण कराया है।

स्वास्थ्य सेवारू सेल के व्यापक और विशिष्ट हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 95,000 ग्रामीणों को बुनियादी और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एम्बुलेंस / एमएमयू ने 47,000 से अधिक ग्रामीणों के दरवाजे पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, प्रयोगशाला जांच, दवा, टीकाकरण जैसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं।

सेल 600 सरकारी स्कूलों में लगभग 59,000 छात्रों को स्वस्थ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन और सूखा राशन किट प्रदान कर रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला में और उसके आसपास रोजाना स्कूल।

शिक्षारू शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए, सेल 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी स्टील टाउनशिप के भीतर और बाहर 77 से अधिक स्कूलों का समर्थन कर रहा है। बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए विशेष स्कूल (कल्याण विद्यालय) एकीकृत स्टील प्लांट स्थानों पर मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी, जूते, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ मामलों में परिवहन की सुविधा के तहत चलाए जा रहे हैं। सेल का सीएसआर कार्यक्रम।

सेल की स्थापना से लेकर अब तक सड़कों के निर्माण और मरम्मत से 450 गांवों के 79.03 लाख से अधिक लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। स्थापना के बाद से 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 50 लाख लोगों को पीने के पानी तक आसानी से पहुंचा जा सका है।

2020-21 में 383 ग्रामीण युवाओं और 703 महिला लोगों को औद्योगिक और कृषि तकनीकों, सॉफ्ट स्किल्स, हैंडलूम में व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सशक्त बनाया जा सके। लगभग 600 ग्रामीण युवाओं को विभिन्न आईटीआई में आईटीआई प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

सेल अपनी टाउनशिप में पार्कों, जल निकायों और वनस्पति उद्यानों का रखरखाव कर रहा है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 लाख से अधिक पेड़ों का रोपण और रखरखाव भी किया गया है।

खेल, कला और संस्कृति विभिन्न खेल कोचिंग और कार्यक्रम जैसे। भिलाई,

संवर्धन में सेल खेल मेला; राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में फुटबॉल और कबड्डी में ग्रामीण खेल; तीरंदाजी चैंपियनशिप, खो-खो और महिला क्रिकेट कोचिंग और विभिन्न टूर्नामेंट हर साल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में समझाएं, या तो।

सेल संयंत्रों/इकाइयों ने हमेशा अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से अनौपचारिक हितधारकों की भागीदारी की है। यह अभ्यास उनकी जरूरतों, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता की पहचान करने में सहायता करता है। आवश्यकता के अनुसार दिन-प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए बहु-हितधारकों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक मोड स्थापित किया गया है। परिधीय गांवों के लिए, स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ आम तौर पर औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से बातचीत की जाती है जब कभी परिधीय विकास गतिविधियों के संबंध में आवश्यकता होती है। सेल संयंत्रों/इकाइयों में पी . के लिए एक अच्छी तरह से संरचित संगठनात्मक तंत्र मौजूद है

समेकित तुलन-पत्र

31 मार्च, 2021 के अनुसार

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-V

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
परिसंपत्ति			
गैर-चालू परिसंपत्ति			
(क) परिसंपत्ति, संयन्त्र और उपकरण	4	64133.48	65384.47
(ख) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	5	8880.63	8753.33
(ग) संपत्ति उपयोग का अधिकार	4a	2054.21	2205.08
(घ) निवेश संपत्ति	6	1.09	1.12
(ङ) अमूर्त संपत्ति	7	1429.38	1443.61
(च) इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए निवेश किया जाता है		3297.56	3107.27
(छ) इन्वेंट्री	7a	4236.26	-
(ज) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	8	144.70	133.12
(ii) व्यापार प्राप्य	9	0.90	0.92
(iii) ऋण	10	756.99	665.28
(iv) अन्य वित्तीय संपत्ति	11	336.25	448.58
(झ) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	12	-	2022.17
(ञ) चालू कर संपत्ति (शुद्ध)	13	-	217.56
(ट) अन्य गैर-चालू संपत्ति	14	1572.65	1483.92
		87061.66	85802.18
चालू सम्पत्ति			
(क) निवेश	15	15334.17	23836.27
(ख) वित्तीय सम्पत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	16	7153.70	8844.73
(ii) नगद और नकद समकक्ष	17 (i)	518.28	190.54
(iii) अन्य बैंक बैलेंस	17 (ii)	278.07	254.48
(iv) ऋण	18	50.47	49.67
(v) अन्य वित्तीय सम्पत्ति	19	2478.32	2189.25
(ग) अन्य चालू सम्पत्ति	20	6354.19	5733.32
		32167.20	41098.26
बिक्री के लिए वर्गीकृत सम्पत्ति	21	17.01	27.20
कुल सम्पत्ति		119245.87	126927.64
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	4130.53	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	41275.69	37379.70
(ग) गैर-नियंत्रित ब्याज		0.01	0.01
		45406.23	41510.24
देयताएं			
गैर-मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	19726.03	34560.03
(ii) व्यापार देय	25	-	-
(क) सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया और छोटे उद्यम		-	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की तुलना में लेनदारों की बकाया कुल अन्य राशि		4.10	10.70
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	1304.08	1368.51
(ख) प्रावधान	27	4533.75	4115.81
(ग) स्थागित कर देनदारियां (शुद्ध)	12	1334.08	-
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियां	28	439.97	397.51
		27342.01	40452.56
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	15850.24	16640.78
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों का कुल बकाया और छोटे उद्यम		103.57	47.99
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की तुलना में लेनदारों की बकाया कुल अन्य राशि		6911.43	6274.38
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	14023.78	13740.89
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	32	7555.15	5724.06
(ग) प्रावधान	33	2041.40	2357.24
(घ) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	34	12.06	179.50
		46497.63	44964.84
कुल इक्विटी और देयताएं		119245.87	126927.64

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

साथ के नोट इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों का अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021
एम नं. 010905

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

लाभ और हानि का समेकित विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
आय			
परिचाल से राजस्व	35	69113.61	61664.16
अन्य आय	36	860.67	905.79
कुल आय		69974.28	62569.95
व्यय			
उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	37	23213.59	29371.73
तैयार माल, अर्धनिर्मित माल तथा सह-उत्पादों की इनवेंटरियों में परिवर्तन	38	4276.64	(5577.63)
कर्मचारी लाभ व्यय	39	10461.05	8797.32
वित्तीय व्यय	40	2817.15	3486.76
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		4102.78	3755.73
अन्य व्यय	41	18423.59	18857.02
कुल व्यय		63294.80	58690.93
अपवादित वस्तुओं से पहले लाभ, इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए निवेश के शुद्ध लाभ का हिस्सा और कर		6679.48	3879.02
इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए निवेश में लाभ का हिस्सा और कर		467.74	194.32
अपवादित वस्तुओं से पहले लाभ		7147.22	4073.34
घटाएं : अपवादित मद	41a	(58.43)	771.76
कर से पहले लाभ		7205.65	3301.58
कर व्यय			
वर्तमान कर		16.35	229.79
अस्थगित कर		3041.17	951.08
कुल कर व्यय		3057.52	1180.87
वर्ष के लिए लाभ		4148.13	2120.71
अन्य व्यापक आय			
क (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जायेगा। परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी साधनों में निवेश से लाभ और हानि		355.96	(196.50)
		16.67	16.60
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी		(93.25)	62.48
ख (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा इक्विटी विधि का उपयोग करने के लिए सहयोग और संयुक्त उद्यमों के ओसीआई का हिस्सा		(118.48)	143.45
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा		-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		160.90	26.03
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		4309.03	2146.74
मालिकों को देय लाभ			
मूल स्वामी		4148.13	2120.71
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		4148.13	2120.71
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)			
मूल स्वामी		4309.03	2146.74
अनियंत्रित ब्याज		-	-
		4309.03	2146.74
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)		4130525289	4130525289
मूल और हल्की आय प्रति शेयर (₹)	41b	10.04	5.13

 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
 संलग्नक नोट समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

 हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
 कंपनी सचिव

 हस्ता/-
अमित सेन
 निदेशक वित्त
 डीआईएन: 08602987

 हस्ता/-
सोमा मंडल
 अध्यक्ष
 डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलपी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण सं. 002228C

 हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
 भागीदार

 हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
 भागीदार
 एम. नं. 062410

 हस्ता/-
नीरज शर्मा
 भागीदार
 एम. नं. 502103

 हस्ता/-
भरत गोयल
 भागीदार
 एम. नं. 060069

 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 10 जून, 2021

इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को बैलेंस	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को बैलेंस
वोटिंग अधिकार सहित इक्विटी शेयर	4130.41	0.01	4130.42
वोटिंग अधिकार रहित इक्विटी शेयर	0.12	(0.01)	0.11
कुल	4130.53	-	4130.53

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को बैलेंस	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को बैलेंस
वोटिंग अधिकार सहित इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
वोटिंग अधिकार रहित इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	4130.53	-	4130.53

ख अन्य इक्विटी

(₹ करोड़)

	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय-रिजर्व				
	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	सामान्य रिजर्व	बांड मोचन रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	इक्विटी विधि के रूप में किए गए नए निवेश	कुल अन्य इक्विटी	अनियंत्रित व्याज	कुल
1 अप्रैल, 2019 तक शेष राशि	511.94	235.10	5106.32	1994.14	27464.45	56.05	147.62	35515.62	0.01	35515.63
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	2120.71	-	-	2120.71	-	2120.71
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	(130.15)	12.73	143.45	26.03	-	26.03
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1990.56	12.73	143.45	2146.74	-	2146.74
बांड मोचन रिजर्व से स्थानान्तरण	-	-	-	(895.75)	895.75	-	-	-	-	-
बांड मोचन रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-	-	276.63	(276.63)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-	1.42	-	(1.42)	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम में अतिरिक्त निवेश के कारण परिवर्तन (0.27)	-	-	-	-	-	-	-	(0.27)	-	(0.27)
इंड एएस 116 समायोजन	-	-	-	-	(31.95)	-	-	(31.95)	-	(31.95)
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	(206.53)	-	-	(206.53)	-	(206.53)
लाभांश पर कर	-	-	-	-	(43.92)	-	-	(43.92)	-	(43.92)
अनियंत्रित व्याज सहित लेन-देन	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01
31 मार्च, 2020 को बैलेंस	511.67	235.10	5107.74	1375.02	29790.32	68.78	291.07	37379.70	0.01	37379.71
1 अप्रैल, 2020 को बैलेंस	511.67	235.10	5107.74	1375.02	29790.32	68.78	291.07	37379.70	0.01	37379.71
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	4148.13	-	-	4148.13	-	4148.13
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	266.50	12.88	(118.48)	160.90	-	160.90
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	-	4414.63	12.88	(118.48)	4309.03	-	4309.03
बांड मोचन रिजर्व से स्थानान्तरण	-	-	-	(290.87)	290.87	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-	1.19	-	(1.19)	-	-	-	-	-
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता के साथ लेन-देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	(413.05)	-	-	(413.05)	-	(413.05)
अनियंत्रित व्याज सहित लेन-देन	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01
31 मार्च, 2021 तक शेष राशि	511.67	235.10	5108.93	1084.15	34081.59	81.66	172.59	41275.69	0.01	41275.70

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

3

संलग्नक नोट समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
एम.बी. बालाकृष्णन
कंपनी सचिव

हस्ता/-
अमित सेन
निदेशक वित्त
डीआईएन: 08602987

हस्ता/-
सोमा मंडल
अध्यक्ष
डीआईएन: 06845389

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते तेज राज एंड पाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 304124E

कृते एस. जयकिशन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 309005E

कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013

कृते केएसजी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002228C

हस्ता/-
पी. वेणुगोपाल राव
भागीदार
एम नं. 010905

हस्ता/-
रितेश अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 062410

हस्ता/-
नीरज शर्मा
भागीदार
एम. नं. 502103

हस्ता/-
भरत गोयल
भागीदार
एम. नं. 060069

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

समेकित नकदी प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले लाभ	7205.65	3301.58
समायोजन:		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4102.78	3755.73
अचल आस्तियों के निपटान से हानि (शुद्ध)	37.74	49.43
ब्याज से आय	(272.98)	(240.88)
लाभांश से आय	(3.40)	(2.92)
वित्तीय लागतें	2822.62	3387.02
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से अवास्तविक नुकसान/(लाभ)	(5.47)	99.74
गैर-चालू निवेशों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(4.47)	(0.59)
अशोध्य ऋण तथा संदिग्ध अग्रिमों/प्राप्तियों के लिए प्रावधान	92.69	76.12
अन्य प्रावधान	169.31	212.93
संयुक्त उद्यमों से लाभ का हिस्सा	(467.74)	(194.32)
दावा रहित शेष और बट्टाकृत अतिरिक्त प्रावधान	(284.41)	(407.24)
कार्यशील पूंजी से पहले परिचालन लाभ	13392.32	10036.60
आस्तियों तथा देनदारियों में परिवर्तन		
व्यापार प्राप्तियां	1622.56	(4416.24)
ऋण, अन्य वित्तीय आस्तियां तथा अन्य आस्तियां	(680.24)	(110.46)
व्यापार देय-योग्य	686.03	(898.99)
अन्य वित्तीय देनदारियां तथा अन्य देनदारियां	4212.30	(485.81)
प्रावधान	102.10	(137.99)
इनवेंटरी	4121.51	(4511.27)
कार्यशील पूंजी के पश्चात की परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	23456.58	(524.16)
प्रदत्त आयकर (शुद्ध)	(26.21)	(93.51)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	23430.37	(617.67)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयन्त्र और उपकरण की खरीद (चालू कार्य में पूंजी सहित) और अमूर्त	(3672.70)	(4754.36)
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण की खरीद/निपटान से आय	142.98	373.07
चालू तथा गैर-चालू निवेश की खरीद	7.98	6.74
सावधि जमाओं में परिवर्तन (शुद्ध)	(23.59)	(32.37)
प्राप्त ब्याज	129.24	143.48
प्राप्त लाभांश	3.40	2.92
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ख)	(3412.69)	(4260.52)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक उधार से आय (शुद्ध)	(15544.45)	2897.82
अल्पकालिक उधार से आय (शुद्ध)	(790.54)	6009.56
प्रदत्त वित्तीय लागत	(2941.90)	(3653.78)
प्रदत्त लाभांश	(413.05)	(250.45)
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	(19689.94)	5003.15
घ. नकदी और नकदी समकक्षों में वृद्धि (क+ख+ग)	327.74	124.96
वर्ष के शुरु में नकदी तथा नकदी समकक्ष	190.54	65.58
वर्ष के अन्त में नकदी तथा नकदी समकक्ष	518.28	190.54

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गैर-नकदी परिवर्तन निम्नानुसार हैं :
(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2020 को	नकदी प्रवाह	उचित मूल्य परिवर्तन	चालू/गैर-चालू वर्गीकरण	31 मार्च, 2021 को
उधार-गैर चालू	34560.03	(15476.40)	2493.55	(1851.22)	19725.96
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	2602.40	(2602.40)	-	1851.22	1851.22
वर्तमान उधार	16640.78	(480.26)	(310.28)	-	15850.24
वित्तीय लागत		(3047.86)	105.78		

नकदी प्रवाह विवरण इंड एस-7 में दी गई अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।

संलग्नक नोट इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हस्ता/- एम.बी. बालाकृष्णन कंपनी सचिव	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ता/- अमित सेन निदेशक वित्त डीआईएन: 08602987 हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार	हस्ता/- सोमा मंडल अध्यक्ष डीआईएन: 06845389
कृते तेज राज एंड पाल चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 304124E	कृते एस. जयकिशन चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 309005E	कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013
हस्ता/- पी. वेणुगोपाल राव भागीदार एम. नं. 010905	हस्ता/- रितेश अग्रवाल भागीदार एम. नं. 062410	हस्ता/- नीरज शर्मा भागीदार एम. नं. 502103
कृते केएसजी एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 002228C		हस्ता/- भरत गोयल भागीदार एम. नं. 060069

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

1. कारपोरेट सूचना

परिचालन का स्वरूप

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ("सेल" या "मूल कम्पनी"), सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है इसे और इसकी सहायक कंपनियों (मूल कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियाँ मिलकर "समूह" कहलाती हैं) को, भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी मुख्य रूप से देश में इस्पात निर्माण व्यवसाय में लगे हुए हैं।

सामान्य जानकारी और इंड एसएस के रूप में अनुपालन के विवरण

समूह और इसके संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी इकाइयों के समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तहत परिभाषित भारतीय लेखा मानकों (इंड एसएस) के अनुसार तैयार किया गया है। समूह और इसके संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी इकाइयों ने इस अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को 10 जून, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित और जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

ए) समग्र विवेचन

समेकित वित्तीय विवरणों को लेखा नीतियों और माप आधारित सारांश का उपयोग करके तैयार किया गया है जो प्रस्तुत की गई अवधि के दौरान समान रूप से लागू किया गया था :

तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को गोइंग कंसर्न आधार पर निम्नलिखित आस्तियों तथा देनदारियों, जिन्हें प्रासंगिक इंड एसएस की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित मूल्य पर मापा गया है, तैयार किया गया है :

- कुछ वित्तीय देनदारियों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर स्वीकृत किया गया है,
- बिक्री के लिए धारित आस्तियों को, वहन राशि के निम्न पर तथा बिक्री की लागत को कम करके उचित मूल्य पर लिया गया है,
- परिभाषित लाभ योजना प्लान की गई आस्तियों को उचित मूल्य पर मापा गया है।

समेकन का आधार

सहायक

संस्थाओं में वे सभी इकाइयाँ (संरचित निकाय सहित) शामिल हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी इकाई को तब नियंत्रित करता है जब समूह इसके एक्सपोज में होता है या इकाई में अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील रिटर्न पर उसके पास अधिकार होता है और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहयोगी कंपनी को उस तिथि से पूरी तरह समेकित किया माना जाता है जिस तिथि पर नियंत्रण, समूह को हस्तांतरित किया जाता है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से इन्हें अलग कर दिया जाता है। इस अवधि के दौरान अधिग्रहित या निस्तारित सहयोगी कंपनी के लाभ/हानि (नुकसान) और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अधिग्रहण की प्रभावी तिथि से या लागू होने पर निपटान की प्रभावी तिथि तक मान्यता प्राप्त है। सभी समेकित सहयोगी कंपनियों की सुसंगत रिपोर्टिंग तिथि 31 मार्च, 2021 है। समूह, मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की आस्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ जोड़कर, वित्तीय विवरणों को लाइन के आधार पर समेकित करता है। समूह की कम्पनियों के बीच लेन-देन पर अंतः-कंपनी लेन-देन, शेष और लेन-देनों पर वसूल न हुए लाभ को समाप्त कर दिया जाता है। हस्तांतरित आस्ति की हानि का जब तक लेन-देन द्वारा प्रमाण नहीं दिया जाता है तब तक हुए अवास्तविक नुकसान को भी समाप्त कर दिया जाता है। जहाँ समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है वहाँ सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को भी बदल दिया गया है।

गैर-नियंत्रण वाले हित जिन्हें इक्विटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया

गया है और जो लाभ और हानि तथा शुद्ध आस्ति के सहायक कंपनी के विवरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, को समूह द्वारा धारित नहीं किया जाता है। लाभ/(हानि) और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितों हेतु जिम्मेदार ठहराया जाता है भले ही इससे गैर-नियंत्रण वाले हितों में घाटे का शेष हो। समूह, सहायक कंपनियों की सकल व्यापक आय या हानि को मूल मालिकों और उनके संबंधित स्वामित्व हितों के आधार पर गैर-नियंत्रित हितों का श्रेय देता है।

समूह गैर-नियंत्रित हितों वाले उन लेन-देन को, जिनके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है, समूह के इक्विटी स्वामियों के साथ लेन-देन मानता है। स्वामित्व हित और गैर-नियंत्रित हितों के बीच ऐसे परिवर्तन का परिणाम, नियंत्रित वहन राशि और गैर-नियंत्रित हितों के मध्य समायोजन के रूप में होता है ताकि सहायक कंपनी में उनसे संबंधित हितों को प्रतिबिंबित किया जा सके। गैर-नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान किए गए या प्राप्त किसी भी प्रतिफल के बीच, अंतर को इक्विटी के अंदर मान्यता दी जाती है।

सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट्स

ऐसी संस्थाओं में जिनमें निवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है परंतु इक्विटी पद्धति के तहत नियंत्रित हित नहीं है, का लेखांकन इक्विटी विधि के तहत अर्थात् निवेश को शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है, अधिग्रहण के समय उत्पन्न होने वाली किसी भी सद्भावना/पूजी रिजर्व की पहचान, यथास्थिति की जाती है जो निवेश में अंतर्निहित होगी। निवेश की वहन राशि को तत्पश्चात निवेशकर्ता की शुद्ध आस्ति के हिस्से में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाता है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में, निवेशी परिचालन के परिणामों में समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाना जाता है। समूह और सहयोगियों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ को, इन संस्थाओं के समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त परिचालन या संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण, संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के स्थान पर, प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

- संयुक्त उद्यम – संयुक्त उद्यम में, शुरुआत में लागत पर मान्यता देने के बाद, हितों का लेखांकन, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। निवेश की वहन राशि तत्पश्चात निवेशकर्ता की निवल आस्ति की हिस्सेदारी में अधिग्रहण, परिवर्तन के बाद समायोजित की जाती है, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाता है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में, निवेशकों के परिचालन के परिणामों के रूप में समूह का हिस्सा शामिल है। संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्य लाभांश निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। समूह और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ को इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है।
- संयुक्त परिचालन – समूह संयुक्त परिचालन की आस्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों के लिए अपने प्रत्यक्ष अधिकार और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई आस्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्ययों में अपने शेयर को मान्यता देता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षक के तहत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

जब किसी इक्विटी-लेखांकित निवेश में समूह के नुकसान का हिस्सा बराबर या संस्था में उसके हित से अधिक हो जाता है जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियाँ भी शामिल होती हैं तो समूह आगे के नुकसान को मान्य नहीं करता है बशर्त कि उसने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या अन्य संस्थाओं को भुगतान नहीं किया है।

बी) व्यापार संयोजन

समूह व्यापार संयोजन के लेखांकन में अधिग्रहण विधि को लागू करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना, अधिग्रहण तिथि पर हस्तांतरित आस्तियों के

उचित मूल्यों और समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है जिसमें किसी भी आस्ति देयता का आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था से उत्पन्न उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण लागत को व्यय के रूप में लिया जाता है।

व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहण की गई पहचान योग्य आस्तियों और देनदारियों तथा आकस्मिक देनदारियों को, अधिग्रहण-तिथि पर आरंभ में उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

सदभावना को प्रारंभिक रूप से लागत पर मापा जाता है जो हस्तांतरित प्रतिफल और गैर-नियंत्रित हितों तथा पिछले धारित हितों के लिए मान्यता प्राप्त राशि के अतिरिक्त होती है तथा यह अर्जित शुद्ध पहचान की गई आस्तियों और धारित देयताओं से अधिक होती है। यदि अर्जित की गई शुद्ध आस्तियों का उचित मूल्य, हस्तांतरित कुल प्रतिफल से अधिक है तो लेन-देन की खरीद के परिणामस्वरूप लाभ को ओसीआई की मान्यता प्राप्त है और पूंजी रिजर्व के रूप में इक्विटी में जमा होता है। हालांकि, यदि लेन-देन की खरीद का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है तो इकाई इसे ओसीआई के माध्यम से प्रस्तुत किए बिना ही संस्था लाभ को सीधे ही पूंजी रिजर्व के रूप में इक्विटी में मान्यता दे देती है।

जहां नकदी के किसी भी हिस्से के निपटान को स्थगित कर दिया जाता है तो भविष्य में देय राशि को विनिमय की तारीख के अनुसार, उसके वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंट किया जाता है। समूह की वृद्धिशील उधार दर में उपयोग की जाने वाली डिस्काउंट दर, वह दर होती है जिस दर पर तुलनात्मक शर्तों और नियमों के तहत, किसी स्वतंत्र फाइनेंसर से, वही उधार प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक प्रतिफल को या तो इक्विटी या वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत राशि को बाद में, उचित मूल्य में परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता देने के लिए, फिर से मापा जाता है।

सामूहिक नियंत्रण वाले व्यवसाय संयोजनों वाली संस्थाओं या व्यवसायों का लेखांकन, हितों के नियंत्रण की पूर्ण विधि के द्वारा किया जाता है। संयोजी संस्थाओं की आस्तियों और देनदारियों को उनकी वहन राशि पर परिलक्षित किया जाता है। लेखांकन नीतियों में सामंजस्य बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों को छोड़कर, उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने या किसी भी नई आस्ति या देनदारी को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

सी) चालू बनाम-चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में आस्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत किया गया है। किसी भी आस्ति को तभी चालू आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब :

- सामान्य परिचालन चक्र में वसूल किये या बेचे या उपभोग किए जाने की संभावना हो।
- मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा गया हो।
- समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर वसूल किए जाने की आशा हो, या
- नकदी या नकदी समकक्ष जब तक कि विनिमय किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी भी देयता को चालू देयता के तौर पर तब वर्गीकृत किया जाता है जब :

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की संभावना है
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखा जाता है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर देय होनी तय है या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र, उपकरण हेतु आस्तियों के अधिग्रहण और नकदी तथा नकदी समकक्षों में उनकी वसूली के बीच कम समय है। अस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को गैर-चालू आस्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण को भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किया गया है जो समूह

की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा नहीं कहा गया हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को करोड़ ₹, में, निकटतम दो दशमलव तक में पूर्ण किया गया है।

2.2 अनुमानों और प्रबंधन निर्णय का उपयोग

इंड एस तथा समूह के लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को उन अनुमानों और मान्यताओं को तैयार करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार रिपोर्ट की गई राजस्व, व्ययों, आस्तियों की राशि और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों का प्रकटीकरण करते हैं। निर्णयों, अनुमानों तथा निहित अवधारणों की समीक्षा ऑनगोइंग आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधन को उत्तरव्यापी प्रभावी से मान्यता दी जाती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है।

3.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और मापन

किसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को आस्ति की मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना हो कि उससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ समूह को आगे बढ़ायेगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती हो। मान्यता का यह सिद्धान्त सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को अधिग्रहित करने के लिए प्रारम्भिक लागत पर प्रयुक्त किया जाता है। उत्पादन और/या माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु धारण की गई सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों को बैलेंस शीट में लागत पर दिया जाता है जिसमें से बाद में संचित किसी भी मूल्यह्रास और निर्बलता नुकसान को कम किया जाता है। आस्ति, संयंत्र और अर्जित उपकरण के नकदी मूल्य के समान इनकी प्रारंभिक लागत में, इनका खरीद मूल्य शामिल है जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद-कर, आस्तियों को उनके अभिप्रेत कार्य-प्रयोजन में लाने हेतु इनको कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष जिम्मेदार लागत और कोई भी बाध्यकारी गैर कमीशनिंग लागत का वर्तमान मूल्य इसमें शामिल है।

निर्मित आस्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपरिचयों का आवंटन, परीक्षण व्यय (शुद्ध राजस्व) सहित प्रत्यक्ष प्रभारित उधार लागत शामिल हैं।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन और प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या इससे अधिक मूल्य वाले पुर्जों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित शीर्षकों के तहत पंजीकृत किया जाता है। जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में विभिन्न उपयोगी जीवनकाल वाले प्रमुख घटक शामिल हों तो इन घटकों को अलग मदों के रूप में रखा जाता है।

उत्पादन हेतु निर्माण और/या वस्तुओं या सेवाओं या प्रशासनिक उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए निर्माण के दौरान प्रयोग हेतु आस्ति या अभी तक परिभाषित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए, लागत में से मान्य निर्बलता हानि घटाकर कैरिड एट कॉस्ट हैं, पूंजीगत कार्य प्रगति में शामिल है। इस बिंदु पर जब कोई आस्ति प्रबंधन के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है तो निर्माण की लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसी आस्ति की स्थापना से जुड़ी लागत को तब पंजीकृत किया जाता है जहां आस्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है परंतु स्थापना की अवधि के सामान्य स्तर तक पूरा न होने के कारण परिचालन में अक्षम होती है।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निपटान करने पर या उस आस्ति के जारी उपयोग से किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति से प्राप्त किसी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय तथा आस्ति की वहन राशि के बीच के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

3.1.2 बाद की लागत

बाद के व्यय को आस्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में या अलग आस्ति के रूप में, जैसा उचित हो, केवल तभी पहचाना जाता है जब इस बात की संभावना हो कि होने वाले व्यय से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ, समूह में प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। बदली गई मद (ओं) की वहन राशि को गैर मान्य किया

जाना है।

यदि यह संभावित है कि भविष्य में लागत के होने वाले आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे तो रु 50 लाख या इससे अधिक की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की किसी भी मरम्मत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है। बदली गई मद (औ) की वहन राशि को गैर मान्य किया जाना है।

3.2 निवेश सम्पत्तियाँ

निवेश आस्तियाँ वे आस्तियाँ हैं जिन्हें किराए की आय और/या पूंजीगत वृद्धि के लिए धारण किया जाता है। निवेशित संपत्तियों को आरंभ में लेन-देन की लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेशित आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यहास और निर्बलता हानियों को कम करके दिया जाता है। निवेश संपत्ति के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.3 मूल्यहास

मूर्त आस्ति और निवेश आस्ति पर मूल्यहास सीधे लाइन विधि के आधार पर प्रदान किया जाता है जिसमें आस्तियों के उपयोगी जीवन पर, आस्ति के 5% के अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया जाता है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में निर्दिष्ट किया गया है सिवाय जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जीवन को परिभाषित किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा माना गया उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

आस्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन(वर्षों में)
फैक्ट्री भवन	35 से 40
संयंत्र तथा मशीनरी	10 से 40
जल आपूर्ति एवं सीवरेंज	25 से 40
रेलवे लाइन एवं साइडिंग्स	35 से 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, इन आस्तियों के वर्गों के लिए, समूह का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर समूह इन आस्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, इन आस्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची दृष्ट के भाग सी के तहत परिभाषित उपयोगी जीवन से अलग हैं।

फ्री होल्ड भूमि का मूल्यहास नहीं किया गया है।

प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यहास/परिशोधन योग्य आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा, प्रत्याशित आधार पर किसी भी बदलाव के प्रभाव के साथ, की जाती है।

जहां किसी मूल्यहासित आस्ति की ऐतिहासिक लागत किसी परिवर्तन से गुजरती है तो आस्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर संशोधित परिशोधित मूल्यहास राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान वर्धित/विलोपित आस्ति पर मूल्यहास आनुपातिक आधार पर, वर्धित/विलोपित महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। रु. 5000/- तक की लागत वाली आस्तियों को उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहासित किया जाता है जिसमें उन्हें उपयोग में लगाया जाता है।

पूँजीगत पुर्जों पर मूल्यहास, पुर्जों के उपयोगी जीवन या मूल आस्ति की पुनः मूल्यांकित शेष उपयोगी अवधि, जो भी कम हो, पर प्रदान किया जाता है।

3.4 अमूर्त आस्तियाँ

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त आस्तियों के रूप में माना जाता है और इसकी सभी संबंधित लागतों को वाणिज्यिक बहाली योग्य रिजर्व से उत्पादन की इकाई के उपयोग के आधार पर परिशोधित किया जाता है। यदि खनन अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो गैर-नवीकरण के निर्णय वाले वर्ष में, लागत से संबंधित शेष राशि को राजस्व में लिया जाता है।

अधिग्रहण लागत अर्थात लाइसेंस के अधिग्रहण से जुड़ी लागत और संबंधित पेशेवर शुल्क सहित दोहन के अधिकार, वैधानिक वन की कलीरेंस हेतु भुगतान, जब कभी किया जाता है, को खनन अधिकार के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त आस्तियाँ

अन्य अमूर्त आस्तियों को लाभ की प्रत्याभात अवधि पर सरल-रेखा विधि से परिशोधित किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, उसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है और पांच साल या

इसकी लाइसेंस अवधि, जो भी कम हो, में परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो और संबंधित आस्ति और प्रक्रिया को समूह अनुसंधान द्वारा पहचाना और नियंत्रित किया जा सके तथा अन्य विकास व्ययों को, जब कभी किया जाता है, राजस्व व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3.4.1 बाद की लागत

बाद की लागत बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह भविष्य में होने वाले उन आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जो इससे संबंधित आस्ति में होता है। अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

3.4.2 अमूर्त आस्तियों की अमान्यता

किसी अमूर्त आस्ति को निस्तारण, या जब उसके उपयोग या निस्तारण से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो तो अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निस्तारण वसूली तथा वहन राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है और इसे आस्ति के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में रखा जाता है।

3.5 स्ट्रिपिंग लागत

यदि ऐसी लागत भावी अवधि में अयस्क तक पहुँच हेतु बेहतर संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्न मानदंड पूरे करती हैं तो किसी सतह खान के उत्पादन चरण के दौरान की गई स्ट्रिपिंग लागत को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है:

- यह संभावित है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भावी आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक पहुँच में सुधार) से इकाई को प्रवाह होगा।
- इकाई, अयस्क निकाय के उस घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुँच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुँच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

वह व्यय, जिसे अयस्क तक पहुँचने के लिए विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सकता, जिसे कोलियरियों को छोड़कर, जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित होती है, खदानों की 5 साल की खनन योजना के अनुसार स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर राजस्व को प्रभाषित किया जाता है।

3.6 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

समूचे संयंत्र की आस्तियों को नकदी-उत्पादक इकाई (सीजीयू) मानकर, समूह प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, निर्बलता संकेत का पता लगाने के उद्देश्य से, यदि कोई है, अपनी आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है जो शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोगी मूल्य में से जो भी अधिक हो, होता है। जब कभी किसी आस्ति की वहन राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो निर्बलता हानि को मान्यता दी जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संकेत प्राप्त हो रहा है कि पूर्व की मान्य हानियां अब नहीं हैं या कम हो गयी हैं, तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर आकलन किया जाता है। यदि ऐसा संकेत उपस्थित है तो समूह आस्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का आकलन करता है। पूर्व की मान्य निर्बल हानि को केवल तभी पलटा जा सकता है जब अन्तिम निर्बल हानि की पहचान होने के समय से आस्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने में प्रयुक्त आकलन में कोई परिवर्तन हुआ हो।

3.7 उधार लागतें

उधार लागतें, अहर्क आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार होती हैं जिनमें काफी समय लगता है, इन्हें उस आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में, समूह अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है, जिस अवधि को इसे पूरा करने और उपयोग के लिए तैयार करना आवश्यक होता है।

समूह बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त समय अवधि मानता है।

लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेन-देन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों के कार्यकाल में परिशोधित की जाती है। अन्य उधार-लागतों को, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें यह व्यय की जाती है।

3.8 इन्वेंटरी

कच्चा माल, स्टोर और पुर्जे और तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद (संसाधित स्क्रैप सहित) को न्यूनतम लागत और संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की मदों की लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से निम्न मूल्य पर लिया जाता है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर-मूवीनग मदों के मामले में, आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं और राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं। अर्ध-तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जिनका केवल निर्मित चरण में ही वसूली योग्य मूल्य है, का अनुमान लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

मध्यस्थ सह-उत्पाद, अवशिष्ट उत्पाद और अन्य स्क्रैप को अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर लिया जाता है।

लागत परिभाषित करने के आधार निम्न है:

कच्चे माल — आवधिक भारत औसत लागत

छोटा कच्चा माल — परिवर्तनीय पारित औसत लागत

स्टोर और पुर्जे — परिवर्तनीय पारित औसत लागत

सामग्री-पारगमन — लागत पर

तैयार/अर्ध-तैयार उत्पादों की खरीद लागत, परिवर्तन की लागत एवं अन्य लागतों के उचित हिस्से सहित उनकी संबंधित वर्तमान स्थिति तथा दशा में लाने में विनिर्माण उपरिव्यय। — सामग्री की लागत और श्रम का उचित हिस्सा, संबंधित उपरिव्यय और शुल्क।

3.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि समूह, उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदान को लाभ-हानि विवरण में, अवधियों के दौरान व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें समूह उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देता है जिनके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान, किसी आस्ति के मूल्य से संबंधित है, इसे अस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है और आस्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधन किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिससे ऐसे अनुदान संबंधित हैं/कवर करने के लिए व्यय किए जाते हैं।

जहां समूह को गैर-मौद्रिक शुद्ध अनुदान प्राप्त होता है, आस्ति और अनुदान को उचित राशि में सकल दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित आस्ति के लाभ की खपत के अपेक्षित उपयोगी जीवन और पैटर्न पर आय विवरण जारी किया जाता है।

3.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेनदेन की तारीख में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेन-देन को समूह की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में मूल्य-निर्धारित विदेशी मुद्रा को रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में मौजूदा दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक मदों को अवधि समाप्ति पर पुनः परिवर्तन मापा नहीं जाता है और उन्हें ऐतिहासिक लागत पर, (लेन-देन की तारीख में विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है), उचित मूल्य पर मापी जाने वाली गैर-मौद्रिक मदों को छोड़कर, मापा जाता है जिन्हें विनिमय दरों का उपयोग करके उस तारीख पर परिवर्तित किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया गया था।

समूह ने 31 मार्च, 2009 (यथा संशोधित 29 दिसंबर, 2011) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक -11 से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम 2009 के अनुरूप लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन हेतु चुना जो इंड एसएस 101 के अनुसार, 31 मार्च, 2016 तक की सभी पहले से मौजूद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के लिए जारी रहेगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 से पूर्व विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, मूल्यहास योग्य अचल आस्तियों के लिए दीर्घकालीन मौद्रिक मदों से संबंधित विनिमय दरों के अंतरों से उत्पन्न समायोजन के लिए पंजीकृत किया जाता है। 31 मार्च, 2016 के बाद लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, दीर्घकालीन मौद्रिक मदों के समायोजन या ट्रांसलेशन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य मौद्रिक मदों के री-ट्रांसलेशन या समायोजन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.11 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित योगदान योजना नियुक्ति के पश्चात की वह लाभ योजना है जिसके तहत समूह एक अलग इकाई में निश्चित योगदान का भुगतान करता है। परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को तब व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है जब कर्मचारियों ने योगदान पात्रता हेतु सेवा प्रदान की है। भविष्य निधि के लिए योगदान उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है जब निधि से योगदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएं, लाभ की वह राशि है जो किसी कर्मचारी को, सेवा अवधि की लंबाई के संदर्भ में, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के संदर्भ में, सेवाओं के पूरा होने पर प्राप्त होगी। ऐसे किसी भी लाभ के लिए कानूनी और/या रचनात्मक दायित्व समूह के पास रहता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त दायित्व, रिपोर्टिंग तारीख पर परिभाषित लाभ दायित्वों (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जिसमें से गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ या हानियां तथा पिछली सेवा लागतों के समायोजन के साथ-साथ योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य कम किया जाता है। प्रबंधन अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किसी स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से डीबीओ के सालाना मूल्य का अनुमान लगाता है। लाभ और हानि विवरण में या वर्ष की अन्य व्यापक आय में बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं।

पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, आस्ति की अधिकतम सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजनागत आस्तियों (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न, उस वर्ष की बैलेंस शीट में, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त प्रभाव या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है जिस अवधि में वे घटित होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्य पुनः माप को बरकरार रखी गई आय में तुरंत परिलक्षित किया जाता है और इन्हें लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में कर्मचारियों की लागतें, जैसे कि वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक अवकाश और बीमारी अवकाश शामिल होते हैं जो उस वर्ष में अर्जित होते हैं जिसमें संबंधित सेवाएं समूह के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवाओं के बदले में अपेक्षित लाभ की अघोधित मात्रा पर मापा जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को लाभ और हानि विवरण में तुरंत प्रभारित किया जाता है।

3.12 राजस्व मान्यता

यह समूह अनेक प्रकार के स्टील एवं अन्य उत्पादों का निर्माण तथा बिक्री करता है।

सामानों की बिक्री

बिक्री माल और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतों का शुद्ध मूल्य होती है। बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब यह ग्राहकों को वादा किए गए सामान या सेवाओं (अर्थात् आस्ति) को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। सरकारी एजेंसियों के साथ जहां अनुबंधित कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है वहाँ बिक्री का हिसाब अनंतिम आधार पर किया जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्री को मान्यता :

- लदान बिल का निर्गमन, या
- लेकेन अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिल का पराक्रमण, ऐसे मामलों में जहां शिपमेंट के बिना, संबंधित अनुबंधों के क्रेडिट पत्रों में, प्राप्त मूल्य वसूली प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूल राशि तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज के संदर्भ द्वारा समय अनुपात आधार पर प्राप्त किया जाता है।

लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब इस को प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है।

3.13 पहले की अवधि से संबंधित समायोजन

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के उद्घाटन को पुनः वर्णित किया जाता है।

3.14 तरलता नुकसान और मूल्य वृद्धि के लिए दावे

परिसमापन नुकसान के दावों को मूल कंपनी द्वारा वसूली योग्य माना जाता है। परिसमापन नुकसान के अंतिम निपटारे पर उन्हें पूंजीगत लागत पर समायोजित किया जाता है या यथास्थिति, लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

मूल्य वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के दावों का लेखांकन, उस सीमा तक किया जाता है जैसा कि मूल कंपनी द्वारा दावा स्वीकार किया जाता है।

3.15 पट्टेदार

अनुबंध के प्रारंभ में समूह यह आकलन करता है कि कोई अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है या नहीं, क्या अनुबंध पहचानी गई आस्ति के उपयोग को निर्धारित अवधि में नियंत्रित करने का अधिकार, प्रतिफल के बदले में देता है।

पट्टाधारी के रूप में समूह

समूह बारह महीने या उससे कम के अल्पकालिक पट्टों और उन पट्टों, जिनके लिए अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है, जिन्हें पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर नुकसान लाभ के विवरण में खर्च किया गया है, को छोड़कर, पट्टा प्रारंभ होने की तिथि पर उपयोग की जाने वाली आस्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देता है। आस्ति के उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मापा जाता है जिसमें पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जिसे किसी भी पट्टे के भुगतान की तिथि को या इसके आरंभ की तिथि से पहले समायोजित किया जाता है जिसमें व्यय की गई कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित आस्ति को हटाने और अंतर्निहित आस्ति या उस साइट को, जिस पर वह स्थित है, बहाल करने पर होने वाले व्यय को जोड़ा तथा प्राप्त कोई भी लीज प्रोत्साहन को कम किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली आस्ति को बाद में सीधी लाइन विधि द्वारा, इसके उपयोग के आरंभिक समय से लेकर आस्ति के उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक, अवमूल्यित किया जाता है। कुछ निश्चित लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल होते हैं। आस्ति के अधिकार-उपयोग और पट्टे की देनदारियों के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह उचित रूप से निश्चित होता है कि उनका उपयोग किया जाएगा। उपयोग करने के अधिकार वाली आस्ति की उपयोगी जीवन अवधि का अनुमान, आस्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकार वाली आस्ति की समय-समय पर निर्बलता संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और निर्बलता के नुकसान से कमी, यदि कोई हो, की जाती है और पट्टे दायित्व के पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिन्हें प्रारंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित ब्याज दर के आधार पर डिस्काउंट या यदि यह दर आसानी से परिभाषित नहीं की जा सकती है तो समूह की वृद्धिशील उधार दर पर किया जाता है।

पट्टे की देयता को प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब किसी इंडेक्स या दर में बदलाव से भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि समूह के अनुमान में अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि के बदलाव की संभावना है या यदि समूह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का उपयोग करेगा या नहीं, इसका मूल्यांकन करता है तो इसे पुनः मापा जाता है।

जब पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है तो आस्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि में संगत समायोजन किया जाता है या आस्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य तक कम हो गई है तो लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

पट्टादाता के रूप में समूह

वित्तीय पट्टा

ऐसे पट्टे जो पट्टेधारक को, पट्टों की मदों के स्वामित्व को काफी हद तक

सभी जोखिमों और प्रासंगिक अवार्ड को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करते हैं उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत और लेखांकित किया जाता है। पट्टे के किराए की रसीदों को वित्तीय आय और रिटर्न की स्पष्ट दर के आधार पर पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन पट्टे

ऐसे पट्टे जो पट्टेधारक को, पट्टों की मदों के स्वामित्व को काफी हद तक सभी जोखिमों और प्रासंगिक अवार्ड को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित नहीं करते हैं उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित पट्टे की आस्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है। किराये की आय को पट्टे की अवधि के आधार पर, सीधी लाइन के आधार पर मान्यता दी जाती है सिवाय इसके जहां किराए में परिभाषित वृद्धि समूह को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ प्रतिस्थापित करती है।

3.16 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां

समूह ने गैर-चालू आस्ति को तब बिक्री के लिए रखा हुआ माना है जब यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूली जाएगी। इस स्थिति को केवल तब ही माना जाता है जब आस्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए रखी गई, बंद किए गए परिचालनों सहित गैर-चालू आस्तियों को जिन्हें बिक्री के लिए धारित माना जाता है, को वहन राशियों और उचित मूल्य, घटा बिक्री हेतु लागत में से निम्न, पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

एक बार बिक्री के लिए धारित होने के बाद, आस्ति मूल्यह्रास या परिशोधन के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

बंद किए गए परिचालन की बिक्री या फिर से माप से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल लाइन मद के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

3.17 खदान बंदीकरण

खदान बंद करने के प्रावधान में अवसंरचना का विध्वंस और विध्वंस, शेष अवशिष्ट पदार्थों को हटाना और खदानों के अशांत क्षेत्रों का उपशमन करना शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित है। खदान बंदी की लागतों को उस लेखांकन अवधि में उपलब्ध किया जाता है जब खान बंद करने की लागतें प्रदान की जाती हैं, जब परिचालन और बंदी के बाद जीवन अवधि के दौरान बहाली की अनुमानित भावी लागत के शुद्ध चालू मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होते हैं।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

किसी प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब समूह ने किसी पिछली घटना के परिणाम स्वरूप दायित्व (विधिक या रचनात्मक) प्रस्तुत किया है और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिनके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंट किया जाता है जहां धन का समय-मूल्य भौतिक है। सभी प्रावधानों की सर्वोत्तम उत्कृष्ट अनुमान प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की आशा की जाती है तो प्राप्य को एक अलग आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह आभासी रूप से निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

आकस्मिक देयता पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल किसी एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के समूह या नियंत्रण के अंदर पूरी तरह से नहीं होने वाली घटना या अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले चालू दायित्व से की जाएगी, परंतु इसलिए मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संभव नहीं है कि इस दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां चालू दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के

संभावित बहिर्वाह को असमभव या दूरस्थ माना जाता है तो किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियां

आकस्मिक आस्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभों के अंतः प्रवाह की संभावना को बढ़ावा देती हैं। आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, हालांकि जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है वहाँ प्रकटीकरण किया जाता है।

3.19 आयकर

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में अस्थगित कर और वर्तमान कर का योग शामिल होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जो कर उन वस्तुओं से संबंधित होता है जिन्हें सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में मान्यता प्राप्त होती है, जिस स्थिति में तदनुसार संबंधित कर या तो सीधे ओसीआई में या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

चालू आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि के रूप में मापा जाता है। समूह वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट करता है जब ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उनका उद्देश्य शुद्ध या वसूलीकृत राशि का निपटान एक साथ करना हो।

अस्थगित आयकर की गणना देयता विधि/उपागम का उपयोग करके की जाती है। अस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। अस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इसमें अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध किया जाएगा। अस्थगित कर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि पर की जाती है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो जाता है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से अस्थगित कर आस्ति को पुनःप्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी।

अस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को उस कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की आशा की जाती है जब आस्ति की वसूली होती है या रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या काफी सीमा तक अधिनियमित की गई कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर देयता तय हो जाती है।

जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाने या वसूल करने का इरादा होता है, तो समूह अस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करता है।

3.20 नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में उपलब्ध नकदी और मांग पर जमा, जिसमें अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश और तीन माह या इससे कम की वे मूल परिपक्वताएं, जो कि नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं, शामिल हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

3.21 वित्तीय उपकरण

मान्यता, प्रारंभिक माप और गैर-मान्यता

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह उपकरण के अनुबंधात्मक प्रावधानों के लिए पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन-देन लागतों जो वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं के अर्जन या निर्गमन हेतु सीधे उत्तरदायी हैं, सिवाय उन वित्तीय आस्तियों के जिन्हें प्रारंभ में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों को तब गैर-मान्य किया जाता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध का अधिकार समाप्त हो जाता है या हस्तांतरित कर दिया जाता है और समूह सभी महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व का पुरस्कार हस्तांतरित कर देता है। किसी भी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का भाग) की पहचान तब गैर मान्य की जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व विलुप्त कर दिया जाता है, डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त कर दिया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और उप अनुक्रम माप

उप-अनुक्रम माप के प्रयोजन के लिए, वित्तीय आस्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधन लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्ति (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्ति (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल वाली आस्तियों को छोड़ कर शेष सभी वित्तीय आस्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निर्बलता हानि हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

अमूर्त लागत

यदि निम्न दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो किसी भी वित्तीय आस्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है :

- ए) वित्तीय आस्ति को किसी व्यावसायिक मॉडल के अंदर धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करना है, तथा
- बी) वित्तीय आस्ति के संविदात्मक नियम, नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करते हैं जो मूल रूप से केवल बकाया मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करते हैं।

समूह के नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार और अधिकांश अन्य प्राप्य, वित्तीय उपकरणों की श्रेणी में आते हैं।

एफवीओसीआई पर वित्तीय आस्ति

एफवीओसीआई वित्तीय आस्तियां या तो ऋण उपकरण हैं जिन्हें व्यापार मॉडल में इकट्ठा करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या वे गैर-व्यापारिक इक्विटी उपकरण हैं जो इस श्रेणी के लिए नामित हैं।

एफवीओसीआई वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त ब्याज और लाभान्श आय, निर्बलता हानि और मौद्रिक आस्तियों पर विदेशी विनिमय में अंतर को छोड़कर, अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियां

एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियों में वे वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे व्यापार के लिए धारित इक्विटी उपकरण हैं या जो निश्चित शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में आस्तियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है, एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और उप अनुक्रम माप

वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर बाद में मापा जाता है, व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियों या एफवीटीपीएल में नामित को छोड़कर, जिन्हें बाद में लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि में उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का लेखांकन एफवीटीपीएल पर किया जाता है।

एम्बेडेड डेरीवेटिव्स

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंध में दोनों व्युत्पन्न और एक गैर-व्युत्पन्न घटक होते हैं। ऐसे मामलों में व्युत्पन्न घटक को होस्ट वित्तीय देयता अनुबंध प्रदर्शित करने वाले गैर-व्युत्पन्न घटक वाले एम्बेडेड व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है। यदि एम्बेडेड व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट अनुबंध से घनिष्ठ रूप से संबंधित न हों और अनुबंध को स्वयं एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है तो एम्बेडेड व्युत्पन्न को अलग कर दिया जाता है और लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय आस्तियों/दायित्वों पर शुद्ध लाभ (हानि) में लाभों और हानियों के साथ उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है। होस्ट वित्तीय दायित्व को उचित इंड एस के अनुसार परिकलित किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों की निर्बलता

इंडएस 109 के अनुसार, समूह अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों के

लिए निर्बलता हानि की माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

ईसीएल उन सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच का अंतर है जो अनुबंध के अनुसार समूह के कारण होता है और वे सभी नकदी प्रवाह जो समूह प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। व्यापार प्राप्य के लिए हानि घटत की माप प्रारंभिक मान्यता से प्रत्याशित जीवनकाल हानियों को मान्यता देते हुए सरलीकृत निर्बलता उपागम का उपयोग करके की जाती है। अन्य वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय आस्तियों और हानि जोखिम पर निर्बलता हानि की मान्यता के लिए, समूह यह परिभाषित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्तियों को शुरू में विनिमय की गई राशियों के आधार पर उचित मूल्य पर और बाद में इंडिएएस 109 के अनुसार किसी भी हानि को घटाकर परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि के साथ ऑफसेट किया जाता है, केवल तभी जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या आस्ति की वसूली करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा होता है। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार की सामान्य प्रक्रिया और चूक, दिवाला या दिवालिया की स्थिति, दोनों में लागू होना चाहिए।

3.22 इक्विटी उपकरणों में निवेश

इक्विटी उपकरणों में निवेश को जहां समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर ऐसे उपकरणों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एण्ड एल तक राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.23 सेगमेंट रिपोर्टिंग

समूह के 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं : पांच एकीकृत स्टील संयंत्र और तीन एलाय स्टील संयंत्र, जो अलग-अलग विनिर्माण इकाइयां हैं, इन्हें रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट माना जाता है। इन ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान करने में, प्रबंधन आमतौर पर समूह के अलग-अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण परिचालन में अपने मुख्य संचालन का प्रतिनिधित्व करता है।

इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट को अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को अलग तकनीकों, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतर-सेगमेंट हस्तांतरण को निकटतम कीमतों पर किया जाता है जो समरूप वस्तुओं या सेवाओं के स्टैंडअलोन बिक्री में असंबंधित ग्राहकों को लगाए गए मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट आस्तियां जो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें किसी सेगमेंट को आवंटित नहीं किया जाता है। यह मुख्य रूप से समूह के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन कार्यों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए सेगमेंट में लाभ या हानि को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए गए माप के तरीकों में पूर्व अवधियों से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3.24 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, धारणाएं और अनुमान पट्टे

3.24.1 पट्टे

समूह मूल्यांकन करता है कि क्या व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टे के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। समूह पट्टा अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करता है।

3.24.2 बंदीकरण और बहाली दायित्व

बंदीकरण और बहाली लागतें, खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है और अधिकतर बंदीकरण और बहाली व्यय, खान के बंद होने के बाद के

वर्ष में होते हैं। हालांकि खर्च होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, समूह संभाव्यता एवं भावी लागतों के अतिरिक्त वर्तमान बहाली तकनीक का उपयोग करके अपनी लागत का अनुमान लगाता है।

3.24.3 आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता

आस्थगित कर आस्तियों को किस सीमा तक पहचाना जा सकता है यह समूह की भविष्य की उस कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 इन्वेंटरी

समूह सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरी की लागत का अनुमान लगाता है जैसे कि सामग्रियों की लागत और ऊपरिव्यय जिन्हें वास्तविक उत्पादन लागत सहित ऐसी इन्वेंटरियों को उत्पादन में योगदान हेतु महत्वपूर्ण आदि माना जाता है। प्रबंधन भी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन्वेंटरियों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का अनुमान लगाता है। समूह की गुणवत्ता और इन्वेंटरियों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों और वाणिज्यिक निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन इन्वेंटरियों की वास्तविक प्राप्तियां, भविष्य की तकनीकों या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती हैं जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकते हैं।

3.24.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ-साथ डिस्काउंट दरों में भविष्य में वृद्धि, चिकित्सा लागत के रुझान, भविष्य के वेतन वृद्धि की प्रत्याशा से संबंधित धारणाएं, मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। समूह मानता है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उपयुक्त हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

समूह, वित्तीय उपकरणों (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर-वित्तीय आस्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करता है। इसमें उपकरण की कीमत के लिए बाजार सहभागियों के अनुरूप विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं। समूह की धारणाएं, यथासंभव, अवलोकन डेटा पर अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य, वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर, अलग से लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने के लिए किए गए आकलन को भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) 37, "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों" के अनुसार किया गया है। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने की संभावना को देखते हुए मूल्यांकन हेतु प्रबंधन द्वारा लाभप्रदता के एक्सपोजर के साथ संभावित हानि के बारे में सर्वोत्तम निर्णय को लागू किया जाता है।

3.24.8 खान बंद करने और बहाली की देयताएं

पर्यावरण दायित्व और आस्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ) : पर्यावरणीय देनदारियों और एआरओ के आकलन के लिए, संभाव्यता और भावी लागतों के बारे में धारणाओं के अतिरिक्त, विशिष्ट और कानूनी आंकड़ों की व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.24.9 मूल्यहार/अमूर्त आस्तियां (मूर्त और अमूर्त) का उपयोगी जीवन

प्रबंधन आस्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मूल्यह्रासित/परिशोधन योग्य आस्ति के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता का संबंध वास्तविक सामान्य टूट-फूट से है जो संयंत्र और उपकरणों की उपयोगिता को बदल सकती है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ए. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
- फ्रीहोल्ड भूमि	309.65	49.83	0.11	359.37	0.85	-	0.04	0.81	358.56	308.80
- लीजहोल्ड भूमि	2.16	-	-	2.16	0.25	0.02	-	0.27	1.89	1.91
भवन और संबंधित उपकरण	5225.95	49.51	0.79	5274.67	2079.27	116.00	0.69	2194.58	3080.09	3146.68
संयंत्र और मशीनरी										
- इस्पात संयंत्र	91821.11	2188.55	393.03	93616.63	33556.64	3310.21	256.01	36610.84	57005.79	58264.47
- अन्य — स्वामित्व वाले	3249.84	167.52	35.59	3381.77	2168.67	119.46	31.90	2256.23	1125.54	1081.17
फर्नीचर व फिक्सचर	139.82	3.21	(1.21)	144.24	111.47	5.70	(0.79)	117.96	26.28	28.35
वाहन	1383.66	18.54	5.89	1396.31	937.39	72.16	8.76	1000.79	395.52	446.27
कार्यालय उपकरण	62.19	1.58	1.01	62.76	52.57	1.88	0.79	53.66	9.10	9.62
विविध मर्चे	385.91	13.50	1.52	397.89	248.17	14.68	1.01	261.84	136.05	137.74
सड़कें, पुल और पुलिया	451.26	31.47	0.88	481.85	325.35	30.73	0.82	355.26	126.59	125.91
जल आपूर्ति और सीवरेज	702.20	19.88	0.03	722.05	404.53	24.29	0.02	428.80	293.25	297.67
ईडीपी उपकरण	443.09	12.04	6.23	448.90	384.37	13.19	1.42	396.14	52.76	58.72
रेलवे लाइन और साइडिंग	912.05	121.27	-	1033.32	289.53	25.72	-	315.25	718.07	622.52
उप-जोड़ "ए"	105088.89	2676.90	443.87	107321.92	40559.06	3734.04	300.67	43992.43	63329.49	64529.83
पिछले वर्ष के आंकड़े	95184.60	10704.75	800.46	105088.89	37515.90	3443.39	400.23	40559.06	64529.83	

बी. सामाजिक सुविधाएँ

भूमि										
- फ्रीहोल्ड भूमि	10.89	-	-	10.89	-	-	-	-	10.89	10.89
भूमि और संबंधित उपकरण	819.66	13.99	(0.01)	833.66	397.07	40.39	0.01	437.45	396.21	422.59
संयंत्र और मशीनरी — अन्य	194.75	5.37	0.71	199.41	118.61	7.01	0.36	125.26	74.15	76.14
फर्नीचर व फिक्सचर	26.95	0.57	0.26	27.26	21.78	1.06	0.20	22.64	4.62	5.17
वाहन	10.80	0.32	0.28	10.84	9.39	0.24	0.18	9.45	1.39	1.41
कार्यालय के उपकरण	4.25	0.10	0.03	4.32	3.79	0.10	0.03	3.86	0.46	0.46
विविध मर्चे	239.78	6.72	2.19	244.31	159.38	10.88	1.66	168.60	75.71	80.40
सड़कें, पुल और पुलिया	147.48	2.23	-	149.71	118.39	7.06	-	125.45	24.26	29.09
जल आपूर्ति और सीवरेज	306.59	1.84	0.17	308.26	146.54	7.08	0.15	153.47	154.79	160.05
ईडीपी उपकरण	10.99	0.87	0.18	11.68	9.21	0.63	0.15	9.69	1.99	1.78
उप-जोड़ "बी"	1772.14	32.01	3.81	1800.34	984.16	74.45	2.74	1055.87	744.47	787.98
पिछले वर्ष के आंकड़े	1689.52	96.91	14.29	1772.14	923.63	72.04	11.51	984.16	787.98	

सी. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त आस्ति, संयंत्र और उपकरण

सक्रिय उपयोग सेवानिवृत्त आस्तियाँ	66.66	29.31	36.45	59.52	-	-	-	-	59.52	66.66
पिछले वर्ष के आंकड़े	58.06	28.09	19.49	66.66	-	-	-	-	66.66	
जोड़ ('ए' + 'बी' + 'सी')	106927.69	2738.22	484.13	109181.78	41543.22	3808.49	303.41	45048.30	64133.48	65384.47
पिछले वर्ष के आंकड़े	96932.18	10829.75	834.24	106927.69	38439.53	3515.43	411.74	41543.22	65384.47	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

नोट: पीपीई अमूर्त आस्तियों और निवेश संपत्तियों पर मूल्यहास का आवंटन

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ए) लाभ और हानि खाते को चार्ज	4102.78	3755.73
(बी) निर्माण के दौरान व्यय को चार्ज किया गया	2.77	4.02
	4105.55	3759.75

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण हेतु नोट 48.1 देखें।

(ii) भूमि :

- (ए) इसमें मूल कंपनी के स्वामित्व/कब्जे वाली/पट्टे पर ली गई 66,204.50 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 66.865.29 एकड़) भूमि शामिल है जिसके संबंध में टाइटल/पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लम्बित है।
- (बी) इसमें 34,484.73 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 34,484.73 एकड़) भूमि शामिल है जिसका टाइटल विवादास्पद है।
- (सी) 12,908.72 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 10,664.83 एकड़) भूमि विभिन्न संयुक्त उपक्रमों/केंद्रीय/राजकीय/अर्द्ध-सरकारी प्राधिकरणों को हस्तांतरित/हस्तांतरित किए जाने या को उपलब्ध कराने हेतु सहमत है जिसके संबंध में संज्ञान कार्य निष्पादित/पंजीकृत किए जायेंगे।
- (डी) 6,013.78 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 5,775.25 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व-कर्मचारियों को पट्टे पर दी गई।
- (ई) इसमें अनधिकृत व्यवसाय के लिए 4,542.94 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 4542.94 एकड़) शामिल है।
- (एफ) 1,770.89 एकड़ (31 मार्च, 2020 को 1770.89 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, इसे समझा गया कब्जा माना गया है।
- (जी) रुपये 53.45 करोड़ की जमा राशि पहले से अधिग्रहित भूमि के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास जमा है जो वर्ष 2007 के दौरान भूमि से हटाये गये लोगों को देय मुआवजे के लिए है।
- (एच) भारत के राजपत्र की अधिसूचना (असाधारण) सं. एस.ओ. 1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और सं. एस.ओ. 2484 ई दिनांक 13.10.2012 के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) ने 34.471 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया था।
- (आई) इसमें झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 34.471 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है जिसे राजपत्र अधिसूचना सं. 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 के द्वारा अधिसूचित किया था, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला बोकारो, झारखण्ड द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया जाना शेष है।
- (जे) झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहण के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2009 को गजट अधिसूचना सं. 42 और 43 के द्वारा अधिसूचित 21.13 एकड़ भूमि में 5.51 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है और विवादास्पद है जिसके लिए आरडीसीआईएस-सेल के पक्ष में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया था। शेष फ्रीहोल्ड 15.62 एकड़ भूमि के मुआवजे 13.07 करोड़ को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों में लिया गया है।
- (के) 0.06 करोड़ की राशि वर्ष 2013 के दौरान (पहले से अधिग्रहित भूमि के लिए) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सलेम के पास जमा है।

(iii) अन्य आस्तियाँ :

(क) इसमें 7,906 (31 मार्च, 2020 को 6658) अनधिकृत कब्जे के तहत आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

4ए: उपयोग करने के अधिकार वाली आस्तियाँ

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	वर्ष के दौरान	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
उपयोग करने के अधिकार वाली आस्तियाँ	3853.33	117.86	0.01	3971.18	1648.25	268.72	-	1916.97	2054.21	2205.08
उप-जोड़	3853.33	117.86	0.01	3971.18	1648.25	268.72	-	1916.97	2054.21	2205.08
गत वर्ष के आंकड़े	2662.37	475.66	(715.30)	3853.33	1205.25	210.23	(232.77)	1648.25	2205.08	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
5: पूंजीगत कार्य प्रगति पर				
स्टील संयंत्र और इकाइयाँ	8801.10		8582.81	
टाउनशिप	97.07		86.98	
अयस्क खान और खदान	247.68		330.81	
	9145.85		9000.60	
घटाया: प्रावधान	400.11	8745.74	279.20	8721.40
निर्माण भंडार और स्पेयर्स	139.47		32.44	
घटाया: गैर-चल मंदों के लिए प्रावधान	5.19	134.28	3.29	29.15
निर्माण लंबित आवंटन के दौरान व्यय (नोट 5.1)		0.61		2.78
		8880.63		8753.33

5.1: निर्माण लंबित आवंटन के दौरान व्यय

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
आरंभिक शेष (ए)		2.78		5.29
वर्ष के दौरान किया गया व्यय				
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन और मजदूरी	78.01		72.59	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	3.14		2.47	
यात्रा रियायत	1.39		1.94	
कल्याणकारी व्यय	0.11		0.05	
ग्रेच्युटी	1.14	83.79	3.01	80.06
अन्य व्यय				
तकनीकी सलाहकारों की फीस और जानकारी	1.19		3.03	
बिजली और ईंधन	31.29		68.20	
अन्य व्यय	6.06		2.98	
ब्याज और वित्त चार्ज	549.16		581.68	
मूल्य ह्रास	2.77	590.47	4.02	659.91
		674.26		739.97
घटाया : वसूलियाँ				
अर्जित ब्याज	0.01		0.01	
हायर चार्जेज	0.08		0.16	
विविध	0.25	0.34	0.24	0.41
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय (बी)		673.92		739.56
जोड़ (ए)+(बी)		676.70		744.85
घटाया: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगति पर पूंजीगत कार्य को आवंटित राशि		676.09		742.07
आगे ले जाया गया शेष		0.61		2.78

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

6: संपत्ति निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 तक	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ए. भवन										
भवन	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	1.12
उप-जोड़ 'ए'	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	1.12
गत वर्ष के आँकड़े	1.94	0.12	-	2.06	0.85	0.09	-	0.94	1.12	

(ii) संविदात्मक दायित्व

निवेश आस्ति खरीदने, निर्माण या विकास निवेश के लिए या इसकी मरम्मत, रखरखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(iii) निवेश आस्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
किराये से आय	2.27	2.02
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न होती है*	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिनसे किराये की आय उत्पन्न नहीं होती है*	2.27	2.02
मूल्यहास से पहले निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	0.03	0.09
मूल्यहास	2.24	1.93
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ		

* निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष व्ययों को अलग से पहचाना नहीं जा सकता है और नगण्य होने की आशा है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियों को किरायेदारों को, देय मासिक किराए पर लंबी अवधि के लिए परिचालित पट्टे पर दिया जाता है। निवेश संपत्ति के गैर-रद्द किए जाने वाले पट्टों के तहत प्राप्य न्यूनतम लीज भुगतान निम्नानुसार हैं।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एक वर्ष के अंदर	0.32	0.35
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	2.52	1.85
5 वर्ष के बाद	1.35	4.20
	4.19	6.40

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2021 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 26.71 करोड़ (31 मार्च, 2020 को ₹ 32.15 करोड़) है।

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण, किसी सक्रिय बाजार में समान गुणों वाली संपत्ति की मौजूदा कीमतें हैं। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने पर विचार करती है जिनमें निम्न शामिल हैं:

(ए) किसी सक्रिय बाजार में, विभिन्न प्रकृति वाली संपत्ति का वर्तमान मूल्य या कम सक्रिय बाजारों में समान गुणों वाली संपत्तियों की कीमतें, जिनमें इन अंतरों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपेक्षित समायोजन किया गया है।

बी) भविष्य के नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकदी प्रवाह अनुमान।

सी) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

7: अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास / परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	31 मार्च, 2020 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 तक	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ए. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	116.97	3.61	0.01	120.57	103.60	3.99	(0.11)	107.70	12.87	13.37
खनन अधिकार	1837.08	10.71	-	1847.79	406.92	24.43	-	431.35	1416.44	1430.16
उप-जोड़ 'ए'	1954.05	14.32	0.01	1968.36	510.52	28.42	(0.11)	539.05	1429.31	1443.53
पिछले वर्ष के आंकड़े	1927.65	26.40	-	1954.05	476.53	33.99	-	510.52	1443.53	

बी. सामाजिक सुविधाएं

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	0.08
उप-जोड़ 'बी'	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	0.08
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.62	0.07	-	0.69	0.60	0.01	-	0.61	0.08	
जोड़ ('ए' + 'बी')	1954.74	14.32	0.01	1969.05	511.13	28.43	(0.11)	539.67	1429.38	1443.61
पिछले वर्ष के आंकड़े	1928.27	26.47	-	1954.74	477.13	34.00	-	511.13	1443.61	

*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीगत विकास लागतें आंतरिक रूप से उत्पन्न होने वाली अमूर्त आस्ति होती है।

**सभी परिसोधन प्रभारों के परिवर्तनों को मूल्यहास और परिसोधन व्ययों के अंदर शामिल किया गया है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
7ए: इनवेंटरी-गैर चालू		
स्टोर्स एवं स्पेयर्स	-	-
कच्चा माल		
स्टाइम	140.45	-
अन्य	-	-
निर्मित/अर्द्ध-निर्मित उत्पाद		
लौह अयस्क फाइन (सब-ग्रेड)	3785.39	-
स्लैग डम्प (एम्बेडेड स्कैप)	310.42	-
	4095.81	-
	4236.26	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

8: निवेश-गैर चालू

(₹ करोड़)

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश				
उद्धृत इक्विटी				
एमएसटीसी लिमिटेड	-	640000	-	5.06
			-	5.06
गैर उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल फ्रेज़की रेफेक्ट्रीज लिमिटेड	2203150	2203150	51.35	44.10
इंडियन पोटाश लिमिटेड	720000	720000	88.26	78.84
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लि	5000000	5000000	5.00	5.00
सीमेंट एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	2	2	-	-
रासायनिक और उर्वरक निगम (बिहार) लिमिटेड	1	1	-	-
भिलाई पावर सप्लाय कंपनी लिमिटेड	5	5	-	-
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड	3000000	3000000	3.00	3.00
(परिसमापन के तहत)#				
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	180000	180000	0.18	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य 100/ शेयर)	500	500	0.01	0.01
			147.80	131.13
सहकारी समिति में				
बोकारो इस्पात कर्मचारी सहकारी साख समिति	116500	116500	0.12	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी	250	250	0.00	0.00
एनएमडीसी मेघाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य 100/ शेयर)	25	25	0.00	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य 100/ शेयर)	1377	1377	0.01	0.01
बोलानी अयस्क कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य 25/ शेयर)	200	200	0.00	0.00
इस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य 20/ शेयर)	23000	23000	0.05	0.05
			0.18	0.18
जोड़ (बी)			147.98	136.37
कुल जोड़ (ए+बी)			147.98	136.37
निवेश-मूल्य में हानि का प्रावधान			3.28	3.25
शुद्ध निवेश			144.70	133.12
उद्धृत निवेशों की कुल राशि				
(इनका बाजार मूल्य)			-	5.06
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि			147.98	131.31
निवेश-मूल्य में हानि की सकल राशि			3.28	3.25
			144.70	133.12

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य 10/ है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

* इकाई परिसमापन के तहत है, इसलिए शेयर धारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

संस्था परिसमापन के अधीन है इसलिए मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
--	----------------------	----------------------

9: व्यापार प्राप्त— गैर चालू *

अच्छा माना गया — अप्रतिभूत	0.90	0.92
प्राप्य — क्रेडिट खराब	14.59	14.59
	15.49	15.51
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	14.59	14.59
	0.90	0.92

* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि में शून्य)

10: ऋण—गैर चालू*

अच्छा माना गया—अप्रतिभूत			
प्रतिभूति जमाएं	120.47	116.76	
कर्मचारियों को ऋण	58.98	80.06	
अन्य को ऋण	580.74	760.19	668.48
	760.19	471.66	668.48
घटाया : संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	3.20	3.20	
	756.99		665.28

* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि में शून्य)

इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य मापन के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

11: अन्य वित्तीय आस्तियां — गैर चालू

व्युत्पन्न आस्तियां	190.80	338.21
वसूली योग्य दावे	35.90	8.61
प्राप्य — अन्य	52.70	45.48
लीज समकक्ष रिजर्व	0.95	0.37
कर्मचारियों से प्राप्तियां	0.07	0.07
प्राप्य बिल	58.30	58.30
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	10.53	10.53
घटाया : संबंधित पार्टी के संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	10.53	10.53
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	5.74	5.74
	344.46	456.78
घटाया : संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	8.21	8.20
	336.25	448.58

इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य मापन के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

12: अस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

स्थगित कर देनदारियों वाली मदों का कर प्रभाव			
पुस्तकीय और कर मूल्यहास के बीच का अंतर	6879.52	11486.29	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	31.62	6911.14	27.83
अस्थगित कर आस्तियों वाली वस्तुओं का कर प्रभाव			11514.12
अप्रदत्त कर और शुल्क जिन्हें अदायगी पर स्वीकृत किया जाएगा	874.75	1321.40	
भावी कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजन हेतु उपलब्ध नुकसान	4378.06	10160.54	
अन्य	324.25	5577.06	787.78
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	-	-	12269.72
अस्थगित कर आस्तियां / (देनदारियाँ) (शुद्ध)	(1334.08)		2022.17

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

12: अस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध) (जारी).

31 मार्च, 2021 को समाप्त अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर घाटे के कारण उत्पन्न कर को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: (₹ करोड़)

	31 मार्च, 2020 को	मान्यता प्राप्त लाभ में या हानि	मान्यता प्राप्त अन्य में व्यापक आय	31 मार्च, 2021 को
अस्थगित कर देनदारियों वाली मदों का कर प्रभाव				
पुस्तकीय और कर मूल्यहास के बीच अंतर	11486.29	(4606.77)	-	6879.52
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	27.83	-	3.79	31.62
	11514.12	(4606.77)	3.79	6911.14
अस्थगित कर आस्ति वाली मदों का कर प्रभाव				
अप्रदत्त करों और शुल्कों की भुगतान पर स्वीकृति	1321.40	(446.65)		874.75
भावी कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजन हेतु उपलब्ध नुकसान	10160.54	(5782.48)		4378.06
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1266.57	(1266.57)		-
अन्य	787.78	(374.07)	(89.46)	324.25
	13536.29	(7869.77)	(89.46)	5577.06
अस्थगित कर आस्तियाँ/(देनदारियाँ) (शुद्ध)	2022.17	(3263.00)	(93.25)	(1334.08)

कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को ₹. 17395.33 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹. 29076.64 करोड़) [की संचित व्यावसायिक हानि ₹. 13834.78 करोड़ (गत वर्ष – ₹. 21537.70 करोड़) के संचित गैर-अवशोषित मूल्यहास सहित] हुई है। गैर-अवशोषित हानि ₹. 3560.55 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹. 7538.93 करोड़) हानि होने के आठ वर्ष की अधिकतम अवधि के दौरान समायोजन हेतु उपलब्ध हैं।

तदनुसार, ₹. 896.12 करोड़ के संचित व्यापार घाटे (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य सहित) इंडेएएस 12 के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक मान्यता प्राप्त है।

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
13: चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)		
चालू कर आस्तियाँ		
अग्रिम आयकर (प्रावधान का शुद्ध)	217.56	153.31
	217.56	153.31

14: अन्य आस्तियाँ-गैर चालू

ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	533.98	515.23
अन्यों को अग्रिम	1.18	1.18
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	726.23	688.41
पूर्वप्रदत्त व्यय	13.04	19.14
पूँजीगत अग्रिम	391.49	350.75
घटाया : संदिग्ध पूँजी अग्रिम के लिए प्रावधान	5.34	5.34
	1660.58	1569.37
घटाया : संदिग्ध अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	87.93	85.45
	1572.65	1483.92

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
15: इन्वेंटरिया*		
स्टोर और स्पेयर्स		
उत्पादन	2892.25	3054.46
इंधन स्टोर	212.72	162.03
अन्य	27.75	22.61
	3132.72	3239.10
जोड़ा — इन-ट्रांजिट	241.49	177.67
	3374.21	3416.77
घटाया : गैर प्रचलित/अप्रचलित मदों के लिए प्रावधान	246.45	242.24
	3127.76	3174.53
कच्चा माल		
कच्चा माल**	3168.19	3625.71
जोड़ा — इन-ट्रांजिट	1891.93	1849.98
	5060.12	5475.69
घटाया : अनुपयोगी सामग्रियों के लिए प्रावधान	24.68	27.70
	5035.44	5447.99
तैयार/अर्ध-तैयार उत्पाद		
तैयार माल ***	4213.11	8941.00
कार्य प्रगति पर	2405.96	2481.57
	6619.07	11422.57
अन्य — सह-उत्पाद (उप-ग्रेड फाइन्स)	551.90	3791.18
	15334.17	23836.27
*लेखांकन नीति संख्या 3.8 के अनुसार मूल्य		
**रु. 103.71 करोड़ (गत वर्ष — रु. 234.92 करोड़) के स्लाइम की इन्वेंटरी शामिल		
***रु. 128.21 करोड़ (गत वर्ष — रु. 683.33 करोड़) के स्लैग डम्प में एम्बेडेड लौह एवं इस्पात स्क्रेप की इन्वेंटरी शामिल		
16: व्यापारिक प्राप्य-चालू*		
अच्छा माना गया — अप्रतिभूत	7153.70	8844.73
प्राप्य — क्रेडिट खराब	236.88	207.57
	7390.58	9052.30
संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	236.88	207.57
	7153.70	8844.73
* मूल कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से देय प्राप्य शून्य है (पिछले वर्ष की अवधि में भी शून्य)		
नोट 43 का संदर्भ लें — प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए वित्तीय लिखत		
17 (i): नकदी और नकदी समकक्ष		
उपलब्ध नकदी और टिकट	0.08	0.10
उपलब्ध चेक	5.48	-
बैंकों में जमा		
चालू खाता	35.73	170.91
3 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	476.97	19.51
3 महीने तक की मूल परिपक्वता वाली, अदालत के आदेशों के अनुसार सावधि जमा	0.02	0.02
	512.72	190.44
	518.28	190.54
17 (ii): अन्य बैंक जमाएं		
परिभाषित बैंक शेष	207.84	205.16
अप्रदत्त लाभांश खाते	4.11	4.66
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम समय की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाएं	66.12	44.66
	278.07	254.48

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
18: ऋण—चालू*		
अच्छा माना गया – अप्रतिभूत		
प्रतिभूत जमाएं	14.05	11.17
कर्मचारियों को ऋण	33.11	31.48
संबंधित पक्षों को ऋण	2.80	5.60
अन्यों को ऋण	2.31	2.86
ऋण—क्रेडिट खराब	-	-
	52.27	51.11
घटाया : संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	1.80	1.44
	50.47	49.67
* मूल कंपनी के निदेशकों से देय प्राप्तियां शून्य (पिछले वर्ष की अवधि में शून्य)		
19: अन्य वित्तीय आस्तियां – चालू		
व्युत्पन्न आस्तियां	63.60	83.59
वसूली योग्य दावे	746.61	654.76
प्राप्य—अन्य	472.15	412.55
कर्मचारियों से प्राप्तियां	5.03	17.45
ग्रेज्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि	454.73	313.21
प्राप्य बिल	1014.84	1012.80
संबंधित पक्षों को अग्रिम	44.20	21.68
घटाया : संदिग्ध—संबंधित पक्षों के अग्रिमों हेतु प्रावधान	1.39	13.42
	2799.77	2502.62
घटाया : संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	321.45	313.37
	2478.32	2189.25
20: अन्य आस्तियां – चालू		
उपलब्ध सोने के सिक्के	0.19	0.23
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	423.92	412.99
अग्रिम अन्य	892.84	1033.05
सरकारी अधिकारियों के पास जमा	3022.35	2965.87
जमा – जीएसटी	1.34	1.25
जीएसटी प्राप्य—इनपुट सेवा	2.48	2.98
प्राप्य जीएसटी	1732.19	1085.85
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटा गया टीडीएस	0.01	0.01
पूर्वदत्त व्यय	68.34	32.07
प्राप्य दावे	142.98	143.97
प्राप्य निर्यात प्रोत्साहन	124.12	118.81
	6410.76	5797.08
घटाया : संदिग्ध अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान	56.57	63.76
	6354.19	5733.32
21: बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत की गई आस्तियां		
बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत की गई आस्तियां	17.01	27.20
	17.01	27.20

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, इसकी अत्यधिक संभावना है कि ऐसी आस्तियां अगले 12 महीनों के अंदर बेची जाएंगी और ऐसी आस्तियों को "बिक्री के लिए वर्गीकृत आस्तियों" के रूप में माना जाता है।
- (ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, बिक्री के लिए धारित संयंत्र और मशीनरी को इसकी निम्न वहन राशि और पुनर्वर्गीकरण के समय बेचने के लिए निम्न उचित मूल्य लागत पर मापा गया था। संयंत्र और मशीनरी का उचित मूल्य, तुलनीय मूल्य उपागम का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। यह उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में परिभाषित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार स्तर 3 का माप है। इस उपागम के तहत प्रमुख आदान, बाजार में धातु की कीमत है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

22 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अधिकृत पूंजी		
प्रत्येक इक्विटी शेयर ₹10 (5000000000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10)	5000.00	5000.00
जारी की गई और सब्सक्राइब्ड पूंजी और पूरी तरह से प्रदत्त (4130525289 इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक ₹10 पूर्णतया प्रदत्त)	4130.53	4130.53

वर्ष के आरंभ में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलन।

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वोटिंग अधिकारों वाले इक्विटी शेयर				
वर्ष के शुरु में शेष	4130414299	4130.42	4130408854	4130.41
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तित शेयर	-	-	5445	0.01
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष#	4130414299	4130.42	4130414299	4130.42
वोटिंग अधिकार रहित इक्विटी शेयर *				
वर्ष के शुरु में शेष	110990	0.11	116435	0.12
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वोटिंग अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तित शेयर	-	-	(5445)	(0.01)
वर्ष के अंत में शेष	110990	0.11	110990	0.11
कुल बकाया इक्विटी शेयर	4130525289	4130.53	4130525289	4130.53

- i) *1996 में जारी किए गए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया जिसमें से प्रत्येक का मूल्य यू.एस. डॉलर 29.55 की दर से कुल मूल्य यूएस डॉलर 125 मिलियन है।
- ii) #इसमें 2824877 शेयर (पिछले वर्ष 2180454 शेयर) शामिल हैं जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था और जिन पर मतदान अधिकार फ्रीज की हुए हैं।
- iii) मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, पूंजी के पुर्न भुगतान के संबंध में, सभी शेयर की रैंक समान हैं।
- (iv) मूल कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	2684714550	65.00	3097767449	75.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	382302962	9.26	396663164	9.60

- (v) मूल कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

23 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
रिजर्व और अधिशेष		
पूंजी रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	511.67	511.94
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	(0.27)
घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
प्रतिभूति प्रीमियम	511.67	511.67
प्रारंभिक शेष	235.10	235.10
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
बॉन्ड मोचन रिजर्व	235.10	235.10
प्रारंभिक शेष	1375.02	1994.14
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	276.63
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	290.87	895.75
सामान्य रिजर्व	1084.15	1375.02
प्रारंभिक शेष	5107.74	5106.32
वर्ष के दौरान वृद्धि	1.19	1.42
घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
प्रतिधारित आय	5108.93	5107.74
प्रारंभिक शेष	29790.32	27464.45
जोड़ा : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	4148.13	2120.71
जोड़ा : अन्य व्यापक आय/(हानि)—परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन लाभ/(हानि)	266.50	(130.15)
जोड़ा : बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानान्तरण	290.87	895.75
घटाया : बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरण	-	276.63
घटाया : अन्तिम लाभांश	-	206.53
घटाया : अंतरिम लाभांश भुगतान	413.05	-
घटाया : इक्विटी लाभांश पर कर	-	42.89
घटाया : अंतरिम लाभांश भुगतान पर कर	-	1.03
घटाया : गैर-नियंत्रित हित के साथ लेनदेन	(0.01)	(0.01)
घटाया : इंड एस 116 समायोजन	-	31.95
घटाया : जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	1.19	1.42
	34081.59	29790.32
अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण		
प्रारंभिक शेष	68.78	56.05
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	12.88	12.73
	81.66	68.78
इक्विटी निवेशिती की अन्य व्यापक आय में शेयर		
प्रारंभिक शेष	291.07	147.62
एफवीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(118.48)	143.45
	172.59	291.07
कुल अन्य इक्विटी	41275.69	37379.70

अन्य रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व को पूंजी लाभ से बनाया जाता है, यह पूंजी की प्रकृति की कुछ विशिष्ट लेनदेन से अर्जित लाभ से बनता है।

पूंजी रिजर्व, शेयरधारकों में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व, शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड मोचन रिजर्व

समूह को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बांड मोचन रिजर्व बनाने हेतु लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध लाभों से करने की आवश्यकता है। बांड के मोचन तक रिजर्व को यथावत रखा जाता है।

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) रिजर्व

समूह ने अन्य व्यापक आय में इक्विटी प्रतिभूतियों में से कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के अंदर, एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा होते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को गैर-मान्य कर दिया जाता है तो समूह इस रिजर्व से आय को यथावत रखने हेतु अंतरित कर देता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

24 : उधार : गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रतिभूत		
विमोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड्स		
ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प (वर्ष)
9.35%	9/सितम्बर/2026	12/शून्य
9.00%	14/अक्टूबर/2024	(ए)
8.75%	15/सितम्बर/2024	(ए.सी)
8.70%	25/अगस्त/2024	(ए)
8.30%	3/अगस्त/2023	(ए)
8.30%	1/अगस्त/2023	(a)
8.35%	19/नवम्बर/2022	(ए)
8.80%	26/अक्टूबर/2022	(ए.बी)
9.30%	25/मई/2022	(ए.एच)
9.30%	23/अगस्त/2021	(ए)
8.55%	11/अगस्त/2021	(ए)
फुल बॉन्ड		
बैंकों से सावधि ऋण		
रुपया ऋण	(जी)	
विदेशी मुद्रा ऋण	(जी)	
अप्रतिभूत		
विदेशी मुद्रा ऋण		
1 केएफडब्ल्यू जर्मनी	(डी)	
2 नैटक्सिस बैंक	(ई)	
स्टील विकास फंड	(एफ)	
पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता		
कुल गैर चालू ऋण		

निदेशकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी ऋण की गारंटी नहीं दी गई है।

बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार, उधारी और ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई डिफॉल्ट नहीं है।

जब तक अन्यथा कहा न जाए, सभी बांड परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य हैं।

निम्न संबंधित सुविधाओं के संबंध में, बॉन्ड प्रतिभूत हैं :

- (ए) शहरी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात की मौजे-वाडेज में सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों और समूह के संयंत्र और मशीनरी सहित जिस भूमि पर यह स्थित है जो इसको स्टील संयंत्र (आइएसपी) से संबंधित है, पर समान रूप से परस्पर प्रभारों द्वारा प्रतिभूत है।
- (बी) 26 अक्टूबर, 2014 से आरंभ होने वाली प्रत्येक 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय है। 26 अक्टूबर, 2021 को देय किस्त को अन्य चालू देयताओं में दिखाया गया है।
- (सी) 2014, 2019 और 2024 के 15 सितंबर को प्रत्येक रु 50 करोड़ की 3 समान किस्तों में वापस किया जाना है।
- (डी) ऋण के नरम आधार को 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) के रूप में 8.75% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर आहरित किया गया था। 1 (ए) पर ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8% विनिमय उतार-चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने के लिए है। 1 (बी) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8.0% वार्षिक उपनगरीय विकास के लिए है। 1 (सी) पर ब्याज 3.66% वार्षिक है और शेष 5.09% वार्षिक उपनगरीय विकास हेतु है। मूलधन और ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर देय है। ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त है।
- (ई) ऋण का भुगतान 2030 तक किया जाना है। मूलधन और ब्याज का छमाही भुगतान किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।
- (एफ) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।
- (जी) ऋण की सीमा तक बीएसएल, बीएसपी और आरएसपी के वर्तमान और भावी चल संयंत्र और मशीनरी पर समभाव रैंकिंग के प्रभार से प्रतिभूत है। एसबीआईआईसीबी ऋण, पहली बार लिए गए ऋण अर्थात् 25 सितंबर, 2017 से 4थे, 5वें, 6 ठे और 7 वें वर्ष के अंत में 4 समान किस्तों में चुकाने योग्य है।
- (एच) 25 मई, 2018 से शुरू होने वाली 5 समान वार्षिक किस्तों में विमोचनीय है। 25 मई, 2021 को देय किस्त को वर्तमान देनदारियों में दिखाया गया है।

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च, 2020 को शेष	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत उद्घाटित नकदी प्रवाह (शुद्ध)	31 मार्च, 2021 को शेष
दीर्घकालिक उधारियां (पट्टा दायित्वों को छोड़कर)	32699.84	(14793.27)	17906.57
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	2602.40	(751.18)	1851.22
अल्पकालिक उधारियां	16640.78	(790.54)	15850.24
कुल	51943.02	(16334.99)	35608.03

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
--	----------------------	----------------------

25: व्यापारिक देताएं – गैर चालू

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया (टिप्पणी 48.2 देखें)	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	4.10	10.70
	<u>4.10</u>	<u>10.70</u>

26: अन्य वित्तीय देताएं – गैर चालू

कर्मचारी संबंधित बकाय	531.53	513.54
ब्याज उपचित किन्तु उधारियों पर बकाया नहीं	573.20	567.79
अन्य देनदारियां	199.35	287.18
	<u>1304.08</u>	<u>1368.51</u>

27: प्रावधान: गैर चालू

ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान	3.51	2.60
उपार्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	2945.11	2677.30
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	1041.46	963.52
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	15.07	14.38
खानों को बंद करने हेतु प्रावधान	99.28	87.14
अन्य प्रावधान	429.32	370.87
	<u>4533.75</u>	<u>4115.81</u>

28: अन्य देयताएं: गैर चालू

अस्थगित आय*	439.97	397.51
	<u>439.97</u>	<u>397.51</u>

*अस्थगित आय में शामिल है:

- (ए) भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में सम्मानित किया गया और इस कोष से प्राप्त आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।
- (बी) इस्पात जनरल अस्पताल, राऊरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बदलने के उद्देश्य से रु. 294.82 करोड़ के स्वीकृत बजटीय प्रावधान के विरुद्ध केंद्र सरकार से रु. 294.82 करोड़ का अनुदान (वर्ष 2020-21 में रु. 139.99 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में रु. 144.83 करोड़ प्राप्त हुए) प्राप्त हुआ। कम्पनी ने ऐसे अनुदानों के लिए इंड एस 20 की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

29. उधारियां – चालू

प्रतिभूत		
मांग पर देय		
बैंकों से	3504.00	4112.33
अप्रतिभूत		
अन्य ऋण	7250.00	6100.00
वाणिज्यिक पत्र	5096.24	3756.52
विदेशी मुद्रा ऋण	-	2671.93
	<u>15850.24</u>	<u>16640.78</u>

1. 31 मार्च, 2021 तक बकाया अल्पकालिक उधारी के लिए प्रतिभूति प्रकटीकरण :

संबंधित सुविधाओं के संबंध में, बैंकों से उधारियां निम्नलिखित माध्यम से प्रतिभूत हैं:

- (i) सभी मौजूदा आस्तियों का दृष्टि बंधक

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
30: व्यापारिक देयताएं — चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया (टिप्पणी 48.2 देखें)	103.57	47.99
संबंधित पक्षों को देय राशि	202.71	150.71
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	6708.72	6123.67
	7015.00	6322.37

31: अन्य वित्तीय देताएं — चालू

कर्मचारी संबंधी बकाया	228.14	138.54
ब्याज उपचित किन्तु उधारियों पर बकाया नहीं	479.93	612.56
ब्याज उपचित और इस्पात विकास निधि ऋण पर देय	152.00	152.00
अन्य देनदारियां—देनदार बैंकिंग व्यवस्था	462.77	166.90
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	1851.22	2602.40
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता	249.18	323.84
दावा रहित परिपक्व जमा राशियाँ और इन पर उपचित ब्याज	1.01	1.01
प्रतिभूति जमाएं	1637.14	1539.45
घटा : प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त निवेश	-	-
अप्रदत्त लाभांश	4.11	4.66
पूजी कार्यों के लिए देय	2630.09	3318.68
अन्य देनदारियां*	6328.19	4880.85
	14023.78	13740.89

*अन्य देनदारियों में पूर्व-कर्मचारियों, रॉयल्टियों तथा कार्य-निष्पादन भुगतान आदि के परिप्रेक्ष्य में देयताएं शामिल हैं।

32: अन्य देयताएं—चालू

ग्राहकों से अग्रिम में प्राप्त आय	1836.80	1220.62
अग्रिम में प्राप्त आय — अन्य	135.33	110.27
अस्थगित आय*	12.93	13.27
जीएसटी देय	2595.34	1432.10
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता	0.76	0.76
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से काटा गया टीडीएस	22.48	19.50
अन्य देनदारियां	2951.51	2927.54
	7555.15	5724.06

*अस्थगित आय में भिलाई स्टील संयंत्र को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील संयंत्र के रूप में दिया गया पुरस्कार शामिल है और इस निधि से होने वाली आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

33: प्रावधान — चालू

उपार्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	262.59	327.84
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	116.15	194.91
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	2.50	4.41
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान	37.12	33.51
विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रावधान	24.57	24.96
वेतन संशोधन का प्रावधान	1183.90	1351.56
खान वनीकरण/बहाली आदि के लिए प्रावधान	101.60	121.07
अन्य प्रावधान	312.97	298.98
	2041.40	2357.24

34: चालू कर देताएं (शुद्ध)

प्रारंभिक शेष	179.50	-
जोड़ा : वर्ष के दौरान प्रावधान	11.55	250.67
घटाया : वर्ष के दौरान भुगतान/हस्तांतरित राशि	-	71.17
घटाया : वर्ष के दौरान बट्टाखाता लिखे गए प्रावधान	178.99	-
	12.06	179.50
	12.06	179.50

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
35: परिचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	62215.27	57285.17
निर्यात	6109.57	3620.26
निर्यात प्रोत्साहन	131.02	123.00
उप जोड़ (ए)	68455.86	61028.43
सेवाओं की बिक्री		
सेवा शुल्क	20.57	22.89
उप जोड़ (बी)	20.57	22.89
अन्य परिचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं—वसूलियाँ	308.33	351.54
खाली डिब्बों आदि की बिक्री	79.74	52.40
विविध	249.11	208.90
उप जोड़ (सी)	637.18	612.84
जोड़ (ए+बी+सी)	69113.61	61664.16
राजस्व का पृथक्करण		
माल और सेवाओं का स्वरूप		
मूल कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है तथा मूल कंपनी का केवल यही रिपोर्ट योग्य खंड है।		
(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अंदर	62215.27	57285.17
भारत के बाहर	6240.59	3743.26
जोड़	68455.86	61028.43
(2) प्रमुख उत्पाद		
लोहा और इस्पात	65211.87	59298.35
अन्य द्वितीयक और सह-उत्पाद	3243.99	1730.08
जोड़	68455.86	61028.43
अनुबंधित शेष		
निम्न तालिका ग्राहकों से प्राप्तियों के अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो कि "व्यापार प्राप्य" में शामिल हैं।		
व्यापार प्राप्य	7154.60	8845.65
अनुबंध दायित्व	1836.80	1220.62
36: अन्य आय		
ब्याज आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	0.55	0.98
ग्राहक	141.45	145.06
कर्मचारी	8.84	11.98
बैंक के जमा	6.79	20.76
अन्य	115.35	62.10
उप जोड़ (ए)	272.98	240.88
लामांश आय		
निवेश से लामांश	3.40	2.92
(ओ सी आई के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर किए गए निवेश से लामांश शामिल है)		
उप जोड़ (बी)	3.40	2.92
निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ	उप जोड़ (सी)	
	4.47	0.59
अन्य गैर-प्रचालन आय		
अनुदान	1.15	0.97
प्रतिलेखन की आवश्यकता रहित प्रावधान	161.73	131.06
अन्य देनदारियों का प्रतिलेखन	122.68	276.18
परिसमापित क्षतियाँ	119.11	131.19
विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव (शुद्ध)	104.09	-
अन्य	71.06	123.46
	579.82	662.86
घटाया : गैर परिचालन आय में योगदान हेतु व्यय	-	1.46
उप जोड़ (डी)	579.82	661.40
जोड़ (ए+बी+सी+डी)	860.67	905.79

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
37 : उपयोग की गई सामग्री की लागत		
लोह अयस्क	5217.77	5191.70
कोयला	17422.64	23058.44
कोक	13.88	21.61
चूना पत्थर	1423.86	1489.58
डोलोमाइट	464.39	584.91
फेरो मैंगनीज	174.80	323.68
फेरो सिलिकन	224.07	213.22
सिलिको मैंगनीज	1270.09	1378.04
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील क्वॉयल्स	1.39	-
जिंक	87.78	117.60
एल्युमीनियम	292.41	297.34
अन्य	1534.12	1715.12
	28127.20	34391.24
घटाया : अंतर खाता समायोजन	4913.61	5019.51
	23213.59	29371.73
38 : तैयार माल, प्रगति पर कार्य तथा सह-उत्पादों की इन्वेंटरी में परिवर्तन		
38ए तैयार माल और प्रगति पर कार्य की इन्वेंटरी में परिवर्तन		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	8941.00	6973.49
कार्य प्रगति पर	2481.57	3396.56
	11422.57	10370.05
घटाया : अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	4523.53	8941.00
कार्य प्रगति पर	2405.96	2481.57
	6929.49	11422.57
स्टॉक में वृद्धि (-)/कमी	4493.08	(1052.52)
असाधारण मदों के रूप में माने जाने वाले कोविड -19 के कारण बड़े खाते डाला गया	-	404.26
(₹)	4493.08	(1456.78)
38बी सह-उत्पादों की इन्वेंटरी में परिवर्तन		
उप ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स		
आरंभिक स्टॉक		
लौह अयस्क फाइन्स (उप-ग्रेड)	3791.18	-
घटाया : अयस्क स्टॉक		
लौह अयस्क फाइन्स (उप-ग्रेड)	4337.29	3791.18
स्टॉक में वृद्धि (-)/कमी	(546.11)	(3791.18)
असाधारण मदों के रूप में माने जाने वाले कोविड-19 के कारण बड़े खाते डाला गया*	-	329.67
कोविड-19 के व्युत्क्रमण प्रभाव को असाधारण मदों के रूप में माना गया*	(329.67)	-
(बी)	(216.44)	(4120.85)
स्टॉक में वृद्धि (-)/कमी	4276.64	(5577.63)
*नोट 41 ए का संदर्भ लें		
39: कर्मचारी लाभ व्यय*		
वेतन और मजदूरी	8086.59	6777.80
अवकाश नकदी करण	586.92	278.41
भविष्य और अन्य निधियों में कंपनी का योगदान	1054.67	920.78
यात्रा रियायत	19.97	198.19
कल्याणकारी व्यय	435.03	384.97
ग्रेच्युटी	277.87	237.17
	10461.05	8797.32
*कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर व्यय और लाभ जो ऊपर शामिल नहीं हैं और जिनको अन्य जगह प्रसारित किया गया है :		
निर्माण के दौरान व्यय	83.79	80.06

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट के लिए, नोट 50.1 देखें

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
40: वित्त लागत		
व्याज लागत		
विदेशी मुद्रा ऋण*	209.32	299.21
गैर परिवर्तनीय बांड	474.16	695.25
बैंक उधार – कार्यशील पूंजी	6.24	10.53
इस्पात विकास निधि ऋण	4.08	5.60
अन्य बैंक उधार एवं वाणिज्यिक पत्र	2095.94	2449.58
अन्य उधार लागते	27.41	26.59
	2817.15	3486.76

*₹ 5.47 करोड़ के विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के लाभ सहित (31 मार्च, 2020 को : हानि ₹ 99.74 करोड़)

व्याज और वित्तीय प्रभारों का व्यय जो ऊपर शामिल नहीं किया गया और निर्माण के दौरान व्यय पर प्रभारित हुआ:

विदेशी मुद्रा ऋण	74.71	85.43
गैर परिवर्तनीय बांड	88.40	118.34
इस्पात विकास निधि ऋण – व्याज	1.33	2.57
अन्य बैंक उधारियां	384.72	375.34
	549.16	581.68

41: अन्य व्यय:

स्टोर्स तथा स्पेयर्स की खपत			
खपत	4081.90	4658.81	
घटाया : विभागीय निर्मित स्टोर्स	590.99	924.20	
घटाया : तैयार उत्पाद जिनका आंतरिक रूप से स्टोर्स और स्पेयर्स के रूप में उपभोग किया जाता है	405.96	494.22	3240.39
मरम्मत और रख रखाव			
भवन	217.51	191.82	
संयंत्र तथा मशीनरी	1058.19	1069.68	
अन्य	354.22	301.80	1563.30
हैंडलिंग व्यय			
कच्चा माल	482.63	500.62	
स्क्रेप वसूली	312.51	382.61	883.23
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक			
लेखा परीक्षा शुल्क	2.11	1.95	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.59	0.54	
अन्य सेवाओं में	1.59	1.25	
जेब व्यय	0.19	0.65	4.39
प्रावधान			
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	92.69	76.12	
निवेश	1.58	5.22	
स्टोर, स्पेयर और विविध	167.73	207.71	289.05
बिजली और ईंधन			6198.96
बाह्य किराया			2216.57
सॉयल्टी और उपकरण			1901.13
रूपांतरण प्रभार			210.59
अन्तर-संयंत्र अंतरण/आन्तरिक खपत पर आबकारी शुल्क			0.04
डेमुरेज तथा गोदी शुल्क			38.63
जल प्रभार एवं जल प्रदूषण पर उपकरण			141.77
बीमा			52.72
डाक, तार एवं दूरभाष			15.38

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
41. अन्य व्यय (जारी)		
छपाई और स्टेशनरी	8.42	10.60
दरें और कर	39.11	34.44
किराया	16.22	16.69
सुरक्षा व्यय	729.42	659.73
यात्रा व्यय	109.57	113.40
अस्थायी निलंबित खानों पर व्यय	-	14.78
प्रशिक्षण का व्यय	45.33	49.54
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय (संदर्भ नोट - 49.7)	47.67	28.13
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव (शुद्ध)	-	245.19
अचल आस्तियों की बिक्री/स्क्रेपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	37.74	49.43
लागत लेखा परीक्षा शुल्क और खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.09	0.12
बड़े खाते - विविध	15.81	0.06
व्यय हैंडलिंग - तैयार माल	173.53	170.93
बिक्री एजेंटों को कमीशन	14.98	10.30
निर्यात बिक्री व्यय	188.50	91.44
विविध	614.06	606.09
	18423.59	18857.02

41ए: अपवादात्मक मदें

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	103.70	-
प्रवेभा कर एवं अन्य बकाये {नोट 47.2ए(ii) का संदर्भ लें}	167.54	-
कोविड-19 प्रभाव :		
कच्चा माल	-	37.83
तैयार/अर्ध-तैयार माल	-	404.26
लौह अयस्क फाइन्स (उप-ग्रेड)	-	329.67
लौह अयस्क का कोविड-19 व्युत्क्रम प्रभाव (उप-ग्रेड)	(329.67)	-
	(58.43)	771.76

41बी: आय प्रति शेयर

वर्ष के लिए लाभ (करोड़ में)	4148.13	2120.71
इक्विटी शेयरों की संख्या	4130525289	4130525289
प्रति शेयर आय - मूल और कम की हुई ()	10.04	5.13
प्रति शेयर अंकित मूल्य ()	10.00	10.00

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

42: वित्तीय उपकरण

i) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर माप, वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन लेवल में वर्गीकृत किया गया है। तीनों लेवलों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

लेवल 1 : वित्तीय उपकरणों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर-समायोजित)

लेवल 2 : सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले रिक्रिया उपकरणों का उचित मूल्य, उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं तथा जो इकाई विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम भरोसा करते हैं।

लेवल 3 : यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से कोई एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है तो उपकरण लेवल 3 में शामिल है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय आस्तियां एफबीटीपीएल में वित्तीय उपकरण व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां एफवीओसीआई में निवेश इक्विटी उपकरण उद्धृत गैर उद्धृत	- - - -	254.40 - - -	- - 147.98 -	254.40 - 147.98 -
कुल वित्तीय आस्तियां	-	254.40	147.98	402.38
वित्तीय देनदारियां एफबीटीपीएल में वित्तीय उपकरण व्युत्पन्न दायित्व	- - -	- - -	- - -	- - -
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 को	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय आस्तियां एफबीटीपीएल में वित्तीय उपकरण व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां एफवीओसीआई में निवेश इक्विटी उपकरण उद्धृत गैर उद्धृत	- 5.06 -	421.80 - -	- - 131.31	421.80 5.06 131.31
कुल वित्तीय आस्तियां	5.06	421.80	131.31	558.17
वित्तीय देनदारियां एफबीटीपीएल में वित्तीय उपकरण व्युत्पन्न दायित्व	- - -	- - -	- - -	- - -
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	-	-

iii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप

(₹ करोड़ में)

वित्तीय आस्तियां	लेवल	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
ऋण	लेवल-3	807.46	1028.86	714.95	843.81
व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां	लेवल-2	254.40	254.40	421.80	421.80
इक्विटी उपकरण	लेवल-1	-	-	5.06	5.06
उद्धृत	लेवल-3	147.98	147.98	131.31	131.31
कुल वित्तीय आस्तियां		1209.84	1431.24	1273.12	1401.98
वित्तीय देनदारियां					
उधारी	लेवल-3	39344.57	39495.91	55626.30	55673.85
अन्य देनदारियां	लेवल-3	11559.56	11688.11	10683.91	10739.03
व्युत्पन्न दायित्व	लेवल-2	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां		50904.13	51184.02	66310.21	66412.88

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(iv) मूल्यांकन प्रक्रिया और उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक

वित्तीय उपकरणों के मूल्यांकन में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्न शामिल हैं।

(ए) समान उपकरणों के लिए डीलर या प्रतिपक्ष उद्धरण के आधार पर ब्याज स्वैप का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(बी) बैलेंस शीट की तारीख में फारवर्ड दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूलधन स्वैप का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(सी) परिवर्तनीय ब्याज दर वहन करने वाले उधार के मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(डी) 12 महीने से कम अवधि की परिपक्वता वाली वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ई) स्थिर ब्याज दर (लीज दायित्वों सहित) वाली निश्चित ब्याज दर की वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य, नकदी प्रवाह में छूट के साथ निर्धारित होता है जो समान आस्तियों और देनदारियों के लिए बाजार की ब्याज दर के बराबर छूट दर का उपयोग करके बैलेंस शीट की तारीख को होता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश

गैर उद्धृत इक्विटी निवेश का उचित मूल्य अनुमान लेवल -3 में शामिल है और यह निवेशकर्ता समूह की शुद्ध आस्तियों के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित है। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, समूह ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उचित अनुमान है इसलिए, उचित मूल्यों के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(vi) निम्न तालिका लेवल 3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे जाने वाले वित्तीय उपकरणों के मूल्य में परिवर्तन को प्रस्तुत करती है

(₹ करोड़ में)

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2019 को	116.12
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/हानि	15.19
31 मार्च, 2020 को	131.31
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ/हानि	16.67
31 मार्च, 2021 को	147.98

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) श्रेणीवार वित्तीय उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
इक्विटी उपकरण	-	144.70	-	-	136.37	-
व्यापारिक प्राप्त्य	-	-	7154.60	-	-	8845.65
नकदी और नकदी समकक्ष	-	-	518.28	-	-	190.54
अन्य बैंक शेष	-	-	278.07	-	-	254.48
ऋण	-	-	807.46	-	-	714.95
व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियां	254.40	-	-	421.80	-	-
अन्य प्राप्तियां	-	-	2560.17	-	-	2216.03
जोड़	254.40	144.70	11318.58	421.80	136.37	12221.65
वित्तीय देनदारियां						
उधारी	-	-	39344.57	-	-	55626.30
व्यापार-देय	-	-	7019.10	-	-	6333.07
व्युत्पन्न दायित्व	-	-	-	-	-	-
अन्य देनदारियां	-	-	11559.56	-	-	10683.91
जोड़	-	-	57923.23	-	-	72643.28

ii) जोखिम प्रबंधन

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट वित्तीय उपकरणों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के अनुसार वित्तीय आस्तियों और देयताओं को वर्गीकरण के अनुसार, नोट 43 (i) में संक्षेपित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के जोखिम प्रबंधन को इसके मुख्यालय में, निदेशक मंडल के निकट सहयोग में और समूह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित के साथ समन्वित किया जाता है जिसमें समूह के संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स के मध्यम से अल्पकालीन नकदी प्रवाह को न्यूनतम करके, अस्थिर वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करना शामिल है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को अंतिम विवरणों के सृजन को प्रबंधित करके किया जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट, सट्टा प्रयोजनों के लिए वित्तीय आस्तियों के व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प में कार्यरत हैं। महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिनसे समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स एक्सपोज में है, नीचे दिए गए हैं।

(ए) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें कोई काउंटर पक्ष मूल कंपनी के प्रति दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स विभिन्न वित्तीय उपकरणों के लिए यह जोखिम उजागर हो जाता है, उदाहरण के लिए, ग्राहकों को ऋण देकर और जमा राशियाँ आदि प्राप्त करके। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स को अधिकतम एक्सपोजर, निम्न प्रकार की वित्तीय आस्तियों की वहन राशि नकदी और नकदी समकक्ष तक सीमित है।

- नकदी और नकदी समकक्ष
- व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण
- व्यापार प्राप्त्य
- अन्य वित्तीय आस्तियां जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, ग्राहकों और अन्य समकक्षों की चूक की लगातार निगरानी या तो व्यक्तिगत रूप से या समूह द्वारा पहचाना करते हैं और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करते हैं। जहां उचित लागत पर यह उपलब्ध है, बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य समकक्षों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की यह नीति केवल साख वाली काउंटर पार्टियों से निपटने के लिए है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ए) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्षों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को केवल उच्च श्रेणी के बैंकों को स्वीकार करने और देश भर के विभिन्न बैंकों में बैंक जमा और खातों में विविधता लाने के द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों से संबंधित क्रेडिट जोखिम भी केवल उच्च श्रेणी निर्धारित बैंकों या समकक्षों के रूप में वित्तीय संस्थानों के साथ ऐसा समझौता करने से प्रबंधित किया जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स कई समकक्षों के साथ अपनी होल्डिंग को विविधता प्रदान करते हैं।

व्यापार प्राप्य

जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है व्यापार प्राप्य से संबंधित बैंक गारंटी लेने से ग्राहकों का क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, देनदारों की ऋण-योग्यता पर बारीकी से नजर रखते हैं और केवल क्रेडिट-योग्य पार्टियों को ही सामान बेचते हैं। समूह के अपने संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की आंतरिक प्रणालियों को ग्राहकों की क्रेडिट सीमा निर्धारित करने के लिए कॉन्फिगर किया गया है जिससे पूर्व-परिकल्पित राशि तक क्रेडिट जोखिम सीमित हो जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय आस्तियाँ

अन्य वित्तीय आस्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय आस्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशि की निरंतर निगरानी के द्वारा किया जाता है जबकि उसी समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि निर्धारित सीमा के अंदर हो।

(बी) संभावित क्रेडिट हानि

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स निम्न आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करते हैं :

व्यापार प्राप्य

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान को पहचानते हैं और व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक नुकसान प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करते हैं :

(₹ करोड़ में)

एजिंग (31 मार्च, 2021 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	जोड़
सकल वहन राशि	3187.74	2135.93	1774.27	35.79	272.34	7406.07
संभावित हानि दर	0.11%	0.17%	0.46%	10.14%	85.39%	3.40%
संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान	3.47	3.72	8.10	3.63	232.55	251.47
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (निर्बलता को छोड़कर शुद्ध)	3184.27	2132.21	1766.17	32.16	39.79	7154.60

एजिंग (31 मार्च, 2020 को)	0-3 माह	3-12 माह	12-24 माह	24-36 माह	36 माह से अधिक	जोड़
सकल वहन राशि	5570.98	3040.40	143.94	79.54	232.95	9067.81
संभावित हानि दर	0.07%	0.15%	2.88%	3.60%	88.88%	2.45%
संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान	3.65	4.46	4.15	2.86	207.04	222.16
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (निर्बलता को छोड़कर शुद्ध)	5567.33	3035.94	139.79	76.68	25.91	8845.65

संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	
31 मार्च, 2019 को प्रावधान में बदलाव	204.94
31 मार्च, 2020 को प्रावधान में बदलाव	17.22
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	222.16
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	29.31
31 मार्च, 2021 को प्रावधान में बदलाव	251.47

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय आस्तियाँ

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स "ऋण अग्रिमों और व्यापार प्राप्य" के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के संभावित ऋण घाटे हेतु वित्तीय साधनों का आकलन स्वयं करते हैं। चूंकि इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार के ऋण और उद्देश्यों हेतु प्राप्य शामिल हैं इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिससे समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स पूरी आबादी पर लगातार लागू कर सकें। ऐसी वित्तीय आस्तियों के लिए, समूह के संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की नीति, प्रारंभिक मान्यता पर 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि हेतु प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के पास अपनी निम्न क्रेडिट जोखिम प्रकृति पर विचार करने वाली ऐसी आस्तियों पर मान्यता प्राप्त निर्बलता आधारित हानि नहीं है हालांकि ऐसी वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक उप-श्रेणी में घटित हानि के प्रावधान को प्रकट किया जाता है।

(बी) तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से राशि की उपलब्धता प्रदान करना। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखते हैं। प्रबंधन समूह के रोलिंग पूर्वानुमान, उसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की तरलता स्थिति और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों की निगरानी करते हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, बाजार की उस तरलता को ध्यान में रखते हैं जिसमें इकाई परिचालित करती है। इसके अतिरिक्त, इसमें समूह की, इसकी संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्दाओं में नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना और इनसे मिलने के लिए आवश्यक तरल आस्तियों की आवश्यकता पर विचार करना, आंतरिक और बाहरी नियामक आवश्यकताओं के विरुद्ध बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्त पोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाएं समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की उन वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती हैं जो सभी गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में होती हैं और तालिका में दी गई राशि, संविदागत अधोशित नकदी प्रवाह हैं जो 12 महीने के अंदर देया राशि, उनके वहन संतुलन के बराबर हैं क्योंकि डिसकाउंटिंग का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 तक वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
गैर डेरिवेटिव					
उधार	20442.47	3668.88	4566.41	12977.14	41654.90
व्यापार देय	6634.03	264.69	59.90	60.49	7019.11
अन्य देनदारियां	7622.19	105.49	73.99	248.73	8050.40
जोड़	34698.69	4039.06	4700.30	13286.36	56724.41
डेरिवेटिव					
डेरिवेटिव दायित्व	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2020 तक वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
गैर डेरिवेटिव					
उधार	20363.64	6270.55	6936.69	27650.84	61221.71
व्यापार देय	6320.38	0.17	0.65	18.54	6339.74
अन्य देनदारियां	8871.19	83.59	65.55	1044.15	10064.48
जोड़	35555.21	6354.31	7002.89	28713.53	77625.93
डेरिवेटिव					
डेरिवेटिव दायित्व	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-

सी) बाजार जोखिम
(ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

अधिकांश समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के लेन-देन भारतीय मुद्रा में किए गए हैं। मुद्रा विनिमय दरों के एक्सपोजर समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में दर्शाए जाते हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए, गैर-भारतीय मुद्रा नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और फारवर्ड विनिमय अनुबंधों में समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार कार्य किया जाता है। आम तौर पर, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं, अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह (6 महीने के अंदर) को लंबी अवधि के नकदी प्रवाह (6 महीने के बाद) से अलग करती हैं जहां किसी विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली राशियों को एक दूसरे से मुख्यतया: समायोजित किए जाने की आशा की जाती है, इसमें आगे कोई हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किया जाता है जिनकी अन्य समान-मुद्रा लेन-देन के द्वारा समायोजित होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर :

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स का विदेशी मुद्रा में महत्वपूर्ण जोखिम, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, करोड़ रुपये में, निम्नानुसार हैं :

वित्तीय आस्तियां	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय आस्तियां				
व्यापार प्राप्य	183.03	-	84.81	-
डेरिवेटिव वित्तीय आस्तियां (उधार को हेज करने हेतु सकल राशि)	-	-	6.79	-
अन्य प्राप्तियां विदेशी मुद्रा जोखिम (आस्तियों) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	183.03	-	91.60	-
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	2856.60	369.79	2625.19	363.54
व्यापार देयताएं	2825.55	351.48	2517.26	470.35
अन्य देनदारियां	27.18	75.92	33.13	175.59
विदेशी मुद्रा जोखिम (देयताओं) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	5709.33	797.19	5175.58	1009.48

संवेदनशीलता

निम्न तालिका, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को, "अन्य सभी बातें समान रहने पर" दर्शाती हैं। यह 31 मार्च, 2021 (2020: 5.45%) को समाप्त वर्ष के लिए यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर के ए +/- 4.69% परिवर्तन को मानता है। आईएनआर/यूरो विनिमय दर (2020: 7.57%) के लिए ए +/- 6.78% परिवर्तन को माना जाता है। पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में, औसत बाजार उतार-चढ़ाव के आधार पर, इन दोनों प्रतिशत का निर्धारण किया गया है। यह संवेदनशीलता विश्लेषण समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के विदेशी मुद्रा वित्तीय उपकरणों के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाते हैं और उन फारवर्ड विनिमय अनुबंधों को भी ध्यान में रखते हैं जो मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव से होने वाले प्रभावों को समायोजित करते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
रु./यूएसडी- 4.69% की वृद्धि (31 मार्च, 2021)	259.18	-
रु./यूएसडी- 4.69% की कमी (31 मार्च, 2021)	(259.18)	-
रु./यूएसडी- 5.45% की वृद्धि (31 मार्च, 2020)	-	282.07
रु./यूएसडी- 5.45% की कमी (31 मार्च, 2020)	-	(282.07)
यूरो संवेदनशीलता		
रु./यूएसडी- 6.78% की वृद्धि (31 मार्च, 2021)	54.05	-
रु./यूएसडी- 6.78% की कमी (31 मार्च, 2021)	(54.05)	-
रु./यूएसडी- 7.57% की वृद्धि (31 मार्च, 2020)	-	76.42
रु./यूएसडी- 7.57% की कमी (31 मार्च, 2020)	-	(76.42)

बी) ब्याज दर जोखिम

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह एक्सपोजर जोखिम को कम करने की है। इसलिए लंबी अवधि के उधार आम तौर पर निश्चित दरों पर होती हैं। 31 मार्च, 2020 को समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, बैंक ब्याज दर के साथ परिवर्तनशील ब्याज दरों पर बैंक ऋणों के परिवर्तित कराने हेतु संपर्क में है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, बॉन्ड में निवेश पर सभी निश्चित ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स का मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का जोखिम, अपरिवर्तित माना जाता है। निम्न तालिका +/- 1% (2020: +/- 1%) की ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के लिए लाम और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। मौजूदा बाजार की स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को यथोचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में बदलाव पर आधारित है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर धारित वित्तीय उपकरण जो ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं। अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(i) देयताएं

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की नीति लंबी अवधि के वित्त पोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह एक्सपोजर जोखिम को कम करने की है। 31 मार्च, 2021 को समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स, बैंक ब्याज दर के साथ परिवर्तनशील ब्याज दरों पर बैंक ऋणों को परिवर्तित कराने हेतु संपर्क में है।

ब्याज दर जोखिम

एक्सपोजर ब्याज दर जोखिम के लिए समूह का समग्र प्रदर्शन नीचे है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विवरण परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफसेट एक्सपोजर को छोड़कर)	11022.50	28829.00
निश्चित दर उधार	28322.07	26797.30
कुल उधार	39344.57	55626.30

संवेदनशीलता

नीचे, ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ब्याज दर संवेदनशीलता		
ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की वृद्धि	110.23	288.29
ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की कमी	(110.23)	(288.29)

(ii) आस्तियां

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की सावधि जमाओं को परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है और वे निश्चित दर जमा होते हैं। इसलिए वे इंड ए एस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं क्योंकि बाजार में, ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर वित्तीय आस्तियों का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिवर्तनीय दर जमा/ऋण	-	-
स्थिर दर जमा/ऋण	1085.53	969.43
कुल जमा	1085.53	969.43

(बी) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

समूह, अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में है (नोट 8 देखें)। समूह शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानता है। इसलिए बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में नहीं है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44: पूंजी प्रबंधन

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य निम्न हैं —

- समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की क्षमता को सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करना।
- शेयर धारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स बैलेंस शीट के अनुसार, प्रस्तुत इक्विटी में से नकदी और नकदी समकक्षों की वहन राशि को कम करके, इसके आधार पर पूंजी पर नजर रखते हैं।

प्रबंधन ने अत्यधिक लीवरेज से बचने के लिए एक कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन किया है। इसमें समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के विभिन्न वर्गों के कर्ज के अधीनस्थ संवर्ग को ध्यान में रखा है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स पूंजी संरचना का प्रबंधन करते हैं और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित आस्तियों की जोखिम विशेषताओं को देखते हुए, इसका समायोजन करते हैं। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स शेयर धारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि को समायोजित कर सकते हैं, शेयर धारकों को पूंजी लौटा सकते हैं, नए शेयर जारी कर सकते हैं या ऋण को कम करने के लिए आस्तियों को बेच सकते हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
शुद्ध ऋण	38548.22	55181.28
कुल इक्विटी	45406.22	41510.23
शुद्ध ऋण से इक्विटी अनुपात	0.85	1.33

लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
इक्विटी शेयर		
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए @ 1.00 प्रति इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतरिम लाभांश	413.05	-
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है	743.50	-

44ए. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के विवरण

क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	निगमन का प्रमुख स्थान	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	अनुभांगी	री फैक्ट्री सामग्री उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
2	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सहायक	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
3	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	74%	74%
4	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	पॉवर उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
5	बेकारो पावर सप्लाय कंपनी प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	पॉवर उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
6	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	परामर्श सेवाएं	भारत	भारत	50%	50%
7	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	परामर्श सेवाएं	भारत	भारत	40%	40%
8	मिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
9	एस एंड टी खनन कंपनी प्रा लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	कोयला खनन	भारत	भारत	50%	50%
10	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	कोयला खनन	भारत	मोजाम्बीक	47.82%	47.82%
11	सेल-मोडल फेरो अलॉयस प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	फेरो मैंगनीज उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
12	सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	लॉजिस्टिक्स	भारत	भारत	50%	50%
13	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	49.26%	49.26%
14	सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेलवे वैगन उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
15	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
16	सेल बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	एलॉय कास्टिंग	भारत	भारत	50%	50%
17	प्राइम गोल्ड- सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	स्टील उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
18	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	एलॉय कास्टिंग	भारत	भारत	20.58%	20.58%
19	अमिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	एलॉय कास्टिंग	भारत	भारत	26%	26%
20	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	49%	49%
21	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	12%	12%
22	गेडकोल सेल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	पॉवर उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
23	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी	मैग्नेसाइट माइनिंग	भारत	भारत	20%	20%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44बी. इक्विटी विधि निवेशिती की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

संयुक्त उद्यम एकल महत्व

एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू आस्तियां		
नकदी और नकदी समकक्ष	83.37	130.35
अन्य आस्तियां	653.62	598.60
	736.99	728.95
गैर चालू आस्तियां	4,322.95	4,028.12
चालू दायित्व		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	608.80	630.43
अन्य देनदारियां	127.68	100.40
	736.48	730.83
गैर चालू देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	1,418.54	1,278.59
अन्य देनदारियां	5.67	5.12
	1,424.21	1,283.71
शुद्ध आस्तियां	2,899.25	2,742.53
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%
ब्याज की वहन राशि	1,449.63	1,371.27

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	2,758.15	2,891.46
मूल्यहास और परिशोधन	139.93	156.80
ब्याज आय	5.98	18.40
ब्याज व्यय	9.31	14.02
आयकर व्यय या आय	16.57	1.23
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	348.68	368.96
अनिरंतर परिचालनों से कर पश्चात लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	0.30	(4.54)
कुल व्यापक आय	348.98	364.42
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%

एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू आस्तियां		
नकदी और नकदी समकक्ष	15.69	7.50
अन्य आस्तियां	414.18	248.23
	429.87	255.73
गैर चालू आस्तियां	125.23	212.75
चालू दायित्व		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	192.17	144.91
अन्य देनदारियां	23.53	8.11
	215.70	153.02
गैर चालू देयताएं		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	0.74	0.72
अन्य देनदारियां	12.74	12.19
	13.48	12.91
शुद्ध आस्तियां	325.92	302.55
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%
ब्याज की वहन राशि	162.96	151.28

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	282.46	282.46
मूल्यहास और परिशोधन	10.83	10.83
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
ब्याज कर व्यय या आय	18.82	18.82
निरंतर परिचालनों से लाभ या हानि	40.29	40.29
अनिरंतर परिचालनों से कर पश्चात लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	(0.97)	(0.97)
कुल व्यापक आय	39.32	39.32
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू आस्तियां		
नकदी और नकदी समकक्ष	11.37	18.76
अन्य आस्तियां	184.30	50.51
	195.67	69.27
गैर चालू आस्तियां	2,401.22	2,614.78
चालू दायित्व		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	303.93	297.16
अन्य देनदारियां	0.32	0.11
	304.25	297.27
गैर चालू देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	-	-
अन्य देनदारियां	16.54	16.96
	16.54	16.96
शुद्ध संपत्ति	2,276.10	2,369.82
स्वामित्व हित	47.82%	47.82%
ब्याज की वहन राशि	1,088.43	1,133.25

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	176.22	10.52
मूल्यहास और परिशोधन	0.04	0.11
ब्याज आय	0.39	0.49
ब्याज व्यय	5.02	89.57
आयकर व्यय या आय	-	-
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	154.38	(93.83)
अनिरंतर परिचालनों से कर पश्चात लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	(248.10)	307.55
कुल व्यापक आय	(93.72)	213.72
स्वामित्व हित	47.82%	47.82%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44बी. इक्विटी विधि निवेशिती की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू आस्तियां		
नकदी और नकदी समतुल्य	39.49	14.59
अन्य आस्तियां	470.95	800.51
	510.44	815.10
गैर-चालू आस्तियां	581.43	541.48
चालू देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	128.47	121.48
अन्य देनदारियां	31.03	38.77
	159.50	160.25
गैर-चालू देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	7.88	8.78
अन्य देनदारियां	65.68	303.05
	73.56	311.83
शुद्ध आस्तियां	858.81	884.50
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%
ब्याज की वहन राशि	429.41	442.25

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	842.02	920.25
मूल्यहास और परिशोधन	0.37	-
ब्याज आय	-	30.34
ब्याज व्यय	3.09	14.16
आयकर व्यय या आय	18.50	23.60
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	85.94	71.95
अनिरंतर परिचालनों से कर बाद लाभ या हानि	-	-
- अन्य व्यापक आय	-	(1.75)
कुल व्यापक आय	85.94	70.20
स्वामित्व हित	50.00%	50.00%

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चालू आस्तियां		
नकदी एवं नकदी समकक्ष	3.82	3.33
अन्य आस्तियां	44.88	41.68
	48.70	45.01
गैर-चालू आस्तियां	627.05	652.43
चालू देनदारियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	114.79	184.51
अन्य देनदारियां	184.19	583.46
	298.98	767.97
गैर चालू आस्तियां		
वित्तीय देनदारियां (प्रावधानों को छोड़कर)	1.51	0.02
अन्य देयताएं	462.03	7.64
	463.54	7.66
शुद्ध आस्तियां	(86.77)	(78.19)
स्वामित्व हित	26.00%	26.00%
शुद्ध आस्तियों का परिकल्पित हिस्सा प्रतिष्ठा	(22.56)	(20.33)
ब्याज की वहन राशि	(22.56)	(20.33)

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व	310.35	229.76
मूल्यहास और परिशोधन	34.43	37.69
ब्याज आय	-	-
ब्याज व्यय	7.24	14.43
आयकर व्यय या आय	2.82	21.97
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	(7.54)	(92.04)
अनिरंतर परिचालनों से कर बाद लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	0.04	0.06
कुल व्यापक आय	(7.50)	(91.98)
स्वामित्व हित	26.00%	26.00%

संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	(3.90)	(0.79)
परिचालनों से कर बाद लाभ या हानि	-	-
व्यापक आय	-	(0.01)
कुल व्यापक आय	(3.90)	(0.80)

सहयोगी, न कि व्यक्तिगत महत्वपूर्ण

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	(1.37)	(0.69)
अनिरंतर परिचालनों से कर बाद लाभ या हानि	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	(1.37)	(0.69)

संयुक्त उद्यम के नुकसान की गैर मान्य हिस्सेदारी, रिपोर्टिंग अवधि और संचयी दोनों रूप से, जहां सेल ने इक्विटी पद्धति को लागू करते समय, संयुक्त उद्यम के नुकसान के अपने हिस्से को पहचानना बंद कर दिया है।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
सेल मॉयल फेरो एलॉयएस प्राइवेट लिमिटेड-रिपोर्टिंग	(0.04)	(0.06)
सेल मॉयल फेरो एलॉयएस प्राइवेट लिमिटेड-संचयी	6.89	6.93
सेल एससीएल केरल लिमिटेड-रिपोर्टिंग	9.11	8.25
सेल एससीएल केरल लिमिटेड-संचयी	45.78	36.67
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड-रिपोर्टिंग	0.43	0.80
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड-संचयी	5.84	5.41
भिलाई जेपी प्राइवेट लिमिटेड-रिपोर्टिंग	2.25	14.63
भिलाई जेपी प्राइवेट लिमिटेड-संचयी	16.88	14.63
सेल बंगाल एलॉय कार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड-रिपोर्टिंग	-	0.01
सेल बंगाल एलॉय कार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड-संचयी	0.02	0.02

संयुक्त उद्यम से प्राप्त लाभांश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	95.00	50.00
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	6.60	6.60
सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	-	0.08
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	55.81	15.50

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44सी. सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों का विवरण

44.सी.1 दो सहायक कंपनियों, सेल जगदीशपुर पावर संयंत्र लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 482(2) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार फास्ट ट्रैक एक्जिट मोड के तहत कम्पनी को बंद करने के लिए आवेदन दायर किया है। इन दोनों में से, सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड का नाम एमसीए ने अपने नोटिस दिनांक 12 दिसंबर, 2018 के द्वारा हटा दिया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इन दोनों सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2021 तक की आस्तियों और देनदारियों और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और व्यय पर समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों में विचार नहीं किया गया है।

44.सी.2 समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इकाइयां परिसमापन/बंद/समाधान के अधीन हैं। इन कंपनियों में निवेश को 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति अनुसार पूरी तरह से प्रावधानित किया गया है। इन संयुक्त उपक्रमों के लाभ/हानि की हिस्सेदारी को शून्य को विचारार्थ लिया गया है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के नाम

- 1 एनएमडीसी-सेल लिमिटेड
- 2 सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
- 3 अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड
- 4 सेल-बंगाल एलॉयज कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
- 5 एस एंड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड
- 6 सेल-मोइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

7 वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड

8 सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड

आईसीवीएल की अनुगामी/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों (संयुक्त उद्यम इकाई) के नाम:

- 9 बैगा पावर संयंत्र (मॉरीशस) लिमिटेड
- 10 प्रोमार्क सर्विसेज लिमिटेड
- 11 आईसीवीएल वेंचर (मॉरीशस) लिमिटेड
- 12 बैगा एनर्जिया एसए

44.सी.3 समूह की एक अनुगामी कंपनी और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं, कुछ लेखांकन नीतियां, समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं। समूह की लेखांकन नीति से असंगतता के कारण इन संयुक्त नियंत्रित इकाइयों के लाभ/हानि पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

क्र. सं.	संयुक्त नियंत्रित संस्था का नाम	होल्टिंग कंपनी की लेखांकन नीति की तुलना में अलग लेखा नीति का विवरण
1	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड -अनुभागी कंपनी	नोट संख्या 3.1.3 : कुछ आस्तियों पर मूल्यहास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है जो सेल से अलग है। पूंजीगत मरम्मत के पूंजीकरण की कोई मौद्रिक सीमा नहीं।
2	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड-संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट संख्या 2.4 : अमूर्त आस्तियों (सॉफ्टवेयर) का तीन वर्षों की अवधि में परिशोधन किया जाता है।
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड-संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट संख्या 3.2.2 : यदि यह संभावित है कि भविष्य में होने वाले लागत के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की प्रमुख मरम्मत को मद की वहन राशि में मान्यता प्राप्त है।
4	सेल और मोइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड-संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट सं 3.2.3 : पूंजीगत पुर्जों पर मूल्यहास, पुर्जों के उपयोगी जीवन पर या मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर, जो भी कम हो, के आधार पर प्रदान किया जाता है।
5	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड-संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट संख्या 12 (बी) (डी) (iv) : वर्ष के दौरान वर्धित/विलोपित पर मूल्यहास को आनुपातिक आधार पर, वर्धन/विलोपन के महीने के संदर्भ में, लगाया जाता है (जे) पहले के वर्षों से संबंधित समायोजन
6	सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट संख्या 1.1 : पूंजीगत पुर्जों के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं
7	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड - संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	नोट संख्या 1.2 : पूंजीगत मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं
8	बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्रा. लिमिटेड	नोट संख्या 1.5 : कुछ आस्तियों पर, अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है जो सेल से अलग है।
9	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	नोट संख्या 3.4 : सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 वर्षों के लिए या उपयोग करने का कानूनी अधिकार, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है
10	गेडकोल सेल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	नोट संख्या 7 : इन्वेंटरी का मूल्यांकन
11	सेल एससीएल केरेल लिमिटेड	नोट संख्या 19 : पूर्व अवधि समायोजन
		नोट संख्या 3.5 : इन्वेंटरी के मूल्यांकन का आधार सेल से भिन्न है।
		नोट सं. 3.11 : नीति सेल से भिन्न है।
		नोट संख्या 1 : सुनाम प्रतिष्ठान, एस एण्ड टी खनन पर लागू नहीं है
		नोट संख्या 2.3 : पीपीई
		नोट नं 2.4 : अमूर्त आस्ति जीवन
		नोट संख्या 2.5 : कुछ आस्तियों पर मूल्यहास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है जो सेल से अलग है।
		नोट 212 : राजस्व
		नोट संख्या 4.1 : पीपीई- प्रारंभिक मान्यता और माप
		नोट संख्या 4.2 : गैर- मान्यता
		नोट संख्या 4.3 : मूल्यहास
		नोट संख्या 6.1 : सॉफ्टवेयर का जीवन
		नोट संख्या 9 : इन्वेंटरी
		नोट नं. 13 : राजस्व मान्यता
		नोट नं 14 : परिसमापित नुकसान
		नोट संख्या 24 : लाभार्श
		नोट संख्या 25 : पूर्व अवधि मदें।
		नोट सं. 2.9 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
		नोट संख्या 2.11 : अमूर्त आस्तियां
		नोट सं. 2.16 : इन्वेंटरी
		जी. कम्प्यूटर का अनुमानित उपयोगी जीवन 3 वर्ष है।
		(ए) तैयारी का आधार
		(ई) मूल्यहास
		(जी) नकदी एवं नकदी समकक्ष
		(आई) इन्वेंटरी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44.सी.4 इक्विटी पद्धति के तहत, संयुक्त उपक्रम/एसोसिएट में निवेश की गणना, सहयोगी कंपनी की तरह से लाइन दर लाइन विधि द्वारा नहीं की जाती है। इसलिए, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से खरीद/बिक्री के अंतिम स्टॉक पर केवल लाभ/हानि घटक को समाप्त करने पर विचार किया जाना है। सेल, मुख्य रूप से अपने संयुक्त उद्यम से बिजली खरीदता है जिसका कोई अंतिम स्टॉक नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन-देन बहुत कम है और उस पर लाभ/हानि की गणना करना भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

44डी समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-III द्वारा अपेक्षित सूचना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	कुल मूल्य		लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय		
समूह में संस्था का नाम	31 मार्च, 2021 को स्वामित्व % में	अनुपातिक हिस्सा	समेकित शुद्ध मूल्य के % के रूप में	लाभ/हानि में हिस्सा	समेकित लाभ/हानि के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	39,364.35	86.69%	3,850.02	92.81%	280.53	174.36%	4,130.55	95.86%
अनुभागी कंपनियों									
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	138.68	0.31%	14.22	0.34%	(1.71)	-1.06%	12.51	0.29%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
संयुक्त -उद्यम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,639.63	3.61%	174.34	4.20%	0.15	0.09%	174.49	4.05%
बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्रा लिमिटेड	50	542.88	1.20%	42.97	1.04%	-	0.00%	42.97	1.00%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	176.16	0.39%	18.28	0.44%	0.01	0.01%	18.29	0.42%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लि	40	0.98	0.00%	0.22	0.01%	-	0.00%	0.22	0.01%
मिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	-	0.00%	(9.34)	-0.23%	0.01	0.00%	(9.33)	-0.22%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा लि	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	1,088.43	2.40%	73.82	1.78%	(118.64)	-73.74%	(44.82)	-1.04%
सेल - मॉडल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	50	30.01	0.07%	1.24	0.03%	-	0.00%	1.24	0.03%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड	50	0.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
प्राइम गोल्ड- सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.27	0.01%	(0.34)	-0.01%	-	0.00%	(0.34)	-0.01%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
गेडकोल सेल पावर कार्पो. लिमिटेड	26	2.61	0.01%	0.01	0.00%	-	0.00%	0.01	0.00%
बरतार रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12	35.44	0.08%	0.06	0.00%	-	0.00%	0.06	0.00%
सहयोगी कंपनियां						0.00%			
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.31	0.00%	(0.27)	-0.01%	-	0.00%	(0.27)	-0.01%
गैर-नियंत्रणीय हित				-				-	
समेकित समायोजन		2,379.18	5.24%	(17.09)	-0.41%	0.55	0.34%	(16.54)	-0.38%
कुल जोड़		45,406.23	100.00%	4,148.13	100.00%	160.90	100.00%	4,309.03	100.00%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

44ई समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III द्वारा अपेक्षित सूचना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	शुद्ध मूल्य								
समूह में संस्था का नाम	31 मार्च, 2020 को स्वामित्व % में	अनुपातिक हिस्सा	समेकित शुद्ध मूल्य का %	लाभ/हानि में हिस्सा	समेकित लाभ/हानि का %	अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय का %	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय का %
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	39,777.38	95.83%	2,021.54	95.32%	(115.71)	-444.52%	1,905.83	88.78%
अनुभांगी कंपनियां									
सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	100	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	138.68	0.33%	14.22	0.67%	(1.71)	-6.57%	12.51	0.58%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
संयुक्त उद्यम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,371.26	3.30%	184.48	8.70%	(2.27)	-8.72%	182.21	8.49%
बोकारो पावर स्प्लाई कंपनी प्रा लिमिटेड,	50	444.10	1.07%	35.98	1.70%	(0.88)	-3.36%	35.10	1.64%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	151.27	0.36%	20.15	0.95%	(0.49)	-1.86%	19.66	0.92%
सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लि.	40	0.76	0.00%	0.14	0.01%	(0.00)	-0.02%	0.14	0.01%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	-	0.00%	(9.34)	-0.44%	0.02	0.06%	(9.32)	-0.43%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	1,133.25	2.73%	(44.87)	-2.12%	147.07	565.00%	102.20	4.76%
सेल —मॉयल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड	50	-	0.00%	(0.07)	0.00%	-	0.00%	(0.07)	0.00%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	50	28.77	0.07%	7.77	0.37%	-	0.00%	7.77	0.36%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड	50	0.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल बंगाल एलॉय कारस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
प्राइम गोल्ड— सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.61	0.01%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	(0.02)	0.00%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
गोडकोल सेल पॉवर कॉर्पो. लिमिटेड	26	2.61	0.01%	0.07	0.00%	-	0.00%	0.07	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12	35.38	0.09%	0.17	0.01%	-	0.00%	0.17	0.01%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.58	0.00%	(0.14)	-0.01%	-	0.00%	(0.14)	-0.01%
अनियंत्रित ब्याज				-				-	
समेकन समायोजन		(1,581.70)	-3.81%	(109.36)	-5.16%	(0.00)	-0.01%	(109.36)	-5.09%
कुल योग		41,510.24	100.00%	2,120.71	100.00%	26.03	100.00%	2,146.74	100.00%

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
45: गिरवी आस्तियों के विवरण		
चालू		
इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्त्य (गिरवी की सीमा तक)	3504.00	4112.33
गैर चालू		
संयंत्र और मशीनरी (चल आस्ति): बीएसएल, बीएसपी और आरएसपी (गिरवी की सीमा तक)	12267.42	25860.50
शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे-वाडेज में भूमि तथा संयंत्र और मशीनरी-आईएसपी तथा वह भूमि जिस पर यह बनी है।	5118.00	6304.00
46: प्रभावी कर पुनः समाधान		
कर से पहले लाभ / (हानि)	7205.65	3301.58
पीएफएस हेतु घरेलू कर की दर	25.168%	34.944%
अपेक्षित कर व्यय [क]	1813.52	1153.70
कर-मुक्त आय / गैर-कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	11.87	(15.11)
अंतर-कर दर मदों के लिए समायोजन	(14.57)	(0.01)
विशिष्ट व्यय पर कर प्रोत्साहन	-	(12.20)
पहले के वर्ष से संबंधित कर	1287.94	66.31
अन्य	(41.23)	(11.82)
जोड़ समायोजन [ख]	1244.01	27.17
वास्तविक कर व्यय [ग=क+ख]	3057.52	1180.87
कर व्यय में निम्न शामिल हैं :		
चालू कर व्यय	16.35	229.79
अस्थगित कर क्रेडिट	3041.17	951.08
लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय [ग]	3057.52	1180.87

47.1 आकस्मिक देयताएं

सेल के बारे में

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) सेल के विरुद्ध लंबित अपील/न्यायिक निर्णयों के दावे	33597.55	29843.89
(ii) सेल के विरुद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3886.76	4963.21
(iii) संयुक्त उद्यम कंपनी पर विवादित आयकर/सेवा कर अन्य मांग, जिसके लिए सेल संयुक्त उद्यम समझौते के तहत उत्तरदायी हो सकता है	61.63	42.91
(iv) ग्राहकों पर आहरित और बैंकों के पास डिस्काउंट किए गए बिल	255.35	84.86
(v) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य वृद्धि का दावा और कर्मचारियों द्वारा दावा	336.32	361.98

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बारे में :

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i) सहयोगी कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के विरुद्ध दावों के लंबित अपील/न्यायिक निर्णय	8.96	1.28
(ii) सहयोगी कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के विरुद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2119.82	2092.53

47.2 सेल के बारे में:

(ए) (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ ने 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू प्रवेश कर अधिनियमों की वसूली की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और प्रवेश कर की वसूली के विशिष्ट संबंधित मुद्दों निर्णयन के लिए विचार हेतु सिद्धांत/जांच निर्धारित की है। इस संबंध में, 31 मार्च, 2021 तक, माननीय उच्चतम न्यायालय/क्षेत्रीय न्यायिक उच्च न्यायालयों/नियत प्राधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष मामले लंबित हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड राज्यों के अन्य न्यायालयों की पीठों में, प्रवेश कर की वसूली के लंबित निर्णयों में 31 मार्च, 2021 तक क्रमशः ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़ और ₹ 40.14 करोड़ प्रवेश कर की मांग की गई है जो कुल मिला कर ₹ 1373.42 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 1092.28 करोड़, ₹ 241.00 करोड़ और ₹ 40.14 करोड़ क्रमशः, जो 31 मार्च, 2020 तक कुल मिला कर ₹ 1373.42 करोड़ है) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- (ii) पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2017 में पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल प्रवेश कर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 15.06.2018 के द्वारा डीएसपी, आईएसपी, एसपी और सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्दी की प्रवेश कर पर रिट याचिका को पश्चिम बंगाल कराधान ट्रिब्यूनल में प्रेषित कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कम्पनी ने प्रवेश कर विवादों के समायोजन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्यिक कर निदेशालय द्वारा लायी गयी विवाद निपटान योजना, 2020 के तहत रु. 160.80 करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं।
- बी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 2017 के आदेशानुसार, कानूनी प्रश्न को विचारार्थ छोड़ते हुए, 2009-14 के लिए बिजली टैरिफ से संबंधित अनंतिम टैरिफ याचिका के मामले में, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी द्वारा एसएलपी खारिज कर दिया है। 2009-14 के टैरिफ के संबंध में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेश दिनांक 7/8/2013, याचिका संख्या 275/जीटी/2012 के विरुद्ध विद्युतीय अपीलीय प्राधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष चुनौती (2014 की अपील नंबर 18) दी गई है जिसमें कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लम्बित है। इसके अलावा विद्युतीय अपीलीय प्राधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के विरुद्ध वित्त वर्ष 2004-05 से 2008-09 के टैरिफ से संबंधित दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) द्वारा दाखिल सिविल अपील के परिप्रेक्ष्य में, माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए कुछ मापदंडों के विचार के मद्देनजर भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी प्रभाव डाल को सकती है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित अनुसार खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां रु. 587.72 करोड़ का विवाद उत्पन्न हुआ है, डीवीसी ने वर्ष 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य विद्युत आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व अपेक्षा के लिए आवेदन सहित नवम्बर, 2020 में अपनी खुदरा टैरिफ याचिका दाखिल कर दी है और वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में राजस्व अन्तराल/अधिशेष के समायोजन की मांग की है। कम्पनी ने डीवीसी के उपरोक्त आवेदन के प्रति 28.12.2020 को अपनी आपत्तियां भी दाखिल की हैं। ऐसे बिजली टैरिफ के निर्धारण हेतु 31 मार्च, 2021 तक रु. 587.72 करोड़ (31 मार्च, 2020 तक रु. 587.72 करोड़) की डीवीसी की विवादित लंबित मांगों को आकस्मिक देयता माना गया है और इसे नोट संख्या 47.1 (1) (एफ) में ऊपर शामिल किया गया है। उक्त दावों के विरुद्ध, डीवीसी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है और अग्रिम के रूप में बरकरार रखा गया है। साथ ही, 1 अप्रैल, 2017 से पूर्ण चालान मूल्य का भुगतान किया जा रहा है और इसे राजस्व में प्रशासित किया जा रहा है।
- 47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, झारखंड राज्य सरकार ने कोयला, लोहा और इस्पात की वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर "बाजार शुल्क" के रूप में, 31 मार्च, 2021 तक रु. 4356.65 करोड़ (31 मार्च, 2020 तक रु. 4028.18 करोड़) की मांग की है। क्योंकि मामला पक्षपातपूर्ण है इसलिए राशि को नोट संख्या 47.1 (प) के रूप में उपरोक्त आकस्मिक देयताओं में प्रकट किया गया है।
- 47.4 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कोलकाता ने अपने निर्णय में निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और संशोधित भत्तों और भत्तों के भुगतान का उचित निर्णय लेकर रु. 325.13 करोड़ की राशि को, 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए, कार्यकारी अधिकारियों को देगा। इस्पात मंत्रालय ने मामले में 7.12.2016 को सेल को सूचित किया था। इस मामले में एक याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। क्योंकि पक्षपातपूर्ण है, इस राशि को उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (अ) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।
- 47.5 धुले हुए स्वदेशी कोकिंग कोल की आपूर्ति के एक तरफा मूल्य का दावा सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा 14 जनवरी, 2017 को किया गया जो वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य से विचलन में है। कम्पनी द्वारा आपूर्ति के लिए सेल और सीसीएल के बीच सहमत व्यक्त कीमतों के आधार पर, संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापनपत्र के आधार पर, आपूर्ति 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की जायेगी। सीसीएल द्वारा एमओयू दलों से ऊपर की एकतरफा अधिसूचित उच्च दरों के दावों की राशि रु. 148.07 करोड़ को, ऊपर दी गई नोट संख्या 47.1 (पप) में आकस्मिक देयता के रूप में दिया गया है।
- 47.6 (i) पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) ने अपने पत्र संख्या - 11-599/2014-एफसी दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1989 (एफसी अधिनियम) के तहत गैर-वन प्रयोजन के लिए वनों के डाइवर्जन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों में दिया गया है कि मौजूदा खनन पट्टों में वन भूमि (आंशिक या पूरी तरह से) होने की स्थिति में, जहां एफसी अधिनियम के तहत, वन भूमि का केवल एक हिस्सा प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार ने, शेष क्षेत्र के लिए एफसी अधिनियम की धारा -2 (पपप) के तहत, वन भूमि के शेष हिस्से को भी, कुछ शर्तों के तहत, सामान्य अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें खनन पट्टे में पड़ने वाली पूरी वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) शामिल है, यदि ऐसी वन भूमि का एनपीवी पहले से वसूल नहीं किया गया है। इस मामले में, कंपनी द्वारा ली गई कानूनी राय के अनुसार, एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2(पपप) सरकारी निगम पर लागू नहीं होगी और एनपीवी को केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे एमओईएफ और सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिनमें खनन कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं और पूरे वन क्षेत्र के लिए नहीं है। सकल वन भूमि हेतु एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को कंपनी द्वारा झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को रखने का निर्देश दिया है।
- (ii) छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से 2017-18 के दौरान की गई रु. 96.28 करोड़ की मांग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है। कंपनी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पास रु. 96.28 करोड़ की राशि जमा कर दी है और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की है।
- 47.7 छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया और छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर उपकर लगाया। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर इस अधिनियम को अधिकारातीत के रूप में चुनौती दी है। हालांकि, बीएसपी ने 2020-21 तक विरोध के तहत रु. 168.23 करोड़ जमा कर सरकारी विभाग के पास जमा के रूप में दिखाया है। नोट संख्या 47.1(प) में आकस्मिक देयता के तहत कुल विवादित राशि रु. 168.23 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 148.39 करोड़) का प्रकटन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के अनुसरण में, अवैध खनन के संबंध में, कॉमन कॉज मामले में, धारा 21(5) और खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन मंजूरी और परिचालन हेतु सहमति से अधिक उत्पादन के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के बिना और उससे अधिक उत्पादित खनिजों की कीमत की वसूली के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी ने झारखंड और ओडिशा के उच्च न्यायालय के समक्ष कथित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्टे प्राप्त किया है।
- (ए) क्योंकि मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और मौजूदा मुकदमेबाजी के निहितार्थ पर विचार करते हुए, कंपनी ने निम्नलिखित का प्रावधान किया है :
- (i) ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः रु. 311.99 करोड़ एवं रु. 2347.52 करोड़ (31 मार्च 2020 तक क्रमशः रु. 278.94 करोड़ और रु. 2057.97 करोड़) (ब्याज सहित) लौह अयस्क के संबंध में। अनुमानित आधार पर रु. 378.65 करोड़ (31 मार्च, 2020 को रु. 363.58 करोड़) की राशि प्रदान कर दी है। नोट नंबर 47.1 (प) शेष राशि रु. 2280.86 करोड़ (31 मार्च, 2020 को रु. 1973.33 करोड़ (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
- (ii) फलक्स के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा रु. 51.01 करोड़ (31 मार्च 2020 को रु. 29.47 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने अनुमानित आधार पर रु. 12.20 करोड़ (31 मार्च 2020 तक रु. 10.56 करोड़) की राशि प्रदान की है। उपरोक्त नोट संख्या 47.1(प) में रु. 38.81 करोड़ की शेष राशि (31 मार्च 2020 तक रु. 18.91 करोड़) (ब्याज सहित) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
- (बी) कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा रु. 595.35 करोड़ (31 मार्च, 2020 को रु. 515.08 करोड़) (ब्याज सहित), संशोधन रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के तहत संशोधन आवेदन दायर किया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकरण ने कंपनी को स्टे दिया है। तदनुसार, लंबित निपटान के कारण, रु 595.35 करोड़ (31 मार्च, 2020 को रु. 515.08 करोड़) (ब्याज सहित) को, उपरोक्त नोट 47.1(प) के तहत आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

- 47.8** ए) मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) और मेसर्स डेनिएल कोरस बीवी (डीसी) (कंसोर्टियम में) ने इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के विचाराधीन मामले में मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष, मामला संख्या —22326/पीटीए दायर किया है जो सेल/राउरकेला स्टील संयंत्र के विरुद्ध अनुबंध संख्या पी/पीआरओजे/643(10/79001/08049126 दिनांक 01.10.2008 से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए है। मध्यस्थता अधिकरण ने दिनांक 16 मई, 2018 को सेल/राउरकेला स्टील संयंत्र के विरुद्ध रु 626.02 करोड़ की राशि का अवार्ड प्रदान किया है।

अवार्ड के विरुद्ध, प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपील का निपटान लंबित होने के कारण, प्रबंधन ने रु 300 करोड़ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जमा किए हैं (नोट सं. 20 का संदर्भ लें)। ऊपर नोट संख्या 47.1 (पप) में रु 962.51 करोड़ (31 मार्च, 2020 को रु. 834.53 करोड़) की राशि को, आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किया गया है।

- (बी) मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमैश ने, अनुबंध के कारण उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए सेल/भिलाई स्टील संयंत्र के विरुद्ध, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष मामला दायर किया है। मध्यस्थता अधिकरण ने सेल/भिलाई स्टील संयंत्र के विरुद्ध 20.07.2018 को रु 106.92 करोड़ की राशि का अवार्ड प्रदान किया है।

अवार्ड के विरुद्ध, प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपील का निपटान लंबित होने के कारण, आकस्मिक देयता के रूप में रु 129.98 करोड़ की राशि (ब्याज सहित) को ऊपर नोट संख्या 47.1(ii) में दिया गया है।

- 47.9** 5.545 एकड़ भूमि, डीवीसी को 30 वर्ष की अवधि के लिए, लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर 12.07.1966 को आवंटित की गई थी। एसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह भूमि, विद्युत उपकेंद्र लगाने के लिए डीवीसी को दी गई थी। अनुक्रम अवधि अर्थात् 13/07/1996 से इसके लिए कोई पट्टा समझौता नहीं हुआ था। किसी भी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। निपटान के वर्ष में ही उसका हिसाब रखा जाएगा।

- 47.10** माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, लीज के नवीनीकरण की दिशा में कंपनी का होरोमोटो के क्षेत्र के लिए दावा खोत संख्या 4(पप) (बी) के तहत प्रकट कुल क्षेत्रफल 2599.54 एकड़, 222.54 एकड़ के सतही क्षेत्रफल को छोड़कर, जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है, खारिज कर दिया है।

- 47.11** मेसर्स गोयल एमजी गैसेज प्राइवेट लिमिटेड (दावाकर्ता) और सेल/एलॉय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न अवार्ड रु. 116.86 करोड़ का दावा, जो स्कोप, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.05.2020 का है और दिनांक 22.05.2020 को प्राप्त हुआ।

पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा ट्रिब्यूनल ने दावेदार द्वारा दावा की गई बाजार दर के आधार पर डीएसपी बीओओ प्लॉट से एसपी तक आर्गन के परिवहन शुल्क से संबंधित अंतर राशि के संबंध में दावेदार के दावे संख्या 1 और 2 तथा एसपी द्वारा रोकी गई/काटी गई राशि की वापसी कुल दावा की गई राशि में से क्रमशः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के मर्चेट मार्केट में बिक्री के लिए दावेदार के बिलों पर लागू ब्याज के साथ देने की अनुमति दी।

सेल एसपी, जिला न्यायालय/वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम) की धारा 34 के तहत अवार्ड को समाप्त करने के लिए याचिका दायर करने हेतु आगे कदम उठाने की प्रक्रिया में है क्योंकि ये मुद्दे अधिकरण द्वारा अवार्ड देते समय की गई पेटेंट अवैधता से संबंधित हैं।

उक्त को देखते हुए और अधिकरण के द्वारा बताई गई राशि की मात्रा के आधार पर, 31 मार्च, 2020 तक रु 7.06 करोड़ की शुद्ध विवादित देयता को ऊपर नोट संख्या 47.1(प) में आकस्मिक देयता के तहत बुक किया गया है।

- 48.1** अनुबंधों की शेष अनुमानित राशि, जिन्हें निष्पादित किया जाना शेष है और प्रदान नहीं किया गया है (अग्रिमों का शुद्ध), निम्न है :
सेल के बारे में (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूँजी प्रतिबद्धताएं	5066.03	5368.33
अन्य प्रतिबद्धताएं	4259.28	4421.19

सहायक कंपनियों/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बारे में :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूँजी प्रतिबद्धताएं	479.84	558.33
अन्य प्रतिबद्धताएं	23.06	20.47

सेल के बारे में :

- 48.2** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित की गई परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से देय राशि (जैसा कि नोट संख्या 30 व्यापार प्राप्य में दिए गए प्रकटीकरण अनुसार है) को इस सीमा तक परिभाषित किया गया है कि इस तरह के पक्षों की पहचान, सेल के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार की गई है। 31 मार्च, 2021 तक सूक्ष्म, लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को बकाया शेष मूल राशि।	103.57	47.99
ii.	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में अप्रदत्त शेष राशि।	-	-
iii.	धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अनुवर्ती वर्षों में शेष देय और भुगतान योग्य राशि पर अगले ब्याज की राशि उस तिथि तक जब तक छोटे उद्यमों को उपरोक्त के अनुसार ब्याज की बकाया राशि भुगतान की जाती है।	-	-
iv.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया अप्रदत्त देय ब्याज की राशि	-	-
v.	वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ, धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
vi.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- 48.3** कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य आस्तियों, व्यापार और अन्य देयताओं के संतुलन पुष्टिकरण/सुलह और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। मिलान कार्य निरंतर आधार पर चल रहे हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टियों/सुलह का किसी तात्त्विक वित्तीय वित्तीय प्रभाव होने की आशा नहीं है।
- 48.4** कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115बीए के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष के दौरान, 31 मार्च, 2020 और उसके बाद समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा के तहत अल्प कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने एमएटी क्रेडिट के कारण उत्पन्न होने वाली अस्थगित कर आस्तियों को चार्ज किया है और संशोधित प्रभावी कर दर के आधार पर अस्थगित कर आस्तियों को पुनर्निर्धारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में रु. 1288.22 करोड़ का एक मुश्त प्रभार है।
- 49.1** इंड एएस 115 के अनुसार—ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, रु. 10579.84 करोड़ की जीएसटी राशि (पिछले वर्ष रु. 9929.08 करोड़) परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।
- 49.2** कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, इन एजेंसियों को चालान अनंतिम कीमतों पर किया जाता है, जब तक कि अंतिम कीमत पर सहमति नहीं हो जाती। उपरोक्त अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 तक संचयी	31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 तक संचयी
1566.75	6902.50	14952.22	2714.98	7634.55	8074.36

- 49.3** वेतन संशोधन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध दिनांक 31 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में भारत सरकार, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी 3 अगस्त, 2017 और 24 नवंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में सामर्थ्य और वित्तीय स्थिरता खंड को ध्यान में रखते हुए, कंपनी 1 अप्रैल, 2020 से वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के मानदंडों को पूरा करती है। तदनुसार, अंतिम रूप देने/नए समझौते के लंबित होने के कारण, अनुमानित आधार पर, वेतन और मजदूरी संशोधन के लिए एक सर्व-समावेशी प्रावधान क्रमशः रु. 1145.71 करोड़ और रु. 10.11 करोड़ निर्माण के दौरान लाभ और हानि तथा व्यय के विवरण के लिए प्रशासित किया गया है।
- 49.4** सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के अनुसार, कंपनी को अधिवर्षिता लाभ के रूप में कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30% तक योगदान करना आवश्यक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेजुएट, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार कंपनी ने 1 जनवरी, 2007 से कार्यकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के 9% की दर से पेंशन लाभ और 1 अप्रैल, 2015 से के 3% का प्रावधान किया है। इसके अलावा, गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 6% की दर से और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 2% की दर से प्रदान किया गया।
- पेंशन योजना को 9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015-16 और उसके बाद से, पेंशन के लिए योगदान को औसत निवल मूल्य के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यदि औसत निवल मूल्य से पीबीटी का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है, तो पेंशन अंशदान की राशि मूल वेतन के 9% और अधिकारियों के लिए डीए तथा गैर-कार्यकारी के लिए मूल वेतन एवं डीए के 6% तक सीमित होगी, अन्यथा पेंशन के लिए योगदान की राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान के मामले में भी, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन एवं डीए के क्रमशः 3% और 2% की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। चूंकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ औसत निवल मूल्य के 8% से अधिक है, अतः अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए प्रावधान कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से क्रमशः 9% और 6% (मूल वेतन एवं डीए का) किया गया है।

सेल के संबंध में

कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए "कर्मचारी लाभ व्यय" और "निर्माण के दौरान व्यय" बेग अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए संचयी प्रावधान/दायित्व राशि क्रमशः रहण 2251.72 करोड़ (वर्ष के दौरान रु. 389.76 करोड़) और रु. 52.32 करोड़ (वर्ष के दौरान रु. 2.40 करोड़) के लिए प्रशासित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन कोष में रु. 694.19 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रु. 201.69 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए पात्र होने के लिए रु. 1.32 करोड़ की राशि जमा की गई है।

एसआरसीएल के संबंध में :

कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/दायित्व, रु. 4.18 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान रु. 0.45) की राशि को "कर्मचारी लाभ व्यय" के लिए प्रशासित किया गया है।

सेल के संबंध में

- 49.5** वर्ष के दौरान, लाभ और हानि विवरण में, अनुसंधान और विकास व्यय और सावधि आस्तियों/पूँजीगत प्रगति पर कार्य (शुद्ध) के लिए आवंटित राशि क्रमशः रु. 340.28 करोड़ (रु. 274.38 करोड़) तथा रु. 23.03 करोड़ (रु. 18.44 करोड़) की राशि को प्रशासित किया गया है। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि को संबंधित खातों के भीर्ष में दिखाया गया है। राशि का ब्रेक-अप निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

खाता प्रमुख	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
Raw Materials	198.05	121.12
Employees Benefits Expense	83.76	66.26
Stores & Spares Consumed	6.27	12.11
Power & Fuel	17.77	26.10
Repairs & Maintenance	3.79	4.10
Depreciation and Amortisation Expense	6.89	6.84
Other Expenses	21.45	35.53
Finance Cost	2.30	2.30
Total	340.28	274.36

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49.6 कंपनी एक पूरे संयंत्र की संपत्ति को कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में मानती है। कंपनी ने आंतरिक रूप से समीक्षा की है कि क्या कोई संकेतक हैं कि प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सीजीयू की अपनी संपत्ति की वहन राशि खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेतक मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्च के रूप में लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य, किसी आस्ति के निरंतर उपयोग से उत्पन्न अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न संभावित मूल्य पर आधारित है। खराबी से हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी सीजीयू की आस्तियों की वहन राशि आस्ति वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के अलावा, कंपनी ऐसा कोई संकेत मौजूद होने की संभावना पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार सीजीयू की आस्तियों का शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार कंपनी द्वारा अपने विभिन्न सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, उसे किसी खराबी हानि को प्रावधानित कराने की आवश्यकता नहीं है।

49.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर, वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर राशि रु. 39.44 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान रु. 33.00 करोड़) का बजट रखा गया है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर (पिछले वर्ष के दौरान रु. 27.56 करोड़) निम्नलिखित शीर्षों के तहत 47.18 करोड़ की राशि व्यय की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
शिक्षा	8.30	8.83
स्वास्थ्य	28.48	8.10
आजीविका सृजन	2.14	1.33
महिला सशक्तिकरण	0.57	0.51
पेय जल	0.80	0.47
स्वच्छता	0.23	0.28
खेल	0.72	1.24
कला और संस्कृति	1.65	3.52
ग्रामीण विकास	1.19	1.56
सामाजिक सुरक्षा	0.46	0.33
पर्यावरण स्थायित्व	0.48	1.05
आपदा राहत	2.06	0.00
परियोजना चिह्नांकन एवं निगरानी	0.10	0.05
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.00	0.29
जोड़	47.18	27.56

“निल करोड़” की शेष राशि को “अव्ययित सीएसआर खाते” में हस्तांतरित कर दिया गया है।

एसआरसीएल के संबंध में :

एसआरसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत रु. 0.49 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.57 करोड़) खर्च किए हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-2021	2019-2020
शिक्षा	0.17	0.19
स्वास्थ्य	-	0.09
महिला सशक्तिकरण	0.07	0.07
स्वच्छता	0.14	0.19
कला और संस्कृति	-	0.00
अन्य	0.11	0.03
जोड़	0.49	0.57

सेल के संबंध में :

49.8 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) और (6) के अनुपालन में, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष तथा वर्तमान वर्ष से)
2020-21	0.00	1.50
2019-20	0.00	0.43
2018-19	1.47	1.02

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

49.9 इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्तरोन्नत करने के उद्देश्य से स्वीकृत बजटीय प्रावधान रु. 294.82 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 तक केन्द्र सरकार का अनुदान रु. 294.82 करोड़ प्राप्त हुआ है और बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम के रूप में "अन्य देयताएं—अस्थगित आय" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है।

49.10 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) 116 के अनुसार "पट्टों" पर पट्टों की जानकारी :

(i) कंपनी के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदाम और संबंधित सुविधाएं तथा वाहन पट्टे पर हैं। अल्पकालिक पट्टों और निम्न-मूल्य की अंतर्निहित आस्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टा बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे की देयता के रूप में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग की संपत्ति के अधिकार के प्रारंभिक माप से बाहर रखा गया है। कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप अपनी उपयोग के अधिकार की संपत्ति का वर्गीकरण करती है। प्रत्येक पट्टे आम तौर पर एक प्रतिबंध होता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पार्टी को आस्तिको उपदेका देने का कोई संविदात्मक अधिकार नहीं है, तो उपयोग के अधिकार का उपयोग केवल कंपनी द्वारा किया जा सकता है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों पर पट्टों के लिए कंपनी को उन संपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टा अनुबंधों के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

आस्तियों के उपयोग का अधिकार

नीचे इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों की वहन राशि (नोट 4ए देखें) और मूवमेंट दिये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

खाते का भी वर्ष	लीजहोल्ड भूमि	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	आस्तियों के उपयोग का अधिकार जोड़
1 अप्रैल, 2020 को	808.79	1,371.13	11.66	13.50	2,205.08
परिवर्द्धन	59.57	56.17	1.86	0.16	117.76
समायोजन/निस्तारण	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	66.14	195.93	4.31	2.33	268.70
31 मार्च, 2021 को	802.22	1231.37	9.21	11.33	2054.13

पट्टा देनदारियां

वर्ष के दौरान पट्टा देनदारियों (ब्याज वाले ऋणों और उधारों के अंतर्गत शामिल) और गतिविधियों की वहन राशि नीचे निर्धारित की गई है (टिप्पणी 24 और 29 देखें)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	लीज देयताएं
1 अप्रैल, 2020 को	2184.04
परिवर्द्धन	55.26
उपचित ब्याज	165.37
भुगतान	336.13
31 मार्च, 2021 को	2068.54
चालू	249.16
गैर-चालू	1819.39

(ए) पट्टा देनदारियों की माप में पट्टा भुगतान शामिल नहीं है

पट्टा देनदारियों के मापन में शामिल नहीं किए गए भुगतानों से संबंधित व्यय इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021
अल्पकालीन पट्टे	2.40
निम्न मूल्य आस्तियों के पट्टे	-
परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	31.71
अन्य	-

(बी) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टों के लिए कुल नकदी प्रवाह रु. 1117.03 करोड़ (गत वर्ष रु. 1278.18 करोड़) है।

(सी) कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 को कुल रु. 0.71 करोड़ (गत वर्ष शून्य) के अल्पकालीन पट्टों हेतु प्रतिबद्धता की है।

(डी) पट्टा देनदारियों की परिपक्वता

पट्टा देनदारियों को संबंधित अंतर्निहित आस्तियों द्वारा प्रतिभूत किया जाता है— भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार थे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 साल के भीतर	1-5 साल	5 से अधिक	कुल
लीज भुगतान	359.84	1081.47	2087.62	3528.93
ब्याज व्यय	126.20	420.90	913.28	1460.38
शुद्ध वर्तमान मूल्य	233.64	660.57	1174.34	2068.55

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(ई) परिवर्तनीय लीज भुगतानों को उस अवधि में व्यय किया जाता है जिसमें वे होते हैं। 31 मार्च, 2021 तक भावी नकदी का बहिर्वाह शून्य है। (गत वर्ष शून्य)

(एफ) विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी:

आस्तियों के उपयोग का अधिकार	पट्टों की संख्या	शेष अवधि की सीमा	औसत शेष पट्टा अवधि	विस्तार विकल्प सहित पट्टों की संख्या	समाप्ति विकल्प के साथ पट्टों की संख्या
लीजहोल्ड भूमि	53	0.08 - 90	27.70	43	34
संयंत्र तथा उपकरण	9	0.12 - 15.01	5.78	5	1
वाहन	15	0.01 - 9.05	3.72	-	7
भवन	20	0.08 - 49.79	5.39	14	18

(जी) 31 मार्च, 2021 तक उन पट्टों के लिए भावी नकदी बाह्य प्रवाह जो अभी तक शुरू नहीं हुए थे, शून्य (गत वर्ष शून्य) है (कार्यालय परिसर)।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

पट्टादाता के रूप में परिचालन पट्टा

कंपनी ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों, अस्पतालों, मोबाइल टावरों, भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टरों / फ्लैट स्थानों आदि के लिए पट्टा समझौते किए हैं।

इस तरह के पट्टों की अवधि प्रत्येक पट्टा व्यवस्था के नियमों और शर्तों के आधार पर 11 महीने से 50 वर्ष तक होती है।

परिचालन पट्टे के तहत भविष्य में प्राप्त होने वाला न्यूनतम लीज भुगतान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ए) बाद में एक वर्ष से अधिक नहीं	28.83	23.83
(बी) बाद में एक वर्ष से अधिक और बाद में पांच साल से अधिक नहीं	70.96	58.37
(सी) पांच साल से बाद में	129.27	105.86
कुल	229.06	188.06

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल ऑपरेटिंग पट्टा किराया आय ₹. 34.85 करोड़ (31 मार्च, 2020 ₹. 11.49 करोड़) है।

पट्टेदार के रूप में वित्त पट्टा

कंपनी के पास फ्रीहोल्ड भूमि है जिसे वित्तीय पट्टा समझौते के तहत विभिन्न पाटियों को पट्टे पर दिया गया है।

वित्तीय पट्टे के तहत प्राप्ति योग्य भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ए) बाद में एक वर्ष से अधिक नहीं	0.60	0.62
(बी) बाद में एक वर्ष से अधिक और बाद में पांच साल से अधिक नहीं	0.78	0.34
(सी) पांच साल से बाद में	9.57	2.40
कुल बिना छूट वाले पट्टे का भुगतान	10.95	3.36
अनर्जित वित्त आय	9.86	3.36
लीज में शुद्ध निवेश	1.09	-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल वित्त पट्टा किराये की आय ₹. 0.58 करोड़ (31 मार्च, 2020 ₹. 0.50 करोड़) है।

(II) प्रमुख पट्टे पर देने की व्यवस्था के विवरण

पॉवर संयंत्र

कंपनी ने कुछ बिजली संयंत्रों के लिए, आपूर्तिकर्ता के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर इंड एस 17 के परिशिष्ट सी के तहत, वित्तीय पट्टे को लेखांकित किया है। पॉवर खरीद समझौते की शर्तों के तहत, कंपनी तब तक बिजली खरीद जारी रखेगी जब तक कि पार्टियां समझौते को समाप्त करने का फैसला नहीं करती हैं जिसे आस्ति की विशेष प्रकृति और स्थान पर विचार करते हुए गैर-आर्थिक प्रस्ताव परिभाषित किया गया है। इंड एस 116 - लीज के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं है।

ऑक्सीजन संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन खरीद समझौते के आधार पर, इंड एस 17 की परिशिष्ट सी के तहत, कुछ ऑक्सीजन संयंत्रों को वित्तीय पट्टे (या परिचालन पट्टे) के रूप में लेखांकित किया है। ऑक्सीजन खरीदने का समझौता 15 साल का निश्चित अवधि का समझौता है। इंड एस 118-लीज के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के अधिकार / आर्थिक मजबूरी को देखते हुए, अपने अधिकारों के आधार पर खनन पट्टों के लिए पट्टे पर भूमि के रूप में वित्तीय पट्टे को लेखांकित किया है। इसमें इंड एस 116-लीज के तहत कोई बदलाव नहीं है।

49.11 वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए नकदी और योगदान के लिए रेलवे अधिकारियों को राजहारा से रोवाघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 37 वर्ष के लिए 7: प्रति वर्ष की दर से नकदी में वसूल किया जाएगा। रोवाघाट खदानों से सुनिश्चित आवागमन की शुरुआत और पूर्ति के बाद सेल के योगदान को भुनाने की दिशा में काम किया गया है। प्रबंधन का मानना है कि समझौता ज्ञापन में परिभाषित मापदंड को पूरा किया जाएगा और निवेश की तारीख से ब्याज अर्जित होगा। धनवापसी राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं। तदनुसार, ब्याज घटक की गणना, वर्ष के दौरान आय के रूप में की गई है और रु 47.17 करोड़ (अब तक रु. 140.26 करोड़) की राशि आय के रूप में हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

समिति की राय के अनुसार, समय के आधार पर मान्यता देने की व्यवस्था प्रबंधन की दृष्टि के अनुसार सही है। राजस्व के एकत्रीकरण और माप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

- 49.12** कंपनी अपनी विभिन्न खानों में 42.60 मिलियन टन (पिछले वर्ष 42.98 मिलियन टन) सब-ग्रेड आयरन-ओर फाइन्स (एसजीएफ) की इन्वेंट्री वहन कर रही है। इन फाइनों में लौह सामग्री कम होने के कारण ये कम्पनी के इस्पात संयंत्रों में उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से सभी कैप्टिव खनिकों (कंपनी सहित) को इन उप-श्रेणी के फाइनों को बाजार में बेचने से रोक दिया। चूंकि, इन इन्वेंटरी का न तो उपभोग किया जा सकता था और न ही बेचा जा सकता था, अतः उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं था और इसलिए, 2018-19 तक इन उप-ग्रेड फाइनों को कोई मूल्य नहीं दिया गया था।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश सं. एफ.नं. 16/30/2019-एम.वीआई दिनांक 16 सितंबर 2019 के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों को कंपनी की कैप्टिव खानों में पड़े उप-ग्रेड खनिजों की बिक्री की अनुमति देने का निर्देश दिया, जो इस्पात संयंत्र में इस तरह के फाइनों की उपयोगिता के बारे में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो से परामर्श करके सुनिश्चित करने के अध्वधीन है। इसके बाद, 4 जनवरी 2020 को एक स्पष्टीकरण द्वारा, खान मंत्रालय ने उपयोगिता के प्रमाणीकरण की शर्त को हटा दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की शक्तियों पर कंपनी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दिनांक 19 मई 2020 को राय दी है कि उपरोक्त अधिसूचना एम एम डी आर अधिनियम की धारा 20ए (2)(वी) के तहत जारी की गई है। यह मामला संविधान की संघ अनुसूची टप्प के तहत है और निर्देश जारी करने की शक्ति पूर्णतः केंद्र सरकार के पास है। राय में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकारों को कंपनी को फाइन्स बेचने के अधिकार से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई सी ए आई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ई ए सी) ने कंपनी द्वारा किए गए एक प्रश्न पर अपने पत्राचार दिनांक 6 जून, 2020 के माध्यम से राय दी है कि संचित उप-ग्रेड फाइनों को एक सह-उत्पाद माना जा सकता है और यदि यह एक अभौतिक सह-उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन इंड एस 2-इन्वेंटरी के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जा सकता है। ईएससी की राय में यह भी स्पष्ट किया गया कि, बिक्री की अनुमति देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना के कारण ऐसी सूची की वहन राशि में वृद्धि को "इंड एस 8-लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन तथा लेखांकन अनुमान में परिवर्तन होने के कारण त्रुटियाँ" की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए।

प्रबंधन ने प्रत्येक खदान में एस जी एफ के परिमाणानुसार सत्यापन के लिए कदम उठाए और पिछले वर्ष के दौरान एफई सामग्री के लिए गुणात्मक विश्लेषण (ग्रेडेशन सहित) किया और केंद्र सरकार के उपरोक्त आदेश, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की राय और आई सी ए आई के ईएससी की राय के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को 42.98 मिलियन टन के एसजीएफ की सूची को 3791.18 करोड़ के एन आर वी पर मूल्यांकित किया। रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित भारत सरकार के संगठन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) द्वारा घोषित समान एसजीएफ के औसत बिक्री मूल्य (एसपी) के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर एनआरवी निकाला गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार के खनन सुरक्षा महानिदेशक से पर्यावरण अनापत्ति सहित सभी अनापत्तियां प्राप्त की हैं। इसके अलावा, ओडिशा राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और यह झारखंड राज्य में उन्नत चरणों में है तथा प्रबंधन की दृष्टि में जल्द ही प्राप्त होने की उम्मीद है। नतीजतन, प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे माल को बेचने में सक्षम हो गया है। चूंकि, चालू वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसी सूची की मात्रा में नगण्य उतार-चढ़ाव (0.40 मिलियन टन) रहा है, अतः एसजीएफ के लिए पर्याप्त बाजार मांग है और हाल ही में बिक्री मूल्य के रुझान पिछले वर्ष की तुलना में ऐसे माल के वहन मूल्य में काफी अधिक मार्जिन का संकेत हैं। प्रबंधन की भविष्य में एक लाभकारी संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है जो सालाना एसजीएफ की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। तदनुसार, प्रबंधन की दृष्टि में, इस स्तर पर इन इन्वेंटरी के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह की इन्वेंटरी की महत्वपूर्ण मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उस वॉल्यूम का एक विस्तृत मूल्यांकन किया है, जो चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर बेचे जाने की उम्मीद है और तदनुसार, इन इन्वेंटरी के एक हिस्से को गैर-चालू यानी वह वॉल्यूम जो चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बेचे जाने की उम्मीद है, के रूप में

वर्गीकृत किया है। (नोट 7ए और 15 देखें)। एस इन्वेंटरी का वहन मूल्य भी मूल्यांकन के ऊपर यथानुपातिक आधार पर किया गया है। इसके अलावा, बाजार की अस्थिरता, इस्पात बाजार की गतिशीलता, देश में स्टील और पेलेट बनाने की क्षमता में भावी वृद्धि की संभावना को देखते हुए, जो इन सामग्रियों की मांग को बढ़ा सकता है, गैर-वर्तमान सूची के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्रबंधन की दृष्टि में, इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये वहन मूल्य सर्वोत्तम अनुमान आधार हैं।

एसजीएफ के लिए उपरोक्त लेखांकन उपचार के अनुरूप, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान बरसुआ खानों में टेलिंग की सूची का मात्रात्मक सत्यापन किया है और लौह मात्रा के लिए गुणात्मक विश्लेषण (ग्रेडेशन सहित) किया है तथा 31 मार्च 2021 को 3.97 मिलियन टन की टेलिंग इन्वेंटरी का मूल्यांकन रु. 248.24 करोड़ (गैर-वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत रु. 204.47 करोड़ सहित) के एनआरवी पर किया है। रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित आईबीएम द्वारा घोषित समान टेलिंग के एसपी के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर एनआरवी निकाला गया है। इसके अलावा, टेलिंग के लिए हाल ही में बिक्री मूल्य रुझान भी ऐसी सूची के वहन मूल्य पर काफी मार्जिन का संकेत है। तदनुसार, प्रबंधन की दृष्टि में, 31 मार्च 2021 तक इन इन्वेंटरी के वहन मूल्य में किसी और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। (नोट 3.8 और 3.24.4 भी देखें)

- 49.13** कंपनी ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड लगभग 0.57 मिलियन टन निकालने योग्य लौह और स्टील स्क्रैप का मूल्य 31 मार्च, 2021 को 438.63 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2020 की संगत इन्वेंटरी में 0.66 मिलियन टन की अनुमानित मात्रा का मूल्य रु. 683.33 करोड़) रखा है।

31 मार्च 2021 को भिलाई स्टील प्लांट की डल्ली खदानों में अनुमानित 4.71 मिलियन टन लौह अयस्क के अवशेष का मूल्य रु. 244.17 करोड़ (31 मार्च, 2020 के अनुसार इसी सूची के अनुसार 5.60 मिलियन टन मूल्य का रु. 234.92 करोड़) आंका गया है।

कंपनी द्वारा ऐसी सूची के मूल्यांकन पर इंड एस 2 के अनुसार विचार किया गया था।

हालांकि, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा में, इंड-एस 2 के संदर्भ में सूची के रूप में ऐसी सामग्री की मान्यता पर टिप्पणी की थी। इन्वेंटरी के रूप में ऐसी सामग्री की मान्यता के संबंध में इंड एस 2 की व्याख्या पर राय की भिन्नता को देखते हुए कंपनी ने ऐसे मुद्दे पर राय प्राप्त करने के लिए दोनों मामलों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएससी) को संदर्भित किया है। इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएससी) से 8 मार्च, 2021 को प्राप्त अनुकूल राय, कि स्लैग और डी-सिल्ट आयरन ओर फाइन्स में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप दोनों इंड एस 2 के अनुसार "इन्वेंटरी" की परिभाषा को पूरा करते हैं।

- 49.14** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों अर्थात् विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील प्लांट (एसएसपी), पश्चिम बंगाल के रणनीतिक विनिवेश के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया था।

इसके बाद, भारत सरकार के "सैद्धांतिक" अनुमोदन के अनुरूप, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एसएसपी, वीआईएसपी तथा एसएसपी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। कंपनी ने प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) कर रहा है। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा की जाती है और सचिव (इस्पात) द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), एसएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। लेनदेन सलाहकार, मेसर्स एसबीआईसीएपी ने सूचित किया है कि, एसएसपी के मामले में, संभावित बोलीदाताओं से निर्धारित तिथि तक कोई ईओआई प्राप्त नहीं

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- हुआ था। एसएसपी और वीआईएसपी के ईओआई 10 सितंबर, 2019 को खोले गए। रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेजल (आरएफपी), गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) शॉर्ट-लिस्टेड बोलीदाताओं को जारी कर दिए गए हैं और शॉर्ट-लिस्टेड बोलीदाता द्वारा ड्यू डिलिजेंस जारी है।
- 49.15** कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीय प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 18: की दर से अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है (अर्थात् रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर प्रति शेयर)। इससे पहले, कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10: की दर (अर्थात् रु. 1.00 प्रति इक्विटी शेयर रु. 10/- प्रत्येक के लिए) से अंतरिम लाभांश घोषित किया।
- 49.16** स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर नोटिस दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("नोटिस") के अनुसार, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) ने स्टील के 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव रखा। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) कंपनी का प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10 है, जो कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5: का प्रतिनिधित्व करता है और इसके अतिरिक्त 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों (कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 5: प्रतिनिधित्व) को बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की अलग-अलग निर्दिष्ट विंडो के माध्यम से बेचने का विकल्प है ("ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प")। प्रमोटर ने अतिरिक्त 20,65,26,264 इक्विटी शेयरों तक और कंपनी के कुल 41,30,52,528 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का प्रयोग किया है। नतीजतन, कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 309,77,67,449 इक्विटी शेयरों (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 75:) से घटकर 268,47,14,921 इक्विटी शेयर (प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 65:) हो गई है। इक्विटी शेयरों की बिक्री बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक अलग निर्दिष्ट विंडो पर हुई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा "स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से प्रमोटरों द्वारा शेयरों की बिक्री (ओएफएस) पर व्यापक दिशानिर्देश" के अनुसार जारी किया गया था।
- 49.17** कोविड-19 महामारी के प्रकोप और इसे कम करने के उपायों ने पर्याप्त गड़बड़ी उत्पन्न की और आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के परिचालनों को कम करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने पर, कंपनी सामान्य क्षमता पर काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में हुए सकारात्मक आर्थिक माहौल को देखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि यह प्रवृत्ति बाद की अवधि में भी जारी रहने की संभावना है और कोविड-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, के तात्त्विक होने की संभावना नहीं है।
- 49.18** माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आउटपुट कर के विरुद्ध ऑफसेट के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की लंबित पहचान और समाधान, उसके शेष को प्रासंगिक मासिक रिटर्न दाखिल करने तक सकल आधार पर ले जाया जाता है।
- 50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं**
- 50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण :**
- ग्रेच्युटी :** 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा (30 वर्ष से अधिक सेवा के लिए, 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह का वेतन) प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग होने पर 15 दिन का भुगतान तथा 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद कार्य भार ग्रहण करने वाले कार्यकारी अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए अधिकतम राशि रु 20 लाख है और अन्य गैर कार्यकारियों हेतु बिना किसी मौद्रिक सीमा के, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर विचार किया गया है।
- अवकाश नकदीकरण :** सेवानिवृत्ति पर यह उन पात्र कर्मचारियों को देय है जिनके अर्जित अवकाश और आधा वेतन पर अवकाश संचित हो गए हैं बशर्ते कि अर्जित अवकाश और आधे वेतन का अवकाश, संयुक्त रूप से अधिकतम 300 दिनों की अधिकतम सीमा में हो। संचित किए गए अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए 24.11.2020 से वित्त वर्ष में एक बार 30 दिनों तक की अनुमति एकजीव्यूटिव/सीडीए नियंत्रित कर्मचारियों और स्टैंडिंग ऑर्डर नियंत्रित कर्मचारियों को क्रमशः सुपरएनुएभान पर 270 दिन और 170 दिन से अधिक पूरा करने पर उन पात्र कर्मचारियों को दी गयी है जिन्होंने अर्जित और आधा वेतन अवकाश संचित किया हो बशर्ते कि अर्जित अवकाश और आधा वेतन अवकाश की संयुक्त सीमा अधिकतम 300 दिन हो। 18 नवंबर, 2015 तक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में 30 दिनों तक अर्जित छुट्टी को जमा करने की भी अनुमति दी गई और उसके बाद रोक दी गई।
- भविष्य निधि :** मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12%, कम्पनी द्वारा भविष्य निधि न्यास में योगदान दिया जाता है।
- सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ :** सेल के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
- सेवा निवृत्ति के बाद निपटान लाभ :** अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय।
- दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार :** न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने पर और सेवानिवृत्ति पर भी देय।
- सेल के बारे में :**
- 50.1.2 निश्चित लाभ दायित्वों के संबंध में, "कर्मचारी लाभों" के बारे में, इंड एस 19 के तहत अन्य प्रकटीकरण निम्न है :**
- (ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का मिलान*:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	नकदीकरण छोड़े	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष की शुरुआत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	6044.55 (6018.40)	3005.03 (2698.59)	1055.03 (937.04)	103.40 (133.52)	18.79 (21.29)
ii)	सेवा लागत	323.03 (276.77)	434.58 (566.71)	- (-)	- (-)	0.54 (0.55)
iii)	ब्याज लागत	387.09 (376.21)	191.22 (187.86)	68.76 (57.45)	6.88 (8.58)	1.20 (1.32)
iv)	बीमांकिक लाभ(-)/ हानि(+)	-270.18 (9.38)	-37.11 (-473.93)	10.90 (193.64)	4.86 (-31.22)	-0.6 (-1.92)
v)	पिछली सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	भुगतान किया गया लाभ	703.95 (636.20)	386.07 (244.21)	87.90 (133.08)	4.32 (7.49)	2.30 (2.44)
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v-vi)	5780.54 (6044.55)	3207.65 (3005.03)	1046.79 (1055.03)	110.82 (103.40)	17.57 (18.79)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(बी) आस्तियों और देयताओं का उचित मूल्य पर मिलान

कम्पनी ने एक अलग ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से ग्रेच्युटी देयताओं को वित्त पोषित किया है। योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य, मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है जिनके माध्यम से फंड द्वारा निवेश किया गया है। ग्रेच्युटी फंड और निश्चित लाभ ग्रेच्युटी दायित्वों की आस्तियों के उचित मूल्य का मिलान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	2020-21	2019-2020
i) वर्ष के शुरु में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	6357.63	6277.42
ii) योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	98.22	8.86
iii) कंपनी का वास्तविक योगदान	50.84	293.08
iv) ब्याज आय / बीमाकिक लाभ / हानि(-)	432.55	414.47
v) लाभ भुगतान	703.95	636.20
vi) वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	6235.29	6357.63
vii) निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य [50.1.2)(a)(vii)]	5780.54	6044.55
viii) बैलेंस शीट में मान्य शुद्ध देयता (vii)-(vi)*	-454.73	-313.21

*निवेश की आय पर विचार करने के बाद, कम्पनी वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रेच्युटी फंड के व्ययों हेतु योगदान करने के लिए कोई भी राशि की उम्मीद नहीं करता है। निश्चित लाभ दायित्व, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, गैर-वित्त पोषित हैं।

ग्रेच्युटी के अतिरिक्त निश्चित लाभदायित्व वित्त पोषित नहीं हैं।

(सी) वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्य व्यय:

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Leave Encashment	Post Retirement Medical Benefits	Post Retirement Settlement Benefit	Long Term Service Award
i)	Service Cost	323.03 (276.77)	434.58 (566.71)	- (-)	- (-)	0.54 (0.55)
ii)	Interest Cost	-45.23 (-38.14)	191.22 (187.87)	68.76 (57.45)	6.88 (8.58)	1.18 (1.32)
iii)	Actuarial Gains (-)/Losses	-270.18 (9.38)	-37.11 (-473.93)	10.90 (193.65)	4.86 (-31.22)	-0.02 (-1.92)
iv)	Past Service Cost	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
v)	Expected Return on Plan Assets	98.22 (8.82)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	Total (i+ii+iii+iv-v)	-90.60 (239.21)	588.71 (280.65)	79.66 (251.10)	11.74 (-22.63)	1.70 (-0.06)
vii)	Employees' Benefits Expenses :					
a)	Charged to Profit & Loss Account (Note 39)	277.23 (235.64)	586.53 (278.04)	68.76 (57.45)	5.50 (-13.73)	1.70 (-0.06)
b)	Charged to Expenditure During Construction (Note 5.1)	0.56 (3.01)	2.18 (2.61)	- (-)	- (-)	- (-)
c)	Charged to OCI	(-)368.39 (0.56)	- (-)	10.90 (193.65)	- (-)	- (-)
d)	Charged to Profit & Loss Account- Other Expenses	- (-)	- (-)	- (-)	6.24 (-8.90)	- (-)
viii)	Actual Return on Plan Assets	530.54 (423.17)				

*परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि) को पुनः वर्गीकृत किया गया है और अनुरक्षित आय के तहत प्रदर्शित है (नोट संख्या 23)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(डी) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधा प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की कमी	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	-206.48	193.73
ii)	अवकाश	-127.29	119.00
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ	-47.57	41.59
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	-1.02	0.49
v)	सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता	-4.93	4.47

(ई) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्काउंट दर में एक प्रतिशत अंक की कमी	डिस्काउंट दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	78.56	-71.68
ii)	अवकाश	119.26	-126.40

(एफ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के मामले में कल्पित मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्काउंट दर में एक प्रतिशत अंक की कमी	डिस्काउंट दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि
i)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	-20.68	9.47

(जी) ग्रेच्युटी न्यास का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवेश का %	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
बीमा निवेश	95.25	94.95
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.39	1.36
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.24	1.61
पीएसयू बांड	2.12	2.07
बैंक में नकदी	0.00	0.01
कुल	100.00	100.00

(एच) बीमांकिक धारणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2021 को
i)	Discount Rate (per annum)	6.80%	6.60%
ii)	Mortality rate	IALM (2012-14) Ultimate	IALM (2006-08) Ultimate
iii)	Withdrawal Rates (per annum)	Executives & Non-executives- 0.01% to 0.10% depending upon the age	Executives & Non-executives- 0.01% to 0.10% depending upon the age
iv)	Medical Cost Trend Rates (per annum)	5% for hospital cost and Nil for Medclaim premium.	5% for hospital cost and Nil for Medclaim premium.
v)	Estimated Rate of Return on Plan Assets	6.80%	6.60%
vi)	Salary Escalation	Executives: 6% p.a. Non-Executives: 6% p.a. All employees- 6% step-up after every 10 years of service starting 2017.	Executives: 6% p.a. Non-Executives: 6% p.a. All employees- 6% step-up after every 10 years of service starting 2017.
		The estimate of future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account inflation rate, seniority, promotion and other relevant factors	

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(आई) निश्चित लाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष तक	674.40
1 से 2 वर्ष के बीच	670.99
2 से 3 वर्ष के बीच	665.46
3 से 4 वर्ष के बीच	617.76
4 से 5 वर्ष के बीच	591.43
5 से 10 वर्ष के बीच	3093.35
10 वर्ष से अधिक	4125.22
विगत सेवा से संबंधित कुल छूट भुगतान	10438.61
घटाया : ब्याज के लिए छूट	4658.06
अनुमानित लाभ दायित्व	5780.55

एसआरसीएल के संबंध में :

(ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का मिलान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
i)	वर्ष के शुरु में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10.07	1.29
ii)	सेवा लागत	0.30	0.16
iii)	ब्याज लागत	0.59	0.08
iv)	बीमाकिक लाभ (-) / हानि (+)	1.51	-0.11
v)	विगत सेवा लागत	-	-
vi)	प्रदत्त लाभ	2.70	0.10
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v+vi)	9.77	1.32

(बी) आस्तियों और देयताओं का उचित मूल्य पर मिलान

कम्पनी ने ग्रेच्युटी फंड को वित्त पोषण एक अलग ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से किया है। योजना आस्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से उन बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है जिनके माध्यम से फंड द्वारा निवेश किया गया है।

ग्रेच्युटी फंड और निश्चित लाभ ग्रेच्युटी दायित्वों की आस्तियों के उचित मूल्य का मिलान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2020-20
i)	वर्ष के शुरु में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	7.48	9.08
ii)	योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	0.51	0.60
iii)	कंपनी का वास्तविक योगदान	1.00	-
iv)	ब्याज आय/बीमाकिक लाभ/हानि	-0.02	0.73
v)	लाभों का भुगतान	2.70	2.93
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	6.26	7.48
vii)	निश्चित लाभ देनदारी का वर्तमान मूल्य	9.77	10.07
viii)	बैलेंस शीट में मान्य शुद्ध देयता (vii)-(vi)	-3.51	-2.59

अवकाश नकदीकरण निधि और निश्चित लाभ अवकाश नकदीकरण दायित्वों की आस्तियों के उचित मूल्य का मिलान निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2020-20
i)	वर्ष के शुरु में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1.18	1.24
ii)	योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	0.08	0.08
iii)	कंपनी का वास्तविक योगदान	0.11	-
iv)	ब्याज आय/बीमाकिक लाभ/हानि	-	0.27
v)	लाभों का भुगतान	0.10	0.41
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1.27	1.18
vii)	निश्चित लाभ देनदारी का वर्तमान मूल्य	1.32	1.29
viii)	बैलेंस शीट में मान्य शुद्ध देयता (vii)-(vi)	-0.05	-0.11

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(सी) वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्य व्यय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
i)	सेवा लागत	0.30	0.16
ii)	ब्याज लागत	0.08	-
iii)	बीमांकिक लाभ (-)/हानि	1.51	-0.11
iv)	विगत सेवा लागत	-	-
v)	योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	-	-
vi)	जोड़ (i+ii+iii+iv-v)	1.89	0.05
vi)	कर्मचारियों के लाभ व्यय:		
	ए) लाभ और हानि विवरण पर चार्ज	0.38	0.05
	बी) निर्माण के दौरान व्यय को चार्ज किया गया	-	-
	सी) ओसीप पर चार्ज	1.53	-
	डी) लाभ और हानि खाता—विवरण पर चार्ज – अन्य व्यय	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर योजना आस्तियों पर वास्तविक रिटर्न	-0.02	-

(डी) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की कमी	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	9.99	9.56
ii)	अवकाश	1.35	1.29

(ई) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में 0.5 प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की कमी	डिस्काउंट दर में 0.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	9.59	9.95
ii)	अवकाश	1.29	1.35

(एफ) ग्रेच्युटी न्यास/अवकाश नकदीकरण निधि का निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	% का निवेश	
		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i)	ग्रेच्युटी ट्रस्ट	64.17	74.24
ii)	नकदीकरण ट्रस्ट अवकाश	95.90	91.44

(जी) बीमांकिक अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i)	छुट कर (प्रति वर्ष)	6.80%	6.60%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2008-14) अंतिम	आईएएलएम (2006-08) अंतिम
iii)	सेवानिवृत्ति आयु		
	— कार्यकारी	58 वर्ष	60 वर्ष
	— गैर-कार्यकारी	58 वर्ष	60 वर्ष
iv)	वेतन वृद्धि	कार्यकारी: 6.25% प्रति वर्ष कार्यकारी: 6.25% प्रति वर्ष	गैर-कार्यकारी: 6.25% प्रति वर्ष गैर-कार्यकारी: 6.25% प्रति वर्ष

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(एच) निम्नलिखित लाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

अवधि	31 मार्च, 2021 को	
	प्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण
1 वर्ष तक	2.10	0.15
1 से 2 वर्ष के बीच	1.70	0.17
2 से 3 वर्ष के बीच	1.01	0.17
3 से 4 वर्ष के बीच	0.82	0.25
4 से 5 वर्ष के बीच	1.51	0.16
5 से 10 वर्ष के बीच	4.59	0.64
10 साल से अधिक	1.51	0.40
पिछली सेवा से संबंधित कुल छूट रहित भुगतान	13.24	1.94
कम: ब्याज पर छुट	3.47	0.62
अनुमानित लाभ दायित्व	9.77	1.32

51. सामान्य

51.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग

- व्यवसाय सेगमेंट : पांच एकीकृत स्टील संयंत्र और तीन एलॉय स्टील संयंत्र जो कि विनिर्माण इकाइयाँ हैं, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 108—“ऑपरेटिंग सेगमेंट” के तहत रिपोर्टिंग के लिए सेल के प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट माने जाते हैं।
- प्रबंधन की राय में, बंद खदानों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 108—“ऑपरेटिंग सेगमेंट” के पैरा 27 के अनुसार, कंपनी का रिपोर्ट योग्य व्यवसाय सेगमेंट नहीं हैं। चूंकि बंद खदान विभिन्न संयंत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति कर रही हैं, इसलिए खानों को लेखांकन उद्देश्य के लिए लागत केंद्र के रूप में माना गया है।

551.2 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 37 द्वारा प्रावधानों के प्रकटीकरण की अपेक्षाएं प्रावधान, आकस्मिक देताएं और आकस्मिक आस्तियां :

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण :

खनन वनीकरण	— नवीकरण (जिसमें मान्य नवीकरण भी शामिल है)/सरकारी अधिकारियों को खनन पट्टों की वन भूमि के उपयोग, खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए खानों पर वनीकरण की लागत देय है।
खान बंदीकरण लागत	— खदानों को बंद करने के लिए अनुमानित दायित्व को, खनन गतिविधियों के समाप्ति के समय व्यय किया जाना चाहिए।
पल्ला झुकना	—
उपरिव्यय बैकलॉग हटाने की लागत	— भावी वर्षों में खानों पर उपरिव्यय बैकलॉग को हटाने के लिए व्यय किया जाना है।

सेल के संबंध में:

(₹ करोड़ में)

प्रावधानों में परिवर्तन	खानों में पौधारोपण की लागत	खानों को बंद करने की लागत	उपरिभार हटाने की लागत	जोड़
1 अप्रैल, 2020 तक की शेष राशि	28.28	87.11	92.79	208.18
वर्ष के दौरान परिवर्धन	10.47	13.17	-	23.64
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-4.40	-1.03	-	-5.43
वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी	-	-	-25.54	-25.54
31 मार्च, 2021 को शेष	34.35	99.25	67.25	200.85

एसआरसीएल के बारे में:

(₹ करोड़ में)

प्रावधानों में परिवर्तन	खानों को बंद की जागत	जोड़
1 अप्रैल, 2020 तक की शेष राशि	0.03	0.0
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	0.03	0.03

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

51.3 भारतीय विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) की प्रकटन अपेक्षाएं के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के संबंध में विवरण (₹ करोड़ में)

Name of the subsidiary Company*	Loans and advances in the nature of loans outstanding as at the end of the Year	Maximum amount of loans and advances in the nature of loans outstanding during the Year
IISCO Ujjain Pipe and Foundry Co. Limited (under liquidation)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

वसूली संदिग्ध होने के कारण खाते की पुस्तकों में रु. 2.53 करोड़ (रु. 2.53 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

- जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या पुनर्भुगतान सात साल से अधिक नहीं है, कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋण के अलावा), तथा
- फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और प्रगति नहीं है, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं।

52. परिचालन सेगमेंट सूचना

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एसएसपी	एसएसपी	वीआई-एसएल	अन्य	अंतः सेगमेंट	जोड़
राजस्व											
- बाहरी बिक्रियां											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	18987.44	8344.30	13910.18	16019.87	7900.98	381.33	1692.97	105.63	1113.16	-	68455.86
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	18885.03	7327.45	11870.03	13170.18	7547.79	543.15	1555.70	38.90	90.20	-	61028.43
- अंतः सेगमेंट बिक्रियां											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	705.83	369.33	1136.70	220.51	389.87	164.42	9.52	57.19	4843.28	(7896.65)	-
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	431.72	348.57	552.24	41.82	181.61	166.84	9.67	56.87	4587.96	(6377.30)	-
- उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	19693.27	8713.63	15046.88	16240.38	8290.85	545.75	1702.49	162.82	5956.44	(7896.65)	68455.86
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	19316.75	7676.02	12422.27	13212.00	7729.40	709.99	1565.37	95.77	4678.16	(6377.30)	61028.43
परिणाम											
- व्याज और अपवादस्वरूप मदों से पूर्व परिचालन लाभ/(-) हानि											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	2301.63	973.19	2598.92	2487.29	513.30	(70.83)	(54.20)	(50.06)	1265.13	-	9964.37
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	3398.94	(107.87)	321.20	468.53	(432.97)	(63.71)	(227.93)	(73.85)	4277.76	-	7560.10
- वित्तीय लागत											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष											2817.15
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष											3486.76
- अपवादस्वरूप मदें											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष											(58.43)
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष											771.76
- कर व्यय											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष											3057.52
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष											1180.87
- वर्ष के लिए लाभ/हानि(-)											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष											4148.13
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष											2120.71
अन्य सूचना											
- सेगमेंट आस्तियां											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	31082.15	6232.20	20559.57	15590.03	16551.10	545.00	2300.83	326.76	26058.23		119245.87
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	32783.83	6892.20	21078.70	16174.56	18106.14	564.29	2485.32	347.12	28495.48		126927.64
- सेगमेंट देनदारियाँ (दीर्घकालीन उधारसहित)											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	8691.03	2823.31	4433.30	3316.36	1548.56	213.34	439.49	46.15	52328.10		73839.64
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	8530.29	2549.61	4230.47	3185.82	1512.93	202.62	312.33	56.15	64837.18		85417.40
- पूंजीगत व्यय											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	711.37	246.30	750.80	952.87	182.89	1.06	10.31	0.42	141.68		2997.70
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	1297.22	422.59	1191.41	932.19	167.73	3.42	6.45	2.65	46.51		4070.17
- मूल्यह्रास											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	1148.10	265.30	837.74	771.48	755.70	8.74	98.29	7.56	209.87		4102.78
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	968.35	228.46	815.79	642.73	759.66	8.82	98.73	7.38	225.81		3755.73
- मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर नकदी व्यय											
31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ चालू वर्ष	53.91	12.52	29.95	9.75	36.74	2.38	2.44	0.53	113.78		262.00
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष	51.66	9.93	25.80	31.61	24.31	0.64	10.20	0.74	134.16		289.05

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

53. जहां कहीं भी आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो सके।

हस्ता/- एम.बी. बालाकृष्णन कंपनी सचिव		निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ता/- अमित सेन निदेशक वित्त डीआईएन: 08602987 हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार		हस्ता/- सोमा मंडल अध्यक्ष डीआईएन: 06845389			
कृते तेज राज एंड पाल चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 304124E		कृते एस. जयकिशन चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 309005E		कृते वाकर चण्डिओक एंड कं. एलएलबी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 001076N/N500013		कृते केएसजी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 002228C	
हस्ता/- पी. वेणुगोपाल राव भागीदार स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून, 2021		हस्ता/- रितेश अग्रवाल भागीदार एम. नं. 062410		हस्ता/- नीरज शर्मा भागीदार एम. नं. 502103		हस्ता/- भरत गोयल भागीदार एम. नं. 060069	

1. तेज राज एंड पाल चार्टर्ड एकाउंटेंट, A60, आग्रपाली सोसाइटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर-492001	2. एस जयकिशन चार्टर्ड एकाउंटेंट, 12, हो ची मिन्ह सारनी, दूसरी मंजिल, सुइट नं. 2D, 2E, और 2F, कोलकाता-700071	3. वॉकर चांडिओक और कंपनी LLP चार्टर्ड एकाउंटेंट, L-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	4. केएसजी एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, दूसरी मंजिल, श्रीलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद-826001
---	--	---	--

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य को

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट योग्य राय 1. हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('होलिडिंग कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियों (होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित) के सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ सूचीबद्ध समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। जैसा कि परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है, जिसमें 31 मार्च 2021 का समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि (अन्य आय सहित) का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) शामिल है। 2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी पर परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध होलिडिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, 2013 (अधिनियम) को आवश्यक तरीके से और प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकनकों (IndAS) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करता है। 31 मार्च 2021 को समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के मामलों की समेकित स्थिति, और उनके समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तन के तहत जारी किया गया। योग्य राय के लिए आधार 3. जैसा कि नोट 47.2 (अ) में समेकित वित्तीय विवरणों के साथ उल्लेख किया गया है, प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब सुप्रीम कोर्ट/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों/सौंपे गए प्राधिकारियों की नियमित बेंचों के समक्ष लंबित हैं। अन्य न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णय, प्रबंधन का विचार है कि विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर मांग के लिए 31 मार्च 2021 को 1,373 करोड़ की राशि के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हमारी राय है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए। 4. जैसा कि नोट 47.2 (ब) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है, चालू संपत्ति में 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए गए बिलों के खिलाफ दामोदर घाटी निगम को विवाद के तहत भुगतान किए गए 587.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान शामिल है। टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए मामला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के साथ चल रहा है, जिसके लंबित होने पर प्रबंधन का विचार है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली के प्रबंधन के तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त सबूत के अभाव में, हमारी राय है कि इस तरह के अग्रिम की संभावित गैर-वसूली के लिए एक भत्ता समेकित वित्तीय विवरणों में बनाया जाना चाहिए।	होलिडिंग कंपनी का विचार है कि सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कर की भेदभावपूर्ण दरें, किसी अन्य देश से भारत के भूभाग में प्रवेश करने वाले सामानों पर कर आदि, मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित बेंच द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तदनुसार, होलिडिंग कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णय 1,373.42 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है। होलिडिंग कंपनी का विचार है कि मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के आदेश के खिलाफ 2004-09 के टैरिफ से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर सिविल अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 द्वारा खारिज कर दिया है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) APTEL द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ को SERC द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। डीवीसी ने 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर, 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया। और 2012-13 से 2014-15 की अवधि में

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब																	
	राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की भी मांग की डीवीसी के उक्त आवेदन पर कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई हैं। (3) और (4) में बताई गई उपरोक्त विवादित मांगों को वैध और वास्तविक आधार पर चुनौती दी गई है, जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि 31 मार्च, 2021 को वर्तमान दायित्व मौजूद हों। इसलिए, वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।																	
5. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त सभी योग्यताओं का प्रभाव निम्नानुसार है (₹करोड़)																		
<table><tr><th rowspan="2">व्यौरा</th><th colspan="2">31 मार्च, 2021 तक</th></tr><tr><th>रिपोर्ट की गई शेष राशि</th><th>Balances after impact of all the qualifications which are quantified</th></tr><tr><td>अन्य इविवटी</td><td>41,275.69</td><td>39,808.13</td></tr><tr><td>विलम्बित टैक्स देयता</td><td>1,334.08</td><td>840.50</td></tr><tr><td>अन्य वर्तमान संपत्ति</td><td>6,354.19</td><td>5,766.47</td></tr><tr><td>अन्य वर्तमान देनदारियां</td><td>7,555.15</td><td>8,928.57</td></tr></table>	व्यौरा	31 मार्च, 2021 तक		रिपोर्ट की गई शेष राशि	Balances after impact of all the qualifications which are quantified	अन्य इविवटी	41,275.69	39,808.13	विलम्बित टैक्स देयता	1,334.08	840.50	अन्य वर्तमान संपत्ति	6,354.19	5,766.47	अन्य वर्तमान देनदारियां	7,555.15	8,928.57	
व्यौरा		31 मार्च, 2021 तक																
	रिपोर्ट की गई शेष राशि	Balances after impact of all the qualifications which are quantified																
अन्य इविवटी	41,275.69	39,808.13																
विलम्बित टैक्स देयता	1,334.08	840.50																
अन्य वर्तमान संपत्ति	6,354.19	5,766.47																
अन्य वर्तमान देनदारियां	7,555.15	8,928.57																
उपरोक्त मामलों के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त मामलों के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी संशोधित किया गया था।																		
6. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य ऑडिटर द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य जो नीचे अन्य मामलों के खंड के पैरा 19 में संदर्भित हैं उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में शाखा लेखापरीक्षकों सहित, हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।																		
मामले पर जोर																		
7. हम निम्नलिखित मामलों पर आपका ध्यान केन्द्रित कराते हैं : (i) साथ में समेकित वित्तीय विवरणों के लिए 49.2 नोट करें, जो बताता है कि संचालन से होने वाले राजस्व में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी एजेंसियों को कुल 6,902.50 करोड़ की बिक्री शामिल है (31 मार्च 2021 तक 14,952.22 करोड़ का संचयी)जिसे ऐसी सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अस्थायी कीमतों के आधार पर मान्यता दी जाती है। (ii) साथ में समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 49.12 जो उप-श्रेणी जुर्माना और बाकी सूची के मूल्यांकन और वर्गीकरण पर प्रबंधन के आकलन की व्याख्या करता है, जो कई वर्षों में जमा हुए थे, लेकिन खान मंत्रालय, भारत सरकार के एक आदेश के अनुसार पिछले वर्ष में आर्थिक मूल्य प्राप्त किया और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के आधार पर इसका हिसाब लगाया। यह नोट आगे इस तरह के इन्वेंटरी की मात्रा के संबंध में बताता है जो वर्ष के दौरान किए गए प्रबंधन के आकलन की व्याख्या करता है, जिसे चालू वर्ष के अंत से 12 महीनों के बाद बेचे जाने की/संसाधित होने की उम्मीद है और जिन्हें तदनुसार चालू वर्ष में समेकित वित्तीय विवरणों में गैर-चालू माल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।																		
प्रमुख लेखापरीक्षा मामले																		
8. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी पर आधारित हैं। और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थी। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। 9. योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।																		

टिप्पणियाँ		प्रबंधन के जवाब
प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया	
चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां होलिडिंग कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर मामलों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम के बारे में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं। चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 3.18 के साथ पढ़े गए नोट 47.1 और 47.2 में प्रस्तुत किए गए हैं। यह आकलन कि क्या किसी दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या समेकित वित्तीय विवरणों में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और लागू कानूनों और विनियमों की व्यावसायिक व्याख्या से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है, और नियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच करना। चूंकि शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान अनिश्चितता की ओर अग्रसर हैं जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इसलिए इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: - होलिडिंग कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के द्वारा प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और माप की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। - लंबित मुकदमों के परिणाम के मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। - मुकदमेबाजी मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और होलिडिंग कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख विकास पर चर्चा की। - होलिडिंग कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या नियामक सलाह, जहां लागू हो, निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया। कुछ सामग्री पर चल रहे मुकदमों के लिए निपटने वाले वकीलों से प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त की। - कुछ भौतिक मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के मूल्यांकन पर चर्चा की और चुनौती दी। तदनुसार, हमने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की राशि की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। - लागू लेखा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रगति में पूंजी कार्य सहित) 31 मार्च 2021 तक समूह के पास 64,133.48 करोड़ 1,429.38 करोड़ और 8880.63 करोड़ के मूल्य के साथ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE), अमूर्त संपत्ति (IA) और पूंजीगत कार्य-प्रगति (CWIP) है। क्रमशः, जैसा कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में बताया गया है। ऐसी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की मान्यता और माप के लिए समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के लिए नोट 3 देखें। PPE, IA और CWIP के वहन मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यहास और परिशोधन राशियों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत, वार्षिक परिसंपत्ति जीवन समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और प्रबंधन की मान्यताओं और इंडस्ट्रीज़ AS 16, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (IndAS 16), और IndAS 38, अमूर्त संपत्ति (IndAS 38) की आवश्यकताओं के अनुसार सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए अनुमान का उपयोग करने के निर्णय शामिल हैं। CWIP के वहन मूल्य में लंबी अवधि की परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल है जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। समूह की बैलेंस शीट के संदर्भ में शामिल राशियों के	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: - समूह द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और IndAS 16 और IndAS 38 की आवश्यकताओं के अनुसार समूह द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन किया। - उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। - वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण करके और मूल्यांकन किया कि क्या पूंजीकृत संपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करती है और सही अवधि में और सही मात्रा में सही ढंग से पहचानी गई थी। - पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति सहित निर्दिष्ट गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण, प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मूल्यहास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता, जहां आवश्यक हो, और दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चली आ रही CWIP शेष राशि की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया।	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।	— लागू लेखा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
उप-उत्पाद सूची 31 मार्च 2021 को 5,020.08 करोड़ की राशि के उप-उत्पादों के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश के नोट 3.8 का संदर्भ लें और महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय अनुमान और उससे संबंधित धारणाएं और समेकित वित्तीय विवरण के नोट 3.24.4 का संदर्भ लें। उप-उत्पादों की सूची में मुख्य रूप से सब-ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग और स्लाइम में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रेप और लौह अयस्क फाइन युक्त टेलिंग शामिल हैं, जो स्टॉक पाइल्स में जमा होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार नोट 49.12 और 49.13 में बताया गया है, कुछ उप-उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए पिछले वर्ष में पहली बार उनका मूल्यांकन किया गया था। ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। चालू वर्ष में, इस तरह के उप-उत्पाद सूची और अपेक्षित भविष्य की बिक्री की वास्तविक मात्रा के आधार पर प्रबंधन ने गैर-वर्तमान सूची के रूप में होल्डिंग कंपनी के परिचालन चक्र होने के कारण बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के बाद बेची जाने वाली सूची को वर्गीकृत किया है। इस प्रकार के उप-उत्पादों के वहन मूल्य के महत्व और ऊपर चर्चा की गई जटिलताओं के कारण, हमने इस क्षेत्र को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: — सब-ग्रेड फाइन्स, <i>BF</i> स्लैग और <i>LD</i> स्लैग में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रेप और लौह अयस्क फाइन्स (उत्पादों द्वारा) युक्त स्लाइम से संबंधित नियंत्रणों सहित प्रक्रियाओं को जाना और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की। — प्रबंधन द्वारा प्राप्त <i>EAC</i> राय के संयोजन के साथ <i>IndAS2</i>, इन्वेंटरी की आवश्यकताओं के अनुसार उप-उत्पाद सूची के मूल्यांकन के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति का मूल्यांकन किया। — उप-उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन के मूल्यांकन के आकलन में, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप-उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की। — एनआरवी के प्रबंधन के अनुमान को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में सत्यापित किया गया था। हमने उप-उत्पादों की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और फाइन्स की गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। — वर्तमान और गैर-वर्तमान के बीच उप-उत्पाद सूची के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली अनुमानित भविष्य की बिक्री के प्रबंधन के कामकाज को प्राप्त किया, और इस तरह के उप-उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर प्रबंधन के अनुमानों के मूल्यांकन के अलावा ऐसे आविष्कारक की बिक्री के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और आगे की मंजूरी के आधार पर अंतर्निहित धारणाओं का परीक्षण किया। — लागू लेखा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।
समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी 10. अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें वार्षिक रिपोर्ट के उपलब्ध होने की उम्मीद है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर की पहचान की गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ने की है और ऐसा करने पर यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत हुई है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन से जुड़े लोगों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। प्रबंधन की जिम्मेदारियां और जिन पर समेकित वित्तीय विवरणों के लिए शासन का आरोप है 11. साथ में समेकित वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है,	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
संचार की स्थिति, संचार की स्थिति में शामिल (अन्य स्थिति में) संचार की स्थिति 133 के अनुसार संचार प्रणाली शामिल है, भारत में संचार पर संचार के लिए संचार और संचार संबंधी संचार समूह शामिल हैं और सूचना प्रवाहित करने योग्य रूप में परिवर्तित और सही दृश्य प्रस्तुत समूह में शामिल सदस्यों के समूह और संबंधित सदस्य समूह के सदस्यों के समूह की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अनियमितता और स्थिति को बदलते हैं। उपयोग एप्लिकेशन का चयन और; ऐसे अनुमानों के अनुसार जो उचित और उचित हैं; वायुमंडलीय नियंत्रण के मामले में, जो भी खराब होते हैं और जो खराब होते हैं, वे पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं। भौतिक ब्योरे से मुक्त, धोखा देने वाला धोखा या धोखा देने के लिए, होंगे। 12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसके सहयोगी में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि बोर्ड के बोर्ड के बिना, चालू चिंता से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जारी रखने के लिए जिम्मेदार है। निदेशक या तो समूह का परिसमापन करना चाहते हैं या संचालन बंद करना चाहते हैं, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। 13. ये निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां 14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है। 15. ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम • समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक होते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है; • परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं; • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें; • लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को एक चालू चिंता के रूप में जारी रखना बंद कर सकती है; • प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है; तथा • समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर की संस्थाओं और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं और शाखाओं के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। 16. हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं। 17. हम शासन के प्रभारित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय कर सकते हैं। 18. शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी। अन्य मामले 19. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल दो सहायक कंपनियों और होल्डिंग कंपनी के अलग-अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल बारह शाखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनकी वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2021 को कुल 57,870.26 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाती है। उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 25028.51 करोड़ रुपये का राजस्व, 311243 करोड़ रुपये का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ, 325896 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 29716 करोड़ रुपये का नकद अंतर्वाह (शुद्ध), जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में होल्डिंग कंपनी के अलग-अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित पांच संस्थाओं के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 344.40 करोड़ के कर के बाद शुद्ध लाभ में समूह की हिस्सेदारी और 225.91 करोड़ की कुल व्यापक आय भी शामिल है, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वार्षिक वित्तीय विवरणों की ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन सहायक कंपनियों/शाखाओं/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर हमारी निर्भरता के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 20. समेकित वित्तीय विवरणों में उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर, एक सहयोगी और नौ संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 123.27 करोड़ के कर पश्चात लाभ में समूह का हिस्सा और 123.28 करोड़ की कुल व्यापक आय भी शामिल है, जो उनके लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा/लेखापरीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण हमें होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। हमारी राय, जहां तक यह पूर्वोक्त सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे गैर-समीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है। 21. समेकित वित्तीय विवरणों में बंद होने वाली एक सहायक कंपनी के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं क्योंकि यह प्रबंधन के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में बंद होने वाली दो संस्थाओं सहित पांच संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में कर के बाद समूह के शुद्ध लाभ/(हानि) का हिस्सा और कुल व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा शामिल नहीं है, चूंकि इन संस्थाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रबंधन के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है। 22. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2020 को समाप्त संबंधित वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से की गई और रिपोर्ट की गई, मैसर्स वी.के. ढींगरा एंड कंपनी, मैसर्स ए.के. सबत एंड कंपनी, मैसर्स तेज राज एंड पाल और मैसर्स एस जयकिशन जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 10 जुलाई 2020 के माध्यम से संशोधित राय व्यक्त की है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
लिए हमारे द्वारा भरोसा किया गया है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करें 23. जैसा अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारे ऑडिट के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि: a) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं; b) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों और अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में योग्य राय अनुभाग के पैरा 3 और पैरा 4 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर; c) होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखा परीक्षित, हमें भेजी गई है, जैसा लागू हो, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से निपटाया गया है; d) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के अनुरूप हैं; e) योग्य राय अनुभाग के लिए आधार, में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट <i>IndAS</i> का अनुपालन करते हैं; f) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, अनुच्छेद 19 में संदर्भित, अधिनियम के तहत शामिल सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान सहायक कंपनियों और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई पर लागू नहीं हैं, क्योंकि ये अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और चार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, अधिनियम के तहत शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से कोई भी निदेशक, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2021 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। सहयोगी कंपनी और नौ संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में जैसा कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रमाणित किए गए हैं, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जहां भी लागू हो, अधिनियम के तहत शामिल सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से कोई भी निदेशक, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च 2021 तक अयोग्य नहीं है। g) लेखा और उससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित योग्यताएं होल्डिंग कंपनी के संबंध में योग्य राय अनुभाग के लिए आधार के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में बताई गई हैं; h) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक 1' में हमारी अलग रिपोर्ट देख; i) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर: i. योग्य राय अनुभाग के लिए आधार के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 को समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47.1 और 47.2 में वर्णित है ii. इन समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है, जैसा कि लागू कानून या इंड-एस के तहत आवश्यक है, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, भौतिक पूर्वाभास योग्य हानियों के लिए, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 43 (सी) में दिया गया है; iii. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी, और इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है। लावारिस परिपक्व जमाओं से संबंधित 1.00 करोड़ जो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में होल्डिंग कंपनी द्वारा जमा किए जाने की आवश्यकता थी और जिसे 31 मार्च 2021 तक जमा नहीं किया गया है। 24. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने पर, जिसे पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है:	परिपक्व जमा राशियों पर व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा पहले ही दावा किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमा राशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
19. सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची-1 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और अधिनियम के तहत शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं पर लागू नहीं हैं, चूंकि होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियां और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और चार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं अधिनियम की धारा 2(71) के तहत परिभाषित सार्वजनिक कंपनियां नहीं हैं। तदनुसार, धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग होल्डिंग कंपनी और पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में लागू नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है, अधिनियम के तहत शामिल एक सहयोगी कंपनी और नौ संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जहां कहीं लागू हो, ऐसी कंपनियों ने अधिनियम की अनुसूची-1 के साथ पठित धारा 197 के तहत निर्धारित प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान अपने संबंधित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया है।	
तेज राज एंड पाल के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 304124E एसडी/- (सी.ए.पी. वेणुगोपाल राव) साथी एम.नंबर 010905 यूडीआईएन: 21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 309005E एसडी/- (सी.ए. रितेश अग्रवाल) साथी एम.सं. 062410 यूडीआईएन: 21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता
वाकर चांडिओक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001076N/N500013 एसडी/- (सी.ए. नीरज शर्मा) साथी एम.सं. 502103 यूडीआईएन: 21502103AAAAABC3762 स्थान: नई दिल्ली	के ए एस जी एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 002228C एसडी/- (सी.ए. भरत गोयल) साथी एम. नं. 060069 यूडीआईएन: 21060069AAAAABE5636 स्थान: कोलकाता
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से एसडी/- (सोमा मंडल) अध्यक्ष स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 1 सितंबर, 2021

परिशिष्ट 1

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संस्थाओं की सूची

सहायक कंपनियां

सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड
 छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

एसोसिएट

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं

एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
 सेल राइट्स बंगाल बैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
 गेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 एमजक्शन सेवा लिमिटेड
 एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बोकारो पावर सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड
 सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 सेल एससीएल केरल लिमिटेड
 सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
 प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड

परिशिष्ट 2

शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की सूची

- केन्द्रीय विपणन संगठन-दक्षिणी क्षेत्र
- केन्द्रीय विपणन संगठन-पश्चिमी क्षेत्र
- केन्द्रीय विपणन संगठन-पूर्वी क्षेत्र
- केन्द्रीय विपणन संगठन-परिवहन और शिपिंग
- आर एंड डी सेंटर, रांची
- राउरकेला स्टील

- इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर
- सेलम स्टील प्लांट
- कच्चा माल प्रभाग
- विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
- सेल रिफ्रेक्टरीज यूनिट
- चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 1

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राय 1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('होलिडिंग कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियों (होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लिए, हमने होलिडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तिथि के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत शामिल कंपनियां हैं। 2. हमारी राय में और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और होलिडिंग कंपनी की शाखाओं और वित्तीय विवरणों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट जो अलेखापरीक्षित हैं, होलिडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो कि अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं, सभी भौतिक मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रण 31 मार्च 2021 तक, संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ('मार्गदर्शन नोट') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी की जिम्मेदारी 3. होलिडिंग कंपनी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनियां, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं, वे आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश लेख में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी 4. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर होलिडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ICAI द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, जो समेकित वित्तीय विवरणों और ICAI द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। 5. हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। 6. हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, पूर्वोक्त रूप में होलिडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ 7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज	

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना है। कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं 8. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण के अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकता है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हो सकता है। अन्य मामले 9. हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, क्योंकि यह दो सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत शामिल कंपनियां हैं और होल्डिंग कंपनी के अलग-अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल बारह शाखाएं हैं, जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 तक 57,870.26 करोड़ की कुल संपत्ति, 25,028.51 करोड़ का कुल राजस्व, 3,112.43 करोड़ का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ, 3,258.96 करोड़ की कुल व्यापक आय और 29.16 करोड़ के नकदी प्रवाह (शुद्ध) को दर्शाता है। वह तारीख, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 225.91 करोड़ के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा भी शामिल है, पांच संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जो अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां तक यह ऐसी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम की धारा 143(3)(g) के तहत जहां तक यह ऐसी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी कंपनियों और शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर हमारी निर्भरता के संबंध में इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है। 10. हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जहां तक यह एक सहयोगी कंपनी और नौ संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जो अधिनियम के तहत शामिल की गई कंपनियां हैं, जिसके संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) 123.28 करोड़ का हिस्सा समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो कि अधिनियम के अंतर्गत शामिल कंपनियां हैं, उनका लेखा-जोखा नहीं है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(g) के तहत हमारी राय, जहां तक यह उक्त सहयोगी से संबंधित है और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो कि अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्ट के संदर्भ में पूरी तरह से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित हैं। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्ट के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	
तेज राज एंड पाल के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 304124E एसडी/- (सी.ए.पी. वेणुगोपाल राव) साथी एम.नंबर 010905 यूडीआईएन: 21010905AAAAAP9822 स्थान: भुवनेश्वर वाकर चांडिओक एंड कंपनी एलएलपी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001076N/N500013 एसडी/- (सी.ए. नीरज शर्मा) साथी एम.सं. 502103 यूडीआईएन: 21502103AAAAABC3762 स्थान: नई दिल्ली स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 10 जून 2021	एस. जयकिशन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 309005E एसडी/- (सी.ए. रितेश अग्रवाल) साथी एम.सं. 062410 यूडीआईएन: 21062410AAAAIV5213 स्थान: कोलकाता के ए एस जी एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 002228C एसडी/- (सी.ए. भरत गोयल) साथी एम. नं. 060069 यूडीआईएन: 21060069AAAAABE5636 स्थान: कोलकाता

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 129(4) के साथ पठित, धारा 143 (6) (b) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों पर स्टील ऑर्थिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रबंधन का जवाब।

टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील ऑर्थिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 10 जून 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, स्टील ऑर्थिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष जिसमें स्टील ऑर्थिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं, इसकी दो 1 सहायक कंपनियाँ, और दो 2 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ, जो सभी सरकार और/या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं। अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत नौ 3 संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और एक 4 सहयोगी कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा आज की दिनांक तक उनके खातों और/या लेखापरीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक पूर्ण नहीं की गई थी। अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत, मुझे सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं बल्कि समेकित वित्तीय विवरण में शामिल आठ 5 कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा नियंत्रित दो 6 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए थे। (विवरण अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं)। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पृष्ठभूमि और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। - सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड - एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड और सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड - बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड, सेल-बंगाल अलॉय कार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, सेल एंड मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, एनएमडीसी सेल लिमिटेड और जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड - अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड - एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड, सेल बंसल सर्विसेज लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड और वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड - सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में समेकित वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:	
क. समेकित लाभप्रदता पर एक टिप्पणी लाभ और हानि का समेकित विवरण वर्ष के लिए लाभ को निम्नलिखित के हिसाब से बढ़ा दिया गया है: (ए) नोट: 41: अन्य व्यय: ₹18423.59 करोड़ (i) अगस्त 2010 में राउरकेला इस्पात संयंत्र में ₹99.37 करोड़ की लागत से 100000 घन मीटर से अधिक गैस धारक कोक चालू किया गया था। गैस धारक नवंबर 2012 से चालू नहीं था। कोक ओवन गैस की उपलब्धता में सुधार को देखते हुए प्रबंधन द्वारा गैसधारक के पुनरुद्धार का प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार, गैस धारक बेकार और बेमानी हो गया है और इसलिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय—प्रावधानों को कम करके तथा लाभ को ₹38.26 करोड़ से अधिक बताया गया है।	गैस धारक को कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसने इसे इस्तेमाल करने से रोक दिया। इस मुद्दे की जांच के लिए राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) द्वारा गठित एक समिति ने सुझाव दिया था कि गैस धारक के संशोधन के लिए वैकल्पिक तकनीकों का पता लगाया जा सकता है ताकि इसे कोक ओवन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। हालांकि, चूंकि गैस धारक वर्तमान में उपयोग में नहीं है, सेल लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करता है। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
(ii) राउरकेला स्टील प्लांट में पाइप कोटिंग प्लांट जनवरी 2009 में ₹56.95 करोड़ की लागत से चालू किया गया था। संयंत्र में 60,000 टन प्रति वर्ष पाइपों की कोटिंग (3-लेयर पॉलीइथिलीन) की क्षमता थी। संयंत्र 2010-11 से 2015-16 के दौरान निर्धारित क्षमता के 5 प्रतिशत पर संचालित किया गया था और पाइप उत्पादन की मांग और सुविधा की कमी के कारण 2016-17 से 2020-21 के दौरान 3-लेयर पॉलीथीन लेपित पाइप का इनपुट सामग्री के रूप में वांछित ग्रेड का कोई उत्पादन नहीं हुआ था। इस प्रकार राउरकेला स्टील प्लांट में पाइप कोटिंग प्लांट बेमानी हो गया है और खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्यय—प्रावधानों को कम करके तथा लाभ को ₹25.20 करोड़ से अधिक बताया गया है।	पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए एपीआई ग्रेड पाइपों की कोटिंग के लिए आरएसपी में पाइप कोटिंग प्लांट स्थापित किया गया था। हालांकि, पाइपों के पीएसएल-2 विनिर्देशन की शुरुआत के साथ, जिसे आरएसपी बनाने में असमर्थ था, पाइप कोटिंग संयंत्र निष्क्रिय हो गया था। आरएसपी एमएस पाइप के कोटिंग के साथ प्रयोग कर रहा है जो उनकी लंबी उम्र को बढ़ाता है और

	टिप्पणियाँ	प्रबंधन के जवाब
		कोटेड पाइप के कुछ ऑर्डर भी मिले हैं। लेपित एमएस पाइप के लिए एक अच्छा बाजार है। पाइप कोटिंग प्लांट चालू है और क्षमता के अनुसार लेपित पाइपों की आपूर्ति करने में सक्षम है। तथापि, चूंकि क्षमता उपयोग वर्तमान में कम है, सेल लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करता है। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
	(iii) भारतीय लेखा मानकों ईड एस 16 के पैरा 16 में कहा गया है कि संपत्ति की लागत में इसका खरीद मूल्य, और परिसंपत्ति को सीधे स्थान पर लाने के लिए जिम्मेदार कोई भी लागत और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्त शामिल होगी। बोकारो स्टील प्लांट ने प्रबंधन द्वारा शटडाउन में देरी के लिए ब्लास्ट फर्नेस-2 के ठेकेदार बनने की लागत के लिए 17.13 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बोकारो इस्पात संयंत्र ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना के एक ठेकेदार को दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹5.01 करोड़ का भुगतान भी किया। चूंकि, लंबी अवधि की लागत और दंडात्मक ब्याज परिसंपत्ति की लागत से संबंधित नहीं हैं और भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 के मानदंडों को भी पूरा नहीं करते हैं, इसे परिसंपत्तियों के साथ पूंजीकरण करने के बजाय लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्यशील पर है और लाभ और अन्य व्यय ₹22.14 करोड़ कम बताए गए हैं।	सेल ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
	(iv) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020, करदाता को विवादित कर का भुगतान करके लंबित विवाद से राहत पाने और ब्याज और दंड के भुगतान से छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है। अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि योजना के तहत भुगतान की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। योजना के तहत बोकारो स्टील प्लांट ने एक मामले के निपटारे के लिए ₹14.01 करोड़ का भुगतान किया और उसी के लिए हिसाब से उसे सरकारी अधिकारियों के पास जमा के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि, उपरोक्त मामले को योजना के तहत निपटाया गया था और राशि वापस नहीं की जा सकती थी, इसे लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाना चाहिए था। उपरोक्त का प्रभार न लगाने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम बताया गया और लाभ को ₹14.01 करोड़ से अधिक बताया गया है।	सेल ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
ख)	नोट संख्या 5: पूंजीगत कार्य प्रगति पर : 8880.63 करोड़ उपरोक्त में बोकारो स्टील प्लांट की स्टील मेल्टिंग शॉप-II परियोजनाओं के लिए ऑक्सीजन प्लांट में एयर टर्बो कंप्रेसर और ऑक्सीजन टर्बो कंप्रेसर और हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन से संबंधित वर्ष 2020-21 में निर्माण के दौरान ब्याज के लिए आवंटित ₹11.32 करोड़ शामिल हैं। भारतीय लेखा मानकों/ईड एस 23 में कहा गया है कि कोई भी इकाई विस्तारित अवधि के दौरान उधार लागत के पूंजीकरण को निलंबित कर देगी जिसमें वह एक योग्य संपत्ति के सक्रिय विकास को निलंबित कर देती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 के दौरान उपरोक्त परियोजना में कोई सक्रिय विकास नहीं हुआ था लेकिन 2020-21 के लिए निर्माण के दौरान ब्याज को लाभ और हानि के विवरण के लिए वित्त लागत के रूप में चार्ज करने के बजाय पूंजीगत कार्य प्रगति पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर है और लाभ तथा वित्तीय लागत को ₹11.32 करोड़ से कम बताया गया है।	सेल ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
ग)	नोट संख्या 38ए: तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगति पर कार्य : 4493.08 करोड़। उपरोक्त में भौतिक रूप से मौजूद न होने वाले कच्चे माल के लिए ₹2.59 करोड़ शामिल हैं। इन्हें सेल रेफ्रेक्ट्री यूनिट द्वारा क्लोजिंग इन्वेंटरी में शामिल किया जाएगा। उपरोक्त के गैर-लेखा के परिणामस्वरूप वस्तु सूची और लाभ को ₹2.59 करोड़ से अधिक बताया गया।	सेल ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया। वर्तमान वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता/- (फैसल इमाम) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इस्पात), रांची स्थान: रांची दिनांक: 14 अगस्त, 2021	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से हस्ता/- (सुश्री सोमा मंडल) अध्यक्ष स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 1 सितंबर, 2021

Annexure-I

Statement showing name of Subsidiary, Joint Venture and Associated Companies of SAIL and status of consolidated of accounts (2020-21)

Sl No.	Name of the related party and nature of relationship	Whether accounts were consolidated	Whether under the jurisdiction of C&AG
	Parent Company		
	Steel Authority of India Limited	Yes	Yes
	Subsidiaries Companies		
1	SAIL Jagdishpur Power Plant Limited	Yes	Yes
2	SAIL Refractory Company Limited	Yes	Yes
3	SAIL Sindri Projects Limited	Yes	Yes
4	Chhattisgarh Mega Steel Limited	Yes	Yes
	Joint Venture Companies		
5	NTPC-SAIL Power Company Private Limited	Yes	Yes
6	Bokaro Power Supply Company Private Limited	Yes	Yes
7	SAIL-Bengal Alloy Casting Private Limited	Yes	Yes
8	SAIL & MOIL Ferro Alloys Private Limited	Yes	Yes
9	SAIL SCI Shipping Private Limited	Yes	Yes
10	International Coal Ventures Private Limited	Yes	Yes
11	SAIL SCL Kerala Limited	Yes	Yes
12	SAIL RITES Bengal Wagon Industry Private Limited	Yes	Yes
13	NDMC SAIL Limited	Yes	Yes
14	Bastar Railway Private Limited	Yes	Yes
15	GEDCOL SAIL Power Corporation Limited	Yes	Yes
16	M Junction Services Limited	Yes	No
17	Bhilai Jaypee Cement Limited	Yes	No
18	S&T Mining Co. Private Limited	Yes	No
19	SAIL Kobe Iron India Private Limited	Yes	No
20	Prime Gold-SAIL JVC Limited	Yes	No
21	SAIL Bansal Service Limited	Yes	No
22	Abhinav SAIL JVC Limited	Yes	No
23	VSL SAIL JVC Limited	Yes	No
	Associate Company		
24	Almora Magnesite Limited	Yes	Yes

फॉर्म AOC-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 सहित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुरूप)

अधीनस्थ कंपनियों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताओं का समावेश करने वाला पत्रक
भाग "अ" अधीनस्थ कंपनियां

क्रं. सं.	विशेष	विवरण		
1.	अधीनस्थ कंपनी का नाम	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	सेल सिंद्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2	सहायक कंपनी की ब्यौरा अवधि, यदि धारक कंपनी की ब्यौरा अवधि से भिन्न हो।	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा
3	विदेशी अधीनस्थ कंपनियों के प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर ब्यौरा मुद्रा तथा विनिमय दर की मामले रिपोर्ट।	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

(₹ करोड़ में)

4	समभाग पूंजी	0.10	0.05	0.05
5	भंडार और अधिशेष	149.31	(-) 0.05	(-) 0.03
6	कुल संपत्तियाँ	243.34	0.00	0.03
7	कुल देयताएँ	93.93	*	*
8	निवेश	-	-	-
9	आवर्त	154.45	-	-
10	कर के पूर्व का लाभ	16.30	-	-
11	कर के लिए प्रावधान	4.42	-	-
12	कर के बाद का लाभ	11.88	-	-
13	प्रस्तावित लाभांश	5.30	-	-
14	समभाग धारा	100	100	74

*50,000/- से कम राशि।

नोट: कंपनी इसको उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं लि में प्रति 10/- मूल्य के 30,00,000 सामान्य समभाग धारा करती है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 1997 के प्रभाव से कंपनी के परिसमापन के निर्देश दिए हैं तथा अधिकृत परिसमापक ने कंपनी की क्रं संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। कंपनी की संपत्तियों के निपटान के बाद, परिसमापक बकाया देश राशियों के निपटारे की प्रक्रिया में निरंतर हैं। 10 जुलाई 97 तक इसको उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं लि की संचयी हानि 17.05 करोड़ थी।

कृते निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जून, 2021

भाग "बी": सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के क्रं संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुरूप पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारा 129(3) के अनुसार सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में समभाग	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि ₹ करोड़	% धारा की सीमा	उल्लेखनीय प्रभाव कैसे है, उसका विवरण	कार्यकलापों से राजस्व	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार समभाग धारा के फलस्वरूप मानने योग्य कुल मूल्य ₹ करोड़	वर्ष के लिए लाभ/हानि (-) ₹ करोड़	समेकन में विचारित ₹ करोड़	समेकन में विचारित न किया गया ₹ करोड़
संयुक्त उद्यम		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लि.	31/03/2021	490250050	490.25	50.00%	नोट-1		1639.63	348.68	174.34	174.34
2	बोकारो पावर सप्लाई कं. प्रा. लि.*	31/03/2020	124025000	124.03	50.00%	नोट-1		542.88	85.94	42.97	42.97
3	एमजंक्शन सर्विसेज़ लिमिटेड*	31/03/2020	4000000	4.00	50.00%	नोट-1		176.16	36.56	18.28	18.28
4	सेल बंसल सर्विसेस सेंटर लि.*	31/03/2020	3200000	3.20	40.00%	नोट-1		0.98	0.55	0.22	0.33
5	भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड*	31/03/2020	98718048	52.51	26.00%	नोट-1		0.00	-8.62	0.00	-8.62
6	एसएंडटी माइनिंग कं. प्रा. लिमिटेड	31/03/2021	18141400	18.14	50.00%	नोट-1		0.00	-0.85	0.00	-0.85
7	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	31/03/2021	693759279	693.76	47.82%	नोट-1		1088.43	154.38	73.82	80.56
8	सेल-मॉडल फेरो एलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड#	31/03/2020	100000	0.10	50.00%	नोट-1		0.00	0.08	0.00	0.08
9	सेल एससीआइ शिपिंग प्रा. लिमिटेड#	31/03/2019	100000	0.10	50.00%	नोट-1		0.00	0.00	0.00	0.00
10	सेल एससीएल केरला लिमिटेड*	31/03/2018	13017801	18.75	49.26%	नोट-1		0.00	-18.49	0.00	-18.49
11	सेल बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	31/03/2021	24000000	24.00	50.00%	नोट-1		30.01	2.48	1.24	1.24
12	सेल कोबे आइरन इंडिया प्रा. लिमिटेड*	31/03/2018	250000	0.25	50.00%	नोट-1		0.00	0.00	0.00	0.00
15	सेल-बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड#	31/03/2018	10000	0.01	50.00%	नोट-1		0.00	0.00	0.00	0.00
16	प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड*	31/03/2019	4680000	4.68	26.00%	नोट-1		5.27	-1.31	-0.34	-0.97
17	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31/03/2018	1297780	1.30	20.58%	नोट-1		0.00	0.00	0.00	0.00
19	रोमेल् सेल (इंडिया) लि @		63000	0.06		नोट-1	लेखा उपलब्ध नहीं	-	-	-	-
20	यूईसी सेल इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड#		-	-		नोट-1	लेखा उपलब्ध नहीं	-	-	-	-
21	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लि #		97900	0.98		नोट-1	लेखा उपलब्ध नहीं	-	-	-	-
22	एन.ई. स्टील एंड गैल्वनाइजिंग प्रा. लिमिटेड #		-	-	49.00%	नोट-1	लेखा उपलब्ध नहीं	-	-	-	-
23	एनएमडीसी सेल लिमिटेड#	31/03/2018	24500	0.02	49.00%	नोट-1		0.00	0.00	0.00	0.00
24	बस्तर रेलवे प्रा लिमिटेड	31/03/2021	35232600	35.23	12.00%	नोट-1		35.44	0.54	0.06	0.48
25	जेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	31/03/2020	2600000	2.60	26.00%	नोट-1		2.61	0.02	0.01	0.01
सहायक कंपनी											
1	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड*	31/03/2020	400000	0.40	20.00%	नोट-2		1.31	-1.37	-0.27	-1.10

1. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार मतदान का अधिकार

2. 20% समभाग पूंजी धारा करती है

* वर्ष के गैर-लेखापरीक्षित लेखा पर आधारित

@ कार्यकलाप निलंबित

समापन/परिसमापन के अधीन कंपनियों

कृते निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 10 जून, 2021

वार्षिक विवरणी का सारांश
31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए
फार्म संख्या एमजीटी-9

(कंपनी (प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) तथा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुरूप)

I. पंजीकरण तथा अन्य वितरण

- i) सीआईएन : L27109DL1973GOI006454
ii) पंजीकृत तिथि : 24 जनवरी, 1973
iii) कंपनी का नाम : स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी : समभागों द्वारा सीमित/सार्वजनिक कंपनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क वितरण : इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003, संपर्क नं. +91-11-24367481.
फैक्स नं. +91-11-24367015. ईमेल: investor.relation@sail.in
vi) सूचीबद्ध कंपनी है या नहीं : हाँ
vii) निबंधक अभिकर्ता का नाम पता तथा संपर्क वितरण : एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज, नई दिल्ली-110020.
दूरभाष नं. +91-11-41406149. फैक्स नं. +91-11-41709881. ईमेल: admin@mcsregistrars.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारी गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त में 10% या अधिक योगदान देनेवाली सभी व्यापारी गतिविधियाँ प्रतिपादित की जाएंगी:-

क्रं.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा वितरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
1	सपाट उत्पाद (एचआर कोल्ड, एचआर प्लेट, सीआर कॉयल, पाइप तथा बिजली की चादरें इत्यादि)	330	45
2	लंबे उत्पाद (टीएमटी की छड़ें, तार की छड़ें इत्यादि)		44

III. धारक, अधीनस्थ कंपनी तथा सहायक कंपनियों का ब्यौरा

क्रं.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/अधीनस्थ कंपनी/सहायक कंपनी	धारित समभागों का %	लागू होने वाली धारा
1.	सेल-जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली (स्ट्राइक ऑफ)	U40106DL2011GOI219901	अधीनस्थ कंपनी	100	2(87)
2.	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड, सलेम स्टील प्लांट, तमिलनाडु-636013 भारत	U14200TZ2011GOI017357	अधीनस्थ कंपनी	100	2(87)
3.	सेल सिंद्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला-828135, झारखंड, भारत (स्ट्राइक ऑफ)	U27320JH2011GOI015168	अधीनस्थ कंपनी	100	2(87)
4.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड इस्पात भवन, भिलाई, सेक्टर 1, दुर्ग छत्तीसगढ़-490001 भारत	U27100CT2015GOI001627	अधीनस्थ कंपनी	74	2(87)
5.	इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, 50 चौरंगी रोड़, कलकता-700071, पश्चिम बंगाल, भारत (परिसमापन के अधीन)	U28113WB1964PLC026148	अधीनस्थ कंपनी	100	2(87)
6.	अलमोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड मैग्नेसाइट हाउस, रानिधारा रोड़, अलमोड़ा-263601, उत्तराखंड, भारत	U26941UR1971PLC003453	सहयोगी कंपनी	20	2(6)
7.	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लि., 4 वी मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, भारत	U74899DL1999PLC098274	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
8.	बोकारो पावर सप्लाइ कंपनी प्रा. लि., इस्पात भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003, भारत	U40300DL2001PTC112074	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
9.	नॉर्थ बंगाल डोलमाइट लिमिटेड, 28 बी, शेक्सपीयर सरनीप, "नीलांबर" फ्लैट क्रं. 10ए, 10वीं मंजिल, कोलकाता-700017, पश्चिम बंगाल, भारत (स्ट्राइक ऑफ)	U14109WB1980PLC033031	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
10.	यूईसी सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लि. द्वारा आई.एम. पुरी एंड कं., सी-30, चिराग इक्लेव, नई दिल्ली-110048 (परिसमापन के अधीन)	U74899DL1995PLC064072	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
11.	रोमेल्ट-सेल (इंडिया) लिमिटेड, नं. 25/2, मदनपुर, खादर सुंदर पब्लिक स्कूल के पास, एफ ब्लॉक के सामने, नई दिल्ली-110076	U74899DL1997PLC090025	संयुक्त उद्यम	15	2(6)
12.	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड गोदरेज वाटरसाईड, तीसरी मंजिल, टॉवर-1, प्लॉट-5, ब्लॉक डीपी, सेक्टर-5, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091, वेस्ट बंगाल, भारत	U00000WB2001PLC115841	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
13.	सेल-बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड, 12/2, पार्क मेशन, 57-ए, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016,	U27310WB2000PLC092486	संयुक्त उद्यम	40	2(6)
14.	भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड, जेए हाऊस, 63, बंसत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057	U26940CT2007PLC020250	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
15.	सेल एंड एमओआईएल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर भिलाई-490001, (हड़ताल करने की प्रक्रिया के तहत)	U27101CT2008PTC020786	संयुक्त उद्यम	50	2(6)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/अधीनस्थ कंपनी/सहायक कंपनी	धारित समभागों का %	लागू होने वाली धारा
16.	एसएंडटी माइनिंग कं. प्रा. लि टाटा सेंटर, 43, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल, भारत	U13100WB2008PTC129436	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
17.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, 20वीं मंजिल, स्कोप मीनार, लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110092, भारत.	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त उद्यम	47.82	2(6)
18.	सेल एससीआइ शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, शिपिंग हाउस, 13 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल, भारत. (स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया में)	U61100WB2010PTC148428	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
19.	सेल-एससीएल केरला लिमिटेड, स्टील नगर, पी.बी. क्र. सं. 42, फेरोके-673 631, कोझीकोड, केरल, भारत	U27104KL1969SGC002253	संयुक्त उद्यम	49.26	2(6)
20.	सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लि., स्कोप मीनार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092, भारत	U35200DL2010PTC211955	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
21.	सेल-कोबे आइरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत	U27100DL2012PTC236499	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
22.	सेल- बंगाल अलॉय कार्बिड्स प्राइवेट लिमिटेड, 22बी, राजा संतोष रोड, न्यू अलीपुर, कोलकाता-700027, पश्चिम बंगाल, भारत.	U35122WB2013PTC190532	संयुक्त उद्यम	50	2(6)
23.	वीएसएल-सेल जेवीसी लिमिटेड डोर नं.2-51, दरगाह के पास, कर्दूर, पोस्टपाटी पट्टन चेरुवु मंडल, हैदराबाद-502300, तेलंगाना, भारत	U27106TG2012PLC083896	संयुक्त उद्यम	20.58	2(6)
24.	प्राइम गोल्ड-सेल जेवीसी लिमिटेड 5/2, पंजाबी बाग विस्तार, क्लब रोड, नई दिल्ली - 110026, भारत.	U28113DL2012PLC245537	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
25.	अभिनव-सेल जेवीसी लिमिटेड, 401, महावीर जी कॉम्प्लेक्स, एलएससी ऋषभ विहार, दिल्ली-110092, आईएन।	U27100DL2012PLC245749	संयुक्त उद्यम	26	2(6)
26.	एनएमडीसी सेल लिमिटेड, 10-3-311/ए, खानिज भवन कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद, टीजी 500028 भारत (स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया में)	U27320TG2016GOL109798	संयुक्त उद्यम	49	2(6)
27.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर, एनएमडीसी बिल्डिंग गीन्स विले सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला रायपुर सीटी-492015, भारत	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त उद्यम	12	2(6)
28.	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जीईडीसीओएल कॉर्पोरेट कार्यालय, दूसरी मंजिल, ओएसपीएच और डब्ल्यूसी बिल्डिंग, वाणी विहार, जनपथ, बोईनगर, भुनेश्वर-751022	U40300OR2018SGC029410	संयुक्त उद्यम	26	2(6)

IV. 31 मार्च, 2021 के दिन शेयर होल्डिंग पैट संरचना (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में सामान्य समभाग पूंजी का विभाजन)
(i) श्रेणी के लिहाज से शेयर धारिता

समभाग धारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की क्र संख्या				वर्ष के अंत में धारा किए समभागों की क्र संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	% शेयरों की कुल संख्या	डीमेट	भौतिक	कुल	% शेयरों की कुल संख्या	
ए. प्रमोटर									
1. भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
ख) केंद्र सरकार	3097767449		3097767449	75.00	2684714550		2684714550	65.00	-10.00
ग) राज्य सरकार(रें)									
घ) निकाय कॉर्पोरेशन									
ड) बैंक/वित्तीय									
च) कोई दूसरा									
उप कुल अ	3097767449		3097767449	75.00	2684714550		2684714550	65.00	-10.00
2. विदेशी									
क) एनआरआई - व्यक्ति									
ख) अन्य - व्यक्ति									
ग) निकाय निगम									
घ) बैंक/एफआई									
ड) कोई और									
उप कुल अ	3097767449		3097767449	75.00	2684714550		2684714550	65.00	-10.00
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (अ)=(1)+(अ)(2):									
बी. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थानों									
क) म्यूचुअल फंड्स	148719158	124600	148843758	3.60	233931015	124600	234055615	5.67	2.07
ख) बैंक/एफआई	39685521	59600	39745121	0.96	12399714	59600	12459314	0.30	-0.66

समभाग धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारा किए समभागों की क्रं संख्या				वर्ष के अंत में धारा किए समभागों की क्रं संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	% शेयरों की कुल क्रं संख्या	डीमेट	भौतिक	कुल	% शेयरों की कुल क्रं संख्या	
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार(रें)									
ड) वेंचर कैपिटल फंड्स					3123000		3123000	0.08	0.08
च) बीमा कंपनियों	413792934	1900	413794834	10.02	437298926	1600	437300526	10.59	0.57
छ) एफआईआई	120130636	40426	120171062	2.91	178242667	41026	178283693	4.32	1.41
ज) विदेशी संस्थागत निवेश फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स									
i) अन्य (स्पष्ट करें)आईपीएफ	2348929		2348929	0.06	2824877		2824877	0.07	0.01
उप-कुल(B)(1):	724677178	226526	724903704	17.55	867820199	226826	868047025	21.03	3.48
2. गैर संस्थानों									
क) निगम	60499617	49811	60549428	1.47	121954392	49711	122004103	2.95	1.48
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख रुपयों तक नामांकित समभाग पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत समभाग धारक	140498254	3082761	143581015	3.48	189469837	2676962	192146799	4.65	1.17
ii) 1 लाख रुपयों से अधिक नामांकित समभाग पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत समभाग धारक	75760001	107100	75867101	1.84	237555502	107100	237662602	5.75	3.91
ग) अन्य (स्पष्ट करें) एनबीएफसी	68124		68124	0.00	259294		259294	0.00	0.00
i) प्रवासी भारतीय	20875139	396500	21271639	0.51	21999365	396500	22395865	0.54	0.03
ii) न्यास तथा प्रतिष्ठान	6199639	1800	6201439	0.15	3125861	1800	3127661	0.08	-0.07
iii) सहकारी संस्थायें	204400		204400	0.00	56400		56400	0.00	0.00
उप-कुल (B)(2):	304105174	3637972	307743146	7.45	574420651	3232073	577652724	13.97	6.52
कुल सार्वजनिक समभाग (B)=(B)(1)+(B)(2)	1028782352	3864498	1032646850	25.00	1442240850	3458899	1445699749	35.00	10.00
ग) जीडीआरए एंड एडीआर के कस्टडियन द्वारा धारित समभाग	42990	68000	110990	0.00	42990	68000	110990	0	0.00
कुल (A)+(B)+(C)	4126592791	3932498	4130525289	100	4126998390	3526899	4130525289	100	0.00

(ii) प्रवर्तकों का समभाग धारण

क्र. सं.	समभाग धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में समभाग धारितों की संख्या			वर्ष के अंत में समभाग धारितों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारा में परिवर्तन %
		समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	गिरवी रखे/भार ग्रस्त समभागों का %	समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	गिरवी रखे/भार ग्रस्त समभागों का %	
1	भारत सरकार	3097767449	75.00	0	2684714550	65.00	0	-10
	कुल	3097767449	75.00	0	2684714550	65.00	0	-10

(iii) प्रवर्तकों के समभाग धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन न हो, तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में समभाग धारितों की संख्या		वर्ष के दौरान संघयी समभाग धारितों की संख्या	
		समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %
1	वर्ष के आरंभ में भारत सरकार	3097767449	75.00	3097767449	75.00
2	कम: संवर्धक (भारत सरकार) द्वारा शेयर बाजार के माध्यम से 14 तथा 15 जनवरी 2021 के दिन सामान्य समभागों की बिक्री का प्रस्ताव	-	-	413052528	10.00
		-	-	371	0.00
3	कंपनी के पात्र कर्मचारियों को 1 फरवरी, 2021 के दिन सामान्य समभागों की बिक्री का प्रस्ताव वर्ष के अंत में	3097767449	75.00	2684714550	65.00

(iv) सबसे बड़े दस समभाग धारकों की समभाग धारा क्रं संरचना (क्रं संचालक, क्रं संवर्धक तथा जीडीआर तथा एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का क्र संवर्ध समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
1	IN30081210000012	भारतीय जीवन बीमा निगम	AAACL0582H	396663164	9.063	20200331				9.063
						20210108	9955000	बिक्री	386708164	9.362
						20210115	4705202	बिक्री	382002962	9.248
				382002962	9.248	20210331				
2	IN30005410094202	पॉलुलिन डेवलपिंग कंटीज फंड, एलएलसी	AAICP0164F	14603469	0.354	20200331				
						20200410	112401	बिक्री	14491068	0.351
						20200508	154739	बिक्री	14336329	0.347
						20200703	513427	बिक्री	13822902	0.335
						20200807	109148	बिक्री	13713754	0.332
						20200904	2467290	बिक्री	11246464	0.272
						20201204	7363090	खरीद	18609554	0.451
						20210205	132106	बिक्री	18477448	0.447
						20210305	60131	बिक्री	18417317	0.446
				18417317	0.446	20210331				
3	IN30016710142910	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड	AAACH8755L	14021958	0.339	20200331				
						20200710	122262	खरीद	14644220	0.355
						20200807	4547	खरीद	14648764	0.355
						20210009	1093	बिक्री	14638471	0.354
						20210106	3531	खरीद	14642002	0.354
						20201113	1158	खरीद	14643160	0.355
						20201211	5653	खरीद	14648813	0.355
						20210115	169520	बिक्री	14479293	0.351
						20210205	201018	खरीद	17680311	0.428
						20210312	59107	खरीद	17739418	0.429
				17739418	0.429	20210331				
4	IN30016710014415	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी निपोन इंडिया मल्टी कैपिटल फंड	AAATR0090B	7024500	0.170	20200424				

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	बीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारितों में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का क्र संचयी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20200501	4307929	खरीद	11332429	0.274
						20200508	10093900	खरीद	21426329	0.519
						20200605	2998700	खरीद	24425029	0.591
						20200710	-6000000	खरीद	30425029	0.737
						20201002	1400000	बिक्री	29025029	0.703
						20201016	2000000	बिक्री	27025029	0.654
						20201113	2000000	बिक्री	26025029	0.630
						20201127	2000000	बिक्री	24025029	0.582
						20201204	8000000	बिक्री	16025029	0.388
						20201211	1000000	बिक्री	15025029	0.364
						20210108	1000000	बिक्री	14025029	0.340
						20210331	-1500000	खरीद	15525029	0.376
				15525029	0.376	20210331				
5	IN30343810003257	वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	AABTV0442N	19428372	0.470	20200331				
						20200605	963796	बिक्री	18459076	0.447
						20201002	1548203	बिक्री	16910873	0.409
						20201016	428346	बिक्री	16482527	0.399
						20201106	414644	बिक्री	16067883	0.389
						20201113	512276	बिक्री	15555607	0.377
						20210115	332981	बिक्री	15222626	0.369
						20210205	733606	बिक्री	14489020	0.351
						20210305	641888	बिक्री	13847132	0.335
				13847132	0.335	20210331				
6	IN30343810016654	वैनगार्ड इमजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वीएनजी की श्रृंखला	AAATV0918K	15153910	0.367	20200331				
						20200424	730762	बिक्री	14423148	0.349

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारितों में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संघी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20200626	945703	बिक्री	13477445	0.326
						20210219	74470	खरीद	13551915	0.328
						20210305	-144878	खरीद	13696793	0.332
						20210319	27080	खरीद	13723873	0.332
				13723873	0.332	20210331				
7	IN30179910088827	बीएनपी पैरिबास आरबिट्रेज ओडीआई	AAGFB5324G	11430866	0.277	20201002				
						20201009	11120270	बिक्री	310596	0.008
						20201023	-50000	खरीद	360596	0.009
						20201120	-175000	खरीद	535596	0.013
						20201127	45000	बिक्री	580596	0.014
						20201204	85268	बिक्री	495328	0.012
						20201211	4240268	खरीद	4735596	0.115
						20201218	310000	खरीद	5045596	0.122
						20201225	2074254	खरीद	7119850	0.172
						20210101	541000	बिक्री	6578850	0.159
						20210108	885490	बिक्री	5693360	0.138
						20210115	280000	खरीद	5973360	0.145
						20210122	5675347	खरीद	11648707	0.282
						20210205	1006468	बिक्री	10642239	0.258
						20210212	217521	खरीद	10859810	0.263
						20210226	-900000	खरीद	11759810	0.285
						20210305	4977105	खरीद	16736915	0.405
						20210312	4343943	खरीद	12392972	0.3
						20210319	2309301	बिक्री	10083671	0.244
						20210326	1087687	खरीद	11171358	0.270
						20210331	635058	बिक्री	10536300	0.255
				10536300	0.255	20210331				

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संवर्दी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
8	IN30016710034409	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-ए/सी निष्पन्न इंडिया मल्टी कैपिटल फंड	AAATR0090B	350000000	0.847	20200703				
						20200904	5000000	बिक्री	30000000	0.726
						20200918	2000000	बिक्री	28000000	0.678
						20200930	2000000	बिक्री	26000000	0.629
						20201002	1000000	बिक्री	25000000	0.605
						20201009	1000000	बिक्री	24000000	0.581
						20201023	2000000	बिक्री	22000000	0.533
						20201030	2000000	बिक्री	20000000	0.484
						20201113	1000000	बिक्री	19000000	0.46
						20201120	1500000	बिक्री	17500000	0.424
						20201127	2500000	बिक्री	15000000	0.363
						20201211	2000000	बिक्री	13000000	0.315
						20201218	3000000	बिक्री	10000000	0.242
						20210101	1000000	बिक्री	9000000	0.218
						20210108	500000	बिक्री	8500000	0.206
						20210115	500000	बिक्री	8000000	0.194
						20210205	-2000000	खरीद	10000000	0.242
				10000000	0.242	20210331				
9	IN30152430014210	कोटक इक्विटी आर्बिट्रिज फंड	AAATK4475F	114000	0.003	20200619				
						20200626	-2147000	खरीद	2261000	0.055
						20200630	-133000	खरीद	2394000	0.058
						20200710	874000	बिक्री	1520000	0.037
						20200807	-2546000	खरीद	4066000	0.098
						20200814	-722000	खरीद	4788000	0.116
						20200821	285000	बिक्री	4503000	0.109
						20200828	-589000	खरीद	5092000	0.123
						20200911	551000	बिक्री	4541000	0.110

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारितों में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संघी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20200925	-266000	खरीद	4807000	0.116
						20201023	19000	बिक्री	4788000	0.116
						20201113	114000	बिक्री	4674000	0.113
						20201120	-22000	खरीद	4693000	0.114
						20201127	-114000	खरीद	4807000	0.116
						20201204	-5016000	खरीद	9823000	0.238
						20201225	3211000	बिक्री	6612000	0.160
						20210101	-741000	खरीद	7353000	0.178
						20210108	2584000	बिक्री	4769000	0.115
						20210115	2090000	बिक्री	2679000	0.065
						20210122	-7372000	खरीद	10051000	0.243
						20210205	-133000	खरीद	10184000	0.247
						20210226	-95000	खरीद	10279000	0.249
						20210312	1064000	बिक्री	9215000	0.223
						20210319	-608000	खरीद	9823000	0.238
				9823000	0.238	20210331				
10	IN30016710084332	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड-ए/सी निप्पोन इंडिया आर्बिट्रज फंड	AAATR0090B	957700	0.023	20200410				
						20200417	282600	बिक्री	675100	0.016
						20200630	-939900	खरीद	1615000	0.039
						20200821	893000	बिक्री	722000	0.017
						20200828	57000	खरीद	779000	0.019
						20200911	285000	बिक्री	494000	0.012
						20200918	-2793000	खरीद	3287000	0.080
						20200925	1957000	बिक्री	1330000	0.032
						20201023	247000	बिक्री	1083000	0.026
						20201030	-209000	खरीद	1292000	0.031
						20201113	133000	बिक्री	1159000	0.028

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संचयी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20201120	76000	बिक्री	1083000	0.026
						20201127	-1976000	खरीद	3059000	0.074
						20201204	-1216000	खरीद	4275000	0.103
						20201218	-1083000	खरीद	5358000	0.130
						20201225	836000	बिक्री	4522000	0.109
						202010108	1482000	बिक्री	3040000	0.074
						202010115	323000	बिक्री	2717000	0.066
						202010122	-2964000	खरीद	5681000	0.138
						202010129	2717000	बिक्री	2964000	0.072
						202010205	-399000	खरीद	3363000	0.081
						202010212	-2869000	खरीद	6232000	0.151
						202010226	627000	बिक्री	5605000	0.136
						202010305	-1957000	खरीद	7562000	0.183
						202010312	2033000	बिक्री	5529000	0.134
						202010319	-2945000	खरीद	8474000	0.205
						202010326	19000	बिक्री	8455000	0.205
						202010331	-931000	खरीद	9386000	0.227
				9386000	0.227	202010331				
11	IN30081210001728	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	AAACN4165C	8825060	0.214	20200331	शून्य			
				8825060	0.214	202010331				
12	IN300005410096499	पोलुनिन फंड डेवलपिंग कंटीज़ फंड	AAHCP6043Q	5260640	0.127	20200331				
						20200605	-318279	खरीद	5578919	0.135
						20200630	77882	बिक्री	5501037	0.133
						20200703	42991	बिक्री	5458046	0.132
						20200807	42774	बिक्री	5415272	0.131
						20200904	-350750	खरीद	5766022	0.140
						20200925	332782	बिक्री	5433240	0.132

क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारितों में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संचयी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20201204	-3805816	खरीद	9239056	0.224
						20210205	545994	बिक्री	8693062	0.210
				8693062	0.210	20210331				
13	IN30378610000836	सोसाइटी जनरले	AABCS7484C	1059902	0.026	20200331				
						20200410	204100	बिक्री	855802	0.021
						20200417	78500	बिक्री	777302	0.019
						20200501	94200	बिक्री	683102	0.017
						20200508	321676	बिक्री	361426	0.009
						20200522	47100	बिक्री	314326	0.008
						20200605	-533800	खरीद	848126	0.021
						20200612	-1585700	खरीद	2433826	0.059
						20200619	-722200	खरीद	3156026	0.076
						20200630	-50400	खरीद	3206426	0.078
						20201002	-4223187	खरीद	7429613	0.180
						20201009	-5586000	खरीद	13015613	0.315
						20201016	-5586000	खरीद	13475140	0.326
						20201106	5035000	बिक्री	8440140	0.204
						20201113	-8816000	खरीद	17256140	0.418
						20201120	-285000	खरीद	17541140	0.425
						20201127	10269000	बिक्री	7272140	0.176
						20201204	-4959000	खरीद	12231140	0.296
						20201211	-4161000	खरीद	16392140	0.397
						20201218	-2128000	खरीद	18520140	0.448
						20201225	-2717000	खरीद	21237140	0.514
						20210101	7391000	बिक्री	13846140	0.335
						20210108	2489000	बिक्री	11357140	0.275
						20210115	7861000	बिक्री	3496140	0.085



क्र. सं.	फोलियो नं.	नाम	पीएन	समभाग धारिता		तिथि	समभाग धारितों में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान (31-03-20 से 31-03-21) का संवर्दी समभाग धारिता	
				वर्ष के आरंभ में (31-03-20) समभागों की संख्या /अंत में (31-03-21)	कंपनी के कुल समभाग का %				समभाग	कंपनी के कुल समभागों का %
						20210122	11280000	खरीद	14776140	0.358
						20210205	8481000	बिक्री	6295140	0.152
						20210226	220000	बिक्री	6075140	0.147
						20210305	-1968000	खरीद	8043140	0.195
						20210319	-95000	खरीद	8138140	0.197
						20210326	684000	बिक्री	7454140	0.18
						20210331	-722000	खरीद	8176140	0.198
				8176140	0.198	20210331				
14	IN30005410029492	ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड बेसेमर इवे	AAAT01891P	3148952	0.076	20200331				
						20200904	-662872	खरीद	3811824	0.092
						20201204	-2302456	खरीद	6114280	0.148
				6114280	0.148	20210331				
15	IN30005410013410	इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (द पोर्टफोलियो) ऑफ डीएफ	AACCD1644G	7181652	0.174	20200331				
						20200508	408942	बिक्री	6772710	0.164
						20200515	1419464	बिक्री	5353246	0.13
				5353246	0.13	20210331				

v) संचालकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधन अधिकारियों का समभाग धारित

क्र. सं.	प्रत्येक संचालक तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रबंधन अधिकारी का समभाग धारित	वर्ष के आरंभ में समभाग धारित		वर्ष के दौरान संचयी समभाग धारित	
		समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %
1.	श्री अनिल कुमार चौधरी				
	वर्ष के आरंभ में	200	0.00	200	0.00
	वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरा/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) को स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के समभाग धारा में तिथि निहाय वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रत्येक संचालक तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रबंधन अधिकारी का समभाग धारित	वर्ष के आरंभ में समभाग धारित		वर्ष के दौरान संचयी समभाग धारित	
		समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %
2.	श्री अतुल श्रीवास्तव				
	वर्ष के आरंभ में	200	0.00	200	0.00
	वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरा/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) को स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के समभाग धारा में तिथि निहाय वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	200	0.00	200	0.00

क्र. सं.	प्रत्येक क्रं संचालक तथा प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रबंधन अधिकारी का समभाग धारित	वर्ष के आरंभ में समभाग धारित		वर्ष के दौरान संचयी समभाग धारित	
		समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %	समभागों की संख्या	कंपनी के कुल समभागों का %
3.	श्री अनिर्बान दासगुप्ता				
	वर्ष के आरंभ में	100	0.00	100	0.00
	वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरा/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि) को स्पष्ट करते हुए प्रवर्तकों के समभाग धारा में तिथि निहाय वृद्धि/कमी:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	100	0.00	100	0.00

नोट: वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरंभ, दौरान तथा अंत में सभी अन्य क्रं संचालक कंपनी का कोई समभाग धारित नहीं करते।

v. ऋणभार

31 मार्च, 2021 के दिन बकाया/आकारित किंतु भुगतान के लिए अदेय व्याज सहित कंपनी का ऋणभार

(₹ करोड़ में)

	जमा राशियां छोड़कर प्रतिभूत ऋण	गैर प्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणभार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणभार				
i) मूलधन राशि	40697.64	13429.41	-	54127.05
ii) देय परंतु भुगतान न किया ब्याज	-	-	-	-
iii) आकारित परंतु अदेय ब्याज	584.91	27.65	-	612.56
कुल (i+ii+iii)	41282.55	13457.06	-	54739.61
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
• वृद्धि	8420.64	59657.54	41.85	68120.03
• कमी	24593.96	59934.70	41.85	84570.51
कुल परिवर्तन	-16173.32	-277.15	-	-16450.47
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभार				
i) मूलधन राशि	24782.78	12893.79	-	37676.58
ii) देय परंतु भुगतान न किया ब्याज	-	-	-	-
iii) आकारित परंतु अदेय ब्याज	450.12	29.81	-	479.93
कुल (i+ii+iii)	25232.90	12923.60	-	38156.51

VI. संचालकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधन अधिकारियों का वेतन

A. संचालक, पूर्णकालिक क्र संचालकों तथा/अथवा प्रबंधक का वेतन:-

क्र. सं.	वेतन का ब्यौरा	संचालक/पूर्णकालिक संचालक/ प्रबंधक का नाम								कुल राशि (₹)
		सुश्री सोमा मंडल	श्री अनिल कुमार चौधरी (31.12.2020 तक)	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्री हरिनंद राय	श्री विवेक गुप्ता (31.07.2020 तक)	श्री अमित सैन	श्री अनिर्बान दासगुप्ता	श्री अमरेंद्र प्रकाश (28.09.2020 से)	
		संचालक (व्यावसायिक) तथा अध्यक्ष (01.01.2021 से)	अध्यक्ष	संचालक (कर्मचारी)	संचालक (टी.पी. एंड आरएम)	संचालक (आरएम एंड एल)	संचालक (वित्त)	संचालक (प्रभारी - बीएसपी)	संचालक (प्रभारी - बीएसएल)	
1.	सकल वेतन									
	(a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	50,60,553	45,91,360	16,13,503	44,53,121	17,76,349	40,41,453	50,53,795	20,98,474	2,86,88,608
	(b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	6,20,904	5,81,749	30,809	5,49,722	16,500	5,03,838	2,37,860	1,53,633	26,95,015
	(c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक पर्याय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	अभिकृति - लाभ के % रूप में - अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (A)	56,81,457	51,73,109	16,44,312	50,02,843	17,92,849	45,45,291	52,91,655	22,52,107	3,13,83,623
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

B. अन्य संचालकों के वेतन:

क्र. सं.	वेतन का ब्यौरा	मंडल/समिति बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	अभिकृति	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुल राशि (₹)
1.	स्वतंत्र संचालक*				
	सीए.के.एस. चौहान (21.09.20 तक)	3,20,000	-	-	3,20,000
	प्रौ. एन.के. तनेजा (21.09.20 से)	2,40,000	-	-	2,40,000
	श्री कृष्णकुमार गुप्ता		7,80,000	-	-7,80,000
	श्री एतत्र शंकरप्पा	5,60,000	-	-	5,60,000
	कुल (1)	19,00,000	-	-	19,00,000
2.	अन्य गैर-कार्यकारी संचालक**				
	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल (B)=(1+2)	19,00,000	-	-	19,00,000
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	अधिनियम के अनुसार सीमन (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अंतर्गत गणित किए लाभों के @1% पर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*स्वतंत्र संचालकों को केवल बैठक शुल्क अदा किया जाता है।

**अन्य गैर-कार्यकारी संचालकों को कोई बैठक शुल्क अदा नहीं किया जाता।

C. प्रबंधकीय क्रं संचालक/प्रबंधक/पूर्वाकालिक क्रं संचालक के अलावा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अधिकारियों का वेतन

क्र. सं.	वेतन का ब्यौरा	श्री एम.बी. बालाकृष्णन, कंपनी सचिव	कुल राशि (₹)
1.	सकल वेतन		
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	37,10,199	37,10,199
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	2,500	2,500
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदल में लाभ	-	-
2.	स्टॉक पर्याय	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-
4.	अभिकृति	-	-
	- लाभ के % रूप में	-	-
	- अन्य स्पष्ट करें...	-	-
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	-
	कुल (A)	37,12,699	37,12,699

VII. अपराधों के आर्थिक दंड/सजायें/चक्रमुद्रांकन:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	क्रं संक्षिप्त वितरण	आर्थिक दंड/सजायें/लगाए गए शुल्कों के चक्रमुद्रांकन का ब्यौरा:	प्राधिकर (आरडी/एनएलसीटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो तो
A. कंपनी			शून्य		
दंड					
आर्थिक दंड					
चक्रमुद्रांकन					
B. संचालक					
दंड					
आर्थिक दंड					
चक्रमुद्रांकन					
C. वित्त					
आर्थिक दंड					
सजा					
कंपाउंडिंग					

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुरूप ऋण, गारंटियों का निवेशों का ब्यौरा

i) राशि देय 31 मार्च, 2021

ब्यौरा	राशि (₹ करोड़)
दिए गए ऋण *	
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं. लि.	2.53
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्रा. लिमिटेड	42.40
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	0.10
यूईसी सेल इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड	1.30
एसएंडटी माइनिंग कं. प्रा. लिमिटेड	0.02
सेल एससीएल केरला लिमिटेड	8.25
रॉमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	0.13
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	2.80
कुल	57.53
किए गए निवेश#	1474.56

* ₹11.92 करोड़ का प्रावधान किया गया

स्वतंत्र खातों के लिए नोट क्रं सं.8 का संदर्भ लें

ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान किए गए निवेश

निकाय का नाम	संबंध	राशि (₹ करोड़)	किस उद्देश्य के लिए निवेशों के उपयोग का प्रस्ताव है
		शून्य	

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी ओर से
हस्ता/
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 1 सितंबर, 2021

ऊर्जा संवर्धन, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी विनमय प्राप्ति तथा बहिर्गमन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) सह कंपनी(लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुरूप)

(A) ऊर्जा का संवर्धन

(i) ऊर्जा के संवर्धन के लिए उठाये गए कदम या उसपर होने वाला प्रभाव

ग्रीनहाउस गैसों(जीएचजी) के उत्सर्जन में कारण के कारा बढ़ते ऊर्जा खर्च तथा पर्यावरणीय हास के रुझान ने ऊर्जा की खपत में कमी की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय इस्पात उद्योग में, ऊर्जा का खर्च कुल उत्पादन लागत का लगभग 40% है।

ऊर्जा के बढ़ते खर्च के घटक को देखते हुए, सेल ने निरन्तर विविध उपाय अपनाये हैं, जैसे संयंत्र उपयोगन में महत्तमीकरा, वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार, नई प्रौद्योगिकियों का समन्वयन तथा फालतू ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति। साथ ही, खपत/ईंधन तथा बिजली की खरीद में कमी लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

ऊर्जा तथा बिजली के मामले में समेकित इस्पात संयंत्रों का प्रदर्शन नीचे दिए अनुसार था:

मापदंड	इकाई	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी
विशिष्ट ऊर्जा खपत	Gcal/tcs	6.52	6.40	6.19	6.78	6.48
विशिष्ट ऊर्जा खपत	kWh/tss	530	420	469	488	583

इन क्षेत्रों में उठाए गए कुछ कदमों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

मिलीआई इस्पात क्रं संयंत्र (बीएसपी)

- जुड़वा हर्थ भट्टी-ब्लूमिंग मिल-बिलेट मिल के फालतू ऊर्जापरक इस्पात निर्माण मार्ग का उन्मूलन, साथ ही मूलभूत ऑक्सीजन भट्टी-कॉन्टिनुअस कार्टिंग(सीसी) के ऊर्जा कार्यक्षम मार्ग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत में 326 टी फैल की कमी आई।
- कोक ड्राइ क्वेंचिंग(सीडीक्यू) सुविधा में गर्म कोक से फालतू ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप कोक ओवन बैटरी(सीओबी) 11 में बैक प्रेशर टर्बाइन जनरेटर(बीपीटीजी) से अब तक का सर्वाधिक बिजली निर्माण 17.85 GWh हुआ। पिछला सर्वोत्तम बीपीटीजी बिजली विनिर्माण यानी 15 GWh 2019-20 में हो सका था।
- ब्लास्ट फर्नेस(बीएफ) 8 में हाइ टॉप गैस निकासी दाब का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जिसके परिणामस्वरूप टॉप-प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) के द्वारा अब तक का सर्वाधिक बिजली विनिर्माण 78.95 GWh हुआ। पिछला सर्वोत्तम टीआरटी बिजली विनिर्माण 51.25 GWh 2019-20 में हो सका था।
- बीएफ 2 तथा 3 से उत्पादन का स्थायी स्थगन, बीएफ 4 को मरम्मत के लिए निकालना तथा बीएफ 8 का कोक दर 411 kg@thm व कोयले की धूल की प्रविष्टि (सीडीआई) दर 99.5 kg@thm पर कार्यान्वयन, जिसके परिणामस्वरूप
 - 447 kg @ thm के बीएफ में आज तक की सबसे कम सर्वांगी कोक दर (पिछली सर्वोत्तम 463 kg@ thm 2019-20 में प्राप्त हुई थी); तथा
 - 75-9 kg @ thm के बीएफ में आज तक की सर्वोत्तम सर्वांगी सीडीआई दर (पिछली सर्वोत्तम 61.1 kg @ thm 2019-20 में प्राप्त हुई थी)।
- 15,000 की संख्या से अधिक पारंपरिक प्रकाशन संस्थापनों के स्थान पर एलईडी क्रं संस्थापन लाने के परिणामस्वरूप अनुमानित बिजली की बचत 3,400 MWh रही।
- प्लेट मिल गैस बूस्टर स्टेशन में बीओएफ गैस बूस्टर5, मिक्सड गैस बूस्टर #4 में, सामान्यीकारक फर्नेस गैस बूस्टर स्टेशन के मिक्सड गैस बूस्टर #1 में परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवर्ति (वीवीवीएफ) ड्राइवों तथा, स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) 20 के गैस स्वच्छता क्रं संयंत्र (जीसीपी) में 6 की संख्या में पंपों का संस्थापन, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की अनुमानित बचत 900 MWh रही।
- वेलिंग यंत्रों के लिए वोल्टता न्यूनीकरा उपकरणों का 105 की संख्या में संस्थापन, जिसके परिणामस्वरूप न केवल मानवीय सुरक्षा की सुनिश्चिती हुई, बल्कि बिजली की अनुमानित बचत भी 225 MWh रही।

दुर्गापुर इस्पात क्रं संयंत्र (डीएसपी)

- इंगोर्ट मार्ग के स्थान पर ब्लूम एंड राउंड कास्टर के द्वारा वील एंड एक्सल क्रं संयंत्र के लिए फीड सामग्री में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप सीसी मार्ग के द्वारा आज तक का सर्वाधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन 97.5% प्राप्त हुआ। सीसी मार्ग के द्वारा पिछला सर्वाधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन 96.9%, 2019-20 में हो सका था।
- इस्पात विनिर्माण कार्यान्वयन मापदंडों का महत्तमीकरा, जिसके परिणामस्वरूप एसएमएस पर आज तक की सबसे कम धातु प्रविष्टि (टीएमआई) 1,114 kg/tcs प्राप्त हो सकी। एसएमएस पर पिछली सबसे कम धातु प्रविष्टि (टीएमआई) 1,118 kg/tcs 2019-20 में प्राप्त हो सकी थी।
- डीएसपी में 60 kWp ग्रिड-संयोजित, छत पर लगाए जानेवाली सौर फोटो-वोल्टीय प्राली का क्रं संस्थापन, जिसके कारा न केवल बिजली की खरीद की समप्रमा राशि में कमी आई, बल्कि इस प्रकार उत्पादित इस्पात का कार्बन पदचिन्ह भी कम रहा।
- हाइमास्ट टावर्स में 12 की संख्या में 400 W एचपीएसवी लाइट्स के स्थान पर 350 W एलईडी संस्थापन, 300 की संख्या में 250 W/150 W स्ट्रीटलाइट्स के स्थान पर 120 W एलईडी क्रं संस्थापन लाना तथा 4 की संख्या में विद्युत् सबस्टेशनों को एलईडी प्रकाशन में रूपांतरित करना, जिसके परिणामस्वरूप समप्रमा राशि में बिजली की खपत कम हुई।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)

- गर्म कोक से फालतू ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप बीपीटीजी से अब तक का सर्वाधिक बिजली विनिर्माण 33.05 GWh हुआ, जबकि सीओबी #6 की सीडीक्यू सुविधा से मध्यम दाब की भाप का 374.5 हजार टन उत्पादन हुआ। पिछला सर्वोत्तम 27.4 GWh 2019-20 में प्राप्त हुआ था।
- बीएफ#5 में उच्च स्तरीय गैस उत्सर्जन दाब के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के परिणामस्वरूप टीआरटी के माध्यम से कुल मिलाकर बिजली उत्पादन में 107 GWh की वृद्धि हुई।
- बीएफ #5 बीएफ गैस संकलन बढ़ाने के लिए बीएफ गैस पाइपलाइन में रूपांतरण तथा आधुनिकीकृत क्षेत्र में पुराने क्षेत्र से सीओबी #6 में बीएफ गैस प्रवाह बढ़ाना, जिसके परिणामस्वरूप बीएफ गैस उपयोगन बढ़कर 90x106 Nm³ के स्तर तक आ गया।
- प्लेट मिल की स्लैब ट्रांसफर कार में एक 75 kW VVVF ड्राइव तथा यूएसटी पंप में 36 kW VVVF ड्राइव का संस्थापन, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित बिजली की बचत 9,000 MWh हुई।
- प्लेट मिल की पुनर्तापन भट्टी में फालतू ऊष्मा रिक्यूपरेटर का अंतरा, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित ईंधन की खपत में बचत 9 Tcal हुई।
- संटर प्लांट (एसपी) #3 प्रक्रिया अनुकूलन दोनों को चलाकर – वर्ष के दौरान एक 430 kW कंप्रेसर HT मोटर और सर्दियों के दौरान 45 kW कूलिंग टॉवर फैन मोटर – 75% रेटेड क्षमता पर, जिससे 2,500 MWh की अनुमानित बिजली बचत होती है।
- कोयला रसायन विभाग (सीसीडी) में 6 कूलिंग टावर्स के उन्नयन के परिणामस्वरूप 1,250 मेगावाट बिजली की बचत हुई।
- 1000 वाट के पारंपरिक लैंप के स्थान पर 200 वाट के 100 एलईडी बल्ब लगाने से 700 मेगावाट बिजली की बचत होती है।
- SP # 2 में स्पलेज संटर को फिर से लगाने से 6 मोटरों का संचालन बेमानी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 750 मेगावाट बिजली की बचत हुई।

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)

- SMS #1 कास्टर का आंशिक उपयोजन, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित ऊर्जा की बचत 200 Tcal हुई।
- बॉयलर #में बीएसएफ गैस फायरिंग लाना, जिसके कारण 140 x 109 Nm³ बीएफ गैस उपयोग में आया, जो अन्यथा फालतू हो जाती।
- 700 mmNB कोक ओवन (सीओ) गैस पाइपलाइन के एक भाग का

अंतरा, जिसके परिणामस्वरूप आरएमपी भट्टों में सीओ गैस आपूर्ति बढ़ी और ऊर्जा बचत 55 Tcal हुई।

- BF # 1 के चूल्हों में फालतू ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्राणली का संस्थापन, जिसके कारण ईंधन की 50 Tcal बचत हुई।
- हॉट स्ट्रिप मिल की 2 पुनर्तापन भट्टियों में फालतू ऊष्मा रिक्यूपरेटर्स की मरम्मत, जिसके कारा ईंधन की 20 Tcal अनुमानित बचत हुई।
- 3 की क्र संख्या में सोकिंग पिट्स की पूर्व मरम्मत और 20 की संख्या में सोकिंग पिट्स की आंशिक मरम्मत, जिसके कारा ईंधन की 40 टीफैन अनुमानित बचत हुई।
- 700 की क्र संख्या में सोडियम वेपर स्ट्रीट लाइट्स, 800 की क्र संख्या में हाइ मास्ट लाइट्स तथा 2,500 की संख्या में केबल ट्यूनले लाइट्स के स्थान पर एलईडी का अंतरा, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित बिजली की बचत 850 MWh हुई।
- 40 की संख्या में भाप रिसावों का परिसमापन, 300 m स्टीमलाइन का इंसुलेशन तथा 25 की संख्या में भाप संजालों का अंतरा, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित भाप की बचत 12,000 रही।

(B) इस्को इस्पात संयंत्र (आइएसपी)

- नए क्र संयंत्र में कारखानों की पुनर्तापन भट्टियों में, पुराने क्र संयंत्र से अतिरिक्त सीओ गैस की फायरिंग के लिए समर्पित सीओ गैस पाइपलाइन बिछाना, जिसके परिणामस्वरूप सीबीएम गैस की खरीद करके होने वाली खपत में अनुमानित $13 \times 106 \text{ CM}^3$ की कमी आई।
 - 80 kWp, ग्रिड-संयोजित, छत पर लगाए जानेवाली सौर फोटो-वोल्टीय प्रणाली का संस्थापन, जिसके कारण न केवल बिजली की खरीद की समप्रमाण राशि में कमी आई, बल्कि इस प्रकार उत्पादित इस्पात का कार्बन पदचिह्न भी कम रहा।
- ii) ऊर्जा क्र संवर्धन उपकरणों पर पूंजीगत निवेश
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा संवर्धन उपकरणों /उपायों पर लगभग 40 करोड़ पूंजीगत निवेश किया गया है।

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास

लोहा तथा इस्पात अनुसंधान तथा विकास केंद्र (आरडीसीआइएस) सेल की कॉर्पोरेट अनुसंधान तथा विकास इकाई है। पिछले वर्षों के दौरान, आरडीसीआइएस ने लोह धातुविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अनुसंधान तथा विकास केंद्र होने का सम्मान अर्जित किया है। आरडीसीआइएस का प्रमुख लक्ष्य सेल संयंत्रों की गुणवत्ता, उत्पादकता तथा निष्पत्ति के उनके महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांकों में सुधार लाने के लिए बहुविभागीय अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का नियोजन, प्रात्यक्षिक तथा कार्यान्वयन रहा है। आरडीसीआइएस कंपनी के इस्पात संयंत्रों तथा केंद्रीय विपान संस्था के साथ काम कर उत्पाद खर्च कम करता है, मूल्यवर्धित बाजार केंद्रित उत्पाद विकसित करता है तथा ग्राहकों के बीच सेल उत्पादों के अनुयोजन का प्रात्यक्षिक देता है। 2020-21 में कंपनी के द्वारा जिन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों की गई थीं, वे इस प्रकार हैं:

a) प्रक्रिया विकास

कोक विनिर्माण

- बीएसपी के सीओबी #11 में औषिक तथा हाइड्रॉलिक विभाग महत्तमीकरा के द्वारा सीडीसीपी के प्रदर्शन में परिवर्धन
- बीएसपी में कोक के एम₉₀ सूचकांक में 9.3 से 9.5 तक वृद्धि।
- डीएसपी के सीओबी #5 में कोक आर्द्रता निरंतरता तथा सीओ गैस निष्पत्ति में सुधार लाने के लिए प्रक्रिया महत्तमीकरा
- आइएसपी के सीओबी #11 में बैटरी स्थिति का पर्यवेक्षा।

संकुलन

- बीएसएल में सिल्टरिंग कार्यान्वयन तथा MgO घटक का महत्तमीकरा
- आरएसपी के एसपी #3 में रिटर्न सिल्टर विनिर्माण में कमी
- दल्ली खानों में स्लाइम के प्रक्रियन के लिए स्लाइम बेनेफेसिएशन इकाई का महत्तमीकरा
- मेघताबुरु खानों में लंप का आकार कम होने का नियंत्रण करने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्षमता में सुधार लाना

ब्लास्ट भट्टियाँ

- बीएसएल के बीएफ 2 में गैस उपयोजन में सुधार।
- डीएसपी के बीएफ 3 में कॉपर टुएस की हार्ड फेसिंग तथा परावर्तक लाइनिंग के माध्यम से ऊष्मा हानि में 10% की कमी।
- आरएसपी के बीएफरु1 में कोक दर में कमी।
- आरएसपी के बीएफ 5 की ब्लास्ट भट्टी में स्लेज प्रवाह पर स्लैंग संरचना का प्रभाव।

इस्पात विनिर्माण, कार्स्टिंग तथा रिफ़ैक्टरी

- बीएसएल के एसएमएस-III की कार्यान्वयनात्मक कार्यक्षमता में सुधार
- बीएसपी तथा आरएसपी के स्टील लैडल में डबल पोरस प्लग का समावेश
- आरएसपी में एलडीबीपी के आंतरिक MgO-C ईटों की गुणवत्ता में सुधार
- बीएसएल के एसएमएस-II में एसआरयू ईटों के द्वारा स्टील लैडल की लाइनिंग आयु में सुधार

रोलिंग मिलें

- डीएसपी की मर्चेंट मिल के स्टैंड सं 14 में मार्गदर्शक परिवर्तन में होनेवाली देर के कारण मिल में होनेवाले देर में कमी लाकर मिल के उपयोजन में सुधार
- आरएसपी की सिल्वॉन स्टील मिल की सीआरएनओ कुंडलों की सतही गुणवत्ता में सुधार
- आरएसपी की नई प्लेट मिल के प्लेट की लंबाई की मापन प्राली की विरुवसनीयता में सुधार
- आरएसपी के विशेष प्लेट संयंत्र में प्लेटों के टेढ़ेपन का प्रयोगात्मक अध्ययन

ऊर्जा संवर्धन तथा पर्यावरण

- आरएसपी की नई प्लेट मिल के वाकिंग बीम भट्टी (डब्ल्यूबीएम) क्षेत्र के जल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के पहलुओं का विश्लेषण
- आरएसपी के एसएमएस-2 में ट्यूनिडिश तापन प्राली के लिए प्रोपेन फायर्ड गैस बर्नरों का आरेखन
- आरएसपी में वनीकरा के माध्यम से जैव-अधिग्रहण क्षमता तथा कार्बन अधिग्रहण का मूल्यांकन
- आइएसपी के सीओबी 11 संकुल के सह-उत्पाद संयंत्र से डिक्केंटर टार स्लज के उपयोजन पर व्यवहार्यता अध्ययन
- आइएसपी के ब्लास्ट भट्टी गैस स्वच्छता संयंत्र के तरल कचरे में सायनाइड के नियंत्र के लिए प्रारूपात्मक अध्ययन

b) प्रयोगशाला आधारित कार्य

- कोयले के मूलभूत गुणधर्मों पर आधारित कोयला मिश्रण के मानांकन का अनुमान
- उच्च गुणवत्ता लोहे के छड़ों के पेलेट्स के उत्पादन पर अन्वेषण
- मानवनिर्मित आग की परिस्थिति में अग्निप्रतिरोधक इस्पात का प्रदर्शन मूल्यांकन
- कचरे से संपत्ति (डब्ल्यूओडब्ल्यू)-सिल्टरिंग के माध्यम से ठोस कचरे का उपयोजन

c) उत्पाद विकास तथा अनुयोजन

निरंतर प्रौद्योगिकी प्रविष्टियों के माध्यम से आरडीसीआइएस स्पर्धात्मक कीमतों पर मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों के विनिर्माण में कंपनी की सहायता करती आ रही है। विविध बाजार प्रभागों की कड़ी अनुयोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आरडीसीआइएस द्वारा उत्तम उत्पाद गुणवत्ता विशेषतायें रखने वाले कई नई उत्पादों का, विशेषकर स्पेशल स्टील्स, का विकास तथा व्यावसायिकीकरा किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित 15 उत्पादों को विकसित किया गया है। इन उत्पादों में से कुछ को हाल ही में समाविष्ट किए गए उत्पादन निकायों का उपयोग कर, विकसित किया गया है, जो हैं सीआरएम-III (बीएसएल), एनपीएम (आरएसपी), एमएसएम (डीएसपी), डब्ल्यूआरएम (आइएसपी), बीआरएम (आइएसपी) तथा यूएसएम (आइएसपी)।

क्र.सं.	उत्पादों का वितरण	संयंत्र	अनुयोजन
1	एचसी श्रेणी / सीएक्यू श्रेणी / ईडब्ल्यूएनआर श्रेणी की वायर रॉड	बीएसपी	उच्च तनाव की तार / केबल आर्मर / इलेक्ट्रोड्स
2	Fe550D / Fe500D एचसीआर / Fe600 (रॉकबोल्ड तथा उपयोजित) श्रेणी के टीएमटी रिबार, ईएन8डी के एमसी श्रेणी के राउंड्स	बीएसपी	ढांचा तथा निर्माण; गियर, शाफ्ट, एक्सल, बोल्ट, स्टड तथा यंत्रों के छुटे भागों का विनिर्माण
3	एचएसएफक्यू 350 / 450 / सेलफॉर्मिंग 350 / 450, (4-10 एमएम) / एपीआई 60 / 65 / 70 एच आर कॉइल		स्वचालित वाहन / तेल तथा गैस की पाइपलान
4	कम Si IS 2062 E350] 4-10 mm/SAE 1006 श्रेणी (एएल किल्ड) एचआर कॉयल 0.03% 2.2915mm / अथवा प्लेट्स एचआरबी	आरएसपी	जिक लेपित स्ट्रक्चरल / मोनोपोल / गैल्वनीकृत उत्पाद
5	सेल 400 क्षति प्रतिरोधक क्यू एंड टी प्लेट्स 20 40 से mm / सेल हार्ड प्लेट्स 20 mm तक	आरएसपी	ईएमई / औष्मिक क्रं संयंत्र / सामग्री अनुरक्षा
6	300 ग्रेड की फास्फोरस आधारित सीआरएनओ कॉयल्स.	आरएसपी	बिजली की मोटरें
7	उपयोजित आइएस 513 सीआर 2 डी एलआई 0.25 से 0.28% केंद्रीय हानि गुणधर्मों सहित	बीएसएल	बिजली की मोटरों के लिए कोल्ड स्टैंपिंग
8	550 एचआर कॉयल 4 से 8mm / 650 एचटी 70 एपीआई 2 एचआर एचआर.	बीएसएल	परिवहन क्षेत्र; तेल तथा गैस
9	1006 आई के 0.03% उ 22-1000उउ / 350 / 450 बीआर एसआई 0.06%	बीएसएल	गैल्वनीकृत उद्योग / मोनोपोल
10	एचडीजीएल, सीआरएम-3 द्वारा उच्च शक्ति की जीपी शीट (वाईएस 550	बीएसएल	निर्माण / वाइट गुड्स
11	एलॉय वायर रॉड, ब्र 415 / 420, IT 4140 / 8620.	आईएसपी	अधिक तनाव के फास्टनर
		आईएसपी	अधिक तनाव की तार
12	म्ह2 तथा अधिक में उच्च कार्बन डब्ल्यूआरसी	आईएसपी	स्वचालनक्षम यंत्रित घटक
13	फ्री कटिंग ग्रेड (म्ह1 I) वायर रॉड्स	आईएसपी	अधिक शक्ति के स्ट्रक्चरल
		डीएसपी	ट्रैक्टर / ट्यूब / साइकिल उद्योग; फोर्जिंग उद्योग

(ii) 2020-21 की महत्वपूर्ण परियोजनाओं से प्राप्त लाभ:

प्रक्रिया क्षेत्र:

परियोजना शीर्षक	संयंत्र	प्राप्त लाभ
महत्तम मिश्रण लागत पर कोक की गुणवत्ता में सुधार	बीएसएल	- M10 में 9.3 से 9.5 तक का सुधार - कोक में 4.0% आर्द्रता की प्राप्ति - स्पोर्ट क्वेंचिंग में कमी
सीओबी 5 के क्वेंचिंग वैगन में समायोजित क्वेंचिंग सुविधाओं का स्थिरीकरण	बीएसएल	आर्द्रता के प्रमाण में उल्लेखनीय कमी 4.0 p
कोक ओवन में महत्वपूर्ण विद्युत संपत्तियों के लिए उद्योग 4.0 आधारित अनुमाननात्मक विश्लेषण की प्रणाली का विकास	बीएसएल	- महत्वपूर्ण आवर्तन यंत्रों की स्थिति का 24 / 7 पर्यवेक्षण - अनियमितता का मूल कारण उपयोगकर्ताओं को स्वचालित मोबाइल अलर्ट्स द्वारा बताना - डिलेई, विरेखन, अक्रं संतुलन, विसंयोजन इत्यादि जैसी यांत्रिक अनियमितताओं की पहचान तथा अनुमानन
बीएफ3 में कॉपर टुयेर्स की हार्डफेसिंग और परावर्तक लाइनिंग के द्वारा ऊष्मा हानि में 10% की कमी	डीएसपी	- ऊष्मा हानि में > 10% की कमी - टुयेर्स की सेवा आयु में वृद्धि
डीएसपी की मर्चेट मिल के स्टैंड क्रं सं 14 में मार्गदर्शक परिवर्तन में होनेवाली देर के कारण मिल में होनेवाले देर में कमी लाकर मिल के उपयोगन में सुधार	डीएसपी	मिल उपयोगन में लगभग 2.5% की वृद्धि
स्वच्छ सीओ गैस गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्वेषणात्मक अध्ययन	आईएसपी	- अत्यधिक ठण्डे तथा ठण्डे पानी का तापमान 6°C घटा। - स्वच्छ सीओ गैस में H₂S तथा NH₃ का प्रमाण एक-तिहाई कम हुआ - ऊष्मा विनिमयक पर भार घटा।
बीएफ1, आरएसपी की कोक दर में कमी	आरएसपी	कोक दर 495 kg / thm से 447 kg / thm तक घट गई है
एसपी 3 में रिटर्न सिल्टर विनिर्माण में कमी	आरएसपी	रिटर्न सिल्टर : 23.04% से 20.63% तक घट गया है।
	आरएसपी	- दो संघों में परीक्षण किए गए 140 हीट की औसत लैडल लाइफ हासिल की गई, 127 हीट से सुधार।

Project Title	Plant	Benefit derived
सिलिकॉन स्टील मिल में सीआरएनओ कुंडलियों में सतही गुणवत्ता में सुधार।	आरएसपी	- कुडली खडन तथा बकलिंग की घटनाओं में 20% की कमी - सीआरएनओ की प्राथमिक स्वीकार्यता 78% से 85% तक बढ़ी
नई प्लेट मिल में प्लेट की लंबाई के मापन की विश्वसनीयता में सुधार।	आरएसपी	लंबाई के मापन की प्राली के उपयोजन से ऑर्डर के गैर-अनुपालन(एनसीओ) में 70% की कमी।
लंप के छोटा आकार को नियंत्रित करने की स्क्रीनिंग कार्यक्षमता में सुधार—मेघताबुरु खानें	खानें	स्क्रीन के छोर पर लंप का आकार छोटा होने में 12-2% से 9.75% तक कमी
उच्च गुणवत्ता की लोहे की छड़ों के पेलेट्स के उत्पादन पर अन्वेषण।	आरडी—सीआईएस	विकसित तथा प्रदर्शित पेलेट्स ने बीएफ ग्रेड पेलेट्स के समानांतर गुणधर्मों को दर्शाया(सीसीएस: 240 kgचमससमज, छिद्रता: 27% टीआई: 95%, आरआई: 68% तथा एसआई: 18%)
कचरे से संपत्ति(डब्ल्यूओडब्ल्यू)सिटरिंग के माध्यम से ठोस कचरे का उपयोग।	आरडी—सीआईएस	प्रविष्टि सामग्री 100kg तक के ठोस कचरे के उपयोगने के लिए, को-सिटर प्रक्रिया का विकास किया गया है।
अच्छी कड़ाई की अच्छी मजबूती की इस्पात प्लेटों का विकास	आरएसपी	आईएस 2062 E550BR ग्रेड प्लेट 12 mm मोटी प्लेट में -20C पर 50J से अधिक प्रभाव के साथ विकसित की गई
एससीएम ए588 ग्रेड ए मौसम प्रतिरोध इस्पात प्लेटों का विकास	आरएसपी	480 T, 32 तथा 40mm मोटाई की प्लेटों की आपूर्ति बीएचईएल, रानीपेट को की गई

अन्य प्रौद्योगिकी अन्वेषण अवलंबन तथा नवीनीकरण उपाय

कंपनी में इस्पात संयंत्र कार्यान्वयन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक प्रौद्योगिकी राणनीति के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास अवशोषण, अवलंबन तथा आगे का सुधार निरंतर हो रहा है। आधुनिकीकरण/निरंतर सुधार के एक भाग के रूप में अनेक नई प्रौद्योगिकियों का संस्थापन किया गया/हो रहा है। इनमें क्षेत्रनिहाय शामिल हैं:

क्र.सं.	वर्ष	स्थिति
कोक विनिर्माण		
1. बीएसएल में कोक ओवन बैटरी सं-8 का पुनर्निर्माण	2021	संस्थापन होने की संभावना
सिटर विनिर्माण/क्रं संकुलन		
1. बीएसएल में सिटर संयंत्र II का संस्थापन	2021	संस्थापन होने की संभावना
लौह विनिर्माण		
1. आधुनिक सुविधाओं सहित ब्लास्ट भट्टी(बीएफ) जैसे कि :- - संवाहक प्रभारा प्राली - कार्यक्षम शीतन प्राली के रूप में वितल जल के साथ क्लोज्ड लूप शीतन प्राली आधुनिक परावर्तक - Modern refractory design - अनुसंधा इत्यादि के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग हेतु रैंप के साथ फ्लैट कास्ट हाउस आरेख		
i) बीएसएल में बीएफ #4	2021	संस्थापन होने की संभावना
2. बीएसएल में आईएनबीए कास्टहाउस स्लैग ग्रैनुलेशन प्रौद्योगिकी		
i) बीएफ #1, कास्टहाउस 1 तथा 2	2021	संस्थापन होने की संभावना
3. >1200°C एचबीटी प्राप्त करने के लिए फालतू ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणाली के साथ चूल्हों में हाइ हॉट ब्लास्ट प्रौद्योगिकी		
i) डीएसपी के बीफ 4 में #4 चूल्हा	2022	संस्थापन होने की संभावना
ii) बीएसएल के बीफ 4 में #4 चूल्हा प्रणाली	2021	संस्थापन होने की संभावना
इस्पात विनिर्माण		
1. बीएसएल के एसएमएस 1x130t में #1, बीओएफ	2021	उत्पादन आरंभ हुआ, संस्थापन होने की संभावना
2. बीएसएल के एसएमएस # 1, में दिवन लैडल भट्टी	2021	संस्थापित
3. बीएसएल के एसएमएस # 1, के लिए स्लैब कास्टर	2021	संस्थापित
4. रूपांतरक कवचों के स्थान पर बॉटम स्टिरिंग प्राली का उपयोजन तथा सभी तीन रूपांतरकों में दोयम उत्सर्जन नियंत्रण प्राली का संस्थापन	2021	संस्थापन होने की संभावना
रोलिंग तथा फिनिशिंग		
1. बार एंड रोल मिल		
i) विशिष्ट ईंधन खपत कम करने के लिए बिलेट्स का ऊष्मित प्रभारा	2020	संस्थापित
ii) वाकिंग बीम(डब्ल्यूबी) प्रकार की पुनर्तापन भट्टियाँ		
iii) ऊंची उत्पादन दर, शून्य/नकारात्मक सहनशीलता तथा कम व्यास की टीएमटी छड़ों/बार्स की बेहतर सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए शीतन बेड्स में उल्लेखनीय बार प्राप्ति, गति अवरोधन तथा आपूर्ति सुविधा के साथ अधिक गति की स्लिट रोलिंग		

iv)	वायर रॉड्स की आकारमुक्त रोलिंग(0.5mm से अधिक किसी भी व्यास में अनुभागों के अधिक तेजी से अंतरा) को संभव बनाने के लिए		
v)	अस्वीकार्यतायें न्यूनतम करने और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए		
2. मध्यम ढाँचे की मिल, डीएसपी			
i)	वाकिंग बीम(डब्ल्यूबी) प्रकार की पुनर्तापन भट्टियाँ	2021	उत्पादन में स्तरबद्ध वृद्धि चल रही है संस्थापन होने की संभावना
ii)	कैपेनों के सहज अंतरा तथा सार्वत्रिक अनुभागों के उत्पादन के लिए विक्क रोल कैसेट परिवर्तन सुविधा के साथ सार्वत्रिक स्टैंड्स, जिनके, फ़ैब्रिकेशन की सरलता, उच्च सेक्शन मॉड्यूलस-भार अनुपात, उच्चतर बकलिंग शक्ति इत्यादि अंतर्भूत लाभ हैं		
iii)	अस्वीकार्यतायें न्यूनतम करने और समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों के भंडार से भंडार पर्यवेक्षा के लिए ऑन-लाइन प्रोफाइल गेज		
3. नई हॉट स्ट्रिप मिल, आरएसपी			
i)	ऊर्जा कार्यक्षम डिजिटल भट्टी, क्रॉप महत्तमीकरा, ऊष्मा संधारा पैनलों जैसी आधुनिक विशेषताओं सहित वाकिंग बीम(डब्ल्यूबी) प्रकार की पुनर्तापन भट्टियाँ	2021	1 की हॉट रॉलड कॉयल का उत्पादन फरवरी 2020 में हुआ। व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया जाएगा। संस्थापन होने की संभावना
ii)	उच्चतर कुडली का वजन, अधिक चौड़ी पट्टी, ऑटो बॉडी तथा एपीआइ श्रेणियों के लिए उच्चतर शक्ति की श्रेणियाँ तथा उत्कृष्ट उत्पाद गुणवत्ता की बाज़ार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3.0 MT क्षमता की हॉट स्ट्रिप मिल। इसकी विशेषताओं में पेयर क्रॉस रोलिंग, माइक्रोस्ट्रक्चर नियंत्रित शीतन, ऑनलाइन सतह निरीक्षा, पेलैट क्रॉस संवाहक इत्यादि शामिल हैं। प्रक्रिया नियंत्रण, एमईएस तथा यार्ड प्रबंधन के सहित उच्च स्तर के स्वचालन से सुसज्जित है।		

अनुसंधान तथा विकास पर खर्च

(₹ करोड़)

(ए) पूंजीगत	:	23.03
(बी) राजस्वगत	:	340.28
कुल	:	363.31
कुल आवर्त के % के रूप में कुल अनुसंधान तथा विकास खर्च	:	0.53

विदेशी विनिमय प्राप्ति तथा बहिर्गमन

(₹ करोड़)

i) निर्यात तथा अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी विनिमय	:	6,109.57
ii) उपयोग किया गया विदेशी विनिमय:	:	
ए) आयातों का सीआइएफ मूल्य	:	16,533.80
बी) विदेशी मुद्रा में अन्य खर्च	:	137.05

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 1 सितंबर, 2021

हस्ता/-
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुरूप}

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

सेल की सीएसआर नीति, ऐसा पत्रक है, जिसमें मंडल की सीएसआर नीति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, मंडल द्वारा दिए गए दृष्टिकोणों तथा निर्देश का समावेश है। उसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षा के लिए दिशानिर्देशक सिद्धांतों का समावेश है, साथ ही वार्षिक कार्यवाही योजना का निरूपण भी किया गया है। सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सेल की केंद्रीय रानीतियों और क्रियाकलापों से मूलभूत रूप से जुड़े हुए हित संबंधितों तथा समाज के लिए अपनी सेवाओं के माध्यम से मूल्य निर्माण करना।
- प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के द्वारा, जिस समुदाय में वह कार्य करती है, उसके लिए मूल्यनिर्माण परिवर्धित करना तथा प्रतिष्ठा सशक्त करना
- सुविधाहीन व्यक्तियों तथा समुदायों की सहायता करके उन्हें आधार देना
- भविष्य की क्षमता के साथ समझौता न करते वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकासात्मक पहल करना।
- कला, खेलों तथा संस्कृति के संरक्षक के रूप में सेल की छवि बनाने के लिए स्थानिक जनता को आधार देना।
- सामाजिक समर्थन के लिए प्रयास करने के लिए सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक रूप से उत्तरदायी पद्धति में कार्य करना।

2. 31 मार्च, 2021 के दिन सीएसआर समिति की संरचना नीचे दिए अनुसार है:

क्र. सं.	क्रं संचालक का नाम	क्रं संचालकत्व का पद/स्वरूप	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर समिति की सभाओं की क्रं संख्या	
			आयोजित की गई	जिनमें उपस्थित रहे
1	श्री एन. शंकरप्पा	स्वतंत्र संचालक तथा अध्यक्ष	1	1
2	श्री के.के. गुप्ता	स्वतंत्र संचालक	1	1
3	सुश्री सोमा मंडल	अध्यक्ष, संचालक (कर्मचारी) के अतिरिक्त प्रभार के साथ	शून्य	शून्य
4	श्री अमित सेन	संचालक (वित्त)	1	1

3.	कंपनी की वेबसाइट पर जहाँ सीएसआर समिति की रचना, सीएसआर नीति तथा मंडल द्वारा मान्यता दी गई सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है, वह वेबलिक प्रदान करें। संबंधित वेब लिंक नीचे दिए अनुसार हैं:		
	सीएसआर समिति की संरचना:	www.sail.co.in	
	सीएसआर नीति:	www.sail.co.in	
	मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त सीएसआर परियोजनायें:	www.sail.co.in	
4.	यदि लागू हो, तो कंपनी(सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुरूप पूर्ण की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वितरण प्रदान करें(ब्यौरा संलग्न करें)। लागू नहीं होगा		Not Applicable
5.	कंपनी(कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम(3) के अनुरूप अलग निकालने के लिए उपलब्ध राशि तथा यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के लिए अलग निकालना आवश्यक हो, उस राशि का वितरण।		

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष में अलग निकालने के लिए उपलब्ध राशि(₹ में)	यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के लिए अलग निकालना आवश्यक हो, वह राशि (₹ में)
		लागू नहीं होगा	

6.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत कुल लाभ	₹1,972.17 करोड़
7.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत कुल लाभ का 2%	₹39.44 करोड़
(a)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं से निकलनेवाला अधिशेष	शून्य
(c)	यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष के लिए अलग निकालना आवश्यक हो, वह राशि	शून्य
(d)	वित्तीय वर्ष का कुल सीएसआर बंधन (7a+7b-7c).	₹39.44 करोड़

8. (a) वित्तीय वर्ष से खर्च की गई अथवा न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खर्च की गई कुल राशि	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	सीएसआर खर्च न किए खाते में स्थलांतरित कुल राशि [धारा 135(6)]		धारा 135(5) के 2 रे प्रावधान के अनुसार अनुसूची-VII के अंतर्गत विहित किसी निधि में स्थलांतरित की गई राशि		
(₹ करोड़ में)	राशि	स्थलांतरा की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थलांतरा की तिथि
47.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. (b) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का वितरण:

इन परियोजनाओं का स्वरूप निरंतर है। इसका वितरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-अ इन परियोजनाओं का स्वरूप निरंतर है। इसका वितरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-अ में प्रदान किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची में दी गई गतिविधियों की सूची से बिंदु	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान राज्य जिला	परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)		कार्यान्वयन की पद्धति-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की पद्धति-कार्यान्वयन अभिकरा के माध्यम से सीएसआर पंजीकरण क्रं. सं.

8. (c) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का वितरण:

इन परियोजनाओं का स्वरूप निरंतर है। अतः लागू नहीं होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रं. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची में दी गई गतिविधियों की सूची से बिंदु	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान राज्य जिला	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि ₹ / करोड़	कार्यान्वयन की पद्धति-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की पद्धति-कार्यान्वयन अभिकरा के माध्यम से नाम सीएसआर पंजीकरण क्रं. सं.

8(d)	प्रशासकीय अतिरिक्त खर्चों पर खर्च की गई राशि	₹0.10 करोड़
8(e)	यदि लागू हो, तो प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि	लागू नहीं होगा
8(f)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e)	₹47.18 crore
8(g)	यदि कोई हो, तो अलग निकालने के लिए अतिरिक्त राशि	₹7.74 करोड़

क्र. सं.	ब्यौरा	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत कुल लाभ का 2%	₹39.44 करोड़
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹47.18 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	₹7.74 करोड़ (47.18- 39.44)
(iv)	यदि कोई हो, तो पिछले आर्थिक वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं से निकलनेवाला अधिशेष	शून्य
(v)	आनेवाले आर्थिक वर्षों में अलग निकालने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	₹7.74 करोड़

9. (a) पिछले तीन आर्थिक वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का वितरण:

क्रं. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत खर्च न किए गए सीएसआर खातों में स्थलांतरित की गई राशि (₹ में)	रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की गई राशि (₹ में)	अधिनियम की अनुसूची-VII में दी गई किसी निधि के लिए स्थलांतरित राशि, यदि कोई हो	आग्रामी आर्थिक वर्षों में खर्च करने के लिए शेष राशि (₹ में)
					शून्य/लागू नहीं होगा

9. (b) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का वितरण:

इन परियोजनाओं का स्वरूप निरंतर है। इसका वितरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-A में प्रदान किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रं. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	किस वित्तीय वर्ष में परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	परियोजना पर रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति चालू/समाप्त

10	पूँजीरूप क्रं संपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रह के प्रक्रं संग में, वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर के माध्यम से निर्मित या अधिगृहीत क्रं संपत्ति से क्रं संबंधित वितरण प्रदान करें (क्रं संपत्तिनिहाय वितरण)।	
	(a) पूँजीरूप क्रं संपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रह की तिथि।	लागू नहीं होगा
	(b) पूँजीरूप क्रं संपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रह के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि	लागू नहीं होगा
	(c) ऐसी पूँजीरूप क्रं संपत्ति का पंजीकरा जिसके नाम पर किया गया, उस निकाय अथवा सरकारी प्राधिकरा का वितरण, उनका पता इत्यादि	लागू नहीं होगा
	(d) निर्मित अथवा अधिगृहीत पूँजीरूप क्रं संपत्ति(यों) का वितरण प्रदान करें (पूँजीरूप क्रं संपत्ति के क्रं संपूर्ण पते तथा स्थान के साथ)।	लागू नहीं होगा
11	यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत कुल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल रही हो, तो कारण स्पष्ट करें	लागू नहीं होगा

हस्ता/-
(अमित सेन)
Director क्रं संचालक (वित्त)

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
स्वतंत्र क्रं संचालक

हस्ता/-
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष, सेल, क्रं संचालक
(कर्मचारी) के अतिरिक्त प्रभार के साथ

हस्ता/-
(एन. शंकरप्पा)
स्वतंत्र क्रं संचालक तथा
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हाथ में ली गई सीएसआर परियोजनाओं का वितरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची-VII में दी गई गतिविधियों की सूची से बिंदु	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष 2020-21 में परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्ट की गई समयावधि तक का क्र. संचयी व्यय (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन की पद्धति		
				राज्य	जिला				प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	सीएसआर पंजीकरण क्र. सं.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	मुखमरी, गरीबी तथा कुपोषा का उन्मूलन, निवारणात्मक स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखरेख का प्रसार, एसवीए के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना;	धारा (i) स्वास्थ्य देखरेख, पेयजल तथा स्वच्छता	हाँ	छत्तीसगढ़	दुर्ग बिलासपुर बालोद कांकेर नारायापुर धमतरी राजानंदगोंव चम्पा;	4.57	29.51	87.43	हाँ	**	उप-युक्त नहीं
2	विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों तथा दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा नियोजन क्र. संवर्धक रोजगार कौशलों सहित शिक्षा का प्रसार तथा आजीविका क्र. संवर्धन परियोजनायें;	धारा (ii) शिक्षा तथा आजीविका निर्माण	हाँ		पश्चिम बर्दमान बोंकुरा सुंदरगढ़ तथा केओझार	11.73	10.44	71.87	हाँ		
3	सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आनेवाली असमानताओं को कम करने के लिए उपाय तथा यौन समानता का प्रसार तथा महिला सशक्तीकरण, महिला तथा अनार्थों के लिए आश्रय/वसतिगृह बनाना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम इत्यादि बनाना;	धारा (iii) महिला सशक्तीकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों की देखभाल	हाँ	ओडिशा	बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, रॉंची सलेम तथा चेन्नई चंद्रपुर	1.23	1.03	11.47	हाँ		
4	कला, धरोहर तथा क्र. संस्कृति की रक्षा तथा ग्रामीण/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त/पैरालिंपिक/ऑलंपिक खेलों का प्रसार करना	धारा (v) तथा (vii) खेलों, कला तथा क्र. संस्कृति का प्रसार	हाँ	तमिलनाडु		2.48	2.37	21.98	हाँ		
5	पर्यावरणीय चिरस्थायित्व की सुनिश्चिती, वृक्ष तथा वन्य जीवन, प्राकृतिक, कृषि-वनीकरा इत्यादि	धारा (iv) पर्यावरणीय चिरस्थायित्व	हाँ	महाराष्ट्र		0.62	0.48	23.59	हाँ		
6	ग्रामीण विकास परियोजनायें	धारा (x) ढांचा तथा ग्रामीण विकास	हाँ			1.73	1.19	18.52	हाँ		
7	क्षमता निर्माण	सीएसआर नियम, 2014 धारा 4 (6)	हाँ			0.16	0.10	3.78	हाँ		
8	अनुसूची-VII के अनुसार आपत्ति राहत के लिए प्रावधान तथा सीएसआर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन	सामान्य परिपत्रक क्र. सं 21/2014 तिथि 18/8/14 परिशिष्ट अनुच्छेद (i) बिंदु 7				27.50	2.06	2.06			
	कुल					50.00	47.18	240.70			

परियोजना की कालावधि: उपरोक्त परियोजनाओं का स्वरूप निरंतर है तथा वे लगभग 20 वर्षों से लगातार चल रहे हैं।

****कुछ परियोजनायें जैसे दोपहर आहार योजना भिलाई तथा राउरकेला में मे. अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से कार्यान्वयन की जा रही है; रामकृष मिशन की सहायता से स्कूल से निकाले गए बच्चों के लिए बर्नपुर में मुफ्त अध्यापन केंद्र इत्यादि**

31 अगस्त, 2021 के अनुसार मुख्य कार्यकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय

नई दिल्ली

अध्यक्ष
सोमा मंडल

क्रं संचालक

कर्मचारी

अध्यक्ष, सेल के साथ अतिरिक्त प्रभार
व्यावसायिक
अध्यक्ष, सेल के साथ अतिरिक्त प्रभार
तकनीकी, परियोजनायें तथा कच्चा माल
हरिनंद राय
वित्त
अमित सेन

कार्यकारी क्रं संचालक

कार्यान्वयन

अजय अरोड़ा

सतर्कता क्रं

संजय शर्मा

कर्मचारी तथा प्रशासन

के.के. सिंह

कानून तथा पीएलओ

ए.के. सिन्हा

वित्त तथा लेखा

ए.के. तुलसियानी

परियोजनायें

डी.वी. जगन्नाथा

सी एंड आइटी

पुनीत शर्मा

कोयला आयात समूह

वी. सुरेश

कंपनी सचिव

एम. बी. बालकृष्ण

कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख

डॉ. चिन्मोय समजदार

प्रबंधन प्रशिक्षण क्रं संस्थान

कार्यकारी क्रं संचालक (एचआरडी)

कामाक्षी रमन

विकास विभाग

पर्यावरण प्रबंधन विभाग

कार्यकारी क्रं संचालक

एस.के. दास

इस्पात क्रं संयंत्र/इकाइयों

भिलाई इस्पात क्रं संयंत्र

क्रं संचालक -I/c बीएसपी

अनिर्बान दासगुप्ता

कार्यकारी क्रं संचालक

एमएंडएचएस

डॉ. एस.के. इसार

सामग्री प्रबंधन

राकेश

परियोजनायें

ए.के. भट्टा

कर्मचारी तथा प्रशासन

एस.के. दुबे

कारखाने

अंजनी कुमार

खानें तथा रोघाट

एम. विस्वास

दुर्गापुर इस्पात क्रं संयंत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

सीईओ-आइएसपी के साथ अतिरिक्त प्रभार

कार्यकारी क्रं संचालक

कारखाने

बी. पी. सिंह

परियोजनायें

पी. मुरुगेशन

कर्मचारी तथा प्रशासन

आर. मुनीराजू

राउरकेला इस्पात क्रं संयंत्र

क्रं संचालक के साथ अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी

बीएसएल

कार्यकारी क्रं संचालक कारखाने

पी. कुमार

खानें

ए.के. कुडू

कार्यान्वयन

एस.आर. सूर्यवंशी

परियोजनायें

ए.के. प्रधान

कर्मचारी तथा प्रशासन

पी.के. सतपती

बोकारो इस्पात क्रं संयंत्र

क्रं संचालक-प्रभारी बीएसएल

अमरेंद्र प्रकाश

कार्यकारी क्रं संचालक परियोजनायें

आर. कुशवाहा

सामग्री प्रबंधन

वी. के. पाडे

कारखाने

अतनु भौमिक

कोयले की खानें

बी.के. तिवारी

कर्मचारी तथा प्रशासन

समीर स्वरूप

इस्को इस्पात क्रं संयंत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एम.वी. कमलाकर

कार्यकारी क्रं संचालक

कारखाने

ए.के. सिंह

सामग्री प्रबंधन

शिवाशीष बसु परियोजनायें

के.बी. सुनील

एमएंडएचएस

डॉ. आर. गुहा नियोगी

अलॉय स्टील्स प्लांट

कार्यकारी क्रं संचालक

एस. सुब्बराज

सलेम इस्पात क्रं संयंत्र

कार्यकारी क्रं संचालक क्रं

संजीव तनेजा

विरुवरुवरैया लौह तथा इस्पात क्रं संयंत्र

मुख्य सामान्य प्रबंधक

सुरजीत मिश्रा

इकाइयों

लौह तथा इस्पात अनुक्रं संधान तथा विकास केंद्र

कार्यकारी क्रं संचालक

निर्विक बैनर्जी

अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी केंद्र

कार्यकारी क्रं संचालक

जगदीश अरोड़ा

केंद्रीय विपान क्रं संस्था

कार्यकारी क्रं संचालक

बिक्री तथा आइटीडी

एम.सी. अग्रवाल

विपान सेवा

डी. कुमार

विपान

वी.एस. चक्रवर्ती

वित्त तथा लेखा

ए.के. अग्रवाल

वाणिज्यिक

विनोद गुप्ता

प्रचालन तथा अवसरचना

कार्यकारी क्रं संचालक

एम. राजी अन्वर

सेल परावर्तक इकाई

कार्यकारी क्रं संचालक

राजीव सहगल

चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट

कार्यकारी क्रं संचालक

एम.वी. जोडे

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L27109DL1973G0I006454

ज्ञापन

इसके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 49वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगलवार 28 सितंबर 2021 के दिन 1030 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृक्श्राव्य माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित कार्य व्यापार करने के लिए की जाएगी:

सामान्य व्यापार

वस्तु क्रं सं.1 – लेखापरीक्षित स्वतंत्र तथा समेकित वित्तीय पत्रकों का अवलंबन

इनकी प्राप्ति

विचार तथा अवलंबन करने के लिए:

- (i) क्रं संचालक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए आर्थिक वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परीक्षक
- (ii) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए आर्थिक वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्वतंत्र समेकित वित्तीय परीक्षक

वस्तु क्रं सं-2 – क्रं संचालक की पुनर्नियुक्ति

श्री अमित सेन (DIN%08602987), जो इस वार्षिक सर्वसाधारण सभा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, के स्थान पर क्रं संचालक की नियुक्ति

वस्तु क्रं सं. 3 – क्रं संचालक की पुनर्नियुक्ति

श्री अनिर्बान दासगुप्ता (DIN% 06832261) जो इस वार्षिक सर्वसाधारण सभा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं) के स्थान पर क्रं संचालक की नियुक्ति

वस्तु क्रं सं-4 – लेखापरीक्षकों का वेतन निश्चित करना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लेखापरीक्षक महोदय द्वारा नियुक्ति कि, कंपनी के लेखापरीक्षकों का वेतन निश्चित करने के लिए, कंपनी के क्रं संचालक मंडल को अधिकृत करना

वस्तु क्रं सं-5 – लाभांश

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए @ ₹1/- प्रति सामान्य समभा अंकित मूल्य प्रत्येक 10/- की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए @ ₹1.80 प्रति सामान्य समभा अंकित मूल्य प्रत्येक 10/- की दर से अंतिम लाभांश की पुष्टि करना

विशेष व्यापार

वस्तु क्रं सं.6 – व्यय लेखापरीक्षकों के वेतन का मानांकन

कंपनी के व्यय लेखापरीक्षकों के वेतन का मानांकन करना तथा इस क्रं संबंध में विचार करना, मतानुसार योग्य हो, तो निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव के रूप में, परिवर्तन(नों) के साथ या बिना पारित करना

"प्रस्ताव दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा कोई हो, तो अन्य लागू होनेवाले प्रावधान तथा कंपनी(लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (किसी वैधानिक परिवर्तन(नों) या उसके पुनर्विधानीकरा के साथ), जिस समय प्रभाव में हो, उसके लिए के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹11,70,000/- अधिक लागू होनेवाले कर, जितना वेतन दैनिक भत्ता, यात्रा खर्च तथा खुदरा खर्चों के लिए व्यय लेखापरीक्षकों अर्थात् मे. आर.एम. बंसल एंड कं., कानपुर (भिलाई इस्पात क्रं संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात क्रं संयंत्र तथा इस्को इस्पात क्रं संयंत्र), मे. चंद्रा वाधवा एंड कं., नई दिल्ली (राउरकेला इस्पात क्रं संयंत्र तथा बोकारो इस्पात क्रं संयंत्र के लिए) तथा मे. एबीके एंड असोसियेट्स, मुंबई (अलॉय स्टील्स प्लांट, सलेम इस्पात क्रं संयंत्र तथा विरुवरुवरैया लौह तथा इस्पात क्रं संयंत्र) को, क्रं संचालक मंडल की मान्यता के अनुसार, दिया जाना है तथा इसके द्वारा मानांकित किया जाए।"

"आगे प्रस्ताव दिया जाता है कि कंपनी का क्रं संचालक मंडल इन सभी कार्यों को करने तथा इस प्रस्ताव को प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक, योग्य तथा सुविधाजनक सभी कदमों को उठाने तथा सभी कार्यों को करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

क्रं संचालक मंडल के आदेश से



(एम.बी. बालकृष्ण)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 1 सितंबर, 2021

पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L27109DL1973G0I006454

नोट:

- कोविड-19 विरुद्ध के फैलाव को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय(एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्रक क्रं सं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 सह सामान्य परिपत्रकों क्रं सं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, क्रं सं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा क्रं सं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम मंडल(सेबी) ने अपने परिपत्रक क्रं सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 तथा SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11/ तिथि 15 जनवरी, 2021 (जिन्हें संयुक्त रूप से 'लागू होनेवाले परिपत्रक' कहा गया है), के माध्यम से एक समान स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्याव्य माध्यमों (ओवीएम) के माध्यम से वार्षिक सर्वसाधारण सभा(एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। उसके अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी (सूचीकरण बंधन तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियामन तत्त्व, 2015 तथा लागू होने वाले परिपत्रकों का अनुपालन करते हुए कंपनी की एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की गई है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, सभा में शामिल होने तथा मतदान करने का अधिकारी सदस्य अपनी ओर से शामिल होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार रखता है, और ऐसे प्रतिनिधि के कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, लागू होनेवाले परिपत्रकों के अनुरूप, एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से ली जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता रद्द कर दी गई है। उसके अनुसार, लागू होनेवाले परिपत्रकों की शर्तों में, प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी। अतः, प्रतिनिधि प्रारूप, उपस्थिति पत्रा तथा मार्ग के मानचित्र को ज्ञापन के साथ क्रं संलग्न नहीं किया गया है। सदस्यों से विनती है कि वे एजीएम में वीसी/ओवीएम के माध्यम से सहभागी हों।
- सदस्य सभा के आरंभ के नियत समय से 30 मिनट पहले, ज्ञापन में बताई गई कार्यपद्धति के द्वारा, वीसी/ओवीएम पद्धति से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लागू होनेवाले परिपत्रकों के अनुरूप, वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभाग की सुविधा प्रथम आगमन प्रथम अनुपालन आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों को उपलब्ध होगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य के लिए वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थिति रहने सदस्यों की गिनती की जाएगी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुरूप, प्रारंभ संगिक वितरणात्मक पत्रक, उपरोक्त व्यापार वस्तु क्रं सं.6 के क्रं संदर्भ में यहाँ क्रं संलग्न किया गया है। सेबी (सूचीकरण बंधन तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियामन तत्त्व, 2015 के विनियामन तत्त्व 36(3) के अंतर्गत क्रं संचालकों के रूप में पुनर्नियुक्ति की याचना कर रहे व्यक्ति(यों) का ज्ञापन (वस्तु क्रं सं. 2 तथा 3) भी यहाँ क्रं संलग्न किया गया है।
- क्रं संस्थागत/कॉर्पोरेट समभागधारकों (अर्थात् अन्य व्यक्तिविशेष/ संयुक्त हिंदू परिवार/प्रवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) के लिए, वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थित रहने तथा उसकी ओर से मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को उसके मंडल अथवा प्रशासकीय निकाय के द्वारा अधिकृत करने वाले प्रस्ताव/प्राधिकरण की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) में भेजना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण को ईमेल द्वारा निरीक्षकर्ता को उसके पंजीकृत ईमेल पते द्वारा sachinag1981@gmail.com पर evoting@nsdl.co.in पद के लिए चिह्नित एक प्रति के साथ भेजा जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के हेतु अंतिम लाभांश का अधिकार सदस्यों को देना निर्धारित करने के लिए कंपनी ने मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 के दिन को 'अभिलेख तिथि' के रूप में निश्चित किया है, जो एजीएम में सदस्यों द्वारा मान्यता दिए जाने के अधीन है। कंपनी के सदस्यों की पंजिका बुधवार, 22 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 तक (21 सितंबर, 2021 के कामकाज के समय के अंत से), वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लाभांश के भुगतान तथा एजीएम के उद्देश के लिए बंद रहेगी। अंतिम लाभांश का भुगतान, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा मान्य किया जाता है, घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर स्त्रोत में आयकर की कटौती(टीडीएस) के अधीन रहकर नीचे दिए अनुसार किया जाएगा:
- भौतिक स्वरूप में धारित सामान्य समभाग:** 21 सितंबर, 2021 के कामकाज के समय बंद होने पर कंपनी के यहाँ क्रं संप्रेषा तथा स्थित्यंतरा की सभी वैध विनितियों का निपटान करने के बाद सभी सदस्यों को

- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में धारित सामान्य समभाग:** 21 सितंबर, 2021 के कामकाज के समय बंद होने पर, इस उद्देश्य के लिए जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए वितरण के अनुसार, समभागों के सभी लाभार्थी मालिकों को वित्त अधिनियम, 2020 के अनुरूप, 1 अप्रैल, 2020 के दिन से प्रभाव से, लाभांश से प्राप्त आय समभागधारकों के हाथ में करयोग्य है तथा कंपनी के लिए सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्त्रोत में कर विहित दरों पर काटना आवश्यक है। इस क्रं संबंध में, विविध श्रेणियों की विहित दरों को जानने के लिए, समभागधारकों से विनती है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 तथा उसपर हुए क्रं संशोधनों का क्रं संदर्भ लें। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं का अनुपालन क्रं संभव होने के लिए, सदस्यों से विनती है कि वे अपने जमाकर्ता सहभागियों(डीपी) को अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी की पूर्ण जानकारी दें तथा/अथवा अद्यतनित करें अथवा, भौतिक स्वरूप में धारित समभागों के लिए यही जानकारी निबंधकों तथा हस्तांतरण अभिकर्ताओं(आरएंडटीए)/कंपनी को दें, जो 21 सितंबर, 2021 के दिन या उससे पहले दस्तावेज़ ईमेल के माध्यम से अग्रेषित करने के द्वारा किया जाना है।
 - एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड (एमसीएसटीएल) कंपनी की क्रं संपूर्ण समभागक्रं संबंधी गतिविधियों अर्थात् समभागों का स्थलांतरण/क्रं संप्रेषा/स्थित्यंतरा/विपदार्थीकरा/विभाजन/समेकन, पते में परिवर्तन, बैंक भंडार, नामांकन दाखिल करना, लाभांश का भुगतान तथा क्रं संबंधित गतिविधियों का निष्पादन करने के लिए निबंधक तथा हस्तांतरा अभिकर्ता(आरएंडटीए) के रूप में कार्य कर रहे हैं। समभागधारकों से विनती है कि वे निम्नलिखित पते पर उपरोक्त गतिविधियों से क्रं संबंधित क्रं संपूर्ण भावी पत्रव्यवहार केवल आरएंडटीए के साथ करें:
- मैसर्स. एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड,
एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1,
नई दिल्ली-110020
दूरभाष क्रं सं. 011-41406149, ई-मेल: admin@mcsregistrars.com
- विपदार्थीकरण**
 - भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम मंडल(सेबी) के विनियामन तत्त्वों का प्रावधान है कि सेल के सामान्य समभागों को अनिवार्य रूप से, व्यापार के उद्देश्य के लिए केवल विपदार्थीकृत स्वरूप में आपूर्त किया जाना है। आगे, सेबी ने अधिसूचना क्रं सं. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 तिथि 8 जून, 2018 (बाद में क्रं संशोधन किया गया) के द्वारा अनिवार्य किया है कि 1 अप्रैल, 2019 के दिन से प्रभाव से, (SEBI/MIRSD/DTAMB/CIR/P/2020/166 तिथि सितंबर 7, 2020) सूचीबद्ध कंपनी में समभागों का स्थलांतरा केवल विपदार्थीकृत स्वरूप में होगा। भले अधिकांश समभागधारकों अपने धारणों को डीमैट स्वरूप में बदल दिया है, ऐसा देखा गया है कि कुछ समभागधारक अभी भी अपने समभागों को कागजी स्वरूप(भौतिक) में धारा करते हैं। इस क्रं संबंध में, समभागधारकों से विनती है कि वे नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लि. अथवा सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लि. के द्वारा अधिकृत किसी भी जमाकर्ता सहभागी के यहाँ एक डीमैट खाता खोल लें तथा अपने समभागों को विपदार्थीकृत कर लें।
 - भौतिक स्वरूप में समभाग धारा कर रहे सदस्यों को आरएंडटीए को, अपने पतों में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो अपने ईमेल पते के साथ, अपने डाकघरों के पिन कोड के साथ पूरा पता बड़े अक्षरों में स्पष्ट करते हुए, सूचित करना चाहिए, जो अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में समभाग धारा कर रहे सदस्यों को अपने जमाकर्ता सहभागी को, अपने पतों में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो अपने ईमेल पते के साथ, सूचित करना चाहिए।
 - जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता कंपनी अथवा जमाकर्ता सहभागी(डीपी) के यहाँ पंजीकृत नहीं किया है तथा एजीएम के ज्ञापनसहित क्रं संप्रेषा/जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आरएंडटीए(ईमेल आइडी-admin@mcsregistrars.com) के यहाँ अपना ईमेल पता अभिलिखित करना या वैकल्पिक रूप से अपनी विनती investor.relation@sail.in को अथवा अपने क्रं संबंधित डीपी को भेजना आवश्यक है, जहाँ समभाग भौतिक स्वरूप में धारा किए गए हों। भौतिक स्वरूप में समभाग धारा कर रहे सदस्यों को पैन कार्ड, आधार तथा समभाग प्रमाणपत्र की आगे और पीछे की बाजू की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ फोलियो नंबर बताना चाहिए: डीमैट पद्धति से समभाग धारा कर रहे सदस्यों को अपनी विनती डीपी को भेजनी चाहिए। SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/2018/73 तिथि 20 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्देश दिया है कि लाभांश का भुगतान केवल मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा किया जाए तथा समभागधारकों का बैंक वितरण तथा स्थायी खाता क्रं संख्या (पैन) कंपनी के पास पहले से ही उपलब्ध न हो तो प्राप्त किया जाए तथा उनके फोलियो पर अद्यतनित किया जाए ईएफटी/एनईसीएस के अंतर्गत, बैंक(भुगतानकर्ता

के बैंकर) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समयोजन प्राधिकर को भुगतान निर्देश दिए जा रहे हैं। समयोजन प्राधिकर भुगतान प्राप्तिकर्ता के बैंक को क्रेडिट ब्यौरा प्रदान करता है, जो उनके क्रं संबंधित खातों में राशि क्रं संप्रेषित करता है। यह अनिवार्य हो जाता है कि ईएफटी/एनईसीएस का विकल्प चुननेवाले समभागधारक अपने बैंक का नाम, आइएफएएससी कोड, खाता क्रं संख्या, खाता प्रकार, शाखा का नाम, 9 अंक की एमआईसीआर क्रं संख्या अपने नाम तथा फोलियो नंबर (डीपी-आइडी/क्लाइंट आइडी) के साथ यदि धारा भौतिक स्वरूप में हो, तो कंपनी को और डीमैट स्वरूप में हो, तो अपने डीपी को प्रदान करें। इसी प्रकार, भौतिक स्वरूप में समभाग धारा करनेवाले तथा डिजिटल वारंट/डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा लाभांश प्राप्त करनेवाले।

- iv) नामांकन करने के लिए, भौतिक स्वरूप में समभाग धारा कर रहे सदस्यों को आरएंडटीए से, तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में समभाग धारा कर रहे सदस्यों को अपने क्रं संबंधित जमाकर्ता सहभागी (गियों) से, नामांकन प्रारूप प्राप्त करना चाहिए।
- v) **ईएफटी अनिवार्यता**
भौतिक अथवा डीमैट किसी से स्वरूप में समभाग धारा कर रहे समभागधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से भविष्य में कोई भी भुगतान पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (ईएफटी)/नैशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) का विकल्प चुनें। भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम मंडल (सेबी) ने परिपत्र क्रं सं. जिन लाभांशों के क्रं संदर्भ में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया या लगातार सात या अधिक वर्षों तक दावा नहीं किया गया, उन्हें कंपनी द्वारा आइईपीएफ के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। समभागधारकों से विनती है कि वे, भविष्य में लाभांश का कोई भुगतान करने के लिए अभिलेखों को अद्यतनित करने हेतु, क्रं संलग्न किया गया प्रारूप भरें तथा उसे स्व-सत्यापित पैन कार्ड, मूल रह किए हुए घनादेश का पृष्ठ/खाताधारक का नाम दर्शानेवाली सत्यापित बैंक पासबुक की प्रति सेल के आरएंडटीए के यहाँ दाखिल करें।
10. भारतीय प्रतिभूति विनियम मंडल (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक सहभागी द्वारा स्थायी खाता क्रं संख्या (पैन) दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में समभाग धारा करनेवाले सदस्यों से विनती है कि वे अपने डीमैट खातों का अनुरक्षा करनेवाले अपने जमाकर्ता सहभागी (डीपी) के यहाँ अपना पैन कार्ड दाखिल करें। भौतिक स्वरूप में समभागों को धारा करनेवाले सदस्य अपना पैन कंपनी अथवा मे. एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड (आरएंडटीए) के यहाँ दाखिल कर सकते हैं।
11. एक से अधिक फोलियो में नामों के एक जैसे लगनेवाले क्रम में समभाग धारा कर रहे सदस्यों से विनती है कि वे, कंपनी के लिए उनके धारा एक फोलियो में समेकित करने हेतु सुक्ष्म करने के लिए अपने लाभांश प्रमाणपत्रों को क्रं संलग्न करते हुए कंपनी को पत्र लिखें।
12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) तक के दावा न किए गए लाभांशों को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में स्थलांतरित कर दिया है। कंपनी ने, उसके बाद, निम्नलिखित लाभांशों का भुगतान/घोषणा की है:

वर्ष	अंतरिम लाभांश	लाभांश अंतिम
2014-2015	17.50	2.50
2015-2016	-	-
2016-2017	-	-
2017-2018	-	-
2018-2019	-	5.00
2019-2020	-	-
2020-2021	10.00	18.00 (प्रास्तावित)

जिन समभागधारकों ने अपने लाभांश वारंट्स को नहीं भुनाया है, उनसे विनती है कि वे अपना दावा कंपनी से करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) सह निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि प्राधिकर (लेखा लेखापरीक्षा, स्थलांतरा तथा धनवापसी) नियम, 2016, ("नियम") का प्रावधान है कि, किसी कंपनी के भुगतान न किए गए लाभांश खाते में इस धारा के अनुरूप हस्तांतरित किया गया किसी भी धन को, जिसका ऐसे हस्तांतरा की तिथि के सात

वर्षों की अवधि के लिए भुगतान या दावा नहीं किया जाता, कंपनी के द्वारा यदि कोई आकारित ब्याज हो, तो उसके साथ निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि (आइईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के

अनुरूप, कंपनी ने लाभांश वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) तक उसके द्वारा घोषित किए गए भुगतान/दावा न किए गए लाभांश को हस्तांतरित कर दिया है। सात वर्षों की अवधि पूर्ण होने पर, कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 के भुगतान/दावा न किए गए लाभांश (अंतरिम) को मार्च, 2022 में हस्तांतरित कर देगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) सह नियमों का प्रावधान है कि कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा समभागों को हस्तांतरित कर दिया है, जो योग्य प्रक्रिया का पालन करने के बाद आइईपीएफ में हस्तांतरा के लिए पात्र हो जाते हैं। कंपनी ने उन क्रं संबंधित समभागधारकों को, आइईपीएफ में हस्तांतरा के लिए देय समभागों का पूरा ब्यौरा प्रदान करते हुए, व्यक्तिगत पत्र भेजा है/भेजे हैं, जिनके लाभांश का भुगतान/दावा लगातार सात वर्षों तक नहीं किया गया है। कंपनी ने इन समभागों का हस्तांतरा टालने के लिए ऐसे समभागधारकों को अपना दावा न किया गया लाभांश भुनाने की सलाह देनेवाला ज्ञापन समाचारपत्रों में भी प्रकाशित करवाया है। आइईपीएफ में हस्तांतरा के लिए देय ऐसे समभागधारकों तथा समभागों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। आइईपीएफ में हस्तांतरित हो चुके लाभांश/समभागों पर दावा करनेवाले व्यक्तियों को आइईपीएफ में आवेदन कर धनवापसी का दावा करने का अधिकार है।

आइईपीएफ में हस्तांतरित हो चुके समभागों पर आकारित होनेवाला लाभांश भी आइईपीएफ खाते में जमा कर दिया गया है।

कंपनी सचिव आइईपीएफ प्राधिकर के लिए कंपनी के नोडल अधिकारी हैं।

13. ज्ञापन में समाविष्ट लेखा या अन्य किसी मुद्दे पर अधिक जानकारी पाने के इच्छुक सदस्यों से विनती है कि वे सभा से कम से कम 7 दिन पहले ईमेल के द्वारा investor.relation@sail.in पर कंपनी को लिखें। उसका योग्य उत्तर दिया जाएगा।

14. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("मंत्रालय") ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कंपनियों द्वारा कागजविरहित अनुपालनों को अनुमति देकर "कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल" की है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रकों के अनुरूप, कंपनियों, समभागधारकों के पंजीकृत ईमेल पत्तों पर उन्हें विविध ज्ञापन/दस्तावेज (सर्वसाधारा सभा(यें) बुलाने के ज्ञापन, लेखापरीक्षित वित्तीय पत्रक, मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि) अब भेज सकती हैं।

सदस्यों से विनती है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपरोक्त ज्ञापन/दस्तावेज प्राप्त करने का विकल्प चुनें। उनसे विनती है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपने क्रं संबंधित जमाकर्ता सहभागी के यहाँ अथवा ऊपर दिए गए पते या admin@mcsregistrars.com पर कंपनी के आरएंडटीए के यहाँ अपना ईमेल आइडी पंजीकृत करें

कृपया नोट करें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध रहेंगे।

15. इस ज्ञापन में उल्लिखित दस्तावेज तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 तथा धारा 189 में उल्लिखित बहियों एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होंगे। इस ज्ञापन में उल्लिखित ऐसे सभी दस्तावेज इस ज्ञापन के परिवर्तन की तिथि से लेकर एजीएम की तिथि तक सदस्यों द्वारा निरीक्षा के लिए बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होंगे। एजीएम में रॉ जानेवाले ले(ग) अ; किसी विषय पर निरीक्षण करवाने एवं अधिक जानकारी पाने के इच्छुक सदस्यों से विनती है कि वे 21 सितंबर) 2021 के दिन या उससे पहले ईमेल के द्वारा investor.relation@sail.in पर कंपनी को उसका उत्तर दिए जाए।
16. लागू होने वाले परिपत्रकों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का ज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिनके ईमेल पते कंपनी/जमाकर्ताओं के यहाँ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि अनुक्रमिक रूप से ज्ञापन तथा 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in शेयर बाजारों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> भी उपलब्ध होंगे।
17. धोखाधड़ी के लेनदेनों को टालने के उद्देश्य से, यहाँ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे योग्य सतर्कता बरतें तथा किसी सदस्य के पते में किसी परिवर्तन या किसी सदस्य की मृत्यु के विषय में जितना क्रं संभव हो सके,

उतना शीघ्र सूचित करें। यह भी सलाह दी जाती है सदस्यों को अपना डीमैट खाता(ते) निष्क्रिय होने से बचाना चाहिए। संबंधित जमाकर्ता सहभागियों(डीपी) से नियमित रूप से डीमैट खातों में धारों की स्थिति जाननी चाहिए तथा धारों का नियमित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए।

18. एजीएम तथा एजीएम में ई-वोटिंग से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के लिए सामान्य जानकारी तथा दिशानिर्देश:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा क्रं संशोधित किए अनुसार, कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होनेवाले प्रावधानों के अंतर्गत, यदि कोई हों तथा सेबी(सूचीकरा बंधन तथा प्रकटीकरा आवश्यकतायें) विनियामन तत्त्व, 2015 के विनियामन तत्त्व 44 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, कंपनी को अपने सदस्यों इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वार्षिक सर्वसाधारण सभा(एजीएम) में विचार करने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्राली का उपयोग कर तथा ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में अपने मत डाल सकते हैं।
- जिन सदस्यों से एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मत डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, पर उन्हें अपना मत वापस डालने का अधिकार नहीं होगा।
- कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मे. नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।
- कंपनी के क्रं संचालक मंडल ने एजीएम में ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग का निरीक्षा करने के लिए निरीक्षकर्ता के रूप में श्री सचिन अग्रवाल, जो कंपनी सचिव के रूप में कंपनी सचिव आस्थापन- मे. अग्रवाल एस. एंड एसोसियेट्स (और उनकी अनुपस्थिति में मे. अग्रवाल एस. एंड एसोसियेट्स की श्रीमती अनुराधा जैन) की सेवाएं ली हैं तथा उन्होंने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए जाने तथा उपलब्ध रहने के लिए इच्छा क्रं संपर्क करके बताई है।
- एजीएम से जुड़ने और प्रस्तावों में मतदान करने हेतु सदस्यों की पात्रता की पहचान के लिए कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2021 होगी। कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2021 'कामकाज के समय की समाप्ति' के समय जिस व्यक्ति का नाम जमाकर्ताओं द्वारा रखी गई सदस्यों की बही, लाभार्थी सदस्यों की बही में होगा) उसे ही रिमोट ई-वोटिंग में एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करने का अधिकार होगा।
- एजीएम के ज्ञापन के परिवर्तन के बाद कंपनी का सदस्य बननेवाला तथा कट-ऑफ+ तिथि 21 सितंबर) 2021 के दिन समभाषा करनेवाला व्यक्ति एजीएम के ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार लॉइन आइडी तथा पासवर्ड निर्मित करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा पद्धति नीचे दिए अनुसार है: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली में इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने की पद्धति में 'दो कदम' शामिल हैं, जिन्हें नीचे बताया गया है: कदम 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली में प्रवेश
- डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने के लिए लॉगइन पद्धति।
सेबी परिपत्रक क्रं सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 तिथि दिसंबर 9, 2020 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा तथा वोटिंग प्रक्रिया की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, डीमैट पद्धति से प्रतिभूति धारा कर रहे सभी व्यक्तिविशेष समभागधारकों को अपने डीमैट खातों/जमाकर्ताओं की वेबसाइटों/जमाकर्ता सहभागियों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा में प्रवेश करने के लिए डीमैट खातों में अपने मोबाईल क्रं संख्या तथा ईमेल-आइडी अद्यतनित करने की सलाह दी जाती है।
डीमैट पद्धति से प्रतिभूति धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारकों के लिए लॉगइन पद्धति इस प्रकार है:
- रिमोट ई-वोटिंग समयावधि 24 सितंबर, 2021(सुबह 9:00 बजे) के दिन आरंभ तथा 27 सितंबर, 2021 (शाम 5:00 बजे) के दिन समाप्त होती है। इस समयावधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2021 के दिन भौतिक या विपदार्थीकृत स्वरूप में समभाग धारा कर रहे हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मत डाल सकते हैं। इस समयावधि के समापन पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार प्रस्ताव पर किसी सदस्य के मत डालने के उपरांत, उस सदस्य को बाद में उसे बदलने या पुनः मत डालने की अनुमति नहीं दी

जाएगी।

- एजीएम में ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों के निरीक्षा के बाद, एजीएम के समापन के 48 घंटे बाद से पहले समेकित निरीक्षकर्ता रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे अध्यक्ष अथवा लिखित स्वरूप में उसके द्वारा अधिकृत किए व्यक्ति को सौंपेगा। समेकित निरीक्षकर्ता रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट- www.evoting.nsdl.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखा गया। इन परिणामों को साथ ही शेयर बाजारों को भी सूचित किया जाएगा।
- आवश्यक क्रं संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन रहकर, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि अर्थात् 28 सितंबर, 2021 के दिन पारित किया समझा जाएगा।

सदस्यों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
	1. NSDL IDeAS facility If the user is registered for the NSDL IDeAS facility: - Please visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. - Once the homepage is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. - A new screen will open. You will have to enter User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. - Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. - Click on options available against company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. If the user is not registered for IDeAS facility: - The option to register is available at https://eservices.nsdl.com. - Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/Id eas DirectReg.jsp. - Upon successful registration, please follow steps as given in points (a) to (e) above. 2. Visit the e-Voting website of NSDL. - Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. - Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

सदस्यों का प्रकार	लॉग इन पद्धति
	(c) एक नई स्क्रीन खुलेगी। वहाँ अपना उपयोगकर्ता आइडी(अर्थात् एनएसडीएल पर धारित आपकी सोलह अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन में दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा। (d) सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल जमाकर्ता वेबसाइट पर मार्गदर्शित किया जाएगा, जहाँ पर ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या सभा के दौरान वर्युवल मीटिंग से जुड़ने तथा मतदान करने के लिए मार्गदर्शित किया जाएगा। 3. मोबाइल एप: सदस्य अस्खलित मतदान अनुभव के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा एनएसडीएल मोबाइल एप भी डाउनलोड कर सकते हैं।  NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play
सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड सीएसडीएल के साथ डीमैट पद्धति से प्रतिभूति धारण कर रहे व्यक्ति विशेष समभागधारक:	1. जिन वर्तमान उपयोगकर्ताओं ईजी/ईजिएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आइडी तथा पासवर्ड के जरिए लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी अग्रवर्ती अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पृष्ठ पर जाने का विकल्प उपलब्ध किया जाएगा ईजी/ईजिएस्ट में उपयोगकर्ताओं के लॉग इन करने के लिए यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com तथा नई प्रणाली माइईजी पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजिएस्ट के सफल लॉगइन के उपरांत, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेन्यू भी देख पाएंगे। इस मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल की मार्गिकायें होंगी। अपना मत डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजिएस्ट पर पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration. 4. वै क्लिपक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि उनके डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) logging through their depository participants	

	सफल अधिप्रमाणन के बाद आपको एनएसडीएल/सीएसडीएल जमाकर्ता वेबसाइट पर मार्गदर्शित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकेंगे। 3. कंपनी या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प कर क्लिक करें और आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पर रिमोट ई-वोटिंग के दौरान मतदान करने या सभा के दौरान वर्युवल मीटिंग से जुड़ने और अपना मतदान करने के लिए मार्गदर्शित किया जाएगा।
--	---

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य अपना उपयोगकर्ता आइडी/पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में अक्षम हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आइडी भूल गया या पासवर्ड भूल गया विकल्प का उपयोग करें

जमाकर्ता अर्थात् एनएसडीएल या सीएसडीएल के माध्यम से लॉग-इन करने से क्रं संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियाँ धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारकों के लिए सहायता डेस्क।

लॉग इन का प्रकार	सहायता डेस्क का ब्यौरा
एएसडीएल में डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियाँ धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारक	लॉग-इन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल सहायता डेस्क को evoting@nsdl.co.in पर विनती भेजकर या 1800-1020-990 तथा 1800-22-44-30 इन टॉल-फ्री क्रं संख्याओं पर क्रं संपर्क कर सकते हैं।
सीएसडीएल में डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियाँ धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारक	लॉग-इन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीएसडीएल सहायता डेस्क को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर विनती भेजकर या 022-23058738 तथा 022-23058542-43 इन क्रं संख्याओं पर क्रं संपर्क कर सकते हैं।

(II) डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियाँ धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारकों तथा भौतिक पद्धति से प्रतिभूतियाँ धारा कर रहे व्यक्तिविशेष समभागधारकों को छोड़कर अन्य सदस्यों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्युवल मीटिंग से जुड़ने की लॉग इन पद्धति

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट में कैसे लॉग-इन करें?

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट में जाएं। व्यक्तिगत क्रं संगक या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टंकलिपित कर वेब ब्राउज़र खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com>
 - ई-वोटिंग प्राली का होमपेज एक बार खुलने के बाद, 'शेयरहोल्डर/मैंबर' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध : लॉग-इन" आइकॉन पर क्लिक करें।
 - एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आइडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन में दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा।
- वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल की आइडियाज़ ईसेवाओं में पंजीकृत हैं, तो, आप अपने वर्तमान आइडियाज़ लॉगइन का उपयोग कर लॉग-इन कर सकते हैं। एनएसडीएल ईसेवाओं में लॉग-इन करने के बाद ई-वोटिंग पर क्लिक करें और कदम 2 की ओर बढ़ें, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अपना मत डालें।

- आपका उपयोगकर्ता आइडी वितरण नीचे दिया गया है:

समभाग धारा करने की पद्धति अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका उपयोगकर्ता आइडी है:
a) एनएसडीएल में डीमैट खाते में समभाग धारा करनेवाले सदस्य।	8 अक्षरों का डीपी आइडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आइडी, उदाहरण के लिए यदि आपका डीपी आइडी IN300*** और क्लाइंट आइडी 12***** है, तो आपका उपयोगकर्ता आइडी होगा IN300***12*****।
b) सीएसडीएल में डीमैट खाते में समभाग धारा करनेवाले सदस्य।	16 अंकों का लाभार्थी आइडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आइडी 12***** है, तो आपका उपयोगकर्ता आइडी होगा 12*****।
c) भौतिक स्वरूप में समभाग धारा करनेवाले सदस्य।	16 अंकों का लाभार्थी आइडी, उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आइडी 12***** है, तो आपका उपयोगकर्ता आइडी होगा 12*****।

5. व्यक्तिविशेष सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड ब्यौरा नीचे दिया गया है:
- a) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड उपयोग कर लॉग-इन कर और मत डाल सकते हैं।
- b) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा, जो आपको प्रेषित किया गया था। एक बार 'आरंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करने के बाद आपको 'आरंभिक पासवर्ड' प्रविष्टि करना होगा और प्राली आपको अपना पासवर्ड बदलने पर मजबूर कर देगी।
- c) अपना 'आरंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त कैसे करें?
- (i) यदि आपका ईमेल आइडी कंपनी या आपके डीमैट खाते में पंजीकृत है, तो आपका 'आरंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आइडी पर प्रेषित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजा गया ईमेल खोजें। ईमेल और उसके बाद क्रं संलग्न पीडीएफ धारिका खोलें। पीडीएफ धारिका खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का क्लाइंट आइडी और सीएसडीएल खाते के लिए आपका क्लाइंट आइडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप से धारा किए गए समभागों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ धारिका में 'आपका उपयोगकर्ता आइडी' और आपका 'आरंभिक पासवर्ड' समाविष्ट है।
- (ii) यदि आपका ईमेल आइडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन समभागधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनका ईमेल आइडी पंजीकृत नहीं है प्रक्रिया में नीचे दिए गए कदमों का अनुसरण करें।
6. यदि आप: आरंभिक पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में अक्षम हैं अथवा आपको प्राप्त नहीं हुआ है या आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो:
- a) www.evoting.nsdl.com, पर उपलब्ध: उपयोगकर्ता वितरण/पासवर्ड भूल गए क्या? विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में समभागों का धारा करते हैं)।
- b) www.evoting.nsdl.com, पर उपलब्ध: भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रिसेट करें? विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक स्वरूप में समभागों का धारा करते हैं)।
- c) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में अभी भी अक्षम हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in अपनी डीमैट खाता क्रं संख्या/फोलियो नंबर/आपका पैन, आपका नाम तथा आपका पंजीकृत पता बताते हुए एक विनती भेज सकते हैं।
- d) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्राली पर मतदान करने के लिए ओटीपी(एक बार का पासवर्ड) आधारित लॉगइन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. आपका पासवर्ड प्रविष्टि करने के बाद, चेक बॉक्स पर सेलेक्ट करके 'शर्तों और नियमों' पर सहमति के लिए टिक करें।
8. अब आपको 'लॉगइन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

कदम 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली पर अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें तथा वार्षिक सर्वसाधारा सभा में जुड़ें।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें तथा वार्षिक सर्वसाधारा सभा में जुड़ें?

1. कदम 1 पर सफलता से लॉगइन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "इवेन" देख सकते हैं, जिनमें आप समभाग धारा करते हैं तथा जिनका मतदान चक्र तथा सर्वसाधारा सभा सक्रिय स्थिति में हैं।
2. स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) के 'इवेन' को सेलेक्ट करें, जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत देना चाहते हैं या सर्वसाधारा सभा के दौरान अपना मत देना चाहते हैं। वर्चुअल सभा में जुड़ने के लिए, आपको 'सर्वसाधारा सभा से जुड़ें' के अंतर्गत क्रं संयोजित 'वीसी/ओवीएम' पर क्लिक करना होगा।
3. वोटिंग पेज खुलने के बाद अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. योग्य विकल्पों अर्थात् सहमति या असहमति के चयन के द्वारा अपना मत डालें, जिनके लिए आप अपना मत डालना चाहते हैं, उन समभागों की क्रं संख्याओं का सत्यापन/उनमें परिवर्तन करें तथा 'सबमिट' पर क्लिक करें, साथ ही सुझाए जाने पर 'कन्फर्म' बटन पर क्लिक करें।
5. पुष्टि के बाद, आपका मत सफलतापूर्वक डाला गया ऐसा क्रं संदे' प्रदर्शित हो।

6. पुष्टि के पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा डाले गए मतों की मुद्रित प्रति भी ले सकते हैं।

7. एक बार प्रस्ताव पर अपने मत की पुष्टि करने के बाद, आपको अपना मत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. उन समभागधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आइडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने तथा ईमेल आइडी का पंजीकरण करने की प्रक्रिया, जिनके ईमेल आइडी जमाकर्ताओं/कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

सदस्य ई-वोटिंग ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आइडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर विनती भेज सकते हैं:

1. यदि समभाग भौतिक पद्धति से धारा किए हों, तो कृपया admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल द्वारा फोलियो नं., सदस्य का नाम, समभाग प्रमाणपत्र की स्कैन की गई (आगे और पीछे) पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करें)।
2. यदि समभाग भौतिक पद्धति से धारा किए हों, तो कृपया admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल द्वारा डीपीआइडी-क्लाइंट आइडी (16 अंकों का डीपीआइडी+क्लाइंट आइडी अथवा 16 अंकों का लाभार्थी आइडी), सदस्य का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा पत्रक की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करें)। यदि आप डीमैट पद्धति से समभाग धारा करनेवाले व्यक्ति विशेष समभाग धारक हों, तो आपसे विनती है कि आप कदम 1 में स्पष्ट की गई लॉग-इन पद्धति देखें (i) अर्थात् डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियों धारा करनेवाले व्यक्तिविशेष समभागधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने की लॉग-इन पद्धति।
3. वैकल्पिक रूप से समभागधारक/सदस्य उपरोक्त दस्तावेज प्रदान कर ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आइडी व पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.co.in पर विनती भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग पद्धति के विषय में जारी सेवा परिपत्रक तिथि दिसंबर 9, 2020 के अनुसार, डीमैट पद्धति से प्रतिभूतियों धारा कर रहे व्यक्ति विशेष समभाग धारकों को जमाकर्ताओं तथा जमाकर्ता सहभागियों के साथ अनुरक्षित डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। समभागधारकों को ई-वोटिंग सुविधा में प्रवेश करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपनी मोबाइल क्रं संख्या और ईमेल आइडी ठीक से अद्यतनित करने होंगे।
5. किसी शंका/शिकायत के प्रक्रं संग में, आप मअवजपदह.देकस.बवउ के डाऊनलोड अनुभाग में उपलब्ध समभागधारकों के लिए बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न तथा समभागधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का क्रं संदर्भ ले सकते हैं या मअवजपदह/देकसबवणपद पर एक विनती भेज सकते हैं या सुश्री. सरिता मोटे, सहव्यवस्थापक, नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरीलिमिटेड को नामित ईमेल आइडी evoting@nsdl.co.in पर क्रं संपर्क कर सकते हैं या टॉल-फ्री क्रं संख्याओं 1800-1020-990 तथा 1800-22-44-30 पर दूरभाष कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में मतदान करने से क्रं संबंधित शिकायतों का समाधान मिलेगा।

XI वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़नेवाले सदस्यों के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

1. सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से <https://www.evoting.nsdl.com> वीसी/ओवीएम के ज़रिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वे एनएसडीएल ई-वोटिंग प्राली में प्रवेश करने के लिए उपरोक्त चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद, सदस्य कंपनी के नाम के आगे 'जॉयन जनरल मीटिंग' के अंतर्गत 'वीसी/ओवीएम लिंक' पर क्लिक कर सकते हैं। वीसी/ओवीएम की मार्गका शेयरहोल्डर/मेंबर लॉगइन पर उपलब्ध होगी, जहाँ कंपनी का इवेन प्रदर्शित हो रहा होगा।
जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड नहीं है या वे उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड भूल गए हों, वे ज्ञापन में बताए गए रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करने के द्वारा उन्हें पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।
2. एजीएम में वीसी/ओवीएम से जुड़ने की सुविधा एजीएम के नियत समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों को प्रथम आगमन प्रथम निष्पादन के आधार पर उपलब्ध होगी। सभा आरंभ होने के 15 मिनट बाद सभा से जुड़ने की सुविधा बंद हो जाएगी।

3. जिन सदस्यों को एजीएम के पहले या दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे evoting@nsdl.co.in पर एक विनती भेज सकते हैं या सुश्री. सरिता मोटे, सहव्यवस्थापक, नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड को नामित ईमेल आइडी evoting@nsdl.co.in पर क्रॉस संपर्क कर सकते हैं या टॉलफ्री संख्याओं 1800,1020,990 तथा 1800-22-44-30 पर दूरभाष कर सकते हैं।
 4. जिन सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट करने या प्रश्न पूछने की इच्छा हो, sail49agm.2021@sail.in पर 21 सितंबर, 2021 (भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे) से 23 सितंबर, 2021 (भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे) तक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आइडी तथा क्लाइंट आइडी/फोलियो नं., पैन, मोबाइल क्रॉस संख्या के साथ विनती भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही एजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के पास एजीएम के समय की उपलब्धता के अनुसार वक्ताओं की क्रॉस संख्या को निर्बंधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आगे, जिन सदस्यों को एजीएम के दौरान अपने प्रश्न/शंकाओं का उत्तर मिलने की इच्छा हो, उन्हें उपरोक्त पद्धति से शंका/प्रश्न भेजने की विनती की जाती है।
- केवल जो सदस्य एजीएम में शामिल हो रहे हों और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग(एजीएम से पहले) अपना मत नहीं डाला हो और अन्यथा ऐसा

करने से प्रतिबंधित न किया गया हो, वे एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्राली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

- XIII. संस्थागत समभागधारकों (व्यक्तिविशेष, संयुक्त हिंदू परिवार, प्रवासी भारतीय इत्यादि छोड़कर) को मतदान करने के लिए अधिकृत, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर प्रारूप कसाथ प्राक्रॉस संगिक मडल प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन की हुई प्रति(पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) में ई-मेल द्वारा निरीक्षककर्ता को sachinag1981@gmail.com पर आपको कड़ाई से xiv.XIII सलाह दी जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और बड़ी हिफाजत से अपना पासवर्ड गोपनीय रखें। सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पॉच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉगइन अक्षम हो जाएगा। ऐसा होने पर, आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता वितरण/पासवर्ड भूल गए क्या? अथवा :भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रिसेट करें? विकल्प के माध्यम से जाना होगा।
- xiv. जो व्यक्ति ज्ञापन के प्रेषण के बाद किंतु कट-ऑफ तिथि (21 सितंबर, 2021) के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं, वे उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड की विनती करने के लिए एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। उपयोगकर्ता आइडी और पासवर्ड की प्राप्ति के बाद, मतदान करने के लिए ऊपर ए में कदम 2 में दी गई जानकारी का अनुसरण करना होगा।

ज्ञापन का परिशिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुरूप स्पष्टीकरात्मक पत्रक

वस्तु क्रं सं. 6

कंपनी के क्रॉस संचालक मडल ने लेखापरीक्षा समिति के समुपदेशन पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11,70,000/- अधिक लागू होने वाले कर, जितना वेतन दैनिक भत्ता, यात्रा खर्च तथा खुदरा खर्चों के लिए व्यय पर, लेखापरीक्षकों अर्थात् मे.आर.एम. बंसल एंड कं., कानपुर (भिलाई इस्पात क्रॉस संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात क्रॉस संयंत्र तथा इस्को इस्पात क्रॉस संयंत्र), मे. चंद्रा वाधवा एंड कं., नई दिल्ली (राउरकेला इस्पात क्रॉस संयंत्र तथा बोकारो इस्पात क्रॉस संयंत्र के लिए) तथा मे. एबीके एंड असोसियेट्स, मुंबई (अलॉय स्टील्स प्लांट, सलेम इस्पात क्रॉस संयंत्र तथा विरुवरुरैया लौह तथा इस्पात क्रॉस संयंत्र) की नियुक्ति पर विचार किया तथा उसे मान्यता दी है। साथ ही मे. चंद्रा वाधवा एंड कं., नई दिल्ली को 42,000/- अधिक लागू होनेवाले कर, इस अतिरिक्त शुल्क पर एक्सबीआरएल रूपांतरा तथा कंपनी की समेकित व्यय लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नामित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) सह कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुरूप, कंपनी के क्रॉस संचालक मडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति के समुपदेशन पर मान्यता दिए गए वेतन का मानांकन इसके उपरांत कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार, ज्ञापन की वस्तु क्रं सं. 6 के रूप में निर्धारित, व्यय लेखापरीक्षकों के शुल्क के मानांकन का प्रस्ताव कंपनी के समभागधारकों की मान्यता के लिए दाखिल किया गया है।

मडल आपकी मान्यता के लिए प्रस्ताव का समुपदेशन करता है।

कंपनी के क्रॉस संचालकों तथा/अथवा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय अधिकारियों अथवा उनके क्रॉस संबंधियों में से कोई भी इस प्रस्ताव के बारे में चिंतित नहीं है अथवा उसमें रुचि नहीं रखता।

क्रॉस संचालक मडल के आदेश पर


(एम.बी. बालकृष्णन)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 1 सितंबर, 2021
पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L27109DL1973G0I006454

सेबी के विनियामन तत्वों के क्रं संबंध में प्रस्तुत करने के लिए नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की याचना कर रहे संचालक का ब्यौरा:

संचालक का नाम	श्री अमित सेन	श्री अनिर्बान दास गुप्ता
डीआईएन	08602987	06832261
जन्मतिथि	12 दिसंबर, 1961	29 अप्रैल, 1965
नियुक्ति की तिथि	5 नवंबर, 2019	1 फरवरी, 2020
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में नेपुय	व्यय प्रबंधन तथा वारिज्यिक कार्य— विशेषकर बड़े भवननिर्माण अनुबंधों के आर्थिक तथा वारिज्यिक पहलू।	प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन, प्रकल्प प्रबंधन तथा कॉर्पोरेट नियोजन;
शैक्षिक पात्रतायें	सनदी लेखापाल	बी.टेक (धातुविज्ञान)
ऐसे कंपनियों, क्रं संगठनों इत्यादि की सूची, जिनमें बाह्य क्रं संचालकत्व/सदस्यता का पद ग्रहा किया है।	(1) इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	(1) छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड (अध्यक्ष)
	(2) सेल रिफ्रेटरी कंपनी लिमिटेड (अध्यक्ष)	(2) टीआरएल क्रोसाकी लिमिटेड
	(3) पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	—
उन कंपनियों के मंडल की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य, जिनमें वे क्रं संचालक हैं।	सेल—सदस्य: हितक्रं संबंधित क्रं संबंध समिति, प्रकल्प समिति; रानीतिक मुद्दे तथा संयुक्त उद्यम समिति; कार्यान्वयन मुद्दे समिति; सीएसआर समिति। आइसीवीएल—अध्यक्ष: लेखापरीक्षा समिति।	सेल—सदस्य: लेखापरीक्षा समिति, प्रकल्प समिति; रानीतिक मुद्दे तथा संयुक्त उद्यम समिति; स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण समिति।
सेल मे धारित समभागों की क्रं संख्या	शून्य	100

बैंक का ब्यौरा, पैन, ईमेल पता इत्यादि प्रस्तुत करने का प्रारूप

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड
इकाई: स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
F-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1,
नई दिल्ली- 110020

आदरणीय महोदय,

मैं/हम स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सामान्य समभागों के लिए सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्रक(कों) के अनुपालन में लाभांशों का भुगतान जारी करने अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अन्य क्रं संप्रेषणों से भेजने के उद्देश्य से आपके अभिलेख में निम्नलिखित वितरण अद्यतनित करने के लिए मेरी/हमारी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

फोलियो नं.: _____

प्रथम/एकमात्र धारक का नाम: _____

बैंक का नाम: _____

शाखा का नाम तथा पता: _____

खाता क्रं सं.: _____ खाते का प्रकार (बचत/चालू): _____

आईएफएससी कोड: _____ एमआईसीआर कोड: _____

ईमेल पता: _____ दूरभाष क्रं सं.: _____

ब्यौरा	समभागधारक(कों) की नाम	पैन
प्रथम/एकमात्र समभागधारक		
1 संयुक्त समभागधारक		
2 संयुक्त समभागधारक		

1 समभागधारक के हस्ताक्षर

1 संयुक्त समभागधारक के हस्ताक्षर

2 संयुक्त समभागधारक के हस्ताक्षर

तिथि: _____

स्थान: _____

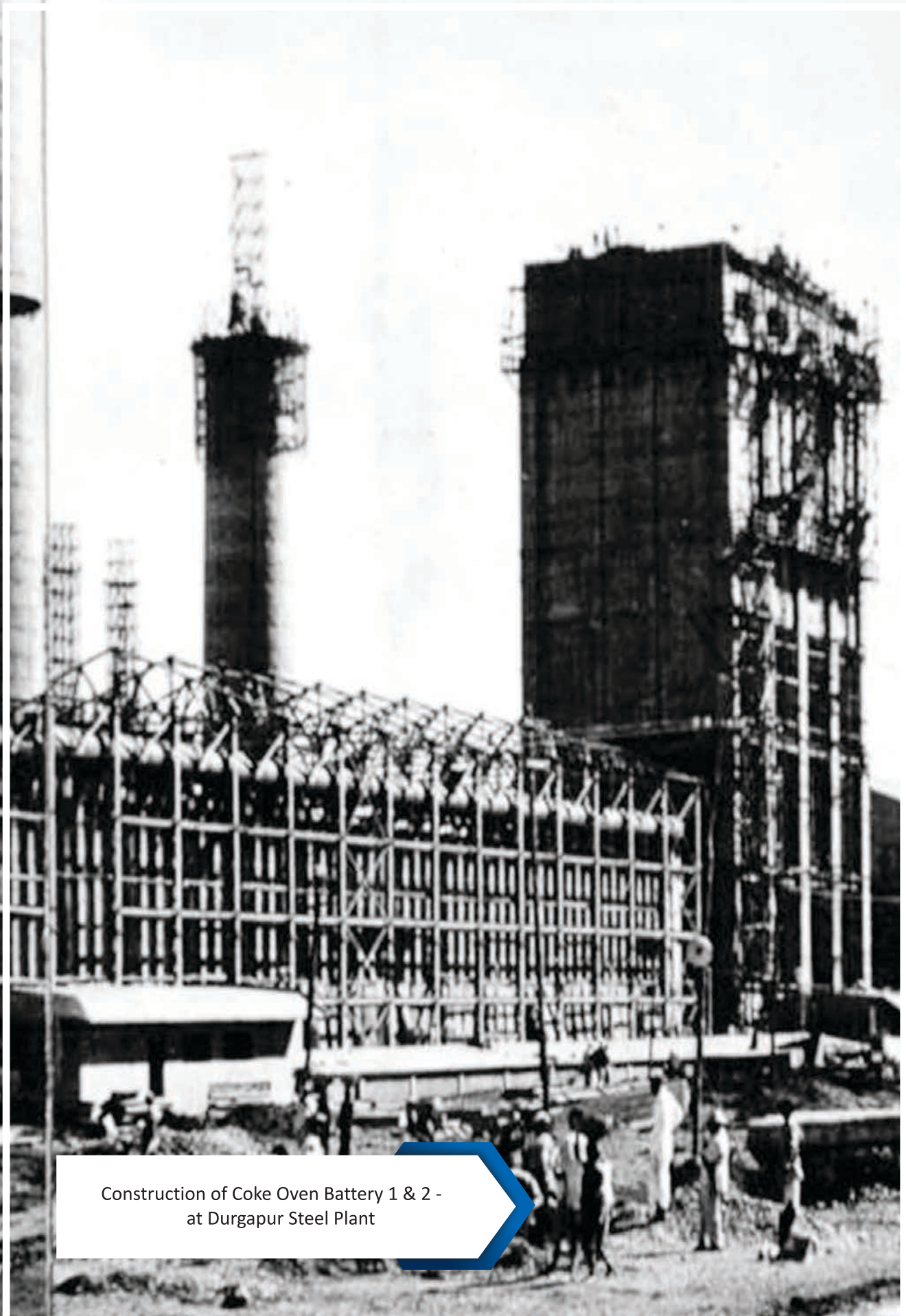
क्रं संलग्न : खाताधारक का नाम दिखाने वाला मूल रद्द किया गया चेक का पृष्ठ अथवा बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति तथा पैन कार्ड(कार्डों) की स्व-सत्यापित प्रति।

FROM THE ARCHIVES



Construction of Bokaro Steel Plant

FROM THE ARCHIVES



Construction of Coke Oven Battery 1 & 2 -
at Durgapur Steel Plant

FROM THE ARCHIVES



Dr. Rajendra Prasad, the then President of India
inaugurating the first Blast Furnace of Bhilai
Steel Plant on 4th February, 1959

FROM THE ARCHIVES



First Steel Ingot cast at DSP on
24th April, 1960

FROM THE ARCHIVES



Rail and Structural Mill at Bhilai Steel Plant
inaugurated in October, 1960.

FROM THE ARCHIVES



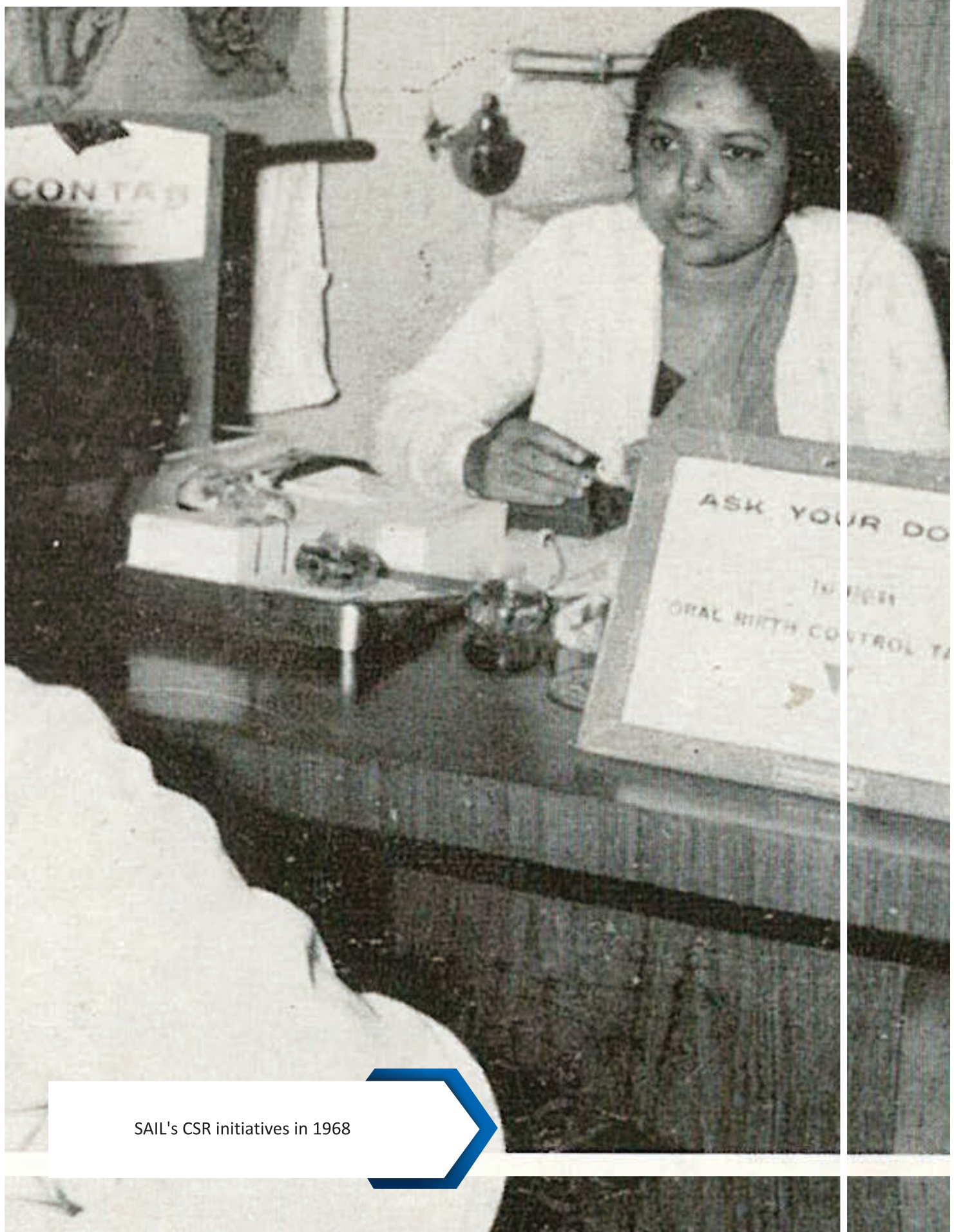
Construction site of Bloom Cast Mill at
Alloy Steels Plant in 1965

FROM THE ARCHIVES



Levelling work in progress at the site of Bokaro
Steel Plant in 1967

FROM THE ARCHIVES



SAIL's CSR initiatives in 1968

FROM THE ARCHIVES



First plate at Bhilai Steel Plant

FROM THE ARCHIVES



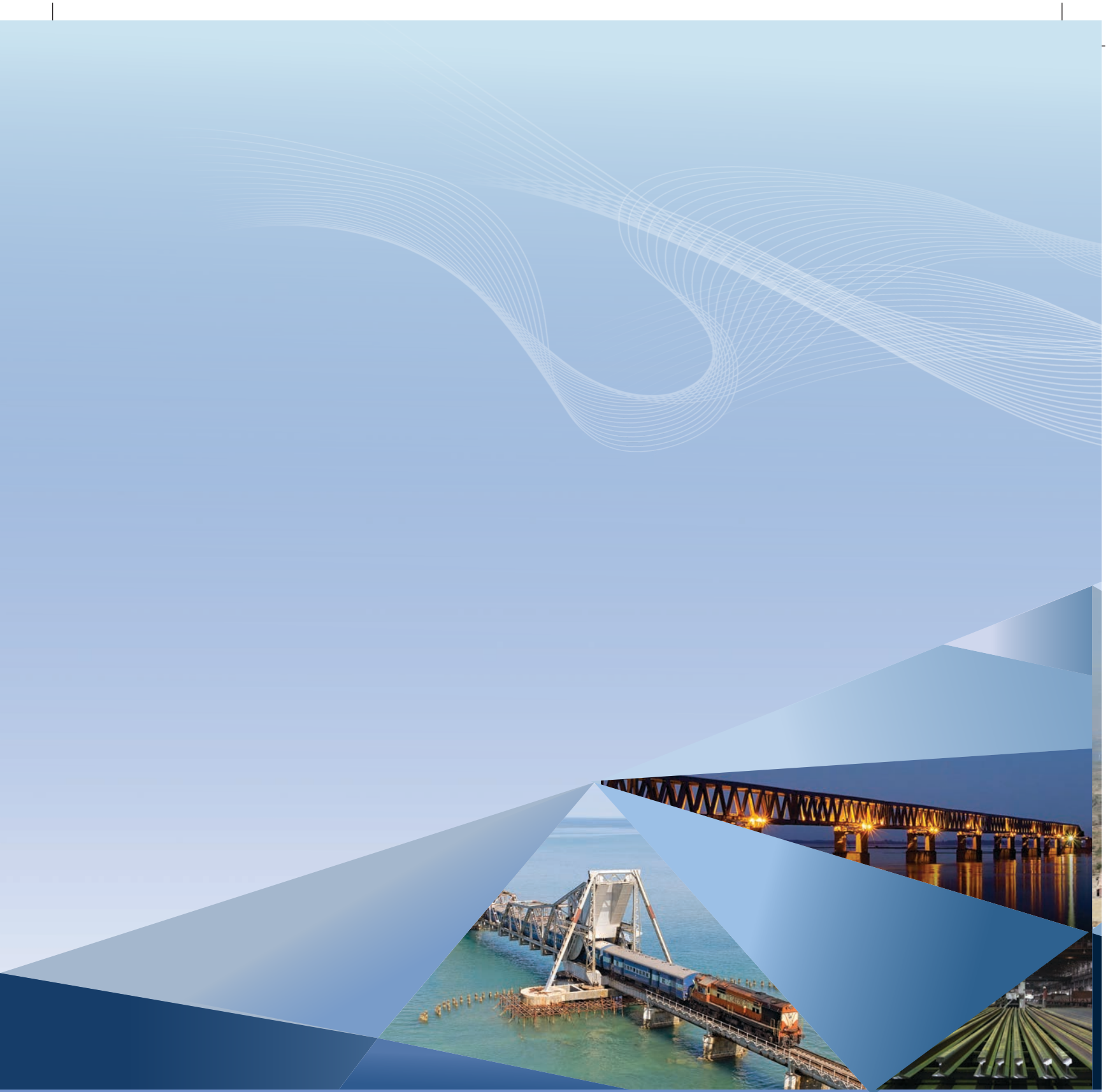
1970: 50 tonne Electric Arc Furnace at
Alloy Steels Plant

FROM THE ARCHIVES



FIRST EXPORT CONSIGNMENT
OF SALEM STAINLESS
TO
AUSTRALIA

First consignment to Australia in 1983



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
www.sail.co.in